

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

<b>BORROWER'S No.</b>	<b>DUE DATE</b>	<b>SIGNATURE</b>

लोकवित्त

# लोकवित्त

डा० कृष्ण स्वल्प शर्मा

M

दि मंत्रिमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
दिल्ली बंबई कलकत्ता मद्रास  
समस्त विषय में सहयोगी कंपनियां  
© डा० कृष्ण स्वरूप शर्मा  
प्रथम सम्स्करण : 1975

भारत सरकार ने रियायती दर पर प्राप्त वाताज  
इस पुस्तक में इस्तेमाल किया गया है।

मूल्य : पुस्तकालय संस्करण : 35.00  
छात्र संस्करण : 20.00

एम. जी. बसाली द्वारा दि मंत्रिमिलन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड  
के लिए प्रकाशित तथा मद्रास प्रिंटर्स, नई दिल्ली 110027 में मुद्रित।

Dr. Krishna Swarup Sharma : LOKVITT

## भूमिका

आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक हो अथवा सामाजिक, राज्य को सक्रिय रूप से अपने उत्तरदायित्व निभाहने पड़ते हैं। प्रजातंत्र तथा समाजवादी विचारधारा के विकास के साथ-साथ सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़ रहा है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भावार्थ विश्व के प्रत्येक देश ने स्वीकार किया है। साथ ही विकास के कार्यों को मंजूर करने के लिए वित्त की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोकवित्त की नीतियों का आज अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा है। यह स्वाभाविक है कि देश के भावी नागरिक तथा युद्धिजीवी वर्ग इन विषय का गभीर अध्ययन करें।

प्रस्तुत रचना लोकवित्त की विषय सामग्री तथा रीतिनीति को समझने का प्रयास है। पुस्तक में लोकवित्त के सिद्धांतों के अतिरिक्त भारतीय लोकवित्त की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। विषय को विकसित देशों की समस्याओं के अनुरूप बनाने के लिए विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों में हाल में कुछ परिवर्तन किए हैं। उदाहरण के लिए विकासवित्त को जुटाने के लिए ससाधनों की गतिमत्ता में रोजगार को बढ़ाने में, तथा सार्वजनिक सेवाओं के मूल्य-निर्धारण में लोकवित्त क्या भूमिका निभा सकता है? क्रियागत वित्त तथा करारोपण का अधिकतम सामाजिक कल्याण मिद्धात आदि कुछ ऐसी नूतन धारणाएँ हैं जिन पर कि आधुनिक लोकवित्त को आधारित किया जाने लगा है। इस पुस्तक में इन सभी विषयों को सम्मिलित करने के साथ-साथ उन्हें रुचिकर एवं बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है।

इस उपक्रम में मैं अनेक लेखकों का आभारी हूँ जिनके लेखों तथा कृतियों से मैंने मह्दापता ली है तथा यथोचित स्थान पर उनके उद्धरण दिए हैं।

मुझे विश्वास है कि प्रस्तुत रचना विषय में नवप्रतिन विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पुस्तक को ओर अधिक उपयोगी बनाने के लिए समय-समय पर दिए गए सुझावों का मैं महर्ष स्वागत करूँगा।

कृष्ण स्वर्ण शर्मा

## अनुक्रम

- लोकवित्त की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्त्व 1  
लोकवित्त की परिभाषा, लोकवित्त की प्रकृति, लोकवित्त एक कला है, विषय-सामग्री तथा क्षेत्र, लोकवित्त का विभाजन, अन्य शास्त्रों से संबंध, आधुनिक युग में लोकवित्त का महत्त्व, लोकवित्त तथा निजी वित्त में अंतर
- अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत 16  
सामाजिक आय और व्यय का बंटवारा, व्यावहारिक कठिनाइयाँ, सामाजिक लाभ की कमोटीया थीमती हिक्म का इष्टिकोज
- लोकवित्त की प्रदा : मूल्य-निर्धारण तथा वितरण में भूमिका 26  
लोकवित्त तथा प्रदा, बजट नीति तथा प्रदा प्रभाव, मूल्य के निर्धारण में लोकवित्त की भूमिका, मूल्य, सीमांत लागत, निजी सीमांत उपयोगिता तथा सामाजिक सीमांत उपयोगिता में संबंध, लोकवित्त की आय तथा धन के वितरण में भूमिका
- ससाधनों की पूर्ति की अल्पविकसित देशों में गतिशीलता 36  
आदर्श दशाएँ आनुपातिक एवं प्रगतिशील करो का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर तथा उत्पादन शुल्क का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, राजकीय स्थानांतरण तथा अन्य व्ययों का धर्म की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर तथा व्ययकर का बजट की पूर्ति पर प्रभाव, आयकर का तथा पूंजीकर का बचत की पूर्ति पर प्रभाव, अर्धविकसित देशों में स्रोतों की गतिमय बनाना, समाधन बजट
- ससाधनों का आवंटन 46  
अध्ययन की हपरेखा, प्रत्यक्ष कर बनाम अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष करो का साधन आवंटन पर प्रभाव, अप्रत्यक्ष करो का साधन आवंटन पर प्रभाव, व्यय का सापेक्षिक प्रभाव, सांबंजनिक क्षेत्र में व्यय का वितरण

लोकव्यय में वृद्धि के कारण, लोकव्यय की सीमाएँ, लोकव्यय के परिचय तथा सिद्धांत, लोकव्यय के सिद्धांत, लोकव्यय के प्रभाव, उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, अन्य प्रभाव, व्यावसायिक व्यवस्था की उद्वेगति अवस्था में अभाव पूर्वक व्यवस्था, लोकव्यय तथा आर्थिक विकास, विकास व्यवस्था की प्राथमिकताएँ

## सार्वजनिक आय

86

सार्वजनिक आय का वर्गीकरण, सार्वजनिक आय के स्रोत, प्रत्यक्ष व परोक्ष कर, एक अच्छी कर पद्धति की विशेषताएँ

## कराधान के उद्देश्य तथा परिचय

107

वित्तीय दृष्टिकोण, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण, वित्तीय विनियम, उत्प्रेरक कर, करारोपण परिचय, एडम स्मिथ के करारोपण के परिचय, एक अच्छी कर पद्धति की विशेषताएँ

## करारोपण में न्याय की समस्या

120

वित्तीय सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, करारोपण का सामर्थ्य सिद्धांत, व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण, ममान तथा का सिद्धांत, ममानुपातिक त्याग का सिद्धांत, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण, करारोपण के अधिकतम कल्याण का सिद्धांत

## कर भार का सिद्धांत

135

करारोपण का अर्थ, कर भार का महत्त्व, कर विवर्तन की मुख्य विशेषताएँ, कर विवर्तन व करवचन में भेद, कर भार के प्राचीन सिद्धांत, कर भार का आधुनिक सिद्धांत, वस्तु की माग और पूर्ति की नीच तथा कर भार, पूर्ति की भूमिका व करारोपण, पूर्ण प्रतियोगिता में कर विवर्तन, उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव, एकाधिकार में कर विवर्तन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर-विवर्तन, कर भार तथा विवर्तन के परंपरागत विचारों की आलोचना, कर भार की आधुनिक विचारधारा, कर भार, व्यवस्था भार ।

## करदेय क्षमता

168

करदेय क्षमता की परिभाषाएँ, निरपेक्ष तथा सापेक्षिक करदेय क्षमता, करदेय क्षमता की निर्धारित करने वाले मन्त्र, भारत में करदेय क्षमता

- कराधान के प्रभाव** 177  
कराधान के उत्पादन पर प्रभाव, आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव, कराधान के वितरण पर प्रभाव, वितरण बनाम उत्पादन, अविकसित देशों में करों का वितरण पर प्रभाव
- आय कर** 190  
आय की परिभाषा, आय कर तथा कर देय क्षमता, प्रत्यक्ष कर आच समिति, समिति की मुख्य सिफारिशों, अतिकर तथा अधिकर, आय कर के गुण, आय कर के दोष
- कृषि आय कर** 201  
कृषि आय कर के पक्ष में तर्क, कृषि आय कर के विपक्ष में तर्क, राज समिति प्रतिवेदन, मूल्यांकन
- पूजी कर** 210  
पूजी कर का औचित्य, पूजी कर के रूप, अनावर्ती पूजी कर, उपहार कर, घन कर, विनियोग कर
- परिव्यय कर** 231  
उपभोग की वस्तुओं पर परिव्यय कर, उपत्ति के साधनों पर परिव्यय कर, आयकर तथा परिव्यय कर की तुलना
- व्यय कर** 239  
प्रो० कोल्हट्टर का विचार, व्यय कर का अल्पविकसित देशों में महत्त्व, भारत के सदर्भ में व्यय कर का अध्ययन
- भारत में कराधान का ढांचा** 249  
समाजवादी सिद्धांत पर आधारित कराधान, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, भारतीय कर ढांचे में दोष, सुझाव
- सार्वजनिक ऋण** 258  
सार्वजनिक तथा निजी ऋण की तुलना, सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण, सरकार द्वारा ऋण लेने के कारण, ऋण बनाम कर, उधार के स्रोत, सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, ऋण शोधनकी विधियाँ, भारत में सार्वजनिक ऋण की स्थिति
- विकास वित्त** 278  
आर्थिक विकास के लिए वित्त



## युद्ध वित्त

वास्तविक माधन, वित्तीय माधन, युद्ध व्यय का करों द्वारा पूरा करने के पक्ष में तर्क, युद्ध व्यय का करों द्वारा पूरा करने के विपक्ष में तर्क, युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव, भारत में प्रतिरक्षा व्यय

- संघीय वित्त 303  
 वित्त व्यवस्था का विभाजन, संघीय कार्यक्षेत्र, संघीय वित्त के सिद्धांत, राज्य सरकार द्वारा संघ सरकार को अर्पित सहायता
- केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध 311  
 संघीय वित्त का नमिक विकास, नवविधान में वित्तीय संघ वित्त आयोग 322  
 प्रथम वित्त आयोग, द्वितीय वित्त आयोग, तृतीय वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, पाचवा वित्त आयोग, छठा वित्त आयोग
- वित्तीय प्रशासन 352  
 वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत, संघ में वित्तीय प्रशासन, भारत में वित्तीय प्रक्रिया, धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया
- बजट तथा बजट नीति का योगदान 358  
 समुचित बजट, बजट नीति के उद्देश्य, बजट नीति की व्यावहारिकता, बजट नीति की सीमाएं
- केंद्रीय सरकार के बजट का विश्लेषण 364  
 1973-74 का बजट, प्रत्यक्ष कर, व्यय पक्ष, 1974-75 का बजट पूरक बजट, जुलाई 1974, 1975-76 का बजट
- घाटे की वित्त व्यवस्था 378  
 घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य, घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग, घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमाएं, योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- राजकोपीय नीति तथा आर्थिक गतिविधियां 390  
 राजकोपीय नीति का अर्थ, राजकोपीय नीति के उद्देश्य, राजकोपीय नीति के अंग, राजकोपीय नीति तथा आर्थिक स्थिरता, स्थिति विरोधी राजकोपीय नीति, मंदी काल में राजकोपीय नीति, अल्प-विकसित देश तथा राजकोपीय नीति, राजकोपीय नीति एवं पूर्ण रोजगार, लोकवित्त का प्राचीन मठ तथा पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक व्यय तथा पूर्ण रोजगार, सार्वजनिक ऋण तथा पूर्ण रोजगार,

घाटे की वित्त व्यवस्था तथा पूण रोजगार, राजकोषीय नीति की सीमाएँ

आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण

407

व्यक्तिगत आय के वितरण को निर्धारित करन वाले सत्व, आय की असमानता के परिणाम तथा आयसंपत्ति के वितरण में सुधार के उपाय

स्थानीय सस्थाओं की वित्त व्यवस्था

स्थानीय सस्थाओं के आय के स्रोत, स्थानीय सस्थाओं के आय के व्यय, गैर कर स्रोत आय अनुदान स्थानीय सस्थाओं के व्यय, स्थानीय सस्थाओं की वित्तीय समस्याएँ, वित्तीय स्थिति में सुधार ।

## लोकवित्त की प्रकृति, क्षेत्र और महत्त्व

लोकवित्त अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो राज्यों के धन, व्यय तथा उनके प्रशासन से संबंधित है। इसका महत्त्व सरकार के कार्यों की वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहा है। अब यह विषय इतना विस्तृत हो गया है कि इसका अध्ययन एक पृथक् विषय के रूप में किया जाने लगा है।

लोकवित्त का अर्थ राज्य की वित्तीय व्यवस्था के विज्ञान तथा कला में है। इस विषय के अंतर्गत राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का, जिनका मुद्रा से संबंध है अध्ययन किया जाता है। जनता की मलाई के लिए जितने भी सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं वे लोकप्राधिकरण (public authorities) के द्वारा संपन्न होते हैं। लोक-प्राधिकरण राजनीतिशास्त्र का विषय है। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए जिन वित्त की आवश्यकता होती है वह अर्थशास्त्र का विषय है। इस प्रकार लोकवित्त का अध्ययन राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का मिलान कराता है। यह लोकप्राधिकरण धन तथा व्यय और उनके आपसो समायोजन का अध्ययन करता है। लोकप्राधिकरण के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकारें, नगरपालिकाएँ तथा सार्वजनिक निगम सम्मिलित होते हैं।

### लोकवित्त की परिभाषा

विभिन्न लोकवित्त शास्त्रियों ने लोकवित्त की परिभाषा विभिन्न प्रकार से दी है। विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है

#### (1) अत्यधिक विस्तृत परिभाषाएँ

इस वर्ग के अंतर्गत जिन लेखकों की परिभाषाएँ सम्मिलित की गई हैं उन्होंने लोकवित्त को बहुत ही व्यापक रूप में लिया है। डाल्टन, ब्रैस्टेबल तथा फिट्जने गिराज की परिभाषाएँ बहुत कुछ ऐसी ही विशेषताएँ रखती हैं

‘लोकवित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र के मध्य की सीमा पर स्थित है। इसका संबंध लोकप्राधिकरण के धन-व्यय तथा उनके पारस्परिक

समायोजन से है।<sup>1</sup>

'डाल्टन'

'लोकवित्त राज्य की लोकसत्ताओं के भाय और व्यय, उनके पारम्परिक मपक तथा वित्तीय प्रशासन से संबन्ध रखता है।'<sup>2</sup>

बैस्टेबल

'लोकवित्त वह विज्ञान है जो इन बात का अध्ययन करता है कि लोकप्राधिकरण किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती है और किस प्रकार उसका व्यय करती है।'<sup>3</sup>

फिडने शिरान

इन वर्ग में सम्मिलित परिभाषाएँ इसलिए अधिक विस्तृत बही जाती हैं क्योंकि लोकवित्त के विषय के अतर्गत लोकप्राधिकरण को शामिल कर लिया गया है। साथ ही इन सस्थाओं की सभी प्रकार की आय—मौद्रिक अथवा अमौद्रिक—सम्मिलित कर ली गई है। इन परिभाषाओं की आलोचना दो आधारों पर की जाती है।

(क) इन वर्ग की परिभाषाओं में अनेक लोकप्राधिकरण सम्मिलित हो जाती हैं जिनका लोकवित्त में कोई संबंध नहीं है। उदाहरणार्थ, शोध चिकित्सालय, शिक्षा संस्थाएँ इत्यादि। यदि इन सभी संस्थाओं के आय और व्यय का अध्ययन किया जाए तो लोकवित्त के अध्ययन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो जाएगा।

(ख) उपर्युक्त परिभाषाओं के अतर्गत हमको लोकप्राधिकरण के सभी प्रकार के आय और व्यय को सम्मिलित करना होगा जो उचित नहीं कहा जा सकता। यदि हम ऐसा करते हैं तो लोकवित्त एक अनिश्चित विज्ञान हो जाता है। इसलिए लोकवित्त के क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब इस विषय में अधीन हम केवल मौद्रिक तथा साख्त-संबन्धी साधनों का ही अध्ययन करें।

## (2) विस्तृत परिभाषाएँ

इस श्रेणी की जो परिभाषाएँ हैं उनमें लेखकों ने आय तथा व्यय के पहलू पर प्रकाश डाला है। इस वर्ग में हम निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं

'लोकवित्त वह विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों के उन भौतिक साधनों को पाने और प्रयोग करने से, जो राज्य के उचित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, संबंधित है।'<sup>4</sup>

बाल्ट प्लेहन

'लोकवित्त उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा और वितरण से संबंधित है जो राजकीय अथवा प्रशासन-संबन्धी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं।'<sup>5</sup>

'लुट्स'

'लोकवित्त के अध्ययन में उन रीतियों तथा प्रणालियों की व्याख्या की जाती है जिनके अनुसार शासन संस्थाएँ जनसाधारण के हितार्थ धन-राशि एकत्र करने सामूहिक

- 1 Dalton 'Principles of Public Finance' (1949), Routledge & Kegan Paul Ltd., Lond., p 7
- 2 C F Bestable 'Public Finance', p 1
- 3 Findlay Sherras 'The Science of Public Finance', p 1
- 4 Carl Plehn 'Introduction to Public Finance' p 1
- 5 H. L. Lutz 'Public Finance', p 7

भावश्यकताओं की सतुष्टि करती हैं।<sup>1</sup>

श्रीमती उरसला हिक्स

इस वर्ग की परिभाषाएँ पहले की प्रपेक्षा सकीर्ण हैं क्योंकि लोकवित्त का अध्ययन केवल आय तथा व्यय तक ही सीमित कर दिया गया है। इन परिभाषाओं में निम्नान्वित दोष माने गए हैं

(क) इन परिभाषाओं में आय तथा व्यय का अर्थ निश्चित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन परिभाषाओं में मौद्रिक तथा अमौद्रिक आय और व्यय सम्मिलित किए गए हों। अमौद्रिक आय तथा अमौद्रिक व्यय के सम्मिलित होने के कारण यह विषय बहुत अनिश्चित हो जाता है। जब हमारे पास मुद्रा का मापदण्ड उपलब्ध है तो लोकवित्त का अध्ययन मौद्रिक आय-व्यय तक ही सीमित रहना चाहिए।

(ख) ये परिभाषाएँ लोकवित्त की मुख्य विशेषताएँ बतलाने में असमर्थ हैं।

(ग) इन परिभाषाओं में लोकवित्त के क्षेत्र को आय-व्यय तक अध्ययन करने से सीमित कर दिया है। आधुनिक युग में विषय लोकवित्त का ऋण और प्रशासन के मूल सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना तथा राजस्व क्रियाओं की देश और समाज पर प्रतिक्रिया का अध्ययन किए बिना एक 'विज्ञान' का पद पाने का अधिकारी नहीं कहा जा सकता।

### (3) सकीर्ण परिभाषाएँ

इस वर्ग में उन वित्त शास्त्रियों की परिभाषाएँ ली गई हैं जिन्होंने लोकवित्त के विषय को अत्यंत सकीर्ण रूप में लिया है। प्रो० जे० के० मेहता की परिभाषा इस संपूर्ण वर्ग का ठीक प्रतिनिधित्व करती है। इस वर्ग के लोगों ने लोकवित्त के अंतर्गत राज्य की मौद्रिक आय तथा मौद्रिक व्यय का ही अध्ययन किया है।

प्रो० मेहता तथा प्रग्रवाल लिखते हैं कि 'लोकवित्त राज्य के मौद्रिक तथा साख-सवधी साधनों का अध्ययन है।'<sup>2</sup> इस परिभाषा में लोकवित्त के अर्थ को बहुत ही संकुचित रूप में लिया गया है। प्रो० मेहता का मत है कि लोकवित्त में केवल सार्वजनिक मौद्रिक आय तथा व्यय का अध्ययन होता है। आधुनिक प्रशासकीय प्रो० मेहता की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से मौद्रिक तथा अमौद्रिक आय और व्यय में भेद करना कठिन है। परंतु व्यवहार में वित्त का अर्थ केवल मुद्रा से ही होता है इसलिए लोकवित्त में केवल द्राव्यिक साधनों को ही सम्मिलित करना उचित माना गया है।

प्रसिद्ध लोकवित्त शास्त्रियों की परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन्होंने ये परिभाषाएँ लोकवित्त की केवल उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए दी हैं जिनसे कि वे उस समय प्रभावित थे। परंतु पूर्ण अध्ययन के लिए एक ऐसी परिभाषा देना आवश्यक है जो हमें इस विषय का प्रारम्भिक

1 Mrs Ursula Hicks 'A Study in Public Finance', p 6

2 Mehta and Agrawal 'Public Finance' (1959), Kitab Mahal Allahabad, p 4

दोष कराने में सहायक हो। अतः हम लोकवित्त की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं— यह वह विज्ञान है जो सार्वजनिक धन-व्यय, ऋण तथा वित्तीय शासन के मूल सिद्धांतों का और राज्य की सहायक क्रियाओं का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है।

मैन्टफोर्ड ने लोकवित्त पर हाल ही में प्रकाशित अपनी पुस्तक में पूर्वजों की परिभाषाओं की कमियों को दूर करत हुए इस विषय की परिभाषा दी है जो सरल तथा दोषरहित प्रतीत होती है। उनके शब्दों में 'लोकवित्त के अर्थगतत्व में हम विशेष रूप से सामूहिक धन-व्ययों की सन्तुष्टि से संबंधित हैं। हम उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो राज्य अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न हैं। जैसे, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच साधनों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी व्यय के विभिन्न साधनों की सन्तुष्टि के लिए साधनों का आवंटन कैसे किया जाता है।'<sup>1</sup>

### लोकवित्त की प्रकृति

किसी भी विषय के स्वरूप को जानने के लिए उसकी प्रकृति का अध्ययन आवश्यक होता है। किसी भी विषय की प्रकृति पर विचार करते समय यह ज्ञात करना होता है कि अनुकूल विषय विज्ञान है अथवा नहीं। लोकवित्त की प्रकृति जानने के लिए भी हमें ऐसा ही करना होगा।

लोकवित्त विज्ञान है या नहीं, इससे पहले हमें विज्ञान का अर्थ समझ लेना चाहिए। 'किसी भी विषय के अनवरत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।' विज्ञान के अंतर्गत किसी भी वस्तु का निरीक्षण तथा विश्लेषण करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रयोगों और निरीक्षण के द्वारा तथ्यों की समानताएँ ज्ञात की जाती हैं तथा तथ्यों की इन समानताओं पर ही सिद्धांत आधारित होते हैं। वाइनबेयर के अनुसार 'विज्ञान तथ्यों से इस प्रकार बना है जिस प्रकार पत्थरों से एक पत्थन बनाया जाता है, परंतु जिस प्रकार पत्थरों के ढेर को मकान नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार केवल तथ्यों का एकत्रीकरण ही विज्ञान नहीं कहा जा सकता।' एंग नीतिकशास्त्री ने इस मुद्दे में ठीक कहा है, 'विज्ञान किसी वस्तु के पूर्ण ज्ञान की भांति है और उसका आधार सतर्क प्रयोग, ध्यानपूर्वक निरीक्षण और सही-सही विश्लेषण होता है।' विज्ञान के तीन प्रकार हो सकते हैं—

- (1) वर्णात्मक विज्ञान
- (2) दास्तदिक विज्ञान
- (3) आदर्श विज्ञान

वर्णात्मक विज्ञान के अंतर्गत भूतकाल तथा वर्तमान काल की घटनाओं तथा

परिस्थितियों का वर्णन होता है। वास्तविक विज्ञान 'वस्तु स्थिति' का अध्ययन करता है। यह केवल कारण और परिणाम में सबम स्थापित करता है। यह केवल 'यह या वह क्या है' नामक प्रश्न का उत्तर देता है। वह उचित है या अनुचित इससे उसका कोई सरोकार नहीं है। इसके अतिरिक्त आदर्श विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार के आदर्श निर्धारित करता है तथा वाछनीयता अथवा अवाछनीयता की ओर संकेत करता है। क्या होना चाहिए' नामक प्रश्न का उत्तर आदर्श विज्ञान द्वारा ही दिया जाता है। नीम के अनुसार, 'वास्तविक विज्ञान को हम जमबद्ध ज्ञान का एक पुंज कह सकते हैं और आदर्श विज्ञान हम ज्ञान के उस पुंज को कहते हैं जिसका सबम आदर्शों को स्थापित करता है। इस प्रकार दोनों में वस्तु स्थिति और आदर्श का अंतर होता है।'

लोकवित्त को उक्त आधारों की कसौटी पर कसने से ऐसे अनक परिणाम मिलते हैं जिन आधारों पर इस विषय को विज्ञान कहा जा सकता है। आय, व्यय और ऋण निश्चित योजना और स्वीकृत सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं, ये सिद्धांत वैज्ञानिक मान्यताओं तथा अनुभवों पर आधारित होते हैं। लोकवित्त में इन मान्यताओं को स्वीकार न करने से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। कार्ल ज्वेहन ने निम्न तर्कों के आधार पर लोकवित्त को विज्ञान माना है

(1) यह संपूर्ण मानव-विज्ञान का अध्ययन नहीं करता अपितु निश्चित और सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन करता है।

(2) इसके सिद्धांतों तथा तथ्यों को नियमित क्रम से लगाया जाता है। अनेक नियम ऐसे हैं जो केवल इसी विज्ञान में लागू होते हैं।

(3) लोकवित्त के अध्ययन तथा खोज में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है।

(4) लोकवित्त में कुछ तथ्यों की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है तथा उनका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ लोकवित्त आदर्श प्रस्तुत करता है। यदि आय और धन का वितरण असमान हो तो लोकवित्त उसे समान करने की रीतियों को सुझाता है। यह विषय इस तथ्य का भी उल्लेख करता है कि वरारोपण का भुगतान क्षमतानुसार होना चाहिए।

इस प्रकार लोकवित्त वास्तविक विज्ञान होने के साथ-साथ एव आदर्श विज्ञान भी है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकवित्त एक आश्रित विज्ञान है क्योंकि इसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र की विषय-भामाग्री की सहायता लेनी पड़ती है। इसे स्वतंत्र विज्ञान नहीं माना जा सकता।

### लोकवित्त एक कला है

विज्ञान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन ही कला है। वास्तविक विज्ञान वस्तु की वास्तविक स्थिति का ज्ञान करता है। आदर्श विज्ञान आदर्श प्रस्तुत करता है। वना यह बतलाती है कि आदर्श स्थिति को किस प्रकार प्राप्त किया जाए।

कला की उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार लोकवित्त को कला स्वीकार किया जा सकता है। लोकवित्त उस समय कला का रूप ले लेता है जब एक देश की सरकार विभिन्न स्रोतों से प्रायः एकत्र करके उसे विभिन्न मद्दों पर व्यय करने का ऐसा प्रयत्न करती है जिससे सामाजिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि हो। प्रायः जुटाने का काम सरल नहीं होता। वित्त की राशि किस स्रोत से प्राप्त करनी है यह एक दूरदर्शी और कुशल आर्थिक विद्वान ही निश्चित कर सकता है। इसी प्रकार व्यय की मद तथा उस पर व्यय किए जाने वाले धन की राशि को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यदि प्रायः एकत्र करते समय उसका बटवारा विभिन्न स्रोतों में उचित नहीं हुआ या अनुचित मद्दों पर उसे खर्च कर दिया गया तो जनता द्वारा उनके प्रति रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक होता है। इसलिए वित्त शास्त्रों इन क्रियाओं को सतर्कता से संपन्न करता है। यह सब लोकवित्त के सिद्धांतों को सही व्यावहारिक रूप देने का प्रयास है। वित्त मंत्री भी कठोर घालोचनाओं से बचने के लिए ऐसा ही करता है। अतः लोकवित्त को निश्चित रूप से कला कहा जा सकता है। इस सदर्भ में प्लेहन का विचार बहुत उपयुक्त प्रतीत होता है। उनका कहना है, कि 'उन समस्त तथ्यों का जिनका अध्ययन लोकवित्त में होता है, मूर्ती प्रकार से समग्र किया जा सकता है और उनसे ऐसे सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो कि अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में साधारणतया नहीं निकाले जा सकते। जब भी एक विज्ञान निश्चित स्वरूप धारण कर लेता है, वही उससे सिद्धांतों को निष्काशित करना सरल तथा वाछनीय हो जाता है।'

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लोकवित्त विज्ञान और कला दोनों हैं। लोकवित्त में प्रायः जुटाने तथा व्यय के सिद्धांतों का अध्ययन विज्ञान का पक्ष धारण करता है। जब इन सिद्धांतों तथा नीतियों को सरकार द्वारा वित्तीय समस्याओं को हल करने में प्रयुक्त किया जाता है तब वह कला का रूप धारण करता है।

### विषय-सामग्री तथा क्षेत्र

लोकवित्त की विषय-सामग्री के अंतर्गत, सरकार और उससे संबंधित तथा उसके अंतर्गत घाने वाली सार्वजनिक या लोक सत्ताएँ प्रथमतः तथा जनता के कल्याण के लिए वित्त प्रकार विभिन्न मद्दों से धन जुटाती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। लोकवित्त के अंतर्गत राज्य की केवल उन क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाता है जिनका सबब धानशक्ताओं की सामूहिक सत्तुष्टि में होना है वरन् राजकीय क्रियाओं का अध्ययन वित्तीय दृष्टिकोण से किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकवित्त की विषय-सामग्री में राजकीय वित्तीय जटिलताओं की गुरथों को मुझाने का प्रयत्न किया जाता है।

हाल में लोकवित्त में सबंधित प्रकाशित पुस्तकों के द्वारा इसकी विषय-सामग्री में कुछ परिवर्तन आया है। प्रो००००० की पुस्तक 'लोकवित्त' के सन् 1928 के प्रथम तथा सन् 1947 के द्वितीय संस्करण के मध्य लोकवित्त की विषय-सामग्री में मौलिक परिवर्तन आए हैं। प्रथम संस्करण में युद्धवित्त तथा द्वितीय संस्करण में राजकीय क्रियाओं द्वारा



सामूहिक आय वित्त प्रसार प्रभावित होती है—इसे लोकवित्त के अध्ययन या एक धारा मान लिया गया। सन् 1930 की महामंदी भी लोकवित्त के ऊपर अपनी छाप छोड़े बिना नहीं रह सकी। ए० आर० प्रेस्ट ने इसी प्रसंग में कहा है कि 'बीसवीं पुस्तक' 'सामान्य सिद्धांत के प्रकाशन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से पहचान लिया गया है कि विशेष करों तथा सरकार के विशेष व्ययों के प्रभावों की विवेचना लोकवित्त की विषय सामग्री का केवल एक भाग ही है। इस विषय के विवेचन में संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के स्तर तथा रोजगार पर सरकारी राजकोपीय क्रियाओं के पढ़ने वाले प्रभावों को भी सम्मिलित करना चाहिए।'<sup>1</sup>

प्रो० डाल्टन ने लोकवित्त के क्षेत्र का जो वर्णन किया है वही सभी को स्वीकृत है। उनके अनुसार 'सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र की सीमा पर स्थित है।' इसका अभिप्राय यह है कि सरकार को लोकवित्तीय क्रियाओं को संपन्न करने के लिए तथा राज्य शासन के कुशल संचालन के लिए राजनीतिशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर चलना पड़ता है तथा सार्वजनिक व्ययों को अधिकतम करने के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की सहायता लेनी होती है। डाल्टन के मतव्यक्त स्पष्टीकरण निम्न वाक्य से होता है

'सार्वजनिक वित्तशास्त्र की दो टांगों में से एक राजनीतिशास्त्र और दूसरी अर्थशास्त्र में फंसी हुई है। यदि इन टांगों को फैलाने की सीमा जानना चाहे तो इतना ही कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत सरकार तथा लोक-सहायकारियों की उन सब क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध राज्य के आय-व्यय से होता है। इस शास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन करना हमारा काम नहीं है कि सरकार को कौन-कौन से कार्य करने चाहिए, क्योंकि इनका विवेचन सार्वजनिक वित्त के क्लेवर के बाहर की वस्तु हो जाती है। अतः इस विषय का अध्ययन न केवल राजकीय अधिकारियों के कार्यों से संबंधित है, वरन् इन कार्यों को संपन्न करने के लिए सरकार के पास धन के होने तथा उठावे व्यय करने से है। इस ज्ञान की शारदा में सरकार की क्रियाओं से संबंधित वित्तीय उलझनों का अध्ययन किया जाता है, सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जहाँ सरकार द्वारा संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में धन का संबंध आ जाता है, इस शास्त्र के अध्ययन की विषय-सामग्री बन जाती है और यही इस शास्त्र के क्षेत्र की सीमा है।'

### लोकवित्त का विभाजन

सरकार के द्वारा आय एकत्र करना तथा व्यय करने की क्रियाओं का स्वरूप बहुत विस्तृत है। प्रापुनिक समय में लोकवित्त के अध्ययन क्षेत्र को पांच विभागों में विभक्त किया जा सकता है :

(1) सार्वजनिक व्यय र्लैंडरटोन ने इस विभाग का महत्त्व बतलाते हुए कहा है

1 A R Prest 'Public Finance in Theory and Practice' (1960) p 15

जिं धन्य एकत्र करने की अपेक्षा अधिक व्यय करने में अच्छा वित्त मितता है। प्रो० कार्ल पेंहन के अनुसार, 'सार्वजनिक व्यय लोकवित्त का उन्नी प्रकार में एक अंग है जिस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का। लोकवित्त में इस विभाग में राजकीय व्यय के वर्गीकरण और इन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है जिनके अनुसार सरकार विभिन्न मदों पर अपनी व्यय गचें करती है।' सरकार द्वारा व्यय करने की मदों की प्राथमिकता को निर्धारित करना तथा प्रत्येक मद पर गचें की जाने वाली राशि का निर्दिष्ट करना उन्नी विभाग का कार्य होता है। इन व्ययों का निर्धारण किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, इन गचों का देश व राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इत्यादि प्रश्नों का उत्तर लोकवित्त का यही विभाग तय करता है।

सार्वजनिक कल्याण बहुत कुछ भीमा तक सार्वजनिक व्यय पर ही निर्भर करता है। कार्ल पेंहन ने इनके महत्व को इंगित करते हुए कहा है, 'जिस प्रकार अर्थशास्त्र में उपभोगता का महत्व है उन्नी प्रकार लोकवित्त में व्यय का महत्व है। जिस प्रकार उपभोग अर्थशास्त्र का आदि, अंत और बेंद्र है उन्नी प्रकार व्यय भी सार्वजनिक वित्त का आदि, अंत और बेंद्र है। सार्वजनिक व्यय का आधार पर ही सार्वजनिक आय का एकांकिकरण और अन्य विधायक क्रियाएँ निर्भर करती हैं।'

(2) सार्वजनिक आय: सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक आय पर निर्भर करता है। इन विभाग के अंतर्गत आय के विभिन्न स्रोतों जैसे कर, मुद्रक, मूल्य, विशेष कर निर्धारण अर्थदंड इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इन सभी स्रोतों में कर का स्थान मुख्य होता है, करों का क्या महत्व है, वारारोपण के क्या सिद्धांत हैं तथा विभिन्न प्रकार के करों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, अनेक करों में कौन-का कर अधिक उपयुक्त है तथा कर की वसूली कब और कैसे की जाए, करों का उत्पादन तथा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इत्यादि के अध्ययन का समावेश उन्नी विभाग में होता है।

(3) सार्वजनिक ऋण: राज्य का व्यय, राज्य की आय से अधिक हो सकता है। आधुनिक अंतर्गत राज्य में यह कोई विशेष अनहोनी बात नहीं समझी जाती। इसी कारण सरकार को जनसाधारण से ऋण लेना पड़ता है और सार्वजनिक ऋण लोकवित्त का तीसरा अंग माना जाता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे राज्य की आय में ही सम्मिलित करना चाहते हैं, परन्तु सार्वजनिक ऋण कुछ ऐसी महत्वपूर्ण, सैद्धांतिक और क्रियात्मक समस्याएँ उत्पन्न करता है जिनके कारण इनको सार्वजनिक आय में सम्मिलित करना उचित नहीं है। सार्वजनिक आय के स्रोतों में प्राप्त धन को सौताने का प्रश्न नहीं उत्पन्न किन्तु ऋण द्वारा जो धन प्राप्त होता है उस सौताना होता है।

इस विभाग का अंतर्गत हमारा अध्ययन इन समस्याओं में संबंधित होता है। ऋण लेने के कौन-से सिद्धांत हैं। ऋण का वर्गीकरण, ऋण का औचित्य, ऋणों की प्राप्ति के स्रोत, ध्यान का तथा ऋण-सोपन की रीतियाँ इत्यादि।

(4) वित्तीय प्रशासन: लोकवित्त का शासन-वधय लोकवित्त के अध्ययन का

मुख्य अंग है। सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण तथा व्याज इत्यादि के यथोचित प्रवचन के लिए एक विशेष सगठन स्थापित किया जाना है जो वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। यह विभाग शासकीय ऋणों को संपन्न करता है। जैसे बजट बनाना, विधान सभा में पेश करना, जनता के सूचनार्थ उसे प्रकाशित करना और अंत में उसका हिमांक करना तथा जांच करना।

प्रो० ब्रैस्टेवल ने इस विभाग की आवश्यकता तथा महत्त्व को इन शब्दों में व्यक्त किया है, 'कवल प्रक्रियाओं का अध्ययन ही अपेक्षित नहीं है वरन् उन सिद्धांतों का पर्यवेक्षण भी आवश्यक है जिनके अनुसार वे प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं। कोई भी वित्त की पुस्तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि वह वित्तीय प्रशासन और बजट की समस्याओं का अध्ययन नहीं करती।'

(5) **आर्थिक स्थायित्व** : इस विभाग के अध्ययन का महत्त्व मन् 1930 की महान् मशी के बाद अधिक बढ़ा है। इस विभाग के अंतर्गत राजकोपीय नीति के माध्यम से आर्थिक स्थायित्व प्राप्त करना होता है। यह नीति देश में उत्पादन सबंधी क्रियाओं का नियमन करती है। आय तथा भण्डार के वितरण को समान करती है तथा मूल्यों को स्थिर बनाने में यथेष्ट महायत्ना प्रदान करती है। इस नीति के द्वारा आर्थिक व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है तथा निजी क्षेत्र को इस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है कि सार्वजनिक कल्याण की प्राप्ति का उद्देश्य प्राप्त हो सके।

## अन्य शास्त्रों से सबंध

### लोकवित्त और अर्थशास्त्र

लोकवित्त अर्थशास्त्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है। समय के बीतने के साथ-साथ राज्य के कार्य निरंतर बढ़ रहे हैं। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए राज्य को धन की आवश्यकता होती है। यह धन लोकवित्त के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए यह कहना सर्वत्र उचित है कि लोकवित्त अर्थशास्त्र का एक प्रधान अंग है। लोकवित्त के सिद्धांत तथा उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के कुछ मूल सिद्धांतों पर आधारित है जैसे उपभोग, मांग, विनिमय, वितरण, माल तथा बर्किंग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कथन है कि राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य राज्य को इतनी मात्रा में धन-पूर्ति करना है जो राज्य की सेवाओं के लिए पर्याप्त हो। यह उद्देश्य लोकवित्त के अध्ययन के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार ब्रैस्टेवल का कथन है कि 'राजस्व के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र से परिचित होना नितांत आवश्यक है।' एडम स्मिथ ने आगे चलकर उल्लेख किया है कि लोकवित्त की उपयुक्त नीति अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन और ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए।

### लोकवित्त और सांख्यिकी

लोकवित्त की नीति आंकड़ों पर आधारित होनी है। लोकवित्त के अनेक सिद्धांतों

का अध्ययन और प्रियात्मक प्रयोग बिना सांख्यिकी के नहीं हो सकता। 'बजट के अनुमान', 'संगोषित भ्रव' सांख्यिकी द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित होते हैं। करों के प्रभाव की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों तथा क्षेत्रों में धन-वितरण संबंधी आबंटो का एकत्र करना आवश्यक हो जाता है। स्पष्ट है कि लोक-वित्त के अध्ययन में सांख्यिकी में विशेष महत्त्व निहित है। सांख्यिकी गणित पर आधारित है इसलिए लोकवित्त और सांख्यिकी में भी घनिष्ठ संबंध है।

### राजनीति और लोकवित्त

प्रारंभ में अर्थशास्त्र राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से संबोधित किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि उन समय राजनीति और अर्थशास्त्र न्युक्त विज्ञान माने जाते थे। आर्थिक नीति के बिना राजनीतिक सफलता मिलना असम्भव समझा जाता है। राजनीति की तुलना आर्थिक सफलताओं से ही मापी जाती है। राज्य की नीति स्वाभाविक रूप से आर्थिक होगी है। राजनीति का स्थान उच्च समय प्राप्त है जब आर्थिक नीति कार्यक्रम में परिणत की जाती है और उसके प्रशासन करने का प्रयत्न उठता है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि आर्थिक नीति और राजनीति एक ही विषय के दो अंग हैं।

### आधुनिक युग में लोकवित्त का महत्त्व

आधुनिक युग में लोकवित्त का महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण आधुनिक सरकारों के कार्य-क्षेत्र का विस्तृत होना है। इस बढ़ती हुई राज्य की क्रियाओं को जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर ने एक नियम 'राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम' (Law of Increasing State Activities) का नाम दिया है। कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी समाज (Socialistic Pattern of Society) की विचारधारा के विकास के फलस्वरूप लाभ वित्त का महत्त्व और भी अधिक बढ़ गया है। राज्य की इन बढ़ती हुई क्रियाओं को सफल करने के लिए, राज्य को भाग्य बढ़ाने के लिए नवीन उपायों की खोज करनी होती है तथा व्यय करने की क्रियाओं को वैज्ञानिक विधियों पर आधारित करना पड़ता है। जहाँ भाग्य और व्यय अनुमित नहीं हो पाते वहाँ ज्ञान से नैतिक विधियों पर विचार करने नये उपायों की खोज करनी पड़ती है।

आधुनिक सरकारों का कार्यक्षेत्र गत लगभग तीन दशकियों में इतना बढ़ गया है कि समाज आज उनसे अनेक कर्तव्यों की आशा करने लगा है जिनके बारे में नागरिक पहले सोचता भी नहीं था। अब सरकार सामाजिक बीमा योजनाओं तथा मूल्य नियंत्रण आदि की पूरा करना अपना प्रधान कर्तव्य समझती है। इन क्रियाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह धन वहाँ से प्राप्त किया जाए तथा विनियमों से प्राप्त किया जाए, उत्पादन तथा वितरण तथा रोजगार पर इसका क्या प्रतिक्रिया होती है ये प्रश्न आज के युग में अत्यंत प्रकार के कुसमायोज (maladjustments) होते हैं। लोकवित्त द्वारा इन कर्मियों को दूर किया जाता है। यह अब स्वीकार किया जा चुका है कि लाभ-वित्त का कार्य केवल भाग्य और व्यय को पूरा करना ही नहीं अपितु एक और पथ भी बढ़कर

समाज में सतुलन की अवस्था को उत्पन्न करना तथा आय और संपत्ति का समान वितरण करना है।

वर्तमान में पूण रोजगार को आर्थिक नीति का उद्देश्य स्वीकार कर लिया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में लोकवित्त का बहुत अधिक योगदान होता है। कीस न वेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सावजनिक विनियोग नीति पर अधिक बल दिया।

लोकवित्त का महत्त्व राजनीतिक कारणों से भी है। प्रो० डास्टन का मतव्य है कि 'लोकवित्त व्यावहारिक राजनीति में बड़ा निष्पत्ती की वस्तु है। इस अर्थ में वह अर्थशास्त्र की सबसे सजीव शाखा है। इसके आदेश और समीकरण राजनीतिक क जादू के डंडे के हिलने मात्र से चट बदलकर ससद् क विधान की धारा का रूप ले सकते हैं। इसलिए लोकवित्त का अध्ययन अपना अलग आकषण रखता है।'

लोकवित्त का महत्त्व सामाजिक दृष्टिकोण से भी कम नहीं है। लोकवित्त की क्रियाएँ समाज को प्रभावित करती हैं। प्रो० ए० पी० लनर के मतानुसार राज्य की वित्त नीति का मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक जीवन की संरचना में आवश्यकता-नुसार और इच्छानुसार परिवर्तन करना है। लोकवित्त द्वारा अर्थव्यवस्था में क्रियात्मक परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। कोलिन क्लार्क ने ठीक कहा है 'जो लोकवित्त के क्षेत्र में कार्य करते हैं वे कल कला वैज्ञानिक तथा प्रशासक ही नहीं हैं वे देश के भविष्य के निर्धारण में आवश्यक योगदान भी देते हैं।'

सरकार वित्तीय क्रियाओं द्वारा मजदूरों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। लोकवित्त की क्रियाओं के द्वारा ही उत्पात्ति के साधनों को देश के लाभानुसार वितरण कराती है और शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है। प्रत्येक सरकार के लिए मुसगठित तथा उच्च कोटि की वित्त-व्यवस्था आवश्यक है। जेम्स विल्सन के अनुसार, वित्त कबल अकथित ही नहीं है, वित्त एक महान नीति है। बिना अच्छे वित्त के अच्छी सरकार भी संभव नहीं है।

## लोकवित्त तथा निजी वित्त में अंतर

लोकवित्त के प्रारंभिक आशय के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि लोकवित्त तथा निजी वित्त के अर्थ प्रवचन में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। दोनों की समस्याएँ लगभग समान प्रतीत होती हैं और दोनों का मुख्य उद्देश्य 'अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, अर्थात् सम-समाप्त उपयोगिता' नियम को अनुसार 'अधिकतम उपयोगिता' प्राप्त करना है।' कुछ समय के लिए दोनों के बजट असंतुलित रहते हैं परंतु दीर्घकाल में आय तथा व्यय में सतुलन लाना ही पड़ता है। इन सब समानताओं के होते हुए भी लोकवित्त तथा निजी

वित्त को एक दूसरे के अनुरूप नहीं माना जा सकता। दोनों में कुछ ऐसी विवेकताएँ हैं जो उन्हें एक-दूसरे से निम्न करती हैं। लोकविन तथा निजी विन प्रबंध में मुख्यतः निम्न भेद पाए जाते हैं।

(1) एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार व्यय को निश्चित करता है परन्तु राज्य अपनी आय को व्यय के अनुसार निश्चित करता है : व्यक्तिगत अर्थ-प्रबंध में आय को मात्रा व्यय को सीमा का निर्धारित करती है। यह कहकर, 'उतना पैर पसारिए जितनी चादर हो' निजी अर्थ-प्रबंध में चरिताय जाती है। इस विपरीत लोकविन में लोक-प्राधिकरण का व्यय उसकी आवश्यकता आय का आधार नियत करता है, अर्थात् सरकार को जितने पैर पसारने होते हैं, उतनी क अनुसार वह चादर की व्यवस्था करती है। नक्षेप में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने साधनों के अनुरूप व्यय करता है और सरकार अपने व्यय के अनुसार साधनों को जुटाती है। इस विचार को समझते हुए वेन्स्टेबल न कहा है 'व्यक्ति यह कहता है कि मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, जबकि वित्त मंत्री यह कहता है, मुझे इतना धन प्राप्त करना है।' परन्तु ऐसा सतत सदैव सत्य सिद्ध नहीं होता।

कभी-कभी व्यक्ति भी सरकार की तरह अपनी आय को व्यय के अनुरूप बनाता है। जब उनके आश्रितों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो उसका आवश्यक व्यय उसकी अनुमान भी बढ़ जाता है। तब वह अधिक मेहनत करके अपनी आय बढ़ाने का निश्चय करता है। इसी प्रकार सरकार भी कुछ सीमा तक व्यय को आय के अनुरूप बनाने की चेष्टा करती है। बुरे दिन में जब उनकी आय गिर जाती है, तब उसे अपन सचों में कटौती करना पड़ती है। तथापि मुख्य रूप से यह कहा जाता है कि सरकार का वित्तीय दृष्टिकोण इस दिशा में निजी व्यक्तियों के दृष्टिकोण से निम्न होता है।

(2) सरकार की आय के साधन अधिक लोचदार होते हैं किन्तु व्यक्ति की आय के साधन लगभग लोचदार होते हैं : आय में वृद्धि करने की दृष्टि से व्यक्ति की मुझना में लोकप्राधिकरण अन्तही स्थिति में होता है। उनके समक्ष पूरे समाज का धन होता है जिससे वह आवश्यकतानुसार आय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मनस आने पर सरकार विदेशों से भी ऋण ले सकती है। यदि किसी वर्ष सरकार की उपलब्ध आय अनुमानित व्यय से कम है तो वह इस घाटे को तीन प्रकार से पूरा कर सकती है। वह अपने नागरिकों पर अधिक कर लगा सकती है। यदि अतिरिक्त करारोपण से प्राप्त आय घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तब वह मार्जिनल कूप द्वारा इस घाटे को पूरा कर सकती है। यदि इन साधनों से भी पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं होती तब वह मोट छापकर बजट के घाटे को पूरा कर सकती है। इस प्रकार राज्य के आय के साधन असीमित होते हैं जबकि निजी व्यक्ति के आय के साधन सीमित और लोचदार होते हैं। परन्तु कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सरकार की आय भी व्यक्ति की आय की भाँति

अधिक लोचपूर्ण नहीं होती। यदि सरकार अपनी आय को बढ़ाती है तो व्यक्तियों की आय कम हो जाती है, अतः सरकार अपनी आय के बढ़ाने के सधर्म में केवल उम अनुपात को बदल सकती है जिसमें देश की कुल आय सरकार और नागरिकों के बीच बँटी रहती है। इस प्रसंग में श्रीमती हिक्म का कहना है, व्यक्ति अपनी आय का एक भाग अपनी इच्छा से व्यय करता है, और दूसरे भाग को वह सामूहिक आवश्यकताओं की सतुष्टि पर व्यय करता है। यदि वह सामूहिक आवश्यकताओं की सतुष्टि में अधिक व्यय करेगा तो उसकी व्यक्तिगत आय कम हो जाएगी।'

(3) व्यक्ति सम-सीमांत उपयोगिता नियम को ध्यवहार में ला सकता है किंतु लोकवित्त ऐसा करने में पूर्णतः सफल नहीं होता एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं पर इस प्रकार से वितरित करता है कि इन सब खर्चों से प्राप्त होने वाले सीमांत उपयोगिताएँ समान होती हैं और संपूर्ण व्यय में मुल लाभ अधिकतम होता है। चूंकि लोकप्राधिकरण व्यक्ति नहीं होता इसलिए वह व्यक्ति की भांति विभिन्न व्ययों में इस नियम का पालन नहीं कर पाता। ऐसा होने के अनेक कारण होते हैं। प्रथम, सरकार के अंतर्गत व्यक्ति नहीं होता इसलिए वह व्यक्ति की भांति विभिन्न व्ययों में इस नियम का पालन नहीं कर पाता। ऐसा होने के भी कई कारण होते हैं। दूसरे, सरकार के अंतर्गत अनेक कर्मचारी होते हैं, जिनमें परस्पर समन्वय नहीं हो पाता। तीसरे, कभी-कभी सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले व्यय निरोध हितों की रक्षा करने हेतु अथवा राजनीतिक दबाव के कारण करने पड़ जाते हैं जो सम-सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार नहीं होते। तीसरे, सरकारी व्यय की राशि प्रायः निश्चित होती है और उसमें सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(4) अर्थ-प्रबंध में निजी दृष्टिकोण सरकारी दृष्टिकोण की अपेक्षा अधिक संकुचित होता है : व्यक्ति, जीवन की अनिश्चितता के कारण कबल निकट भविष्य के बारे में ही सोच सकता है और अपनी तात्कालिक सतुष्टि से ही मतलब रखता है। इसलिए उसका अर्थ-प्रबंध अधिक दीर्घकालीन नहीं होता है। वह इस कथन में विश्वास करता है कि 'दीर्घकाल में तो हम सब ही मर जायेंगे।' इसके विपरीत सरकार स्थायी तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाती है। पत्ते भड़ते हैं परंतु वृक्ष मंडा रहता है और इसी प्रकार व्यक्ति का आवागमन बना रहता है किंतु राज्य का जीवन अमर रहता है। इसलिए लोकवित्त के अंतर्गत उन योजनाओं पर भी व्यय करना आवश्यक होता है जिनमें तुरंत कोई लाभ नहीं होता परंतु दीर्घकाल में वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक होती हैं। इसलिए वर्तमान सरकारें बना-रोपण पर, सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर तथा सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर पर्याप्त धन व्यय करती हैं। सरकार को भविष्य के हितों का रक्षा माना जाता है। इसीलिए के अर्थ-प्रबंध में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं।

(5) निजी वित्त की कार्यवाहियाँ गोपनीय रहती हैं किंतु लोकवित्त के कृत्यों का प्रचार होता है : किसी भी व्यक्ति के वित्तीय सौदे उसके अपने निजी मामले होते हैं और गोपनीय रहते हैं। व्यक्ति अपनी आय-व्यय का व्योम तथा अपनी व्ययव्यय

स्थिति का नहीं चित्रण दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता। अपनी धार्मिक स्थिति रहस्य के आवरण में सुरक्षित रहती है। किन्तु सरकार के निर्णय तथा विनीत जीवें प्राप्त सार्वजनिक रूप में किए जाते हैं। राजदिल की क्रियाओं का विस्तृत व्योम न केवल प्रकाशित किया जाता है अपितु उसने हिनाब-विताब का तथा परीक्षण भी होता है और उस पर बाद-विवाद होने के उपरान्त उस जनता की जानकारी में लाया जाता है। व्यक्तिगत वित्त इन सब बचनों से मुक्त रहता है।

(6) धार्मिक का बजट व्यक्ति के लिए लाभकारी है परन्तु सरकार के लिए नहीं : एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय की तुलना में कम व्यय करने धार्मिक का बजट बनाता है। निजी वित्तव्यवस्था में धार्मिक का बजट श्रेष्ठता का प्रतीक समझा जाता है। धार्मिक के बजट से घन की वचत होती है जो कठिनाइयों के समय काम आती है। परन्तु सरकार के लिए धार्मिक का बजट सामान्यतः बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं माना जाता। केवल मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए ही सरकारी बजट में धार्मिक उचित समझा जा सकता है अन्यथा नहीं। साधारण स्थिति में धार्मिक के बजट के होने का अर्थ यह होता है कि वरों का स्वर घनावस्थक रूप से ऊँचा रखा गया है और राजनीय व्यय अनुचित रूप से कम। ऐसा होने से वस्तुगत सदधी या विवादास्पद क्रियाओं का ठीक पोषण नहीं हो सकता। धार्मिक वार में तो विवादास्पद देशों की सरकारें प्रायः घाटे का बजट बनाती हैं और आय की कमी को नई मुद्रा के निर्माण से पूरा करती हैं।

यह स्मरणीय है कि सरकार के लिए निरंतर घाटे के बजट की नीति उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। इस नीति के कारण देश में मुद्रा-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न हो जाएगी और सरकार की साख गिर जाएगी। इसलिए शीघ्रकालीन दृष्टिकोण से ऐसी नीति अयोग्य नहीं बरही जा सकती।

(7) व्यक्तिगत तथा लोकवित्त ऋणों की प्रकृति में अंतर : व्यक्तिगत वित्त-व्यवस्था की तुलना में लोकवित्त व्यवस्था के अंतर्गत ऋणों की अधिकता की पूरा करने के हेतु ऋण प्राप्त के साधन अधिक होते हैं। सरकार अपने नागरिकों से ऋण प्राप्त करने के साथ-साथ विदेशी नागरिकों से तथा सरकारों से भी ऋण प्राप्त कर सकती है किन्तु एक व्यक्ति केवल अपने देश में ही ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार की साख व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। इसलिए सरकार अपनी ऋणों पर ऋण प्राप्त कर सकती है जब कि व्यक्ति को ऋणदाता की शर्तों पर ऋण लेना पड़ता है। यही नहीं, समय आने पर सरकार अपने नागरिकों को ऋण देने के लिए भी बाध्य कर सकती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। परन्तु ऐसा एक तानाशाह सरकार ही कर सकती है। प्रजातन्त्र राज्य में ऐसा संभव नहीं होता।

(8) सरकार की नियोजन प्रणाली विस्तृत होती है किन्तु व्यक्ति की प्रति लक्ष्य : एक व्यक्ति अपना आय-व्यय पूर्व अनुमान व पूर्व निर्दिष्ट योजना के आधार पर करता है। सरकार भी जनता की अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए अपनी क्रियाओं का नियोजन करती है, योजनाओं पर व्यय करने के लिए घन के घुटाने को किया भी संभव-



बद्ध होती है। परन्तु दोनों व्यवस्थाओं में नियोजन की प्रकृति तथा आकार में अंतर होता है। सरकार की नियोजन-मदति अनि विस्तृत होती है। जब कि निजी व्यक्ति की अति सकुचित। भविष्य के लिए आयोजन करना सरकार की तुलना में व्यक्ति विशेष के लिए अधिक सरल होता है। सरकार के सामने प्रतिदिन नवीन समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। विश्व प्रशान्ति, दुर्मिक्ष, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति आदि सरकार के पूर्व निर्धारित अनुमानों को भंग करती रहती है। एक व्यक्ति बिना नियोजन के भी कार्य कर सकता है किन्तु राज्य बिना नियोजन के कार्य नहीं कर सकता। एक व्यक्ति के व्यय की प्रकृति उसके आदतों, रीति-रिवाज तथा आर्थिक व सामाजिक दशाओं पर आधारित होती है। इसके विपरीत सार्वजनिक व्यय सरकार की पूर्व निश्चित आर्थिक नीति के अनुसार निर्धारित होता है।

उपर्युक्त आधारों पर यह कहा जा सकता है कि लोकवित्त, निजी वित्त से काफी भिन्न है। दोनों की कार्यविधि में ही अंतर नहीं है अपितु दोनों भिन्न दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं। आज राज्य न केवल सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है अपितु राष्ट्र के समुचित विकास का दायित्व भी उसके कंधों पर है। इसलिए उसे विशाल पैमाने पर साधनों को जुटाना पड़ता है। लोकवित्त का उद्देश्य अधिकतम सार्वजनिक कल्याण का है चाहे उसे प्राप्त करने में सरकार को लाभ हो अथवा हानि। एक व्यक्ति का उद्देश्य अपनी आय से सदैव अधिकतम लाभ प्राप्त करने का होता है। दोनों प्रकार की वित्त-व्यवस्थाओं को सामान्य स्तर पर चलाना भूल है। यही कारण है कि लोकवित्त के लिए एक पृथक् शास्त्र की आवश्यकता होती है।

## अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत

राज्य में लगभग दो शताब्दियों पूर्व नताशी का मन्व्य, बार्देक्षेत्र तथा म्पिति अत्यन्त ही नीमित थी। मुख्यतः प्राचीन अर्थशास्त्रियों के विचार नार्देक्षेत्र तथा म्पिति के नदब में सङ्कलित थे। वे लोग सबसे अच्छी सरकार उसे मानते थे जो मनुष्यों की आर्थिक उत्पत्तियों में नम से नम हस्तक्षेप करती हो। प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्रव्य की व्यक्तियों की जेबों में रखना ही अधिक उचित समझते थे। उनके उन विचार की मूलिका यह थी कि व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यय उत्पादन हैं जब कि सरकार द्वारा किए गए व्यय अनुत्पादन होते हैं। एक व्यक्ति द्रव्य की अधिक कुशलता और सावधानी में व्यय करता है, अनैकानुष्ठित सरकार के।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों यह मानते थे कि राज्य या बार्देक्षेत्र नीमित होना चाहिए। नित्यातः श्रेष्ठ अर्थशास्त्री जे० डी० से० वा क्लार्क या - 'नॉन-विनल की बड़ी योग्यता सबसे अच्छी है जिसके अंतर्गत नम से नम व्यय किया जाता है और सब कर्तव्यों में उत्तम नर बहो है जो मात्रा में मूल्यजन हो।' इसी तरह रिवाट्टों ने भी यह मत प्रकट किया था कि 'यदि शांतिमय सरकार चाहते हो तो तुम्हें बजट को नम करना होगा।'

आधुनिक अर्थशास्त्री रिवाट्टों तथा जे० डी० से० के इन मत में सहमत नहीं हैं कि 'राज्य द्वारा किए गए व्यय अनुत्पादन और व्यक्ति द्वारा किए गए व्यय उत्पादन होते हैं।' कोई राज्य-व्यय उत्पादन है या नहीं यह इन बात पर निर्भर करता है कि उससे मनाज के सामूहिक कल्याण को अधिकतम करने में सहायता मिलती है या नहीं। स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा आदि पर किए गए सामाजिक खर्चों से सामाजिक कल्याण में वृद्धि ही होती है। इसके विपरीत व्यक्ति द्वारा किए गए ममन्त व्यय मनाज के लिए लानकारक नहीं होते। उदाहरण के लिए व्यक्तियों द्वारा नदिरा आदि पर किए गए व्यय अनुत्पादन ही होते हैं। इस नदब में डा० डाल्टन ने लिखा है : 'कोई भी व्यय उत्पादन है या नहीं इसकी आर्थिक जाच उन व्यय की आर्थिक कल्याण को उत्पादनता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर किया जाने वाला सरकारी व्यय वृद्धा

व्यक्तिगत भोग-विलासों पर किए जाने वाले व्यय की अपेक्षा अधिक उत्पादक एवं कल्याणकारी है।'

इसलिए प्रत्येक कर प्रशुभ नहीं होता। यदि मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों पर कर लगाकर उनके उपभोग को सीमित कर दिया जाए तो इस प्रकार के कर से सामाजिक कल्याण में वृद्धि ही होती है। अतः इस दृष्टि से एक ऐसे सिद्धांत की खोज करना आवश्यक हो जाता है जो सार्वजनिक वित्त के धाय और व्यय के इन दोनों ही क्षेत्रों पर लागू हो सके। ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोत्तम ढंग से डा० डाल्टन ने किया है जिनका कथन है कि 'सार्वजनिक वित्त की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है।' इस अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादकों की मान्यता है कि यदि सरकार इस सिद्धांत के अनुसार आय प्राप्त करती है और इसी सिद्धांत के अनुसार इस आय को व्यय करती है तो समाज का अधिकतम कल्याण हो सकेगा।

**सिद्धांत की व्याख्या :** इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए डा० डाल्टन ने लिखा है, 'सार्वजनिक वित्त के मूल में एक बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कह सकते हैं। सार्वजनिक वित्त की समस्त क्रियाएँ एक प्रकार से समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग में क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। इस क्रय शक्ति के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त करना है।' उनके विचारानुसार 'राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए कि इस व्यय में उत्पन्न होने वाला लाभ राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले व्यय के बराबर हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है।'

डा० डाल्टन का विचार यह है कि प्रत्येक सरकार कर, ऋण आदि विभिन्न साधनों से आय प्राप्त करती है। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो यह स्वाभाविक है कि जनता पर इसका भार पड़ता है जिससे अनुपयोगिता उत्पन्न होती है। जनता से कर प्राप्त करके सरकार विभिन्न सार्वजनिक कार्यों पर व्यय करती है जिसके फलस्वरूप समाज को लाभ अर्थात् उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकार को इन दोनों का समायोजन इस प्रकार से करना चाहिए कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम न हो।

अधिकतम सामाजिक लाभ उसी दशा में प्राप्त किया जा सकता है जबकि सार्वजनिक आय-व्यय की उचित सीमाएँ निर्धारित कर ली जाएं। कर के रूप में जनता को कष्ट भेलना पड़ता है जिसको सीमातः सामाजिक कल्याण कहा जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक व्यय द्वारा जो सन्तुष्टि प्राप्त होती है उसे सीमातः सामाजिक सन्तुष्टि कहते हैं। राज्य को सार्वजनिक व्यय उसी सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक उस आय को प्राप्त करने से जनता को होने वाली सीमातः अनुपयोगिता के बराबर सीमातः उपयोगिता दी जा सके।

उक्त विचार को स्पष्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक

व्यक्ति मर्दव 'सम-मीमात-उपयोगिता' के नियम के अनुसार अपनी आय का खर्च करता है जिससे कि अधिक से अधिक उपयोगिता मिल सके उभी तरह सार्वजनिक वित्त में भी सरकार व्यय करते समय ऐसा प्रयत्न यों तोर पर कर सकती है।

उन्ने-ग्यो लोगों के पाम द्रव्य कम होना जाता है त्यों-यों उसकी उपयोगिता घटती जाती है। इस प्रकार जब कोई नया वर लगाया जाता है या किसी पुराने वर की दर में वृद्धि की जाती है तो वर की प्रति-अतिरिक्त इकाई लगने में पहले की अपेक्षा समाज पर भार बढ़ता जाता है। दूसरी ओर द्यो आय से गज्य अपने व्यय द्वारा समाज के लिए अनेक लाभदायक कार्य करता है। किन्तु व्यय की प्रति अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए इसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम जाती जाती है और इस प्रकार एक ऐसा बिन्दु आ जाता है जिस पर व्यय में मिलने वाली उपयोगिता तथा वर देने की अनुपयोगिता बराबर हो जाती है। सरकार को इस बिन्दु तक ही अपने आय-व्यय ले जाने चाहिए। यदि वर इस सीमा में अधिक लगाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जनता की सार्वजनिक व्यय से मिलने वाली आय की अपेक्षा वर देने में अधिक कष्ट होगा और यदि वर इस सीमा से कम लगते हैं तो जनता को कष्ट तो कम होगा लेकिन वह उस लाभ से अधिक रहेगी जो अधिक वर लगाने से प्राप्त होने वाली आय को सार्वजनिक हित के लिए व्यय करने से होता है।


इस विचारधारा को निम्न उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है

इकाई	वर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न त्याग	सार्वजनिक व्यय की प्रति इकाई से प्राप्त उपयोगिता
1	25	75
2	30	70
3	40	60
4	50	50
5	60	40
6	70	35

अनुगत चारणी से यह स्पष्ट है कि वर की इकाई बढ़ने के साथ-साथ वर की प्रति इकाई का समाज पर भार बढ़ता जाता है जबकि लोक व्यय की प्रति-अतिरिक्त इकाई से समाज के लिए उपयोगिता घटती जाती है। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ के अनु-सार इस उदाहरण में चौथी इकाई के बाद सरकार को वर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि महा पर सीमात सामाजिक त्याग और सीमात सामाजिक अनुपि नमान हो जाते हैं। इसे पृष्ठ 19 पर दिए चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है।

समाज द्वारा वर के रूप में किया गया त्याग बढ़ता हुआ होता है अर्थात् समाज

को होने वाली अनुपयोगिता के वक्र की प्रवृत्ति ऊपर की ओर जाने की होती है क्योंकि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए कर तथा आय के अन्य स्रोतों में वृद्धि करती है। इसलिए जनता का सीमांत त्याग बढ़ता जाता है। दूसरी ओर सार्वजनिक वित्त द्वारा प्राप्त उपयोगिता की वक्र रेखा गिरती हुई होती है। दोनों वक्र जिस बिंदु पर काटते हैं वहां लोक व्यय तथा आय की सर्वोच्च स्थिति होती है। वहां तक सार्वजनिक आय-व्यय को बनाने से अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त होता है।



चित्र 1

चित्र 1 में  $PP'$  वक्र रेखा सामाजिक अनुपयोगिता को दिखाती है।  $MM'$  वक्र रेखा समाज को प्राप्त उपयोगिता को प्रदर्शित करती है। ये दोनों वक्र  $T$  बिंदु पर एक-दूसरे को काटते हैं।  $OR$  राज्य के सार्वजनिक वित्त की वह सीमा है जिससे समाज को अधिकतम सामाजिक लाभ होगा।  $T$  वह सीमा है जहां तक राज्य को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाते जाना चाहिए। यदि  $T$  बिंदु से आगे सरकार ने अपना कार्य बिया तो इससे जनता को अधिक बर्ष सहन करना पड़ेगा।

### सामाजिक आय और व्यय का बटवारा

यह सिद्धांत केवल यही नहीं बताता कि सार्वजनिक व्यय और आय की मात्रा में किस सीमा तक वृद्धि करनी चाहिए वरन् यह भी बताता है कि


(अ) राजकीय व्यय का बटवारा व्यय के विभिन्न मर्दों में किस आधार पर करना चाहिए।

(ब) कर का विभाजन विभिन्न कर स्रोतों में किस प्रकार करना चाहिए।

(घ) राजकीय व्यय का बटवारा

इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मर्दों में इस प्रकार से

विगलित किया जाए कि प्रत्येक भद्र पर जो राशि व्यय हो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत सामाजिक मनुष्य बराबर (या लगभग बराबर) हो जिससे कुल व्यय से जनता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता अधिकतम हो सके। उदाहरण के लिए यदि सरकार प्रतिरक्षा पर आवश्यकता से अधिक और शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर आवश्यकता से कम व्यय करती है तो इन प्रकार के व्यय से समाज को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त न हो सकेगी। वस्तुतः सरकार का यह कर्तव्य है कि प्रतिरक्षा कार्य पर से कुछ व्यय घटा कर शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाया जाए जिससे समाज का हित हा और उक्त मर्दों में समाज सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो सके। यह हम निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं।



चित्र 2

इस रेखाचित्र में  $AA'$  तथा  $BB'$  उस समय की उपयोगिता वक्र है जबकि राज्य  $A'$  और  $B'$  मर्दों पर व्यय करता है। इस चित्र में हमने X-अक्ष पर व्यय तथा Y-अक्ष पर त्याग नापा है। यदि राज्य  $OT$  राशि  $B$  भद्र पर व्यय करता है तो इस स्थिति में उपयोगिता  $A$  भद्र से  $OTSA$  तथा  $B$  भद्र पर  $OL$  राशि व्यय करने से  $OLPB$  उपयोगिता प्राप्त होती है। क्योंकि दोनों मर्दों की सीमांत उपयोगिता समान है इसलिए कुल उपयोगिता अधिकतम होगी।

(ब) राजकीय आय के स्रोतों का निर्धारण


अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत यह भी बताता है कि करों को किन-किन स्रोतों पर बांटा जाए। इस सिद्धांत के अनुसार करों के भार या विभिन्न स्रोतों में विनाश इस प्रकार से किया जाए कि प्रत्येक स्रोत का सीमांत त्याग बराबर हो। यदि सीमांत त्याग एक भद्र की अपेक्षा दूसरे भद्र पर अधिक होता है तो यह समाज के हित में होगा कि पहली भद्र पर कर की दर कम कर दी जाए और दूसरे भद्र पर कर की दर बढ़ा दी जाए।

इसके लिए हमें यह ज्ञान करना पड़ेगा कि विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है। क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए रुपये की सीमांत उपयोगिता निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा कम होती है। अतः धनी व्यक्ति अधिक कर सहन कर सकता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं—

मान लीजिए अ, ब, स और द चार व्यक्ति हैं जब इनमें से किसी को कर देना पड़ता है तो उसका त्याग इस प्रकार होता है

रुपयों की इकाइयाँ	त्याग			
	अ	ब	स	द
एक रुपए देने में	8	10	14	16
दो रुपए देने में	10	12	16	20
तीन रुपए देने में	14	16	20	24
चार रुपए देने में	16	18	26	30
पाच रुपए देने में	20	22	30	36

मान लीजिए कि सरकार को 20 रुपये कर से वसूल करने हैं तो उस अ स 8 रुपये, ब से 6 रुपये, स से 4 रुपये और द से 2 रुपये वसूल करने चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सबका सीमांत त्याग बराबर है। इस प्रकार धनिक वर्ग से अधिक कर और निर्धन से कम लिया जाए, अर्थात् कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए। इसे रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है



चित्र 3

A तथा B वस्तु पर कर लगाने से जो सीमांत त्याग होता है अथवा AA' तथा BB' वक्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हमने X-अक्ष पर कर की मात्रा तथा Y-अक्ष पर होने वाले त्याग को नापा है। A वस्तु से OP तथा B वस्तु से OT

वर वमूल करने पर सीमात त्याग बराबर रहता है, अर्थात्  $TL=PN$ । इस स्थिति में कुल सामाजिक त्याग न्यूनतम होता है।

### व्यावहारिक कठिनाइयाँ

मोक्षवित्त की सर्वोत्तम प्रणाली यह है जो अपनी क्रियाओं द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ उपलब्ध कराती है। यह सिद्धांत स्पष्ट, सरल और दृग्गामी है परन्तु इसके व्यवहार में आना बहुत कठिन होता है। इनके व्यावहारिक आवरण में जो कठिनाइयाँ आती हैं उनका वर्णन नीचे दिया गया है।

(1) यह कहना सरल है कि वर देने से करदाताओं को होने वाली अनुपयोगिता तथा राजकीय व्यय से समाज को प्राप्त होने वाली उपयोगिता की तुलना उनके सार्वजनिक वित्त की क्रियाओं की सीमा निश्चित की जा सकती है परन्तु इनके मापने में व्यावहारिक कठिनाई है। जब करदाता वर प्रदा करता है तो यह निर्णय देना पड़ता है कि वर का भार करदाता पर उसकी योग्यता और क्षमता से अधिक न पड़े। इसमें यह कठिनाई उपस्थित होती है कि वर का भार केंसे नापा जाए।

स्पष्ट है कि हमारे पास कपडा नापने का गज्र अथवा वजन तोलने का क्रिया जैसा कोई माप यंत्र नहीं है जिसकी सहायता से हम करदाता की वर प्रदा करने से होने वाली अनुपयोगिता और सार्वजनिक व्यय में उसकी निम्ने वाली उपयोगिता को माप सकें। जब एक व्यक्ति के लिए यह बतलाना कठिन है कि व्यय से प्राप्त उपयोगिता और वर से प्राप्त अनुपयोगिता बराबर होगी तो एक राज्य के लिए यह बतलाना और भी कठिन है क्योंकि एक व्यक्ति की प्रेषता राज्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है।

(2) दूसरी ओर राज्य के कार्य घटे जटिन हैं। सार्वजनिक वित्त अनेक अनार्यिक, व्यक्तिगत और सामाजिक बातों से प्रभावित होता है। इसलिए यह समझ नहीं है कि वह अनुपयोगिता का पूर्ण विवरण तैयार कर उसकी समुचित कर सके।

(3) यह सिद्धांत इसलिए भी अव्यावहारिक है क्योंकि वर से होने वाले निश्चित लाभों और हानियों का पता लगाना कठिन होता है। इन लाभों में निम्न कठिनाइयाँ आती हैं

(क) वर लगने के फलस्वरूप नगरिकों की श्रम शक्ति में कमी आती है या उनकी बचत घट जाती है या उन्हें उपभोग कम करना पड़ता है। कमी-कमी उपभोग और बचत दोनों में कमी आ जाती है। उपभोग घटने के फलस्वरूप बर्बादशक्त में कमी आ जाती है। बचत कम होने से व्यक्ति की उत्पादक शक्ति में कमी आ जाती है। परन्तु कमी-कमी ऐसे त्याग लाभप्रद भी सिद्ध होते हैं, जैसे नगीने पदाथों पर वर लगाने से उनके उपभोग में कमी आना।

(ख) करारोपण के फलस्वरूप समाज में धन के विवरण में भी परिवर्तन आ जाता है, जिससे कुछ को लाभ तथा अन्य को हानि होती है। परन्तु किस का जो विवरण लाभ और कितनी हानि हुई, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है।

(ग) अल्पकालीन और दीर्घकालीन दृष्टिकोणों का अंतर भी जटिलाइयाँ



उपस्थित करता है। वर से प्राप्त अनुपयोगिता अल्पकालीन तथा मावजनिक व्यय से प्राप्त उपयोगिता दीर्घकालीन होती है। इस प्रकार भविष्य की उपयोगिता और वर्तमान का त्याग के आधार पर अधिकतम सामाजिक लाभ की कल्पना अनुपयुक्त प्रतीत होती है।

**सामाजिक लाभ की कसौटिया**

जि सदेह अधिकतम सामाजिक लाभ के माप में व्यायर्हा क कठिनाइया ह परतु यह नही भूना चाहिए कि अधिक जगत में हम अधिकगत अनुमान और परिवर्तना पर आश्रित रहते हैं और इही अनुमानों से राजस्व त्रियाओं का निश्चय करने में थोडा बहुत मागदान मिल जाता है। इसी मायता के आधार पर डाल्टन ने निम्न बिंदुओं को और नकेत किया है

(1) सुरक्षा एव शांति प्रत्येक राज्य की सरकार का यह परम वस्तु है कि वह अपनी जनता की विदेशी आक्रमणों से रक्षा करे तथा आंतरिक शांति को बनाए रखे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाने वाला राजकीय व्यय यायसगत प्रतीत होता है क्योंकि सुरक्षा के अभाव में आर्थिक कल्याण संभव नहीं हो सकता। डाल्टन ने तो यहां तक कहा है कि देश और विदेश में शांतिपूर्ण एव यायसगत नीतियों को ही अपनाना चाहिए। प्राय राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के उचित न होने पर ही देश में अमृतोष की भावना को प्रोत्साहन मिलता है।

(2) आर्थिक कल्याण में उन्नति डाल्टन का कहना है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि की निम्न दो शर्तें हैं

- (1) उत्पादन में सुधार तथा
- (2) उत्पादित धन के वितरण में सुधार।

डाल्टन के अनुसार उत्पादन में सुधार की विचारधारा को निम्न भागों में बाटा जा सकता है

(क) उत्पादक शक्ति में सुधार उत्पादन शक्ति में सुधार के फलस्वरूप कम से कम प्रयास से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पहले से अधिक उत्पादन किया जा सके।

(ख) उत्पादन के संगठन में सुधार उत्पादन के संगठन में सुधार में बेकारी तथा अय कारणों से आर्थिक साधनों के अपव्यय को कम किया जा सके। तथा

(ग) उत्पादन के स्वरूप तथा आकार में सुधार उत्पादन के स्वरूप तथा आकार में सुधार होने से समाज या समुदाय की आवश्यकताएँ सर्वोत्तम ढंग से पूरी की जा सकें।

उत्पादन शक्ति में वृद्धि के लिए यह उचित है कि अनिवाय वस्तुओं पर वर नहीं लगाया जाना चाहिए और उद्योगों पर भी वर का भार बहुत अधिक नहीं पडना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से उनका विकास निरुसाहित हो जाता है। वितरण में सुधार लाने के प्रयासों को निम्न भागों में बाटा जा सकता है

(क) विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों के बीच पाई जाने वाली भारी आर्थिक विषमता में कमी करना।

(छ) कुछ व्यक्तियों तथा परिवारों, विशेषकर समुदाय के निर्धन वर्ग की आयों में, समय-समय पर होने वाले उतार-चढ़ावों को कम करना।

विषमता को कम करना वाछनीय है ताकि किसी भी दिग् दृष्ट ममय में आय का वितरण व्यक्तिगत तथा पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार किया जा सके।

(3) भविष्य की पीढ़ी पर प्रभाव : डाल्टन का विचार है कि राजकीय क्रियाओं के भविष्य की पीढ़ी के हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि राज्य न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ी का भी जिम्मेदार होता है। व्यक्ति मर जाते हैं परन्तु जिस समुदाय का वे भाग होते हैं वह जीवित रहता है। इसलिए राज्य का वर्तमान क कम सामाजिक लाभ की अपेक्षा भविष्य के अधिक सामाजिक लाभ का स्वीकार करना चाहिए।

अन्य में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी विचाराधीन वित्तीय प्रस्तावों के सब सम्भव परिणामों का (जिनका अनुमान लगाया जा सके) पूरा लेखा-जोखा तैयार करें और समाज को होने वाले सम्भावित लाभों और हानियों की तुलना करें। इस अनुलन की तुलना दूसरे संकल्पित प्रस्तावों के अनुलनों से करें। जिस प्रस्ताव के अनुलन के तुलनात्मक लाभ अधिक हों उसे ही कार्यरूप दिया जाए। जो लोग इस लेखे-जोखे की कठिनाईयों से आत्रात हो उठें, उन्हें प्राचीन यूनानियों को हम बहावत में सात्वना प्राप्त करनी चाहिए कि 'अरन चीजें नहीं, कठिन चीजें मुदर हुआ करती हैं।'

### श्रीमती हिक्स का दृष्टिकोण

श्रीमती समंला हिक्स ने सामाजिक लाभ की धारणा को दूसरे ढंग से समझाया है। उनका मन है कि नोकवित्त और उसके बायों को निर्दिष्ट करके समय निम्न दो बातों का आधार बनाना चाहिए

(क) उत्पादन अनुकूलतम (Production Optimum)

(ख) उपयोगिता अनुकूलतम (Utility Optimum)

इनके अनुसार सार्वजनिक वित्त का अन्तिम लक्ष्य सामाजिक आवश्यकताओं को अनुष्ट करना है। अतः अधिकतम आवश्यकताओं को अनुष्ट के लिए उत्पादन अधिकतम होना चाहिए। अनुकूलतम उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि समाधनों का वितरण भी उचित हो। दूसरे शब्दों में अनुकूलतम उत्पादन स्तर तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि समाधनों का आवटन विभिन्न उत्पादन क्रियाओं द्वारा आदर्श रीति से हुआ हो। इसी प्रसंग में श्रीमती हिक्स ने लिखा है, 'इस प्रकार उत्पादन को अधिकतम करने का या 'अनुकूलतम उत्पादन' का समाधनों के वितरण से संबंध है। उत्पादन को अधिकतम करने की शर्त यह है कि उत्पादिन वस्तुओं के स्थिर रहने की दशा में समाधनों के वितरण में परिवर्तन करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन कम किए बिना, पहली वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना सम्भव हो।' श्रीमती हिक्स ने प्राये वर्णन किया है 'यद्यपि उत्पादन स्तर का आधार बहुत पहले ही समाधनों के समान सीमात उत्पत्ति के नियम कल्प में

प्रकट हा चुका था। यह कोई नवीन विचार नहीं है परंतु एक तो यह अधिकतम सूक्ष्म है और दूसरे इसमें वस्तुओं का प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता इसलिए यह समस्त क्षेत्र में लागू होता है।

सावजनिक वित्त का दूसरा आधार उपयोगिता अनुकूलतम की प्राप्ति है। इसमें ऐसी व्यवस्था का ध्यान करना होगा जिससे मनुष्य अधिकतम हो सके। यह सही है कि एक व्यक्ति की पुष्टि की तुलना दूसरे व्यक्ति की पुष्टि से करना एक कठिन कार्य है फिर भी इसकी क्षतिपूर्ति की विधि द्वारा पूरा किया जा सकता है। थीमती हिक्स के मतानुसार यदि वस्तुओं का कोई विद्येय पुनर्वितरण एक व्यक्ति का पहने की अपेक्षा इतनी अधिक पुष्टि प्रदान कर दे कि वह दूसरे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सके और फिर भी अधिक अच्छा रहे (उस स्थिति से जैसा कि वह प्रारंभ में था) तो दोनों ही इससे सहमत होंगे कि यह परिवर्तन पहली स्थिति में सुधार होगा। उपयोगिता उस समय अनुकूलतम होती हुई कही जाएगी जब एक व्यक्ति की सतुष्टि को बिना दूसरे की सतुष्टि कम किए हुए बढ़ाना संभव हो सके।

थीमती हिक्स के विश्लेषण से यही प्रकट होता है कि लोकवित्त की वही क्रिया उपयुक्त है जिसके करने से यदि एक मनुष्य की सतुष्टि में वृद्धि हो और दूसरे मनुष्य की सतुष्टि में कमी परंतु पहले मनुष्य की सतुष्टि की कमी दूसरे मनुष्य की सतुष्टि में वृद्धि से अधिक होनी चाहिए। थीमती हिक्स द्वारा बताया गया आधार भी उतना ही कठिन और अभ्यावहारिक है जितना कि डाल्टन का सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। इसके लिए व्यक्ति में बहुत ही निष्पक्ष रूप में हिसाब किताब रखने की क्षमता होनी चाहिए। यदि इन आधारों पर सावजनिक नीतियों को निर्धारित किया जाए तो समाज को अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा फिर भी इस सिद्धांत को सफलतापूर्वक व्यवहार में लाने में जो कठिनाइयाँ सामने आती हैं उन्हें सरलता से दूर नहीं किया जा सकता।

## लोकवित्त की प्रदा : मूल्य-निर्धारण तथा वितरण में भूमिका

प्रदा तथा मूल्य एक-दूसरे के पारस्परिक रूप में संबंधित हैं। इन दोनों में वृद्धि अर्थव्यवस्था की प्रगति का प्रतीक मानी जाती है। इसके विपरीत प्रदा, रोजगार तथा मूल्यों में गिरावट आदि देन की अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर की ओर जाने का संकेत करते हैं। साथ ही प्रदा की वृद्धि और उमका समान वितरण कल्याणकारी राज्य के मुख्य उद्देश्य मन्ने जाते हैं अतः लोकवित्तीय क्रियाएँ प्रदा, मूल्य-निर्धारण, आय तथा घन के वितरण में क्या भूमिका निभाती हैं, यह हमारे अध्ययन का क्षेत्र बन जाता है।

### लोकवित्त तथा प्रदा

राजस्व नीति द्वारा प्रदा की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है। कुशल राजस्व नीति इसके लिए अनुकूल दशा किस प्रकार प्रदान कर सकती है, उसका विस्तृत विवेचन नीचे किया गया है।

#### व्यय नीति

व्यय (भाग) के द्वारा बाजार में प्रदा आकृष्ट होती है। चानू प्रदा के लिए व्यय के तीन वर्ग होते हैं। (1) व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खपत, (2) व्यवसायियों द्वारा प्रदा अथवा विक्री के उद्देश्य में पूंजीगत भाग तथा सेवाओं का व्यय जो वे प्राप्त करना चाहते हैं। तीनों प्रकार के खर्चों के जोड़ से सामान और सेवाओं के मूल्य चानू प्रदा का बोध होता है। ये सब मिलकर प्रदा में भाग लेने वालों के लिए व्यय के बराबर आय का निर्माण करते हैं, जो भविष्य में पुनरुत्पादन के लिए स्वर्च किया जाएगा। यदि मूल्य व्यय की दर एक अर्वाच के लिए समान रहे तो उस अर्वाच में प्रदा स्थानी रहेगी।

अर्थव्यवस्था में मूल्य व्यय की अस्थिरता से प्रदा या रोजगार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन प्रमाणी, श्रम और पूंजी का पूरा-पूरा उपयोग होता है। पूर्ण रोजगार के उद्देश्य के पीछे यह भावना बान करती है कि श्रम भावा में उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं होता उसी मात्रा में सामान का उत्पादन भी

नहीं होता और उगी सीमा तक समाज को उससे बचाना रहना पड़ता है।

इसलिए प्रभावपूर्ण मांग में कमी नहीं आने देनी चाहिए। प्रभावपूर्ण मांग में कमी आने से ही प्रदा की मात्रा घट जाती है। लोकवित्त नीति का उद्देश्य अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना और आर्थिक दायित्वों को इस प्रकार श्रियाशील करना है जिससे आय अथवा प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो तथा बचत और विनियोग में गतिमान स्थापित किया जा सके।

प्रदा की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार निजी उद्योग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता दे सकती है। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि आधारभूत संरचना का पूर्ण विकास हो। इसलिए सरकार को एफ एम ऐसी ध्येय नीति अपनानी होनी है जो यातायात तथा मंचार-वाहन के साधन, जल-विद्युत तथा शिक्षा आदि के विकास में सहायक हो।

### करारोपण नीति

उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय तथा करारोपण की क्या नीति हो सकती है इसका निश्चित उत्तर देना कठिन है। इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करने के लिए सरकार को करारोपण नीति द्वारा आय तथा घन का समान वितरण करना चाहिए। धनी वर्ग से प्रगतिशील कर द्वारा एकत्रित आय को सार्वजनिक व्यय द्वारा अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों में वितरण करना चाहिए। प्रारम्भिक उद्योगों को कुछ वर्षों के लिए कर में मुक्त कर देना चाहिए ताकि वे परिपक्व स्तर पर शीघ्र पहुँचकर उत्पादन में अपना योगदान दे सकें।

प्रत्यक्ष करों के गतिरिक्त परोक्ष करों की दरों में परिवर्तन करने भी औद्योगिक प्रदा को प्रभावित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आयत करों में वृद्धि देना के उत्पादन तथा विद्युत में सहायक हो सकती है, इसी प्रकार उत्पादन करों के ढाँचे में फेर-बदल करके उत्पादन को प्रभावित किया जा सकता है।

'प्रदा की दर पूँजी मूल्य की दर का फलन होती है। पूँजी मूल्य की दर का उपभाग के ऊपर उत्पादन की अधिमत्ता से निर्धारित होती है'<sup>1</sup> इसलिए प्रदा को बढ़ाने के लिए निजी बचत तथा विनियोगों को बढ़ाने के लिए निजी बचत तथा विनियोगों को भी प्रोत्साहित बढ़ाना होगा। वर्तमान विनियोगों को अनुत्पादक क्रियाओं से हटाकर उत्पादन क्रियाओं में प्रयोजित करना होगा। आर्थिक समाधान कम उपयोगी उद्योगों से आर्थिक उपयोगी उद्योगों में स्थानांतरित करने होंगे। निरुद्ध कर ही एक ऐसा प्रभावपूर्ण वित्तीय यंत्र है जो निजी उपभोग को कम करा कर विनियोगों को बढ़ाने में तथा आर्थिक समाधानों को मही दिशा में प्रयोजित करने में अपनी उपयोगिता रखता है।

कर तथा हस्तांतरण शोधन के परिवर्तन मूल्य स्तर तथा वास्तविक प्रदा को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं। विभिन्न करों के परिवर्तन प्रदा की कुल पूर्ति

1 R N Tripathi 'Public Finance in Under-developed Countries' (1968), The World Press Pvt. Ltd., Calcutta, p. 81

को कितना प्रभावित करेगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे व्यक्ति को आय अर्जित करने की इच्छा पर क्या प्रभाव डालते हैं। व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यक्ति अपने मसाधनों को पुन विवरित कर लेता है। पुन वितरण के द्वारा व्यक्ति स्वयं अपने लाभों के लिए प्रथम तथा विनिमय के लिए कम उत्पादन करना चाहेंगे। अनेक व्यक्ति ऐसे पैसे को अपनाया चाहेंगे कि कर योग्य आय सरलता में आवी न जा सक। उदाहरण के लिए खेती करना या कोई ऐसा कार्य करना जहाँ व्यक्ति स्वयं ही सेवासोत्रक हो तथा किमी दूसरे की सेवा हो न ले। इस सदर्भ में ब्राउनली तथा ऐलन का मतलब है कि 'व्यक्तिगत आयकर की दरों की वृद्धि विनियोग के अग्रगण्य आने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल पूर्ति को घटा देगी, अर्थात् एक नियत मूल्य पर वास्तविक प्रदा कम होगी।'<sup>1</sup>

लोकवित्तीय अर्थशास्त्रियों को जहाँ तक हो कोई भी सामान्य बित्री कर या वस्तु कर न्यायी रूप में नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई बित्री कर या वस्तु कर न्यायी होता है तो उसका प्रभाव भी व्यक्तिगत कर के समान होता है। जैसे व्यक्तिगत कर किसी व्यक्ति की मौद्रिक आय को कम करते हैं वैसे ही वस्तु कर भी करते हैं। इसलिए वह अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए मसाधनों को ऐसी वस्तुओं के उत्पन्न करने में बहुत कम प्रयुक्त करेगा जो विनिमय के लिए उत्पन्न की जाएगी। परिणामस्वरूप प्रदा घटेगी। इसके विपरीत यदि सामान्य बित्री मत्प्रायी है तो व्यक्ति धन का संचय नानकारी समझेंगे। ये संचित धन को उस समय खर्च करना चाहेंगे जब बित्री के घट जाने से वस्तु का मूल्य घट जाएगा। ऐसा करने से वह संचित धन द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ा लेगा। करयोग्य की-ऐसी स्थिति वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का नहीं घटाती।

### वजट नीति तथा प्रदा प्रभाव

जैसाकि हम ऊपर अध्ययन कर चुके हैं लोकवित्त क्रियाएँ, वजटनीति तथा करों के माध्यम से प्रदा को प्रभावित करती हैं। मस्टेड ने इसे 'प्रदा प्रभाव' (Output Effect) के नाम से संबोधित किया है।<sup>2</sup> प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारानुसार जहाँ पूर्ण रोजगार का आश्वासन हो वहाँ अर्थ पूर्ति में ऐच्छिक परिवर्तन, बचत तथा पूँजी निर्माण में परिवर्तन द्वारा या मसाधनों के कुशल उपयोग द्वारा प्रदा को परिवर्तित करे है। ऐसे परिवर्तनों को 'रिकाडो-प्रभाव' (Ricardian Effect) कहा जाता है। प्रदा परिवर्तन का अध्ययन दो दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। प्रथम, प्रदा में परिवर्तन आर्थिक मपन्नता का सूचक होते हैं। द्वितीय, प्रदा कल्याण के परिवर्तन का भावक हार्ता है। उदाहरण के लिए अर्थ पूर्ति की वृद्धि द्वारा प्रदा की वृद्धि कल्याण की वृद्धि का सूचक नहीं

- 1 Brownlee and Allen 'Economics of Public Finance' (1960), The World Press Pvt. Ltd., Calcutta.
- 2 Richard A. Musgrave 'The Theory of Public Finance' (1959), McGraw Hill Book Co., Inc., New York., pp 208 and 209

हो सकती यदि धन की वृद्धि माल और अचकाश के मध्य मायनों के कुशल आवटन को बिगाड देती है। अभावपूरक वृत्ति वित्त व्यवस्था के अतर्गत अर्नैच्छक बेरोजगारी के स्तर में परिवर्तन होने से जो प्रदा में वृद्धि होती है उसे 'कीस प्रदा प्रभाव' (Keynesian Output Effect) कहते हैं। यहा उत्पादन की वृद्धि अर्नैच्छक बेरोजगारी को कम करके होनी है। इसलिए यह कल्याण की वृद्धि की ओर मन्वेत करती है।

बजट नीति द्वारा प्रदा का स्तर इस बात से भी प्रभावित होता है कि निजी क्षेत्र में ससाधनों का उपयोग कितनी कुशलता से किया गया है? जब तक कि सामाजिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि का समुचित प्रबन्ध न किया गया हो निजी क्षेत्र में उत्पादन कुशलतापूर्वक सपन्न नहीं हो सकता। सुरक्षा तथा अनुबन्धों को क्रियान्वित करना इत्यादि ऐसी आवश्यक बातें हैं जिनका प्रबन्ध किए बिना निजी क्षेत्र में कार्य कुशलतापूर्वक नहीं चल सकता। ठीक ऐसे ही सार्वजनिक सेवाएँ—शिक्षा, अन्वेषण इत्यादि भी प्रदा की वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह तभी संभव होता है जब बजट में इन सार्वजनिक सेवाओं पर व्यय करने हेतु पर्याप्त धनराशि सुरक्षित कर दी गई हो।

आय का वितरण तथा करापात प्रदा पर अपना प्रभाव डालते हैं साथ ही प्रदा से स्वयं भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि X कर का प्रतिस्थापन Y कर के द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि कर से प्राप्त आय तथा सार्वजनिक उपयोग के ससाधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता तब भी प्रदा प्रभावित हो सकती है तथा निजी उपयोग के लिए उपलब्ध आय बदल सकती है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की धारणा के अनुसार ऐसा परिवर्तन तकनीकी सुधार तथा ससाधनों के कुशल उपयोग के द्वारा आ सकता है। प्रो० मस्रॉव के शब्दों में, बजट-नीति के द्वारा सपूर्ण परिवर्तन की विवेचना ऐसी सामूहिक क्रियाओं के द्वारा हो सकती है जो वितरण अथवा करापात को परिवर्तित करके प्रदा को परिवर्तित करती हैं।<sup>1</sup>

### मूल्य के निर्धारण में लोकवित्त की भूमिका

लोकवित्त का सर्वप्रथम वस्तुओं के मूल्यों से अनेक रूपों में देखा जाता है यदि मूल्य व्यवस्था को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वस्तुओं तथा सेवाओं का समाज में वितरण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। यदि धन का वितरण समान न हो, तो वस्तुओं तथा सेवाओं का पर्याप्त उपभोग समाज का वह वर्ग नहीं कर सकता जो निर्धन है।

लोकवित्त के हस्तक्षेप की आवश्यकता

पूर्व स्पष्टी व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था अवश्य है परंतु धनी वर्ग क्योंकि अधिक मूल्य अदा करने की क्षमता रखता है इसलिए वह वस्तुओं का अधिक मूल्य देकर उनका

1 Richard A Musgrave Op cit, p 54

2 Ibid p 209

3 Ibid, p 226

उपभोग करने में समर्थ हो जाता है और निधन वगैरे उसमें बचिबत रह जाता है। इस कारण मूल्य व्यवस्था में अपूर्णता या जाने में इस क्षेत्र में लोकवित्त द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। लोकवित्त प्रायः धन या पुनः वितरण करने माल तथा वस्तुओं का आवंटन ठीक करता है।

सार्वजनिक वित्त द्वारा मूल्य व्यवस्था में हस्तक्षेप का दूसरा कारण मरुद्धों मरुद्ध मूल्य व्यवस्था में गुणवत्ता माना है। यह विचारपारत बहुत पहले में म्नीहृत है और उनकी विवेचना 'सांख्यिक मल', 'बाह्य स्थितियाँ' या 'पडोस' शीर्षक के अन्तर्गत की जाती है। यह ध्यावनी उन मालों के लिए प्रयोग की जाती है जिनसे केवल समाहित सेवा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्ति भी लाभ उठाते हैं। यदि कोई व्यक्ति मल मार्ग (sewage pipe) की सेवाएँ लेता है तो अन्य व्यक्ति भी उनसे लाभान्वित होते हैं। अनेक महामारियों की मनावनाएँ कम हो जाती हैं। यदि मल मार्ग डालने वाली बई बपनियाँ एक ही क्षेत्र में अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए म्पद्धाँ करने लगेँ तो सार्वजनिक दृष्टि में अनामप्रद होगा। इसलिए सरकार द्वारा ऐसी म्पद्धाँ को कम करना होगा। म्पद्धाँ के समाप्त होने पर ऐसी सेवाओं के निर्माता एकाधिकार की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसी निर्माता एकाधिकार की स्थिति में अनेक के कारण सेवाओं का अनुचित मूल्य प्राप्त न करे, सरकार का हस्तक्षेप और भी अनिवार्य हो जाता है। विजली, जलपूर्ति तथा टेलीफोन सेवाओं के प्रदान करने में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि सरकार इन सेवाओं को लागत से कम मूल्य पर प्रदान करना चाहे तब इस हानि की क्षतिपूर्ति दिन प्रकार होगी, लोकवित्त अधिकारी ही इस पर विचार करेंगे।

एक निजी उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा को तथा साधनों के उपयोग को तय करते समय त्याग की दृष्टि में रयता है, जिसकी अनिव्यक्ति उत्पादन लागत से होती है। साथ ही वह उत्पन्न माल की उपयोगिता के मूल्य को भी ध्यान में रख कर चलता है। इन दोनों बातों का प्रभाव उत्पादन की मात्रा से प्राप्त प्राय पर भी पड़ता है, किन्तु निजी उत्पादक अपने उत्पादन सबधी निर्णय की लेते समय उस अत्यल्प त्याग तथा अत्यल्प उपयोगिता की दृष्टिगत नहीं रखता जो अपने उत्पादन से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार, उस वस्तु के उपभोग के भी कुछ अत्यल्प प्रभाव हो सकते हैं। जब एक निजी उपभोक्ता अपने उपभोग की सीमा तथा उसकी रचना तय करता है तब वह केवल उसी उपभोगिता को ध्यान में रखता है जिसे वह व्यक्तिगत रूप में प्राप्त करता है। उसका निजी उपभोग समाज के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव डालता है यह उसकी चिन्ता का विषय नहीं होता। यही 'अत्यल्प प्रभाव' है जो कि आर्थिक कल्याण सिद्धांत (Economic Welfare Theory) के अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है।

'कल्याण सिद्धांत' का एक मुख्य निष्कर्ष यह है कि उत्पादन तथा माग के संतुलन में वह व्यवस्था, जिससे निश्चित मूल्य परिमाण समाप्तोत्पन्न का बीच होता है, उस समय तब श्रेष्ठतम स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक कि निजी उपभोक्ता तथा निजी उत्पादन



के अप्रत्यक्ष प्रभावों को दृष्टि में न रखा जाए।<sup>1</sup> इसलिए ऐसी स्थिति में जहाँ अप्रत्यक्ष प्रभाव दृढ़ता में उपस्थित होते हैं सरकार के हस्तक्षेप को किसी न किसी रूप में आमंत्रित करने के लिए विवश करते हैं।

## मूल्य, सीमात लागत, निजी सीमात उपयोगिता तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता में संबंध

हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहाँ एक गतिविधि की उपयोगिता निजी श्रेता के अनिश्चित समाज को भी प्रभावित करती है। ऐसे में यदि हम उत्पादन में निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन की विचारधारा को लेकर चलते हैं तब उत्पादन की सीमात लागत सामान के मूल्य के बराबर होगी।

यदि मांग पक्ष के लिए निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन की विचारधारा लागू की जाती है, तब हम एक ऐसा साम्य प्राप्त होता है जहाँ मौद्रिक रूप में आती गई निजी सीमात उपयोगिता, मूल्य के बराबर होती है। यह हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि निजी सीमात उपयोगिता सामाजिक सीमात उपयोगिता से कम होती है। इसलिए निश्चित मूल्य परिमाण समायोजन के आधार पर मूल्य, सीमात लागत, निजी सीमात उपयोगिता तथा सामाजिक सीमात उपयोगिता में जो संबंध होगा उसे निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सीमात लागत = मूल्य = निजी सीमात उपयोगिता < सामाजिक सीमात उपयोगिता।

सामाजिक अनुकूलतमता (Social Optimality) की यह मांग है कि सीमात लागत सामाजिक सीमात उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए। यदि समायोजन उपर्युक्त आधार पर हुआ हो जहाँ सामाजिक सीमात उपयोगिता की तुलना में मूल्य कम रहा हो, तो उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। यदि इस पथ से विचलित होकर हम उत्पादन को बढ़ाते हैं तो सामाजिक सीमात उपयोगिता घटती है। ऐसा करने से साम्य के उस बिंदु पर तो पहुँचा जा सकता है जहाँ सीमात लागत सामाजिक सीमात उपयोगिता के बराबर हो जाए परंतु ऐसा करने से उस वस्तु का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा।

उपरोक्त समीकरण में सरकार के किसी विशेष हस्तक्षेप के बिना निजी उत्पादन के संबंध में श्रेष्ठतम समायोजन निम्न दो रीतियों द्वारा लाया जा सकता है

यदि सामाजिक सीमात उपयोगिता की तुलना में मूल्य कम होता है, जैसा कि उपरोक्त समीकरण में है तो इस अंततुलन को दूर करने के लिए प्रथम रीति के अनुसार निजी उत्पादकों को अनुदान देकर दूर किया जा सकता है परंतु ऐसा करने से दो मूल्य उपस्थित हो जाते हैं। प्रथम मूल्य वह है जो उत्पादक प्राप्त करता है (निजी उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य + सरकार द्वारा दिया गया अनुदान) दूसरा, वह नीचा मूल्य है

1 Lief Johnson 'Public Economics' (1969), North Holland Publishing Co., Amsterdam, p 178 }

जो निजी उपभोक्ता खरीदते समय देता है। इन दोनों मूल्यों के अंतर के अन्वय ही प्रत्येक दवाई पर मिलने वाला उपदान तय होता है। ऐसी दशा में मनुष्य की स्थिति निम्न रूप में रहेगी

सीमांत लागत = उत्पादक को मिलने वाला मूल्य > उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य — निजी सीमांत उपयोगिता < सामाजिक सीमांत उपयोगिता।

इस प्रकार उचित मात्रा में उत्पादन देकर सीमांत लागत तथा सामाजिक सीमांत उपयोगिता में समानता लाई जा सकती है।

दूसरी रीति यह हो सकती है कि उत्पादन ही लोक प्रवर्ध के अंतर्गत किया जाए। यहाँ सरकार को एक ऐसी मूल्य नीति अपनानी होगी जिससे अंतर्गत मूल्य, सीमांत लागत से कम रखा जाएगा ताकि इन दोनों का अंतर उपभोग की अप्रत्यक्ष उपयोगिता के बराबर रहे। ऐसी अवस्था में जो स्थिति उत्पन्न होगी उसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—

सीमांत लागत > उत्पादक को मिलने वाला मूल्य = उपभोक्ता का मूल्य = निजी सीमांत उपयोगिता < सामाजिक सीमांत उपयोगिता।

इस प्रकार सीमांत लागत से नीचे एक उचित स्तर पर मूल्य निर्धारित करके सीमांत लागत तथा सामाजिक सीमांत उपयोगिता में समानता लाई जा सकती है।

सार्वजनिक उद्योगों अथवा संस्थाओं द्वारा उत्पन्न माल अथवा सेवाओं के मूल्य तय करने में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा मवेशिवाहन के साधनों की उपलब्धि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ऐसे कार्यों को निजी उत्पादकों की अपेक्षा सरकार द्वारा संपन्न किए जाने के मत में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि ऐसी सेवाओं के अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक होते हैं तथा मूल्य निर्धारित करने में इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक होता है। निजी उत्पादक ऐसा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत लोगों के टीका लगवाने का एक ऐसा ही उदाहरण है जब किसी व्यक्ति के टीका लगवाने से महामारी से बचाव की उपयोगिता केवल उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती जो उस टीके को लगवाता है अपितु, अन्य व्यक्तियों को भी कुछ सामाजिक उपयोगिता प्राप्त होती है। इसलिए टीके की दवाई का विक्रय मूल्य लागत से नीचे रखना चाहिए ताकि नागरिकों को टीका लगवाने अथवा न लगवाने के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता रहे।

कुछ ऐसी ही विचित्र परिस्थितियाँ उस समय आती हैं जहाँ 'एक' की सेवा का प्रवर्ध सबकी सेवा का प्रवर्ध होता है। ऐसी सेवाएँ अविभाज्य होती हैं। बाह्य आक्रमणों से प्रतिरक्षा तथा पुलिस सुरक्षा इसके उदाहरण हैं। इन्हें 'शुद्ध सार्वजनिक माल' (pure public goods) भी कहते हैं। ऐसी सेवाओं में मूल्य की विचारधारा लागू ही नहीं होती। यदि इन सेवाओं का प्रवर्ध निजी व्यक्तियों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो इनका उत्पादन निश्चय ही घटने ही जाएगा। यदि स्पर्धात्मक क्षेत्र का नियमन न किया तब वह तेजी और मदी का शिकार हो जाएगी।

## लोकवित्त की आय तथा धन के वितरण में भूमिका

सामान्य आर्थिक व सामाजिक नीति के मदर्भ में अधिक उत्पादन और समान वितरण दोनों ऐसे उद्देश्य हैं जिनका बहुत ऊँचा स्थान होता है। कुछ व्यक्तियों का यह विचार है कि उत्पादन की वृद्धि, वितरण के सुधार की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है। वास्तव में यह विचार अब उन देशों के मदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है जो कि पहले ही विकास के ऊँचे स्तर पर पहुँच चुके हैं तथा जिनमें विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में उत्पादन की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती अपेक्षाएँ अधिक आर्थिक समानता रही थी और अधिक मात्रा में विकास हो जाने पर ही उनमें आय और धन के वितरण की समानता का पहलू सामने आया था। 19वीं शताब्दी के आर्थिक विकास के सबब में यह एक ऐतिहासिक सत्य माना जाता था। उस समय राजनीतिक जनतंत्र अपनी शिशु अवस्था में था और कल्याण राज्य की धारणा सामने नहीं आई थी। आज के युग में आर्थिक व राजनीतिक दशाएँ और उनके प्रति जनता की प्रतिक्रियाएँ 19वीं शताब्दी की तुलना में धनकुल भिन्न हैं, 19वीं शताब्दी में राजनीतिक उन्मुक्तवाद और आर्थिकनिर्वाध-नीति का बोलबाला था। आज हम आय तथा धन के समानता के प्रश्न को आर्थिक व सामाजिक शक्तियों पर नहीं छोड़ सकते।

अल्प विकसित देशों में तो आय और धन की असमानताएँ उल्लेखनीय हैं जो उनकी आर्थिक दशा और संस्थागत ढाँचे से उत्पन्न होती हैं। असमानता के मूल कारणों को धीरे-धीरे मिटाकर ही समानता की ओर जाया जा सकता है।

### समानता की आवश्यकता

आय और धन के वितरण की समानता के सबब में तीन विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रथम विचार यह है कि जो अभाग्य हैं उन्हें आर्थिक सहायता देना आवश्यक है। द्वितीय, आय के एक आवश्यक स्तर से निम्न आय वाले व्यक्तियों को आय को सहायक आय के रूप में पुनर्वितरण करने का उद्देश्य होता है। तृतीय उन दशाओं को दूर करने की दिशा में प्रयास होते हैं जो असमानता को उत्पन्न करते हैं तथा उसे बढ़ाते हैं। पुनर्वितरण के उद्देश्य को किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है उसका वर्णन मस्प्रेव ने निम्न शब्दों में किया है

पुनर्वितरण के उद्देश्यों को किस अंश तक साध्य बनाया जा सकता है, सामाजिक पैदाओं के स्तर पर निर्भर करता है। और सामाजिक सेवाओं के स्तर का निर्धारण सामाजिक आवश्यकताओं को मनुष्य करने की वास्तविक भाग पर नहीं अपितु पुनर्वितरण पर आधारित होता है।<sup>1</sup>

### पुनर्वितरण तथा आर्थिक कल्याण

यदि यह विचार स्वीकृत कर लिया जाता है कि समाज को ऐसे व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए जो अपनी सहायता करने में असमर्थ हैं तो हमें यह निर्णय

निहित है कि समाज आय तथा धन के पुनर्वितरण की इच्छा स्वीकार करता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार आय और धन के वितरण में उदासीन नहीं रह सकती क्योंकि जरूरतमंदों को सहायता देने के निर्णय का अर्थ है अच्छी स्थिति (better off) से खराब स्थिति (worse off) के व्यक्तियों को धन का पुनर्वितरण। जी०सी० होवने ने कहा है, 'यदि आय और धन का अनुमान फँसाव है तो आवश्यकताएँ समान रूप से सतुष्ट नहीं होती।' दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा पुनर्वितरण आर्थिक कल्याण के बढ़ाने में सहायक होता है। इस विचार की पुष्टि डाल्टन के निम्नलिखित वाक्य से होती है

'आय की सापेक्षता आर्थिक कल्याण के माध्यम में है, समाज के आय की अधिक असमानता में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अधिक असमान आर्थिक कल्याण की प्राप्ति निहित है। उसमें समाहित आर्थिक कल्याण का विनाश भी निहित है। सामान्य भाषा में यदि इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया जाए तो आय के असमानता का विरोध इसलिए किया जाता है कि धनी व्यक्तियों की कम महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ आवश्यकताएँ तो सतुष्ट हो जाती हैं जबकि निर्धनों की अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ आवश्यकताएँ विना सतुष्ट हुए रह जाती हैं। धनिकों का आवश्यकता से अधिक पोषण होता है जबकि निर्धन भूखे रह जाते हैं। यह केवल अर्थशास्त्र के उपयोगिता ह्रास नियम की व्यावहारिकता है जो यह बतलाती है कि धन्य वालों के समान रहने पर जैसे किसी वस्तु की मात्रा, या अधिक सामान्य रूप में श्रमशक्ति बढ़ती है उसकी कुल उपयोगिता भी बढ़ती है परन्तु उसकी सीमांत उपयोगिता घटती है।'

इसलिए आय व धन के असरों में व्यापक माना में समानता प्राप्त करना आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान तथा आर्थिक कल्याण की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह मांग अब बहुत समय तक नहीं टाली जा सकती कि करधान का यह आय के ऐसे पुनर्वितरण के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जो सामाजिक न्याय के अधिक अनुरूप हो। कर प्रणाली निर्दिष्ट रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता कर सकती है। राजस्व प्रणाली में इस दिशा में निर्दिष्ट रूप से बत दिए जाने पर आय और धन के वितरण में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। यह धारणा हमें उस जाच के लिए प्रेरित करती है कि कर प्रणाली असमानताओं को कम करने की दिशा में क्या कर सकती है और द्वितीय, यह प्रक्रिया निजी उत्पादकों के उद्यम तथा प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कहा तक आगे ले जाई जा सकती है।

सरकार द्वारा आय तथा धन वितरण में परिवर्तन

सरकार आय तथा धन के वितरण को तीन प्रकार से प्रभावित कर सकती है सर्वप्रथम, सरकार आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति के लाल उपहार कर तथा मृत्यु कर लगाकर एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है या सहायन स्वामित्व के

1 G. C. Hockley 'Monetary Policy and Public Finance' (1970), p. 74

2 Dalton 'Public Finance' (1959), Routledge & Kegan Paul Ltd Lond., p. 10

प्रारूप को बदल सकती है। समाजवादी सरकार ससाधन के स्वामित्व का अधिक प्रबल करती है। अधिक शस ससाधनो का स्वामित्व तो सरकार के अधीन ही होता है। ऐसी सम्पत्ति से उत्पन्न आय को व्यक्तियों में सामाजिक लाभाश के रूप में वितरण कर दिया जाता है। द्वितीय, सरकार न्यूनतम मजदूरी या विशिष्ट वस्तुओं के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करके ससाधनो के मूल्यों के प्रारूप को बदल सकती है। तृतीय, सरकार ससाधन स्वामित्व से उत्पन्न व्यक्तिगत आय को व्यक्तिगत आय कर या सार्वजनिक व्यय के द्वारा परिवर्तित कर सकता है। प्रगतिशील व्यक्तिगत आय कर घनी व्यक्तियों की आय को घटाने में सहायक होगा तथा निम्न आय स्तरीय व्यक्तियों को प्रत्यक्ष भुगतान या उनके लिए कुछ विशेष सरकारी सेवाओं का प्रबल धन के वितरण को समान करने में अपनी सहायता प्रबल दे सकता है।

# 4

## संसाधनों की पूर्ति की अल्प विकसित देशों में गतिशीलता

संसाधनों के गतिमान की समस्या केवल वित्तीय माधनों के जुटाने तक ही सीमित नहीं होती अपितु वास्तविक संसाधनों को एकत्र करने की होती है। चाहे देश अल्प विकसित हो या पूर्ण विकसित, सभी को अपनी आर्थिक प्रगति के लिए संसाधनों की गतिमान करना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में वित्त एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वास्तविक संसाधनों पर काबू पाया जाता है। यद्यपि संसाधनों की पूर्ति में परिवर्तन का विचार अस्पष्ट है तथापि इस मद्दय में इतना कहा जा सकता है कि इसका अर्थ वर्तमान संसाधनों के घुड़ि अपना वर्तमान सामग्री का अधिक उपयोग करना है।<sup>1</sup> वास्तविक संसाधनों का अध्ययन अनेक जटिलताओं के मध्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम श्रम को लें तो श्रम की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन तथा जनसंख्या के कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन आदि अनेक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होगा। जनसंख्या में कितने व्यक्ति कार्य करने योग्य हैं, कितने कार्य करने योग्य नहीं हैं, श्रम शक्ति पर आयु रचना का क्या प्रभाव है, आदि अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

ठीक ऐसी ही जटिलताएँ पूँजी के संचय में भी आती हैं। पूँजी में परिवर्तन उसी समय हो सकता है जब लोग अपनी आय का कुछ भाग संचय करने को तैयार हों। संचय करने की विचारधारा उसी समय प्रबल हो सकती है जब विनियोग करने के अवसर उपलब्ध हों। इसी प्रकार पूँजी का अधिकतम उपयोग भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे देश में कुल यंत्रों का वितरण भाग प्रयोग में आता है, तथा मशीन का प्रयोग कितनी परिधियों में होता है। जब तक हम इन जटिलताओं को दूर नहीं करेंगे तब तक प्रागे बढ़ना संभव नहीं होगा।

अध्ययन को सरल एवं सहज बनाने के लिए हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि

1 A R Prest 'Public Finance in Theory and Practice' (1960), Weidenfeld and Nicolson, Lond., p 66


कर तथा लोकव्यय श्रमिक को कार्य करने के लिए कितनी प्रेरणा प्रदान करते हैं तथा पूँजी के एवत्रीकरण को कितना प्रभावित करते हैं।

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि हमने श्रम और पूँजी की पूर्ति को ही क्यों लिया। अन्य समाधान क्या छोड़ दिए? उमवा कारण यह है कि अन्य प्रकार के स्रोतों का अध्ययन इन दो स्रोतों के अध्ययन से पूर्ण हो जाता है। साहज की पूर्ति, श्रम की पूर्ति के अतर्गत आ जाती है। जो धारणा हम श्रम और पूँजी के संवध में बनाएंगे वही पूर्णतः श्रम की पूर्ति के संवध में भी लागू हो जाएगी।

### आदर्श दशाएँ

हमने पिछले अध्याय में उन दशाओं का वर्णन किया है जिनमें उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न उपयोगों में बटवारा अनुकूलतम आधार पर किया जाता है। इसके बाद हमने यह भी दिखाने का प्रयास किया कि विभिन्न प्रकार के कर इस अनुकूलतम बटवारे से साधनों को कितना विचलित कर देते हैं। यहाँ भी हमारे अध्ययन की रीति बहुत कुछ वैसी ही होगी। श्रम के इष्टतम उपयोग की दशाओं का वर्णन अनेक प्रकार से हो सकता है। परंतु सबसे सरल वह दशा होगी जहाँ श्रम को कार्य एव अवकाश के मध्य बाटने का प्रश्न उठता है।

सरलता के लिए हम यह मान लेते हैं कि एक मनुष्य प्रति सप्ताह किए जाने वाले कार्य के घंटों में परिवर्तन करने के लिए इच्छुक है। यद्यपि यह बात अवास्तविक-सी लगती है परंतु आरंभ में सरलता लाने के लिए आवश्यक है। निम्नांकित चित्र इस धारणा को सहज होने में सहायता दे सकता है।



चित्र 4

यहाँ हमने X-अक्ष पर अवकाश तथा Y-अक्ष पर अर्जित धन नापा है। इनकी सहायता से मूल्य अवसर वक्र (price opportunity curve) खींचे जा सकते

है। यह ब्रह्म दिखाता है कि भवकाश की विभिन्न मात्राओं के स्तर में कितना अर्जित धन प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य 6 घंटे कार्य करता है तो उनकी अर्जित आय 20 रु० होती है, 12 घंटे कार्य करता है तो अर्जित आय 40 रु० होती है। भवकाश एक अर्जित आय के संबंध को दिखाने वाले ऐसे घनेक ब्रह्म हो सकते हैं जैसे चित्र (4) में ब्रह्म II तथा ब्रह्म II दिखाए गए हैं। इन तनी ब्रह्मों में P ही मर्यादित बिंदु होगा जहां उदासीन ब्रह्म। मूल्य भवकाश स्तर को स्पर्श करती है। इन बिंदु पर आय और भवकाश की सीमांत प्रतिस्थापन दर प्रति घंटा मजदूरी के समान हो जाती है। दूसरे शब्दों में यह स्थिति उन बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां आय की सीमांत उपयोगिता घट गई है और आय की सीमांत अनुपयोगिता उस सीमा तक बढ़ गई है कि दोनों की एक-दूसरे के बराबर हो गई हैं। यह बिंदु दिखाता है कि भवकाश की एक निश्चित प्राथमिकता और वाजिक मजदूरी की दर पर एक व्यक्ति कितना कार्य करना चाहेगा। अब हम यह मान लेते हैं कि एक व्यक्ति इन मनुष्य की स्थिति में है। किसी मार्गिक बर द्वारा जो परिवर्तन आया उसकी तुलना उस मनुष्य की स्थिति से की जाएगी। प्रयत्न धन का मार्गिक बरापेचम निम्न स्थितियों द्वारा किया जा सकता है।



### धानुपातिक एवं प्रगतिशील करों का धन की पूर्ति पर प्रभाव

इन करों के प्रभाव जानने के लिए हम अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करेंगे कि इन करों के लगाए जाने पर धन का बहाव तक उपयोग होता है या वे कर कार्य करने की इच्छा को बहाव तक प्रभावित करते हैं। इन निष्पत्तियों का प्रारंभ हम यों करेंगे कि  $20 \times X$  के प्रति व्यक्ति बर (poll tax) तथा समान आय उत्पन्न करने वालों पर एक आय के अनुपात में लगाए गए आय बर का क्या मार्गिक प्रभाव होता है।

समान आय उत्पन्न करने वाले प्रति व्यक्ति बर (poll tax) तथा समान आय बर (flat rate income tax) में अंतर यह है कि दूसरी स्थिति में धन बन्तुओं की तुलना में भवकाश का मूल्य मार्गिक पक्वित हो सकता है, जबकि प्रयत्न स्थिति में ऐसा नहीं होगा। दोनों स्थितियों में 'आय प्रभाव' (income effect) समान होने हैं। परंतु 'प्रतिस्थापन प्रभाव' (substitution effect) में अंतर होता है। चित्र (5) और (6) इन्हीं प्रयत्नों को प्रदर्शित करते हैं।

चित्र (4) के समान इन चित्रों में भी P<sub>1</sub> इस स्तर का प्रतिनिधित्व करता है कि किसी भी बर को लगाने के पूर्व आय और भवकाश की सीमांत प्रतिस्थापन दर प्रति घंटा अर्जित आय के समान होती है। दोनों चित्रों में हमारे व्यक्ति को OR उत्पन्न अर्जित करने के लिए प्रति दिन QB घंटे कार्य करना पठना है। यदि उनकी अर्जित आय पर 50 प्रति-शत का बर लगा दिया जाए तब अर्जित अनवर रेखा (earning opportunity line) AB न रहे बर BC हो जाएगी जिनका ढाल AB की तुलना में आधा होगा। यह मनुष्य का नवीन बिंदु P<sub>2</sub> होगा जो उदासीन ब्रह्म II को BC पर स्पर्श करता है। चित्र (5) में यह बिंदु P<sub>1</sub>Q के बराबर स्थित है जो यह नवीन करता है कि पहले की अपेक्षा अब अधिक कार्य करना होगा। चित्र (6) में यह बिंदु P<sub>1</sub>Q के बहिर्नी और स्थित है ज





पहले की अपेक्षा कम कार्य करने का मकैत करता है। प्रथम उदाहरण में 'आय प्रभाव' व्यक्तियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यहाँ 'प्रतिस्थापन प्रभाव' अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा। चित्र (6) में स्थिति चित्र (5) के विपरीत है। यहाँ 'प्रतिस्थापन प्रभाव' अधिक महत्वपूर्ण होगा, परन्तु यह विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा 'प्रभाव' बच उपस्थित होगा।

यदि समान आय उत्पन्न करने वाला प्रति व्यक्ति कर (poll tax) लगा दिया जाए तब हमारे पास नवीन आय अर्जित अवसर रेखा  $A'B'$  होगी। क्योंकि कार्य और अवकाश की शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए  $A'B'$   $AB$  के समानांतर होगी। क्योंकि हम प्रति व्यक्ति कर से समान आय की मांगता न्योकार कर चुके हैं इसलिए  $A'B'$  रेखा  $P_2$  बिंदु से होकर गुजरेगी। उदासीन वक्र  $III$   $A'B'$  रेखा को  $P_3$  बिंदु पर स्पर्श करती है।  $P_3$  नतुलन बिंदु उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ  $P_1$  या  $P_2$  बिंदु की तुलना में हमारा व्यक्ति अधिक पैसे कार्य करेगा। चाहे चित्र (5) हो या चित्र (6)  $P_3$  बिंदु इसी स्थिति का वर्णन करता है।

अब दोनो प्रकार के करों के प्रभावों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एकमुद्र कर (प्रति व्यक्ति कर) की अवस्था में व्यक्ति को अपने कार्य के पैसे परिवर्तित करके अपने कर दायित्व से परिवर्तन माना समभव नहीं होता है। हा, आय कर की स्थिति में वह ऐसा कर सकता है कि आय कर से अवकाश की सीमात लागत घट जाए और वह उसका उपयोग अधिक करने लगे।

आय कर तथा उत्पादन शुल्क का श्रम की पूर्ति पर प्रभाव

इस विचार का अध्ययन करने के लिए हमें इनो अध्याय के चित्र (4) तथा (5) का धुननिरीक्षण करना होगा। इन चित्रों में जैसे यह दिखाया गया है कि एक वस्तु पर लगाए गए उत्पादन शुल्क की तुलना में सामान्य आय कर मनाघनों के आवदन पर अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे ही समान आय वाले कर की अपेक्षा एकमुद्र कर मजदूर को ऐसी तटस्थ रेखा पर ले जाएगा। इनमें से जो भी कर कार्य तथा अवकाश के विनिमय की शर्तों में परिवर्तन लाएगा वह मजदूर को नीचे की तटस्थ रेखा पर ले जायेगा।

राजकीय स्थानांतरण तथा अन्य व्ययों का श्रम की पूर्ति पर प्रभाव

यहाँ सरकारी स्थानांतरण का प्रतिप्राय कर द्वारा एकत्र की गई धनराशि का प्रत्येक व्यक्ति को एकमुद्र में लौटाने से है। इस विचार का बोध करने के लिए भी हम इसी अध्याय के चित्र (5) तथा (6) की सहायता लेंगे। हम यह सोचकर चलते हैं कि  $P_1$  बिंदु प्रारम्भिक स्थिति को बतलाता है।  $P_2$  बिंदु आय कर के लगाने के उपरांत की स्थिति को दर्शाता है। कर द्वारा प्राप्त धनराशि को लौटाने के बाद हमारे वर्तमान व्यक्ति के लिए अब एक नई अर्जित आय अवसर रेखा  $A'B'$  उपस्थित होगी जो  $CB$  के समानतर होगी। अब नई सतुलन की स्थिति  $P_4$  बिंदु दिखाता है। यह वह बिंदु है जहाँ उदासीन वक्र  $IV$  उस बिंदु को स्पर्श करता है जहाँ  $A'B'$  तथा  $AB$  रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं।  $P_1$  तथा  $P_4$  बिंदुओं की तुलना करने से यह सचेत मिलता है कि अब पहले की अपेक्षा

कार्य कम घटे विद्या जाएगा।

**धाय कर तथा पूजी कर का वचत की पूर्ति पर प्रभाव**

अध्ययन की सुविधा के लिए हम प्रस्तुत प्रकरण में धाय को, विनियोग धाय के रूप में लेंगे। सर्वप्रथम हम पूजी पर लगाए गए वार्षिक कर की तुलना विनियोग धाय पर लगाए गए कर से करेंगे। इससे उपरान्त हम विनियोग धाय पर लगाए गए कर की तुलना अनावर्ती पूजी कर से करेंगे। पूजी कर मृत्यु कर तथा एक बारगी अनावर्ती पूजी कर के रूप में हो सकता है। हम पाठक को प्रारंभ में ही सचेत कर दें कि वार्षिक पूजी कर विनियोग कर का पर्याप्त स्थानापन्न है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि किसी विनियोग से औसत प्राप्ति 5 प्रतिशत है। हम यह भी मान लेते हैं कि 20 प्रतिशत का विनियोग धाय कर तथा 1 प्रतिशत का पूजी कर समान परिणाम उपस्थित करता है। इस कल्पना के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन व्यक्तियों को विनियोग धाय पर अधिक कर अदा करना पड़ेगा जिनकी आय औसत विनियोग धाय से अधिक है। दूसरे शब्दों में पूजी कर अदा करने वालों की तुलना में पूजी से आय प्राप्त करने वाले प्रतिकूल अवस्था में होंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि पूजी कर पूजी की मूल्य वृद्धि (capital appreciation) को दंडित करता है, जबकि विनियोग धाय कर ऐसा नहीं करता। इन तर्कों के आधार पर दोनों में से कौन-सा कर वचत को प्रोत्साहित करता है? उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि विनियोग धाय पर लगे कर की तुलना में पूजी कर तरल परिसंपत्तियों (liquid assets) तथा गैर आय संपत्तियों (non-income yielding forms of wealth) पर अधिक कठोर भार करता है और अधिक जोखिमपूर्ण उद्यमों में विनियोजित पूजी के लिए उदार रहता है। इसलिए पूजी कर, उन गभावित वचत-कर्त्ताओं को जो संपत्ति को तरल रूप में रचना चाहते हैं निरत्साहित करता है परंतु विनियोग कर ऐसा नहीं करता। यदि पूजी कर गैर आय संपत्तियों में से गभावित अधिव्यय (dissaving) को प्रोत्साहित करे तो निश्चित ही अधिव्यय के बढ़ने से वचत घट जाएगी।

अब हम ज्ञात करना चाहेंगे कि समान धाय अर्जित करने वाले मृत्यु कर तथा विनियोग धाय कर का वचत की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस विनियोग धाय कर का वचत की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस विवेचन में हमारी यह मान्यता है कि मृत्यु कर, मृत्यु लेख करने वाले पुरुष (testator) की संपत्ति के आधार के अनुसार तथा अनुसूचित रूप में लगाया जाता है। यदि विनियोग धाय कर का प्रतिस्थापन समान धाय अर्जित करने वाले मृत्यु-कर से कर दिया जाए तो वह समाज के विभिन्न आयु-वर्गों (age groups) को विभिन्न रूप से प्रभावित करेगा। नवयुवक जानते हैं कि उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाली संपूर्ण संपत्ति उन्हें प्राप्त नहीं होगी क्योंकि सरकार उसका एक भाग कर के रूप में वसूल कर लेगी। इसलिए यह वर्ग अधिक वचत करने के लिए प्रोत्साहित होगा। वृद्ध लोग अक्षय ही अपने शेष जीवनकाल में व्यय की मात्रा बढ़ा देंगे।<sup>1</sup>

परंतु दूसरी ओर वार्षिक विनियोग घाय कर का मृत्यु कर से प्रतिस्थापन बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्रकार की प्रेरणा को शक्तिमान बनाता है। ऐसी बचत 'बबुद बचत' (hump saving) होती है जो मृत्यु से पहले खर्च करने के इरादे से एकत्र की जाती है और जो मृत्यु कर योजना में मृत्यु कर से मुक्त होती है। परंतु उससे उत्पन्न आय, विनियोग आय कर व्यवस्था में कराएँपित होती है।

इस विवेचना के उपरांत, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समान आय धरित करने वाले विनियोग आय कर की अपेक्षा बचतों के लिए मृत्यु कर कम हानिकारक होते हैं।<sup>1</sup>

अंत में अनावर्ती पूँजी कर तथा मृत्यु कर (जिसकी पुनरावृत्ति लगभग 30 वर्ष के बाद होती है) के तुलनात्मक प्रभाव को ज्ञात करना दोष रह जाता है। दोनों में अंतर यह है कि पहला जीवन काल में केवल एक बार धरित होता है तथा दूसरा जीवन के पश्चात् अनावर्ती पूँजी कर व्यक्ति के जीवनकाल में ही पूँजी से प्राप्त आय तथा पूँजी के स्वामित्व से प्राप्त प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रस्थान करा देती है जबकि मृत्यु कर संपत्ति धारक को प्रभावित न करके उसके कुटुंब को प्रभावित करता है। इस आधार पर मृत्यु कर की अपेक्षा अनावर्ती पूँजी कर बचत करने में अधिक बाधक होता है। यदि अनावर्ती पूँजी कर लोगों पर अनायास ही लगा दिया जाए और उन्हें यह विश्वास दिला दिया जाए कि वह केवल एक बार ही लगाया जाएगा तब अनवरत मृत्यु कर की तुलना में अनावर्ती पूँजी कर का वार्षिक बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़े।

अर्ध विवसित देशों में स्रोतों को गतिमान बनाना

ऐच्छिक बचतों के कम होने के कारण अविवसित देशों के विकास के कार्यक्रमों में बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, कुछ सीमा तक उत्कृष्ट उपभोग तथा अनुत्पादक विनियोग कम करके, विदेशों से ऋण लेकर सत्यानिक एवं निजी अनुदान प्राप्त कर वित्तीय दबाव को हलवा किया जाता है। अविवसित देशों में स्रोतों को पर्याप्त मात्रा में गतिशील करने के लिए सरकारों को आगेपित बचतों का सहारा लेना पड़ता है। सार्वजनिक अर्थशास्त्र के इस कार्य के निभाने को रेगनर नर्कसे ने अधिकतम बचत वृद्धि अनुपात (incremental saving ratio) को वार्षिक विकास का निर्धारण करने वाला उत्त्व कहा है। य उत्त्व स्वयं नहीं बढ़ते अपितु इनकी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसे प्रयास नहीं किए जाएँ तो बढ़ती हुई आय बढ़ती हुई जनसंख्या के उपभोग में खप जाएँगी। अविवसित देश विकसित देशों के उपभोग नमूनों (consumption pattern) से आकृष्ट होकर बड़ी हुई आय को व्यय के उपभोग में लगा देते हैं। फलतः बचत प्रत्यत अस्य रहती है। इस प्रदर्शनकारी प्रभाव (demonstration effect) को कम करना आवश्यक होता है। सार्वजनिक वित्त के अतंगत सहायकों के गतिशील को विचारधारा एक ऐसी सामूहिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिसके द्वारा देश में विनियोगी स्रोत आरंभित बचतों की सहायता से बढ़ाएँ जाते हैं।

ससाधनों के गतिशीलता की विचारधारा केवल वित्तीय ससाधनों के दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु वास्तविक ससाधनों के दृष्टिकोण से भी देखनी है। किसी भी देश के वास्तविक स्रोत मुख्यतः श्रम और पूँजी होते हैं। इनके गतिमान की समस्या का हम विस्तार-पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं।

आर्थिक विकास की गतिविधियाँ ही विनियोगी ससाधनों को उत्पन्न करके वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाती हैं। इसलिए विकसित होती अर्थव्यवस्था में ससाधनों की धारणा स्थैतिक न होकर प्रावणिक होती है। यदि हम बढ़ते हुए उत्पादन द्वारा विनियोगी ससाधनों में वृद्धि चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि राजकोपीय नीति के विभिन्न यंत्रों द्वारा उत्पादन की वृद्धि का बड़ा अनुपात उत्पादन में पुनर्विनियोजित (plough back) कर दिया जाए।

### ससाधन बजट

यदि हम स्रोतों के गतिमान में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि स्रोत बजट निर्माण का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए। बजट निर्माण करते समय केवल वित्तीय स्रोतों को ही नहीं अपितु वास्तविक स्रोतों को भी दृष्टि में रखकर चलना होगा। मानवीय श्रम शक्ति की आवश्यकता का बजटिंग, वास्तविक रूप में स्थिर एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, कुशलता और साहस तथा विदेशी विनिमय की आवश्यकता का बजट बनाना इत्यादि सब वास्तविक बजट निर्माण की परिधि में आते हैं। ससाधन बजट निर्माण की सफलता प्रत्येक उद्योग तथा संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के आदा प्रदा माडल (input-output model) से की जा सकती है।

सरकार, पर्याप्त मात्रा में घरेलू ससाधनों का गतिमान करने के लिए निम्न उपाय प्रदान सकती है

- (1) प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण
- (2) बरो में वृद्धि
- (3) सार्वजनिक उपक्रमों की बचत
- (4) गैर मुद्रास्फीति प्रकृति के सार्वजनिक ऋण
- (5) घाटे की वित्त व्यवस्था

#### (1) प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण

प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण, उपभोग तथा अनुत्पादक विनियोगों में प्रत्यक्ष कटौती करके ससाधनों को गतिमान करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण का प्रशासन कठिन होता है। साथ ही ऐसे नियंत्रण देश की अर्थव्यवस्था को एक कठोर शासन प्रणाली के अंतर्गत ले आते हैं और प्रजातन्त्रीय स्वतंत्रता से विमुख कर देते हैं। परंतु फिर भी प्रजातंत्र पर आधारित योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण द्वारा साधनों का जुटाना अनिवार्य हो जाता है।

## (2) करो में वृद्धि

अल्प विकसित देशों में एक जटिल समस्या बचत वृद्धि अनुपात को ऊंचा करने की है। यह स्मरण रखना चाहिए कि केवल धनी वर्ग को ही बचत व विनियोग के लिए प्रेरित करना पर्याप्त नहीं होगा। जहाँ तक आय में होने वाली वृद्धि का अधिकांश भाग जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग के हिस्से में आता है, वहाँ के पहले से अधिक उपनाग करने की स्थिति में होते हैं। उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति इकाई के काफी नमीय होती है। अतः उनके उपभोग में वृद्धि लगभग उनकी आय की वृद्धि के बराबर होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि ऐसा होने दिया जाए तो उत्पादकता में होने वाली वृद्धि बड़े हुए उपभोग के रूप में समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बड़ा ढ़ाया वस्तु कराधान उपभोग की वृद्धि का नियंत्रित करने में नहायक हो सकता है। ऐसा करने से ही विनियोग के लिए कुछ माधन उपलब्ध किए जा सकते हैं। मुम्पोटर की मुद्रास्फीति विधि भी आरोपित बचत का एक रूप है जिसके द्वारा उपभोग को रोका जा सकता है।

अल्प विकसित देशों में मुख्य समस्या आधिक्य विकास की गति को तीव्र करने की है। विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में विनियोग की दर बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए कर इस प्रकार से लगाना चाहिए जितने बचत को ऊंची दर प्राप्त करके विनियोग की दर को बढ़ाया जा सके।

## (3) सार्वजनिक उपक्रमों की बचत

अल्प विकसित देशों में सार्वजनिक उपक्रमों की बचतें आंतरिक साधनों का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती हैं। यदि इन बचतों का पुनर्विनियोग कर दिया जाए तो देश के विकास की गति तीव्र हो सकती है। यदि सार्वजनिक उद्योगों की कुशलता को बढ़ाकर खान की मात्रा को बढ़ाया जा सके तो आंतरिक साधनों के रूप में इनके लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। खान अधिक होने पर बचतें अधिक होंगी और पूँजी निर्यात में वृद्धि करके विनियोग में वृद्धि की जा सकेगी।

## (4) गैर मुद्रास्फीति सार्वजनिक ऋण की प्राप्ति

विकासकाल में मुद्रास्फीति का उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। अधिक मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाकर लक्ष्यों पर निर्धारित सचों के आवंटन को बाधित देती है और विकास में अवरोध उत्पन्न करती है। अतः आंतरिक माधनों की गतिशील करते समय सार्वजनिक ऋणों पर पर्याप्त धन देना चाहिए। अल्प विकसित देशों में निर्धन वर्ग की बचत व ऋण प्रदान करने की क्षमता नगण्य होती है। धनी वर्ग की बचतें अल्प हो जाने से प्राप्त नहीं हो पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में बचतों को ऋण के रूप में प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। ऋण की मात्रा बहुत कुछ सरकार की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। सरकार विभिन्न प्रकार की ऋण प्रतिभूतियाँ जारी करके नागरिक एवं ग्रामीण जनता से ऋण एकत्र कर सकती है।

## (5) घाटे की वित्त व्यवस्था

वास्तव में सरकार द्वारा निर्गमित की गई मुद्रा स्वयं पूँजी नहीं होती परंतु वह

पूजी निर्माण मे सहायक होती है। उसवी सहायता से बेकार पड़े साधनो को उत्पत्ति के कार्यक्रमो मे लगाने के योग्य बना लिया जाता है। परिणामस्वरूप देश मे पूजीगत वस्तुओं की मात्रा बढ़ जाती है और आर्थिक विवास के उपयुक्त वातावरण तैयार हो जाता है। अनेक अर्थशास्त्रियो ने इसे पूजो सचय मे सहायक माना है। क्योंकि उसवे द्वारा देश मे बचत की मात्रा मे वृद्धि करना संभव हो जाता है। इसवे अतिरिक्त मुद्रास्फीति समाज मे धन के वितरण को उन लोगो के पक्ष मे करती है जिनमे बचत करने की आदत होती है। मूल्य वृद्धि के कारण सामान्य उपभोक्ताओं को अनिवार्य रूप से उपभोग वी मात्रा कम करनी पडती है जिससे बचत को प्रोत्साहन मिलता है।

यद्यपि घाटे की वित्त व्यवस्था पूजी निर्माण वा महत्वपूर्ण साधन है परंतु इसको निरंतर व्यवहार मे लाने से मुद्रास्फीति का भय उत्पन्न हो जाता है। अविषसित देशो मे मुद्रास्फीति के कारण मूल्यो मे वृद्धि हो जाती है ऐसी दशा मे लोगो को अपनी आवश्यकताओं पर पहले मे अधिक खर्च करना पडता है परंतु उनकी आय मूल्य वृद्धि के अनुपात मे नही बढ़ती। इसलिए इस नीति का प्रयोग बहुत ही सतर्क होकर करना चाहिए। यदि इसका प्रयोग सतर्कतापूर्वक न किया गया तो यह 'उस प्रेमिका के रूप मे सावित होगी जो अपने प्रेमी को स्वयं उस जाती है।'

## संसाधनों का आवंटन

एक निजी उद्यमायित अर्थतंत्र में साधनों की कीमतों द्वारा विभिन्न उपयोगों तथा विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन का काम किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है कि अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि हो सके। सोवियत का वर्तमान संसाधनों के आवंटन में क्या योगदान हो सकता है, यह तनी जाना जा सकता है जब हम यह अध्ययन करें कि सरकार के मुख्य आय तथा व्यय की उत्पत्ति के साधनों पर क्या सापेक्षित प्रभाव पड़ता है। ऐसा अध्ययन करने के लिए हमें उत्पादित साधनों की एक दी हुई पूर्ति माननी होगी अर्थात् हम यह मान कर चलेंगे कि अम शक्ति तथा बचत का एक निश्चित स्तर है। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था में हम साधनों की पूर्ति की सोच शून्य मानकर चलेंगे।

संसाधन आवंटन के अध्ययन के लिए हमें करों के तुलनात्मक प्रभावों की दृष्टि में रचना होगा। इसका अध्ययन निम्नलिखित रूप में किसी एक कर के प्रभाव द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह भाग्यता भी हमारे लिए बड़ी हितकर साबित होगी कि करों में चाहे किसी प्रकार का भी परिवर्तन हो, सरकार का व्यय पूर्ववत् ही रहता है। दूसरे शब्दों में सरकार का व्यय उस समय अपरिवर्तित रहता है जबकि एक कर में वृद्धि तथा दूसरे कर में कमी कर दी जाती है। यदि हम भूमि कर या समान आय प्रदान करने वाले भवन कर या संसाधनों के आवंटन पर प्रभाव जानना चाहते हैं, तब हम यह मानकर चलते हैं कि सरकार का व्यय भी प्रत्येक उदाहरण में ठीक वैसे ही बदल जाता है। इस प्रकार वस्तुओं तथा साधनों के सापेक्षिक मात्राओं तथा मूल्यों में विरोधक परिवर्तन दोनों परों में परिवर्तन के प्रभाव के अन्तर्गत ही स्थिति बरेंगे।

### अध्ययन की रूपरेखा

प्रत्येक सरकार अपने कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करती है, व्यय करती है तथा धन एकत्र करती है। सरकार की इन क्रियाओं द्वारा संसाधनों के आवंटन प्रभावित होते हैं। इस विषय के अध्ययन की रूपरेखा निम्न बातों पर आधारित है



- (1) अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र में साधनों का अंतिम उपयोगों में वितरण ।
- (2) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सापेक्षिक आवटन ।
- (3) सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय का वितरण ।

प्रत्यक्ष कर वनाम अप्रत्यक्ष कर

करारोपण द्वारा ससाधनों का आवटन कई प्रकार से होता है । कुछ कर विशेष वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग को बढ़ाते हैं तथा कुछ कर विशेष वस्तुओं के उत्पादन को घटाते हैं । करारोपण से जिन वस्तुओं का उत्पादन घटता है ससाधन ऐसे उत्पादन से उस उत्पादन में स्थानांतरित हो जाते हैं जिसको कर से कुछ छूट मिली होती है ।


अनेक लेखकों की यह धारणा है कि ससाधनों के आवटन पर प्रत्यक्ष कर की तुलना में अप्रत्यक्ष कर का प्रभाव बुरा होता है, परंतु इस विचार का विश्लेषण करने से पूर्व हमें उन निर्धारित मान्यताओं का स्पष्टीकरण कर देना चाहिए जिन पर यह विवाद आधारित है । हम उत्पादन की उस स्थिति को मानकर चलते हैं जहां सीमांत लागत, सीमांत मूल्य के बराबर और उत्पत्ति के किसी भी साधन का पुरस्कार उसकी सीमांत परिशुद्ध उत्पत्ति के बराबर है अर्थात् जहां ससाधनों का आदर्श आवटन है । हम यह भी मानते हैं कि निजी लागत सामाजिक लागत तथा लाभ में कोई अंतर नहीं है । अतः हम संपूर्ण अर्थतंत्र में उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति की लोच भी शून्य मानकर चलते हैं ।

अब हम इस स्थिति में आ गए हैं जहां प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का साधनों के आवटन पर पड़ने वाले सापेक्षिक प्रभावों का अध्ययन कर सकें । अध्ययन को सरल बनाने के हेतु उन करों की विस्म भी निश्चित कर लेनी चाहिए जिनका तुलनात्मक प्रभाव हम ससाधनों के वितरण पर जानना चाहते हैं । अतः हम वस्तुओं पर लगाए गए अप्रत्यक्ष कर की तुलना एक ऐसे प्रत्यक्ष कर से करेंगे जो आय पर लगाया गया है यह अध्ययन उसी समय सफल हो सकता है जब अन्य बातें समान रहेगी ।

इसलिए हम यह मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति समाज में यथास्थिर रहती है, अर्थात् उसकी योग्यता, आय एवं रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता । साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि सरकार को दोनों प्रकार के करों से समान आय प्राप्त होती है तथा सरकार प्राप्त आय को उन्हीं वस्तुओं की समान मात्रा पर व्यय करती है । इस प्रकार दोनों करों के लगाने से जो प्रभाव पड़ सकता है उस अंतर को चित्र (7) द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।

मान लीजिए कि उपभोक्ता अपनी समस्त आय दो प्रकार की वस्तुओं X और Y, पर खर्च करता है । Y वस्तु की मात्रा खड़ी भ्रक्ष पर और X वस्तु की मात्रा पड़ी भ्रक्ष पर मापी गई है । उदासीन वक्र I, X और Y वस्तुओं के उस संयोग को दिखाती है जो व्यक्ति अपनी आय से प्राप्त कर सकता है । AB मूल्य अनुपात रेखा है जो X और Y वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों को दिखाती है । P<sub>1</sub> सतुलन बिंदु है । इस बिंदु से विचलित होने पर X और Y वस्तुओं का जो भी संयोग बनेगा वह कदापि उस संयोग से अच्छा नहीं हो जो P<sub>1</sub> बिंदु पर हमें उपलब्ध होता है ।

रखना बीजिए कि X वस्तु पर कोई कर लगाया जाता है जिसे X वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और मूल्य अनुपात रेखा AC हो जाती है। अब निचली उदासीन वक्र II पर  $P_2$  संतुलन बिंदु है।



चित्र 7

उत्पन्न उदाहरण में X पर जो कर लगाया गया वह अत्यल्प कर था। इस कर का दूसरा विकल्प आय कर भी हो सकता है। मान लीजिए आय कर लगाया जाता है। यह भी रखना बीजिए कि आय कर से भी सरकार को उतनी ही आय प्राप्त होती है जितनी पहले प्रकार के कर से होती है। ऐसी स्थिति में अब नई मूल्य अनुपात रेखा  $A'B'$  होगी, जो AB रेखा के समानांतर होगी। परंतु ऐसा तब ही होगा जब हम यह मान लें कि आय कर X और Y वस्तुओं के सापेक्ष मूल्यों को परिवर्तित नहीं करता। यह रेखा  $P_2$  बिंदु से होकर गुजरेगी। अब उपभोक्ता के लिए यह भी संभव हो सकता है कि वह X और Y वस्तुओं की वही मात्रा खरीदे जो उस समय खरीदता, अब X वस्तु पर कर लगाया। वह ऐसा कर सकता है क्योंकि आय कर लगाने के उपरांत उसने पाठ इतनी आय बच रही है। परंतु वह ऐसा नहीं करना चाहेगा। वह वस्तुओं के इस संयोग को प्राप्त करना चाहेगा जो उदासीन वक्र III पर स्थित  $P_3$  बिंदु पर प्राप्त होता है। यह स्थिति वक्र रेखा II से अधिक अच्छी है। इसलिए हम यह सकते हैं कि अत्यल्प कर की तुलना में प्रत्यक्ष कर का साधनों के आवंटन पर कम हानिपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

सामान्यतः इस प्रकार का तर्क अत्यल्प करों के हीन प्रभावों के दिखाने के लिए दिया जाता है। इस तर्क की जांच करने के लिए हमें दो बातों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।

- (1) उन दशाओं का अध्ययन जिनमें यह कर लगाए जाते हैं।
- (2) वे कर किस प्रकार के हैं?



बन्धु पर कर लगना तथा उसने मूल्य में वृद्धि होना है। उपभोक्ता बक्र II A'C रेखा को  $P_2$  पर स्थान करता है।  $P_2$  ही उपभोक्ता का मनुजन बिंदु है। परन्तु उत्पादक मूल्य रेखा वह नहीं होगी जिनमें कर सम्मिलित होगा। वह रेखा DE है। यह रेखा AB रेखा की तुलना में आधारभूतया अधिक बपटी होती जो इन धोर मन्दि बरती है कि कर का एक भाग उत्पादक द्वारा महन किया जाएगा।

इस प्रकार  $P_2$  उपभोक्ता एवं उत्पादक का दूसरा दोहरा मनुजन बिंदु है। क्योंकि बक्र II बक्र I से नीचे है इसलिए हम यह कह सकते हैं, एक विगिष्ट प्रकार का अप्रत्यक्ष कर प्रानुपातिक भायकर की तुलना में नसाधनों के भावटन पर बुरा प्रभाव डालता है।<sup>1</sup>

हमें उन परिस्थितियों का वर्णन करना चाहिए जिनमें X तथा Y बन्धुओं पर विगिष्ट कर की मनुपन्थिति में DE धोर A'C रेखाओं के दाल में अंतर उत्पन्न हो जाता है। सर्वप्रथम A'C तथा DE रेखाओं में उन समय विचलन होगा जब सीमांत निजी लागत तथा मूल्य में अंतर होगा। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ता बाजार मूल्य द्वारा अपने श्रम का नियमन करेगा धोर उत्पादक अपने उत्पादन को वहा समायोजित करेगा जहा सीमांत लागत सीमांत लागत के बराबर हो जाती है। सीमांत लागत (या सीमांत धाम) तथा मूल्य में वहा अंतर होगा जहा पूर्ण सडा नहीं होगी। यह स्थिति एकाधिकार तथा मूल्य विक्रेताधिकार की दशाओं में उत्पन्न हो जाती है। सीमांत लागत तथा मूल्य में जितना अधिक विचलन होगा उतना ही विचलन उत्पत्ति के साधनों के बान्धविक तथा इष्टतम भावटन में होगा। यदि किसी नो परिस्थिति में सीमांत लागत बन्धुओं के प्रानुपातिक मूल्य के बराबर धोर सीमांत विमुद उत्पत्ति साधन लागत के बराबर नहीं होती तब यह समझना चाहिए कि नसाधनों का भावटन भादर्थ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कर नसाधन भावटन की दशा को सुधारने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ए० धार० प्रेन्ट के मतानुसार, 'साविक सिद्धांत यह है कि साधनों का नियमन सुधारपाना निश्चय ही समभव है यदि उन उद्योगों पर करारोपन किया जाय जिनमें एकाधिकार का प्रश कर्म है क्योंकि इससे एकाधिकारमुक्त भयवा म्यून सडा के उद्योगों के पक्ष में साधनों का प्रसरण होगा। वैसी परिस्थितिमा हों तो वह दर्शाया जा सकता है कि इस प्रकार के लगाए गए परोक्ष कर भायकर की तुलना में साधनों के भावटन पर अच्छा प्रभाव डालेगा।'

### प्रत्यक्ष करों का साधन भावटन पर प्रभाव

इस विषय के बोध का प्रारम्भिक बिंदु इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक तथा निजी दृष्टिकोण से नसाधनों का भावटन इष्टतम है। नरधि भायकर में बटुव-नी म्पूरताएँ हैं जिसके कारण करारोपण के उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिलने में संदेह रहता है परन्तु यह निश्चित है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष कर विभिन्न उद्योगों में नसाधनों

1 A.R. Prest 'Public Finance in Theory and Practice', (1963) p 37

की पूर्ति पर विभेदात्मक प्रभाव डालते हैं। इस समस्या का अध्ययन हम दो प्रकारके करो के सापेक्षिक प्रभाव को ज्ञात करके करेंगे। वे हैं आनुपातिक आयकर तथा प्रतिव्यक्ति कर<sup>1</sup>।

### श्रम की पूर्ति

हम एक उदाहरण से यह ज्ञात करने की चेष्टा करेंगे कि प्रतिव्यक्ति कर की तुलना में आनुपातिक आयकर विभिन्न उद्योगों के मध्य श्रम की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बल्कि कीजिए कि श्रम दो उद्योगों A तथा B के मध्य बटा हुआ है। पहले उद्योग में मजदूरी की दर 10 रु० तथा दूसरे में 5 रु० प्रतिदिन है। B उद्योग की प्रपेक्षा A उद्योग में कार्य की दशाएँ इतनी दुख दायी हैं कि मजदूरी का वह अंतर श्रम को B उद्योग से A उद्योग में जाने से रोकने के लिए पर्याप्त है। B उद्योग में कार्य करने की दशा इतनी प्रसन्नदायक है कि श्रमिक 5 रु० कम लेकर भी इस उद्योग में कार्य करने को तैयार हो जाता है। यदि दोनों उद्योगों की मजदूरियों पर 20 प्रतिशत का प्रत्यक्ष कर लगा दिया जाए तो A और B उद्योगों में श्रमिकों की शेष आय 8 तथा 4 रुपए क्रमशः रह जाती है। अब मजदूरी का अंतर इतना नहीं है जो A उद्योग की अप्रसन्नदायक दशा की क्षतिपूर्ति कर सके। इसका यह परिणाम होगा कि श्रम A उद्योग से B उद्योग में स्थानांतरित होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु प्रतिव्यक्ति कर के द्वारा ऐसा नहीं होगा। यदि प्रत्येक श्रमिक पर 1 5 रु० का प्रतिव्यक्ति कर लगा दिया जाए तब A और B उद्योग में श्रमिकों का परिशुद्ध पुरस्कार क्रमशः 8 5 तथा 3 5 रु० रह जाएगा। ऐसी दशा में दोनों उद्योगों के श्रमिकों की मजदूरी में वही अंतर है जो इस कर के लगाने के पूर्व था। आनुपातिक आयकर की तुलना में यदि प्रगतिशील कर लगा दिया जाए तो विभिन्न उद्योगों में विशुद्ध मजदूरियों का अंतर और घट जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ प्रकार के आयकर ससाधनों को कुछ सीमा तक अवश्य स्थानांतरित करते हैं, उत्पादन को प्रभावित करते हैं तथा ससाधनों को इष्टतम आवंटन से विचलित करते हैं।<sup>2</sup>

### पूजी की पूर्ति

दूसरा महत्वपूर्ण साधन पूजी है। अब हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि क्या आनुपातिक कर पूजी की गतिशीलता पर विभेदात्मक प्रभाव डालते हैं—विशेष रूप से अधिक तथा कम जोखिमपूर्ण उद्योगों में। इस सदर्भ में हमें दो बातें जान लेनी चाहिए

(1) क्या ब्याजरोपण जोखिमपूर्ण उद्योगों में लाभ या हानि की भांसा में कोई परिवर्तन लाता है ?

(2) इन भांसाओं के परिवर्तन से विनियोगियों में क्या प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं ?

भविष्यतया सहन करने का विचार मुद्रा के उपयोगिता हास सिद्धांत पर

1 प्रतिव्यक्ति कर प्रत्येक व्यक्ति के हितों में आने वाली निश्चित आय पर लगाया जाता है।

2 A R. Prest, op cit, p 43

साधित है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को सरकारी प्रतिनूतियों तथा कर्मी के अर्थों में विनियोग करने के चुनाव या अधनर नियता है। सरकारी प्रतिनूतियों (जो खोजिन-रहित हैं) पर भी 4 प्रतिशत का लानाया तथा कर्मीयों के अर्थों (जो खोजिनपुक्त हैं) पर भी 4 प्रतिशत का लानाया मिलता है। यदि कर्मीयों के अर्थों पर 2 प्रतिशत लानाया के दटने-घटने को मनावनाए बराबर हों तब ऐसी स्थिति में तब व्यक्ति को 2 प्रतिशत की कृष्टि, पूजा को कर्मीयों के अर्थों में विनियोजित करने के लिए साधारण नहीं करती क्योंकि उसे यह नम बगुबर बना रहेगा कि वहीं लानाया 2 प्रतिशत में कम न हो जाए। इसलिए खोजिनपुक्त अर्थों में विनियोग करने के लिए सरकारी प्रतिनूतियों की तुलना में लानाया थोड़ा अधिक रहना होगा। हो सकता है कि साधारण खोजिनपुक्त विनियोगों के लिए नव्यमान माया का 6 प्रतिशत तथा अधिक खोजिनपुक्त विनियोगों के लिए 8 प्रतिशत का लानाया आवश्यक हो।

अब विचार बोजिए कि 50 प्रतिशत का आनुनातिक कर लगया गया है। ऐसा कर अधिक खोजिनपुक्त विनियोग के विपरीत विवेदात्मक व्यवहार करता है। इस प्रकार साधारण खोजिनपुक्त विनियोगों पर 2 प्रतिशत तथा अधिक खोजिनपुक्त विनियोगों पर 4 प्रतिशत की बढोतरी घट कर कमजोर । तथा 2 प्रतिशत नष्ट आयेगी। अब, यह निष्कर्ष निवाला जा सकता है कि आनुनातिक कर खोजिनपुक्त उद्योगों पर विरोधी प्रभाव डालते हैं।


### अप्रत्यक्ष करों का साधन आवंटन पर प्रभाव

मसाधनों के आवंटन पर अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव जल्दों की बही रीति है जो प्रत्यक्ष करों के सदृश में है। यहाँ भी हमारा अध्ययन कुछ साधारणतः पर आधारित होगा। प्रथम मान्यता यह है कि साधारण एवं निम्ने दृष्टिकोण में साधनों का आवंटन इष्टतम है। हम उपनोग की दस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों के सांकेतिक लानों का वर्णन करेंगे। तत्पश्चात् उपनोग की दस्तुओं पर लगाए जाने वाले करों की तुलना पूजीगत माल पर लगाए जाने वाले करों से करेंगे। इसके उपरान्त उन्हा विवेचन किया जाएगा कि विन्हा दस्तु पर एक विशिष्ट कर का क्या प्रभाव होता है।

#### विशिष्ट कर


यदि प्रत्यक्ष दस्तु की पूर्ति की लोच समान है तब कर उन दस्तुओं पर लगाने चाहिए जिनकी माग बेलोबदार है। ऐसी परिस्थिति में कर लगने से उन दस्तु का उपनोग कम नहीं होगा तथा साधनों का इष्टतम आवंटन नहीं दिखेगा। अन्त में बोजिए, दस्तुओं की माग की लोच में समानता है परतु पूर्ति की लोच में विभिन्ना है। पूर्ति शिथिल बेलोबदार होगी उन्हा ही साधनों के एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानांतरण की संभावनाए कम होंगी। ऐसी बेलोच पूर्ति वाली दस्तुओं पर अधिक कर बनुन किया जा सकता है। यह उद्योगों के इष्टतम आवंटन में कोई बिगाह नहीं आया। उन्मुक्त विचारों का स्पष्टीकरण विश्व उन्हा 9, 10 व 11 द्वारा किया जा सकता है।

$D_1$  रेखा अधिक बलोचदार तथा  $D_2$  रेखा अधिक लोचदार माग का दर्शाती है।  $S_1$  कर लगाने के पूर्व की रेखा है।  $S_2$  कर लगाने के पश्चात की रेखा है। प्रत्येक म  $ABCD$  जुटाए हुए कर की राशि है। जब माग अधिक बलोचदार है तब उपभोक्ता



चित्र 9

को  $ABCD + CBE$  अतिरेक को त्यागना पड़ता है और जब माग अधिक लोचदार है तब  $ABCD + CBF$  अतिरेक को त्यागना पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि अधिक लोचदार माग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक बलोचदार माग वाली वस्तुओं पर कर लगाने से कम अतिरेक त्यागना पड़ता है।




चित्र 10

चित्र 10 और 11 ठीक वैसे ही पूर्ति की विभिन्न दशाओं में उपभोक्ता की सापेक्षिक हानि का दर्शाते हैं। दोनों चित्र समान पैमाने पर खींचे गए हैं। दोनों में माग

की लोच समान है और कर भी समान जुटाया जाता है।

चित्र 10 में पूर्ति की पूर्णतया लोचदार दशा में करों की प्राप्ति की तुलना में जो हानि होती है वह CBE के द्वारा प्रदर्शित की गई है। चित्र 11 में पूर्ति अधिक बेलोचदार है।  $S_1$  तथा  $S_2$  का लव रूप में वही अंतर है जो चित्र 10 में है। GECD का क्षेत्रफल प्रतिरेक की श्रृंखलात्मक हानि को दर्शाता है जो ABCD कर प्राप्ति की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए प्रेस्ट ने कहा है 'उद्योग में वस्तुओं की पूर्ति जितनी बेलोचदार होगी उतने ही उमसे कम साघन स्थानांतरित होंगे, पूर्ति जितनी अधिक बेलोचदार होगी उतने ही साघन अधिक स्थानांतरित होंगे।'<sup>1</sup>



चित्र 11

### व्यय का सापेक्षिक प्रभाव

ससाधन आवंटन पर करों के प्रभावों का अध्ययन करने के पश्चात् अब हम यह ज्ञात करना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के समान राशि के राजकीय व्यय साधनों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। क्यों न हम प्रत्येक को दिए जाने वाले समान एकमुश्त राशि की तुलना उद्योग की विभिन्न शाखाओं की दिए जाने वाले विभेदात्मक उपादानों से करके देखें। यह तुलना ठीक वैसे ही है जैसे प्रति व्यक्ति कर तथा अप्रत्यक्ष कर के मध्य थी। यदि उपदान समान आधार पर वितरित किया जाए तब साधनों का उन उद्योगों में स्थानांतरण हो जाएगा जिन्हें ऐसे उपदान मिलें हैं। उपदान मिलने के कारण ऐसे उद्योगों में निधियता आ जाएगी और कार्यक्षमता भी घट जाएगी। हा, यदि यह उपदान सीमांत लागत के अनुपात में दिया जाए तब ऐसा नहीं हो सकता। यदि उपदान आय के अनुपात में दिया जाता है तब अधिक जीविम-पूर्ण तथा अनुचित उद्योगों में साधनों के अधिक स्थानांतरण की संभावनाएँ हो सकती हैं क्योंकि मान भी ऐसे ही उद्योगों में अधिक होते हैं।

1 A. R. Prest. op cit., p 52.



इम मस्य्या के सदरुं मे महत्त्वपूर्णुं बात यह जानने की है कि सारुवजनिक् तथा निजी क्षेत्र मे ससाधनो का आवटन किम प्रकार होता है। इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि सारुवजनिक् क्षेत्र का आकार क्या है ?

### सारुवजनिक् क्षेत्र का आकार

मसाधनो के इष्टतम आवटन की दृष्टि से सरकार का हस्तक्षेप उम क्षेत्र मे प्रदसनीय माना जाएगा जहा स्पर्द्धा अनुचित तथा एकाधिकार उचित समझा जाता हो। उदाहरणार्थ डाकघानो तथा परनालियो (Severage) के प्रवध के कुछ ऐसे कार्य हैं जो एव ही सगठन के अतर्गत मपन्न होने चाहिए। वसलिए ऐसे कार्यों के लिए माधनो का आवटन सरकार द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। जहा निजी व्यक्ति सामाजिक लागतो तथा सामाजिक लाभो की ओर ध्यान नरुं देता या जहा उपभोक्ता तथा उत्पादक इनकी परवाह नही करते वहा सरकार का हस्तक्षेप न्यायोचित होता है। शिक्षा इसका एक उदाहरण है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज मे रहने तथा कार्य करने के लिए एव न्यूनतम स्तर का ज्ञान तथा प्रशिक्षण आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इस न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने मे असमर्थ रहता है तो इससे उत्पन्न हानि का शिकार केवल व्यक्ति विशेष ही नही अपितु पूरा समाज होता है। एक अनुपढ कार चालक, जो यातायात के नियमों की अवहेलना के कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है, वह स्वय ही पीडित नही होता परतु दुर्घटना के दूसरे पक्ष को भी पीडित करता है। ऐसी सामाजिक हानियो को रोक्ना सरकार का कर्तव्य होता है। इसलिए ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार को वित्तीय साधनो का एक भाग सुरक्षित रखना चाहिए।

सरकार को ऐसे लोगो को भी वित्तीय सहायता करनी होनी है जो अपनी भलाई-बुराई को नही समझते। उदाहरण के लिए कानून द्वारा छोटे बच्चो को रोजगार से मुक्ति दिलाना तथा उन्मत्तो को राजकीय सहायता प्रदान करना सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। ऐसे कार्य राजकोपीय या गैर राजकोपीय त्रियाद्यो द्वारा वहा तक सम्पन्न किए जा सकते हैं, इस सबध मे कोई निश्चित सिद्धात नही है।

### सारुवजनिक् क्षेत्र मे व्यय का वितरण

आवटन के प्रतिम रूप मे हमे यह जात करना है कि सपूर्ण राजनैतिक क्षेत्र मे विभिन्न वस्तुओ और सेवाओ के मध्य सारुवजनिक् व्यय का वितरण किस सिद्धात के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उत्तर मे यही कहा जा सकता है कि सारुवजनिक् व्यय की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि सामाजिक लाभ अधिकतम हो। यदि कुल व्यय मे बिना कोई परिवर्तन किए व्यय के प्रारूप को पुनर्व्यवस्थित करके सरकार जनसख्या के कुल लाभ को बढ़ाने मे समर्थ हो जाती है तब यह कहा जा सकता है कि ससाधनो का आवटन इष्टतम बिंदु तक पहुच गया है। परतु यहा भी व्यय की प्राथमिकता का निर्धारण पूर्णरूपेण आर्थिक सिद्धातो द्वारा निर्धारित नही हो सकता। राजनैतिक कारक यहा भी अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे।

### कर प्रशासन तथा ससाधन आवंटन

यदि सार्वजनिक आय का अधिक भाग कर प्रशासन पर ही ध्येय कर दिया जाए तो ससाधन आवंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वही ससाधन जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में लाभपूर्वक प्रयुक्त हो सकते थे, वे कर प्रशासन में ही खिलीन हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि कर-प्रणाली सरल और मिनव्ययी होगी तो ससाधनों का इष्टतम प्रयोग हो सकेगा।

ऐसे ही कर वचना ससाधनों के आवंटन को बिगाड़ती है। माघारणतया कर वचना की मभावनाएँ बहा अधिक होती हैं जहा आय की मयार्थता प्रमाणित नहीं हो पाती। ऐसे उद्योग अन्य उद्योगों की तुलना में अधिक आवृत्त हो जाते हैं। परिणाम-स्वरूप आर्थिक ससाधन ऐसे उद्योग में आकृष्ट हो जाते हैं जहा कर वचना की मभावनाएँ अधिक होती हैं। ससाधनों का ऐसा स्थानांतरण सामाजिक दृष्टि से हितकर सिद्ध नहीं होता।

## लोकव्यय

उम्मीदावकी सतताबद्दी में लोकवित्त दाम्निथी न सार्वजनिक व्यय की बहुत कम महत्त्व प्रदान किया था तथा उनका ध्यान सार्वजनिक भाग पर ही केंद्रित था क्योंकि उक्त समय राज्य के कार्य ही बहुत कम थे। परंतु अब राज्य तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं की गतिविधियाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जर्मन अर्थशास्त्री एडाल्फ वेग्नर ने अपने प्रतिष्ठित नियम 'राज्य के कार्यकानापो में वृद्धि के नियम' की ध्यास्या इन प्रकार की है।

'विभिन्न देशों और विभिन्न भागों की तुलनाओं से पता चलता है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में—और हमारा मस्य केवल ऐसे ही राष्ट्रों से है—केंद्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों के कार्यकलाप में बराबर वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि विस्तृत और गहन दोनों प्रकार की है। केंद्रीय और स्थानीय सरकारें नए कार्य हाथ में लेती जाती हैं और पुराने कार्यों को और अधिक गुणवत्ता और पूर्णता के साथ संपन्न करती हैं। इस प्रकार केंद्रीय और स्थानीय सरकारें जनता की आर्थिक आवश्यकताओं को अधिक परिमाण में और अधिक सतोपजनक ढंग से पूरा करती हैं।' हाल में अपनी पुस्तक<sup>1</sup> में पीकाव तथा वाइजमेन ने इस बात को ज्ञात किया है कि वेग्नर नियम अब भी कार्य करता है, परंतु उनके अनुसार व्यय का बढ़ना आय की वृद्धि से कारण होता है। सार्वजनिक व्यय स्वयं अनेक प्रकार से आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए लोकव्यय, उसके कारणों, सिद्धांतों तथा प्रभावों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

वर्तमान युग में लोकव्यय को दो कारणों से काफी महत्त्व प्राप्त हुआ है। प्रथम तो, इसलिए कि आजकल राज्य की आर्थिक क्रियाओं में अनेक प्रकार से वृद्धि हो गई है और दूसरे, अब यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि किमी भी देश के आर्थिक जीवन पर—अर्थात् उत्पादन, वितरण और आर्थिक क्रियाओं के सामान्य स्तर पर लोकव्यय की प्रकृति व मात्रा का भारी प्रभाव पड़ सकता है।

1 E. J. Hilscock 'Selected Readings in Public Finance', (3rd ed.), New York, Ginn, (1924), p 32 ff

2 Peacock and Wiseman 'The Growth of Public Expenditure in the United Kingdom'

## लोकव्यय में वृद्धि के कारण

आधुनिक काल में लोकव्यय में जिन कारणों ने वृद्धि हुई है उनका संक्षेप में वर्णन नीचे किया गया है।

### (1) आवश्यकताओं की सामूहिक सतुष्टि

आधुनिक युग में ऐसी घनेक आवश्यकताएँ हैं जिनकी सतुष्टि पहले निजी व्यय द्वारा की जाती थी परन्तु अब लोकव्यय द्वारा सामूहिक रूप से उनकी पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए नगर परिवहन, विद्युत और जल-पूर्ति आदि ऐसी ही आवश्यकताएँ हैं। इनकी व्यवस्था यदि व्यक्तिगत श्रमदा प्रतिभोगिता के आधार पर की जाए तो न तो वे मितव्ययी होगी और न ही सुविधाजनक। यदि यही सेवाएँ लोक सत्ताया, जैसे कि सरकार, निगम श्रमदा नगरपालिका द्वारा पूरी की जाए तो इसमें होने वाले व्यय को रोका जा सकता है साथ ही बड़े पैमाने पर एवापिनारी उत्पादन के साम प्रान्त लिए जा सकते हैं।

### (2) कल्याणकारी राज्य की स्थापना

आज इस बात का दावा किया जा सकता है कि सरकार की क्रियाओं का निरंतर विस्तार हुआ है। जहाँ प्राचीन समय में सरकारें अपने को विदेशी प्रतिरक्षा की समन्वयाओं तथा कानून तथा व्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित रखती थीं वहाँ अब उन्हें घनेक ऐसे कार्यों तथा सेवाओं को सपन्न करने का उत्तरदायित्व ले लिया है जो कि प्राचीन समय में सपन्न नहीं किए जाते थे। उन्नत देशों में भी सरकारी क्षेत्र तथा सगठन का महत्व तथा उनका विस्तार इसलिए अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस सताब्दी के मदी काल में गैर सरकारी क्षेत्र के कार्य सपादन में बड़ी गनीर कमिया पाई गई हैं। आज ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसे सरकार अपने हाथ में न ले सकती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वह प्रवेश न कर सकती हो। राज्य की क्रियाओं में वृद्धि का मूल कारण यह है कि निछते 100 वर्षों की अवधि में वे मूलभूत उद्देश्य एव लक्ष्य ही बदल गए हैं जिनके लिए राज्य की स्थापना होती है। 19वीं सताब्दी का मुख्य एव मूल रूप एक पुनिम राज्य या जिनका मुख्य कार्य नागरिकों की विदेशी हमला से रक्षा करना तथा देश के अंदर कानून व व्यवस्था की स्थापना करना था। परन्तु पुनिम राज्य की इस पुरानी विचारधारा का स्थान अब 20वीं सताब्दी की कल्याणकारी राज्य की विचारधारा ने ले लिया है जिसका मूल लक्ष्य अपने नागरिकों का आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक कल्याण करना है। राज्य की प्रवृत्ति एव उद्देश्य में भारी परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप आधुनिक सरकारें अब यह समझती हैं कि देश के आर्थिक एव सामाजिक जीवन में सुधार के अनिवारिक उनका आधारभूत कार्य व्यावसायिक चर्चों को समाप्त करना, देश में पूर्ण रोजगार की दशाएँ उत्पन्न करना तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर का ऊँचा उठाना भी है, इस प्रकार राज्य की मूलभूत विचारधारा में भी परिवर्तन हो गया है जिनके फलस्वरूप नए-नए कार्य सपन्न किए जा रहे हैं। इससे लोकव्यय में वृद्धि हो रही है।

### (3) प्रतिरक्षा व्यय

प्रतिरक्षा व्यय निरंतर बढने पर है। इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। इस व्यय में युद्ध और युद्धों के बीच के काल में सैनिकों, सामान और देखभाल पर होने वाला व्यय ही नहीं अपितु भोजन से लौटे जवानों के पंशन और प्रशदान तथा युद्ध के हेतु लिए गए ऋण का ब्याज भी शामिल है। युद्धकाल में भ्रूसैनिक भवव्यवस्था पर नियन्त्रण और उसने लिए सहायक भ्रूसैनिक व्यय भी प्रतिरक्षा व्यय में सम्मिलित होते हैं।

युद्धकला एवं विज्ञान में इन तेजी से प्रगति हुई है कि युद्ध के उपकरण अत्यधिक महंगे हो गए हैं। साथ ही नित्य प्रति आविष्कारों के कारण युद्ध सामग्री जल्दी पुरानी पड जाती है। युद्ध में हुए घायल सैनिकों एवं उनके परिवारों की देखभाल तथा बोनास शिक्षा एवं पुनर्वास के रूप में उन्हें सहायता देने के सबंध में सरकार के उत्तरदायित्वों के कारण युद्ध में होने वाले व्यय बहुत बढ गए हैं।

उचित प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए प्रहार करने की क्षमता वाली विशाल सैन्य शक्ति तथा ऐसी सेना की आवश्यकता है जो शत्रु का मुहत्तोजवाब दे सके और आधुनिक उपकरणों से सज्जित हो। एक अनुमान के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी संपूर्ण घाय का लगभग 85 प्रतिशत भाग केवल प्रतिरक्षा पर व्यय करता है जिसमें सेवा निवृत्त होने वाले सैनिकों के भुगतान, अनुशक्ति की खोज, विदेशी सहायता और युद्ध के हेतु लिए गए ऋणों का ब्याज भी सम्मिलित है।

### (4) शहरों का बसना

जनसंख्या का शहरों की ओर झुकाव होना भी लोकव्यय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। इससे फलस्वरूप कार्यों की गहनता और व्यापकता दोनों बढ जाती हैं। शहरों के बसने के कारण स्थानीय (और अ य) सरकारों के परंपरागत प्रशासन कार्यों में प्रति व्यक्ति व्यय बढा ही है क्योंकि ये कार्य घनी आबादी से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए घनी आबादी के कारण पुलिस, सडक या सावजनिक शिक्षा संबंधी कार्यों को एक मामूली स्तर पर पूरा करना असंभव हो जाता है। पुलिस का कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए अत्यधिक कुशल और बढ विभाग की आवश्यकता पडती है। प्राविधिक तथा प्रयोगात्मक स्कूलों आदि के लिए सावजनिक शिक्षा काय भी विशेष महत्व का हा जाता है। अपेक्षाकृत अच्छी सडक की जरूरत होती है। यातायात नियन्त्रण नितात आवश्यक हो जाता है और मरम्मत भी जल्दी-जल्दी करनी पडती है।

शहरी जीवन की परिस्थितियों के कारण सरकार पर अतिरिक्त दायित्व आ जाते हैं। जहां जनसंख्या दबाव अधिक हो, वहां नए काय हाथ में लाने पडते हैं। स्थानीय सरकार को सावजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की ओर अधिक ध्यान देना पडता है। शहरों के जीवन के कारण सरकार पर निम्नलिखित दायित्व आ जाते हैं—घाघ पदार्थों का निरोक्षण, उनके वितरण की व्यवस्था, अच्छे जन-स्वास्थ्य के लिए प्रयत्न तथा वायुक्रम, अस्पतालों का निर्माण तथा उनकी देख भाल, आदि।

### (5) मदी से उत्पन्न बायं

मन् 1930 से प्रारम्भ होने वाले दशक में सरकारों के स्वीकृत बायों की मूची में भारी वृद्धि हुई है। मदी में प्रभाविन क्षेत्रों में कुछ नये उत्तरदायित्व स्वीकार किए गए, जैसे कि उद्योग, कृषि तथा जन-वल्याण आदि। मार्शजनिब बायों तथा योजनाओं पर किया जाने वाला सरकारी व्यय बड़ी मरुता में लागों की राजगार नौ प्रदान करता ही है, साथ ही वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ण में भी उल्लेखनीय वृद्धि कर देना है जिससे प्राथिक गतिविधियों के स्तर को ऊपर उठाने में महायता मिलती है।

### (6) आर्थिक नियोजन

आर्थिक नियोजन वर्तमान घताब्दी की एक प्रमुख धारणा है। प्राथिक नियोजन के अतर्गत देश के उपलब्ध साधनों का इस प्रकार नियोजित ढंग से शोषण किया जाता है तथा अर्थव्यवस्था का इस प्रकार बहुमुखी विधान किया जाता है कि जिससे नागरिकों का जीवनस्तर ऊचा हो तथा राष्ट्रीय ममृद्धि एव खुशहाली में अभिवृद्धि हो। आर्थिक नियोजन की केंद्रीय व्यवस्था के अतर्गत विभिन्न विधायनीय योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को अपार धनराशि व्यय करनी पडती है। देश में उपलब्ध साधनों के अलावा हिनार्य प्रबधन तथा विदेशी ऋण भी लेने पडते हैं। इनके परिणामस्वरूप सरकारी व्यय में वृद्धि होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता है।

### (7) मूल्यस्तर में वृद्धि

लोकव्यय में वृद्धि का एक दूसरा कारण भी है। वह है मन् 1939 के उपरांत जगह-जगह मूल्यस्तर का ऊचा उठना। जहा तक किमी देश की सरकार का मवध है मूल्य-स्तर में वृद्धि के दो महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं—एक, सरकार को उन मनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए ऊर्ची कीमत अदा करनी पडती है जिन्हें कि वह खरीदती है। दूसरे, अपने बढते हुए व्यय को पूरा करने के लिए उसे अधिक मात्रा में वित्तीय साधनों की खोज करनी पडती है। कुछ सीमा तक तो बढा हुआ सरकारी खर्च स्वयं एक ऐसा तथ्य है जो कि कीमतों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है।

### (8) जनसख्या में वृद्धि

मसार के लगभग सभी देशों में जनसख्या निरंतर बढती जा रही है। विश्व म्वास्थ्य मण्डल का अनुमान है कि मसार की जनसख्या पिछले 40 वर्ष में 155 करोड से बढकर 350 करोड से भी अधिक हो गई है। मसार में जनसख्या मन् 1872 में 20 करोड की ओ बढकर मन् 1971 में लगभग 55 करोड तक पहुच गई। जनसख्या की वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जन-स्वाम्य, मडकों का विकास, मार्शजनिब शिक्षा आदि के प्रबध पर तथा अन्य मदीं पर सरकारी व्यय बढ जाते हैं।

### (9) उद्योगों का समाजीकरण तथा राष्ट्रीयकरण

ममाजवादी विचारधारा का विकास होने के कारण आजकल सरकार विभिन्न उद्योगों का समाजीकरण एव राष्ट्रीयकरण करने की नीति का अनुकरण कर रही है। भारत में जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण करने के उपरांत मन् 1969 में 14 बडे व्यापारिक

बैंको का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण विए जाने के फलस्वरूप सरकार को उनकी क्षतिपूर्ति करने एव उनका संचालन करने के हेतु विशाल धनराशि व्यय करनी पडती है। इनके परिणामस्वरूप भी सरकारी व्यय में वृद्धि होती है।

### (10) लोकतंत्रीय सस्थाए

लोकव्यय में वृद्धि का एक कारण ग्रौर भी है जो यद्यपि राज्य की क्रियाओं में वृद्धि के वेग्नर के नियमों से तो प्रत्यक्षरूप से संबधित नहीं है परंतु सरकारी खर्च पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह कारण है, लोकतंत्रीय सस्थाओं का अधिकाधिक उपयोग। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्य को राज्य के औपचारिक प्रधान पर व्यय करना होता है तथा केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तरों पर विधानमंडलों एव सस्थाओं पर भी खर्चों की व्यवस्था करनी होती है। इसके अतिरिक्त सरकारों को ससार के सभी देशों से राजनयिक तथा वाणिज्यिक संबंधों को भी बनाए रखना होता है। यही नहीं, अधिकांश राज्य सयुक्त राष्ट्रसंघ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष तथा विश्वबैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मगठनों के सदस्य हैं जिनके कारण वार्षिक चर्चे के अलावा स्थानीय प्रतिनिधियों तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि पर भी व्यय करने होते हैं।

स्पष्ट है, उपरोक्त कारणों से भी लोकव्यय की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह प्रवृत्ति किसी एक देश तक सीमित नहीं है, अपितु ससार के लगभग सभी देशों में लोकव्यय के बढ़ने की प्रवृत्ति है। भविष्य में भी इसके घटने की कोई संभावना नहीं है, यद्यपि किसी वर्ष विशेष में लोकव्यय कम हो सकता है।

### लोकव्यय की सीमाए

धर्मशास्त्रियों के लिए यह कहना कठिन है कि लोकव्यय का कितना भाग लोकव्यय के लिए उपयुक्त हो सकता है। लोकव्यय की सीमा किमी समाज की आवश्यकताओं तथा राज्य द्वारा इन आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा द्वारा निर्धारित होती है। वस्तुतः लोकव्यय की सीमा किसी देश की आर्थिक संपन्नता तथा प्रगति, जनसंख्या के आकार तथा गुण और नागरिकों की राज्य पर निर्भरता एव उनकी कर देय क्षमता पर निर्भर करती है। प्रो० व्यूहलर के मतानुसार, 'कुछ व्यक्तियों को लोकव्यय की बढ़ती हुई प्रवृत्ति एक आपत्ति दिखाई देती है, कुछ व्यक्तियों के लिए यह प्रसन्नता का कारण होती है और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इस सबंध में तटस्थ रहना चाहते हैं। राष्ट्रीय धन का कोई भी प्रतिशत लोकव्यय के लिए निश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सीमा समाज की अभिलाषाओं तथा आवश्यकताओं पर लोकव्यय के प्रभावों तथा उसे पूरा करने के लिए साधनों पर तथा उपलब्धताओं और वितरण पर, आर्थिक विकास की प्रगति तथा ऐसे ही अन्य कारणों पर निर्भर करती है। किसी समय विशेष में किसी राज्य विशेष का वार्षिक व्यय के लिए व्यय का औचित्य ही वास्तविक समस्या है।'<sup>1</sup> सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य के लिए लोकव्यय की यही सीमा उत्तम है जो समाज को अधिकतम लाभ प्रदान करे। इसी मद्देन में डाल्टन

1 Alfred Beuhlar 'Public Finance', p 87

का मत है, 'लोकव्यय को उस सीमा तक ले जाना चाहिए जहाँ सभी दिशाओं में होने वाले व्यय से उत्पन्न सीमांत सामाजिक लाभ समान हों और उन सभी सीमांत सामाजिक क्षति के योग के बराबर हों जो कि राजकीय आय के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार से साधनों के जुटाने से उत्पन्न होती है। सरकारी व्यय के सभी लाभ पूर्णतया या अंशतया अधिक नहीं हैं, तथापि उनमें से अधिकांश के प्रभाव आर्थिक होते हैं और आर्थिक लागत सभी में होती है।

यद्यपि लोकव्यय अनेक मर्दानों पर किया जा सकता है तथापि कुछ वित्त-शास्त्रियों ने लोकव्यय सबसे नीति को निर्धारित करने वाले तत्त्वों का वर्णन किया है। वे तत्त्व हैं (1) सुरक्षा व्यय, (2) मानव व्यवस्था पर व्यय, (3) सामाजिक कार्यों पर व्यय, (4) व्यापारिक कार्यों पर व्यय तथा (5) राष्ट्रीय निर्माण कार्यों पर व्यय। सब कहा जाए तो लोकव्यय की समुचित सीमा के रूप में राष्ट्रीय आय के किसी निश्चित प्रतिशत का निर्धारण सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सीमा सापेक्षिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः ऐसे देश में जहाँ जनसंख्या का परिमाण अधिक है और आर्थिक विवाध की गति धीमी रही है, वहाँ पर सरकार को अपेक्षाकृत अधिक व्यय करना चाहिए। जहाँ सरकार के प्रति जनता का विश्वास कम है और नागरिकों की बर-देय क्षमता अधिक नहीं है तो आय के घनाद के कारण ऐसे देश में लोकव्यय का परिमाण कम ही होगा।

### लोकव्यय के परिनियम तथा सिद्धांत

प्राधुनिक युग में सार्वजनिक व्यय इतना अधिक बढ़ गया है और निरंतर बढ़ता जा रहा है कि वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में सर्वा का विषय बन गया है। जो लोग इस व्यय का समर्थन नहीं करते उनके मत में सार्वजनिक व्यय घन का अपव्यय है। किंतु इन प्रकार की झगड़ों को दूर करने के लिए यह सिद्ध हो चुका है कि सार्वजनिक व्यय के क्षेत्र में अनुचित बातों की सम्भावना हो सकती है। फिर भी सरकार सामान्य सिद्धांत के आधार पर ही सार्वजनिक व्यय करती है। डा० फ्रिडले शिराज ने अपने ग्रन्थ 'दि साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस' में सार्वजनिक व्यय के संबंध में चार सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो निम्न प्रकार हैं

{1} लाभ प्रतिनिधित्व, {2} स्थितिव्यय का प्रतिनिधित्व, {3} स्वीकृति प्रतिनिधित्व तथा {4} आर्थिक परिनियम। इन चार परिनियमों के अतिरिक्त प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय के संबंध में अज्ञात सिद्धांत और प्रतिपादित किए हैं (1) लोक परिनियम, (2) उत्पादन परिनियम, (3) समान वितरण परिनियम।

#### (1) लाभ परिनियम

यह परिनियम सार्वजनिक व्यय का सर्वोत्तम परिनियम है। इसकी व्याख्या करते हुए प्रो० शिराज ने कहा है कि इतना 'उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है।' इस परिनियम के अनुसार (1) सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए जिससे कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। (2) सार्वजनिक व्यय इस प्रकार



होना चाहिए कि उसका देश के उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़े तथा उत्पादन वृद्धि हो। (3) व्यय किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, वरन् सपूर्ण समाज के लिए होना चाहिए। (4) सार्वजनिक व्यय किसी नीति या परंपरा द्वारा बाध्य होना चाहिए।

डाल्टन के अनुसार, 'सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दिशा में इस प्रकार होना चाहिए कि किसी एक दिशा में तनिक-सी वृद्धि होने से समाज को प्राप्त होने वाला लाभ उस हानि के बराबर हो जाए जो कर की मात्रा में तनिक-सी वृद्धि के कारण होता है और अन्य किसी स्रोत से राजकीय आय को होती है। यही सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय (भागम) का आदर्श होना चाहिए।' पीगु के अनुसार, 'व्यय को सभी दिशाओं में उस बिंदु तक बढ़ाना चाहिए जहां व्यय की अतिम इकाई से प्राप्त मनुष्यिक उस अतिम इकाई की समुचित के बराबर हो जो सरकारी सेवा आदि पर व्यय की जाती है।'

संक्षेप में, सार्वजनिक व्यय के समय बंधनम के परिनियम अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख का पालन करना चाहिए।

### (2) मितव्ययता परिनियम

इस परिनियम के अनुसार सरकार को केवल आवश्यक व्ययों पर ही व्यय करना चाहिए तथा उसको कोई भी व्यय ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे किसी प्रकार सामाजिक या आर्थिक लाभ प्राप्त न हो। मितव्ययता का अर्थ कृपणता से नहीं लिया जाना चाहिए। मितव्ययता का अर्थ यही है कि राज्य को द्रव्य का व्यय करते समय उसी प्रकार की सावधानी से काम लेना चाहिए जिस प्रकार की सावधानी कोई व्यक्ति अपने धन को निजी कार्यों में व्यय करते समय रखता है। किसी भी स्थिति में अपव्यय नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार को निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए जैसे (अ) किसी भी मद पर आवश्यकता से अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, (ब) सार्वजनिक व्यय इस प्रकार करने चाहिए जिससे कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, (ग) धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए, तथा (द) सरकार को व्यय के अतिम परिणामों और प्रभाव की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

### (3) स्वीकृति परिनियम

इस परिनियम का अर्थ है कि यदि किसी भी प्रकार के सार्वजनिक व्यय को करने से पूर्व उसकी स्वीकृति अधिकृत अधिकारियों से अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस नियम में निम्न मुख्य बातें सम्मिलित हैं। (अ) व्यय करने से पहले उचित अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। (ब) द्रव्य की जितनी मात्रा व्यय करने की स्वीकृति मिली हो, उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। (ग) जिस कार्य के लिए द्रव्य व्यय करने का अनुमति मिली है, उसी कार्य पर व्यय करना चाहिए। (द) व्यय करने का रकम के हिसाब-किताब का उचित अन्वेषण (Auditing) होना चाहिए। (घ) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस राशि से अधिक व्यय करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, जितना कि उसे स्वयं अधिकार है। (च) ऋणों द्वारा लिया हुआ धन केवल

उन्हीं बायों पर खर्च करना चाहिए, जिनके लिए वह प्राप्त किया जाता है। तथा (त) ऋण को उचित समय पर लौटाने के लिए धोषण कोप धन्य आवश्यक प्रबंध भी करना चाहिए।

#### (4) आधिक्य परिणियम

इस परिणियम का अर्थिप्राय यह है कि सरकार को धनना आय-व्यय अनुमित रखना चाहिए ताकि घाटे की वित्त व्यवस्था करनी न पड़े।

फिन्डले गिराज के अनुसार राजकीय सुन्याओं को धननी प्राय की प्राप्ति एक व्यय साधारण व्यक्तियों के अनुसार करनी चाहिए। व्यक्तिगत व्यय के समान अनुमित बजट की नीति को अपनाना चाहिए। इस संबंध में सन् 1920 में प्रो० गिराज ने धननी पुस्तक में ब्रुसेल्स के अंतर्राष्ट्रीय वित्त सम्मेलन के एक प्रस्ताव को इस प्रकार व्यक्त किया है

‘वह देश जो घाटे के बजटों की नीति को स्वीकार करता है, फिन्डले वाले मार्ग पर चलता है जो सर्वनाश की ओर से जाता है। उन मार्ग से बचने के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं है।’

म्लेटस्टन ने इसी प्रकार लिखा है, ‘नविष्य के नाश, जाति एक गदबदी से बचने के लिए बजट में अनुतुलन होना आवश्यक है।’

उपरोक्त विचार ठीक भी है क्योंकि घाटे के बजट से ऋण का भार जनता पर बढ़ जाता है और देश तथा विदेशों में सरकार का विश्वास कम हो जाता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि घाटे का बजट बनाना हमेशा अवाहनीय है। आर्थिक नियोजनकाल में घाटे के बजटों द्वारा आर्थिक क्रियाओं के स्वर को ऊंचा किया जा सकता है। इसी प्रकार युद्धकाल में भी सरकार का काम बिना घाटे के बजट बनाए नहीं चल सकता। आधिक्य बजट भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऐसे बजटों से जनता के मस्तिष्क में यह विचार आने लगता है कि उन पर अधिक कर लगाए जा रहे हैं।

अतः अवसादकाल, आर्थिक नियोजन काल तथा युद्ध के समय घाटे के बजट मुद्रा-स्फीति में आधिक्य बजट और सामान्य परिस्थितियों में अनुतुलित बजट बनाना चाहिए।

प्रो० गिराज के उक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में अप्रामाणिक सिद्धांत और प्रतिपादित किए हैं

#### (1) लोच परिणियम

इस सिद्धांत का यह अर्थिप्राय है कि सार्वजनिक व्यय में पर्याप्त लचक होनी चाहिए अर्थात् आवश्यकताओं और परिस्थिति के अनुसार व्यय में आवश्यक परिवर्तन करना सम्भव होना चाहिए क्योंकि सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यय का सामान्य ढांचा लचीला हो। प्रायः देखा गया है कि कभी-कभी सरकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि उन पर विजय पाने के लिए सार्वजनिक व्यय में एक दम कमी या बृद्धि करनी पड़ती है। व्यय को बढ़ाना तो बहुत

सरल होता है परन्तु उसे घटाने में बड़ी कठिनाई होती है। सरकार आय के नवीन साधन खोजती है, लेकिन साधनों को खोजने की एक सीमा होती है जिससे आगे आय नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके अतिरिक्त इन साधनों को खोज कर आय बढ़ाने से समाज पर कभी-कभी बुरे प्रभाव भी पड़ जाते हैं।

अतः इन सभी दृष्टियों से अर्थशास्त्रियों का मत है कि सार्वजनिक व्यय में यथेष्ट लोच बनाए रखना चाहिए और यथासंभव व्यय एक साथ न बढ़ाकर धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए तथा इस प्रकार व्यय एक साथ कम न करके धीरे-धीरे कम करना चाहिए ताकि माधारण जनता में असंतोष न फैल सके। ब्यूहलर ने लिखा है 'सार्वजनिक व्यय के परिणामों का अनुमान लगाते समय हमें उन परिणामों की ओर भी ध्यान देना होगा जो इस व्यय की पूर्ति करने के संबंध में करारोपण अथवा आय के अन्य उपयोगों के परिणामस्वरूप सामने आ सकते हैं।' अतः सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि उसमें समयानुसार परिवर्तन किए जा सकें तथा सामाजिक हितों को भी क्षति न पहुंचे।

## (2) उत्पादक परिणियम

इस सिद्धांतानुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार का होना चाहिए जिससे देश में नये-नये उद्योगों की स्थापना हो, रोजगारों में अक्सरी में वृद्धि हो तथा जनता के जीवनस्तर का विकास हो। यदि सरकार सीधे-सीधे उत्पादन पर व्यय नहीं भी करती तो भी इस प्रकार व्यय किया जाना चाहिए कि देश का अर्थतंत्र सुदृढ़ता की ओर अग्रसर हो और उत्पादन संबंधी क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। यदि जनता सतोष का अनुभव नहीं करती और उसके जीवनस्तर में समुचित विकास नहीं होता तो सार्वजनिक व्यय का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। हेंसल ने इस संबंध में अपने विचार लिखे हैं 'कोई भी आधुनिक राष्ट्र बिना सामाजिक और सार्वजनिक जीवन सेवाओं में वृद्धि किए हुए अपने वर्तमान रूप तथा बहुमुखी जीवनस्तर को उपलब्ध नहीं कर सकता।'।

यह सर्वविदित है कि पिछली शताब्दी में सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सामाजिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय अनुत्पादक माना जाता था क्योंकि इन व्यय से प्रत्यक्ष उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। परन्तु इस शताब्दी के प्रारंभ से ही इस धारणा को परित्याग कर यह माना जाने लगा है कि सुरक्षा व्यय, शांति व्यवस्था पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना इनके उत्पादन कार्य असंभव है। लेकिन परोक्ष रूप से इनके द्वारा उत्पादन में निश्चित वृद्धि होती है। जिस व्यय से पूंजी निर्माण तीव्रतर होता है, बेकारी की समस्या हल होती है, उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और सामाजिक हित पूरे होते हैं, वे व्यय निश्चित रूप से उत्पादक हैं। सामाजिक सेवाओं से मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ती है, अतः उन पर किया गया व्यय अनुत्पादक नहीं कहा जा सकता।

## (3) समान वितरण परिणियम

इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जो

संपूर्ण जनता के लिए बल्पाणमय हो और जिसने धन के वितरण की अनुमानता कम हो। वितरण की इस विषमता का दूर करने के लिए संपत्ति का समान वितरण किया जाना चाहिए। ऐसी नीति को, जिसने गरीब अधिक गरीब तथा श्रीर अधिक श्रीर होने जाए, सार्वजनिक व्यय नीति में कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। अतः सरकार को इन बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी पर्याप्त लोक-व्यय किया जाए ताकि वे भी विकसित क्षेत्रों के समतल प्राप्त करें। जहाँ आर्थिक नियोजन द्वारा आर्थिक विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं वहाँ इन बात पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि धन का समान वितरण हो। राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धनी लोगों से प्रगतिशील करों द्वारा अधिकाधिक धन प्राप्त करता है और निर्धन लोगों के हितों के लिए निम्नूल्व शिक्षा, चिकित्सा, आवास-व्यवस्था, मनोरंजन के कार्यों की व्यवस्था आदि करता है ताकि निर्धन जनता का जीवनस्तर ऊँचा होने में सहायता मिल सके।

#### (4) समन्वय परिनियम

इस परिनियम के अनुसार देश की विभिन्न स्तरीय सरकारों की वारन्वारिक परामर्श करके व्यय निर्धारित करना चाहिए। गिन देशों में सघातनक प्रथम-तन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है उनमें विभिन्न प्रकार की सरकारें स्थापित होती हैं—राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार, राज्यीय तथा स्थानीय सरकार। ये तीनों प्रकार की सरकारें अलग-अलग साधनों से आय एकत्रित करती हैं और प्रयत्न-प्रयत्न मर्तों पर ही खर्च करती हैं। इनके द्वारा किए गए व्यय में अधिकतम सामाजिक लाभ उभी मिल सकता है जब इनके व्ययों में सामंजस्य स्थापित हो, पुनरावृत्ति की आवश्यकता न हो और व्यय परिणामों में परस्पर विरोध न हो।

उपरोक्त सभी परिनियमों की चर्चा के बाद हम कह सकते हैं कि इन परिनियमों पर चलकर सार्वजनिक व्यय द्वारा जनता को अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सकता है और उत्पादक वितरक शक्तियों को प्रोत्साहित करके धन के वितरण की अनुमानता को कम किया जा सकता है। भारत का सार्वजनिक व्यय यद्यपि योजनात्मक रूप से हो रहा है और लाभ के सिद्धांत को ध्यान में रखकर कृषि उद्योग, शक्ति के साधन, यातायात, समाज बल्पाण आदि पर व्यय करके देश बहुमुखी विकास पथ पर अग्रसर है। किन्तु फिर भी अनेक दृष्टियों से यहाँ सार्वजनिक व्यय अमितव्ययी है। विदेशी शक्तिधियों के स्वागत, आए दिन प्रतिनिधिमण्डलों की विदेश-यात्रा, सम्मेलन आदि पर बर्तनी व्यय होता है। दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था के कारण भी सार्वजनिक व्यय का काफी अनुपयुक्त देवने में आता है।

#### लोकव्यय के सिद्धांत


सरकारी गतिविधियों के श्रेष्ठतम स्तर एवं खर्चों को निर्धारित करने वाले निम्न सिद्धांत हैं : (1) लोकव्यय का बल्पाणकारी सिद्धांत, (2) ऐच्छिक विनियम सिद्धांत,

(3) अन्तरण गतिविधियो तथा व्ययो के श्रेष्ठतम स्तर के निर्धारण का सिद्धांत ।

(1) लोकव्यय का कल्याणकारी सिद्धांत

लोकव्यय के सिद्धांत की व्याख्या आबटनीय गतिविधियो के सदर्भ में की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज का कल्याण उम समय अधिकतम होगा जब लोक-व्यय इस प्रकार किया गया हो कि व्यय का सीमांत सामाजिक लाभ उसके सीमांत सामाजिक लागत के बराबर हो। सीमांत सामाजिक लाभ से अभिप्राय उम लाभ से है जो सरकारी गतिविधियो पर व्यय की एक अतिरिक्त इकाई से होता है। सामाजिक लागत निजी क्षेत्र में उत्पादन के घटने की ओर संकेत करती है जो खोतो से सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होता है। जब सरकार की एक गतिविधि का सीमांत सामाजिक लाभ दूसरी गतिविधि के सीमांत सामाजिक लाभ के बराबर हो जाये तब सभी गतिविधियो का सीमांत सामाजिक लाभ अधिकतम होता है। उदाहरण के लिए प्रतिरक्षा के रूप में अतिरिक्त 1000 रु० व्यय किए जाएं तो उससे वही लाभ प्राप्त होना चाहिए जो सड़को या शिक्षा पर 1000 रु० की अतिरिक्त राशि व्यय करने से होता है। कुल सामाजिक लाभ उस समय अधिकतम होगा जब प्रतिरक्षा पर व्यय की गई अतिरिक्त इकाई का लाभ सड़को पर व्यय की गई अतिरिक्त इकाई के लाभ के बराबर हो।

यदि लोकव्यय के सभी मदों पर किए गए सीमांत व्यय से प्राप्त सीमांत लाभ बराबर होते हुए भी वह उम लाभ से कम होता है जो निजी क्षेत्र में उत्पादन पर व्यय



चित्र 12

करने से होता है तब सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में लोकव्यय को घटाकर निजी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा करने से समाज का कल्याण अधिकतम हो जाता है।<sup>1</sup> इसका स्पष्टीकरण उपरोक्त चित्र के द्वारा समझाया जा सकता है।

1 Sharp and Sliger Public Finance, p 18

इस चित्र में Y-अक्ष पर सीमांत सामाजिक लाभ तथा लागत और X-अक्ष पर लोकव्यय मापे गए हैं। MSB सीमांत सामाजिक लाभ की वक्र रेखा है जो लोकव्यय की विभिन्न परिधियों से मिलने वाले लाभ को दर्शाती है। दायीं ओर जैसे-जैसे लोकव्यय बढ़ता है सीमांत सामाजिक लाभ घटता जाता है। MSC वक्र रेखा सीमांत सामाजिक लागत को दर्शाती है। यह दायीं ओर नीचे से ऊपर जाती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे-जैसे लोकव्यय बढ़ता है सीमांत लागत बढ़ती जाती है। OE लोकव्यय का श्रेष्ठतम बिंदु है जहां सीमांत सामाजिक लाभ तथा सीमांत सामाजिक लागत दोनों बराबर हो जाते हैं।

सिद्धांत का मूल्यांकन सरकारी सेक्टर कुछ सेवाओं का मूल्य हो व्यक्तियों के लाभ के अनुसार वसूल करती है बसंत कि प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला लाभ उस वस्तु की सीमांत लागत के आधार पर पृथक्-पृथक् ज्ञात किया जा सकता है। यह प्रश्न नहीं है कि जब सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का मूल्य उनकी सीमांत लागत के बराबर हो तो दोनों क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा श्रेष्ठतम होती है। शिक्षा जैसी विशेष सरकारी सेवाएं, जो प्रत्येक व्यक्तिगत लाभ तथा अत्यल्प सामाजिक लाभ प्रदान करती हैं, वहां सामाजिक बलाघात को अधिकतम करने के लिए ऐसी सेवाओं का मूल्य सीमांत लागत से कम रखना होगा। जहां ऐसी जनोपयोगी सेवाएं उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत कार्यरत हो वहां 'मूल्यों को सीमांत लागत' के बराबर करने का सिद्धांत ऐसे उद्योगों में धारा उत्पन्न करेगा। यद्यपि ऐसे धारों की क्षतिपूर्ति आर्थिक माय में वारंटोन्ग द्वारा पूरी की जा सकती है।

स्मरण रहे कि सरकारी गतिविधियों का स्वभाव सामाजिक होने के कारण उनका लाभ पृथक्-पृथक् नहीं आका जा सकता। साथ ही अतर्पकित उपयोगिताओं के मापन की कठिनाइयों से सीमांत लाभ और सीमांत लागत का भी सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस सिद्धांत का व्यावहारिक महत्व सीमित ही रहता है। फिर भी इन उद्देश्यों के सापेक्षिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए सार्वजनिक के मापन की कठिनाई पर बावू पाया जा सकता है। हम प्रतिरक्षा तथा पुनिसुरक्षा के सापेक्षिक महत्व के आधार पर एक को भ्रमना सकते हैं और दूसरे को छोड़ सकते हैं।

प्रत्येक सरकारी सेवा से समाज को मिलने वाला श्रेष्ठतम लाभ लोगों की इस इच्छा पर निर्भर करता है कि वे प्रत्येक उद्देश्य से किस सीमा तक लाभ उठाना चाहते हैं, ताकि व्यय की उमी के अनुसार परिवर्तित किया जा सके।

यद्यपि व्यय के सामान्य लाभों का भावलन एक कठिन कार्य है, उस पर भी कुछ ऐसी रीतियां हो सकती हैं जिनसे लाभ का भावलन सरलता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए (1) कुछ दिगिष्ट पुस्तकों के निमित्त होने के उपरांत व्यापार तथा भ्रमण के मूल्यों में तथा वार्षिक माय में वृद्धि के आधार पर उनके लाभों का भावलन किया जा

सकता है। (2) कुछ विशिष्ट प्रकार की मदों पर किए गए व्यय को तुलनात्मक लाभ से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा के मद पर किया गया व्यय पार्क पर किए गए व्यय की तुलना में अधिक लाभकारी होगा।

(3) जैसे-जैसे किसी एक मद पर व्यय निरंतर बढ़ाया जाता है सीमांत सामाजिक लाभ घटता है। ऐसा तभी संभव होता है जब अन्य मदों पर व्यय घटाया जाता है। परिणामस्वरूप अन्य मदों पर जो व्यय की इकाइया पहले अलाभकारी थी अब अधिक लाभकारी हो जाती है। इस पर भी अन्य मदों की तुलना में प्रतिरक्षा जैसी सार्वजनिक सेवा का लाभ ठीक-ठीक ज्ञात करना अशक्य प्रतीत होता है।

सरकारी सेवाओं का दूसरा पहलू उसकी पूर्ती लागत का है, जिस पर विचार करना आवश्यक है। पूर्ती लागत से हमारा आशय स्रोतों के निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरण होने के कारण बड़ा उत्पादन की कमी से है। परंतु मदी काल में निजी क्षेत्र में स्रोतों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में स्रोतों का निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानांतरण वास्तविक लागत को कम करता है। मदी काल में तो सरकारी व्यय निजी उत्पादन की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है।

निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों के स्थानांतरण द्वारा उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार स्रोतों के स्थानांतरण के कुछ गौण प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसा उस समय होता है जब करो के द्वारा स्रोत निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवाहित किए जाते हैं। फलतः निजी क्षेत्र में उत्पादन घट जाता है।


इन्हीं कारणों से समाज के लिए वास्तविक लागत का आकलन कठिन हो जाता है। फिर भी, सरकार को समाज के लिए इन सेवाओं को प्रदान करने की लागत की तुलना उनके लाभों से करने का प्रयास करना चाहिए तथा सरकार की विभिन्न सेवाओं के लाभों की भी तुलना आपस में करनी चाहिए। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि लोकमत किस सेवा को प्रधानता देता है। परंतु लोगों की विभिन्न सेवाओं की प्राथमिकता की पारस्परिक तुलना कठिन होती है क्योंकि प्रत्येक सेवा के लिए लोगों की राय भी पृथक्-पृथक् होती है। कभी-कभी तो सेवा की पर्याप्त मूचना न मिलने के कारण उनकी प्राथमिकता के बारे में अपना मत प्रकट ही नहीं कर पाते। फलतः कभी-कभी ये लोग ऐसी नीतियों पर बल देते हैं जो सामाजिक दृष्टि से कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। सघीय अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार, सरकारों के मध्य कार्यों के बंट जाने से ये कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ जाती हैं। इन परिस्थितियों में लाभ तथा लागत का अनुमान कल्पना के आधार पर ही किया जा सकता है।

## (2) ऐच्छिक विनिमय सिद्धांत

इस सिद्धांत के अंतर्गत करारोपण द्वारा व्यय की प्रक्रिया वैसी ही समझी जाती है जैसे कि निजी क्षेत्र में ऐच्छिक विनिमय की क्रिया यहाँ करो को वस्तुओं और सेवाओं के उपलब्ध मूल्य स्वरूप माना जाता है। जब किसी करदाता की वस्तुओं और

सेवाओं की माग उनकी सीमांत लागत के दरदर हो जाती है तब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन इष्टतम होता है तथा करदाताओं (अर्थात् क्षेत्राओं) में वस्तुओं और सेवाओं की लागत का वितरण भी इष्टतम हो जाता है।

इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं।



चित्र 13

माना कि X और Y किसी समाज में किसी एक सामाजिक वस्तु के दो करदाता वर्ग हैं। एक सामाजिक वस्तु सामाजिक आनन्दप्रकता की पूर्ति करती है तथा यह दोनों समुदायों की सामगरी है। इन दोनों वर्ग के करदाताओं की उन सामाजिक वस्तु की लागत समुक्त रूप से सहन करनी चाहिए। चित्र में इन लोगों की सामाजिक वस्तु की व्यक्तिगत मांगें क्रमशः  $x$  और  $y$  वक्र रेखाओं द्वारा दर्शाई गई हैं।  $MC$  वक्र रेखा पर उत्पादन तथा  $Y$ -वक्र रेखा पर मूल्य तथा लागत मापे गए हैं।  $D$  दोनों प्रकार के करदाताओं के माग के जोड़ की वक्र रेखा है। हमने यह मान लिया है कि उन वस्तु का संपूर्ण उपयोग केवल यही दो वर्ग करते हैं। कुल माग वक्र सामाजिक वस्तुओं के समुक्त मूल्य की ओर उचित करता है जिन पर वस्तु की विभिन्न मात्राएँ देखी जाती हैं। हमने यह भी मान लिया है कि उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है।  $MC$  पूर्ण वक्र रेखा इसी ओर उचित करती है।  $OQ$  इन वस्तु का समुक्तित्व उत्पादन है जिनकी कुल लागत  $OQ \times OP$  है। यही लागत दोनों वर्ग के करदाताओं में वितरित की गई है।  $X$  वर्ग के करदाता  $OPx \times OQ$  तथा  $Y$  वर्ग के करदाता  $OPy \times OQ$  लागत सहन करते हैं। इस प्रकार  $OQ$  सामाजिक वस्तु की मात्रा की लागत प्रत्येक करदाता (अर्थात् क्षेत्रा) की माग के अनुसार वितरित कर दी जाती है। इस निष्कर्ष को यह माल्यता है कि आय का उचित वितरण है तथा प्रत्येक करदाता की अनिमानताएँ निर्वाचित के मध्य बोट द्वारा शांत की जाती हैं और सरकार के निर्णय भी इन्हें अधिमानताओं पर अन्यायित होते हैं। यहाँ यह भी मान लिया गया है कि एक सामाजिक आनन्दप्रकता की प्रान-



व्यय की प्रक्रिया भी स्पर्धात्मक क्रियाओं द्वारा वैसे ही तय होती है जैसे कि एव निजी बाजार में।

**सिद्धांत का मूल्यांकन** इस सिद्धांत की मान्यता अवास्तविक है क्योंकि इसमें राजनैतिक तंत्र को बाजार तंत्र के समान मान लिया गया है। सरकार की आय-व्यय की प्रक्रिया बाजार-प्रक्रिया के समान नहीं होती। वास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं की व्यक्तिगत अधिमानों की अभिव्यक्ति राजनैतिक क्रियाओं द्वारा नहीं होती क्योंकि वह निषेध का सिद्धांत लागू नहीं होता है और यदि व्यक्तिगत अधिमान ज्ञात हो भी जाते हैं तो भी राजनैतिक प्रक्रियाओं की अपूर्णता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में स्रोतों का इष्टतम उपयोग नहीं हो सकता। जो भूल एव सुधार विधि निजी बाजार में लागू हो जाती है परंतु सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन के निर्धारण में सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाती।

उपरोक्त बातों के अतिरिक्त इस सिद्धांत के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं होता कि कर भार का वितरण करदाताओं के मध्य किस प्रकार किया जाए। यह अवश्य है कि हम इस सिद्धांत के द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के करों का कुल भुगतान सामाजिक वस्तुओं के व्यक्तिगत सीमांत मूल्यांकन तथा वस्तुओं की कुल मात्रा को गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं, परंतु करों की दर का निर्धारण संभव नहीं है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अधिकांश सार्वजनिक वस्तुएँ सेवाओं की सामाजिक प्रकृति होने के कारण व्यक्तिगत लाभों का निर्धारण केवल एक कल्पना है। अतः हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक सेवाओं की लागत का भुगतान करों के रूप में उनके सीमांत मूल्यांकन पर आधारित न होकर लोकमतानुसार ही होता है।

### (3) अंतरण गतिविधि को निर्धारित करने का सिद्धांत

धनी से निधन वर्ग में आय के हस्तांतरण का श्रेष्ठतम स्तर आय की उस वितरण-प्रतिभा पर निर्भर करता है जिसे लोकमत सामाजिक दृष्टि से प्राप्त करने का इच्छुक है।<sup>1</sup> समाज ही यह तय करता है कि न्यूनतम तथा अधिकतम जीवनस्तर में कितना अंतर होना चाहिए। इससे उपरान्त ही आरोही करों द्वारा आय तथा संपत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने का प्रयास किया जाता है। निर्धनों को नकदी (वृद्धावस्था पेंशन) तथा सेवाओं (निधुलक शिक्षा तथा चिकित्सा इत्यादि) के रूप में सहायता प्रदान करने तथा इनके आय-स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसे व्यय का अंतरण निर्धन वर्ग की वस्तुओं की मांग को अनुकूल दिशा में परिवर्तित करता है।

स्मरण रहे कि आर्थिक विकास के साथ न्यूनतम जीवनस्तर की धारणा भी बदल जाती है। इसलिए आय के श्रेष्ठतम वितरण की इच्छुक प्रतिभा भी एक बाल के बाद वह नहीं रहती जो इसके पूर्व होती है।

उल्लेखनीय है कि व्यय का अंतरण कार्य करने, बचत करने, बचत करने की इच्छा तथा विनियोग करने की इच्छा को प्रभावित करता है। पूण रोजगार की स्थिति में पहुँचने

के बाद व्यय का अंतरण दिक्काम दर की पटा सकता है, जब कि नदी जाल में व्यय का अंतरण मदी से छुटकारा दिलाने में सहायक हो सकता है।

साधारणतान में अंतरण के उद्देश्य से तीव्र धाराएँ वर द्वारा किसी कोष के निर्माण की क्रिया विनिभोगों पर प्रेरणाकारी प्रभाव डालती है। अत्र चरारोपण के आरो-  
हण की गति तथा व्यय अंतरण का स्तर ऐसा होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

इस संपूर्ण विवरण से यही निष्कर्ष निकलता है कि लोकव्यय के उत्पादकारी सिद्धांत तथा ऐच्छित विनिभय सिद्धांत के अंतर्गत नरवारो व्यय के श्रेष्ठतम स्तर में कोई मौलिक अंतर नहीं है। यदि बाई अंतर है भी तो वह श्रेष्ठतम स्तर के प्राप्त करने की रीतियों में हो सकता है। दोनों ही सिद्धांत विभिन्न ऋणों की दरों के निर्धारण के संबंध में कोई निश्चित उत्तर नहीं देते।

### लोकव्यय के प्रभाव

लोकव्यय का देश के उत्पत्ति के मापनों तथा उनके द्वारा उत्पत्ति की मात्रा और उसके वितरण पर गभीर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश की नरवार लोकव्यय द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि चाहती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उत्पादन की मात्रा बढ़े, वितरण की अपमानता दूर हो तथा आर्थिक अस्थिरता न्यून हो। डास्टन ने लोकव्यय के विभिन्न प्रभावों का तीन शीर्षकों के अंतर्गत वर्णन किया है - उत्पादन पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव तथा अन्य प्रभाव।

### उत्पादन पर प्रभाव

लोकव्यय उत्पादन पर प्रभावों को ज्ञात करने की सही रूपरेखा है जो ऋणों के प्रभावों के अध्ययन में अपनाई गई है। डास्टन के अनुसार किसी भी देश में उत्पादन पर लोकव्यय का प्रभाव मालूम करने के लिए निम्न बातों पर विचार करना आवश्यक होगा।

- (1) कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की योग्यता पर प्रभाव  
लोकव्यय कार्य करने तथा बचत करने की क्षमता को कई प्रकार से प्रभावित कर सकता है।

जैसे कि क्याद्यान व्यक्ति की कार्यकुशलता को घटाता है तथा उनके कार्य करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसी प्रकार यदि लोकव्यय से उनकी कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है तो उनकी कार्य करने की योग्यता बढ़ जाती है। लोकव्यय के कुछ हर कार्यकुशलता में वृद्धि करते हैं। उदाहरणार्थ शिक्षाओं की छी प्राप्ति वागी पेशन, पारिवारिक भत्ते इत्यादि। ऐसे लोकव्यय प्रत्यक्ष प्राप्तकर्ताओं की दुग्ता में निविध्य में उनके बच्चों की कार्यकुशलता को अधिक बढ़ाते हैं। उसी प्रकार वस्तुओं के रूप में दिए गए कई अनुदान जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और नवानों की सुविधा के रूप में दिए गए अनुदान, ममान माता के द्राव्यिक अनुदान की तुलना में कार्यकुशलता

बढ़ाने की दिशा में अधिक सफल होंगे। यदि यह अनुदान द्राव्यिक रूप में दिए जाते हैं तो उनके अनुचित कार्यों पर व्यय हो जाने की संभावनाएँ हो जाती हैं जो संभवतः कार्य-कुशलता की वृद्धि में सहायक न हों।

सरकार अपने खर्चों के द्वारा कुछ ऐसी सुविधाएँ भी प्रदान कर सकती है जो उत्पादन में सहायक सिद्ध होती हैं। उदाहरण के लिए रेलें, सड़कें, मचारवाहन के साधन, सिंचाई, विद्युत-शक्ति आदि के विकास पर किया गया व्यय प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।

सरकार उपभोग को निरस्त/साहित करके व्यक्तियों की आय को बढ़ाकर उसकी बचत करने की योग्यता को बढ़ा सकती है। जैसे कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि कुछ लोक-व्यय द्वारा व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है इसलिए इन व्यक्तियों की बचत करने की शक्ति भी बढ़ जाती है।

यदि लोकव्यय के विनियोग योग्य कोष किसी ऐसी संस्था के हाथों में पहुँचते हैं जो उसे पूंजीगत कार्यों में खर्च करती हो तो विनियोग करने की योग्यता बढ़ जाती है।

## (2) कार्य करने, बचत व विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव

लोकव्यय व्यक्तियों की बचत करने, कार्य करने तथा विनियोग करने की इच्छा को भी प्रभावित करता है। किसी भी देश का उत्पादन केवल कार्य करने और बचत करने की योग्यता पर ही निर्भर नहीं करता अपितु उस देश के लोगों के कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर भी निर्भर करता है। इसलिए लोकव्यय इस प्रकार से किया जाए कि लोगों की कार्य करने की तथा बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़े। लोक-व्यय निम्नलिखित दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है

(अ) वर्तमान व्यय : वर्तमान व्यय से लोगों के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोकव्यय से उनकी आय में वृद्धि होती है तथा उनका जीवनस्तर ऊँचा उठता है। परंतु कभी-कभी वर्तमान लोकव्यय द्वारा आय में वृद्धि होने के कारण कुछ लोगों की कार्य करने की इच्छा कम हो सकती है, क्योंकि वे कम काम करके भी पर्याप्त धन प्राप्त कर लेते हैं जिससे उनके पहले की सभी आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लोगों में निरंतर प्रगति करने की भी प्रवृत्ति होती है। वे ऊँचे से ऊँचा जीवनस्तर प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कोई एक निश्चित जीवनस्तर प्राप्त करने के पश्चात् शिथिल हो जाता है तो इस कठिनाई को भी उसकी आय में धीरे-धीरे वृद्धि करके दूर किया जा सकता है। यदि सरकार यह देखती है कि लोगों की आय के बढ़ने से बुरी आदतों का प्रादुर्भाव न हो तो वह ऐसा करने के लिए *वस्तुओं और सेवाओं* के रूप में सहायता कर सकती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकव्यय से व्यक्तियों के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा में निश्चित रूप से वृद्धि होती है।

(ब) भावी व्यय : भावी व्यय लोगों के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को कम करते हैं। सरकार ने जिन मदों पर व्यय किया है उनसे मंदव लाभ

होता रहेगा अथवा नागरिकों को यह ज्ञात हो जाए कि भविष्य में भी सरकार इन मदों पर व्यय करती रहेगी तो इससे उनकी कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि भविष्य में भी उन्हें सरकार से यह मुविभाग प्राप्त होती रहेगी। फलतः देश में उत्पादन तथा पूँजी के निर्माण का स्तर गिर जाएगा।

राज्य द्वारा वे मुविभाग जो कुछ निश्चित शर्तों पर प्रदान की जाते हैं उनसे लोगों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा कम नहीं होती। उदाहरणार्थ बीमारों या बेकारी के समय दी गई महायत्ता से लोगों की बचत करने तथा कार्य करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस महायत्ता को प्राप्त करने के लिए इसका कुछ धरा प्राप्तगर्ता को चढ़े के रूप में देना पड़ता है और यह महायत्ता केवल निश्चित प्रबंध के लिए ही हाती है। इसी प्रकार से अनुदान की प्रत्याशा जो कि स्याई नहीं होती वरन् प्राप्तवर्तमानों के भावी प्रयासों के साथ बढ़ती है। उसके कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को बढ़ा देते हैं वधत्त कि उनकी आय की मांग बहुत बेलोचदारन हो। लोगों को समझें तथा बचत पर दिए जाने वाले अनुदान इसके उदाहरण हैं।

इन मदों में हम इतना अवश्य यह सचते हैं कि जब तक लोगों को यह आशा बनी रहेगी कि आदश्यकता होने पर सरकार में वित्तीय सहायता मिल सकती है तब तक उनके कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति उत्पादन पर बुरा प्रभाव अवश्य डालती है। डाल्टन ने इसे स्वीकार किया है कि लोकव्यय का यह दोष पूरे तौर से समाप्त नहीं किया जा सकता। लोकव्यय द्वारा नागरिकों के कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा कितनी घटती या बढ़ती, यह राजकीय नीति तथा लोगों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। डाल्टन का मतव्य है, 'जहाँ आय की मांग बेलोचदार रहेगी वहाँ कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा में कुछ रुकावट अवश्य आएगी।' गूड अध्ययन करने पर यही प्रवृत्त होना है कि यह बात लोकव्यय की नीति और राष्ट्र की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि कब, कहा और किस लोकव्यय का नागरिकों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

### (3) विभिन्न स्थानों और उपयोगों के बीच आर्थिक साधनों के दिशा परिवर्तन के प्रभाव

लोकव्यय आर्थिक साधनों का दिग्परिवर्तन प्रत्यक्ष तथा परोक्ष—दो रूप में करते हैं।

(अ) प्रत्यक्ष दिग्परिवर्तन : प्रत्यक्ष दिग्परिवर्तन में सरकार स्वयं साधनों का उपयोग करती है। राज्य की ओर से सुरक्षा, नागरिक प्रशासन, समाज सेवाओं तथा न्यायानयों पर व्यय साधनों का प्रत्यक्ष दिग्परिवर्तन है जो व्यक्तियों की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। सरकार स्वयं इन्हें पूरा करती है क्योंकि व्यक्ति इन्हें व्यक्तिगत साधनों की बन्नी के कारण पूरा नहीं कर सकता।

(ब) परोक्ष दिग्परिवर्तन परोक्ष दिग्परिवर्तन म सरकार इन साधनों का स्वयं उपयोग न करके नागरिकों में इस प्रकार की रुचि उत्पन्न कर देती है कि वे उत्पत्ति के साधनों को दूसरे ढंग से जुटाए। उदाहरण के लिए सिंचाई के साधनों का विद्यमान करके कृषकों को उन फसलों के उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्त करें जिनके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जन-विद्युत शक्ति के विद्यमान में लोगों में यह अभिरुचि उत्पन्न हो सकती है कि वे अपनी धन अन्य प्रकार से व्यय न करके उद्योगों में व्यय करें।

लोकव्यय व माध्यम से उत्पत्ति के साधनों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान को भी होता है। केंद्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा अधिकाधिक क्षेत्रों में उद्योगों के विकास करने के हेतु इस क्षेत्र के उत्पादकों तथा स्थानीय मस्याओं को ऋण, अनुदान आदि प्रकार साधनों का इस क्षेत्र को दिग्परिवर्तन करती है।

कभी कभी लोकव्यय द्वारा अधिक साधनों के विशिष्ट उपयोगों में दिग्परिवर्तन से भी उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के वे दिग्परिवर्तन हैं जिनका उद्देश्य भविष्य के लिए साधनों की अच्छी व्यवस्था करना होता है। उदाहरण के लिए जय सिंचाई, परिवहन शक्ति आदि के विकास की योजनाएँ बनती हैं तो हमने देश की स्थाई पूँजी में वृद्धि होती है तथा भावी उत्पादन शक्ति का विकास होता है। वास्तव में पूँजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय भविष्य के लिए साधनों का दिग्परिवर्तन है क्योंकि उत्पत्ति के लिए साधनों का प्रयोग वर्तमान में न करके भविष्य में किया जाता है।

परंतु पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लाजसस्याओं के बिना हस्तक्षेप के इस प्रकार का प्रावधान बहुत कम किया जाता है और जो किया भी जाता है उसकी बनावट बहुत खराब होती है। वह इस अर्थ में कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक अनुपात भौतिक पूँजी के रूप में होता है और मानव पूँजी तथा ज्ञान पूँजी के रूप में बहुत कम अनुपात होता है। क्योंकि मानव पूँजी तथा ज्ञान पूँजी में धन लगाने से लाभ कम मिलता है। परंतु हम यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी भौतिक पदार्थ तथा समृद्धि के पीछे मानव मस्तिष्क ही काम करना है। आज जो भौतिक समत्कार तथा तकनीकी का विकास देखने को मिलता है वह मानव मस्तिष्क की ही उपज है। डॉल्टन के मतानुसार, जब सरकार स्वयं मंत्रालयों और सामाजिक सुरक्षा पर व्यय करती है, तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निनियोग होता है जो भौतिक पूँजी के स्थान पर मानव पूँजी का निर्माण करता है। इस प्रकार लोकमस्याओं को भविष्य के लिए आर्थिक प्रावधान में वृद्धि करने और उसके घटकों में उत्तम संतुलना स्थापित करना वाछनीय है। ये दोनों उद्देश्य लोकव्ययों की वृत्तियाँ हैं जिनका लक्ष्य उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना होता है।

परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की यह धारणा थी कि लोकव्यय द्वारा साधनों का दिग्परिवर्तन मंदव हाताकारक होता है क्योंकि इससे साधनों का उपद्रुवन तथा पूर्ण

उपयोग सम्भव नहीं हो पाता। इन विचारों के अनुसार स्वतन्त्र प्रतियोगिता में मूल्ययथ की सहायता से तथा व्यक्तियों की स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण साधनों का वितरण सर्वोत्तम होता है। वास्तव में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का यह विचार वर्तमान युग में उचित नहीं ठहराया जा सकता। आजकल प्रत्येक देश की सरकार साधनों के उचित स्थानान्तरण में सक्रिय भाग लेती है तथा आर्थिक साधनों का उपयोग इस प्रकार करती है कि मानवीय कल्याण में अधिकाधिक वृद्धि हो सके तथा उत्पादन का स्तर ऊंचा उठ सके। सरकार द्वारा प्रतिरक्षा पर, सामाजिक सुरक्षा पर, परिवहन तथा शक्ति आदि के साधनों के विकास पर जो व्यय किया जाता है, वह साधनों के दिग्परिवर्तन में परोक्ष रूप से सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार अब किसी प्रकार का लोकव्यय अलाभकर नहीं ठहराया जा सकता है और न ही लोकव्यय द्वारा साधनों का दिग्परिवर्तन ही मान्य ठहराया जा सकता है।

### वितरण पर प्रभाव

आधुनिक विचारधारा के अनुसार लोकव्यय की वह प्रणाली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिसमें आय की विषमताओं को दूर करने की प्रवृत्ति सबसे दृढ़ होती है। समाजवादी सिद्धान्तों में आस्था रखने वाले देश इस विचारधारा में अधिकाधिक विश्वास रखते हैं, प्रो० पीगू ने अपनी पुस्तक 'इन्फोमिक्म आफ वेल्फेयर' में इस मद्दे में लिखा है कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि बन्धुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करके की जा सकती है, यदि ऐसा सम्भव न हो तो सामाजिक कल्याण की वृद्धि राष्ट्रीय लाभों के वितरण के द्वारा समाज में धन की असमानता को दूर करके भी की जा सकती है। लोककल्याण की वृद्धि के लिए राज्य के पास एक ऐसा ही दुधारा अस्त्र है। एक और वह धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उनकी आय को कम कर देता है तथा दूसरी ओर लोकव्यय द्वारा निर्धन व्यक्तियों को सेवाएँ देकर उनकी आय में वृद्धि करता है।

लोकव्यय की वियाओं द्वारा धन के वितरण की विषमता को काफी सीमा तक दूर किया जा सकता है। विनी कर-विशेष की भाँति, कोई अनुदान या उपदान-विशेष भी प्रतिगामी, आनुपातिक अथवा प्रगतिशील हो सकता है।

लोकव्यय प्रतिगामी उस समय कहलाता है जब प्राप्तकर्ता की आय जितनी कम होती है, लोकव्यय से आनुपातिक वृद्धि भी उतनी ही कम होती है। उदाहरण के लिए, यदि भारत में निर्धन वर्गों के लिए शिक्षा पर व्यय न करके सरकार धनी वर्ग के वर्गों के लिए पब्लिक स्कूलों पर व्यय करती है तो वह प्रतिगामी व्यय होगा। लोकव्यय आनुपातिक तब कहलाता है जब प्राप्तकर्ता की आय के अनुपात में ही लोकव्यय से लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 10 प्रतिशत मकान भत्ता मिलता है, यह आनुपातिक लोकव्यय है। लोकव्यय को प्रगतिशील उस समय कहते हैं जब प्राप्तकर्ता की आय जितनी कम होती है, लोकव्यय

से आनुपातिक वृद्धि उतनी ही अधिक होती है, इस प्रकार बुढ़ापे की पेंशन, नि शुल्क शिक्षा, सार्वजनिक चिकित्सालयो पर व्यय प्रगतिशील लोकव्यय है।

प्रतिगामी लोकव्यय प्रणाली कायों की विषमता कम करती है। आनुपातिक और साधारण रूप से प्रतिगामी लोकव्यय प्रणाली का भी यही परिणाम होता है। परन्तु अधिक तीव्र प्रतिगामी लोकव्यय प्रणाली विषमता बढ़ाती है। डाल्टन के अनुसार, 'प्रगतिशीलता की दर जितनी तेज होती है, विषमता कम करने की प्रवृत्ति भी उतनी प्रबल होती है।' इसलिए समान वितरण की विचारधारा हमें व्यवहार योग्य अत्यधिक तीव्र प्रगतिशील लोकव्यय प्रणाली की ओर ले जाती है।

उपदान तथा अनुदान लोकव्यय के ही भिन्न रूप हैं। वितरण के दृष्टिकोण से इन पर विचार किया जाना उपयुक्त है। रोटी या दूध के लिए दिया जाने वाला उपदान जो उनका मूल्य घटाता है, प्रतिगामी अनुदान के रूप में कार्यशील होता है, जबकि निजी बचतों के लिए दिए जाने वाला उपदान प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील उपदान, प्राय विचरण की भारी विषमता को कम करते हैं।

स्मरणीय है, घाघ उपदान सभी प्रगतिशील होते हैं जब उपदान प्राप्त खाद्य सामग्री धमीरो की तुलना में निर्धन लोगों के व्यय का अधिक बड़ा अनुपात होते हैं। ये उपदान सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी। वे सामान्य तब कहे जाते हैं जब वे खाने वाले का विचार किए बिना किसी विशेष खाद्य पदार्थ का मूल्य घटा देते हैं। वे विशेष तब कहे जाते हैं जब वे विशिष्ट वर्गों—जैसे गर्भवती स्त्रियो, दूध पीते बच्चों की माताओं, स्कूलों में भोजन करने वाले बालकों द्वारा खाए जाने वाले पीटिक पदार्थों पर केंद्रित रहते हैं। दोनों ही उपदानों का पक्ष बहुत प्रबल होता है। प्राप्त करने की योग्यता के अनुसार लाभ वितरण के सिद्धांत का यह अच्छा दृष्टांत है। जिस प्रकार कराधान के वितरण में 'न्यूनतम त्याग' का सिद्धांत अपनाया जाता है, उसी प्रकार अनुदानों के वितरण में 'अधिकतम लाभ' का सिद्धांत व्यवहार में लाया जाता है। 'अधिकतम लाभ' के सिद्धांतानुसार वह अनुदान प्रणाली होगी जो एक मीमा से कम स्तर वाली सभी आयों को उस स्तर तक ले जाएगी और उम स्तर से ऊपर वाली किसी आय में कोई वृद्धि नहीं करेगी। अनुदानों के सबंध में यह ध्यान देने योग्य बात है कि ये प्राप्तकर्ता की योग्यतानुसार ही दिए जाएं ताकि लोकव्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके। यदि अनुदान पाने की सभावना से कोई व्यक्ति कम काम या बचत करने लगता है, जितनी वह अन्याय करता, तो उसकी आय बढ़ाने की दिशा में अनुदान का प्रभाव कम हो जाएगा और वितरण की असमानताओं में कमी नहीं आएगी।

यदि शिक्षा पर लोकव्यय इसका क्रिया जगए कि तरुण पीढ़ी के लोग बड़ी सख्या में न्यून मजदूरी वाले उद्योगों से हट कर अधिक मजदूरी वाले घघों में जा सकें, और इस प्रकार अधिक तथा कम मजदूरी की दरों के अंतर को घटाने में समर्थ हो सकें, तो वितरण परोक्ष रूप से प्रभावित होगा और आयों की विषमता भी कम हो जाएगी। यदि कोई सेवा समाज के सब सदस्यों को नि शुल्क प्रदान की जाती है, जैसे

निःशुल्क स्वाम्य सेवा, तो प्रो० टानी के शब्दों में विपन्नता का क्षेत्र संकरा ही जाना है।

अनुदान विपन्नताओं को पटाकर वितरण की मुधार बनते हैं, साथ ही साथ ये व्यक्तिगत आयों तथा पारिवारिक आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य द्वारा भी वितरण में मुधार ला सकते हैं। पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से मार्बजनिव निधिओं पर आधारीन बुझापे की पेशन, सामाजिक सुरक्षा, बीमारी लाभ, बेकारी लाभ, औद्योगिक कौट लाभ, प्रमव लाभ, प्रसूतशालीन लाभ, दिवदाओं की पेंशन, बच्चों के लिए भत्ते, निःशुल्क स्वाम्य सेवा आदि के लिए किए जाने वाले अधिवाश विधान निर्माणों का उद्देश्य इनो प्रकार का मुधार बनना है।

**लोकव्यय द्वारा असमानता में वृद्धि**

लोकव्यय के कुछ रूप ऐसे भी होते हैं जो आम की असमानता को कम करने की अपेक्षा बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए युद्धकाल में सरकार द्वारा धनियों से ऋण के रूप में महायत्ना ली जाती है और उन पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। इनमें धनियों की आय में वृद्धि होती है। इन पर दिए गए ब्याज की राशि जतना से कर द्वारा वसूल होती है। यदि इस राशि का कुछ भाग निर्वन वर्ग में भी कर के रूप में वसूल किया गया हो तो उसका स्वामयिक परिणाम यह होगा कि जहां धनियों की आय में वृद्धि होगी वहां निर्वनों की आय घटेगी। यहाँ कारण है कि युद्धकाल में धनिक आधिक धनी और निर्वन अधिक निर्वन हो जाते हैं और असमानता की खाई और अधिक विस्तृत हो जाती है।

मुद्रक के विचारानुसार वितरण की समान करने की नीति देश के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इनका मत है कि यदि व्यय करते समय केवल इनो उद्देश्य की ध्यान में रखा जाएगा तो इनका परिणाम यह होगा कि सरकार को बहुत-सा व्यय अनुत्पादक कार्यों पर करना पड़ेगा। साथ ही पूजी के एकीकरण तथा उत्पादन पर प्रतिबुल प्रभाव पड़ेगा। साम्बिकता यह है कि नागरिकों के हित में किया जाने वाला कोई भी व्यय अनुत्पादक नहीं होता। जहाँ तक पूजी को एकत्र करने का प्रश्न है, यह माना जा सकता है कि उनके बचत करने की क्षमता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी ओर एक विद्याल वर्ग की बचत करने की तथा कार्य करने की शक्ति बढ़ेगी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि धन के वितरण की समान नीति से समाज को कुल बचत करने की शक्ति बढ़ेगी। झूहलर का मत भी मुद्रक के समान ही है। इन्होंने लिखा है कि, धन के वितरण की विपन्नता को दूर करने के लिए सरकार को निर्वन व्यक्तियों पर उदारतापूर्वक व्यय करना होगा, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि धनियों के बचत करने तथा कार्य करने की इच्छा पर कुछ प्रभाव न पड़े। यदि बचत करने की दर कम होगी तो भविष्य में वितरण की राशि भी कम होगी और असमानता बढ़ेगी। दस्तुतः लोकव्यय की सफलता इसी बात में है कि एक ओर देश का उत्पादन बढ़े और दूसरी ओर धन के वितरण में यथार्थता समानता स्थापित हो। इन दोनों उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करना लोकव्यय की नीति का उद्देश्य होगा चाहिए क्योंकि व्यापपूर्वक वितरण के अभाव में अधिक उत्पादन महत्वहीन है और



बिना उत्पादन वृद्धि के वितरण का विचार भी महत्वहीन है।

### अन्य प्रभाव

हम यह अध्ययन यह चुके हैं कि लोचव्यय किस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने तथा भाय के वितरण को समान बनाने में सहायक हो सकता है। इनके अतिरिक्त कई और ढंग से भी लोचव्यय लाभ पहुंचा सकता है।

**अभाव पूरक यत्र के रूप में**

लोचव्यय एक ऐसा यत्र है जिसका उपयोग देश की अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली तेजी और मंदी को रोकने के लिए किया जा सकता है। मंदीवाला में उत्पादन तथा उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है मूल्यों के गिर जाने के कारण उत्पादक के लागो की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी दशा में उत्पादन का रोक देते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता भी मूल्य गिरने की आशा करते हैं। अतः वे अपना उपभोग उस समय तक स्थगित करने की सोचते हैं जब तक मूल्य गिर कर और निम्न स्तर पर पहुँच जाए। गैर सरकारी माग में कमी होने के कारण गैर सरकारी व्यय में कमी आ जाती है। फलतः उत्पादन, रोजगार तथा भाय घट जाते हैं। उपभोग तथा विनियोग के खर्चों में कमी हो जाती है तथा बचती तथा संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मंदीवाला में पूर्ण व्यवस्था के स्तर को प्राप्त करने के लिए अभावपूरक व्यय की सहायता लेकर व्यय को घटाने में घन प्रवाहित किया जाता है जिससे माग तथा भाय में होने वाली गिरावट को रोकना जा सके। टेलर के शब्दों में, क्षतिपूरक व्यय का अभिप्राय यही है कि भाय को वांछित स्तर पर लाने के लिए निजी व्यय की कमियों को सरकारी व्यय द्वारा पूरा किया जाए।<sup>1</sup>

जिस समय राष्ट्रीय भाय गिर रही होती है तथा बेरोजगारी बढ़ रही होती है तब इस गिरावट को रोकने के लिए अभावपूरक व्यय को एक सीमित पैमाने पर अपनाया जाता है। यदि इससे उचित सफलता प्राप्त नहीं होती है तब सरकार बड़े पैमाने पर क्षतिपूरक व्यय करती है जिससे कि माग, उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों को गिरने से रोकना जा सके और निजी क्षेत्र के व्यवसायों को पुनरुत्थान की प्रेरणा मिल सके। ऐसे अभावपूरक व्यय को समुद्दीपन व्यय के नाम से संबोधित किया जाता है। टेलर के अनुसार, 'समुद्दीपन व्यय की नीति इस विद्वान पर आधारित है कि जब सार्वजनिक घन पर्याप्त मात्रा तथा उचित परिस्थितियों में भाय स्रोतों में लगाए जाएं तो यह गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बदल कर उसकी त्रियाशीलता को पुनः बढ़ा देंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि गुणक क्रिया से आर्थिक स्थिति में विकास और क्रियाशीलता का सिद्धांत तेजी से लागू होगा।'<sup>2</sup>

इस नीति के द्वारा सरकार को समय के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, मंदीवाला में क्षतिपूरक व्यय के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर सरकार

को भारी मात्रा में व्यय करने पड़ते हैं। पुनर्त्थान वार में जैसे-जैसे गैर सरकारी विनियोग बढ़ने लगते हैं वैसे ही वैसे लोकव्यय की मात्रा उसी अनुपात में घटा दी जाती है।

अवमादवान की स्थिति को दूर करने के लिए लोकव्यय की क्रियाओं को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(1) उपभोग को प्रभावित करने वाले व्यय

मदों की अवधि में प्रभावपूर्ण माग के कम हो जाने के कारण वस्तुओं की मांगें कम हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में करारोपण में खिलाई करना आवश्यक होगा है, क्योंकि करारोपण की कठोरता के कारण गैर सरकारी माग कम हो जाती है। अतः सरकार को चाहिए कि जिन व्यक्तियों की आय कम हो गई है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके प्रभावपूर्ण माग को प्रोत्साहित करे। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अमरीका में सन् 1935 में बृद्ध अपस्था, अपाहिज तथा बेकारी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता देकर लोगों की प्रभावपूर्ण माग को बढ़ाने का प्रयास किया गया।

(2) निजी विनियोगों को प्रभावित करने वाले व्यय

निजी विनियोगों को कमी भी प्रभावपूर्ण माग को कम करती है। अतः प्रभावपूर्ण माग को बढ़ाने के लिए सरकार को निजी विनियोग प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार लोकव्यय द्वारा ऐसे कार्य करे जिससे निजी क्षेत्र में सभावित लाभ की प्राप्ति बढ़े तथा जनता में विश्वास उत्पन्न हो। सरकार उद्योगों के नवीनीकरण के लिए आर्थिक सहायता देकर तथा सीमांत उद्योगों को उपदान देकर निजी विनियोगों को प्रोत्साहित कर सकती है। सरकार कुछ ऐसी योजनाओं को भी हाथ में ले सकती है जो रेलों, सड़कों तथा संचार व्यवस्था का निर्माण करके तथा विजली और सिंचाई की प्रयोजनाएँ बनाकर विनियोग को और अधिक प्रोत्साहित कर सकती है।

(3) सार्वजनिक विनियोग

लोकव्यय का एक भिन्न रूप 'बटोर क्रिया' भी हो सकता है अर्थात् लोकव्यय के द्वारा जनता में क्रय-शक्ति की वृद्धि करके माग को बढ़ाना। यदि ऐसा करने के लिए सरकार के पास किसी उत्पादक कार्य की योजना न हो तो अनुत्पादक कार्यों पर व्यय भी उचित समझा जाता है ताकि जनता में क्रय-शक्ति का प्रागमन हो। कौट ने तो कहा तक कहा है कि ऐसे मदीकाल की अवस्था में लोकव्यय के लिए सरकार के पास कोई उपयुक्त योजना न हो तो क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए गड़बड़े खुदवाकर उन्हें पुनः मरवाने की क्रिया भी उचित रहेगी। इस प्रकार संदेहयुक्त उपयोगिता वाले सार्वजनिक कार्य भी गंभीर बेरोजगारी की अवस्था में बारंबार सार्थक सिद्ध हो सकते हैं।<sup>1</sup> ऐसे काल में सरकार कुछ सामाजिक कल्याणसदृशी कार्य भी कर सकती है, उदाहरण के लिए, स्कूल, सड़कें, धाय, पुल इत्यादि का निर्माण। ये समस्त क्रियाएँ इस

1 J M Keynes 'General Theory of Employment, Interest & Money', P 127

मान्यता पर आधारित है कि सरकारी धन को आय धारा में प्रवाहित किया जाए जिनसे मदी तथा बेरोजगारी के रूख को बदला जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाता है कि इनसे गुणक प्रभाव उत्पन्न हो जाएंगे और गतिशीलता का निदान निश्चित रूप में लागू हो जाएगा।

जब उपरोक्त प्रस्तावों का व्यवहार में लाते हैं तो अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। यह ही सचता है कि सरकार के पास मासिक वार्षिक व्ययों को सम्पन्न करने की समुचित योजनाएँ न हों। रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर व्ययों की योजनाएँ हाथ में ली जा सकती हैं। यह भी सच ही सचता है कि वाणिज्य उद्योगों को संचालित करने के लिए सरकार सिद्धहस्त न हो। यदि लोकव्यय के लिए धन का प्रवर्ध धाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा किया गया हो तो उससे स्फीतिक दशाएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। एक बार अर्थव्यवस्था को पूर्णरूप से सुधार लेने के पश्चात् विनियोगों की दर किस प्रकार कम की जाए, संभवतः सरकार को उसका उचित ज्ञान न हो। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य ऐसी प्रकृति के होते हैं (जैसे कि मिर्चाई-बाध) कि उन्हें एक बार प्रारंभ करने के बाद बीच में रोकना नहीं जा सकता। अतः सरकार द्वारा लिए गए ऋणों में लोकरूढ तथा उस पर भुगतान किए जाने वाले व्याज का भार बढ़ जाता है। परन्तु ये कठिनाइयाँ अनुभव द्वारा सरलता से दूर की जा सकती हैं।

### अभावपूरक व्यय करने में सावधानियाँ

1930 के महामदी काल में ये अनुभव प्राप्त हुए हैं कि क्षतिपूरक व्यय तभी सफल हो सकता है जब सरकार उसका समुचित उपयोग करने में निम्न सावधानियाँ करते

(1) मदीकाल में क्षतिपूरक व्यय के साथ-साथ वरारोपण में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(2) केंद्रीय बैंक की राजकोषीय नीति की कमियों को दूर करने के लिए मौद्रिक नीति की सहायता लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में केंद्रीय बैंक को व्याज की दर नीची रखनी चाहिए तथा बड़े सुरक्षित कोष रखने चाहिए जहाँ से सरकार उधार ले सके।

(3) सरकार को सहायता कार्यों पर धन देना चाहिए।

(4) सरकार के पास ऐसी मुविचारपूर्ण योजनाएँ तैयार रहनी चाहिए कि जब भी बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे, उनको क्रियान्वित किया जा सके।

(5) व्यावसायिक सुधार की प्रक्रियाओं में सरकार को निजी क्षेत्र की सहायता करनी चाहिए और गैर सरकारी आर्थिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए।

## व्यावसायिक चक्र की ऊर्ध्वगति अवस्था में अभावपूरक व्यय

जब अर्थव्यवस्था मंदीग्रस्त न पुनरुत्थान की ओर अग्रसर होती है, क्षतिपूरक व्यय की विना एकदम समाप्त नहीं होती। ऐसा दो कारणों से होता है। प्रथम कारण यह है कि कुछ लोकव्यय इस प्रवृत्ति के होते हैं, जैसे गठनों कीर वाघों का निर्माण, जिन्हें बीच में समाप्त नहीं किया जा सकता। द्वितीय, लोकव्यय को एकदम रोक देने में अर्थव्यवस्था के अन्तर्व्यय होने का भय रहता है जिससे मंदी पुनः सँट मचती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान काल की प्राग्भित्त अवस्था में लोकव्यय की वृद्धि जारी रहती है तथा सरकारी बजट भी घाट में रहता है।

जंस-जंस अर्थव्यवस्था में सुधार होना जाता है वंस-वंस वाप तथा रोजगार में वृद्धि होती है और बजट सन्तुलित हो जाता है। पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात् क्षतिपूरक व्यय को समाप्त कर अतिरिक्त बजट का निर्माण करना चाहिए। अतिरिक्त बजट द्वारा ऋणों के लौटाने में सुविधा हो जाती है। स्मरण रहे, पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरान्त उन्नति के साधनों की पूर्ति में कमी आ जाती है और इस स्थिति में यदि सरकार लोकव्यय द्वारा उपरान्त साधनों के लिए और सरकारी क्षेत्र में प्रतिभोगिता करती है तो उसके उसके मूल्य बढ़ जाते हैं और स्फीति सबसे स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पूर्ण रोजगार के स्तर पर पट्टवले के बाद अर्थव्यवस्था को तीव्रता की ओर जाने में रोकने के लिए क्षतिपूरक नीति अधिकतर कटाघात पर निर्भर रहती है तथा अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर जाने में रोकने के लिए क्षतिपूरक नीति कटाघात तथा लोकव्यय, दोनों पर निर्भर रहती है।

संक्षेप में, व्यवसाय चक्र की ऊर्ध्वगती अवस्था में क्षतिपूरक व्यय निम्न दो विभागों में बाटा जा सकता है।

(1) अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान की प्रारम्भिक अवस्था में क्षतिपूरक व्यय मुख्यतः घाटे की व्यवस्था का होगा। यद्यपि बाद में लोकव्यय की मात्रा कम होती जाएगी।

(2) पुनरुत्थान तथा मन्दति की स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात् मुख्यतः अतिरिक्त का बजट बनाया जाएगा तबनि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि न हो।

## लोकव्यय तथा आर्थिक विकास

अन्वयितरहित देशों में निजी उद्यमों का विकास नहीं करता चहुँपे जहाँ जोखिम अधिक होती है तथा मँग प्रवृत्तियों की धारणा नहीं होती। जो संश्लेषण धनी लोग होते हैं उनके उत्सुक तथा उद्यम का अभाव होता है। देश के सन्तुलित विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि वह ऐसे उद्योगों का भी विकास करे जिसका सामाजिक महत्त्व होता है और जो देश के आनी आर्थिक विकास में महत्त्व

होते हैं। इस सदर्भ में रेगनर नक्सन ने उचित ही कहा है, 'अर्धविकसित देशों में राज्य साहसियों का कार्य कर सकते हैं जिनका विपिछडे देशों में बहुत अभाव है।' स्पैंगनर का भी यही मत है कि 'सरकार बहुत से कार्य स्वयं करके साहसियों की कमी पूरी कर सकती है जो कि इस वग (साहसियों) के द्वारा पूरे किए जाते हैं।' अद्यस्थ ढाचे पर व्यय

इन परिस्थितियों के अतर्गत द्रुत आर्थिक विकास केवल लोकव्यय में माध्यम में ही सम्भव है। इसलिए वृद्धि के लिए अद्यस्थ ढाचे के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार पर आ पड़ता है। इसे सामाजिक अपरिव्यय भी कहा जा सकता है। इसमें परिवहन तथा संचार व्यवस्था, शक्ति, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सरकारी क्षेत्र की दृष्टि से सड़कें, रेलें, पुल, भवन, स्कूल, जलाशय आदि सभी अद्यस्थ ढाचे का अंग हैं। अद्यस्थ ढाचे को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद समझा जाता है जिसके ऊपर देश की आर्थिक क्रिया अर्थात् उद्योग एवं व्यापार आधारित होते हैं। किसी देश की अद्यस्थ ढाचे की रचना के लिए बहुत-सी ऐसी परियोजनाएँ निर्मित करनी पड़ती हैं जिनकी आरम्भिक लागत अत्यधिक होती है। अद्यस्थ ढाचे की स्थापना के लिए गैर सरकारी विनियोग से उचित मात्रा में वित्त उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और इसी कारण सामाजिक अपरिव्ययों की स्थापना का दायित्व सरकारी क्षेत्र पर ही माना जाता है। उनके अर्थशास्त्री इस बात में विश्वास रखते हैं कि अधिकतर अल्पविकसित देशों में आर्थिक विकास को गतिमान करने से पहले यह आवश्यक है कि उचित अद्यस्थ ढाचे की स्थापना की जाए। ऐसा होने पर ही विनियोग निधि को उत्पादक क्रियाओं में श्रेष्ठ ढंग से प्रयुक्त किया जा सकता है। अद्यस्थ ढाचे का निर्माण बाह्य मितव्ययिताएँ करता है, जिसमें निजी क्षेत्र लाभ उठाता है।

### साहसी को प्रोत्साहन

सरकार के विज्ञान व्यय का उद्देश्य गैर सरकारी प्रेरणा तथा साहस को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन ऋणों तथा उपदानों द्वारा बाजार मबधी अन्य सूचनाओं उपलब्ध कराने तथा अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करके निजी क्षेत्र की महायत्ना की जा सकती है। सरकार कुछ ऐसी विशेष बैकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कर सकती है जिनका मूल उद्देश्य मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन समय के लिए नीची दरों पर वित्तीय महायत्ना उपलब्ध कराना होता है। अनेक अल्पविकसित देशों में, सरकार को एक ऐसी दृष्ट वाणिज्यिक एवं बैकिंग व्यवस्था की स्थापना करनी होगी जिसका मार्गदर्शन केंद्रीय बैंक करेगा। ये सब वे प्रत्यक्ष रीतियाँ हैं जिनके द्वारा निजी क्षेत्र के विस्तार तथा विकास में सहायता मिलती है।

### स्रोतों के आयटन में सुधार

लोकव्यय वांछित दिशाओं में स्रोतों के आवंटन को सुधारने में भी सहायक होता है।

छाद्य वस्तुओं की दुर्लभताओं के समय में सरकार सस्त बनाजों को हुवानों खोलकर कार्यकारी बगं के लिए छाद्य अनुदान भी देती है जिममें कि उसके स्वाम्य तथा दक्षता को बनाए रखा जा सके। लाकव्यय व द्वारा प्रयारोधक म्दाकों का निर्माण करके छाद्यान्ना के मूल्य न्यूनतम स्तरों पर नियत किये जा सकते हैं। इस प्रकार राजकीय व्यापार के माध्यम से कृषकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। कुछ आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन के विविध क्षेत्रों में निजी एकाधिकार समाप्त करने के लिए राज्य स्वयं उद्यम शुरू कर सकता है। लोगों को सस्ती तथा अधिक दक्ष सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य में, वह जनोपयोगी सेवाओं का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। इस प्रकार लोकव्यय आर्थिक क्रियाओं के सब सेना में बड़ सकता है।

### मानव पूंजी-निर्माण

शिक्षा, लोकस्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाओं पर खिया गया व्यय मानव पूंजी निर्माण में सहायक होता है। परिणामतः कार्यकारी जनसंख्या की अर्जन प्रक्रिया बढ़ती है। जब बढ़ते हुए लोकव्यय के माध्यम में आर्थिक विनाश तेजी में चलता है तो उदग्र गतिशीलता की बाधाएँ दूर हो जाती हैं। व्यवसायों का निम्तार होता है तथा रोजगार के अवसर भी बड़ जाते हैं।

### विकास व्यय की प्राथमिकताएँ

लोकव्यय करते समय एक महत्वपूर्ण समस्या यह उत्पन्न होती है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के मध्य प्राथमिकता का निर्धारण किम प्रकार होना चाहिए। अन्य स्थितियों समान रहने पर, प्राथमिकता निर्धारण सतुलित विकास की अधिकतम दर की गारंटी देता है। प्राथमिकता निर्धारण वास्तव में परियोजनाओं के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। द्वितीय, प्राथमिकता का निर्धारण उपलब्ध साधनों पर भी निर्भर करता है, क्योंकि इन साधनों से ही यह पता लगाया जा सकता है कि यह परियोजनाएँ निर्धारित समय में पूरी हो सकती हैं कि नहीं। तृतीय, प्राथमिकता निर्धारण करते समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये योजनाएँ किस सीमा तक विदेशों पर निर्भरता को कम करती हैं।

इसी से संबंधित एक प्रश्न यह है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में जहाँ कुछ लोग भूमि सबंधी क्षेत्र तथा निर्यातों के विकास पर बल देते हैं, वहाँ दूसरे लोग गौण तथा तृतीय क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के पक्ष को स्वीकार करते हैं। इनके अतिरिक्त एक तीसरा दृष्टिकोण भी है, जिमके अनुसार सभी क्षेत्रों पर समान बल दिया जाना चाहिए ताकि सतुलित विकास हो सके। आर्थर लेविस के शब्दों में, 'विकास कार्यक्रमों में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का विकास साथ-साथ होना चाहिए, जिसमें कि उद्योग तथा

वृषि के बीच और घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन के बीच उचित सतुलन बनाये रखा जा सके।<sup>1</sup>

अल्पविकसित देशों को लोकव्यय करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि प्रशासनिक व्यय न्यूनतम रहे। जैसा कि प्रो० आर०एन० त्रिपाठी ने कहा है, 'प्रशासनिक व्यय में जितनी वृद्धि होगी पूँजी-निर्माण के लिए स्रोत उतने ही कम उपलब्ध होंगे।<sup>2</sup> इसलिए इन देशों को अपने प्रशासनिक व्यय में अनावश्यक वृद्धि को रोकना चाहिए।

---

1. W.A. Lewis 'The Theory of Economic Growth', p 274

2. R. N. Tripathi 'Public Finance in Under Developed Countries', p 66

## सार्वजनिक आय

### सार्वजनिक आय का वर्गीकरण

सार्वजनिक आय अनेक स्रोतों से प्राप्त होती है। इन स्रोतों को वर्गीकृत करने के विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रयास किये हैं परन्तु इन सबमें से एकमत नहीं है, साथ ही बहुत से संबंधित अंतर स्पष्ट भी नहीं हैं। इन मदमें में टाल्टन का मत बड़ा उपयोगी है। उन्होंने कहा है कि, सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण तो किया जा सकता है लेकिन बहुत-से भेद पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं और अन्य वर्गीकरण की खोज स्वयं वर्गीकरण की प्राप्ति में अधिक ज्ञानदायी है।<sup>1</sup> फिर भी इनके अध्ययन में विद्यार्थी को लोक आय के विभिन्न स्रोतों की जानकारी अवश्य हो सकती है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा सार्वजनिक आय का वर्गीकरण निम्न आधाराओं पर किया गया है।

#### प्रो० मैलिगमैन द्वारा वर्गीकरण

प्रो० मैलिगमैन ने सार्वजनिक आय को तीन भागों में बाटा है :

(1) निःशुल्क आय : इस वर्ग में वे सभी प्रकार की आय सम्मिलित हैं जो राज्यों को उपहार, चढ़ाव आदि के रूप में प्राप्त होती हैं अर्थात् जो सरकार को जनता द्वारा स्वेच्छा से दी जाती हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। युद्ध के समय लोगों द्वारा दिए गए ऐच्छिक चढ़े निःशुल्क आय के उदाहरण हैं।

(2) अनुबंधीय आय : इस वर्ग के अंतर्गत वह आय सम्मिलित की जाती है जो सरकार को सार्वजनिक उद्योगों, भवनों, व्यापार तथा भूमि से प्राप्त होती है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त आय को मैलिगमैन ने बीमर के नाम से संबोधित किया है।

(3) अनिर्वाच्य आय : करों से प्राप्त आय तथा सतिपूर्ति की आय इस वर्ग में सम्मिलित की गई है। सरकार एक सर्वशक्तिमान सत्ता होने के कारण नागरिकों से कोई भी संपत्ति अथवा वस्तु माग सकती है जिसके उपलब्ध में वह उत्तमगी एतित पूर्ति कर भी सकती है और नहीं भी। राज्य द्वारा उधारए गए दोषी व्यक्तियों पर



जुमनि खोले जा सकते हैं और उन्हें बे अदा करने होते हैं। आधुनिक समय में यह राज्य की आय का मुख्य साधन माना जाता है।

### प्रो० वैंस्टेबिल का वर्गीकरण

प्रो० वैंस्टेबिल ने सार्वजनिक आय को दो भागों में विभक्त किया है

(1) वह आय जो सरकार को एक बड़े निगम अथवा न्यायाधीश होने के नाते प्राप्त होती है। यह आय राज्य को एक बड़े निगम होने के नाते तथा जनता को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के कारण होती है। सरकार की इस प्रकार की आय और एक साधारण फर्म की आय में कोई अंतर नहीं होता।

(2) वह आय जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से वसूल करता है इसी श्रेणी में शामिल की जा सकती है।

पुछ लेखना ने वैंस्टेबिल के इस वर्गीकरण की आलोचना करते हुए निष्ठा है कि इस वर्गीकरण के आधार पर शुल्क, उपहार, जुमाना तथा विशेष निर्धारण को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कर-सबधी और अकर सबधी दोनों आयों की विशेषताएं सम्मिलित हैं।

### प्रो० एच०डी० एडम्स द्वारा वर्गीकरण

प्रो० एडम्स ने चोरआय को तीन भागों में विभाजित किया है

(1) प्रत्यक्ष आय यह ऐसी आय है जो राज्य को सार्वजनिक उद्योगों, उपहारों तथा जानिया से प्राप्त होती है।

(2) व्युत्पन्न आय इससे अभिप्राय उम आय से है जो राज्य को करों, शुल्कों तथा जुमानों आदि से प्राप्त होती है।

(3) अप्रत्याशित आय इस श्रेणी के अंतर्गत उम आय को सम्मिलित किया जाता है जो सरकार को राजकोपीय विपत्तों तथा अन्य श्रणों से प्राप्त होती है।

एडम्स के अनुसार सरकार को जनता से प्राप्त आय पर अधिक निर्भर रहना चाहिए। आधुनिक काल में ऐसी निर्भरता असंभव-सी हो गई है। अब कर-आगम को ही सार्वजनिक आय का महत्वपूर्ण साधन नहीं माना जा सकता। राज्य स्वयं अपने उद्योगों से भी पर्याप्त आय प्राप्त करता है। अतएव एडम्स का वर्गीकरण आधुनिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

### प्रो० डाल्टन द्वारा वर्गीकरण

डाल्टन ने सार्वजनिक आय के स्रोतों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया है

(1) कर द्वारा प्राप्त आय,

(2) युद्ध या अन्य कारणों से होने वाली क्षतिपूर्ति तथा उपहार की आय,

(3) आरोपित श्रण से प्राप्त आय (प्राचीनकाल में राजा जनता पर दवाब डाल कर ऐसे श्रण प्राप्त किया करते थे),

(4) न्यायालयों द्वारा अपराधियों पर लगाए गए द्राव्यिक दंड से प्राप्त आय,

(5) सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेतों, भवनों आदि में वसूल की गई आय,

- (6) राजकीय उद्योगों से प्राप्त आय,
- (7) गैर व्यावसायिक उद्देश्य से उद्योग की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क की आय,
- (8) स्वेच्छा से दिए गए मार्गदर्शित ऋणों से प्राप्त आय,
- (9) एकाधिकारी उपकरणों से प्राप्त आय, उदाहरणार्थ अफीम और तम्बक का उत्पादन तथा बिनी और विद्युत-शक्ति का उत्पादन तथा वितरण,
- (10) विशेष निर्धारण से प्राप्त आय,
- (11) छानेपाने के उपयोग से लाभ,
- (12) स्वेच्छा से दिए गए उपहार से प्राप्त आय ।


यद्यपि डाब्लिन ने मार्गदर्शित आय के वर्गीकरण को बहुत ही विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु वह स्पष्ट, निश्चित और न्यायमूलक प्रतीत नहीं होता । ऋण से प्राप्त आय को मार्गदर्शित आय का अंग नहीं माना जा सकता ।

प्रो० जे० के० मेहता द्वारा वर्गीकरण

प्रो० जे० के० मेहता ने मार्गदर्शित आय को चार श्रेणियों में विभाजित किया है (1) कर मन्वर्गी आय, (2) शुल्क, (3) महसून, (विराया-भार), तथा (4) विविध आय । उदाहरणार्थ उपहार, जुमाना, विविध कर आदि ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्गीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्गदर्शित आय का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वह सरल, संक्षिप्त एवं व्यावहारिक प्रतीत होता है । निम्न चार्ट इस वर्गीकरण का स्पष्टीकरण करता है :



ऊपर वर्णित मार्गदर्शित सेवाओं के विभिन्न प्रकार की आयों के बीच सीमा रेखाएँ पूर्णतया स्पष्ट नहीं हैं । के धीरे-धीरे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में संमिश्र हो जाती हैं । कर धीरे-धीरे 'शुल्कों' में संमिश्र हो जाते हैं क्योंकि सौकरताओं द्वारा करदानाओं को प्रदान की जाने वाली और करदाताओं द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के बीच संबंध बहुत कुछ अनिश्चित होता है । जिन स्थानों पर दानी के मीटरों का प्रयोग नहीं होता वहाँ जन सेवा के लिए बनूँ विना जाने वाली शुल्क तथा उदाहरण है ।

अपराधों के लिए लगाए जाने वाले जुर्मानों के उपलब्ध में कोई प्रत्यक्ष प्रत्युत्पादन नहीं मिलता इसलिए वह भी कर की श्रेणी में सम्मिलित हो सकता है। करो तथा जुर्मानों के बीच अंतर केवल उद्देश्य का है। लोकसत्ता मुख्य रूप में आय प्राप्त करने के लिए कर लगाती है और जुर्माने मुख्य रूप से लोगों को कुछ हदों में दूर रखने के लिए लगाए जाते हैं। अगर मोटर चालकों पर रफ्तार की मर्यादा भंग करने पर प्रत्येक बार 1 रुपए का जुर्माना किया जाए तो ऐसे जुर्मानों को तेज रफ्तार पर कराधान समझा जा सकता है जिसको बुलना पेट्रोल के करारोपण से की जा सकती है।

यही बात मीमांशकों पर भी लागू होती है। अगर किसी वस्तु पर शुल्क की दर बढ़ाए जाने पर उसमें मिलने वाली आय बढ़ जाती है तो वह शुल्क कर का ही एक रूप है। यदि दर उस बिंदु के ऊपर उठ जाती है जहां आय अधिकतम थी, तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी प्रकार के जुर्माने का तत्त्व उनमें विद्यमान है।

एक ओर शुल्कों और दूसरी ओर करो तथा लोक एकाधिकार लाभों के बीच भी स्पष्ट अंतर नहीं होता क्योंकि अक्सर सेवा प्रदान किए जाने की लागत उसके बमूल दिए गए शुल्क में कम होती है। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए किसी शक्ति अधिकरण के पाम एकाधिकार शक्ति हो सकती है। फिर भी वह निर्णय ले सकता है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए उद्यम की उपज उत्पादन व्यय पर या उनमें नीचे मूल्य पर बेची जाएगी।

शुल्कों और लोक उद्यमों से मिलने वाली प्राप्तियों के बीच भी आमतौर से अंतर स्पष्ट नहीं होता क्योंकि ऐसी सेवाओं के बीच, जो व्यावसायिक स्वभाव की होती हैं, और ऐसी सेवाएं जो इस प्रकार की नहीं होती, कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इस प्रकार, कुछ लेखकों ने डाकघरों की सशुल्क आय को शुल्कों के वर्ग में रखने का मुझाय दिया है।

इस विवेचन का सामान्य निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक आय के साधनों का वर्गीकरण तो अवश्य किया जा सकता है, वित्त बहुत-से संचित अंतर स्पष्ट नहीं हो पाते। जैसा जाल्टन ने कहा है कि 'वर्गीकरण की खोज की क्रिया में जितना ज्ञान-वर्धन हो जाता है उतना वर्गीकरण तय हो जाने पर नहीं होता।'

### सार्वजनिक आय के स्रोत

उपरोक्त वर्गीकरण के विवाद को समाप्त करते हुए सार्वजनिक आय के स्रोतों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

(क) कर सबधी स्रोत

(ख) अ-कर सबधी स्रोत

कर सबधी स्रोत

कर लोकप्राधिकरण द्वारा लगाया गया अनिवार्य अशुल्क होता है जो बदले में करदाता को प्रदान की जाने वाली सेवा के जाकार से कोई सबध नहीं रखता। प्राचीन काल से करारोपण सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत रहा है, आज भी सार्व-

जनिक धन का एक बड़ा भाग करों द्वारा प्राप्त होता है।

प्रो० टामिंग ने कर की परिभाषा इस प्रकार की है, 'कर वह अनिवार्य प्रभार है जो किसी लोकप्राधिभरण द्वारा लगाया जाता है। सरकार द्वारा लगाए गए अन्य प्रभारों से मिला कर का मूल सत्त्व करदाता तथा लोकप्राधिभरण के बीच प्रत्यक्ष प्रत्युपकार का अभाव होता है।' प्रो० मैनिंगमैन ने कर की परिभाषा देने का विचार है, 'कर एक व्यक्ति या सरकार के लिए अनिवार्य अनदान है, उन सबों का पूरा करने के लिए जो उनके सामान्य हित में किए जाते हैं। जमका सबन विधिप भाषों की प्राप्ति के लिए नहीं होता।' जॉन जेम्स के अनुसार कर शान के रूप में दिया गया वह सामान्य अनिवार्य अनदान है जो राज्य के निवासियों को सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए किए गए व्यय का पूरा करने हेतु व्यक्तिगत या किया जाता है। कर सामान्य लाभ पहुंचाने के लिए न्यायनगद वहां जा सकता है। लेकिन उसे वापस नहीं जा सकता।'।

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण में कर की निम्नलिखित विशेषताओं की ओर ध्यान मिलता है

- (1) कर एक अनिवार्य भुगतान है।
- (2) सरकार करदाता का कर के उपरक्षण में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती अर्थात् सरकार और करदाता के बीच प्रत्यक्ष प्रत्युपकार (Quid Pro Quo) के संबंधों का अभाव रहता है।
- (3) कर से उत्पन्न आय का प्रयोग सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाता है।
- (4) यद्यपि कर का भुगतान कोई भी व्यक्ति अपनी आय तथा पूंजी में से कर सकता है परन्तु अंततोगत्वा कर का भुगतान आय में से ही किया जाता है, क्योंकि पूंजी भी वही हुई आय का एक रूप होती है।
- (5) यद्यपि कर वस्तु के मूल्य पर लगाया जाता है परन्तु उनका भुगतान व्यक्ति ही करता है और यह उनका निजी उत्तरदायित्व समझा जाता है।
- (6) करारोपण किसी भी सेवा का लागत मूल्य नहीं है।
- (7) करारोपण वैधानिक रचना द्वारा निर्धारित किया जाता है।

### अ-कर साधन-स्रोत

बौद्धिक शताब्दी के आरंभ तक राज्यों के सौंदर्य का इतना विस्तार नहीं हुआ था जितना उनके पश्चात् हुआ है। उस समय सरकार सार्वजनिक जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करती थी। करों से जो भी आय प्राप्त होती थी उसी के द्वारा कार्यों को पूरा कर लिया जाता था। परन्तु विश्व युद्ध के पश्चात् राज्य के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सरकार अब सार्वजनिक जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करने लगी है। अपने विस्तृत कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है वह करों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को अन्य साधनों की ओर परती पड़ती है। अ-कर साधनों का महत्त्व इसलिए दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, जापान, दक्षिणी अफ्रीका

व मध्य पूर्व एशिया के देश अपनी कुछ आय का एक-तिहाई भाग, कनाडा और फान एक-चौथाई भाग और इंग्लैंड दसवा भाग अ-कर साधनों से प्राप्त करते हैं। भारत का लगभग 37.6 प्रतिशत भाग अ-कर साधनों से उपलब्ध होता है और इस की समस्त आय का 90 प्रतिशत भाग अ-कर साधनों से संपादित होता है।

संक्षेप में आधुनिक वित्त व्यवस्था में अ-कर साधनों का महत्त्व निम्न तीन कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है

(1) प्रत्येक देश में कराधान की एक सीमा होती है, इसके पश्चात् करों का लगाना जनमत को प्रतिकूल करना होता है इसलिए सरकार को अ-कर साधनों की सहायता लेनी पड़ती है।

(2) करारोपण देश के उत्पादन तथा लोगों की वचत पर प्रतिनून प्रभाव डालता है, जबकि अ-कर साधनों के द्वारा तो उत्पादन में वृद्धि होती है। लोगों को रोजगार मिलता है तथा वचत तथा विनियोग करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसे करारोपण से श्रेष्ठ माना जाता है।

(3) सरकार इन साधनों से अर्थव्यवस्था को सतुलित करने में मग्न होती है। अ-कर साधनों के द्वारा अर्थव्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण भी रखा जा सकता है।

अ-कर साधनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है

1 व्यावसायिक आय प्रत्येक देश में कुछ उद्योग तथा संपत्ति सरकार के स्वामित्व में होते हैं। समाजवादी एवं साम्यवादी देशों में तो मग्न उद्योग सरकार के अधिकार में होते हैं। ऐसे ही अनेक लोकमस्याएँ विभिन्न प्रकार के उद्योगों और व्यवसायों का संचालन स्वयं करती हैं। परिवहन, विद्युत एवं डाक-तार इत्यादि ऐसी जनहित सेवाएँ तथा अन्य उद्योगों का संचालन तथा उनसे उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय व्यावसायिक आय के उदाहरण हैं।

कुछ ऐसी भी संपत्तियाँ होती हैं जो प्रायः राष्ट्र के अधीन रहती हैं, उदाहरण- पार्श्व वन, पर्वत, नदियाँ, खनिज आदि। इन मदों से प्राप्त होने वाली आय इसी वर्ग में सम्मिलित की जाती है। डॉल्टन का मत है, 'लोकसत्ता अपनी संपत्ति तथा उद्योगों से प्राप्त निवल भौतिक आय द्वारा अपनी कुल आय में वृद्धि करती है। इस आय की प्राप्ति से लोकसत्ता करों में थोड़ी कमी और खर्चों में वृद्धि कर सकती है जो इनके अभाव में सम्भव नहीं है।'

प्रायः सार्वजनिक उद्योगों का उद्देश्य लाभोपार्जन नहीं होता बरन् निम्नी नीति को व्यवहार में लाना होता है। इन उद्योगों के संचालन के पीछे चाहे कुछ भी कारण क्यों न हों, सरकार को थोड़ी-बहुत आय अवश्य प्राप्त कराते हैं। सरकार को जो आय इस मद से मूल्य के रूप में प्राप्त होती है वह उनके बजट में प्रत्यक्ष सेवाएँ एवं वस्तुएँ प्रदान करता है, अर्थात् यहाँ प्रत्युपकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्युपकार का यह तत्त्व ही मूल्य में प्राप्त आय को करों में भिन्न कर देता है।

मूल्य तथा कर में निम्न अंतर होते हैं

(क) कर अनिवार्य होते हैं जबकि मूल्य ऐच्छित । दूसरे शब्दों में जनता को दरो का भुगतान अनिवार्य रूप में करना पड़ता है परंतु मूल्य का भुगतान अनिवार्य रूप में नहीं करना पड़ता । मूल्य का भुगतान केवल उन्हीं लोगों द्वारा होता है जो सरकार द्वारा उत्पन्न वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करते हैं ।

(ख) एक व्यक्ति जब मूल्य अदा करता है तो उसके बढ़ने में प्रत्यक्षत कोई सेवा या वस्तु प्राप्त करता है परंतु करदाता कर की अदायगी के बढ़ने में यह आशा नहीं करता कि कर से प्राप्त आय उसी के लाभ के लिए खर्च की जाएगी । कहने का तात्पर्य यह है कि कर से प्राप्त आय को जनता के सामान्य कल्याण पर व्यय किया जाता है जबकि मूल्य के बढ़ने में लाभ केवल मूल्य अदा करने वाले को ही दिया जाता है । मूल्य और कर में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है ।

2 प्रशासनिक आय सरकार के मुख्य वस्तुओं में एक वर्तमान यह भी है कि वह देश में शांति और सुरक्षा बनाये रखे । इस संबंध में सरकार कुछ नियम बनाती है और जो समाज विरोधी तत्त्व उनका उल्लंघन करता है वह आर्थिक दंड का भागी होता है । इस प्रकार राज्य को दंड व्यवस्था से भी कुछ आय प्राप्त होती है । गणेश म प्रशासनिक आय के अंतर्गत निम्न में सम्मिलित की जाती हैं

(क) शुल्क : सरकार समाज को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिम्मे बढ़ने में वह पूर्ण अथवा आंशिक लागत वसूल करती है । इन लागत को वसूलपायी शुल्क कहा जाता है ।

प्र० एडम्स के मतानुसार शुल्क विशेष सेवा के बढ़ने में स्वीकार किया जाता है तथा यह सेवा राज्य के किसी विस्तृत कार्य के कारण उत्पन्न होती है । प्लेहन का दृष्टिकोण है कि 'कीमती धन के रूप में एक अनिवार्य अग्रदान है जो किसी प्राकृतिक अथवा कृत्रिम व्यक्ति को मार्गजनिक अधिकारी को आजानुसार सरकार के किसी कार्य में लगे व्यय के किसी अथवा संपूर्ण भुगतान के लिए देना पड़ता है । यह जहां सामान्य लाभ पहुंचाता है वहां एक विशेष प्रकार का लाभ भी पहुंचाता है ।' सैलिंग-मेन के शब्दों में, 'शुल्क एक भुगतान है जोकि राज्य द्वारा मुख्यतः जनहित के लिए प्रदान की गई सेवा की लागत को पूरा करने के हेतु दिया जाता है ।' इन परिभाषाओं के अध्ययन से शुल्क में कुछ लक्षण स्पष्ट होते हैं

(1) शुल्क किसी व्यावसायिक सेवा के बढ़ने में भुगतान नहीं है, अपितु प्रशासनिक एवं न्याय संबंधी सेवा का भुगतान है ।

(2) शुल्क में प्रत्युत्पन्न उपस्थित रहता है । माधारणतया शुल्क निजी व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक दिया जाता है जिसके लिए वे लोकसत्ता के साथ अनुबंध करते हैं । ये अनुबंध स्पष्ट अथवा निहित हो सकते हैं । परंतु कर का भुगतान अनिवार्य होता है ।

(3) शुल्क के अंतिम रूप में कभी-कभी सेवाएं प्रशासनिक नियंत्रण के हेतु दी जाती हैं । लाइसेंस शुल्क इसका उदाहरण है ।

(4) यद्यपि शुल्क के देयता को विशेष लाभ प्राप्त होता है तथापि शुल्क में सार्वजनिक हित का उद्देश्य निहित होता है।

(5) शुल्क की मात्रा प्रदान की जाने वाली सेवा की पूरी अथवा अंशिक लागत के रूप में हो सकती है।

यह आवश्यक नहीं होता कि निजी सेवा के प्रदान करने का संपूर्ण व्यय शुल्क द्वारा प्राप्त हो जाए। इसका केवल एक भाग ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी स्थिति में सेवा प्रदान करने का केवल एक उद्देश्य यह होता है कि वे लोग भी उन सेवाओं में लाभ प्राप्त कर सके जो शुल्क चुकाने में अगम्य हैं तथा जिन्हें उनकी आवश्यकता भी है। शुल्क उन स्थितियों में उपयुक्त होता है जहाँ सरकार सेवा को दुर्ूपयोग से बचाना चाहती है। कोर्ट फीस, स्टाप फीस, रजिस्ट्रेशन फीस आदि शुल्क के अच्छे उदाहरण हैं।

शुल्क और मूल्य में अंतर : (1) शुल्क में मूल्य की अपेक्षा लोअरहित का अर्थ अधिक होता है क्योंकि फीस के अंतर्गत उमके भुगतानकर्ता को विशेष लाभ होने के साथ-साथ जनसाधारण को भी सामान्य लाभ प्राप्त होता है। (2) शुल्क जनोपयोगी सेवाओं के बदले में लिया जाता है जबकि मूल्य व्यापारिक ढंग की सेवाओं के बदले में लिया जाता है।

शुल्क और कर में अंतर (1) शुल्क किसी विशेष लाभ के बदले में दिया जाता है जबकि कर की अदायगी जनहित के लिए की जाती है। (2) करदाता को कर के भुगतान से कोई प्रत्यक्ष एवं समान लाभ नहीं प्राप्त होता जबकि शुल्क देयता को शुल्क के बदले में कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। (3) शुल्क की मात्रा सेवा लागत के बराबर या सेवा से प्राप्त लाभ के अनुपात में हो सकती है। परंतु कर और लाभ में कोई ऐसा संबंध नहीं होता। दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए हटर ने लिखा है, 'शुल्क एक अर्धभ्रान्तिवायं कर है जो मुख्यतः सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से दिया जाता है किंतु इससे उम व्यक्ति को भी एक निश्चित लाभ प्राप्त होता है जो शुल्क देता है।'

कभी-कभी शुल्क तथा कर में भेद करना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में सैलिंगमैन का विचार अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है। सैलिंगमैन के मतानुसार, 'साइसेंस शुल्क उसी समय शुल्क कहा जाएगा जब साइसेंस लेने वाले को उससे लाभ हो, परंतु जब उसमें मिलने वाली आय से सरकारी अधिकारी को कुछ लाभ मिलता है तो वह कर के समान ही होता है।'

(ख) साइसेंस शुल्क लुट्ज के अनुसार साइसेंस शुल्क उम अवस्था में दिया जाता है जिसमें सार्वजनिक अधिकारी स्वयं कोई प्रत्यक्ष या स्पष्ट सेवा न करके किसी व्यक्ति को कार्य करने की आज्ञाप्रदान करते हैं अथवा उम अधिकार सौंपते हैं। साधारण योत्चाल में शुल्क तथा साइसेंस शुल्क में कोई भेद नहीं समझा जाता परंतु आर्थिक दृष्टि से इनमें अंतर है। दोनों में भेद करते हुए लुट्ज ने बतलाया है, 'शुल्क उम मामलों में दिया जाता है जब वास्तव में कोई सेवा प्रदान की जाती है जबकि

लाइसेंस शुल्क उन मामलों में दिया जाता है जब मार्केटिंग अधिकारी कोर्ट कार्य न करके किसी व्यक्ति को कार्य कराने का अधिकार प्रदान करता है। लाइसेंस शुल्क में नियमन तथा नियंत्रण का अंश रहता है। कुछ मानाजिक सेवाएँ ऐसी होती हैं जिन को संपन्न करने के लिए कुछ ही व्यक्तियों को अधिकार दिया जाता है तथा लाइसेंस के द्वारा इनकी गतिविधियों को नियमित किया जाता है। जैसे मादक वस्तुओं के विक्रय के लिए लाइसेंस द्वारा अधिकार देना, बंदूक का प्रयोग करने के लिए बंदूक लाइसेंस का देना। यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस शुल्क को जमा करना भूल जाता है तो उनका वह अधिकार भी समाप्त हो जाता है जो उसे लाइसेंस के द्वारा प्राप्त हुआ था।

(ग) जुर्माना तथा प्रत्यापत्तन जुर्माना तथा अर्थ दंड वह घनराशि है जो सरकार किसी निवासी में वैधानिक नियमों के उल्लंघन करने पर वसूल करती है। वस्तुतः जुर्माने का उद्देश्य आय अर्जित करने नहीं होता अपितु व्यक्तियों को वैधानिक नियमों के उल्लंघन से रोकना होता है। आधुनिक समाज के लोगों में सुधार लाने के लिए उनके आत्म विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए इसलिए जनमत दंड का विरोध करने लगा है। इसलिए इस मद में आय घटती जा रही है।

कभी-कभी सरकार को व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करके भी आय प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी का नामांकन किए बिना या बिना वसीयत लिखे मर जाता है तो ऐसे मृतक की संपत्ति सरकार जब्त कर लेती है। इस स्रोत से भी सरकार को कोई विशेष आय नहीं होती।

(घ) विशेष कर निर्धारण विशेष कर निर्धारण अमरीकी आविष्कार है। मैसिंगमेन ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, 'विशेष कर निर्धारण एक अनिर्वाय अशदान है जो उठाए जाने वाले लाभों के अनुपात में लगाया जाता है, जिससे लोकहित में परिसंपत्ति के विशिष्ट सुधार के लिए किए गए व्यय को प्राप्त किया जा सके। कभी-कभी सरकार कुछ ऐसी सेवाएँ प्रदान करती है जिन्हें परिणामस्वरूप व्यक्तियों की संपत्ति में अनायास बिना किसी परिश्रम के वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार अनर्जित आय वृद्धि पर सरकार कर लगाकर उस आय का एक भाग वसूल कर लेती है। उदाहरण के लिए किसी लोकसंस्था द्वारा सड़क निर्माण कराने में उसके आसपास की भूमि या मकान का मूल्य बढ़ जाता है जिनका एक अंश वह लोकसंस्था विशेष कर निर्धारण द्वारा प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार यदि किसी नगर में नगरपालिका कोई पार्क बना दे या नानियों की उचित व्यवस्था करवा दे तो उसने नगरीय व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त हो जाना है जो उसके परिश्रम के द्वारा नहीं हुआ है। इसलिए नगरपालिका इन विशेष लाभों पर कर लगानी है। प्रो० टेंकर का विचार है कि लोक क्लबों के फनस्वरूप नागरिकों की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर ही विशेष कर लगाया जाना है। इंग्लैंड में ऐसे विशेष कर निर्धारण को सुधार कर (Betterment Levy) के नाम से सर्वोच्च किया जाता है। भारत में बाघ, नदरान, उड़ीसा तथा पंजाब राज्य सरकारों ने भूमि पर सुधार कर लगाए हैं।



प्र० सैलिंगमेन ने विशेष कर निर्धारण में निम्न गुण बतलाए हैं

- (1) इन करों का कोई विशेष उद्देश्य हो।
- (2) विशेष सेवा से उत्पन्न लाभ को नापा जा सके।
- (3) इन प्रकार आरोही न होकर लाभ के अनुपात में हो।
- (4) यह स्थानीय विकास का प्रतिफल हो।
- (5) स्थानीय परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो।

विशेष कर निर्धारण तथा कर में समानताएँ और अंतर विशेष कर निर्धारण कर से मिलता-जुलता है। क्योंकि यह कर की तरह ही अनिवार्य भुगतान होता है। परंतु कर में इस आधार पर भिन्न होता है कि विशेष कर निर्धारण के अदा करने वाले को निश्चित एवं प्रत्यक्ष रूप में प्रत्युपकार मिलता है जबकि कर अदा करने वाले को कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्युपकार नहीं मिलता। कर सामान्य हित के लिए लगाए जाते हैं परंतु विशेष कर अभिनिर्धारण इसके अदा करने वाले को विशेष लाभ पहुंचाता है। विशेष कर निर्धारण में प्राप्त आय को सार्वजनिक स्थाई पूंजी के विकास के लिए खर्च किया जाता है जबकि कर से प्राप्त आय किमी भी रूप में खर्च की जा सकती है।

विशेष कर निर्धारण तथा मूल्य में बहुत कुछ समानता इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि दोनों का सबध प्रत्यक्ष प्रत्युपकार से है। फिर भी ये एक-दूसरे से भिन्न इसलिए है कि विशेष कर निर्धारण का भुगतान ऐच्छिक नहीं होता जबकि मूल्य का भुगतान ऐच्छिक होता है।

विशेष कर निर्धारण तथा शुल्क में अंतर (1) विशेष कर निर्धारण विशेष स्थानीय सुधार के लिए लगाया जाता है परंतु शुल्क प्रशासन संबंधी कार्यों के लिए लगाया जाता है।

(2) विशेष कर निर्धारण का भुगतान केवल एक बार होता है जबकि शुल्क का भुगतान अनेक बार हो सकता है।

(3) विशेष कर निर्धारण की दर साधारणतया लाभ के भुगतान में होती है जबकि शुल्क की दर पहले से ही निश्चित होती है।

(4) विशेष कर निर्धारण मासूहिक रूप में अर्थात् कुछ व्यक्तियों पर एक साथ लगाया जाता है जबकि शुल्क व्यक्तिगत रूप से लगाया जाता है। शुल्क का भुगतान केवल व्यक्ति विशेष को होने वाले लाभ के अनुसार होता है।

(3) उपहार तथा अनुदान गैर सरकारी कर दाताओं द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अशदान जो विशेष उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं, उपहार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यह उपहार युद्ध मरानन के लिए, अस्पताल खोलने के लिए, अनाथ पीढ़ियों की सहायता के लिए, इत्यादि हो सकते हैं। ऐसे अशदानों में युद्धकाल में देशभक्ति भावना के कारण वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। डाल्टन ने इस मद से प्राप्त आय को 'ईमान अदायगी' कहा है। उपहार सदैव स्वेच्छापूरवक दिए जाते हैं और उपहार देने वालों को इनके बदले में कोई लाभ नहीं मिलता। हमारे देश को अमरीकी

सरकार ने बहुत बड़ी धनराशि उपहार के रूप में प्राप्त हुई है।

अनुदान भी धनराशि का वह रूप है जो सरकार को स्वेच्छापूर्वक दी जाती है। अनुदानों के माध्यम से एक सरकार दूसरी सरकार को सामान्यतः किसी विशेष काम के लिए एक विशेष विधि से, वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकारें प्राचीन समय में स्थानीय सरकारों को शिक्षा और राजस्व संबंधी अनुदान देती रहीं हैं। राष्ट्रीय सरकार प्राचीन काल में राज्य सरकारों को राजस्वों के निर्माण और रख-रखाव के लिए तथा शिक्षा आदि के लिए देती रहीं हैं। राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अनुदानों का उद्देश्य विभिन्न वित्तीय विधियों का रूप करते हुए राज्य के विभिन्न अंगों के मध्य साम्य स्थापित करना तथा उनका उचित नियंत्रण व निर्देशन करना होता है। यह अनुदान गैर-रहित भी हो सकते हैं और गैर-रहित अनुदान कुछ विशिष्ट कार्यों की पूर्ति के लिए ही दिए जाते हैं।

अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को भी दिए जाते हैं। आधुनिक काल में ऐसे अनुदानों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। अनेक विकसित देश अन्य विकसित देशों को अनुदान देकर आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रमरीका, मोक्सिको, ब्राजील, आर्जेन्टिना, पश्चिमी जर्मनी, जापान आदि सरकारों ने अनेक विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए, हमें रूप में सहायता प्रदान की है।

उपहारों और अनुदानों की प्राप्ति एक ही प्रवृत्ति की है, इन दोनों में यह विशेष गुण है कि वे स्वेच्छा से दिए जाते हैं तथा उनमें दाताओं की किसी प्रत्यक्ष लाभ की चाह नहीं होती। अनुदान की विधा में, दाता सरकार एक अन्य स्तर पर सरकारी काम करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। दाता सरकार वह कार्य स्वयं करने के बजाय अनुदान इसलिए देती है, क्योंकि या तो अधिकार में ऐसा बड़े व्यय है या फिर अनुदान प्राप्त वाली सरकार तर्कमूलक प्रशासनिक अधिकारण है। किसी उपहार भी पूर्णतः स्वेच्छा से दिए जाते हैं तथा उनमें देने वाले को किसी उच्च नतीजा के और कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता कि उनमें उचित गतिविधियों को प्राप्ति देता है।

### प्रत्यक्ष व परोक्ष कर

प्रत्यक्ष व परोक्ष करों के बीच प्राचीन समय से ही भेद विद्यमान था है। परन्तु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही शब्द अस्पष्ट रहे हैं। अभी भी इनकी कोई प्रायोगिक व्याख्या नहीं की गई है। अभी तक अर्थशास्त्री उनके भेद में एकमत नहीं हुए हैं। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस उद्देश में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए हैं।

प्रो० बुचक के अनुसार, 'उत्पादन पर लगाए जाने वाले कर प्रत्यक्ष कर और उपभोग पर लगाए जाने वाले परोक्ष कर हैं।' जान स्टुअर्ट मिल का बयान है कि, 'प्रत्यक्ष कर वह कर है जो कि उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा मागा जाता है जिनके विषय में पर प्राप्ति की जाती है कि वे उसे अपने पास ले लें और परोक्ष कर वह कर है जो किसी एक व्यक्ति से इस प्रकार मागा जाता है कि वह उनका भाग अन्य किसी

व्यक्ति के ऊपर डालकर अपनी हानि पूर्ति कर लेगा।<sup>1</sup>

अभिप्राय यह है कि यदि सरकार कर इस आशा से लगाती है कि उसका भार करारोपित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित न कर सके तो वह प्रत्यक्ष कर होता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित करने में समर्थ होता है तो इस प्रकार का कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में जान स्टुअर्ट मिल के विचार तर्कसंगत नहीं मालूम पड़ते हैं। क्योंकि प्रथम दोष इसमें यह है कि सरकार करों का भार जिस धादमी पर डालना चाहती है उस पर न पड़े। द्वितीय, कर का भार विभिन्न वर्गों पर भिन्न-भिन्न पड़े।

आरमिटेज स्मिथ के कथानुसार 'प्रत्यक्ष करारोपण से तात्पर्य होता है कि कर विवर्तित या हस्तांतरित नहीं होता, अपितु यह उसी व्यक्ति पर लगाया जाता है जिससे यह आशा की जाती है कि वह भार सहन करेगा। आर्य कर प्रत्यक्ष करारोपण का श्रेष्ठ उदाहरण है।'<sup>2</sup>

इस परिभाषा के अध्ययन से प्रत्यक्ष कर का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष कर की एक मात्र विशेषता यह है कि इसका अंतिम भार उसी व्यक्ति पर होता है जो सरकार को इसको भ्रदा करता है। व्यक्तियों की शुद्ध आय पर जो भी कर लगाए जाते हैं सभी प्रत्यक्ष कर होते हैं, क्योंकि शुद्ध आय पर जो भी कर लगाया जाता है उसका विवर्तन संभव नहीं होता है।

आरमिटेज स्मिथ ने परोक्ष करों के बारे में कहा है कि परोक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर ऐसे कर होते हैं जो अन्य व्यक्तियों पर विवर्तित किए जा सकते हैं।<sup>3</sup>

तात्पर्य यह है कि परोक्ष करों का भार अंतिम रूप से उन व्यक्तियों पर नहीं रहता जिन पर कि सरकार ये कर लगाती है अथवा जो इन्हें सरकार को भ्रदा करते हैं। विथी कर, सीमा शुल्क, उत्पादक कर आदि परोक्ष कर के उदाहरण हैं।

प्रो० फिडले शिराज के अनुसार, 'प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो व्यक्तियों की संपत्ति तथा आय पर लगाए जाते हैं और जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को किया जाता है। वाकी सब कर अप्रत्यक्ष होते हैं। उनके अनुसार संपत्ति कर, मृत्यु कर, व्यक्ति कर प्रत्यक्ष कर हैं और सरकार को सीधे दिए जाने वाले उपभोग कर प्रत्यक्ष कर होते हैं।'<sup>3</sup>

यह परिभाषा भी त्रुटि रहित नहीं है। इस परिभाषा में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों में भेद भुगतान करने की विधि के आधार पर किया गया है और इसलिए प्रत्येक कर प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का भेद करते समय कर के भार

1 J S Mill Principles of Political Economy, p 823

2 G Armutage Smith Principles and Methods of Taxations, p 36

3 Findley Shittas Science of Public Finance, p 119

को भी ध्यान में रखना चाहिए जिस पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया है।

डी मार्को ने प्रशासनिक आचार पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों को परिनामित किया है। उनके कथनानुसार 'प्रत्यक्ष कर वह कर होने हैं जो निश्चित सूचियों के आधार पर वसूल किए जाते हैं जिसमें कि करदाताओं के नाम लिखे जाते हैं जबकि परोक्ष कर वे कर होते हैं जो कुछ निर्दिष्ट नार्थों के अवसर पर वसूल किए जाते हैं तथा निर्धारित समय पर नहीं किए जाते।'<sup>1</sup>

इसने दोषों को हम एक उदाहरण में समझ सकते हैं, जंग मोटर गाड़ियों पर लगाए जाने वाले कर यद्यपि नामा की सूचियों के अनुसार वसूल किए जाते हैं किंतु वे उपभोग पर लगाए जाने वाले कर हैं।

प्रो० वेल्डोर के अनुसार, 'प्राय तथा मपूर्ण संपत्ति पर लगने वाला कर प्रत्यक्ष है, जबकि संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगने वाला कर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है।'

प्रो० जे० के० मेहता के अनुसार, 'वहीं कर प्रत्यक्ष कर है जिसको पूरी तरह से उसी व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाना है जिस पर उसे लगाया जाता है अर्थात् उसका तत्काल भार उसी व्यक्ति पर पड़ना चाहिए जो कर अधिकारी को कर की राशि चुकाता है। अप्रत्यक्ष कर वह है जिसे भुगतान करने वाला व्यक्ति दूसरों पर पूर्णतया या आंशिक रूप में टाल देता है।'

इस प्रकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के भेद के मक्ष में मतभेद चला आ रहा है। उपरोक्त अध्ययन से प्रतीत होता है कि करों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में भेद किए जाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मॉलिंगमैन ने इस संबंध में उचित ही कहा है कि 'आधुनिक विज्ञान ने तो करों के बीच भेद करने के इस आधार का परित्याग कर दिया है।'

## प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के गुण-दोष

प्रत्यक्ष करों के गुण

आधुनिक अर्थशास्त्री प्रत्यक्ष करों के निम्न गुणों को मान्यता देते हैं :

(1) **कर देने की सामर्थ्य का घोटक** : प्रत्यक्ष कर क्योंकि प्रायः प्राप्तकर्ता की कुल आय पर लगाए जाते हैं इसलिए सरकार इन्हें न्यायशीलता के सिद्धांत की ध्यान में रखकर लगाती है। क्योंकि यह कर प्रगतिशील दर से या नि अमीरों पर अधिक व गरीबों पर कम मात्रा में लगाए जाते हैं अतः प्रत्यक्ष कर करदान क्षमता के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। लेकिन डाल्टन इसके विरुद्ध हैं। वह कहते हैं कि 'प्रत्यक्ष कर केवल प्रत्यक्ष व्यक्ति कर के रूप में और परोक्ष करारोपण विलासिता की वस्तुओं पर, जिन्हें केवल धनी व्यक्ति ही खरीद सकते हैं, कर के रूप में सीमित कर दिया जाए तो स्थिति विलुक्त ही विपरीत हो जाएगी।' वह कहते हैं कि न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन सभी प्रत्यक्ष करों का

1 Antonio De Viti De Marco 'First Principles of Public Finance,' (1940), p 130

अनिवार्य गुण नहीं है। वही इसका पालन होता है और वही नहीं।

(2) उत्पादकता : सभी प्रत्यक्ष करो में उत्पादकता का गुण व्यापक रूप से विद्यमान होता है। प्रायः इनके एकत्रीकरण में हुए व्यय से आय अधिक मात्रा में होती है। क्योंकि दो-तीन प्रत्यक्ष करो, जैसे आय कर तथा निगम कर में ही सरकार को कुल आय का आधे से अधिक भाग प्राप्त होता है।

(3) निश्चितता के सिद्धांत का द्योतक - प्रत्यक्ष करो में निश्चितता के मिटान का पालन होता है क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतर आय के स्रोत पर ही लगाए जाते हैं तथा करदाता को यह ज्ञात होता है कि उसे किस समय कितना कर देना होगा तथा सरकार यह बात ध्यान में रखती है कि उसको प्रत्यक्ष करो से कितनी आय प्राप्त होगी।

(4) मितव्ययता : परोक्ष करो की तुलना में प्रत्यक्ष करो के इकट्ठा करने पर सरकार को अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। इन करो के एकत्रीकरण के लिए अधिक प्रशासन का विस्तार नहीं करना पड़ता है। इससे उसका व्यय कम होता है तथा आय अधिक होती है।

(5) लोच - क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतर व्यक्ति की शुद्ध आय पर होने हैं इसलिए इन करो से सरकार को होने वाली राष्ट्रीय आय में तथा उनके वितरण के स्वल्प में परिवर्तन करने के लिए काफी लोच उपस्थित होती है। जब देश के आर्थिक विकास के पत्रस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो प्रत्यक्ष करो की दर पूर्ववत् रहने पर भी सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है तथा आर्थिक संकट के समय जब दुर्भिक्ष या किमी अन्य कारण से राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ जाती है तो इसके परिणामस्वरूप लोगों को आय कम हो जाती है। इस प्रकार स्वतः ही सरकार की आय में भी कमी आ जाती है क्योंकि प्रत्यक्ष कर अधिकतम प्रगतिशील दर से करारोपित किए जाते हैं। अतः सरकार शुद्ध के समय इन करो के माध्यम से अधिक आय प्राप्त करने में समर्थ होती है।

(6) नागरिकों में जागरूकता उत्पन्न होना : शासन की प्रजातांत्रिक प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी सफलता के लिए लोगों में सरकार के प्रति कर्तव्य की चेतना और जागरूकता आवश्यक है। प्रत्यक्ष कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नागरिक जब कर देता है तो वह उसका भार सहन करता है तथा कर भ्रष्टाचरों पर वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करता है तथा उसके द्वारा किए गए त्याग का सरकार के द्वारा अपव्यय तो नहीं किया जा रहा, इसके प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहता है। प्रत्यक्ष करो के दोष

प्रत्यक्ष करो के गुण ही गुण हों यह संभव नहीं है, इनके दोष भी हैं जो निम्नलिखित हैं

(1) अमुविधाजनक : करदाता की दृष्टि से सभी प्रत्यक्ष कर अमुविधाजनक और कष्टदायक होते हैं। इन करो को भुगतान करने के लिए सभी व्यक्तियों को ध्यान का लेखा-जोखा रखना पड़ता है तथा यदि अधिकारी गण लेखे-जोखे को गलत मानते हैं तो

वे मनमाने रूप में वरारोपण करते हैं जिसमें करदाता को अधिक बर्ष सहन करना पड़ता है। दूसरे, व्यक्ति की आय वर्ष में धीरे-धीरे होती है जबकि वह वर एक साथ अदा करता है जिससे उसे मानसिक बर्ष की अनुभूति होती है।

(2) कर अपवचन - प्रत्यक्ष करों का भार बेतन भोगी वर्ग पर और मुनिश्चित आय वाले व्यक्तियों पर पूर्ण रूप से पड़ता है, परंतु व्यापारी वर्ग के लोग तथा उद्योगपति झूठे वही खाते रखकर अपनी आय कम दिखाते हैं और इस प्रकार सरकार को घोखा देकर कर भार से बच जाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व भारत सरकार ने कर अपवचन की समस्या के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री निकोलस बाल्डोर को आमंत्रित किया था। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा था कि इस देश में प्रति वर्ष 200 करोड़ से 300 करोड़ रुपये तक कर का अपवचन होना है। उनके मतानुसार भारतवर्ष में अधिकांश कर अपवचन प्रत्यक्ष करों का है।

(3) बचत व विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव - प्रायः प्रत्यक्ष करों का अधिकांश भार उन व्यक्तियों पर होता है जो पूजीपति होते हैं तथा जिनकी आय अधिक होती है। इन व्यक्तियों के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यक्ष करों के वरारोपण के कारण उनकी बचत करने की सामर्थ्य कम हो जाती है फलतः पूजा निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। परंतु पूजीपति वर्ग का यह तर्क अमंगल तथा भ्रान्तिपूर्ण है क्योंकि यह इस मान्यता पर आधारित है कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों के रूप में एकजिंत की जाने वाली समस्त धनराशि अनुत्पादन और अनुपयोगी कार्यों पर ही व्यय की जाएगी। वास्तविकता यह है कि अनेक प्रत्यक्ष कर पूजीपति और दूसरे धनी वर्गों की विलासिता पर अपव्यय को कम करते हैं।

### परोक्ष करों के गुण

परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर के पूरक माने जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष करों में नितांत अभाव रहता है। परोक्ष कर प्रायः निम्नलिखित गुणा से युक्त होते हैं

(1) विस्तृत आधार : परोक्ष करों का आधार सामान्यतः प्रत्यक्ष करों की तुलना में विस्तृत होता है। जहां प्रत्यक्ष कर बहुत थोड़े व्यक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं वहां परोक्ष करों का भार कम या अधिक अंश में सभी व्यक्तियों पर होता है। यदि कर भारी होते हैं तो उनका भार भी सीमित व्यक्तियों पर होता है। उनके पूजा के सचय विनियोग और कभी-कभी देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर गभीर प्रभाव पड़ते हैं। परोक्ष कर प्रायः न तो भारी होते हैं और न ही उनका भार सीमित व्यक्तियों पर पड़ता है। इसलिए इन करों का देश की पूजा के सचय और विनियोग पर कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) लोच - अनेक परोक्ष करों में लोच का गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनका उपभोग वस्तुओं पर व्यय बढ़ जाता है। फलतः सरकार की परोक्ष करों से प्राप्त होने वाली आय भी स्वतः बढ़ जाती है। अनिर्धार्य आवश्यकता की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले परोक्ष करों से सरकार की आय केवल कर की दर में परिवर्तन कर देने मात्र से ही

बढाई-घटाई जा सक्ती है जो परोक्ष करो की खेच का प्रतीक है ।

(3) कर अपवचन कठिन : प्राय परोक्ष करो का अपवचन सरल नही होता है । इसका मुख्य कारण यह है कि ये कर व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा सरकार को दिए जाने हैं और यह लोग इन्हें उपभोक्ताओं पर वितरित कर देते हैं । ऐसी स्थिति में उत्पादक कर सीमा शुल्क आदि के श्रेताओं से वस्तु की मिकी के गमय ही बमूल कर लेते है । जिससे कर अपवचन सरलता से सम्भव नही होता ।

(4) सभी व्यक्तियों पर - इस कर का भुगतान राष्ट्र के सभी नागरिक अपनी करदान क्षमता के अनुसार सरकार को करते हैं । इसमें धनी व्यक्तियों पर अधिक कर भार पडता है तथा निर्धन वर्ग पर कम । अतः परोक्ष कर आलोचना का विषय कम बनते हैं ।

(5) सामाजिक लाभ : अनेक परोक्ष कर सामाजिक कल्याण में वृद्धि करते हैं । जब किसी देश की सरकार मदिरा, तबाकू, अफीम, गाजा, भांग आदि मादक पदार्थों के विक्रय पर कर लगानी है तो इन हानिकारक वस्तुओं का उपभोग हतोत्साहित होता है और फलतः सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है । इसके विपरीत कोई भी ऐसा प्रत्यक्ष कर नही है जिसके द्वारा हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर नियंत्रण लगा सक्ना सम्भव हो ।

### परोक्ष करो के दोष

परोक्ष करो के कुछ प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं

(1) न्यायशीलता का अभाव : परोक्ष कर चाहें वस्तु के उत्पादन पर हो या विक्री पर इनकी दर निर्धन और धनी सभी व्यक्तियों के लिए समान होनी है । इसलिए प्राय परोक्ष करो का वास्तविक भार निर्धन वर्ग के लोगों पर अधिक रहता है । अस्तु य कर न्यायशास्त्रता के सिद्धांत के विरुद्ध है ।

(2) मितव्ययता का अभाव : परोक्ष करो के एकत्रितकरण पर सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पडता है । प्रत्यक्ष करो की तुलना में जनता से परोक्ष कर एकत्रित करने के लिए सरकार को विस्तृत प्रशासकीय व्यवस्था करनी पडती है जिस पर काफी व्यय होता है । कर एकत्रित करने पर अधिकव्यय होना मितव्ययिता के सिद्धांत के प्रतिकूल है ।

(3) आय की असमानताओं में वृद्धि : प्राय परोक्ष कर स्वरूप में प्रनिगामी होते हैं । इसलिए इनके द्वारा देश में आय का वितरण अधिक असमान हो जाता है । हम विस्तार के साथ स्पष्ट कर चुके हैं कि सामान्यतः परोक्ष करो का भार निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की तुलना में अधिक होता है । इसलिए करारोपण के बाद निर्धन वर्ग के लोगों की दशा धनी वर्ग के व्यक्तियों की तुलना में अधिक निरुत्थ हो जाती है तथा आय की असमानता की खाई को अधिक चौड़ा होने में सहायता मिलती है ।

(4) मंदीकाल में कम आय : मंदीकाल में नागरिकों की श्रम-शक्ति कम हो जाती है । वे वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मात्रा में श्रम नहीं कर पाते । इसलिए मंदीकाल में परोक्ष कर अधिक उत्पादक सिद्ध नहीं हो पाते ।

(5) अनिश्चितता : अनिश्चितता से अर्थव्यवस्था की वस्तुओं पर करो के अतिरिक्त

अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा विप्रेषण पर जो भी बर लगाए जाते हैं उनसे सरकार को होने वाली आय मुनिदिष्ट नहीं होती। इनका प्रधान कारण यह होता है कि परोक्ष करों से सरकार को होने वाली आय वस्तुओं की मांग की खोज पर निर्भर होती है।

(6) माणरिक भावना उत्पन्न करने में असमर्थ - यद्यपि परोक्ष कर सभी व्यक्तियों के द्वारा दिया जाता है और इनका भार निर्धन तथा धनी दोनों ही वर्गों के लोगों पर बराबर अथवा अधिकांश में होता है परतु स्पष्ट ही है कि सभी व्यक्तियों को उत्पादन कर तथा विप्रेषण कर अदा करने पडत है, परतु जोर भी व्यक्ति करों के वास्तविक भार में परिचित नहीं होता। इनका मुख्य कारण यह है कि किसी को भी परोक्ष करों की वास्तविक कुल राशि का पता नहीं होता। उपभोक्ता द्वारा परोक्ष कर वीनत के रूप में ही वस्तु विप्रेषण को दिए जाते हैं। अतः प्रायः उपभोक्ता वस्तु की कीमत और कर की राशि में भेद नहीं कर पाता। ऐसी अवस्था में उनमें राज्य के प्रति उपेक्षा की भावना आ जाता स्वाभाविक है।

### निष्कर्ष

प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के मन्ध में ससप लया गुण दोनों की विवेचना से स्पष्ट हा जाता है कि नामाभयन प्रत्यक्ष करों का अधिकता भार धनिक वर्ग के व्यक्तियों पर होता है क्योंकि प्रातिशील कर प्रणाली में प्रायः निर्धन वर्ग को कर मुक्त कर दिया जाता है। परतु परोक्ष कर वस्तुओं पर कर होने के कारण सभी व्यक्तियों पर एक ही दर के हिमाय से लगाए जाते हैं और इसलिए निर्धन वर्ग पर इनका भार अधिक होता है। परतु ऐसा होना अनिवाय रूप से आवश्यक नहीं होता क्योंकि यदि आय कर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की दरें प्रातिशील न होकर प्रतिगामी होना प्रत्यक्ष करों का अधिकता भार निर्धन वर्गों पर पडेगा। इनके विपरीत यदि परोक्ष कर केवल विप्रेषण को वस्तुओं पर लगाए जाए तो उनका अधिकता भार धनिक वर्ग पर होगा।

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के बारे में नी. बी० मार्की का कथन है कि 'एक प्रकार के करों की तुलना में दोनों ही प्रकार के करारोपण के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण अथवा अपूर्ण कर व्यवस्था प्राप्त की जा सकती है। इन प्रकार की प्रणाली नष्ट करारोपित क्षेत्र पर बराबर दबाव डालकर न केवल करारोपण में समानता का गुण उत्पन्न करती है वरन् इनमें अधिकतम आय की भी प्राप्ति होती है।'<sup>1</sup>

(1) प्रशासनिक दृष्टिकोण : प्रशासनिक व्यय एक क्षमता की दृष्टि से भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों की तुलना महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष कर न्यून आय वाले व्यक्तियों पर नहीं लगाए जाते हैं और उन्हें उपयुक्त सीमा तक छूट प्रदान की जाती है जैसे भारतवर्ष में न्यूनतम आय कर छूट सीमा 6000 रु० वार्षिक है। इस प्रकार परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर से उत्तम है।

इन आधार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष करों में भेद करना उचित नहीं है क्योंकि किसी



भी देश में व्यक्तियों को ऐसे समूहों में विभक्त करना संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष कर किस वर्ग पर तथा परोक्ष कर किस वर्ग में लगाए जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष कर लागू नहीं होते उनको अप्रत्यक्ष करों का भुगतान अवश्य करना होता है।

द्वितीय, आधुनिक प्रशासन व्यवस्था में इतने प्रातिकारी परिवर्तन हो चुके हैं कि आय एवं अन्य प्रत्यक्ष कर नीची आय वाले व्यक्तियों पर भी लगाए जाते हैं। अतः इन दोनों करों में प्रशासकीय आधार पर अंतर करना उचित नहीं है।

प्रो० प्रेस्ट का मत है कि परोक्ष कर अल्पविकसित देशों के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश लोग हिसाब-किताब नहीं रख पाते हैं। अतः अल्पविकसित देशों में अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष करों से उपयुक्त रहते हैं।

(2) वितरणात्मक दृष्टिकोण वितरणात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष करों में तुलना की जा सकती है। प्रत्यक्ष कर क्योंकि प्रगतिशील दरों पर अर्थात् धनिक वर्ग पर अधिक तथा गरीब वर्ग पर कम दर से लगाए जाते हैं अतः पूंजीवादी व्यवस्था में धन की असमानता को दूर करने में प्रत्यक्ष कर सहायक होते हैं। प्रत्यक्ष कर अधिक आरंभी तथा परोक्ष कर सामान्य अवरोही दर से लगाए जाते हैं तथा उन (परोक्ष) करों का भार सभी व्यक्तियों को सहन करना पड़ता है क्योंकि ये अंतिम रूप में उपभोक्ता पर पड़ते हैं।

यह उपरोक्त विचार कुछ अमूर्ण है। जहां तब वितरणात्मक प्रभावों का सवध है दोनों प्रकार के करों को समान सिद्धांतों पर लागू किया जा सकता है और ये दोनों ही धन की असमानता को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आवश्यक वस्तुओं पर बहुत नीची दर से तथा विलासिता की वस्तुओं पर बहुत ऊंची दर से कर लगाए तो परोक्ष कर भी प्रगतिशीलता का गुण दिखा सकते हैं। प्रत्यक्ष करों की स्थिति में आय का समायोजन उत्पादन के साधनों के बाजार द्वारा होता है क्योंकि व्यक्ति की आय की मात्रा तथा भुगतान किए जाने वाले कर की मात्रा के बीच एक व्यवस्थित संबंध पाया जाता है। परोक्ष करों की स्थिति में, आय के समायोजन की प्रक्रिया वस्तु बाजार द्वारा मपन्न होती है। इस आधार पर यह कहना मुश्किल है कि प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील तथा परोक्ष कर प्रतिगामी होते हैं। इसी प्रकार विलासिता की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले परोक्ष कर उत्पादन के साधनों का विवर्तन उन क्षेत्रों की ओर कर सकता है जो कि सामान्यतः जनता की मांग को पूरा करते हैं। इस अवस्था में परोक्ष कर भी उतना ही प्रगतिशील हो सकता है जितना कि प्रत्यक्ष कर।

### प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में सवध

अनेक अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में भेद करने से अथवा तुलना करके उनमें से किसी एक को चुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आधुनिक विचारधारा यह है कि किसी भी देश की कर व्यवस्था में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही प्रकार के

वरों के मध्य एक उचित संतुलन होना चाहिए। इस मद्दत में सुप्रसिद्ध इंग्लिशमन ग्रुप-शास्त्री दो भागों के विचार नियम रूप में उल्लेखनीय हैं। इन्होंने दोनों वर्गों के मद्दत में दो महत्वपूर्ण बातें बतलाई हैं।

### (1) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष वर्गों का परस्पर पूरक होना

समाज में कुछ व्यक्तियों की आय आगामी से मानव की जा सकती है, जैसे वेतनभोगी व्यक्तियों की आय। इनके विपरीत कुछ व्यक्तियों की आय अनिश्चित रहती है जिसको मानव करना एक कठिन कार्य है, जैसे व्यापारी वर्ग की आय। अब यदि व्यक्तिगत आय का लगाना जाता है तो इस तरह का भार वेतनभोगी वर्ग पर व्यापारी वर्ग से अधिक पड़ेगा। दूसरे शब्दों में वेतनभोगी वर्ग के त्याग की माथा व्यापारी वर्ग से अधिक होगी। इस प्रकार सभी वर्गों पर बराबर समान रूप से नहीं पड़ता। परन्तु अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष वर्गों में आय की अनुमानता को कम किया जा सकता है। क्योंकि घनिष्ठ वर्गों पर अधिक आय के कारण खर्च करने के लिए भी काफी धन रह जाता है। धन की इस अनुमानता का व्यय कर अर्थात् परोक्ष कर लगाकर दूर किया जा सकता है। एक उदाहरण द्वारा इन विचारों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

मान लीजिए एक मूल्दानी तथा एक पेंसेवर व्यक्ति की विपुल आय बीस-तीस हजार रु० है। यह भी मान लीजिए कि प्रथम व्यक्ति ने अपनी वार्षिक आय का अनुमान 18,000 रु० तथा दूसरे ने अपनी वार्षिक आय का अनुमान अपने विवरण पत्र में 9,000 रु० बतलाया है। यदि सरकार इन दोनों पर 20 प्रतिशत का प्रत्यक्ष कर लगाती है तब प्रथम व्यक्ति को 3,600 रु० तथा दूसरे को 1,800 रु० अदा करते पड़ते हैं। इस प्रकार यह दोनों व्यक्ति मिलकर सरकार को 5,400 रु० की धनराशि कर के रूप में अदा करते हैं। हम यह भी स्वीकार कर लेते हैं कि यह धनराशि सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। सब पूछा जाए तो इस धनराशि का भार दोनों व्यक्तियों पर समान रूप से 2,700-2,700 रु० पड़ना चाहिए। मूल्दानी पेंसेवर की तुलना में 900 रु० कर्ष अधिक दे ?

अब हम यह मान लें कि 20 प्रतिशत की वसुलीय दर 10 प्रतिशत अप्रत्यक्ष तथा 10 प्रतिशत परोक्ष कर में विभाजित कर दी जाती है। अब मूल्दानी 1,800 रु० प्रत्यक्ष कर और पेंसेवर व्यक्ति 900 रु० प्रत्यक्ष कर के रूप में भुगतान करेगा।

जहाँ तक परोक्ष कर का प्रश्न है, मूल्दानी यह कर 18,200 रु० (20,000 रु०—1,800 रु०) पर तथा पेंसेवर 19,100 रु० (20,000 रु०—900 रु०) पर अदा करेगा। इन प्रकार प्रथम 1,820 रु० तथा द्वितीय 1,910 रु० परोक्ष कर को अदा करेगा। इस रीति से प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर के रूप में मूल्दानी (1800 रु० ÷ 1820 रु०) = 3620 रु० तथा पेंसेवर व्यक्ति (900 ÷ 1910) = 2810 रु० का भुगतान करेगा। यह उदाहरण इन और संकेत करता है कि प्रत्यक्ष कर की तुलना में प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर के भार को समान रूप से वितरित करते हैं। छोटे-मोटे मध्य के बाद व्यक्तियों की आय में

परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की मात्रा का अनुमान तथा उनका मापना असभव होता है। हम यह तो कह सकते हैं कि आय यदि कम होती है तो उपभोग में बढ़ोत्तरी होती है। परोक्ष कर व्यक्ति की आय के परिवर्तन को दृष्टिगत रख सकते हैं और इन परिवर्तनों को अपनी परिधि पर लाकर उन पर कर वगूल कर लेते हैं।

जिस प्रकार से परोक्ष कर प्रत्यक्ष कर के पूरक हैं उसी तरह प्रत्यक्ष कर भी परोक्ष करों के पूरक है। परोक्ष कर उन वस्तुओं पर नहीं लगाए जा सकते हैं जिनका कि उत्पादन प्रारंभ में खुद ही उपभोग करता है जैसे किसान गेहूँ को उपभोग के लिए भी खा सकते हैं। अतः यहाँ पर प्रत्यक्ष कर ही लगाना उचित है।

प्रत्यक्ष करों का परोक्ष करों के पूरक के रूप में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जहाँ परोक्ष करों के अपवचन की सम्भावना अधिक रहती है वहाँ प्रत्यक्ष करों का लगाना आवश्यक हो जाता है। परोक्ष करों का अपवचन यहाँ होता है जहाँ उत्पादन अपनी वस्तुओं का स्वयं उपभोग करते हैं।

डी मार्को के अनुसार क्योंकि परोक्ष कर सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर भी नहीं लगाए जा सकते हैं। अतः अनेक परोक्ष करों के द्वारा न तो किसी व्यक्ति की आय का ठीक ठीक मूल्यांकन ही किया जा सकता है। इस स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि परोक्ष करों के साथ प्रत्यक्ष कर भी लगाए जाने चाहिए।

### घर्षणात्मक शक्ति में कमी

डी मार्को के अनुसार परोक्ष करों का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भी है। आय का अनुमान और कर तो एकत्रित करने से जो घर्षणात्मक शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं वे इन करों से कम हो जाती हैं। इनके अनुसार प्रत्यक्ष कर के लगने में गमाऊ में बहुत-सी विरोधात्मक श्रियाएँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसे (1) कर का विवर्तन, (2) कर का प्रसारण, (3) कर की चोरी इत्यादि।

यह विरोधात्मक शक्तियाँ तब तक चलती रहती हैं जब तक आर्थिक प्रणाली में कर द्वारा उत्पन्न असंतुलन दूर होकर फिर से नया सन्तुलन स्थापित नहीं हो जाता। इसलिए डी मार्को ने वैश्व आर्थिक सन्तुलन बनाए रखने पर बल देते हुए कहा है 'प्रारंभ से ही करों का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उपस्थित आर्थिक सन्तुलन या तो भंग ही न हो या कम से कम भंग हो।'<sup>1</sup>

प्रत्यक्ष करों के लगाने से घर्षणात्मक शक्तियाँ अधिक होती हैं। इसका कारण यह है कि उनका भुगतान करते समय व्यक्ति अधिक सचेत होता है क्योंकि कर देने से बहुत-सी आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ता है। इसलिए वह कर से बचना चाहता है। इस अनुभूति से उसे मानसिक तन्त्र होता है। किन्तु परोक्ष करों का भुगतान करते समय इस प्रकार की कोई मानसिक वेदना का अनुभव नहीं होता। डी मार्को के शब्दों में, 'प्रत्यक्ष करों के परस्पर पूरक होने के अतिरिक्त परोक्ष कर व्यवस्था एक दूसरा कार्य भी

करती है—आप के अनुमान लगाने तथा प्रत्यक्ष करों के पत्र करने में जो धर्मगत शक्तिया उत्पन्न होती हैं, उन्हें न्यूनतम करते हैं।<sup>1</sup> परीक्ष करों द्वारा धर्मगत हो जाने तथा विरोधी भावनाओं के कम हो जाने के निम्न कारण हैं।

(1) क्योंकि परीक्ष कर ठीक उसी समय आता है जबकि आप कर भी आती है।

(2) क्योंकि परीक्ष कर वस्तुओं के मूल्यों में जुड़े रहते हैं इसलिए करदाता उनका सहज मुग्तान कर देते हैं। उन्हें कर मुग्तान का अनुभव ही नहीं हो पाता। अतः कर मुग्तान तथा आवश्यकता की संतुष्टि में कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो पाता।

(3) परीक्ष कर का मुग्तान सीधी-सीधे माफ़ा में होता है इसलिए करदाता किसी मानसिक क्रोध का न तो अनुभव करता है और न ही उसका विरोध करता है।

(4) यदि करदाता परीक्ष कर का मुग्तान नहीं करता चाहता तो उसे उस वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति इन अष्ट को सहन नहीं करना चाहता इसलिए वह इस कर को प्रत्यक्षतः पूर्वक मुग्तान करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है।

(5) परीक्ष कर लगाते समय आप के अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सरकार तथा करदाता के बीच क्रोध धर्मगत तथा विरोध केवल आप के अनुमान लगाते समय होता है। सरकार को परीक्ष कर लगाते समय प्रत्यक्ष कर की भांति इनका निर्धारण नहीं करना पड़ता और न ही करदाता को आप की सीधी गणना करनी पड़ती है। इसलिए दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं। ही भावों के अनुकूल विचारों को पूर्णतः स्विकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष कर सरकार जनसूचक कर धर्मगत उत्पन्न करना चाहती है। उत्पादन और वितरण में परिवर्तन करने के लिए सरकार सभी सभी स्वेच्छा से समाज में धर्मगत शक्तिया उत्पन्न करती है।

## कराधान के उद्देश्य तथा परिणियम

समय की प्रगति के साथ-साथ कराधान के उद्देश्यों में भी परिवर्तन आया है। एक समय था जब कराधान का मुख्य उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना था। उस समय सरकार के कार्य सीमित थे। परन्तु आज का कल्याणकारी राज्य कराधान को केवल आय प्राप्ति का साधन न मानकर कुछ अन्य उद्देश्यों को भी ध्यान में रखता है। इन उद्देश्यों का वर्णन नीचे किया गया है।

### (1) वित्तीय दृष्टिकोण

कराधान के संवर्ध में एक परंपरागत दृष्टिकोण यह बना हुआ है कि 'कराधान केवल आय के लिए ही हो अर्थात् कराधान का यह उद्देश्य है कि राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय प्राप्त करे और आर्थिक जीवन पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। संक्षेप में, कर आय की दृष्टि से उत्पादक होना चाहिए।

वैसे तो उद्देश्य सरल दिखाई पड़ता है क्योंकि सरकार वा कोई दूसरा उद्देश्य उसमें छिपा हुआ नहीं है, परन्तु इस उद्देश्य को मध्य-विकटोरियन का नारा दिया जाता है जो आधुनिक काल में उपयोगी नहीं है। कर का उपयोग सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए जैसे धन के पुनर्वितरण द्वारा आय की विषमता को दूर करना।

### (2) सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण

अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि कर का उद्देश्य सामाजिक जीवन को नियमित करने का है, कुछ कर तो अवश्य ही ऐसे मिलेंगे जिनका उद्देश्य उपभोग को नियंत्रित तथा नियमित करना है। मदिरा पर उत्पादन शुल्क ऐसा ही एक उदाहरण है। यहाँ कर का मुख्य उद्देश्य आय को प्राप्त नहीं अर्थात् नियमन का है। भारत में शराब बंदी की नीति का उद्देश्य आय अर्जन के स्थान पर कुछ निश्चित आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

अब तो करो का उपयोग राष्ट्रीय आय के स्तर को नियमित करने में भी लिया जाने लगा है। यह वास्तव में कर के नियमन का विस्तृत रूप ही है। कर द्वारा व्यक्ति

की आय के एक भाग का सरकार को हस्तांतरण करा कर व्यक्तिगत उपभोग तथा विनियोग को प्रभावित किया जा सकता है तथा राष्ट्रीय आय के स्तर को परिवर्तित किया जा सकता है। वे पर जो धन्युओं के मूल्य में जुड़ जाते हैं उनके व्यय को घटाते हैं तथा जो अतिरिक्त आय में से वसूल किए जाते हैं वे व्यक्तिगत उपभोग तथा विनियोग के लिए धनराशि को कम कर देते हैं। जब आय-व्यय स्तर निम्न हो और उसे ऊपर उठाना हो तब आय प्राप्ति के उद्देश्य की तुलना में व्यय-नियंत्रण कराधान को प्राथमिकता देनी होती है।

इन प्रकार करों का उत्पादन, उपभोग तथा धन के वितरण में विचारपूर्वक तथा बाधित परिवर्तन करने और रोजगार के स्तर में न्यायित्व लाने में उपयोग किया जा सकता है। ऐसे उद्देश्यों के लिए लगाया जाने वाला कराधान व्यय-नियंत्रण कहलाता है।

### (3) क्रियागत वित्त

कराधान का पुराने समय से चला आ रहा उद्देश्य राज्य की आय में वृद्धि करना था। यद्यपि प्रायः उद्देश्यों के लिए सरकार के प्रयत्न बेदल करों के उपयोग तक सीमित नहीं हैं, फिर भी यह उद्देश्य सर्वोपरि रहा है। अब इस विचारधारा में श्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। प्रो० ए० पी० लरनर के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों का एक ऐसा वर्ग है जो इस विचार को उपेक्षा करता है कि करारोपण का उद्देश्य बेदल सार्वजनिक आय की वृद्धि करना है। उनका कहना है कि लोनवित्त, क्रियागत वित्त होना चाहिए। उनसे अनुसार राजकोपीय संपन्न समाज में जिस प्रकार कार्य करते हैं उसे क्रियागत वित्त कहा जाता है।

इस विचारधारा के अंतर्गत राजस्व क्रियाओं की उपादेयता का निर्धारण इन उद्देश्य के किया जाता चाहिए कि वे अर्थव्यवस्था में क्या कार्य करती हैं। करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, रोजगार व आय में न्यायित्व लाने हेतु मनुष्यता या अनतुलित बजट का निर्माण समाज को किस प्रकार प्रभावित करता है। क्रियागत वित्त के सिद्धांत को स्वीकार करने के उपरांत सरकार पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन को नियंत्रित रखने का उत्तरदायित्व आ जाता है। एक रोजगार अर्थव्यवस्था में अब राज्य एक मूकदर्शक के रूप में खड़ा नहीं रह सकता। यदि बेरोजगारी बढ़ने लगे, लाभ गिरने लगे और आय अस्थिरता की शिकार हो जाए तब ऐसी दशाओं में हम यह आशा नहीं करते कि सरकार उदासीन रहेगी। ऐसे समय में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राजकोपीय उपायों द्वारा स्थिति पर काबू पाए।

क्रियागत वित्त के अंतर्गत किन्हीं अन्य विचार के स्थान पर राष्ट्रीय आय का एक समुचित स्तर बनाए रखने का विचार मुख्य होता है जो पूर्ण रोजगार को बनाए रखने में सहायक होता है। जहाँ तक कराधान का प्रश्न है क्रियागत वित्त की मान्यता बंसी हो जाती है जैसी कि निम्न वाक्य में प्रो० ए० पी० लरनर द्वारा बताई गई है 'जिन प्रभावों के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, वे मुख्य रूप से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव हैं, जिसके हित में सरकार से कार्य करने की आशा की जाती है।

सरकार पर पडने वाले प्रभाव सदैव अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए, विनी भी कर अदायगी के ये दो प्रभाव होन हैं कि करदाता के पास धन घटता है और सरकार के पास धन बढ़ता है। इन प्रभावों में से पहला महत्त्वपूर्ण है। इस कारण कर तभी लगाना चाहिए जब करदाता के पास धन घटाने का उचित कारण हो। सरकार पर प्रभाव कि सरकार के पास अधिक धन होगा, महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सरकार करदानाओं को निर्धन किए बिना सदैव बड़ी मात्रा में अधिक धन प्राप्त कर सकती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कर इसलिए नहीं लगाए जाने चाहिए क्योंकि सरकार को धन की आवश्यकता है। आयिक सौदो पर केवल तभी कर लगाने चाहिए जब इन सौदो को निरुत्साहित करना उचित समझा जाए। व्यक्तियों पर तभी कर लगाने चाहिए, जब करदाता को और अधिक निर्धन बनाने का उद्देश्य हो।<sup>1</sup>

त्रियागत वित्त का उद्देश्य मांग को ऊचे स्तर पर बनाए रखना, पर्याप्त उत्पादन करना, उचित मूल्यों को बनाए रखना तथा रोजगार व आय को बढ़े हुए स्तर पर बनाए रखना है। त्रियागत वित्त की धारणा इसलिए अधिक रुढ़िवाद कही जाती है क्योंकि वह सरकार पर अधिकाधिक त्रियागों को सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व लाद देती है। सरनर का विचार है कि करारोपण का मुख्य उद्देश्य आय की प्राप्ति न होकर ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए जो सामाजिक रूप से उचित हो 'उदाहरण के लिए मादक पदार्थों पर कर लगाने का उद्देश्य इन वस्तुओं के उपभोग को कम कराना हो सकता है। ऐसे ही विदेशों से सरते मान के आयात द्वारा स्वदेश में उत्पन्न स्पर्धा को, आयात कर द्वारा रोकना उचित है। स्वदेशी वस्तुओं का विदेशों में निर्यात बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात कर से मुक्त किया जा सकता है। अर्द्धविकसित देशों में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए उपभोग पर कर लगाया जा सकता है। प्रगतिशील कर की सहायता से धन के वितरण को समाज में समान बनाया जा सकता है। धार० जे० चैल्लिया के शब्दों में 'अब कर को केवल राज्य के लिए मुद्रा उपलब्ध कराने वाले यत्र के रूप में नहीं देला जा सकता, अब तो स्थायित्व और प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए ये सरकार के अधीन एक महत्त्वपूर्ण यत्र है।'<sup>2</sup>

ठीक ऐसे ही सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य देश में केवल शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही नहीं अपितु अर्थव्यवस्था में उत्पन्न व्यापार चक्रों को आय में परिवर्तित करके उन्हें रोचना भी है। यदि कोई राज्य सबल्पवद्ध हो तो वह सार्वजनिक आय द्वारा व्यावसायिक उतार-चढावों को रोक सकता है। सार्वजनिक आय एक ऐसा यत्र है जिसकी सहायता से एक प्रगतिशील समाज, धन के वितरण की विषमता को दूर कर सकता है। यदि सार्वजनिक आय का उद्देश्य देश में पूर्ण व्यवसाय की स्थिति को उत्पन्न करना है तो सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य व्यापार चक्रों के दुष्परिणामों को रोकना है। ऐसे ही

1 A P Lerner 'An Integrated Full Employment Policy,' *Quarterly Review of the American Labour Conference on International Affairs*, January 1946, p 70

2 Raja J Chelliah 'Fiscal Policy in Under developed Countries', (1960), p 46

सार्वजनिक ऋण का उद्देश्य देश में आर्थिक विचार करना है। जब तक ऐसा होता रहे तब तक सार्वजनिक आय, व्यय तथा ऋण चिन्ता का विषय नहीं होते हैं।

निम्नागत बिन्दु की धारा निम्न दो नियमों पर आधारित है

(क) सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह देश में वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किए जाने वाले कुल व्यय की दर ऐसी बनाए जो उस दर से कम हो न सके। जिन चीजों मूल्यों पर वे समस्त वस्तुएं तथा सेवाएं खरीकी जा सकें उनका उत्पादन समभव है।

इस सिद्धांत के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार चाहने पर भी व्यय की दर को नियंत्रित नहीं कर सकती क्योंकि चलन-देग का निर्धारण उसकी परिधि के बाहर होता है।

(ख) सरकार को मुद्रा उस समय ही उधार लेनी चाहिए जब वह यह चाहे कि जनता के पास मुद्रा का परिमाण कम हो जाए और सरकारी ऋण-पत्रों की अधिकता द्वारा मुद्रा प्रसार को गंभीरता कम हो जाए। परंतु इस नियम को ब्यवहार में लाने में यह कठिनाई उपस्थित होती है कि यह कौन और कैसे निर्धारित करेगा कि जनता के पास कितनी मुद्रा तथा कितने सरकारी ऋण-पत्र रहने चाहिए।

यही नहीं, क्रियागत वित्त के ऊपर और अनेक रूपों में आक्रान्त किए गए हैं। क्रियागत वित्त का यह नवीन विचार जर्मन के राजनीतिकों ने तो नैत साठा है जो राज्य को एक स्वामी के रूप में मानते हैं परंतु अनरीबी विचारधारा से नैत नहीं खाता जो राज्य को एक ऐसी सम्पदा के रूप में स्वीकार करते हैं जिसका कार्य निश्चित करनेका प्रदान करना है। ऋण इस राज्यकीपीय सिद्धांत की वृद्धि है इसलिए क्रियागत वित्त के समर्थक यह चाहते हैं कि यदि हमें आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण करना है तो बाजार का प्रतिस्थापन सार्वजनिक ऋण से कर देना चाहिए। क्रियागत वित्त की यह धारणा इस तर्क पर न्यायोचित प्रतीत होती है कि निजी साहसी उत्पादन को समभव बना सकते हैं परंतु मांग को नहीं। परंतु राज्य मांग को नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार उद्योग-पतिषों का कार्य उत्पादन करना और सरकार का कार्य उत्पादन को क्रय करने के लिए सतुलित श्रम-शक्ति का निर्माण करना है। अतिरिक्त साध्यपूर्ण रोजगार की प्राप्ति ही होती है। क्रियागत वित्त सिद्धांत के अंतर्गत नारायण, सार्वजनिक ऋण तथा व्यय की नीतियों द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि मौद्रिक आय की अपेक्षा मौद्रिक व्यय की अधिकता को नोट छाप कर पूरा किया जाए। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि बैंकों से लिए गए ऋण तथा नोट निर्गमन मुद्रा प्रसार की दशा को उत्पन्न नहीं कर सकते। इन विचार के समर्थक यह मानते हैं कि अल्पविक मुद्रा को कर द्वारा घटाया जा सकता है। परंतु इस सिद्धांत को ब्यवहार में लाते समय यह कठिनाई उपस्थित होती है कि अर्थव्यवस्था में जारी जाने वाली यह स्फूर्ति मुद्रा ने चलन देग के द्वारा प्रभावहीन हो सकती है क्योंकि राज्य चलन देग को सरवता से नियंत्रित नहीं कर सकता।

(4) उत्प्रेरक कर

हाल के कुछ वर्षों से 'उत्प्रेरक कर' को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कर



के इस दृष्टिकोण के अतर्गत व्यापारिक उद्यमों से प्राप्त आय को अपेक्षाकृत आदर दिया जाता है तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार पुरस्कार तथा दंड भी दिए जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रस्तावित उद्देश्य प्राप्त हो पाते हैं अन्य नहीं। ऐसा बयो होता है उसके निम्न कारण हैं

(क) अर्थव्यवस्था में ऐसे सामान्य अवसर उपलब्ध होने चाहिए जो साहसियों में लगन तथा उत्प्रेरणा बनाए रखें। यदि एक सतोपजनक कर प्रणाली में ऐसा नहीं होता तो उसके वास्तविक कारणों की जाच की जानी चाहिए तथा उसका उचित उपचार करना चाहिए जैसे सतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पुन स्थापना, स्वदेश तथा विश्व की परिस्थितियों के अनुसार कृषि का समायोजन, श्रमिक तथा पूँजीपतियों में सामान्य सबध की स्थापना, उपभोग तथा उत्पादन क्षमता में प्रभावपूर्ण सतुलन बनाए रखना तथा उद्योग और सरकार में उचित सहयोग बनाए रखना इत्यादि।

(ख) उद्योग में दानशीलता तथा दंडों का चुनाव यदि राजनीतिक आधार पर किया गया हो तो वह दूषित साबित होता है और अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता में बाधाएँ उत्पन्न करता है।

(ग) यह सदैहात्मक है कि अविश्वस्तता के करारोपण द्वारा विश्वास को बढ़ाया जा सकता है।

(घ) कुछ उद्योगों को उपदान अन्य उद्योगों की लागत के आधार पर भी दिया जा सकता है जो अन्यायपूर्ण साबित होगा और उत्प्रेरणा को बाधाएँ पहुँचाएगा।

### करारोपण परिनियम

आज के युग में करारोपण क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक हो गया है। अतः इसको व्यवहार में लाने के लिए कुछ सामान्य परिनियमों की रचना की गई है। यहाँ हमें करारोपण परिनियमों (Canons of Taxation) तथा करारोपण के सिद्धांतों (Principles of Taxation) में अंतर समझ लेना चाहिए।

करारोपण के परिनियमों से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो एक अच्छे कर में निहित होनी चाहिए। ये वे सिद्धांत नहीं हैं जिनके आधार पर करों को वितरित किया जाता है, अपितु एक अच्छे कर के गुण हैं। करारोपण परिनियम का सबध कर लगाने की रीति एवं सकलन से है। ये ही करों की दरों तथा राशियों का निर्देशन करते हैं। दूसरी ओर करों के सिद्धांत करों के भार का विभिन्न व्यक्तियों और समूह में वितरण को निर्धारित करते हैं। इनका सबध किसी कर के निजी गुणों से नहीं परंतु संपूर्ण कर प्रणाली से होता है।

कभी-कभी करारोपण के सिद्धांतों तथा एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषताओं में भी भ्रम पैदा हो जाता है। एक अच्छी कर-व्यवस्था की विशेषताओं के अतर्गत उन विचारों का अध्ययन होना है जिन्हें सरकारी अधिकारियों को करों का उचित संगठन करते समय ध्यान में रखना पड़ता है। सरकारी अधिकारी प्रत्यक्ष भ्रमवा परीक्षा कर,

एनाबी अथवा बहुकर प्रणाली, प्रगतिशील अथवा समानुपातिक करों के समन्वीकरण की अच्छी तरह प्रणाली की विशेषता में मानते हैं। इस प्रकार करारोपण के सिद्धांत जिन्हीं कर के व्यक्तिगत बड़े जा सकते हैं, जबकि जिन्हीं अच्छी प्रणाली की विशेषताएँ, नष्टों कर प्रणाली के गुण होते हैं।

**एडम स्मिथ के करारोपण के परिणियम**

एडम स्मिथ सबसे पहले लेखक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक 'देल्य ग्रान्द नेशन्स में करारोपण के परिणियमों के संबंध में सामान्य रूप के विचार प्रकट किए। वे परिणियम अप्रतिष्ठित हैं

(1) समता, ग्याय अथवा समानता परिणियम : अपने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए एडम स्मिथ ने कहा है 'प्रत्येक राज्य की प्रजा को सरकार के पारन-पोषण हेतु यथासम्भव समतानुसार अशदान करना चाहिए, अर्थात् उस आय के अनुपात में जिसका आनंद राज्य की नरशता में प्राप्त करते हैं।' अनेक अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में एकमत नहीं है कि एडम स्मिथ की 'समानता' से तात्पर्य आनुपातिक करारोपण से या या प्रगतिशील करारोपण से। याकर तथा कुछ अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों के मतानुसार 'समानता' का अर्थ आनुपातिक करारोपण से है जबकि सॉनिगमन तथा वीह्व आदि अर्थशास्त्रियों के मतानुसार 'समानता' का अर्थ प्रगतिशील करारोपण से है। पिछले शिराजने इस विवाद को समाप्त करते हुए कहा है कि 'द्वितीय धारणा के इतिहास में भिन्न-भिन्न बाल में 'समानता' का अर्थ परिवर्तित होता रहा है, परन्तु अब इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि स्वीकृत सिद्धांत करदान समता का है। सब पूछा जाए तो समानता के सिद्धांत का अनिश्चय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और सानर्थ के अनुसार राज्य को अशदान करना चाहिए।' स्वयं एडम स्मिथ ने इस मत की पुष्टि इन शब्दों में की है, 'यह अत्यधिक उचित है कि धनियों को सार्वजनिक व्यय हेतु केवल अपनी आय के अनुपात में ही अशदान नहीं करना चाहिए वरन् उस अनुपात से कुछ अधिक करना चाहिए।'

(2) सुविधा परिणियम : एडम स्मिथ के अनुसार, 'प्रत्येक कर ऐसे समय और ऐसी नीति से बनना चाहिए जिससे उसकी अदा करना करदाता के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो।' उदाहरण के लिए भूमि अथवा मनानों पर लगाया गया कर उस समय बनना चाहिए जबकि भूमि या मजान मात्रिक को किराया चुकाना जाता है। इससे करदाता को कर देने में बहुत सुविधा रहेगी। इसी प्रकार किसी कर की वसूली बस्तु के विपणन के समय करने से करदाता को सुविधा रहेगी है। अंतर्पथ कर इतने सुविधाजनक होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति करों की भुगतान की सुचना में दम्पुओं की बीमत देने में अधिक असुविधा महसूस करता है तो वह उसकी अपनी गनती है। उपनोन्न बस्तुओं, जैसे विलासिता तथा देश की बस्तुओं पर कर बहुत सुविधापूर्ण होते हैं क्योंकि उपनोक्तियों की जिन्हें जिस रूप में कर देना पड़ता है वह बहुत सुविधाजनक होता है। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे बस्तुएँ खरीदता है वैसे-वैसे वह थोड़ा-थोड़ा कर

अदा करता रहना है क्योंकि वस्तुओं को खरीदना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है।

(3) निश्चितता परिणियम स्मिथ के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो कर देना है, निश्चित होना चाहिए, मनमाना नहीं। भुगतान का समय, भुगतान की विधि, भुगतान की राशि आदि करदाता तथा राज्य दोनों को स्पष्ट होनी चाहिए। वस्तुतः निश्चितता करदाता तथा राज्य दोनों की दृष्टि में ही लाभप्रद होती है क्योंकि एक ओर तो व्यक्ति अपनी आय तथा व्यय में हेरफेर कर सकता है चूंकि उसे यह ज्ञात होता है कि कब और कितना भुगतान कर के रूप में करना है तथा दूसरी ओर राज्य अपने बजट संबंधी अनुमान निश्चिततापूर्वक लगा सकता है क्योंकि उसे यह भी ज्ञात होता है कि कब और कितनी राशि कर के रूप में प्राप्त होगी। इस सिद्धांत के अनुसार करदाता का शोषण नहीं होता। एडम स्मिथ के अनुसार, 'कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो रकम अदा करनी है उसकी निश्चितता इतने महत्त्व की बात है कि समस्त देश के अनुभव के आधार पर मेरा विचार है कि काफी बड़ी मात्रा की असमानता भी इतनी भयानक नहीं होती जितनी कि बड़ी मात्रा की अनिश्चितता।'

करारोपण के इस सिद्धांत को हैडले ने भी स्वीकार किया है। वास्तव में कर की निश्चितता करदाता और राज्य दोनों ही के लिए लाभप्रद होती है, करदाता अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसका कर भुगतान खर्च कम होता जाता है। प्रायः कहा भी जाता है कि पुराना कर कर नहीं होता। इसका आशय यही है कि पुराने कर को देने से अभ्यस्त और निश्चित स्थिति का पूर्व ज्ञान होने से उसका भार अधिक मालूम नहीं पड़ता। कर की निश्चितता से राज्य भी अपने बजट के बारे में निश्चित रहता है और उसका कर एकत्र करने का खर्च भी कम होता जाता है। इन सब बातों से आर्थिक कल्याण बढ़ता जाता है।

(4) मितव्ययिता परिणियम : इस परिणियम के अनुसार कर वसूल करने का खर्च न्यूनतम होना चाहिए। यदि कर वसूल करने में अधिक खर्च होगा तो राज्य को इतनी आय प्राप्त नहीं होगी जितना कि व्यक्तियों पर उस कर का भार पड़ेगा। करारोपण एक प्रकार का उत्पादन है, इसमें जितनी मितव्ययिता से कार्य लिया जाएगा उतना ही ज्यादा लाभ राज्य और करदाताओं को प्राप्त होगा। एडम स्मिथ के शब्दों में, 'प्रत्येक कर इस प्रकार लगाना और वसूल किया जाना चाहिए कि उससे द्वारा सरकारी कोष में जितना द्रव्य आए उससे अधिक मात्रा में द्रव्य जनता की जेब से न निकाला जाये।'

इस प्रकार मितव्ययिता का यह अर्थ होगा कि कर वसूली में कम से कम खर्च होना चाहिए और इससे समाज के उत्पादन तथा मनुष्यों के धन व उनकी बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कर के इकट्ठा करने में

भावधानी इतनी आवश्यक है, क्योंकि इतने सर्वांग्रह अनेक प्रकार के अवश्य होने हैं :

(1) कमी-बमी कर का भार करदाताओं के ऊपर बोन बन जाना है और उनके लिए करदाताओं को विवेक रखने पड़ते हैं ।

(2) अधिक बर्तकारियों की नियुक्ति से सम्बन्ध कर से प्राप्त आय उनकी जेबों में चली जाती है ।

अन्य परिनिषम

एक मिनट के पश्चात् कुछ अयोग्यताओं से बगरोपण परिनिषम के अन्य सिद्धांत भी प्रस्तुत किए जिनका उल्लेख नीचे किया गया है ।

(1) लोच परिनिषम बेंचटविल न लोच परिनिषम को काफी महत्त्व प्रदान किया है । उसने इस सिद्धांत की अनिवार्यता पर विशेष बल देने हुए बताया है कि करारोपण का निष्पत्त इस प्रकार होना चाहिए कि उसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सके । लोच की अनुसन्धिति से सरकार को मरुटवालीन स्थिति में परगती होगी । मरुटवालीन स्थिति के लिए, विकास कार्यों के लिए, घाटे के प्रदक्ष के लिए तथा दिन-प्रतिदिन सरकारी व्यय को पूरित के लिए वरों में लोच का शुभ आवश्यक है । इस दृष्टि से आय कर को सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है क्योंकि इसने पर्याप्त लोच होती है । आय कर की तुलना में संपत्ति तथा वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर इतने लोचपूर्ण नहीं होते ।

(2) सरलता परिनिषम मिनट के मरुटवानुसार, 'प्रत्येक कर मुझे समझ तथा ऐसी नीति से उधाया जाना चाहिए जिनसे कि उसको बढ़ा करना करदाता के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो ।' उदाहरण के लिए भूमि अधरा मरुटानों के विराए पर लगाया गया कर यदि उस समय बहुत किया जाय जिन समय विगदेदार विगदा भूमि या मवान के मानिक का बुझाना है, तो करदाता को इसके बढ़ा करने में सुविधा रहेगी । साथ ही कर प्रणाली के अन्तर इस प्रकार के कर लगाए जाएं जिनके उद्देश्य और प्रभाव की जानकारी सरलता में ही सके, कर मुझ करने में कोई बठिनाई न हो तथा करदाता को प्रामाणिक एवं हिमाद-विताव मदारी किसी प्रकार की बठिनाई का सामना न करना पड़े । कर प्रणाली के उठिल होने पर लोग सदैव सरकार में असन्तुष्ट रहेंगे ।

वस्तुस्थिति यह है कि जापुनिक सरकारों को दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई द्वितीय आवश्यकताओं से तथा बरदाताओं को अधिक समान और स्वायत्तपूर्ण बनाने की गता से आवश्यक की कर प्रणालियों को पर्याप्त उत्पन्नपूर्ण बना दिया है ।

(3) समन्वय परिनिषम कर प्रणाली में समन्वय होना चाहिए । बगरोपण इन प्रकार का होना चाहिए कि विभिन्न वर्गों के अर्जित करने में सीमाओं का उल्लंघन न हो । एक कर अतिवारी दूसरों के अधिभागों की सीमा से प्रवेश न करे

और उनमें आपन में समुचित सामञ्जस्य स्थापित हो जाए। एक लोकनियम में केन्द्र, राज्य और प्रांतों तथा स्थानीय समुदायों द्वारा विभिन्न कर लगाए जाते हैं, जबकि करदाता वही होते हैं। अब यह आवश्यक है कि इनके करो के मध्य उचित समन्वय स्थापित किया जाए। विरोधी करा के दोषों को पारम्परिक समन्वय द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ऐसा करने से एक कर दूसरे कर के लिए पूरक का काम कर सकता है।

(4) उत्पादित परिनियम ब्रिटिश ने करारोपण के परिनियमों में उत्पादित परिनियम को सर्वाधिक महत्त्व दिया है। उनके अनुसार उत्पादित से अभिप्राय यह है कि वर्तमान में राज्य को कर में पर्याप्त आय प्राप्त हो तथा इस आय का प्रवाह भविष्य में भी अनवरत रहे। इसलिए अनेक छोटे-छोटे करो की तुलना में एक बड़े उत्पादक कर को अधिक प्रधानता दी जाती है। उत्पादित का विस्तृत अर्थ यह भी लगाया जाता है कि कर का भार करदाताओं की उत्पादन शक्ति को नष्ट न करे तथा उनकी आय उपभोग में वृद्धि करने की शक्ति में ह्रास पर प्रतिबन्ध प्रभाव न डाले। यदि कर प्रणाली में इस परिनियम का समावेश होता है तो नागरिकों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता है तथा उत्पादन का क्षेत्र भी विस्तृत होता है।

(5) विविधता परिनियम विविधता अथवा अनकता के परिनियम पर बल दिया है। कर पद्धति में एक कर नहीं बल्कि विविध कर होने चाहिए ताकि नागरिकों का प्रत्येक वर्ग सरकार को धन प्राप्त करा कर अपन उत्तरदायित्व का उचित भार वहन कर सके। करो का गठन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि देश का कोई व्यक्ति अपन को कर देने में बचा न पाए।

परन्तु हम यह नहीं भूना चाहिए कि बहुसंख्यक करा की बमूनी अधिक खर्चीली हो जाती है। इसलिए करो की अधिक अनकता को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार की विविधता का प्रयोग एक निश्चित सीमा के अंदर ही करना चाहिए।

(6) वास्तविकता परिनियम यह परिनियम इस ओर संकेत करता है कि कर पर्याप्त साधन-सिद्धि के पश्चात् लगाया जाये जिससे प्रत्येक कर के पीछे कोई न कोई आधार रहे और उसकी अनिवार्यता प्रकट की जा सके। करदाता में यह विश्वास जाग्रत हो कि उस पर लगाया गया कर उचित है। आज के प्रजातन्त्रीय युग में करदाता स्वामी है जो प्रत्येक कर के संबंध में यह जानने के इच्छुक होता है कि वह कर किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाया गया है अथवा क्या वह कर उचित है। यदि उसकी मनुष्यता होती है तो ठीक है अन्यथा वह प्रत्येक वांछित कर का भरपूर विरोध करते हैं। अनुचित करा का जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(7) एकरूपता परिनियम निट्टी और कानाई न एक ओर परिनियम का प्रतिपादन किया है जिसका अर्थ है कि एक अच्छी कर प्रणाली में जिनमें भी कर

हों उन सभी में एकत्वता होनी चाहिए अर्थात् सभी करों के लगाने की विधि तथा उनकी दरों के निर्धारण के उद्देश्यों में समानता हो। एकत्वता से कर प्रणाली में सरलता आ जाती है तथा हिनाब-हिताब की अर्थव्यवस्था जटिलताएं समाप्त हो जाती हैं।

(8) कोमलता तथा पर्याप्तता परिनिष्पन्न प्रो० फिट्जे जिगज न कोमलता तथा पर्याप्तता के परिनिष्पन्नों का उल्लेख किया है। कोमलता का अर्थ यह है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि बिना किसी उपलब्ध-वृषण के नष्ट कर लगाने का भय और पुरानों को हटाना जा सके। इन दृष्टि में कोमलता और लोच में कोई विशेष भेद नहीं समझा गया है। पर्याप्तता का अर्थ यह है कि कर व्ययस्था में सरकार को आवश्यकतानुसार आय प्राप्त हो सके। आय पर्याप्त है या नहीं यह इस बात पर निर्भर करना है कि राज्य को आवश्यकताएं कितनी हैं? राज्य के निरंतर बढ़ते हुए व्ययों के कारण यह आवश्यक नहीं है कि जो आय इस वर्ष पर्याप्त हो वह अगले वर्ष भी पर्याप्त रहे। 'पर्याप्तता' एक नार्पेक्टिव शब्द है। अब तक परिस्थितियों का उल्लेख न किया जाय तक तक यह गुण महत्त्वहीन है।

सारंग रूप में एक अच्छी कर प्रणाली में उपरोक्त सभी परिनिष्पन्नो का समावेश होना चाहिए, परंतु व्यवहार में यह सम्भव नहीं है। मुट्ज ने ठीक ही कहा है, 'न ही कोई कर पूर्णरूप से अच्छा है और न ही कोई पूर्णरूप से सरल।' वस्तुतः किसी कर प्रणाली को अच्छा या बुरा ठहराने के लिए करों पर पृथक-पृथक ध्यान न देकर संपूर्ण प्रणाली पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। इस विचार का अंतिमी हिस्सा ने निम्न शब्दों में उल्लेख किया है, 'प्रत्येक कर को पृथक-पृथक न लेकर संपूर्ण कर प्रणाली को लेना चाहिए तथा वांछित वितरण व्ययस्था की स्थापना एक ऐसी क्षतिपूर्क कर संरचना द्वारा करनी चाहिए जिसमें एक कर के दोष दूसरे करों में दूर हो जाए। केवल उन्हीं करों के चयन का प्रयत्न करना जिनसे कर मद्दथी मिद्धातों का परिपालन हो सके, व्यर्थ है। क्योंकि ऐसे कर सघार्थ में हैं ही नहीं।' टाल्टन के विचारानुसार भी, 'लोकविन की किसी भी प्रणाली पर समूचे रूप में विचार करने के बाद ही उसके गुणों या अक्षुणों के बारे में कोई अंतिम फैसला किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी कर प्रणाली पर भी समूचे रूप में ही विचार किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न कर अपने कुछ प्रभावों द्वारा एक-दूसरे को सुधार और संतुलित कर सकते हैं।'

### एक अच्छी कर पद्धति की विशेषताएं

आधुनिक लेखकों ने एक अच्छी कर पद्धति की आवश्यकता अनुभव की है। परंतु किसी ऐसी पद्धति की आशा करना जो सभी दोषों में मुक्त हो, कठिन है। प्रसिद्ध विचारक एडमंड बर्क ने इस मद्दर्थ में लिखा है कि 'कर लगाने और लोगों को प्रसन्न करना उनी प्रकार कठिन है जिस प्रकार प्रेम करना और बुद्धिमान होना'।

वास्तव में हम उम कर प्रणाली को अच्छा कहेंगे जो करारोपण के विभिन्न उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सहायक हो सके। ऐसी कर पद्धति की निम्न गुणों के आधार पर व्याख्या की जाती है

### (1) करारोपण के सिद्धान्त का अवलोकन

एक अच्छी कर पद्धति अथवा एक आदर्श कर संरचना वह हो सकती है जिसमें करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों का अवलोकन किया गया हो अर्थात् उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं

1. कर पद्धति न्यायशील हो। वह न्यायशील उस समय बही जाएगी जब समान आर्थिक स्थिति वालों में करारोपण के उद्देश्य में समान व्यवहार किया जाए।<sup>1</sup>

2. करदाता तथा सरकार के दृष्टिकोण से प्रणाली में निश्चितता, सरलता तथा मिलव्ययिता पाई जाती हो।

3. कर पद्धति लोचदार तथा व्यावहारिक हो।

4. कर प्रणाली उत्पादन हो। उसमें वर्तमान तथा भावी आय के स्रोत प्रभावित हों सके।

5. प्रत्येक कर का आर्थिक ढाँचे में एक निश्चित तथा उचित स्थान हो।

6. कर पद्धति का आधार यथासंभव विस्तृत हो।

7. कर प्रणाली जनता को मान्य हो।

### (2) त्याग की समानता

इस विषय के नियम के अंतर्गत 'समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।' इन सभी व्यक्तियों पर करों का भार समान मात्रा में डालना चाहिए जोकि समान परिस्थितियों में रहते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ एका सापेक्षित व्यवहार किया जाना चाहिए जो उचित कहा जा सके। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति अनेकांगुण अधिक अच्छी स्थिति में हैं उनमें अधिक कर लिया जाए और जो व्यक्ति निर्धन हैं उन पर कर का भार हल्का रखा जाए और अधिक निर्धनों को कर मुक्त रखा जाए। इस दृष्टि से आनुपातिक कर को अच्छा न मान कर प्रगतिशील अथवा आरोही कर को उचित माना जाता है। प्रगतिशील कर से एक ओर तो सरकार को अधिक आय प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर धन के वितरण की विषमताओं में कमी आती है।

### (3) प्रत्यक्ष तथा परोक्ष कर में समन्वय

प्रायः प्रत्यक्ष कर का भार धनी वर्ग पर और परोक्ष करों का भार निर्धन वर्ग पर पड़ता है। इनमें से यदि किसी एक को प्रधानता दी जाय तो कर पद्धति न्यायमय नहीं बही जा सकती। अतः समता लाने के लिए यह आवश्यक है कि

1. Dalton 'Public Finance,' p 87.

प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में उचित समन्वय हो और ये दोनों प्रकार के ही कर लगाए जाएं ताकि समाज के विभिन्न वर्गों पर कर-भार समान पड़े। हा, यह अवश्य ही सक्ता है कि प्रत्यक्ष करों की मर्यादा बढ़ाकर परोक्ष कर की अपेक्षा अधिक रखी जा सकती है जिससे कि समाज के धनी वर्ग पर अधिक भार पड़े।

#### (4) बहु-कर प्रणाली

आधुनिक औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास के साथ-साथ सरकार के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है। निर्वाहकारी केवल एक ही उत्पादन पर कर वसूल देने से। परन्तु आज यह विचार मिथ्या है। आधुनिक विचारधारा यह है कि एक व्यक्ति समाज को सरकार की आवश्यकताओं के लिए जितना अगदान कर सके उसमें उतना अवश्य वसूल लिया जाए। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण से बहु-कर प्रणाली का समर्थन किया जाता है। इसलिए कर प्रणाली में विभिन्न वर्गों को इस प्रकार गठित करना चाहिए कि उनके बीच जादा समन्वय बना रहे तथा उचित आय भी प्राप्त हो जाए।

#### (5) सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक

प्रो० डाटन ने स्पष्ट किया है कि 'करारोपण की सर्वोत्तम प्रणाली यही है। जिससे अधिकतम लाभ मिले, अथवा कुछ आर्थिक प्रभाव कम से कम हो।' कर पद्धति को इस सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। जब सरकार कर का संग्रहण करता है तो उसे अपना उपभोग काट कर त्याग करना पड़ता है। इसलिए यह देखना होता है कि कर के रूप में ऐसी आय प्राप्त करने से त्याग की मात्रा या उपरोक्तता का विनाश अधिक होता है या कम। दूसरे, सरकार जब मार्गदर्शक ध्येय के रूप में लाभ प्रदान करेगी तो अपेक्षाकृत अधिक उपरोक्तता प्राप्त होगी या कम, इनका उत्तर अनेक बातों पर निर्भर करता है। यदि उपभोक्ता इस आय से हाथिबारक वस्तुओं का उपभोग करता है तो ऐसी आय को कर के रूप में प्राप्त करके, उनहित में व्यय करना सर्वथा उचित होता। दूसरी ओर यह भी ध्यान देना होगा कि करारोपण से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उत्पादन घटाने वाले कर अच्छे नहीं माने जाते। इस आधार पर कर प्रणाली को सामाजिक दृष्टिकोण से लाभदायक होना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि सर्वोत्तम न्याय तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण प्रदान करना एक कर का कार्य नहीं ही सकता। यह कार्य तो संपूर्ण कर पद्धति द्वारा सम्पन्न होता है और एक अच्छी कर व्यवस्था में ऐसे वर्गों की बहुलता होनी चाहिए जो उत्पादन तथा वितरण पर अनुकूल प्रभाव डालें।

#### (6) अर्थव्यवस्था की चदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल होना

एक श्रेष्ठ कर प्रणाली की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह अर्थ-व्यवस्था की कुछ मूलभूत तथा बदलती हुई आवश्यकताओं अथवा तथ्यों की पूर्ति कर सके। तीसरे दशक की मंदी के बाद कर प्रणाली की रचना की एक नई दिशा दी गई।



आर्थिक उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, चिरकालीन गतिहीनता की प्रवृत्तियों को रोकना तथा युद्धकाल में मुद्रा-स्फीति पर अनुज्ञ लगाता सरकार की नीति के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं जिनके अनुरूप कर प्रणाली ढालने की आवश्यकता होती है।

### (7) ससाधनों का अनुकूलतम आवंटन

एक आदर्श कर प्रणाली वही कही जा सकती है जो स्रोतों के अधिकतम उपयोग में बाधक सिद्ध न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब आर्थिक दृष्टिकोण में कर प्रणाली उदासीन रहे अर्थात् जब मूल्य-यत्न का त्रिव्यन्वयन विभिन्न वस्तुओं के अनुकूलतम उत्पादन उपभोक्ता तथा साधन स्वामियों के चयन की प्राथमिकताओं में अवरोध उत्पन्न न करे। यदि स्वतंत्र मूल्य-यत्न अर्थव्यवस्था को इस प्रकार संचालित करने में असमर्थता प्रकट करना है तब बड़ा विनिष्ट बरों की सेवा लेकर स्रोतों को अनुकूलतम उत्पादन की ओर गतिमान किया जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कर प्रणाली मूल्य दर्शक नहीं रह सकती क्योंकि बड़ा आर्थिक विनाश में सरकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए ऐसे बरों को ही कर प्रणाली के तत्त्वा के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो स्रोतों के अनुकूलतम उपयोगों को प्रोत्साहित कर सकें।

# 9

## करारोपण में न्याय

### की समस्या

करारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और पररोक्ष रूप में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण को तथा प्रत्येक व्यावसायिक संगठन की लाभ की स्थिति को प्रभावित करती है। अर्थशास्त्र के विद्वानों ने इसे कर का द्रव्य भार तथा कर का वास्तविक भार कह कर पुकारा है। कर किस आधार पर और कितना लिया जाना चाहिए, समाज में किस व्याक्त से कर लें और किस से न लें, इन सब बातों पर सरकार को न्याय की दृष्टि रखनी चाहिए। यदि कर का वितरण उचित नहीं होगा तो समाज का त्याग आवश्यकता में अधिक होगा। यही नहीं, मुच्यार रूप में वितरण न होने पर समाज में कलह तथा विद्रोह की भावना का जन्म होगा। इसमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने का भी भय रहता है। श्रीमती हिक्स के मतानुसार, 'गलत ढंग से संगठित और वितरित 'कर प्रणाली' ही रोमन साम्राज्य के पतन का कारण थी। इसी प्रकार प्राचीनी क्रांति का मुख्य कारण भी दोषपूर्ण कर प्रणाली थी जिसमें निर्धन वर्ग पर घनिष्ठ व पादरियों की अपला कर भार अधिक था।' अतः स्पष्ट है कि आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक सभी दृष्टिकोणों से कर का भार न्यायपूर्ण भार हो। कर के न्यायपूर्ण वितरण की दृष्टि से अर्थशास्त्रियों ने समय-समय पर अनेक सिद्धांतों का उल्लेख किया है।

### वित्तीय सिद्धांत

इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय फ्रांसीसी अर्थशास्त्री बालबर्ट को है। उनका कहना था, 'वतख को इस प्रकार मोचो कि वह कम से कम विरोध के साथ चलाए।' इस सिद्धांत के अनुसार कर उस प्रकार लगाना चाहिए कि राज्य को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो जाए तथा जनता कम से कम विरोध करे। इस सिद्धांत का संवध स्पष्टतः 'कर' के न्यायपूर्ण वितरण में नहीं है बल्कि राज्य के द्वारा अधिक से अधिक आय प्राप्त करने से है।

व्यावहारिक जगत में कर प्रणाली को इस सिद्धान्त पर आधारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मूल्य भार जनता के उस भाग को सहन करना पड़ेगा जिसमें विरोध करने की सामर्थ्य नहीं है। ऐतिहासिक शासन में भले ही कर प्रणाली को इस सिद्धान्त पर आधारित किया जा सके, परन्तु प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था में यह नहीं हो सकता कि निधन और अमहान व्यक्तियों पर कर का अधिभार डाला जाए। विशेषकर आधुनिक काल में जहाँ प्रत्येक देश की सरकार बल्शानकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रही है। यह इस सिद्धान्त को लक्ष्यमात्र भी महत्त्व नहीं दे सकती क्योंकि इस पर आधारित कर प्रणाली के द्वारा राष्ट्रीय बल्शान में वृद्धि होने के स्थान पर ह्रास ही होता है। इसलिए करारोपण का वित्तीय सिद्धान्त व्यावहारिक तथा वास्तविक ही चुना है।

### लाभ का सिद्धान्त

18वीं शताब्दी के मध्य तक, करारोपण का हितानुसार सिद्धान्त राज्य के इस अनुसंधान सिद्धान्त का एक पूर्व था जिसे उस समय के राजनैतिक विचारकों ने सामान्य रूप में स्वीकार किया था किन्तु हब्ब, लाक, एमो तथा ह्यूम विचारकों के विचारों में अनुसंधान ही सगठित समाज का आधार था।

एडम स्मिथ के लगभग 100 वर्ष पूर्व तक विचारों में पैठी ने कहा था, 'यह बात सामान्यतः सभी मनुष्यों द्वारा स्वीकार की जाती है कि मनुष्यों को सरकारी व्यय में अपना योगदान देना चाहिए, परन्तु यह योगदान मार्बजनिन शासन में उनके भाग तथा हितों के अनुसार ही होना चाहिए।'

जहाँ इस एडम स्मिथ का समर्थन प्राप्त था, वहाँ आधुनिक रूप में निन्दहान ने इसे ऐच्छित विनिमय सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया है। इस सिद्धान्त के अंतर्गत निजी क्षेत्र के नियम को सरकारी क्षेत्र में कर निर्धारण के लिए लागू किया गया है।

इस सिद्धान्त के अनुसार कर की दर उतनी लाभ के अनुपात में होनी चाहिए जो कि प्रत्येक करदाता को सरकार की छत्रछाया में प्राप्त होता है अर्थात् जो मनुष्य जितना अधिभार लाभ सरकारी क्रियाओं से प्राप्त करेगा उतनी उतना अधिभार कर देना पड़ेगा। जान स्टुअर्ट मिल ने कहा है, 'लाभ सिद्धान्त' के अंतर्गत सरकार एवं करदाता का मध्य प्रयुक्तार व ह्रास में होना है।'

इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि इस आधार पर करों का मुविधा-पूर्वक विभाजन किया जा सकता है तथा इसका प्रेरणाकारी प्रभाव नहीं पड़ता।

गुण

इस सिद्धान्त में निम्न गुण पाए जाते हैं

• वास्तविकता इस सिद्धान्त का मूल गुण यह मान्यता है कि सरकारी र. . .

तथा इसमें यह अधिक उपयोगी मिद्ध होता है। स्थानीय सस्थाएँ विजली तथा जल की आपूर्ति पर इसी सिद्धांत के अनुसार कर लगाती हैं। पेट्रोल पर लगा कर भी किसी सीमा तक इसी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि यह कर केवल मोटर के मालिकों से ही प्राप्त किया जाता है जो सड़क से लाभ उठाते हैं। ब्यूह्वर के शब्दों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लाभ का सिद्धांत करों के निर्धारण के संबंध में चाहे कितना ही अमतोपजनक प्रमाण हो, करारोपण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।<sup>1</sup>

### कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत

'कानून के आगे सबको बराबर समझना चाहिए' की उक्ति को कराधान के करदेय योग्यता सिद्धांत का प्रेरक स्रोत कहा जा सकता है। यह सिद्धांत इस बात के ऊपर आधारित है कि प्रत्येक राज्य की प्रजा को अपनी-अपनी योग्यता के अनुपात में कर की अदायगी करनी चाहिए, यह अंश आय के उभ अनुपात में हो जोकि वे राज्य के संरक्षण में भोगते हैं। सरकार को कर अदा करने का दायित्व एक सामाजिक और सामूहिक जिम्मेदारी माना जाता है। इस संबंध में मुख्य प्रश्न यह उठता है कि कर कौन अदा करे तथा कितनी धन राशि अदा करे। सोलहवीं शताब्दी में जिनिक्यारडिनी तथा जीन बौडिन ने सामर्थ्य के आधार पर कराधान का समर्थन किया है। विलियम पटी तथा एडम स्मिथ ने भी करदेय योग्यता के सिद्धांत को स्वीकार किया है। एडम स्मिथ के शब्दों में 'प्रत्येक राष्ट्र के सदस्यों को सरकार की सहायता के लिए यथासंभव अपनी सामर्थ्य के अनुपात में अर्थात् उभ आय के अनुपात में जो वे सरकार के संरक्षण में प्राप्त करते हैं, धन देना चाहिए।'<sup>2</sup>

जे० एस० मिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार के लिए समान त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार कि एक सरकार को व्यक्तियों अथवा वर्गों के नीचे दावों की दृष्टता के बारे में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए उसी प्रकार सरकार उनसे जिन त्यागों की आशा करती है वे (त्याग) उन सबसे यथासंभव बँसा दबाव डालकर कराये जाने चाहिए। यही वह रीति है जिसके द्वारा संपूर्ण रूप में न्यूनतम त्याग किया जाता है—राजनीति के एक सिद्धांत के रूप में कराधान में समानता का मतलब है, त्याग की समानता। इसका अर्थ है 'सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग की अदायगी में, अन्य प्रत्येक व्यक्ति के भाग की तुलना में न तो अधिक असुविधा अनुभव करे और न कम।'<sup>3</sup>

1 A C Buehler 'Public Finance', p 350.

2 Adam Smith 'Wealth of Nations', Vol II, p 310

3 J S Mill 'Principles of Political Economy', Book V, Chapter II, Sec 2

वास्तव में करदेय योग्यता का विधान अन्य सभी विधानों की अपेक्षा स्वयं के अधिक अनुसृत है। वेन्टन के शब्दों में 'क्षमता पर निश्चय का एक नैतिक आधार' विधान है।<sup>1</sup> जोर दोहन के अनुसार, 'क्षमता नैतिक सुदृग्ता के विवृत विधानों की एक विविष्ट प्रणाली है।'

परन्तु जादों होने हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से यह एक ठोठ विधान है। उसमें प्रथम कठिनाई तो यह है कि करदेय योग्यता किस प्रकार की किम आधार पर निश्चित की जाय तथा दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि प्रत्येक मनुष्य की करदेय क्षमता किम आधार पर मापी जाए। इस समस्या के हल के लिए अर्थात् करदेय योग्यता का ठोठ आधार ज्ञात करने के लिए समस्या का प्रायः दो दृष्टिकोणों में अध्ययन किया गया है

### (अ) व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण


करदाताओं को कर देने में कुछ भार सहन करना पड़ता है अथवा इनमें उन्हें कुछ कष्ट होना है या उन्हें कुछ त्याग करना पड़ता है। इन अध्ययन में करदाता के कर देने की योग्यता का अनुमान उसने कष्ट उठाया, त्याग किया की शक्ति तथा अनुविधाओं की महत्त्व की शक्ति से लगाया जाता है। अतएव करदेय योग्यता मनुष्य के त्याग करने की क्षमता पर निर्भर होती है, फिर भी सभी स्वीकार करते हैं कि किसी करदाता शक्ति की कर का भुगतान करने में शक्ति मात्रा में अनुचित का त्याग करना पड़ता है अथवा एक व्यक्ति के त्याग की मात्रा दूसरे व्यक्ति के त्याग की मात्रा में कितनी कम या अधिक है। परन्तु प्रो० पीगू ने इन कठिनाईयों के महत्त्व को स्वीकार न करते हुए कहा, 'जीवन में साधारण बातों में व्यक्तियों के स्वभाव व प्रवृत्ति भिन्नता, जातीय भिन्नता, जादों, प्रशिक्षण आदि की भिन्नता को स्वीकार करते हुए, हम सर्वथा यह मान लेते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तियों के समूह पर नकारात्मक परिस्थितियों का उभयग समान मानसिक प्रभाव पड़ता है।<sup>2</sup> करदेय योग्यता की मापने से संबंधित समस्याओं का अध्ययन मानात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है। इस विषय में तीन विधान प्रचलित हैं

(क) समान ह्रास का विधान इस विधान के अनुसार करारोपण सभी समानपूर्ण हो सकता है जबकि प्रत्येक मनुष्य के लिए त्याग की मात्रा समान हो। वेन्टन के अनुसार, 'करारोपण का भार इस प्रकार वितरित होना चाहिए कि सभी करदाताओं पर प्रत्येक वास्तविक भार समान हो।' मिन में भी इसी प्रकार व्यक्त किया है—'राजनीति के एक विधान के रूप में करारोपण की समानता का अर्थ है कि सरकार के अर्थ के लिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिये जाने वाले धन का उस प्रकार वितरण किया जाए कि वह भुगतान के भाग में प्रत्येक अन्य व्यक्ति की अपेक्षा मूल या अधिक अनुविधा अनुभव न करे।' समान त्याग का अर्थ पीगू के शब्दों

में, 'न्यूनतम आय के ऊपर सभी आयो को काटना और करारोपण के उपरांत सभी आयो को समान स्तर पर लाना है।<sup>1</sup> त्याग करने का मवध मनुष्य की मानसिक दशा से है जो भिन्न भिन्न होती है। अत विभिन्न मनुष्यों के त्याग की तुलना नहीं की जा सकती। यदि कर लगाने के लिए आय को आधार मान लिया जाए तो समान रूप से त्याग करने के लिए नीत परिस्थितिया की कल्पना की जाती है

(1) जब आय तेजी से बढ़ती है और उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ आय की सीमात उपयोगिता गिरती जाती है तो कर की दर प्रगतिशील होगी। प्रगतिशील कर दरा की सूची वह है जिसमें कर आधार के साथ साथ कराधान की दर भी बढ़ती है। निम्नांकित चित्र 14 यह बताता है कि करो को तीन प्रकार से प्रगतिशील बनाया जाता है।

### प्रगतिशील कर वंकल्पिक दर सूचिया



चित्र 14


(2) अनुपातिक पर दरा की सूची वह है जिसमें कर आधार में परिवर्तन होने पर कराधान की दर स्थिर रहती है। अर्थात् जब आय धीरे-धीरे बढ़ती है और सीमात उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है तो समान त्याग प्राप्त करने के लिए अनुपातिक कर लगाया जाता है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर चित्र 15 में स्पष्ट है।

(3) प्रतिगामी कर दरों की सूची वह है जिसमें आधार बढ़ने के साथ कराधान की दर घटती है। यदि आय गिर रही है तो उसके फलस्वरूप आय की सीमात इकाइयों में प्रारंभ में सीमात उपयोगिता बढ़ती जाती है। ऐसी अवस्था में समान

1 A C Pigou 'A Study of Public Finance', (1951), Macmillan & Co Ltd, London, p 57


त्याग के लिए प्रतिगामी बरारोपण आवश्यक है। जैसा कि चित्र 15 में प्रदर्शित होता है।

इस चित्र में स्पष्ट है कि आय में कमी होने पर सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। अब त्याग की मात्रा समान करने के लिए प्रतिगामी बर लगाना होगा।



चित्र 15

प्रगतिशील बैकल्पिक दर मूचिया



चित्र 16

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त तीनों चित्रों में वर रेडार् 1, 2, 3 ञ की विभिन्न दरों को प्रकट करती हैं जिनमें से प्रत्येक स्थिति में कोई भी दर प्रयुक्त जा सकती है।

वास्तव में त्याग की समानता का अर्थ स्पष्ट नहीं है। प्रो० पीगूँका विचार

है कि समान परिस्थितियों के व्यक्तियों के त्याग की समानता का अर्थ तो समझ में आना है परन्तु असमान परिस्थितियों में त्याग की समानता का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि हमने तात्पर्य सभी व्यक्तियों द्वारा समान मात्रा में कर का भुगतान है तो यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि सभी व्यक्तियों की द्रव्य की सीमात उपयोगिता व करदेय क्षमता समान नहीं होती है। अतः यह मिद्धात व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत को लागू करना, यदि अतभव नहीं तो कठिन अतभव है।

(ख) समानुपातिक त्याग का सिद्धांत : इस सिद्धांत के अनुसार करदाताओं पर कर का भार उनकी आर्थिक शक्ति के अनुपात में निश्चित होता है। यह भार समान नहीं रहता है। अर्थात् कर की दर आय के घटने-बढ़ने के साथ कम-अधिक होती रहती है। जिन व्यक्तियों में अधिक त्याग करने की शक्ति होनी है वे अधिक धनराशि कर के रूप में अदा करते हैं और जिनमें तुलनात्मक रूप से कम शक्ति होनी है वे कर कम अदा करते हैं और जिनमें निरतुल्य नहीं है, वे कर मुक्त रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पद्धति के अनुसार करारोपण न्यायसंगत होने के लिए प्रगतिशील होना चाहिए।

(ग) न्यूनतम त्याग का सिद्धांत इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय एडवर्थ तथा कारवर को है। पीगू तथा डाटन जैसे अर्थशास्त्रियों ने उसका समर्थन किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कर भार की समस्या का अध्ययन सामूहिक रूप में किया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप में। इस सिद्धांत के अनुसार कर का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि सब करदाताओं द्वारा जो कुछ भी सामूहिक त्याग किया जाता है उसकी मात्रा कम से कम हो और सामूहिक सामाजिक लाभ की मात्रा अधिकतम हो। यह उसी समय हो सक्ता है जब कि सभी करदाताओं का सीमात त्याग बराबर या लगभग बराबर हो। अर्थात् कर इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक करदाता को मुद्रा की अंतिम इकाई देन से समान त्याग का अनुभव हो। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर के रूप में एक रुपया अदा करने में उतनी ही त्याग की अनुभूति होनी चाहिए जितनी कि एक रुपया अदा करने में दूसरे व्यक्ति को होनी है। इस विचार को एक उदाहरण द्वारा भली-भांति समझाया जा सकता है।

मान लीजिए कि तीन व्यक्ति क, ख, ग हैं। जब उन्हें एक रुपया कर के रूप में अदा करना पड़ता है तो उनका त्याग इस प्रकार का होता है

रुपये की इकाइयाँ

त्याग

	क	ख	ग
1 रुपया देने में	4	5	8
2 रुपय देने में	5	6	10
3 रुपय देने में	7	8	12
4 रुपय देने में	8	10	15
5 रुपय देने में	10	15	25



मान लीजिए कि राज्य को 8 रुपये कर के रूप में बनूय करने हैं तो 'क' ने 4 र०, 'ख' ने 3 र० और 'ग' ने 1 र० बनूय करना चाहिए। उस स्थिति में नववा भीमात त्याग बराबर होगा।

यह सिद्धान्त अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञानगत उपरोहिता ह्यम नियम पर अंगी-रित है, जिनके अनुसार आय अधिक होने के साथ-साथ व्यक्ति विशेष के लिए उनकी उपयोगिता कम होती जाती है। अतः बहुत अधिक आय वाले व्यक्तियों की अन्य इच्छाया कर के रूप में ले ली जाए तो ऐसी व्यक्तियों को विशेष कष्ट न होगा। अपने विपरीत न्यून आय वाला का कर में मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए रुपये की भीमात उपयोगिता अधिक होती है।

यदि न्यूनतम आय के सिद्धांत को लागू किया जाए तो सर्वप्रथम कर उस व्यक्ति पर लगाया जाना चाहिए जिसकी आय अधिकतम हो। क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा किया जाना वाला त्याग न्यूनतम होगा तथा बरारोपण के कारण जब व्यक्ति की आय घटने-घटव उसका बाद वाले दूसरे नंबर के बड़े धनी व्यक्ति के स्तर पर आ जाए तब इन दोनों व्यक्तियों पर कर लगाना चाहिए। ऐसा इस कारण होगा क्योंकि अब दोनों ही व्यक्तियों को कर के रूप में एक रूपया अदा करने में समान भार अनुभव होगा। इनके पश्चात् बरारोपण द्वारा उन दोनों ही व्यक्तियों को समाज के तीसरे नंबर के धनी व्यक्ति के स्तर तक ले जाना चाहिए। यह क्रम उस समय तक जारी रहना चाहिए जब तक कि सरकार को सचेष्ट मात्रा में आय प्राप्त न हो जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि एक निश्चित स्तर से ऊपर की सभी आयों को बरारोपण द्वारा घटाकर उस निश्चित स्तर पर लाना चाहिए, जैसा प्रो० पीयू ने कहा 'मम-भीमात त्याग की पूर्ण रूप से अपनाई गई प्रणाली में न्यूनतम आय के ऊपर की प्रत्येक आय को काटकर कम दर देने का अर्थ निहित है।'

आलोचनाएँ बरारोपण का यह सिद्धान्त अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। यद्यपि प्रो० पीयू ने इसे 'बरारोपण का अंतिम सिद्धांत' कहा है फिर भी यह सिद्धांत दोषरहित नहीं कहा जा सकता।

1. त्याग एक भावनात्मक विचार है अतः त्याग की मात्रा का माप बठिन ही नहीं करन अमभव है। फिर कर के रूप में एक रुपये का भुगतान करने में एक व्यक्ति को जो त्याग करना पड़ता है वह अभव है कि उसकी आय पर निर्भर न हो अपितु कुछ अन्य परिस्थितियों जैसे उसके परिवार के आकार आदि पर भी निर्भर हो। कर देने का सामर्थ्य केवल आय की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता अपितु आय के स्रोत तथा उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। साम्प्रदाय में संपत्ति में होने वाली आय के बीच तथा स्थिर रहने वाली आय और घटने-बढ़ने वाली आय के बीच महत्वपूर्ण अंतर होता है।

2. यदि इन सिद्धांत को पूर्ण रूप में लागू किया जाए और पन्ध्रवर्ष सभी व्यक्तियों की आय को एक निश्चित स्तर तक घटा दिया जाए तो इससे प्रगतिशील

कराधान को कोई प्रोत्साहन न मिल कर 'सर्वस्व अपहरण' को ही बढावा मिलेगा। लाभ तथा आय में कराधान पर नियुक्त ब्रिटिश शाही आयोग के विचारानुसार 'न्यूनतम त्याग का मिद्वान केवल ऐसी स्थिति के अनिश्चित और कही लागू नहीं हो सकता जो कि हमने सैदानिक परिणाम में बहुत दूर ही जाने का मार्ग बंद कर देनी है।

3 इस सिद्धांत में एक मुख्य दोष यह है कि इसमें केवल वर्तमान त्यागों की ओर ही ध्यान दिया गया है और करारोपण में उत्पन्न होने वाले भावी परिणामों को भुला दिया गया है। इस मिद्वान के अनुसार प्रगतिशील कर प्रणाली के आधार पर कर लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक धनी व्यक्ति पर जब कर लगाया जाता है तो उसकी वचन कम हो जन्म के कारण पूजा निर्माण निरस्तमाहित हो जाएगा। फलस्वरूप रोजगार एवं उत्पादन का स्तर गिर जाएगा। इस प्रकार भविष्य में समाज का बल्याण होने के बजाय, समाज का पतन होगा।

4 इस सिद्धांत के अनुसार करारोपण के अध्ये एक बुरे परिणामों का पता लगाना कठिन है। अनेक बार बहुत से व्यक्तियों को बहुत अधिक त्याग करना पड़ता है लेकिन करारोपण का नैतिक एवं सामाजिक प्रभाव अच्छा हो सकता है, जैसे मादक पदार्थों पर कर। इसमें कुछ व्यक्ति तो उपभोग से वंचित रहेंगे तथा कुछ को त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार के कुछ करों में समाज का सुधार होता है। प्रो० पीगू का विचार है कि त्याग की अपेक्षा करों के अध्ये परिणामों की ओर ध्यान देना चाहिए।

### वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण

क्योंकि त्याग या व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांतों को लागू करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं अतः अमेरिका के कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कर अदा करने की सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का आश्रय लिया है। प्रो० सेलिगमैन ने वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अर्थ में, सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए उत्पादन शक्ति शब्द को प्रयुक्त किया है उत्पादन शक्ति का सिद्धांत करदाता की भावनाओं की तुलना में करदेय क्षमता के द्राव्यिक मूल्य पर अधिक बल देता है। सेलिगमैन के मतानुसार त्याग का सिद्धांत तो वास्तव में उपभोग का सिद्धांत है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि पृथक्-पृथक् व्यक्तियों पर कर का कितना भार पड़ता है और उसकी क्षमता तथा आय उसके अपने उपभोग के लिए शेष बच रही है। परन्तु उत्पादन शक्ति का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ बातों पर ध्यान देता है जिसमें कि करदाता की आय तथा संपत्ति आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार हम विचारधारा के अनुसार मनुष्य की कर देने की क्षमता आंतरिक बातों से न नाप कर बाह्य दृष्टिकोण से नापते हैं। जैसे

1. मनुष्य की आय : कुछ लेखक 'मुद्रा आय' को कर देने की योग्यता का उचित आधार मानते हैं। आजकल करारोपण के लिए इसी को आधार माना जाता है। अधिक आय वालों पर अधिक कर भार और नीची आय वालों पर कम कर

भार डाला जाता है। कुछ लोग जिनकी आय बहुत कम होनी है, वे कर भार से मुक्त भी रखे जाते हैं। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कर देने की योग्यता आय के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती है तथा आय के बढ़ने के साथ-साथ घटती है।

परन्तु मुद्रा आय को भी करदान योग्यता का मसौपजनक प्रमाण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि

1 दो व्यक्तियों की मौद्रिक आय समान होते हुए भी उनकी करदान क्षमता अलग-अलग हो सकती है। एक के दायित्व दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकते हैं उदाहरणार्थ एक व्यक्ति का परिवार छोटा हो सकता है जबकि दूसरे का परिवार बड़ा। ऐसी स्थिति में दोनों व्यक्तियों पर समान दर में कर लगाना न्यायोचित नहीं होगा।

2 कुछ व्यक्ति अपने परिश्रम द्वारा 'आय' अर्जित करते हैं जबकि कुछ को अपनी 'संपत्ति' स आय प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में भी कर की समान दर उचित नहीं मानी जा सकती।

उपरोक्त कठिनाइयों को देखते हुए लार्ड स्टाम्प का मतव्य है कि यदि कर लगाने समय निम्न बातों को विचाराधीन रखा जाए तो अन्य आधारों की तुलना में आय का आधार 'कर देय योग्यता' का एक सर्वोत्तम प्रमाण हो सकता है

(अ) न्यूनतम छूट - उपरि जीवन निर्वाह के लिए एक न्यूनतम छूट देनी चाहिए।

(ब) कुटुम्ब की संख्या - कर की दर लगाते समय परिवार के सदस्यों की संख्या का ध्यान रचना चाहिए अर्थात् छोटे परिवार से अधिक कर और बड़े में कम कर वसूल करना चाहिए।

(स) वसूली का समय - जिस समय आय प्राप्त होती हो उसी समय कर वसूल करना चाहिए क्योंकि समय है कि करदाता अगले वर्ष भारी आर्थिक हानियाँ या अन्य कारणों से कर की अदायगी न कर सके।

(द) आय का स्वरूप - अपने प्रयास में प्राप्त निजी धन की अपेक्षा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई संपत्ति पर अधिक कर लगाना चाहिए।

(घ) अतिरिक्त आय - अतिरिक्त आय मिलने वाले व्यक्ति पर अपेक्षाहीन अग्रिम कर लगाना चाहिए।

2. मनुष्य की संपत्ति : कुछ विचारकों ने संपत्ति को करदान मान्य का अधिक अच्छा आधार बताया है। इनके अनुसार जिन व्यक्तियों के पास अधिक संपत्ति है उनसे उतना ही अधिक कर लेना चाहिए। मनुष्य की संपत्ति यह प्रकट करती है कि उसकी समाज में कौनो स्थिति है। जिनके पास जितनी अधिक धन-संपत्ति होती है वह उतना ही धनी समझा जाता है। जिनके पास कम संपत्ति होती है वह व्यक्ति उनका ही कम धनी समझा जाता है। धनी व्यक्ति की कर देने की योग्यता अधिक होती है

और जो कम धनी होता है उसकी कर देने की योग्यता भी कम होती है। इस प्रकार संपत्ति करदाता की कर देय योग्यता मापने मे सहायता देती है।

किंतु किसी मनुष्य की संपत्ति को भी कर देने की क्षमता का उचित आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि

(अ) समाज मे ऐसे भी बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनकी आय तो अधिक होती है परंतु वे मितव्ययी नहीं होते जिनके परिणामस्वरूप उनके पास संपत्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति मे संपत्ति को कर देने की क्षमता का आधार मानना, मितव्ययिता पर कर लगाना है। इसके प्रभाव अनाधिक होते हैं।

(ब) संपत्ति के मूल्य आवने मे कठिनाई होती है।

(स) अगर संपत्ति के आधार पर कर लगाया गया तो संपत्ति के एकत्रीकरण पर अतिकूल प्रभाव पड़ेगे।

3 उपभोग स्तर या व्यय किसी व्यक्ति के कर देने की क्षमता का माप उसका उपभोग स्तर एक व्यय है। जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उससे उतना ही अधिक कर वसूल किया जाना चाहिए। हाक्स मिल व फिशर का मत था कि करारोपण उपभोग एक व्यय की ऋण मात्रा के अनुसार किया जाना चाहिए। आधुनिक समय मे इस मत का समर्थन प्रो० निबोलस काल्डोर ने किया है। उनका मत है कि एक न्यूनतम सीमा के बाद जिस व्यक्ति का जितना अधिक व्यय हो उस पर उतना ही करारोपण होना चाहिए। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि धनी व्यक्ति का उपभोग स्तर एक निधन व्यक्ति से अधिक ऊँचा होता है। अतः अधिक व्यय करने वाले मे करदान योग्यता भी अधिक होती है।

वास्तव मे कर देने की योग्यता को मापने का यह आधार भी व्यावहारिक रूप से उचित नहीं कहा जा सकता। उपभोग को आधार मान कर हम करारोपण को न्यायसंगत नहीं बना सकते, इससे मुख्य कारण निम्न हैं

(अ) किसी एक व्यक्ति का अधिक व्यय इस बात का निश्चित सूचक नहीं होता कि उसकी कर देने की क्षमता भी अधिक है जैसे एक बड़े परिवार का व्यय छोटे परिवार की अपेक्षा अधिक होता है। इसका आशय यह नहीं है कि बड़े परिवार की कर देने की क्षमता भी अधिक होगी।

(ब) उपभोग के अनुसार कर लगाने से व्यक्तियों को अपना उपभोग कम करना पड़ेगा। उपभोग कम होने से देश के उत्पादन एवं रोजगार पर प्रेरणाकारी प्रभाव पड़ेगा।

अतः निष्कर्ष रूप मे यह कह देना कि देश मे 'कर' लौगा की कर देने की योग्यता के अनुसार होना चाहिए पर्याप्त नहीं है। योग्यता या समानता का गिद्धात एक वात्पनिज विषय है। डाट्टन के अनुसार समानता एक वात्पनिज स्वामिनी है जिसका बोध दार्शनिक द्वारा तथा जिनका दृष्टापूर्वक पानन राजनीतिशास्त्र द्वारा ही किया जा सकता है।'

प्रश्न यह है कि करदेय योग्यता को प्रमाणित करने के लिए व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोणों में कौन-सा अधिक उपयुक्त है। व्यक्तिनिष्ठ अथवा आन्तरिक सिद्धान्त करदाता के त्याग पर निर्भर करता है और त्याग की भावना मानसिक स्थिति में धनिष्ठ रूप से मशरूफ होनी है। इसलिए उसका मापना एक कठिन कार्य है। मर पूछा जाए तो करदेय योग्यता सिद्धान्त में मरम बड़ा दाव यह है कि यह वगणपण और करदेय क्षमता के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कार्ट उचित विधि प्रदान नहीं करता। न्यूनतम त्याग का सिद्धान्त भी इस दिशा में अपूर्ण है। दाना ही सिद्धान्त में यह भाव है कि भी दाना सिद्धान्त एक योग्य अवश्य मनेन करने है कि कर प्रगणो कारोही हानी चाहिए परन्तु इतनी मावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि 'जागही-कर' बहुत आग तक न बनाया जाए अत्रया यह सम्भव है कि लोगो में उत्प्रेरणा समाप्त हो जाए तथा करवचन को प्रोत्साहन मिले।

टान्टन एव पीगू का कहना है कि करदाता सामर्थ्य का सिद्धान्त एक पक्षीय है क्योंकि यह व्यय पक्ष को दृष्टिगत नहीं रखता है। प्रो० पीगू एव टान्टन ने इसमें व्यय पक्ष को सम्मिलित कर बजट के निर्माण के अधिकतम करदाता सिद्धान्त का पानन किया है।

### करारोपण के अधिकतम कल्याण का सिद्धान्त

करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों की शृङ्खला में अन्तिम कड़ी अधिकतम करारोपण के सिद्धान्त की है। यह सम्मानता सिद्धान्त से भिन्न है। सम्मानता का सिद्धान्त का क्षेत्र केवल सामाजिक सेवा की लागत के न्यायोचित वितरण तक सीमित है। जर्मन अर्थ-शास्त्री एडल्ड बेन्नेर द्वारा प्रतिपादित करारोपण का सामाजिक कल्याण सिद्धान्त आय के वितरण की अपूर्ण समस्या को अपनी परिधि में लेता है। ये दोनों सिद्धान्त बजट के आय पक्ष अथवा कर के पहलू को ही दृष्टि में रखते हैं। इन्होंने 'सामाजिक' सेवा के निर्धारण को तथा क मध्य खटका हुआ छोड़ दिया है।<sup>1</sup>

रिचार्ड ए० मसग्रैव न सामाजिक सेवाओं के निर्धारण को भी अपने सिद्धान्त में समाविष्ट किया है। यही करारोपण के अध्ययन का सामाजिक पहलू है। टान्टन तथा पीगू ने इस दिशा में अन्वेषक के रूप में कार्य किया है। टान्टन ने बजट नीति के मशरूफ में निम्न दो सिद्धान्तों का वर्णन किया है

(1) विभिन्न सामाजिक उपयोगों में माधनों का इस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यय में प्राप्त सीमांत मरुतप बराबर हो।<sup>2</sup>

(2) सामाजिक व्यय उच्च सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ व्यय की अन्तिम इकाई में प्राप्त लाभ वरु के रूप में प्राप्त अन्तिम इकाई में उत्पन्न त्याग के


1 Richard A Musgrave 'The Theory of Public Finance', (1959), Mc Graw Hill Book Co., Inc., N York, p 113

2 A C Pigou op cit., p 31

बराबर हो।<sup>1</sup> इस प्रकार से सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में प्राप्त सीमान्त सतोप समान हो जाता है।

अधिकतम कल्याण के सिद्धान्त की विचारधारा को निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है

### बजट त्रियांग्रों द्वारा लाभ-हानि



चित्र 17

OX अक्ष पर कोप की मात्रा तथा OY अक्ष पर सतोप को लिया गया है। ये कोप स्रोतों का निजी व्यय में सार्वजनिक व्यय में स्थानान्तरण दिखाते हैं। यही समग्र के सतोप का त्याग है। रेखा ee सीमान्त सामाजिक लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे-जैसे सार्वजनिक व्यय की क्रमागत इकाइयाँ बढ़ाई जाती हैं वैसे-वैसे यह रेखा नीचे की ओर गिरती जाती है। रेखा tt सीमान्त सामाजिक असतोप का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे-जैसे निजी व्यय में से आय की इकाइयों का क्रमागत स्थानान्तरण करा द्वारा सार्वजनिक व्यय के रूप में होता है यह असतोप अथवा त्याग बढ़ता जाता है। रेखा ee विशुद्ध सामाजिक लाभ की रेखा है। यह रेखा सीमान्त सामाजिक लाभ में से सीमान्त सामाजिक त्याग अथवा असतोप को घटाकर बनाई गई है।

चित्र द्वारा हमें ज्ञान होता है कि बजट का अनुकूलतम आकार OM पर निर्धारित होता है जहाँ नि सीमान्त सामाजिक लाभ सीमान्त सामाजिक त्याग के बराबर हो जाता है। इस बिंदु पर विशुद्ध सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। मसलके न इस सिद्धान्त के सन्दर्भ में कहा है, 'इस प्रकार न्यूनतम कल्याण के दृष्टिकोण द्वारा करो के आवंटन को सार्वजनिक व्यय के निर्धारित करने वाले अधिकतम लाभ के दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया जाता है।'<sup>2</sup>

1 H Dalton op. cit, Chap 2

2 Musgrave op cit p 114

व्यारोपण का यह सिद्धांत आर्टन गार्डा द्वारा विभिन्न उच्च स्तरीय निर्वाणों की योजना में व्यवहार में लाया जा सकता है। ऐसे ही विवरण गार्डा द्वारा मार्क-जन्मिण आदि के विभिन्न मार्कजन्मिण केवाओं में देखाए गए हैं इस सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। मार्कजन्मिण व्यय का एक अन्तर्गत अंग बन जान के कारण यह सिद्धांत 'हर के समानता के सिद्धांत' में श्रेष्ठ समझा जाने लगा है। इन सिद्धांत में हर के नाम के सिद्धांत की तरह सुवीर्यता नहीं है क्योंकि यह सिद्धांत अपनी परिधि में गुणधारीत आदर्शताओं को भी सम्मिलित कर लेता है उदाहरणार्थ बच्चों की मूल में दोषहर का भोजन, उपदानित निम्न लागत आदान तथा निःशुल्क शिक्षा इत्यादि।

इतना सब कुछ होते हुए भी यह सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता। इन संबंध में एक कठिनाई यह उभरती है कि विश्व में दिव्य शक्ति के अथवा नानिवाओं के मुख्य विषय प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित किए जाएं। केवल समान सीमात नाम का सिद्धांत कोई ऐसा ठोस आधार प्रस्तुत नहीं करता जिसे द्वारा विभिन्न व्यय-आदर्शों की सापेक्षिक तुलनाओं को प्राप्त किया जा सके।


## कर भार का सिद्धांत

कर भार की समस्या का अध्ययन करते समय हम अनेक प्रश्नों पर विचार करते हैं। कर का भुगतान दस्तव में कौन कर रहा है ? क्या कर भार उमी व्यक्ति पर पड़ रहा है जिन पर कर लगाया गया है ? क्या कर भार सभी व्यक्तियों पर समान रूप में पड़ता है या असमान रूप में ? वास्तव में कर भार की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि कर का भार मर्दय उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जिससे वह बमूल किया जाता है। साधारणतया यह देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों पर कर भार पड़ता है वे उस भार को स्वयं सहन न करके दूसरों पर डाल देते हैं, जिससे यह कर भार दूसरा को सहन करना पड़ता है। कर भार के इस स्थानांतरण को ही हम कर विवर्तन (shifting of taxes) कहते हैं। इस प्रकार कर विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाता है।

प्रायः करदाता वस्तुओं के मूल्य में कर को जोड़कर कर भार को दूसरों पर टालने की कोशिश करता है। कर भार से हमारा अभिप्राय प्रत्यक्ष मौद्रिक भार से होता है।

### करापात का अर्थ

कर लगाने के फनस्वरूप जो परिणाम भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर पड़ते हैं, उनका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है





डाल्टन ने कर के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भार और द्राव्यिक भार तथा वास्तविक भार में भेद किया है। करापात विभी भी कर का प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार है। कर के प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार में हमारा अभिप्राय उम द्राव्यिक भार में है जो कर चुकान क संबंध में करदाता के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में पड़ता है। कभी-कभी कुछ विशेष परिस्थितिया में ऐसा भी होता है कि करदाता को कर की राशि की अपक्षा अधिक धनराशि से वचित होगा पड़ता है। उस स्थिति में यह 'कर का परोक्ष द्राव्यिक भार' के नाम में पुकारा जाता है। यह स्थिति उस समय आती है जब विक्रेता कर तो अदा करता है परंतु उम कर को उपभोक्ता तक विवर्तित करने में उम कुछ समय लगता है। अतः वह कर के विवर्तित करने की अवधि तक व्याज की राशि कर में जोड़कर श्रेता से वसूल करता है। श्रेता को व्याज क रूप में जो हानि सहन करनी पड़ती है वह परोक्ष द्राव्यिक भार है।

किमी व्यक्ति पर जो भार पड़ता है जबवा उने आर्थिक कल्याण का जो त्याग करना पड़ता है वह उमका प्रत्यक्ष वास्तविक भार कहलाता है। यह उम समय उत्पन्न होता है जब उपभोक्ता को, कर के कारण वस्तु का मूल्य बढ़ जाने में उम वस्तु पर अधिक व्यय करना पड़ता है जिसमें उमका त्याग बढ़ने के कारण आर्थिक कल्याण में हानि होता है। दूसरी ओर कर की अदायगी के फलस्वरूप उम किमी वस्तु के उपभोग में जो कमी करनी पड़ती है, वह उमका परोक्ष वास्तविक भार कहलाता है।

उपर्युक्त कर भार के प्रमग में श्रीमती हिवन न औपचारिक तथा प्रभावपूर्ण करापात में अंतर बतलाया है। इनका औपचारिक कर भार प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार के समान है।

कर भार के आशय को स्पष्ट करने के लिए निम्न धारणा का अंतर उल्लेखनीय होगा।

**कर भार या करापात और कराधान में अंतर**

सरकार द्वारा लगाया गया कर किमी न किमी में वसूल किया जाता है। जो व्यक्ति या मस्या सरकार की सबसे पहले कर अदा करती है करापात उमी व्यक्ति या मस्या के ऊपर होता है। सरकार के महा कनी हुई करदानाओं की पजीवृत सूची में उम व्यक्ति या मस्या का नाम होता है जिस पर कि करापात होता है। कभी व्यक्ति अपनी आय न से कर का सरकार के खजाने में जमा करने के लिए उत्तरदायी होता है। यदि यह व्यक्ति या मस्या खजाने में जमा की जानवाली राशि को किमी अन्य व्यक्ति या व्यक्तिमा से वसूल करने में सफल हो जाता है तो यह कहा जाएगा कि प्रथम व्यक्ति पर कराधान है और दूसरे व्यक्ति पर, जिसे वास्तव में कर भार सहन करना पड़ा है, करापात है। अतः करापात उम व्यक्ति पर नाका जाएगा जिसकी आय कर अदा करने में वास्तव में कम हो जाती है। जब व्यक्ति कर को दूसरी पर नहीं टान सकत तब करापात तथा कराधान दोनों एन ही व्यक्ति पर होत हैं।

इस प्रकार करापात से हमारा आशय उम व्यक्ति या उन व्यक्तियों से है जो अंतिम रूप में कर का भार का सहन करते हैं। प्रा० पीगू के शब्दों में जो धन मन्कारी कोप में पहुँचता है वह किसी की जेब में निष्कन्ता है जो यदि कर का रूप में सरकार न लेती तो किसी की जेब में वह धन मुरारित रहता। अतः करापात से अतः यहाँ जाना किया जाता है कि कर विवर्तन के कारण क्या है और यह किस सीमा तक किया जाता है। करापात उस व्यक्ति पर होता है जो इस किसी जेब पर टाक नहीं सकता। दूसरे शब्दों में हम या भी व्यक्त कर सकते हैं कि करापात उन व्यक्तियों पर होता है जिनको कि कर का द्रव्य भार अंतिम रूप में सहन करना पड़ता है।

करापात तथा कर के प्रभाव में अंतर

करापात तथा कर के प्रभाव सैद्धांतिक दृष्टिकोण में एक दूसरे में भिन्न हैं। करापात के अन्तर्गत हम कर का प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार का अध्ययन करते हैं अथवा कर की राशि का भंगाना कौन करता है। इस बात का अध्ययन करते हैं। करापात की मूल समस्या यह है कि उम व्यक्ति या उन व्यक्तियों का पना लगाया जाए जिनका कि अंतिम रूप से कर अदा करना पड़ता है। जैसे कि प्रा० पीगू ने इस संबंध में कहा है कि राजकाय अथवा मन्कारी खजाना में जो राशि आई है वह किस व्यक्ति की जेब से आई है। यदि वह राशि सरकार द्वारा न ली जाती तो वह किसकी जेब में रहती? इस प्रकार करापात का अध्ययन विवर्तन के कारणों तथा उमके परिणामों में संबंधित है। इनके अध्ययन में हम यह कह सकते हैं कि करापात उम व्यक्ति पर है जो कर का भार को किसी अन्य व्यक्ति पर विवर्तित नहीं कर सकता।

इसके विपरीत कर के प्रभावों का अर्थ अंतर्गत विस्तृत होता है। इसके अन्तर्गत हम कर से उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की आर्थिक सामाजिक व राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। करारोपण में करदाता के उपभोग वृद्ध तथा काय करने की इच्छा या क्षमता व सम्पत्तियों के मूल्य आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है। करारोपण के उपरान्त मूल्यों में परिवर्तन हुआ या नहीं। यदि मूल्य परिवर्तन हुआ है तो उम से उत्पादक की विप्री तथा उपभोक्ता के उपभोग की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ा है। इन सब समस्याओं का अध्ययन कर के अन्तर्गत किया जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कर भार के अन्तर्गत कर के प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार का अध्ययन किया जाता है जबकि कर प्रभाव के अन्तर्गत कर से उत्पन्न होने वाली हर प्रकार की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।

करापात और कर विवर्तन में अंतर

जसा कि ऊपर ध्यान किया जा चका है करापात का आशय यह जान करना है कि किसी कर का करदाता पर जितना द्राव्यिक भार पड़ता है। इसके विपरीत कर विवर्तन का अर्थ है—करदाता द्वारा कर का भार को दूसरे पर टाकना। कर

विवर्तन वह विधि है जिसके द्वारा कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर हस्तांतरित किया जाता है। वास्तव में कर विवर्तन करदाता की क्षतिपूर्ति है। इसलिए यह कहना स्वाभाविक है कि कर का विवर्तन मूल्य-संरचना द्वारा होता है, क्योंकि वह वस्तु का मूल्य बढ़ाकर अपने कर भार को दूसरे पर अन्वेष करता है।

इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि वस्तु का मूल्य बिना बढ़ाए वस्तु को मात्रा अथवा उसके गुण में कभी कर के भी कर का विवर्तन किया जा सकता है। परन्तु यह तर्क पूर्णतया नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा कर मर्यादा-प्रथम अनैतिक होगा और द्वितीय, वस्तु को पूरक मूल्य पर ही कम मात्रा में देना का अर्थ वास्तव में उस वस्तु का मूल्य घट जाना ही होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कर भार का विवर्तन मूल्य-संरचना द्वारा ही हो सकता है।

### कर भार का महत्व

कर भार की धारणा का लोक आगम में बहुत अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। किसी देश के वित्त मंत्री को कर लगाने में पूर्व यह देखना आवश्यक होता है कि कर वसूल्य क्षमता के अनुसार लगाया जा रहा है या नहीं। क्योंकि कर लगाने का उद्देश्य आय प्राप्त करने के साथ-साथ धन की असमानता को भी दूर करना होता है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि वित्त मंत्री को यह निश्चिन्त रूप में ज्ञात हो कि कर का वास्तविक भार किन व्यक्तियों पर पड़ रहा है। इस महत्व के कारण कर भार की धारणा का अध्ययन करारोपण का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है। करारोपण का उद्देश्य केवल आय की वृद्धि ही नहीं करना उसकी संपत्ति पर पड़ने वाले प्रतिफल प्रभावी को रोकना और सामाजिक-आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करना भी है।

प्रत्यक्ष करों का विवर्तन सरलता में नहीं हो पाता। अतः उन पर पड़ने वाले कर भार का ज्ञान सुगमता में किया जा सकता है। प्रत्यक्ष करों में कर विवर्तन बड़ी तीव्रता में होता है इसलिए कर भार की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं जिनके कारण कर भार के अध्ययन का महत्व सीमित हो जाता है। इनमें से कुछ मुख्य कठिनाइयों का वर्णन नीचे किया गया है -

1. मूल्यों में परिवर्तन : कर के भार के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना सदैव संभव नहीं है क्योंकि कर भार के विवर्तन की जानकारी मूल्यों में हुए परिवर्तनों से ही हो सकती है। यदि कर के लगाने में मूल्य घट जाते हैं तो कर के भार को विवर्तित कर दिया जाता है, अन्यथा नहीं। परन्तु मूल्यों में परिवर्तन विवर्तन के कारण ही नहीं होने वरन् अन्य कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे लागत में वृद्धि, पूंजी में कमी या मांग में वृद्धि इत्यादि। अतः ऐसी दशा में यह ज्ञात करना असंभव हो जाता है कि मूल्यों में कितनी वृद्धि कर विवर्तन के कारण हुई है और कितनी अन्य कारणों से।

2 कर भार तथा कर प्रभाव का अंतर ज्ञात करना कठिन दूसरे, कर भार व कर के प्रभाव में अंतर मालूम करना कठिन होता है। सांझातिक दृष्टि से तो हम इनके अंतर की व्याख्या कर सकते हैं परंतु व्यवहार में इनके अंतर का स्पष्टीकरण कठिन होता है।

3 कर भार की तुलनात्मक विचारधारा कर भार करारोपण के उचित विवरण का सही निर्देशन नहीं दे सकती क्योंकि किसी एक वर्ग पर पड़ने वाले कर भार का अध्ययन यह सिद्ध नहीं करता कि वह उन लोगों की तुलना में अधिक कष्ट उठा रहा है जो कर की अदायगी नहीं कर रहे हैं। प्रो० कैनन का विचार है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई कर लगाया जाता है तो उन लोगों को अधिक लाभ होता है जो कर अदा करते हैं और जो कर अदा नहीं करते हैं उन्हें हानि होती है। वह व्यक्ति जो किसी पुल पर लगाई गई चुगी का भुगतान न करे व उद्देश्य से दो मील प्रति दिन अधिक चरता है उम उन लोगों की अपेक्षा, जो चुगी का भुगतान करते हैं, वास्तव में कठिनाई होती है।

इन सभी कठिनाइयों के होने हुए भी कर भार की धारणा का महत्त्व विस्तृत समाप्त नहीं हो जाता। सरकार कर भार के अध्ययन द्वारा ऐसे उपाय अपना सकती है जिससे उसके पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए। सरकार इनके अध्ययन से कर भार ऐसे व्यक्तियों पर टाल सकती है जिन पर वह डालना चाहती है। किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था तथा उसका सर्वमूर्खी विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वहां कर भार का सही अध्ययन किस सीमा तक किया गया है, तभी उसका समाज में उचित वितरण तथा करारोपण के प्रभावों का ज्ञान हो सकता है। मेलिंगमैन ने इस संबंध में ठीक ही लिखा है, यह कर भार निश्चित कर देने पर ही संभव है कि हम करों के विस्तृत प्रभावों पर विचार कर सकें।'

## कर विवर्तन की मुख्य विशेषताएँ

कर विवर्तन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन नीचे किया गया है

(क) एक या अनेक विदुओं पर कर विवर्तन

जब कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे तथा तीसरे से चौथे व्यक्ति पर विवर्तित होता है तो कहा जाता है कि कर का विवर्तन कई विदुओं पर होता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार चीनी के उत्पादक पर कर लगाती है तो पहले वह उसे घोर व्यापारियों पर, घोर व्यापारी फुटकर व्यापारियों पर तथा फुटकर व्यापारी अंत में उपभोक्ताओं पर टोल देते हैं। इस प्रकार कर का विवर्तन अनेक विदुओं पर होता है। जब वस्तु कर व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं पर टोल दिया जाता है और अब कर का विवर्तन आगे संभव नहीं होता तो ऐसा विवर्तन एक विदु से दूसरे विदु पर कर विवर्तन कहलाता है।

## (ख) कर विवर्तन की रीतियाँ

एक विवर्तन की दो रीतियाँ हैं।

1 अग्रगामी विवर्तन : अग्रगामी विवर्तन में कर का भार प्रायः ही जोर से जमा जाता है। यह विवर्तन का अधिक मुख्य रूप है। जब किसी व्यापारी पर कर लगाया जाता है तो वह उस वस्तु का नूतना में जोड़कर उसकी अनिपूर्ति क्षमता से कर लेता है। देकर के रूपों में यह कर को लागू की जोर बहुत रूप में उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर दिया जाता है तो यही रीति अग्रगामी विवर्तन कही जाती है।

2 प्रतिगामी विवर्तन : व्यापारी जब वस्तुओं के अग्रगण्य के उपगत वह अनुभव करता है कि कर वस्तुओं के मूल्यों में जोड़कर न वस्तुओं के मूल्य जतिर बढ़ जायें और वस्तुओं की निम्नी बम ही जायें तो वह उस कर भार को लोगों पर निम्नी मेराए उत्पादन काय के लिए खरीदी गई है, छोटा बम मूल्य देकर हस्ता-सिद्ध करने का प्रमाण करता है। यदि वह इनमें मरन हो जाता है तो उस प्रकार के एक विवर्तन को प्रतिगामी विवर्तन कहेंगे।

कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं, जब व्यापारी वस्तु के कर को न तो लागू टककरने में मद्यत हो पाता है और न पीछे टककरने में। ऐसी स्थिति में वह कर के भार को स्वयं ही सहन करता है।

सोमर्स ने एक विवर्तन को समय के अनुसार तीन भागों में विभाजित किया है (1) बाजारवादी विवर्तन, (2) अल्पवादी विवर्तन तथा (3) दीर्घकालीन विवर्तन। बाजारवादी विवर्तन वर्तमान प्रति की सीमा में परिवर्तन करके दिया जाता है। अल्पकालीन विवर्तन जब होता है जब माघनीं द्वारा हीन वाली भावी प्रति की सीमा में परिवर्तन करके विवर्तन किया जाय। इसके विपरीत यदि स्वयं उत्पाद के माघनों की सीमा में परिवर्तन करके विवर्तन किया जाता है तो उसे दीर्घकालीन विवर्तन कहते हैं।

## (ग) कर विवर्तन के स्वरूप

इसके दो रूप हैं—प्रथम, व्यापारी कर की मात्रा के बराबर वस्तु का मूल्य उठाकर कर की वस्तु का उपभोग करने वालों पर विवर्तित कर दे। द्वितीय, यदि वह अपने उस प्रमाण में मद्यत न हो सके तो वह वस्तु की मात्रा व गुण में या इनमें से किसी एक में कर के भार को विवर्तित कर सकता है।

## (घ) कर विवर्तन का सहन करना

कर का भार कभी उत्पादक को ही कभी उपभोक्ताओं को और कभी-कभी उत्पादक, दोह व्यापारी व उपभोक्ता को आंशिक रूप में वहन करना पड़ता है।

## कर विवर्तन व कर वंचन में भेद

साधारणतया कभी-कभी कर विवर्तन व कर वंचन के अर्थ में समानता की झगड़ दिवाई पड़ती है जिसे हम मृग-मरीचिका की सजा दे सकते हैं। कर वंचन म तात्पर्य कर की अदायगी में वंचाव करना है। सर जेम्स गिग ने कर की चोरी का घोर अपराध कहा है। जयति कर विवर्तन का अर्थ करदाता द्वारा कर के भार को आशिक या पूर्ण रूप में दूसरे पर प्रवर्तित करने में होता है। जेम्स ने कर विवर्तन को कर वंचाव की कला कहा है। कर वंचन तथा कर विवर्तन में निम्न भेद हैं

(1) कर विवर्तन में सरकार के राजस्व का हानि नहीं होती जबकि कर की चोरी में सरकार के राजस्व की हानि होती है।

(2) कर विवर्तन में कर भार किसी न किसी को सून करना पड़ता है जबकि कर वंचन में कर का भार किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं करना पड़ता।

(3) कर विवर्तन कर में वंचन की एक विधि है। सरकार इस अवैध नहीं मानती। परंतु सरकार कर वंचन को कानूनी अपराध मानती है।

(4) कर वंचन स देश व व्यक्तियों का नैतिक पतन होता है जबकि कर विवर्तन में ऐसा कुछ नहीं होता।

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो नैतिक दृष्टि में कर वंचन और कर विवर्तन दोनों ही बुरे हैं। हा, कर विवर्तन उस समय अनैतिक नहीं कहा जा सकता जब सरकार इस उद्देश्य से ही कर लगाए कि कर का विवर्तन हो और वांछित व्यक्तियों को ही कर सहन करना पड़े।

## कर भार के प्राचीन सिद्धांत

कर विवर्तन के मबध में अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जिनमें दो सिद्धांत उल्लेखनीय हैं

### (1) मवेद्रण सिद्धांत

इस सिद्धांत की व्याख्या फ्रेंच विचारकों के एक सप्रदाय 'निर्वाधवादियों' ने की है। इन विचारकों के अनुसार कोई कर किसी भी व्यक्ति पर और चाहे कहीं पर भी लगाया जाए, अत में वह उत्पादकों के एक विशेष वर्ग भूमिदानियों पर ही केंद्रित होने लगता है। उनका विचार था कि श्रुति एकमात्र उत्पादन व्यवसाय है और शेष व्यवसाय अनुत्पादन होते हैं। यदि अनुत्पादक व्यवसायों पर कर लगते हैं तो वे विवर्तित होकर अत में श्रुति पर ही पड़ते हैं क्योंकि श्रुति में ही अनिरेव उत्पन्न होता है। केवल श्रुतियों पर लगाए गए करों का विवर्तन नहीं होता। इस प्रकार करों के विवर्तन तथा पुनर्विवर्तन की निरंतर प्रक्रिया द्वारा सभी कर अत

ने, कृषकों अथवा भूमिपतियों पर ही केंद्रित हो जाते हैं और उसके उपरान्त उन कर्मों का विवर्तन नहीं हो सकता। अनावश्यक कर विवर्तन अनुविधायक होत हैं। अतः निर्वाधवादियों ने मनाह दी कि जेवन भूमि की शुद्ध आय पर ही कर लगना चाहिए। इसलिये उन्होंने एकन कर का समर्थन किया।

निर्वाधवादियों का यह सिद्धांत अतिपूर्ण समझा जाता है क्योंकि यह दस गन्त धारणा पर आधारित है कि कृषि व्यवसाय ही उत्पादक व्यवसाय है। यदि कृषक पर ही कर लगाया जाता है तो वहाँ आय अजित करत वाने अन्य व्यक्ति कर्गरोपण में मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार धन के वितरण की असमानता दूर होने की अपेक्षा और बढ़ेगी। इस सिद्धांत में एक मत्व अवश्य है कि किसी भी कर की अदायगी अनिश्चय में ही की जा सकती है और अनिश्चय के अभाव में यदि कर लगाया गया तो लोग उसको विवर्तित करने का ही प्रयत्न करेंगे।

## (2) विमरण सिद्धांत

कर भार समझी विमरण सिद्धांत की व्याख्या प्राचीनी अर्थशास्त्री वृत्तार्थ ने की है। इनके अनुसार कर किसी एक विशेष वर्ग पर केंद्रित नहीं होते, अपितु इसके विपरीत, उनका प्रसार तथा फैलाव संपूर्ण समाज में ही हो जाता है। कर चाहे किसी भी व्यक्ति पर लगाया जाए, वह प्रत्येक मोड़ के द्वारा जेना और विवर्तन के मध्य उभय समय तक बटता रहता है जब तक वह समाज रूप में संपूर्ण समाज में न फैल जाए। वृत्तार्थ ने विकेन्द्रण की तुलना वर्षा के चौंफाट से की है। वे लिखते हैं, 'यदि मनुष्य के शरीर की किसी नम में से रक्त निकाल लिया जाए तो रक्त की बसी बेषन उभय नम में न होकर सारे शरीर में हो जाती है। दूसरे शब्दों में यदि समाज में किसी एक व्यक्ति में कर लिया जाए तो उसका भार समाज के सभी लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज रूपी शरीर का अंग है।'

एक अगरेज जज मैमफील्ड के मतानुसार, 'कर उस पत्थर के समान है जो झील में गिर कर पानी में घेरा उत्पन्न कर देता है और फिर एक के बाद एक घेरा उत्पन्न होता रहता है और झील के समस्त पानी को बादोलित कर देता है।'

सर हेमिन्टन ने उन प्रसंग में एक बार ब्रिटिश मजद में कहा था, 'विमरण सिद्धांत में भी बदाचित्त अधिक सच्चाई है, वह यह कि कर्मों की प्रवृत्ति फैलने तथा समान होने की होती है और यदि वे निश्चितता तथा एकचारिता से लगाए जाएं तो वे फैलकर प्रत्येक मर्पति पर ही अपना भार लासेंगे।'

अभिप्राय यह है कि सरकार कोई एक किसी व्यक्ति विशेष पर ही कर्मों न लगाए वह विवर्तित होने की प्रवृत्ति दिखाता है। और यह कि जेना उन समय तक चलती रहती है जब तक कि वह संपूर्ण समाज में वितरित नहीं हो जाता। इस सिद्धांत के आधार पर ही यह कहा जाता है, 'एक पुगना कर, कर नहीं है', क्योंकि पुगना कर का भार अतः विवर्तित शक्ति संपूर्ण समाज में वितरित हो जाता है

और लोग उसमें अभ्यस्त होकर उसके मनोबैज्ञानिक एवं दार्ष्टिक्य भार को भूल जाते हैं। इस सिद्धांत में यह भी स्वीकार किया गया है कि करों का विवर्तन इस प्रकार होता है कि उनका भार सभी व्यक्तियों पर उनकी सापेक्ष बरदान क्षमता के अनुसार होता है।

आलोचनाएँ यह सिद्धांत भी भ्रान्तिपूर्ण तथा अव्यावहारिक है क्योंकि

(क) इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर न्यायपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि कर के संपूर्ण भार को न तो कोई एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग सहन कर सकता है और न कोई व्यक्ति कर भार से मुक्त हो सकता है।

(ख) हम यह तो कह सकते हैं कि कर का विवर्तन कुछ हद तक हो सकता है लेकिन इसको स्वाभाविक और अनिवार्य मान लेना सर्वथा अनुचित है। अनेक प्रत्यक्ष कर जैसे आय कर, उत्तराधिकारी कर इत्यादि ऐसी प्रकृति के हैं जिनका विवर्तन ही नहीं हो सकता है।

(ग) यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि बाजार में पूर्ण तथा मुक्त प्रतियोगिता पाई जाती है, जो वास्तविक नहीं है।

उपरोक्त कमियों के होते हुए भी इस सिद्धांत में एक अच्छाई यह है कि इसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनेक परिस्थितियों में यह सम्भव नहीं हो सकता कि कर विवर्तन का ठीक-ठीक पता लगाया जा सके।

## कर भार का आधुनिक सिद्धांत

आधुनिक अर्थशास्त्री उपरोक्त सिद्धांतों से महमत नहीं हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने कर भार की समस्या के हल करने में मान और मूल्य (Value and price) के विश्लेषण को लागू किया है। जिन तत्त्वों से कर का विवर्तन निर्धारित होता है, वे इस प्रकार हैं

### (1) विनिमय कार्य का संपन्न होना

आधुनिक अर्थशास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि कर का विवर्तन विनिमय द्वारा होता है। प्राचीन सिद्धांतों की भांति ये अर्थशास्त्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि कर का भुगतान, केवल अतिरेक में से ही किया जाता है। अतिरेक की अनुपस्थिति में कर का विवर्तन उस समय तक होना रहेगा जब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि उसमें अतिरेक प्राप्त हो। यदि करारोपित वस्तु ऐसी है जिसमें घ्रेना और विघ्रेना दोनों को अतिरेक प्राप्त हो रहा है तो कर का भार दोनों वर्ग सहन करेंगे।

### (2) कर उत्पादन-लागत का एक अंश है

आधुनिक सिद्धांत के अनुसार कर उत्पादन-लागत का एक अंश है। जिस प्रकार मजदूरों को मजदूरी तथा पूजीपतियों को व्याज दिया जाता है उसी प्रकार से



सरकार को बर दिया जाता है। इनका वस्तुओं का मूल्य इतना होना चाहिए जिसमें बर की राशि का भुगतान किया जा सके। यदि बर का भुगतान दृष्टान्त मूल्य में नहीं हो पाता है तो मूल्य में वृद्धि उस समय तक होती रहेगी जब तक बर का पूरा भुगतान न होने लग। यदि करागणना के उपरान्त मूल्य में वृद्धि बाधित रूप में वृद्धि होती है तो इसका यह अर्थ होगा कि बर का एक भाग देना और गेप विज्ञेता महसूस करेगा।

### (3) बर की प्रकृति

बरदाना बर का कितना भाग दूसरों पर विवर्तित बर सकता है यह बर की प्रकृति एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। बर की प्रकृति में हमारा आनंद है कि बर किस प्रकार की वस्तुओं पर लगाया गया है तथा बर का आयाज क्या है। क्या बर आय पर लगाया गया है अथवा नपनि पर उत्पादन पर या किसी पर।

### (4) उत्पादन की दशाएँ

बर की बाधना वस्तुओं के उत्पादन की दशाओं पर भी निर्भर करती है। वस्तु का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता में हो रहा है या एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में। इनके अतिरिक्त हम यह भी जानना आवश्यक है कि उत्पादन में कौन-सा नियम लागू हो रहा है? क्या वह उत्पादन वृद्धि नियम, ज्ञान नियम या स्थिर नियम के अंतर्गत हो रहा है?

### (5) माग व पूर्ति की लोच

बरदाना कितना बर दूसरों पर टकेलने में सफल होगा यह बरारोपित वस्तु की माग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। यदि वस्तु की माग लोचदार है तो जेता माग को घटाकर और मूल्यों को गिराकर बर भार को विज्ञेताओं पर विवर्तित बर सकता है। वस्तुओं की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होती है, उत्पादक वस्तु की पूर्ति को घटाकर उसके मूल्य में वृद्धि करके बर भार को जेताओं पर विवर्तित करने में उतना ही अधिक सफल होता है। उन प्रकार किसी बर भार को जेताओं पर और जेता उसे विज्ञेताओं पर बाधित टालने का भरसक प्रयास करते हैं। इन दोनों में कौन कितना सफल होता है यह दोनों की नापेक्षित गौरा करने की शक्ति पर निर्भर करता है जो स्वयं वस्तुओं की माग और पूर्ति की लोच द्वारा निर्धारित होती है।

### (6) बर की मात्रा

बर भार बर की मात्रा द्वारा भी मापित होता है। यदि बर की मात्रा कम होती है तो विज्ञेता अथवा उत्पादक उच्च स्वयं महसूस कर लेता है। यदि बर की मात्रा अधिक है तो प्रायः वह जेता को ही महसूस करना पड़ता है। यदि बर बड़ी मात्रा में लगाया गया है तो जेता जो विज्ञेता को किसी एक-एक अनुपात में महसूस करना होता है।

(7) स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि

स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि भी कर भार को निर्धारित करने में अपना महत्त्व रखती है। यदि करारोपित वस्तु के स्थानापन्न मरम्मत में उपलब्ध हो जाते हैं तो कर भार प्रायः विक्रेता द्वारा सहन किया जाता है।


(8) श्रम व पूँजी की गतिशीलता

यदि श्रम और पूँजी अधिक गतिशील है तो कर का भार उपभोक्ताओं पर ढकेला जा सकता है और यदि वे गतिशील नहीं हैं तो लाचारी में कर भार उत्पादकों को स्वयं सहन करना होता है।

सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कर भार तथा उसके विवर्तन को निर्धारित करने वाले अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु इन सब कारणों में माँग और पूर्ति की लोच मुख्य स्थान रखती है।

**वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच तथा कर भार**

किसी करारोपित वस्तु के कर का कितना भाग क्रेता तथा कितना भाग विक्रेता सहन करेगा, यह वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन नीचे किया गया है।



चित्र 18

1. पूर्णतया लोचदार माँग

इस प्रकार की माँग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कीमत में हुई मामूली सी वृद्धि से वस्तु की माँग शून्य तक नीचे गिर जाती है और तब से बम होने पर माँग असीमित मात्रा में बढ़ जाती है।


इस प्रकार की वस्तु की माँग की लोच होने पर यदि सरकार कर लगाती है तो कर का संपूर्ण भार विक्रेता को सहन करना पड़ता है। इसको हम नीचे दिखाए गए चित्र में समझा सकते हैं।



### 3 पूर्णतया वेलोचदार माग

इस प्रकार की माग से अभिप्राय उस स्थिति या दशा से है जिसमें कीमत में हुए भारी परिवर्तना का भी माग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस दशा में कर लगने से विक्रेता कर भार पूर्ण रूप से क्रेताओं पर डालने में समर्थ होता है क्योंकि वस्तु की पूर्ति की माग वेलोचदार होती है। यह दशा अधिकतर आवश्यक वस्तुओं पर लागू होती है जैसे नमक। यदि नमक पर कर लगा दिया जाता है तो विक्रेता नमक के मूल्य में कर जोड़कर क्रेता से बमूल कर लेता है क्योंकि नमक की माग वेलोचदार होती है। इसको हम निम्न चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं।



चित्र 20

उपरोक्त चित्र में  $PP'$  करारोपण के कारण मूल्य में वृद्धि है। यह कर की मात्रा के बराबर है। वस्तु की माग  $OS'$  पूर्ववत् ही रहेगी। इस प्रकार विक्रेता कर के भार को क्रेता पर डालने में समर्थ होता है क्योंकि क्रेता वस्तु की माग में कभी नहीं कर सकता है। अतः इस स्थिति में, जैसे नमक पर कर लगने पर, उस का भार पूर्णरूप से उपभोक्ता को सहन करना पड़ेगा।

### 4 कम वेलोचदार माग

माग की कम वेलोचदार माग से तात्पर्य उम दशा से है जिसमें किसी वस्तु की कीमत में हुए अधिक आनुपातिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप माग मात्रा में अपेक्षाकृत अल्प अनुप्रत में परिवर्तन होता है। इस परिस्थिति में माग की लोच इकाई से कम होती है।

ऐसी स्थिति में कर लगने पर विक्रेता कर भार को अधिक मात्रा में वस्तु के मूल्य में शामिल कर लेने में समर्थ होता है और कर भार को अधिक मात्रा में



उपरोक्त चित्र में  $MM_1$   $MM_2$   $MM_3$  तीन मांग वक्र रेखाएँ हैं।  $MM'$  सबसे कम लोचदार तथा  $MM_3$  सबसे अधिक लोचदार मांग वक्र रेखा है।  $SS$  रेखा कर से पूँज की पूर्ति वक्र रेखा, तथा  $SS'$  वक्र रेखा कर से बाढ़ की पूर्ति वक्र रेखा है। जब वक्र रेखा  $MM_1$  कम लोचदार मांग की वक्र रेखा है तो इस स्थिति में  $T_1 P_1$  कर उपभोक्ताओं तथा  $P_1 B_1$  विक्रेताओं को सहन करना पड़ता है। दूसरी दशा में उपभोक्ताओं पर कर का भार पहली स्थिति से कम पड़ता है क्योंकि  $T_1 P_1$  रेखा से  $T_2 P_2$  रेखा छोटी है और विक्रेताओं द्वारा सहन किया जाने वाला कर भार अपेक्षाकृत अधिक है। तथा तीसरी दशा में विक्रेता क्रेताओं से अधिक कर भार की मात्रा सहन करता है जबकि उपभोक्ता  $T_3 P_3$  कर ही सहन करता है। प्रो० डाण्टन का मत है 'अन्य बातें समान रहने पर, कर लगाई हुई वस्तु की मांग की लोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक भार विक्रेताओं पर पड़ेगा।'<sup>1</sup> क्योंकि लोचदार मांग की वस्तु पर मूल्यो के परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा। कर लगने पर यदि विक्रेता सारा भार उपभोक्ताओं पर डालना चाहें तो वस्तु का मूल्य अधिक बढ़ जाने से उनकी मांग कम हो जाएगी। इसलिए विक्रेता अपनी वस्तुओं को अधिक मात्रा में बेचना चाहेंगे तो उनको कर का भार स्वयं सहन करना पड़ेगा जिससे उपभोक्ताओं की मांग में कमी न हो।

मांग की लोच पर कर भार का जो प्रभाव पड़ता है उससे हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं :

- (अ) वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होने पर कर भार क्रेता पर पड़ता है।
- (ब) वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होने पर कर भार विक्रेता पर पड़ता है।
- (स) वस्तु की मांग जितनी अधिक लोचदार होनी है कर का उतना ही अधिक भार विक्रेता पर पड़ता है।
- (द) वस्तु की मांग जितनी अधिक बेलोचदार होती है कर के भार का उतना ही अधिक अंश क्रेता पर पड़ता है।

### पूँज की भूमिका व करापात


कर का विवर्तन तथा कर का करापात वस्तु की पूँज पर भी आधारित होता है। अब हम पूँज की लोच की दृष्टि से कर भार की विवेचना करेंगे

<sup>1</sup> Dalton 'Principles of Public Finance' (1949) Routledge & Kegan Paul Ltd., London, pp. 53 & 54

## 1. पूर्णतया लोचदार पूर्ति

पूर्ति से तात्पर्य उन मात्रा से है जो किसी विशेष वस्तु पर विदेशियों द्वारा बेची जाने के लिए प्रस्तुत की जाती है। अन्य बातें समान्तर रहने पर, यदि वस्तुओं की पूर्ति लोचदार हो तो ऐसी स्थिति में विदेशों पर भार को उपभोक्तियों पर हकेलने में सफल हो जाता है। ऐसी स्थिति प्रायः दोषपूर्ण बाजार में शीघ्र नष्ट न होने वाली वस्तुओं के संबंध में पाई जाती है।

सरकार जब किसी भी वस्तु पर कर लगाती है तो उत्पादन मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके फलस्वरूप करारोपण के कारण या तो वे अपने उत्पादन की मात्रा कम कर देते हैं या उत्पादन करना ही बंद कर देते हैं। उस अवस्था में वस्तु की पूर्ति में कमी होने के कारण इन वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार उत्पादक कर के भार को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से खेताओं से वसूल करते हैं। इसको हम निम्न चित्र में समझा सकते हैं।




चित्र 23

उपरोक्त चित्र में कर लगने जाने वाली वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है। इस प्रकार उन वस्तु में सभी भार विदेशों पर लगने के अन्त प्रमाण में पूर्णतया सफल हो जाता है।

उपरोक्त चित्र में  $PP'$  रेखा कर से बाद की व  $pp$  रेखा कर से पहले की पूर्ण लोचदार पूर्ति वक्र रेखाएँ हैं।  $PP'$  कर भार की रेखा है जिम्मे बाजार मूल्य  $MN$  से बदलकर  $M'N'$  हो गया है, जो कि कर की मात्रा के बराबर है। इस सफल कर भार उपभोक्तियों पर ही पड़ रहा है।

## 2 पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति

अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की पूर्ति पूर्ण बेलोचदार है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता मूल्य परिवर्तन के अनुसार वस्तु की पूर्ति में घट-बढ़ नहीं कर पाता। इस प्रकार इस दशा में कर के भार को स्वयं उसको ही वहन करना पड़ता है क्योंकि वह अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन नहीं कर पाता। वह कर का विवर्तन खेताओं पर करने में असफल होता है। इस दशा को हम निम्न चित्र से समझ सकते हैं



चित्र 24


उपरोक्त चित्र में  $MM'$  वस्तु की बेलोचदार पूर्ति की वक्र रेखा है तथा  $DD$  वस्तु की माग है।  $DD$  माग व  $OP$  मूल्य पर वस्तु की  $OM$  मात्रा विक्र रही है। इस दशा में कर लगने से न तो वस्तु की विक्री ही कम होती है (क्योंकि वस्तु की पूर्ति बेलोचदार है) और न ही वस्तु के मूल्य में कोई बढोत्तरी ही होती है। अतः विक्रेता पर ही संपूर्ण कर का भार पड़ेगा।

## 3. पूर्ण लोचदार व पूर्ण बेलोचदार पूर्ति के बीच की स्थिति

करारोपित वस्तु की पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही अधिक मात्रा में कर भार खेता वहन करेगा तथा वस्तु की पूर्ति जितनी ही अधिक मात्रा में बेलोचदार होगी, कर भार उतनी ही अधिक मात्रा में विक्रेता को वहन करना पड़ेगा। प्रो० डाल्टन के अनुसार, 'अन्य बातें समान रहने पर कर लगाई हुई वस्तु की पूर्ति की लोच जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक कर का भार खेताओं को



बढ़न करना पड़ेगा।<sup>1</sup> क्योंकि लोचदार पूर्ति पर उत्पादन लागत में परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ेगा इसलिए कर के लगने पर यदि मांग वर विक्रेताओं ने सहन किया तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और वस्तु का उत्पादन गिर जाएगा। अब जेता इस प्रकार की वस्तु पर कर के भार को सहन करेंगे जिसमें इनको प्राप्त होने वाली वस्तुओं की मात्रा न कमो न जाए। इस प्रकार विक्रेता पूर्ति को कम करके कर के भार को जेताओं पर टालने का प्रयत्न करता है और जेता मांग कम करके इनको विक्रेताओं पर विवर्तित करन को कोशिश करता है। इनको हम निम्न चित्र की सहायता से समझा सकते हैं।



चित्र 25

उपरोक्त रेखाचित्र में जब पूर्ति की लोच कम है अर्थात्  $S_1S_1$  रेखा है तो कर का अधिक भार  $LQ$  जेताओं पर पड़ता है और कम भार  $L_1P_1$  जेताओं पर। परन्तु जब पूर्ति अधिक लोचदार ( $SS_2$ ) है तो कर भार विक्रेताओं पर कम ही जाता है— $LQ$  के बराबर। परन्तु जेताओं की इस स्थिति में अब पहली स्थिति के अधिक (यानि  $LP_2$ ) कर भार बहन करना पड़ता है। यदि पूर्ति रेखा क्षितिज बन जाए अर्थात् पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो जाए तो कर का सारा भार जेताओं पर ही जाएगा तथा विक्रेता कर के भार से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार जब मांग की रेखा पूर्णतया लोचदार हो जाती है तो कर का सारा भार विक्रेताओं पर पड़ता है, अर्थात् जेता कर नहीं देते। इनके निपरीत जब पूर्ति रेखा उदर होनी अर्थात् पूर्ति पूर्णतया बेलोचदार होगी तो कर का संपूर्ण भार विक्रेताओं पर होगा। उसी प्रकार मांग की रेखा भी जब पूर्णतया बेलोचदार होगी तो कर का सारा भार जेताओं पर होगा।

<sup>1</sup> Dalton : Op Cit., p. 54.


निष्कर्ष के तौर पर टेलर का यह कथन है कि 'किसी कर को विवर्तित किया जा सकता है कि नहीं यह प्रतिपक्षी की उम शक्ति पर आधारित रहता है जिम्मे द्वारा उमका विवर्तन रोका जा सकता है। बचाव करने की यह शक्ति माग व पूर्ति की लोच म प्रदर्शित होनी है। उपभोक्ताओ की माग का बेवोचदार होना बचाव की दुर्बलता का चोतक है और माग का लोचदार होना शक्ति का। इसी प्रकार उत्पादका व विनेताओ के लिए पूर्ति का बेवोचदार होना दुर्बलता प्रदर्शित करना है और लोचदार होना शक्ति का।<sup>1</sup> ठीक ही प्रतीत होना है। प्रो० डाल्टन के अनुसार भी, 'किसी भी वस्तु पर लगाए गए कर का प्रत्यक्ष द्राव्यिक बोझ श्रेताओ व विनेताओ के मध्य करारोपित नई वस्तु की माग व पूर्ति की लोच के अनुपात पर निर्भर करता है।'<sup>2</sup>

### पूर्ण प्रतियोगिता मे कर विवर्तन

#### पूर्ण प्रतियोगिता मे तात्पर्य

पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की उस दशा को कहते हैं, जहा पर निम्न दशाएँ विद्यमान होनी हैं (1) श्रेता और विनेता अधिक संख्या मे हों, (2) श्रेताओ और विनेताओ को बाजार मबधी पूर्ण जानकारी होनी है, (3) उत्पत्ति के माधना का समुचित प्रयोग हाता है, (4) सारे बाजार मे मूल्य एक सा होता है, (5) उत्पादन व्यय वस्तु के मूल्य के बराबर होता है।

जैसा कि उपरोक्त बातों से विदित है विनेता को बाजार मूल्य को स्वीकार करना पडता है। उसका पूर्ति के केवल थोडे मे भाग पर ही नियंत्रण होता है। यदि मूल्य पूर्ण प्रतियोगिता मे बडते हैं तो उमको उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पडता है। इस प्रकार उसका कुल लाभ या कुल बचत कम हो जाती है। इसको प्रो० जे०के० मेहता ने निम्न चित्र द्वारा दिखलाया है




चित्र 26

1 Philip E Taylor 'The Economics of Public Finance' p 287.

2 Dalton Op. Cit pp 55-56

विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर केवल अपनी लागत ही प्राप्त कर पा रहा है। उसको अधिकतम लाभ या अतिरिक्त आय प्राप्ति नहीं हो रही है। उपरोक्त चित्र में AC औसत लागत वक्र है। ACT वक्र वर लगने के बाद की दशा को व्यक्त करती है। NN' मूल्य वर लगने से पहला तथा M'P मूल्य वर के बाद का मूल्य है। मूल्य में QR के बराबर वृद्धि हुई है। वर लगने से उपभोक्ता को QRNP मात्रा के बराबर त्याग करना पड़ना है जो सरकार को प्राप्त होने वाली आय QSMP के बराबर है। इस प्रकार उपभोक्ताओं की हानि=सरकार की आय। अतः इन स्थिति में विक्रेता का कोई भी वर भार महत्त्व नहीं करना पड़ता क्योंकि वह संपूर्ण वर का भार उपभोक्ता पर लादने में सफल होता है। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वर का भार उपभोक्ता ही महत्त्व करता है।

उपरोक्त दशा व्यवहार में नहीं पाई जाती है। अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे जहाँ पर मांग वक्र पूर्ण वक्र को निम्नतम बिंदु पर काटता है। इस प्रकार इस दशा में सरकार को मिलने वाले लाभ की अपेक्षा उपभोक्ता की हानि अधिक होती है जिसको निम्न चित्र में समझा सकते हैं।



चित्र 27

उपरोक्त चित्र में सरकार को प्राप्त होने वाली आय या लाभ और करसंगे-पण के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली हानि में अज्ञानत्व नदछ है। इस दशा में मांग वक्र पूर्ण वक्र को निम्नतम बिंदु पर काटता है। इसमें उपभोक्ता सरकार के लाभ की अपेक्षा हानि अधिक महत्त्व करता है।

पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कुल सामाजिक हानि अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में वर केवल मांग व पूर्ण वक्र की विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए ही

नहीं लगाना चाहिए अपितु अन्य बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है जो कि निम्न है

(1) कर का स्वरूप कर का विवर्तन कर के स्वरूप पर बहुत कुछ निर्भर होता है। सामान्यतः निश्चित कर राशि जैसे लाइसेंस शुल्क अथवा आय और मपत्ति पर प्रतिशत करों का विवर्तन कठिन होता है। निश्चित राशि करों की प्रकृति स्थिर लागत जैसी होती है। अतः कभी-कभी अस्पष्टता में व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए उत्पादक इन्हें क्षेत्रों पर विवर्तित करने के स्थान पर स्वयं सहन करना पसंद करते हैं। विपरीत तथा उत्पादन पर लगाए जाने वाले करों की प्रकृति परिवर्ती लागत की होती है। इसलिए विप्रेता और उत्पादक इन्हें विवर्तित करने का यथासंभव प्रयास करते हैं। क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि विप्रेता अल्पकाल में भी परिवर्ती लागत को क्षेत्रों में वसूल करना चाहते हैं।

(2) कर की राशि : यदि करारोपित वस्तु के मूल्य के अनुपात में कर की राशि बहुत कम होनी है तो विप्रेताओं के लिए उमरा विवर्तन असुविधाजनक होता है। यदि सरकार 75 पैसे के सातुन पर आधा पैसा कर लगाती है तो विप्रेता को इसे उपभोक्ताओं पर विवर्तित कर पाना सरल नहीं होगा। अतएव वह इस कर का भार स्वयं ही सहन करेगा।

(3) स्थानापन्न वस्तुएं किसी भी करारोपित वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं जितनी अधिक होगी उम पर लगाने गए करों का विवर्तन उतना ही कठिन होता है। यदि विप्रेता करारोपित वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके अथवा उमके गुण में कमी करके विवर्तन का प्रयास करता है, तो स्थानापन्न वस्तुओं की विप्री बढ़ जाने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इस कारण करारोपित वस्तु की माग कम हो जाने के भय से विप्रेता उस वस्तु पर लगे हुए कर भार को स्वयं सहन करता है।


(4) धम व पूंजी की गतिशीलता : धम व पूंजी की गतिशीलता में अभि-प्राय धम व पूंजी के एक उद्योग में दूसरे उद्योग में स्थानान्तरण में है। जब भी सरकार विप्रेता पर कर लगानी है तो विप्रेता वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके उम उपभोक्ता पर विवर्तित करना चाहता है। ऐसा करने में विप्रेता की वस्तु की माग कम हो जाती है। यदि धम व पूंजी की गतिशीलता है तो ऐसी स्थिति में धम व पूंजी को दूसरे उद्योग में सुव्यवस्थापूर्वक स्थानान्तरित किया जा सकता है तथा उम प्रकार करारोपण का बुरा प्रभाव स्थितिकर नहीं होता। यदि गतिशीलता पूर्ण है तो उत्पादक को हानि नहीं उठानी पडती। यदि पूंजी व धम में गतिशीलता है तो कर का भार उत्पादक को स्वयं सहन करना पडता है।

### उत्पत्ति के नियमों का प्रभाव

उत्पादन के नियम भी कर भार एवं कर विवर्तन को प्रभावित करते हैं।

उत्पादन के तीन नियम हैं जिनके अवगंत किसी भी वस्तु का उत्पादन हो सकता है। ये हैं (क) क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (ख) क्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम तथा (ग) क्रमागत उत्पत्ति समता नियम।

(क) क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम : इन नियम के अवगंत जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है उत्पादन की प्रत्येक इकाई की लागत बढ़ती जाती है। कारखाने के उपकरण वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने के कारण मांग कम हो जाती है। इसलिए उत्पादक पूर्ति में कभी कभी वस्तु की लागत को कम कर लेता है। ऐसी स्थिति में कारखाने से वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है वह कर की राशि को चुनना में कम होती है। इस प्रकार कर का कुछ भाग क्रेता सहन करता है और कुछ भाग विक्रेता। इसका हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 100 वस्तुओं का उत्पादन 4 ₹ प्रति इकाई की लागत पर हो रहा है और वह बाजार में 4 ₹ प्रति इकाई के मूल्य पर विक्रयी है। यदि प्रत्येक वस्तु पर कर एक ₹ की दर में लगाया जाता है तो बाजार में प्रत्येक इकाई का मूल्य 5 ₹ हो जाता है। मान लीजिए मूल्य के बढ़ने से मांग कम हो जाती है और उत्पत्ति घटकर 80 इकाई हो जाती है तथा लागत 3 ₹ से घट कर 2 ₹ 50 पैसे हो जाती है। ऐसी अवस्था में कर को जोड़कर वस्तु का मूल्य 3 ₹ 50 पैसे हो जाएगा। स्पष्ट है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अवगंत कारखाने के उपकरण वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर की राशि से कम होगी और इस प्रकार कर का सम्पूर्ण भार क्रेताओं को सहन करना पड़ेगा। इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं।




चित्र 28

OX पर उत्पादन तथा OY पर मूल्य दिखाया गया है। DD मांग रेखा तथा SS पूर्ति रेखा है। मूल्य P बिंदु में, जहाँ मांग तथा पूर्ति बराबर देखाए गए दूसरे

को काटती हैं, निर्धारित होता है। PQ कर की राशि है। करारोपण के उपरान्त की पूर्ति रेखा SS हो जाती है जो D रेखा को P बिंदु पर काटती है। मूल्य में केवल LP में वृद्धि हुई है जो संपूर्ण कर राशि QP में कम है। स्पष्ट है कि कुल कर की मात्रा QP' का LQ भाग विक्रेता तथा LP क्रेता को सहन करना पड़ेगा।

(ख) श्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम : इस नियम के अंतर्गत उत्पादन में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, प्रत्येक इकाई लागत कम हो जाती है। ऐसी अवस्था में करारोपण से वस्तु का मूल्य कर की मात्रा में अधिक बढ़ जाता है और इस प्रकार क्रेता को कर की मात्रा से भी अधिक भार सहन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में करारोपण का कुल भार उपभोक्ता या क्रेता को ही सहन करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि करारोपण द्वारा मूल्य में वृद्धि होने से माग कम हो जाती है, उत्पादन घटता है तथा उत्पादन की प्रत्येक इकाई लागत बढ़ जाती है। ऐसी दशा में करारोपण से वस्तु का मूल्य कर के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ जाता है।

पूर्व उदाहरण द्वारा हम इसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक उत्पादक 100 वस्तुओं का उत्पादन 4 रु० प्रति इकाई की लागत पर करता है, जो बाजार में भी 4 रु० की विक्रय है। अब यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य तुरत बढ़कर 4 रु० 50 पैसे हो जायेगा और मान लीजिए कि मूल्य के बढ़ने के कारण माग घट जाती है तथा पूर्ति भी कम होकर 80 वस्तुओं की हो जाती है। उत्पादन घटने से प्रत्येक इकाई की लागत बढ़कर 4 रु० 50 पैसे है तथा कर जोड़कर मूल्य 5 रु० हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि श्रमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पन्न की जाने वाली वस्तु पर करारोपण के कारण मूल्य में जो भी वृद्धि होगी वह कर की मात्रा से अधिक होगी। निम्न रेखाचित्र इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करता है।



चित्र 29



चित्र म SS कर म पूर्व की तथा SS' करारोपण से उपरात की पूर्ति रेखा है, MP कर म पहले तथा M'P' कर लगने के बाद का मूल्य है जिसम P'Q के बराबर वृद्धि हुई है जा कि कर की राशि के बराबर है। स्पष्ट है कि कर का सपूर्ण भार नैताआ को ही महन करना होगा।

### एकाधिकार मे कर विवर्तन

एकाधिकार पर कर मुख्यत दो प्रकार मे लगाया जा सकता है। कर की प्रवृत्ति को देखकर ही यह कहा जा सकता है कि एकाधिकारी कर भार का विवर्तन करने म सफल हो सकता है कि नही।


(क) एकमुश्त कर या एकाधिकार लाभ पर कर

यदि एकाधिकारी पर एकमुश्त कर लगा दिया जाए अर्थात् बिना किसी निश्चित आधार के एव निश्चित रकम निर्धारित कर दी जाए तो इस प्रकार के कर भार को वह उपभोक्ताओ पर विवर्तित नही कर सकता। इसका कारण यह है कि एकाधिकारी ने करारोपण से पूर्व ही अपनी वस्तु का मूल्य या उत्पादन की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की होगी कि उसे अधिकतम वास्तविक एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सके। ऐसी स्थिति म, कर लगने के उपरात यदि एकाधिकारी वस्तु क मूल्य में वृद्धि करता है या उत्पादन म कमी करता है तो ऐसा करने से उसका कुल लाभ कम हो जायेगा। क्योंकि कर की राशि उसे अपने घटे हुए लाभ में से ही भरनी होगी इसलिए एकाधिकारी का घाटा और भी बढ़ जायेगा। इसके विपरीत यदि वह करारोपण के उपरात उत्पादन पूर्ववत मात्रा में ही करता है और पूर्व निर्धारित मूल्य पर ही वस्तु बेचता है, तो कर देने के उपरात जो कुछ भी उसके पास लाभ बच रहेगा वह निश्चित ही अधिकतम होगा, क्योंकि इस स्थिति में उसका उत्पादन तथा विक्रय अधिकतम होगा। इन सबमें मे टेलर (Taylor) ने लिखा है कि, 'ऐसी दशा होने पर कर से स्याई लागत में वृद्धि होती है तथा सीमात लागत यथास्थिर रहती है। अत हम देखन हैं कि इस कर से सीमात लागत और सीमात लाभ में कोई परिवर्तन न होने के कारण विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा व मूल्य, जिस पर वह बेची जा रही है, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कर का विवर्तन भी नहीं होता है।'<sup>1</sup>

इसी प्रकार जब एकाधिकारी से उसके कुल लाभो या कुल विक्री के किसी अनुपात में कर लिया जाता है तो भी उसका विवर्तन नहीं होता। कारण यह है कि कर की राशि का निर्धारण तो कुल लाभ के प्राप्त हो जाने अथवा कुल विक्री के हो जाने के पश्चात ही होगा। ऐसी स्थिति म एकाधिकारी कर को स्वय ही वहन करता है। उपरोक्त विचार को निम्न चित्र द्वारा समझाया जा सकता है।



रेखा चित्र में  $AC$  = औसत लागत वक्र,  $MC$  = सीमांत लागत वक्र,  $MR$  = सीमांत आय वक्र तथा  $DD$  = मांग वक्र है।



चित्र 31


चित्र में स्पष्ट है कि कर लगाने में सीमांत लागत या सीमांत आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए वस्तु मूल्य तथा विक्री वस्तुओं की मात्रा भी अपरिवर्तित हैं।  $AC$  करारोपण से पूर्वे की औसत लागत वक्र है। चूंकि एक इकाई की औसत उत्पादन लागत  $KR$  है इसलिए कुल उत्पादन लागत  $ORKL$  हुई। कर के उपरांत औसत लागत वक्र  $AC_1$  हो जाती है, इसलिए अब कुल लागत  $ORK_1L_1$  हो जाती है। चूंकि एकाधिकारी कर लगाने से पहले ही  $RM$  मूल्य समूह कर रहा है इसलिए लागत मूल्य में कर बुझ जाने के बाद भी औसत लागत अधिकतम मूल्य  $RM$  से कम है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कर का मर्यादा भार एकाधिकारी ही वहन कर रहा है। करारोपण के कारण चूंकि कुल लागत में  $LK$   $K_1L_1$  में वृद्धि हो जाती है, परन्तु इसके बराबर ही एकाधिकारियों का लाभ कम हो जाता है।

### (ख) उत्पात्ति के अनुपात में कर

जब एकाधिकारी पर उनकी उत्पात्ति के अनुपात में कर लगाया जाता है, तब वह कर को विवर्तित करने में सफल हो जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसा कर उनकी उत्पादन लागत में सम्मिलित हो जाता है। तबसे वस्तु की सीमांत लागत घट जाती है और एकाधिकारी को अपने उत्पादन को निश्चित मूल्य पर बेचने में लाभ नहीं होता है। इसलिए वह उत्पात्ति की मात्रा को घटाकर अपनी वस्तु को बड़े हुए मूल्य पर बेचता है ताकि उसका लाभ कम न हो। देकर के मर्या-

मुगार 'दूमरे वर्ग के करों (उपनि के अनुपान मे लगाये जाने वाले कर) को साधारणतया आगे की ओर विवर्तित किया जा सकता है क्योंकि सीमात लागत एक ही दर मे सपूर्ण तालिका मे बढ़ जाती है, जिसमे सीमात लागत और सीमात लाभ म नया मतुलन स्थापित होता है और इसी प्रकार नया मूल्य और नई मात्रा मे मतुलन स्थापित होता है ।

इम स्थिति को निम्न रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है ।



चित्र 32

इम रेखाचित्र म कर लगाने से पूर्व MC सीमात लागत वक्र है । यह सीमात लाभ की वक्र MR को P बिन्दु पर काटती है । ऐसी स्थिति मे मूल्य MN है, बरा-रोपण के उपरान्त सीमात लागत वक्र MC<sub>1</sub> हो जाता है । यह सीमात लाभ की वक्र MR को P<sub>1</sub> बिन्दु पर काटती है । अत्र मूल्य बढकर MN<sub>1</sub> हो जाता है । उत्पादन की मात्रा OM से घटकर OM<sup>1</sup> हो जाती है । कर OF राशि के बराबर लगाया गया है, परन्तु उपभोक्ता पर कर का भार केवल N<sub>1</sub>F<sub>1</sub> ही पडता है और शेष भाग एकाधिकारी पर ।

### एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कर विवर्तन

एकाधिकारी प्रतियोगिता यह बाजार स्थिति है जो पूर्ण प्रतियोगिता एक विशुद्ध एकाधिकार की दोना चरम स्थितिया के मध्य म स्थित है । इसमे एक वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं तथा उनमे प्रतिस्पर्धा होती है । उदाहरणार्थ, मायुन के उत्पादक जैसे लाइफसाय, हामाम, रैकगोना, पीयस आदि कई उत्पादक हैं । प्रत्येक

उत्पादक अपनी उत्पादन नीति अलग बनाना है। एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक कर भार का विवर्तन एकाधिकार या पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक अनिश्चित रहता है। इस स्थिति में भी कर भार का निर्धारण तथा विवर्तन वस्तु विशेष की सापेक्षिक माग और पूर्ति की लोच पर निर्भर करता है। परन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कर भार का निर्धारण उतना मुनिश्चित नहीं होता जितना कि यह पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में होता है। इसका मुख्य कारण है कि वास्तविक व्यापार जगत में अलग-अलग फर्मों अपनी-अपनी नीतियाँ अपनाती हैं जो परस्पर एक दूसरे की उत्पादन तथा कीमत मन्वही नीतियों को प्रभावित भी करती हैं।

एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में कर उत्पादन की मात्रा पर लगाया जाता है जिससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है। इस स्थिति में उत्पादक कहा तब कर का विवर्तन करने में सफल होता है यह निम्न बातों पर निर्भर करता है :

- 1—वस्तु की माग तथा पूर्ति की लोच का अनुपात,
- 2—विभिन्न फर्मों या उत्पादकों के मूल्य मन्वघ, तथा
- 3—कुछ उत्पादकों के उत्पादन क्षेत्र के त्यागने पर शेष उत्पादकों की बढ़ती हुई वस्तुओं की माग।

जहाँ तब वस्तु की माग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात का प्रश्न है, उसका विस्तृत विवेचन हम पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कर चुके हैं। जहाँ दूसरी बात का मन्वघ है वहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता की दशा में वस्तु के रूप तथा मूल्यों में अन्तर होता है और वे भिन्न-भिन्न व्यापारिक चिन्हों द्वारा बेची जाती हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप में वस्तुओं में भेद उत्पन्न हो जाता है और वे भिन्न भिन्न गुण वाली समझी जाती हैं। यदि उत्पादक पृथक्-पृथक् अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाते हैं, तो उपभोक्ता उन उत्पादकों से वस्तुएँ खरीदने लगते हैं जिनका मूल्य अपेक्षाकृत कम होता है।

यहाँ भी दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं। प्रथम, यह कि उत्पादक कर की राशि के अनुपात में ही वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करें। ऐसी दशा में स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी क्योंकि अब भी मूल्यों में उतना ही अन्तर बना रहेगा जितना मूल्य वृद्धि से पूर्व था। जो नेत्र जहाँ से पहले खरीदता था अब भी वहीं से खरीदेगा। जहाँ यदि ऐसी वस्तुओं के स्थानापन्न उपलब्ध हो तो सभी उत्पादकों की वस्तुओं की माग घट जायेगी। इस भय से उत्पादक स्वयं ही कर भार वहन कर लेंगे।

दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि जिन उत्पादकों ने दूसरों की अपेक्षा अपनी वस्तुओं के मूल्य कम रखे थे वे करारोपण के उपरांत मूल्य बढ़ा दें और जिन उत्पादकों के मूल्य पहले ऊँचे थे, वे माग के घटने के भय में अपनी वस्तुओं के मूल्यों को न बढ़ाएँ। ऐसी दशा में यह हो सकता है कि ग्राहक गुण की दृष्टि में रखे

बिना सस्ती वस्तु ही खरीदना पसन्द करते हो तो वे उस उत्पादक की वस्तु खरीदेंगे जिसका मूल्य कम होगा या जिसका स्थानापन्न उपलब्ध होगा। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो मूल्य की अपेक्षा वस्तु के गुण को अधिक महत्व देते हैं, वे अपने उत्पादक से पूर्ववत् मात्रा में ही वस्तुएँ खरीदते रहेंगे। ऐसी दशा में उत्पादक करारोपण का भार केवल उन्हीं क्रेताओं पर विवर्तित करने में सफल हो जाएंगे जो मूल्य में प्रभावित नहीं होते। फिर भी वस्तुओं की माग कम हो जाने के कारण उत्पादकों को कर भार अगत वहन करना ही पड़ेगा। इसके विपरीत जिन उत्पादकों ने अपनी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं की थी क्योंकि उनके मूल्य पहले से ही ऊँचे थे वे कर भार को क्रेताओं पर विवर्तित नहीं कर सकेंगे अपितु स्वयं ही वहन करेंगे।

### कर भार तथा विवर्तन के परंपरागत विचारों की आलोचना

हमने कर भार तथा कर विवर्तन का अध्ययन परंपरागत रीति के अनुसार किया है। आधुनिक अर्थशास्त्री इस परंपरागत विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस विचारधारा की निम्न आधारों पर आलोचना की है।

(1) कर भार का महत्वहीन वर्गीकरण परंपरागत धारणा के अनुसार कर भार का आशय प्रत्यक्ष द्राव्यिक भार से है। इसे परोक्ष द्राव्यिक भार तथा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वास्तविक भार में भिन्न माना गया है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि इन विभिन्न प्रकार के कर भारों के बीच किया जाने वाला यह भेद वापनिव है क्योंकि करारोपण से होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभावों में समुचित रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। किसी भी कर के वितरण-आत्मक प्रभावों पर विचार करते समय यह अति आवश्यक है कि इस पर प्रभाव डालने वाले सभी तत्वों का अध्ययन किया जाए। जैसा कि मसग्रैव ने कहा है कि 'सभी परिवर्तनों पर समायोजन के परस्पर निर्भर अंगों के रूप में ही विचार किया जाना चाहिए—वह समायोजन जो सामान्य सतुलन को एक ही सामान्य व्यवस्था के अंतर्गत कार्यशील करे।'

(2) प्रत्येक कर का भार अंतिम नहीं परंपरागत अर्थशास्त्रियों की यह धारणा कि प्रत्येक कर का भार अंतिम भार होता है, त्रुटिपूर्ण है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह संभव हो सकता है कि कर लागाये जाए, हटा लिए जाए और उनके स्थानापन्न कर लगा दिए जाए परंतु फिर भी कर का कोई भार न पड़े। इस अर्थ में कि सार्वजनिक उपयोग के लिए साधनों का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ, व्यवहार में कर के भार का पता तभी लगाया जा सकता है जब कर लगने से साधनों का हस्तांतरण व्यक्तिगत उपभोग से सार्वजनिक उपभोग में होना है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कर का भार किसी पर भी नहीं

पहना है क्योंकि वर देने में सरकार को जो लाभ प्राप्त होती है यदि उसके खर्च को भी ध्यान में रखा जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न कुल लाभ वर देने से हुई कुल हानि के बराबर होगा या हो सकता है कि उसमें भी अधिक हो।

(3) चास्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का परंपरागत वर भार के बारे में मत है कि परंपरागत विचारकों ने वान्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों की उपेक्षा की है। उनके अनुसार वर भार का अध्ययन निम्न दो दृष्टिकोणों में किया जाना चाहिए (1) आय के दृष्टिकोण में, (2) व्यय के दृष्टिकोण में। व्यक्ति की वान्तविक आय में होने वाले परिवर्तनों को जान करने के लिए निम्न बातों की भी विचाराधीन रखना आवश्यक है

(अ) व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली सेवाओं के विशुद्ध मूल्यों पर वर लगाने के उपरांत होने वाले परिवर्तन अर्थात् वर लगाने के बाद मजदूरियों, बेतनों, लाभों, व्याजों तथा किरायों में होने वाले परिवर्तन।

(ब) इन सब में जो बात वान्तव में जान बरनी है वह यह कि वितरण में अंतिम परिवर्तन क्या हुए, यह नहीं जान करना है कि कैसे हुए। वान्तविक आय में परिवर्तन करारोपित अथवा वर मुक्त वस्तुओं अथवा माघनों के मूल्यों के परिवर्तनों द्वारा हो सकते हैं अथवा वे व्यक्ति के बजट के आय पक्ष अथवा व्यय पक्ष, दोनों में से किसी के द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं परंतु परंपरागत अर्थशास्त्रियों ने इन तथ्यों को विचाराधीन नहीं रखा।

(4) करों के संबन्ध में व्यष्टि दृष्टिकोण : परंपरागत धारणा में यह माना गया है कि वर लगाने से किसी न किसी व्यक्ति को हानि होती है और वर भार की विचारधारा के अंतर्गत उन व्यक्ति को मान्य किया जाये जो उन हानि को बहन करता है। परंतु आधुनिक विचारकों का यह मतव्य है कि यदि वर लगाने में समाज को हानि होती है तो वर की राशि की वर्यापकारी बायों पर व्यय करने में समाज को लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसलिए बजट नीति में समाज-योजन के फलस्वरूप होने वाले लाभों तथा हानियों दोनों पर ही विचार किया जाना चाहिए। यदि बजट नीति के समाजोन्नयन अर्थात् वर्याधान तथा मावजनिव व्यय, दोनों पर एक माघ विचार किया जाए तो उसमें बड़ा हानिया सामने आएगी वहा लाभ भी सामने आएंगे। इसलिए वर भार का अध्ययन करते समय जहा करारोपण की हानि को सम्मिलित किया जाए वहा उन लाभों अथवा उपलब्धियों को भी दृष्टिगत रखा जाए जो लोक व्यय के कारण कुछ लोगों को प्राप्त होती हैं। इसी संबन्ध में मनग्रोव का कथन उल्लेखनीय है, 'हम कभी यह नहीं कर सकते कि हानि को कुछ विशिष्ट मर्दों का ही उल्लेख करें और उनका संबन्ध नए वर के भार में अथवा माघनों के नये स्थानांतरण की लागत में जोड़ दें, तथा अन्य लाभों और हानियों का परोक्ष प्रभाव बह वर छोड़ दें। अपितु हमें वितरण में होने वाले उन

सभी परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए जिनमें सभी व्यक्तिगत लाभ तथा हानिया सम्मिलित हों।<sup>1</sup>

निष्पक्ष रूप में कर भार की परंपरागत विचारधारा पूर्णतया सही नहीं कही जा सकती। यह उचित ही होगा कि क्षतिपूर्व वित्त व्यवस्था के सदर्थ में, जा यद्यपि अस्पष्ट है इस विचारधारा को और विस्तृत अर्थ में लिया जाए। यही कर भार की आधुनिक विचारधारा है जिसका उल्लेख आगे किया गया है।

### कर भार की आधुनिक विचारधारा

कर भार की विचारधारा को नई दिशा प्रदान करने का श्रेय स्वीडन के अर्थशास्त्री नट विन्मैल को है। उर्मुला हिक्स तथा मसग्रोव ने इस नवीन विचारधारा को और विकसित किया है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार कर भार का अभिप्राय आय के वितरण में होने वाले उन परिवर्तनों से है जो कराधान तथा लोक व्यय (अर्थात् बजट नीति) के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होते हैं। बजट नीति के परिवर्तन निम्न तीन प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं

(क) साधनों के निजी उपयोग से राजकीय उपयोगों के लिए स्थानांतरण।

(ख) कुल उत्पादन संबंधी प्रभाव।

(ग) व्यक्तियों के मध्य आय के वितरण संबंधी प्रभाव।

इन विचारकों के अनुसार कर भार का अभिप्राय तीसरे प्रकार के उपयोग से है। नई विचारधारा उन सभी वितरण संबंधी परिवर्तनों का उल्लेख करती है जो लोक आय तथा व्यय में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यह परंपरागत विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है जिसमें कर भार का अर्थ द्राव्यिक भार से लिया जाता है।

### कर भार

बजट नीति को पृष्ठभूमि में रखकर कर भार का अध्ययन निम्न दो आधारों पर किया जा सकता है

#### (1) विशिष्ट कर भार

कर नीति के परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले कर भार का अध्ययन तभी संभव हो सकता है जब बजट नीति के दूसरे पक्ष अर्थात् व्यय को यथास्थिर मान लिया जाए। करनीति में परिवर्तन उसी समय कहा जाएगा जब हम किसी विशिष्ट कर में परिवर्तन करें। उदाहरणार्थ, आय करों की दरों में कमी या वृद्धि करना। ऐसा करने से वितरण में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम विशिष्ट कर भार कहते हैं।<sup>2</sup>

1 Richard A. Musgrave, The theory of Public Finance (1959), Mc Graw Hill Book Co Inc, P 230

2 Richard A. Musgrave op Cit, p 211

पूर्ण रोजगार की दशा में यदि आय कर की दरें घटा दी जाएं तो लोगों के पास अधिक धन शक्ति हो जाती है, फलस्वरूप वस्तुओं की मांग बढ़ती है तथा मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत आय कर की दर में वृद्धि मुद्रा संकुचन की स्थिति को प्रोत्साहित करती है। मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन, दोनों ही स्थितियाँ लाभ के वितरण को प्रभावित करती हैं। मुद्रा संकुचन में आय निर्धन वर्ग में धनीवर्ग की ओर स्थानांतरित होती है। यही विनिष्ट कर भार है।

## (2) विभेदक कर भार

वितरण उस समय भी प्रभावित होता है जब एक कर के स्थान पर दूसरा कर यह मानते हुए लगाया जाता है कि सरकार को दोनों में समान द्राव्यिक लाभ प्राप्त होनी है। वितरण पर ऐसा प्रभाव विभेदक कर भार के नाम से लक्षित किया जाता है।<sup>1</sup> क्योंकि सरकार की द्राव्यिक आय समान रहती है, इसलिए वस्तुओं की सरकारी तथा व्यक्तिगत मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर भी, भिन्न-भिन्न प्रकार के कर व्यक्तिगत मांग को भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए मूल्य स्तर अवश्य ही प्रभावित होता है। इसी कारण इनको विभेदान्तर कर भार कहा गया है। इसका यह भी अर्थ है कि व्यक्ति को अपने व्यय की स्थिति को यथापूर्व बनाए रखने के लिए अपनी वास्तविक आय में परिवर्तन करना पड़ता है। इनके कारण करो के परिवर्तनों के माप-माप सरकार की द्राव्यिक आय समान नहीं रह पाती जिसमें विभेदक कर भार का तीव्र-तीव्र ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार के वितरणान्तर परिणामों को ज्ञात किया जाए। इसके लिए करों को लगाते समय बाजार के मूल्य स्तर में उतने प्राप्त होने वाली द्राव्यिक आय का अध्ययन करना पड़ेगा। यह अध्ययन विनिष्ट कर भार द्वारा अधिक उपयुक्त होगा तथा इसमें मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संकुचन के प्रभावों का अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

### व्यय भार

कर का टाका तथा उसकी दरों को यथापूर्व रखते हुए यदि सरकारी व्यय में परिवर्तन किए जाएं तो कुछ वितरण संबंधी प्रभाव दिखाई पड़ेंगे। इसे ही व्यय भार कहा जाता है। ये व्यय भार दो प्रकार के होते हैं।

### (1) विनिष्ट व्यय-भार

जब सरकारी व्यय में कमी या वृद्धि होती है तो सरकारी उपयोग में आने वाले साधनों के स्थानांतरण में फेर-बदल हो जाता है। सरकारी व्यय के परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्तियों की आय में होम वाले परिवर्तन ही विनिष्ट व्यय भार कहे जाते हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि होने में जनता की आय बट जाती है और

मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सरकारी व्यय के घटने के कारण लोका को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाती है और मुद्रा संचयन मन्धी शक्तिया क्रियाशील हो जाती है।

## (2) विभेदक व्यय भार

लोक व्यय के परिवर्तनों से उत्पन्न मुद्रा स्फीति तथा मुद्रा संचयन के हिच-कोलो मे हमें बचाव करना चाहिए परन्तु ऐसा सतुलित बजट के ढांचे के अंतर्गत ही होना चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि लोक व्यय की वृद्धि के परिणामस्वरूप जो एउ दिशा मे वृद्धि होगी उसे किमी अन्य दिशा मे लोक व्यय कम करके प्रभावहीन बनाया जाए। लोक व्यय के ऐसे वितरण सदधी प्रभावा को ही हम विभेदक व्यय भार कहते है।

उपरोक्त विभिन्न प्रकार के प्रभावो मे से मसखेव सबसे अधिक रुचिकर विभेदक कर भार की विचारधारा को मानते है। उन्ही के शब्दो मे, 'कर भार की समस्या स्वामाविक रूप मे ही वस्तुओ तथा सेवाओ पर सरकारी व्यय मे परिवर्तनों की इतनी नही है जितनी कि कर मे तथा स्यानांतरण की नीति मे होने वाले परिवर्तनों मे अधिक रुचि लेने की है। सरकारी सेवाओ द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ जहा वितरणात्मक महत्व रहे सकते है, विशेष रूप से गुणधारित आवश्यकताओ की स्थिति मे, वहा ये लाभ कर भार का अंग नही होने। इस शब्द का जिस प्रकार हम प्रयोग करते है वह तो उन परिवर्तनों तक ही सीमित है जो गैर सरकारी उपभोग मे काम आने वाली आय के वितरण मे होते है।' <sup>1</sup>



## करदेय क्षमता

आधुनिक युग की परिवर्तित परिस्थितियों में राज्य का कार्यक्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इनके फलस्वरूप बड़े भार भी बढ़ता जा रहा है जिसे पूरा करने के लिए सरकार को नए-नए करों की खोज करनी पड़ती है। अग्रे दिन हन नए करों के बढ़ते हुए भार की चर्चा मुनते रहते हैं और उत्तरे प्रति होने वाली आलोचनाओं—प्रत्यालोचनाओं को पढ़ते रहते हैं। लेकिन प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या कर निगी भी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है? जब करदाता को कर अदा करने के कारण अपने उपभोग में कटौती करनी पड़ती है अथवा उसके बचत-विनियोग की क्रिया प्रतिकूल रूप में प्रभावित होती है तो ऐसी दशा में कर कहा तक दिया जा सकता है। अल्प ही कोई ऐसी सीमा होगी जहा तक इन करों का भुगतान किया जा सकता है। यह सीमा ही करदेय क्षमता को दर्शाती है। सरल शब्दों में कोई व्यक्ति कितना कर भार चुका सकता है, तथा एक देश में सामूहिक रूप में कितना कर भार चुकाने की शक्ति है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो करदेय क्षमता को ओर संकेत करता है।

### करदेय क्षमता की परिभाषाएं

करदेय क्षमता का ठीक-ठीक अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत समय में विवाद चला आ रहा है और आज भी अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में मतभेद है। कुछ वित्त-शास्त्रियों ने करदेय क्षमता की परिभाषा दी है, परंतु वे भी अस्पष्ट हैं।

मर जोशिया स्टाम्प के विचारानुसार, 'करदेय क्षमता कुल उत्पादन में से उस धनराशि को घटाने के बाद शेष बची रकम को कहा जा सकता है जोकि जनता के निर्वाह-स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक हो।'<sup>1</sup> इस परिभाषा [ने] अनुसार कुल उत्पादन से आशय व्यक्तियों द्वारा उत्पादित तथा उपलब्ध आय की कुल राशि में है, परंतु सरकार इस समस्त आय को कराधान के रूप में नहीं ले सकती क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ राशि व्यक्तियों के पास उनके उपभोग के लिए अवश्य छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जनसंख्या की करदेय क्षमता का माप उत्पादन की उन कुल मात्रा से किया जा सकता है जिसमें से व्यक्तियों के निर्वाह के लिए आवश्यक रकम घटा

1 Josiah stamp. Quoted by Dalton in his book public Finance, p 167.

दी गई हो। इस परिभाषा में उत्पादन का माप तो आकड़ा द्वारा किया जा सकता है परन्तु जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि क्या होगी इसका निश्चित माप मन्त्र नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है।

जोशिया स्टाम्प ने एक अन्य स्थान पर दूसरी परिभाषा भी दी है। इस परिभाषा के अनुसार करदेय क्षमता वह न्यूनतम धनराशि है जो किसी देश के नागरिक दुष्टी तथा विपन्न जीवन बिताए बिना और आर्थिक संगठन को अधिक अस्त-व्यस्त किए बिना<sup>1</sup> सरकारी खर्चों के लिए दे सक। इस परिभाषा में भी बंसी ही कठिनाई उपस्थित होती है जैसी कि पहली में थी। इसमें भी स्पष्टता एवं निश्चितता का अभाव है। उदाहरण के लिए इस परिभाषा में जो यह कहा गया है कि 'दुष्टी तथा विपन्न जीवन बिताए बिना और आर्थिक संगठन को अधिक अस्त व्यस्त किए बिना इनके कोई स्पष्ट तथा उपयोगी अर्थ नहीं निकाले जा सकत। वास्तव में 'दुष्टी जीवन क्या है? इस बात का निश्चय कैसे किया जाए कि आर्थिक संगठन 'अधिक अस्त व्यस्त नहीं हुआ है? एक अन्य प्रश्न में जोशिया स्टाम्प ने, उत्पादित तथा वितरित आय को ही उन तत्त्वों के रूप में स्वीकार किया है जिन पर करदेय क्षमता आधारित होती है—अर्थात् जितनी आय अधिक होती है और लोगों के बीच उम आय का वितरण जितना अधिक श्रेष्ठ होता है ऐसे लोगों की करदेय क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इसमें कुछ सत्यता अवश्य है परन्तु करदेय क्षमता की धारणा को उत्पादित तथा वितरित आय की केवल एक ही कमीटी पर आधारित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति करो के रूप में सरकार को जितनी धनराशि देने में ममत्त हाने, यह केवल व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली कुल आय पर ही नहीं, अपितु कुछ अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है।

फिनले शिराज ने करदेय क्षमता की परिभाषा इस प्रकार दी है, 'करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है। यह उम न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल अतिरेक है जो ऐसे उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिसमें रहन-सहन का स्तर पूर्ववत् बना रहे।<sup>2</sup> इस विचारधारा के अनुसार करदेय क्षमता उस अधिकतम धनराशि की ओर संकेत करती है जो सरकार लोगों से करो के रूप में प्राप्त कर सकती है और उससे अधिक यदि कर लगाया गया तो सभ्यता-प्राप्ति तथा गृहयुद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। शिराज ने अपनी परिभाषा में व्यक्तियों के निर्वाह के लिए आवश्यक न्यूनतम धनराशि, उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूँजी की पुनर्स्थापना तथा अग्रे वृद्धि करने की धनराशि सम्मिलित की है। आलोचकों का मन है कि न्यूनतम उपभोग, उद्योग एवं व्यापार के विस्तार के लिए पूँजी की पुनर्स्थापना तथा अग्रे वृद्धि के वाक्यांशों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकाला जा सकता। न्यूनतम उपभोग क्या हो तथा पूँजी में वृद्धि कितनी हो, इन प्रश्नों के

1 Josiah Stamp 'Wealth and Taxable Capacity', p. 134

2 Finlay Shirras 'The Science of Public Finance', p. 132

उत्तर परिभाषा में स्पष्ट नहीं होने। इस परिभाषा में नोकव्यय को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि नोकव्यय में व्यक्तिगत करदेय क्षमता में वृद्धि होती है।

डुमन्ट फ्रेजर के मतानुसार, 'करदेय क्षमता उस आधिपत्य का प्रदर्शन है, जो उत्पादन और उस न्यूनतम उपभोग में जो उस उत्पादन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, अंतर में प्रकट होता है।' परन्तु जीवन स्तर में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फ्रेजर न बरारोपण की अधिकतम सीमा की पहचान भी बतलाते हैं। उनमें लिखा है कि, जब करदाताओं को कर अदा करने के लिए बैंको में उधार लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, या करदेय क्षमता की सीमा आ जाती है।' फ्रेजर की यह विचारधारा भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि लोग बैंक में उधार केवल कर को अदा करने के लिए ही नहीं लेते बरन व्यापारिक कार्यों के लिए भी लेते हैं।

इसके अतिरिक्त इन सभी परिभाषाओं में यह दोष है कि करदेय क्षमता को ज्ञात करने समय वे नोकव्यय की ओर ध्यान नहीं देती। करदेय क्षमता में उस समय तक निरंतर वृद्धि की जा सकती है जब तक कि सरकार इस प्रकार धन का उपयोग जनता की उत्पादकता बढ़ाने में करती रहे। मार्केजिनिक क्षेत्र सरकारी व्यय के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है और निम्नी क्षेत्र को उसके बिना जीवित नहीं रह सकता।<sup>1</sup>

इन सब बटिनाइयो को दृष्टि में रखते हुए, कुछ लेखकों ने तो स्वयं करदेय क्षमता के विचार की आलोचना की है। उदाहरण के लिए डाल्टन ने कहा है कि, 'किमी किमी भी निश्चित धनराशि का निर्धारण करना पूर्णतः अमभव है जिसके विषय में यह कहा जा सके कि यह धनराशि किमी विशेष समय में समाज की करदेय क्षमता की सीमाओं का प्रतीक है।'<sup>2</sup> डाल्टन ने अपने विचार के समर्थन में प्रो० एडविन केनन ने पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर का उल्लेख किया है कि, 'किमी भी देश की करदेय क्षमता का पता कैसे लगाया जा सकता है?' केनन ने उत्तर में कहा था, 'किमी प्रकार भी नहीं लगाया जा सकता।'

### निरपेक्ष तथा सापेक्षिक करदेय क्षमता

करदेय क्षमता का माप जहाँ बटिना है वहाँ डाल्टन तथा गिराज जेने नोकविन शास्त्रियों ने सापेक्षिक करदेय क्षमता की धारणा को अधिक उपयोगी बताते हुए निरपेक्ष तथा सापेक्षिक करदेय क्षमता में भेद बतलाया है। निरपेक्ष करदेय क्षमता का अर्थ है, नागरिकों को न्यूनतम निर्वाह को छूट देने के उपरान्त राज्य द्वारा उनमें जो भी धनराशि बसूत की जा सके। जैसा कि गिराज ने कहा है, 'निरपेक्ष करदेय क्षमता निचोड़ की सीमा है।'<sup>3</sup> परन्तु जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं, 'न्यूनतम

1 See Richard A. Musgrave 'The Theory of Public Finance', p. 51.

2. Dalton 'Public Finance', p. 120

3 Finlay Sherras *Op cit.*, p. 229.

निर्वाह स्तर' तथा 'निचोड़ने की सीमा' के वाक्यांश सदिग्ध तथा अव्यवहारिक हैं। सभ्यत निरपेक्ष करदेय क्षमता का यह अर्थ लिया जा सकता है कि कराधान की उम सीमा तक ले जाना चाहिए जहाँ पर करदाता के पास शेष कुछ भी न बचे। हमारे विपरीत सापेक्षिक करदेय क्षमता से तात्पर्य है कि एक समुदाय की तुलना में दूसरे समुदाय की करदेय क्षमता नितनी है। इस प्रकार यदि दो या दो से अधिक समुदायों को क्रिमी लोकव्यय के लिए धन देना पड़ता है तो यह धन उनकी सापेक्षिक करदेय क्षमता के अनुपात में ही होना चाहिए। यह विचार सघीय शासन वाले देशों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जहाँ कि विभिन्न राज्यों को केन्द्र के सार्वजनिक व्यय के लिए धन देना पड़ता है। प्रो० शिराज के अनुसार 'सापेक्षिक करदेय क्षमता यह स्पष्ट करती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की तुलना में सांख्यिक बाव्यों के लिए कितना योगदान दे अथवा कर भार का वितरण एक सघ के अलग-अलग विभिन्न राज्यों अथवा प्रान्तों के मध्य किस प्रकार किया जाए।'

डाल्टन ने निरपेक्ष करदेय क्षमता की धारणा को स्वीकार नहीं किया है। डाल्टन के अनुसार, 'निरपेक्ष करदेय क्षमता एक भ्रम है जिससे भयानक भूल की सम्भावना है। स्पष्ट विचारों के हित में यह उचित होगा कि करदेय क्षमता वाक्यांश को राजस्व से गभीर वाद विवाद से बाहर निकाल दिया जाए। डाल्टन के अनुसार सापेक्षिक करदेय क्षमता की विचारधारा व्यावहारिक है और उमका अनुमान विभिन्न देशों की करदेय क्षमता की तुलना करके लगाया जा सकता है। डाल्टन ने लिखा है कि, 'यदि दो देशों को सामान्य व्यय में अपना अशदान देना है तो वे अपने सापेक्षिक करदेय क्षमता की तुलना में ही अशदान दें।' उन्होंने यह भी कहा है, 'यदि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है तो धनी करदाताओं द्वारा दिए जाने वाले अशदान में आनुपातिक वृद्धि होनी चाहिए और निर्धन करदाताओं द्वारा अदा किए जाने वाले अशदान में आनुपातिक कमी होनी चाहिए। सार्वजनिक व्यय में कमी होने पर इसमें कमी होनी चाहिए।' अतः में उन्होंने कहा है कि 'सापेक्षिक करदेय क्षमता एक सत्य बात है, जो उचित रूप में दूसरे शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। परंतु निरपेक्ष करदेय की शक्ति एक कल्पित वचन है, जिसमें भयानक भूल होने की सम्भावना सदैव कम रहती है।'

प्रो० शिराज ने डाल्टन के विचारों में अमहमति प्रकट करते हुए कहा है कि सरकार के लिए मर्दव बुद्धिमत्ता की बात यही है कि वह यथासंभव इस बात को ज्ञात कर ले कि साधारण तथा असाधारण दोनों परिस्थितियों में जनता से अधिक से अधिक कितना करारोपण किया जा सकता है।'

वास्तव में दोनों प्रकार की करदेय क्षमता का अपना अलग-अलग महत्त्व है। निरपेक्ष करदेय क्षमता का उपयोग मरुटकालीन समय में उम कुल धन राशि को मालूम करने में होता है जो राज्य प्राप्त कर सकता है। सापेक्षिक करदेय द्वारा हम

उन मापेक्षित मात्राओं को ज्ञान कर लेते हैं जो प्रत्येक राज्य को विनी सामूहिक  
गर्भों के लिए देना चाहिए। करदेय क्षमता का निर्धारण कोई मरत कर्ष नहीं है।  
अर्थशास्त्रियों ने इनका अनुमान लगाने में अनेक तत्त्वों का वर्णन किया है।

### करदेय क्षमता को निर्धारित करने वाले तत्व

आज बन्धापकारी राज्य की स्थापना का स्वप्न मानकर चलने वाली सरकार करा-  
रोपण केवल आय को सट्टि में नहीं बरती, बरत ममात्र के विभिन्न वर्गों की आय  
की स्थिति और उमन वाछित परिवर्तन आदि पर भी मोक्ष-विचार करती है  
और तब विनी आय का निर्धारण किया जाता है। यह करदेय क्षमता विनी एक  
ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्त्वों पर भी निर्भर रहती है जिनमें से मुख्य ये हैं

#### (1) राष्ट्रीय आय का आकार

विनी भी देश की करदेय क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के आधार पर निर्भर  
करती है। राष्ट्रीय आय का आकार स्वयं कई अन्य तत्त्वों पर निर्भर करता है।  
जैसे कि प्राकृतिक सधा अन्य उपलब्ध साधनों की मात्रा। इन साधनों के उपयोग  
की नीम तथा तकनीकी ज्ञान का विकास। जो देश जितना अधिक धनी होता है  
उसकी करदेय क्षमता भी उतनी अधिक होती है।

#### (2) आय का बटवारा

करदेय क्षमता राष्ट्रों के आकार के अतिरिक्त इस बात पर भी निर्भर करती  
है कि लोगों के मध्य उसका बटवारा किस प्रकार का है। यदि देश में धन का वित्त-  
रण समान होता है तो लोगों की करदेय क्षमता अधिक होती है। अतः आय के  
बटवारे की एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ थोड़े-से लोगों के हाथों में ही धन को केंद्रित  
करती है, उस व्यवस्था की अपेक्षा जो आय का समूनाधिक रूप में समान वितरण  
करती है, कर के रूप में अधिक आय जुटा सकती है। यह विचार इस मान्यता पर  
आधारित है कि बहुसंख्यक कम संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े-से धनाढ्य लोगों के  
वचन करने तथा कर वसूला करने की योग्यता अधिक होती है।

#### (3) देश की जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर

एक अन्य तत्व जो देश की करदेय क्षमता को निर्धारित करने में सहायक  
हो सकता है वह यह है कि देश की जनसंख्या का आकार तथा उसकी वृद्धि दर क्या  
है? साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर क्या है? यदि विनी देश में  
राष्ट्रीय आय की मात्रा स्थिर रहे तब उस देश की करदेय क्षमता प्रत्यक्ष रूप से देश  
की जनसंख्या के आकार पर निर्भर करेगी। जनसंख्या जितनी बढती जाएगी, कर-  
देय क्षमता उतनी ही कम होगी जाएगी। इनके अतिरिक्त करदेय क्षमता इस बात  
पर निर्भर होती है कि जनसंख्या तथा राष्ट्रीय आय में तुलनात्मक वृद्धि कितनी है।  
यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि की गति तीव्र है तो देश अपेक्षा-  
कृत निर्धन हो जाएगा और कर वसूल करने की क्षमता घट जाएगी।

#### (4) कर प्रणाली

जिसी देश के कर अदा करने की क्षमता उस देश की कर प्रणाली के रूप तथा प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। यदि कर प्रणाली एक सहयोगित तथा सुव्यवस्थित नीति पर आधारित है तो करदेय क्षमता निश्चय ही अधिक होगी। यदि कोई कर प्रणाली सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक हितों के अनुकूल नहीं होती है तो वह अधिक आय प्रदान करने में सहायक नहीं हो सकती। थोड़े-से सरन निश्चित एवं प्रगामी कर अधिक आय जुटाने में सफल होते हैं। ऐसी कर प्रणाली प्रशंसनीय होती है जिसके द्वारा कर भुगतान में बचट या अनुभव न्यूनतम होता है और साथ ही साथ सरकार को अपेक्षित आय भी प्राप्त होती है। इसलिए यदि कर-व्यवस्था की रचना मावधानी के साथ की गई होगी तो लोग कर-भार में मुक्त भी न होंगे और कर-वचन की सम्भावनाएँ भी कम होंगी।

#### (5) लोक व्यय की प्रकृति तथा मात्रा

जिन प्रकार कर प्रणाली का स्वरूप करदेय क्षमता को प्रभावित करता है उसी प्रकार लोकव्यय की प्रकृति तथा उसकी मात्रा भी करदेय क्षमता पर अपना प्रभाव डालती है। लोक व्यय जितना अधिक होता है जनता की मौद्रिक आय भी उतनी अधिक होती है। मौद्रिक आय में वृद्धि होने से लोगों के कर अदा करने की क्षमता के बढ़ने की आशा की जा सकती है। इनके अनिश्चित यदि मार्वाजनिक आय का एक बड़ा भाग ऐसी प्रायोजनओं में लगा दिया जाता है जिसके द्वारा देश के उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसमें लोगों की कर-दान क्षमता भी बढ़ जाती है किन्तु लोकव्यय के वे अन्य रूप जो कि अनुत्पादक प्रायोजनों के निर्माण में लगाए जाते हैं और जो राष्ट्रीय आय को घटा सकते हैं, करदेय क्षमता को भी कम कर देते हैं।

#### (6) समाज का जीवन स्तर

कोई व्यक्ति सरकार को कराधान के रूप में अधिकतम राशि कितनी दे सकता है, इसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है कि उसकी कुल आय में से उस न्यूनतम राशि को घटा दिया जाए जो उसके तथा उसके परिवार के पालन पोषण के लिए आवश्यक हो। इसी प्रकार कोई समाज अथवा देश कितनी अधिकतम राशि सरकार को दे सकता है, उसका अनुमान भी इसी प्रकार लगाया जाएगा कि राष्ट्रीय आय की कुल मात्रा में से उस धनराशि को घटा दिया जाए जो नागरिकों के जीवन-यापन के लिए तथा पूँजी को यथा पूर्ण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परन्तु जैसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि जीवन-यापन के लिए न्यूनतम धनराशि या न्यूनतम निर्वाह स्तर एक विषयगत तथ्य है जो व्यक्ति अथवा समुदाय तथा समय के परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए पृथक्-पृथक् हो सकता है। हाँ, यदि जीवन को स्थिर मान लिया जाए तो राष्ट्रीय आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ कर देय क्षमता के बढ़ने की सम्भावना हो सकती है।

### (7) कर दाताओं का मनोवृत्ति

एक अन्य महत्वपूर्ण तत्त्व जो किसी देश की करदेय क्षमता को प्रभावित करता है, लोगों की मनोवृत्ति होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के प्रति जनता कितनी श्रद्धा रखती है। राष्ट्रीय सरकार में जनता का विश्वास अधिक होता है। ये लोग भारी करा का भार उठाने को तैयार हो सकते हैं, किन्तु विदेशी सरकार के शासन में यह मभव नहीं है। मकटजालीन समय में, उदाहरण के लिए युद्ध काल में नागरिक कर बढ़ा करने तथा सरकार के प्रयासों में अधिक हाथ बटाने को तैयार रहते हैं, जबकि अन्य अवसरों पर ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार ममूट्टि काल में लोग आशावादी होते हैं, भारी नाम प्राप्त होने की आशा में वे भारी कर को भी वहन कर लेते हैं। किन्तु भवी काल में निराशावादी होने के कारण वह कर भार अगहनीय प्रतीत होने लगता है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि करदेय क्षमता पर पृथक् रूप से विचार करना तर्कपूर्ण नहीं कहा जा सकता, अपितु उपरोक्त तत्त्वों की दृष्टि में रख कर ही इस पर विचार करना चाहिए। किसी भी परिमाण अथवा प्रतिशत को दृष्टता के साथ करदेय क्षमता की सीमा नहीं माना जा सकता। यह सीमा प्रचलित परिस्थितियों पर आधारित होती है। व्यवहार में उन दिनों का निर्धारण जिसके आगे वसरोपण अवाञ्छनीय होगा, केवल अनुभव में तथा अर्थव्यवस्था पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके ही किया जा सकता है।

### भारत की करदेय क्षमता

भारत में करों से प्राप्त होने वाली आय राष्ट्रीय आय के भाग में आठ प्रतिशत के मध्य है। यह अनुपात अनेक देशों में, जिनमें दक्षिणी-पूर्वी एशिया के कुछ देश भी सम्मिलित हैं, कम है। कुछ लोगों का विचार है कि भारत अभी करदेय क्षमता की अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँचा है इसलिए बड़ा अतिरिक्त कराधान की क्षमता विद्यमान है। इसके विपरीत कुछ लोगों का यह धारणा है कि भारत में करदेय क्षमता समाप्त हो चुकी है और अतिरिक्त कराधान की कोई संभावना नहीं रह गई है। यह विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सौम-भा विचार अधिपतिय है, इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व इस समस्या पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करना आवश्यक है।

कुल कराधान राष्ट्रीय आय का बहुत मोटा अनुपात है, यहाँ इसके कारणों की जांच करना आवश्यक है। प्रथम कारण यह है कि यहाँ के लोगों का असाधारण जीवन स्तर है जो प्रति व्यक्ति मोटी आय में प्रकटता है। ऐसे लोगों की सत्ता बहुत कम है जो आय की दृष्टि से अतिरिक्त की स्थिति में हो। यदि ऐसे व्यक्तियों पर अतिरिक्त कर लगाया जाता है तो उससे उनकी कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अनुदान के अधिकांश भाग

की करदेय क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरे, अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग ऐसा है जिसमें मुद्रा का प्रयोग ही नहीं होता है। इसलिए कराधान के प्रचलित रूपों व माध्यम में करो की आय में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रा विहीन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं पर बित्री जैसा कोई भी वस्तु कर नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहाँ अधिनाश सौदे वस्तु विनिमय विधि द्वारा पूरा किया जात है। तीसरे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके फलस्वरूप बड़े पैमाने का व्यापार क्षेत्र भी बहुत कम है। यह भी कराधान के क्षेत्र को सीमित कर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आयात तथा निर्यात करा के लगान का अच्छा क्षेत्र प्रस्तुत करता है। भारत के विदेशी व्यापार इसकी राष्ट्रीय आय का समानुपाती न हान के कारण सीमा शुल्का से प्राप्त होने वाली आय भी बहुत कम रह जाती है। भारत में बड़े पैमाने के ऐसे व्यापारिक क्षेत्र भी सीमित हैं जिनमें कराधान सुगमता पूर्वक वसूल हो सकता हो।

इस मद्दे में प्रश्न यह उठता है कि कुल कराधान के राष्ट्रीय आय का यह अनुपात करदेय क्षमता की उच्च सीमा के आ जाने का सूचक है अथवा उसमें वृद्धि की संभावना का? भारत के कराधान जांच आयोग ने स्पष्ट कहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व संभवतः करदेय क्षमता अपनी उच्च सीमा पर पहुँच चुकी थी।<sup>1</sup> ऐसा इसलिए था क्योंकि करा तथा खर्चों से प्राप्त होने वाले लाभों का बीच कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष संबंध नहीं था। परन्तु स्वाधीनता के पश्चात् करो से प्राप्त आय सामाजिक सेवाओं के विस्तार और आर्थिक विकास में प्रयुक्त की जाती रही है। अधिकांश करदाता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं जिसके परिणामस्वरूप कराधान का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया है इसलिए हम यहाँ उन अनुकूल परिस्थितियों की भी जांच करनी चाहिए जो भारत में विद्यमान हैं और करदेय क्षमता के स्तर को ऊँचा उठा सकती हैं।

सर्वप्रथम, स्वाधीनता के पश्चात् लोक-व्यय की प्रवृत्ति तथा प्रारूप में परिवर्तन हो गया है। लोक-व्यय का अधिवाधिक भाग आर्थिक विकास तथा सामाजिक कल्याण पर खर्च किया जा रहा है। इस संबंध में कराधान जांच आयोग ने निष्कर्ष है कि 'यदि कर प्राप्तियों का वास्तव में समाज सेवाओं के विस्तार एवं आर्थिक विकास के लिए उपयोग किया गया और यदि इसकी स्पष्ट रूप में प्रगति की गई तो माध्यम में अवश्य वृद्धि होगी।'

द्वितीय, योजना काल में, राष्ट्रीय आय की मात्रा में निरन्तर वृद्धि हुई है। अतः यह संभव है कि अतिरिक्त कराधान का आशय किया जाए।

तृतीय, पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत जो आर्थिक विकास हुआ है तथा जो वर्ग ऐसे विकास में अधिक लाभान्वित हुए, ऐसी स्थितियों को उपनयन कराते हैं



कि उन लाभों का कुछ भाग करारोपण द्वारा राज्य को मिल सके। समुन्नति कर इसका एक उदाहरण है। यह ऐसे स्थानों पर लगाया जा सकता है जहाँ मिर्चाई योजनाओं के परिणामस्वरूप भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है।

चौथे, योजनावद्ध आर्थिक विकास में संपूर्ण भारतीय समुदाय को लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में करगणन ही एक मात्र रीति है जिसके द्वारा निम्न आय वाले वर्गों तक पहुँचा जा सकता है जो आय कर तथा संपत्ति कर की परिधि में नहीं आते हैं।

अतः, घाटे की अर्थव्यवस्था का अधिराधिक प्रयोग देश के मुद्रा विहीन क्षेत्र को मौद्रिक बनाने में महायत्ना दे रहा है तथा लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो रही है।

यह स्थिति भी कारारोपण के क्षेत्र को विस्तृत कर रही है। इसके अतिरिक्त घाटे की व्यवस्था द्वारा उत्पन्न मुद्रा स्फीति के नियंत्रित करने के लिए कराधान व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि मार्शजनिक व्यय की सामाजिक व विकास सेवाओं की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने करदेय क्षमता को आगे बढ़ाने में महायत्ना दी है। स्वाधीनता के बाद सरकार के प्रति जो एकत्व और उत्तरदायित्व की भावना का उदय हुआ है वह भी उगी दिशा में क्रियाशील हो रहा है। "अतः हमें इस बात का तो भरोसा है कि करदेय क्षमता में वृद्धि हुई है लेकिन तब यह है कि वरो से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में युद्ध पूर्व काल की तुलना में बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई है। वहाँ पर यह बनाना उचित होगा कि इस मत का एक धारणात्मक पक्ष यह है कि भारतीय कराधान अपने वर्तमान ढाँचे और दरों के आधार पर देश के करदेय मापनों का पूर्ण विदोहन नहीं कर पाया है।"<sup>1</sup>

1. लक्ष्मी नारायण नाथूरामका (अनुवादक एवं सक्तकर्ता) 'कराधान-एक संज्ञा-तिक विवेचन', पृ. 47.

## कराधान के प्रभाव

कुछ समय पूर्व कराधान को जहाँ राजस्व के केवल एक स्रोत मात्र के रूप में ममसा जाता था वहाँ अब इसका उपयोग एक ऐसे अस्त्र के रूप में लिया जाता है जोकि आय के उत्पादन तथा वितरण को प्रभावित करने के साथ-साथ स्फीति तथा अवस्फीति को भी नियंत्रित कर सकता है। सत्य यह है कि आर्थिक क्रियाओं का ऐसा कोई पहलू नहीं है जो कराधान के प्रभाव से मुक्त हो। आधुनिक लेखकों के मतानुसार सरकार की व्यय और करारोपण दोनों ऐसे महत्त्वपूर्ण साधन हैं जिनके द्वारा आर्थिक क्रियाओं में स्थायित्व लाया जा सकता है तथा तेजी और मदी की बारबारता को रोका जा सकता है। प्रो० डाल्टन ने कराधान के प्रभावों का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत किया है (१) उत्पादन पर प्रभाव, (२) वितरण पर प्रभाव, तथा (३) अन्य प्रभाव।

### कराधान के उत्पादन पर प्रभाव

प्रो० डाल्टन ने कराधान के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को तीन विभागों में बाटा है (क) कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, (ख) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, (ग) आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव।

#### (क) कार्य करने व बचत करने की योग्यता पर प्रभाव

कार्य कुशलता को कम करने वाले कराधान व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता को कम करते हैं। इसलिए इस प्रकार के करों का सामाजिक निर्धन वर्गों पर लगाने का विरोध किया जाता है। ऐसा उम्र समय होता है जब व्यक्ति इतने निर्धन हो कि करारोपण से उनकी आय घटने के फलस्वरूप प्रौद्योगिकी वर्तमान कार्यकुशलता और बच्चों की भावी कार्यकुशलता घटने की आशंका हो। अतः यह एक व्यावहारिक निष्कर्ष है कि सरकार को उन वस्तुओं पर कर नहीं लगाना चाहिए जिनका उपभोग मूलतः समाज के निर्धन वर्गों द्वारा किया जाता हो।

मादक वस्तुओं पर करारोपण व्यक्तियों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव नहीं डालता। ऐसी वस्तुओं के करारोपण से उपभोक्ता उन वस्तुओं का उपभोग या

निर्भर करती है। इसका करदाना की मनोवृत्ति से अधिक सबध होता है। व्यक्ति की आय की मांग की लोच का अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति अधिक आय प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करने को तत्पर है या वह आय प्राप्त करने के लिए कितना इच्छुक है। आय की मांग की लोच को हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं

(1) आय की वेलोच मांग किसी व्यक्ति के लिए आय की मांग उस समय वेलोचदार होती है जब उसकी मनोवृत्ति इस प्रकार की बन गई हो कि कराधान के उपरांत भी वह अपनी आय को पूर्व स्तर पर बनाए रखना चाहता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने जीवन स्तर को पूर्ववत् बनाए रखने के लिए 1000 रु० प्रति माह आवश्यक मानता है। यदि ऐसे व्यक्ति में 50 रु० प्रति माह कराधान के रूप में बसूल कर लिए जायें तो उसे अपने जीवन-स्तर को पूर्ववत् बनाए रखने के लिए इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा जिसके द्वारा वह कराधान के बराबर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। इस प्रकार कराधान वेलोचदार मांग के साथ प्रेरणादायी होता है और कार्य करने व बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है।

(ii) आय की लोचदार मांग किसी व्यक्ति के लिए आय की मांग उस समय लोचदार बनी जा सकती है जब उसकी मनोदशा एक न्यूनतम आय स्तर के प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु न हो। ऐसी स्थिति में कराधान से उसके कार्य तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति प्रायः उन लोगों के साथ होती है जिनका परिवार बहुत छोटा होना है अथवा जो शान-शौकत का जीवन बसर करना नहीं चाहते। ऐसे व्यक्ति यह जानते हुए कि कराधान में उनकी वास्तविक आय घट गई है न तो वे अधिक परिश्रम ही करते हैं और न कुछ बचत करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रसंग में डाल्टन ने लिखा है कि 'यदि आय की मांग वेलोचदार हो तो कर की दर बड़ा दी जाए और यदि आय की मांग लोचदार हो तो कर की दर घटा दी जाए।'

(2) आय की मांग की लोच का इवाई के बराबर होना : ममान में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनकी कार्य करने व बचत करने की इच्छा लगभग समान रहती है, चाहे कराधान हो या ना हो। ऐसे व्यक्ति उतना ही कार्य तथा बचत करते रहते हैं जो कराधान से पूर्व करते रहे हैं, क्योंकि इनके लिए कार्य करना और बचना एक आदत बन गई है। कुछ व्यक्तियों में प्रतियोगिता की भावना होती है जैसा कि मिल ने लिखा है, 'मनुष्य स्वयं धनी नहीं बनना चाहता परन्तु यह द्वारा की अपेक्षा अधिक धनी बनना चाहता है।' इसीलिए पीगू ने एक स्थान पर लिखा है कि, 'धनी व्यक्तियों को अपनी आमदनिया में से जा मनुष्य मिलनी है उगता एक बड़ा भाग उम आमदनी की वास्तविक मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी मनुष्य मात्रा से प्राप्त होता है और यदि सभी धनी व्यक्तियों की आय एक साथ

बन कर बी जाए तो भी उसकी मरुति ब. वह भाग बनाए नहीं होगा।<sup>1</sup> यदि एक व्यक्ति दूसरे में अधिक इनो है और वह की अदायगी के सम्बन्ध में दोनों की मांगित स्थिति बनी ही बनी रहनी है तो अग्रधान में उसके कार्य तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यद्यपि इन मन्त्र में बहुत कुछ दिनाद है कि समाज में अधिकतर व्यक्तियों की मांग शोधदा होगी है या शोधदा फिर भी व्यावहारिक जीवन में यही निष्कर्ष होगा है कि अधिकतर व्यक्तियों की आय की मांग शोधदा होगी है। यह धारणा निम्न तथ्यों पर आधारित है

(१) अधिकतर व्यक्ति एक निश्चित जीवन स्तर बनाए रखने के आदी हो जाते हैं और वे किसी भी दशा में उसे गिराना नहीं चाहते,

(२) कुछ व्यक्ति अपनी बचतों में न्यूनतम भावी आय प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। ऐसा वे या तो स्वयं अपने लिए करते हैं या अपने उत्तराधिकारियों के लिए।

(३) कुछ व्यक्ति उन की इच्छा केवल इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे समाज में शक्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान-शौक तथा महक-महक बनाए रखना चाहते हैं। इन मन्त्र में प्रो० कारवर ने लिखा है कि जब किसी व्यक्ति के पास एकत्रित इन इन सीमा में अधिक हो जाता है जो उनके बच्चों के संरक्षण के लिए आवश्यक है तो फिर अधिकारिक एकत्रीकरण का उद्देश्य ही परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह कार्य करने में अधिक शक्ति के अर्थ में व्यावहारिक उपकरणों में बर्तन करने लगता है और तब एकत्रित पूँजी इन सीमा का एक बड़ा दान जाती है। जब तक शिवाही का इस मन्त्र पर अधिकार रहता है और वह शिवाही में से एक शिवाही होता है तब तक एकत्रीकरण के लिए वह बचत इसी दिशा में निरन्तरित नहीं होता कि उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की अपेक्षा सरकार को एकत्रित इन प्राप्त होगा। नौकर हटने के कथानुसार, 'आय कर की दर की प्रतिक्रिया वृद्धि ने इन प्रयत्नों में वृद्धि हुई है जो आय को बढ़ाने में सफल हुए हैं, जिनमें से बड़े हुए करों का मुग्तान किया जाता है।'

जिन परिस्थितियों में कर बढूत किए जाते हैं, कर्मचारियों की मनोवृत्ति पर उनका भी प्रभाव पड़ता है, मनुष्यिकता में व्यवसायिक कामकाज अग्रगण्य होते हैं। ऐसी दशा में भारी बराबरीय भी उनके कार्य करने तथा बचत करते के प्रयत्नों में बाधा नहीं डालते, क्योंकि ऐसे समय में उन्हें भारी काम की बाधा होती है। इसके विपरीत नवी अथवा अन्वयकाल में करों की सीधी-सी वृद्धि भी आय तथा बचत करने की इच्छा को घटा देती है, क्योंकि उन्हें शक्ति का भय रहता है।

(3) कर की प्रवृत्ति : अभी तक हम कार्य करने और बचत की इच्छा के मन्त्र में बराबरीय की बातें कर रहे थे। अब बच्चों की प्रवृत्ति के अनुसार कर-

धान के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। कुछ कर तो ऐसे होते हैं कि काम करने और बचाने की इच्छा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कुछ कर स्वभावतः कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालते हैं और इसी कारण वे उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

(1) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को कुप्रभावित करने वाले कर कुछ कर ऐसी प्रकृति के होते हैं कि वे कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं डालते, जैसे अधि लाभ कर, भूमि के मूल्य में वृद्धि पर कर, एकाधिकारी के लाभ पर कर तथा लाटरी पर कर। यह सब आकस्मिक आय पर करों के प्रकार हैं। उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति भी कभी-कभी उत्तराधिकारी के लिए आकस्मिक होती है। यद्यपि बहुत-से उत्तराधिकारी ऐसी मिलने वाली सम्पत्ति की मुखद प्रतीक्षा भी करते रहते हैं। चूकि करदाता को ऐसी आमदनियाँ की कोई आशा नहीं होती और न ही इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई कष्ट उठाना पड़ता है, अतः ऐसे करों से भूगतान वह सरलता में कर देता है। परिणामस्वरूप ऐसे कराधान का व्यक्तियों के कार्य करने और बचत करने की इच्छा पर विरोधी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार क्रय कर तथा विक्री कर यद्यपि लोगों के उपभोग को निरस्तार्हित करते हैं, परन्तु काम करने तथा बचाने की इच्छा को कम नहीं करते।

(2) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डालने वाले कर कुछ कर इस प्रकृति के होते हैं जो कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को घटाते हैं। यदि आयकर बहुत अधिक प्रगतिशील होता है तो इसमें करदाता निस्तार्हित हो जाते हैं क्योंकि उनकी अपने प्रयत्नों के उपलक्ष्य में निबन्ध आय बहुत कम रह जाती है। आयकर से लोगों की परिश्रम करने तथा बचत करने की इच्छा किम सीमा तक प्रभावित होती है, यह आय की मात्रा और लोच, कर की दर तथा राज्य द्वारा प्रदान की गई कर सबधी सुविधाओं पर निर्भर करता है।

करारोपण का सामान्य प्रभाव पुराने उद्योगों की अपेक्षा नवीन उद्योगों पर अधिक पड़ता है। ऐसे नव स्थापित उद्योग अपनी दुर्बलता के कारण अधिक कर भार सहन नहीं कर पाते। यहाँ यह बात भी अवश्य याद रखनी चाहिए कि कराधान अनेक तथ्यों में से केवल एक है जोकि बचत, विनियोग तथा उद्यम का निर्धारण करते हैं। हारवर्ड व्यवसायिक स्कूल द्वारा किए गए कराधान के कुछ अध्ययनों के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए जे० कीय बर्टमैन ने कहा है कि 'यदि इस मद्दर्भ में एक सामान्य वक्तव्य दिया जाए तो उमका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वे मूलभूत प्रेरणाएँ जोकि संरक्षक अर्थव्यवस्था को गतिशील करती हैं और अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ढाँचा, इन दोनों पर ही करा का केवल अपेक्षित सीमित तथा विशिष्टीकृत प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है।'<sup>1</sup>

1 J. Keith Butters 'Taxation Incentives and Financial Capacity' American Economic Review, May 1954.

आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव

हर उत्पादन पर वही षोडा तथा वही अद्विक प्रेरणादायी प्रभाव डालते हैं, इसलिए यह हो सकता है कि वनों के भाग में मुक्ति पाने के लिए आर्थिक स्रोत वर्तमान उपयोगों में हटकर अन्य उद्योगों की ओर स्थानांतरित हो जाए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भी अतन्त्र हो सकते हैं। इस प्रकार स्रोतों के उद्योगों तथा स्थानों के बीच नवीन वितरण में उत्पादन के प्रकार तथा उनकी वनावट को प्रभावित कर सकते हैं। साधनों का इस प्रकार का अंतरण उत्पादन की दृष्टि में लाभकारी एवं असामर्थ्यारी, दोनों प्रकार हो सकता है।

### (अ) लाभप्रद दिग्परिवर्तन

कुछ वनों द्वारा आर्थिक साधनों का दिग्परिवर्तन इस प्रकार होता है जो देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है। हानिप्रद दवाओं पर लगने वाला कर तथा मादक पदार्थों पर लगने वाले कर मादक पदार्थों का उपयोग कम करके स्वास्थ्य तथा काम बुद्धि बढ़ाकर हितकारी दिग्परिवर्तन सिद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए वातावरण को धुएँ से मुक्त करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में खुले स्थान पर जलाए जाने वाले आगों पर कराधान का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। दिनमिता की वस्तुओं पर लगाया गया कर, हर-मुक्त अनिवार्यताओं की ओर दिग्परिवर्तन करके लाभ पहुंचाएगा।

इस प्रकार का दिग्परिवर्तन उत्पादन पर एक दूसरे प्रकार में ही प्रभाव डालता है। वे उपभोक्ता जो पहले अपने धन को दिनमितियों पर या मादक पदार्थों पर व्यय करते थे वे उसे या तो अब बचाते हैं या अन्य उपयोगी वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों तथा दिनमियों में वृद्धि होती है और नए उद्योग स्थापित होते हैं तथा उत्पादन वृद्धि होती है। सरक्षण कर का प्रभाव भी इस पर ही होता है। इस कर द्वारा साधन उन उद्योगों की ओर दिग्परिवर्तित होने लगते हैं जिनका विकास विदेशी प्रतिस्पर्धिता के कारण नहीं हो पाया था।

### (ब) हानिप्रद दिग्परिवर्तन

कभी-कभी वनों द्वारा आर्थिक स्रोतों का दिग्परिवर्तन इस प्रकार होता है कि वे उत्पादन पर प्रतिबल प्रभाव डालते हैं। इसलिए ऐसा दिग्परिवर्तन हानिप्रद माना जाता है। उदाहरणार्थ, मत्तियों पर लगाया गया कर मत्तियों की पूर्ति को कम कर सकता है जिनके लोगों का जीवन अष्टसंपन्न हो सकता है और उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है। कभी-कभी संरक्षण-कर भी साधनों का हानिप्रद दिग्परिवर्तन करता है। ऐसा इस समय ही सकता है जबकि देश के किसी अन्य उपयुक्त उद्योग को संरक्षण दे दिया जाए जिनके लिए देश में पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध न हों। संरक्षण करों के कारण आर्थिक स्रोत कभी-कभी उपयोगी उद्योगों में हटकर अनुपयोगी उद्योगों को दिग्परिवर्तित हो जाते हैं।

### (स) वर्तमान से भावी और भावी से वर्तमान उपयोगो की ओर दिग्परिवर्तन

जिन करो से उपभोग निरस्ताहित होत है उनसे बचते प्रोत्साहित होती हैं। इस प्रकार व करो द्वारा आर्थिक स्रोत वर्तमान उपयोगो से हटाकर भावी उपयोगो पर दिग्परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ऐसा परिवर्तन समाज की शक्ति को बढ़ाता है। विभी कर त्रय कर और व्यय कर ऐस उदाहरण हैं जो एचों को निरस्ताहित करत हैं और बचतो को प्रोत्साहन देते हैं।

इसके विपरीत जो कर बचतो को निरस्ताहित करते हैं वे साधनो को भावी उपयोगो से हटाकर वर्तमान उपयोगो की ओर दिग्परिवर्तित करते हैं और इस प्रकार उत्पादन पर घुरा प्रभाव डालते हैं। यही नहीं जब सरकार करारोपण द्वारा ऐसी निधिया प्राप्त करती है जो अन्य प्रकार से बचाई तथा विनियोग की जा सकती थी परंतु अब सरकार द्वारा प्रशासनीय या अनुत्पादन व्यया मे एच कर दी जाती हैं तब भी स्रोत भावी उपयोगो से वर्तमान उपयोगो की ओर दिग्परिवर्तित हो जाते हैं।

### (द) दिग्परिवर्तन के लिए प्रेरणादायी कर

अकस्मात् प्राप्त होने वाली संपत्तियो पर लगने वाला कर दिग्परिवर्तन के लिए किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं देता। भूमि का उपयोग चाहे जिस काम के लिए किया जा रहा हो भूमि व स्थिति मूल्य पर लगने वाला कर कोई दिग्परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि भूमि प्रवृत्ति द्वारा सीमित होती है। इसलिए उनके क्षेत्रफल को घटाना संभव नहीं होगा। इसलिए उसका सम्पूर्ण भार भूस्वामी को ही सहन करना पड़ता है। एकाधिकारी पर लगने वाला कर साधनो के दिग्परिवर्तन के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता। एकाधिकारी अपनी घस्तु का मूल्य और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके। यदि किसी कारणवश उसे अपना उत्पादन घटाना पड़े तो उससे उसका लाभ कम हो जाएगा।

आकस्मिक परिसंपत्तियो पर लगने वाले कर भूमि के स्थिति मूल्य पर कर तथा वे कर जो संपत्ति के समस्त उपयोगो पर समान भार डालते हैं आर्थिक साधनो का बहुत कम दिग्परिवर्तन करते हैं।

### (य) साधनो का एक स्थान से दूसरे स्थान को दिग्परिवर्तन

करो द्वारा साधनो का पुनर्वितरण इस रीति से भी होता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान को दिग्परिवर्तित हो जाते हैं। जब किसी एक पर कर बहुत अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं तो यह संभव हो सकता है कि लोग अपनी पूंजी को वहां से निराल कर किसी ऐसे क्षेत्र में विनियोजित करें जहां कर भार अपेक्षा-कृत कम हो। ऐसे दिग्परिवर्तन को कम करने का प्रभावशाली उपाय यह है कि

देश भर में एक समान दरों में करारोपण किया जाए। मधोप शासन वाले देशों में यह बर्झाई पैदा हो सकती है कि विभिन्न प्रांत या राज्यों में विभिन्न दरों में कर लगाए परंतु यह समस्या विभिन्न प्रांत या राज्यों में पारस्परिक मजदूत द्वारा समान दरें निश्चित करके हल की जा सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक देश में करो बी दरें बहुत ऊँची हों और पूजा बहा स बिनी दूसरे देश को स्थानांतरित हो जाते। किंतु इस स्थानांतरण को रोकने का एक उपाय यह है कि नौगा की मपूर्ण आय पर कर लगाए जाए चाहे वह देश के अंदर अर्जित की गई हो अथवा देश के बाहर। यदि ऐसा किया जाता है तो करों से बचने के लिए पजी देश से बाहर स्थानांतरित नहीं होगी।

### कराधान के वितरण पर प्रभाव

धन के वितरण की असमानता अनेक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों को जन्म देती है। विषमताओं को दूर करने के प्रयास हमें आवश्यक वितरण के निवृत्त ले जाते हैं। अधिक दृष्टि से आदर्श वितरण एवं दिए हुए उत्पादन से अधिकतम आर्थिक कल्याण प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। प्रो० पी० के शब्दों में 'यदि राष्ट्रीय सामाज की भावा में से निर्धनों के पास जाने वाली भावा में वृद्धि हो जाती है तो यह सामूहिक जनकल्याण में वृद्धि करेगा।' वेगनर पहला व्यक्ति है जिसने करारोपण के माध्यम से धन की असमानताओं को दूर करने का मत्त प्रवृत्त किया था।

प्रचीन लेखक धन के वितरण के लिए कराधान के उपयोग की विचारधारा को विरोध की दृष्टि से देखते रहे हैं। उदाहरण के लिए एक लेखक ईन्तेदिन ने लिखा है कि यदि, 'समाजवादी दंग की समाज की रचना करना ही मुख्य है तो उमकी प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न एवं अधिक प्रभावशाली अन्य अनेक उपाय मौजूद हैं, वजाय इसके कि उक्त मत्त के लिए कराधान का उपयोग किया जाए।' फिर भी यह बात अधिकाधिक रूप से स्वीकार की जा रही है कि कराधान धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हो सकता है। कराधान केवल धनी वर्ग के धन को कम करने के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु राजकीय धन से कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। धन के वितरण में समानता लाने के लिए कराधान के स्थानापन्न के रूप में केवल यही हो सकता है कि संपत्ति का दठे पैमाने पर उन्मूलन कर दिया जाए। परंतु यह विकल्प अधिक श्रेष्ठतर नहीं होगा। यह तो करारोपण के विरोधियों की और भी अधिक सोझा प्रतीत होगा। निम्नदिष्ट यह कहा जा सकता है कि पूर्ण समाजीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण की अनुपस्थिति में, कराधान ही धन के वितरण को समान बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है।



## कराधान का रूप तथा वितरण

उच्च करारोपण धन की असमानताओं को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन है। अतः सरकार करों की दर में फेर-बदल करके इस उद्देश्य को प्राप्त करती है। प्रतिगामी कर की प्रवृत्ति आय के वितरण की विषमता को बढ़ाती है। आनुपातिक तथा अधोगामी कर प्रणालियों का भार धानकों की तुलना में निर्धनों पर अधिक पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा आय के वितरण की विषमता को कम करने की सभावनाएँ बहुत कम होती हैं। मद गति की प्रगामी कर प्रणाली की भी यही प्रवृत्ति होती है। किन्तु अधिन तीव्र रूप से प्रगामी कर प्रणाली विषमता को कम करने की ओर उन्मुख होती है। प्रतिगामिता जितनी तेज होगी, यह प्रवृत्ति भी उतनी ही अधिक प्रबल होगी। इस धारणा के अनुसार एक सीमा के ऊपर वाली सब आयों को घटाकर उस सीमा पर ले आया जाएगा और उस सीमा से नीचे वाली आयों पर कोई कर नहीं लगेगा। इसका अर्थ होगा कर देने की योग्यता के अनुसार कराधान। तर्क का आधार पर तो सम्भवतः उचित ही है कि कर-प्रणाली को इतना प्रतिगामी बनाया जाए कि जिसमें सभी व्यक्तियों की आय एक समान स्तर पर लाई जा सके। परन्तु यह कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं है क्योंकि उत्पादन पर सम्भवतः इतना प्रतिबल प्रभाव पड़े।

## विभिन्न प्रकार के कर और वितरण

हम यहाँ इस बात का अध्ययन करना चाहेंगे कि विभिन्न प्रकार के करों का आय के वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(1) आय कर : वितरण की दृष्टि से आय कर को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे करों को सत्य प्रगामी बनाया जा सकता है। कम आय की अपेक्षा अधिक आय पर ऊँची दर से कर लगाया जाता है। पुनर्वितरण की प्रिया को और तीव्र करने के लिए कर प्रणाली में दो अन्य रीतियाँ भी अपनाई जा सकती हैं। प्रथम अल्पधन आय पर अतिरिक्त कर लगाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिन जो भारी आमदनियाँ पर लगाया जाता है। ऐंसे ही अतिरिक्त लाभ कर जो किसी विशेष समय, जैसे युद्ध काल में अर्जित किये गए अतिरिक्त लाभों पर होता है। द्वितीय कम आय वाली को विभिन्न प्रकार की छूटें तथा सुविधाएँ दी जा सकती हैं। यह ही सक्ता है कि एक निश्चित सीमा से नीचे की आमदनियों को कर से मुक्त कर दिया जाए, ऐंसे व्यक्तियों को पारिवारिक भत्ते दिए जा सकते हैं जिनके परिवार में आश्रितों की मख्या अधिक हो, औपधियों पर किए गए व्यय कर योग्य आय में से घटाए जा सकते हैं तथा गैर-अर्जित आय की अपेक्षा अर्जित आय पर कर नीची दरों से लगाए जा सकते हैं।

(2) संपत्ति कर : संपत्ति कर वितरण को काफी मात्रा में प्रभावित करते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति उसकी आर्थिक शक्ति का परिचायक होती है।

जिन व्यक्तियों के पास व्यक्तिगत संपत्ति अधिक मूल्य की होती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही होगी है। अतः संपत्ति पर प्रगामी कर लगाकर धन के वितरण में समानता लाई जा सकती है। धन कर, मृत्यु कर तथा अनावर्ती पूँजी कर संपत्ति कर के विभिन्न प्रकार हैं। ये कर वितरण को दो रूप में प्रभावित कर सकते हैं। प्रथम, ऐसे कर संपत्ति के ऐसे मानकों पर लगते हैं जो समाज में अधिक धनी होने हैं और वे व्यक्ति कर से मुक्त होने हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं होती। द्वितीय, ऐसे व्यक्तियों पर अधिक ऋणी दरों से कर लगाया जाता है जो अधिक संपत्ति के मानिक होते हैं। इसके विपरीत उन व्यक्तियों पर अपेक्षाकृत नीचे दरों से कर लगाया जाता है जिनके पास संपत्ति कम मूल्य की होती है।

(3) व्यय कर प्रो० कार्टर के विचारानुसार व्यय कर को करदाता के कर अदा करने की सामर्थ्य का प्रतीक माना जा सकता है। जिस व्यक्ति का व्यय जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक कर अदा करेगा। धनी वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति में कमी लाने के लिए, विशेषकर प्रदर्शन-उपभोग ( Conspicuous consumption ) को रोकने के लिए व्यय कर एक प्रभावपूर्ण साधन सिद्ध होता है।

(4) परोक्ष कर अनेक परोक्ष कर ऐसे होते हैं जिनके प्रगामी तथा प्रतिगामी प्रभाव हो सकते हैं। उत्पादन कर, विक्री कर तथा सीमा कर ऐसे ही परोक्ष करों के उदाहरण हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं तथा सामान्य उपभोग में जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसी वस्तुएँ चूँकि धनी तथा निर्धन लोगों द्वारा समान रूप में एक-ही दरों पर खरीदी जाती हैं, इसलिए निर्धनों को इन वस्तुओं के खरीदते समय अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करना पड़ता है। इसके विपरीत विनाशिता की वस्तुओं के करधान का स्वभाव संभवतः प्रतिगामी सिद्ध होता है क्योंकि उनका भार मुख्यतः अमीरों पर ही पड़ता है। सामान्य विक्री कर चूँकि सभी पदार्थों पर लगाया जाता है, जिसमें अनिवार्य तथा सामान्य उपभोग की वस्तु सम्मिलित होती हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी प्रतिगामी होता है। हाँ, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं तथा सामान्य उपभोग की वस्तुओं को करारोपण से मुक्त कर दिया जाय तो इन करों की प्रतिगामिता को थोड़ी-बहुत मात्रा में घटाया जा सकता है।

### वितरण बनाम उत्पादन

उपर्युक्त अध्याय से यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि समान वितरण की अवस्था को लाने के लिए तीव्र प्रगामी कर प्रणाली को व्यवहार में लाना आवश्यक है। परन्तु साथ ही हम ऐसी कर प्रणाली के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों का ज्ञान भी आवश्यक है। इसी अध्याय में यह बताया जा चुका है कि अपेक्षित प्रगामी एवं भारी कर उत्पादन पर प्रतिरूप प्रभाव डालते हैं। इनसे उत्पादन घटता है। ऐसी

स्थिति में वितरण की समानता का अर्थ धन के समान वितरण का नहीं अपितु निर्धनता का समान वितरण होगा। इसलिए वितरण सबधी अध्ययन के समय हम उत्पादन सबधी पहलुओं का उल्लेख नहीं कर सकते। साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रणिगामी कर प्रत्येक दशा में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव ही डालते हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी कर प्रणाली हानिकारक होती है। दूसरे शब्दों में, कुछ दशाओं में ऐसा भी होता है कि प्रणागी कर प्रणाली उत्पादन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने की अपेक्षा अनुकूल प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यय-कर लगाया जाए तो यह उपभोग पर किए जाने वाले व्यय को कम करके बचतों को बढ़ाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्पादन और वितरण, दोनों ही उद्देश्यों के बीच पारस्परिक सामंजस्य की स्थापना आवश्यक है तथा कराधान की योजना का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जहाँ यह एक ओर उत्पादन के मार्ग में कोई बाधा न डाले और दूसरी ओर धन के वितरण की असमानताओं को दूर करने में भी सहायक हो।

### अविकसित देशों में करों का वितरण पर प्रभाव

अविकसित देशों की समस्याएँ विकसित देशों से भिन्न होती हैं। विकसित देशों में माधनों के पूर्ण दोहन तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति के कारण राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत ऊँचा होता है, इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के पहलू पर अधिक बल न देकर आय के पुनर्वितरण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से ही वहाँ के कुल सामाजिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है। किंतु अल्पविकसित देशों में दो मूल समस्याएँ होती हैं। प्रथम, उत्पादन को बढ़ाने की। द्वितीय, राष्ट्रीय आय के वितरण को समान बनाने की।

एक विचारधारा के अनुसार अल्प विकसित देशों में मुख्यतः उत्पादन और रोजगार के स्तर को ऊँचा करना है। समान तथा न्यायपूर्ण वितरण भविष्य में वांछनीय हो सकता है, परंतु इसे तत्कालिक लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। यदि करारोपण के वितरण सबधी प्रभावों का सावधानी से अध्ययन किया जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों उद्देश्य अर्थात् उत्पादन की वृद्धि तथा व्यक्तियों के मध्य आय तथा धन का समान एवं न्यायपूर्ण वितरण एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। जहाँ उत्पादन तथा रोजगार को बढ़ाने के लिए कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता प्रेरणादायक बनाने के लिए अत्यधिक प्रणागी कर प्रणाली हानिकारक हो सकती है, वहाँ-वहाँ नमाज में समान तथा न्यायपूर्ण वितरण के लिए प्रणागी कर प्रणाली आवश्यक समझी जाती है। यदि धन के न्यायपूर्ण वितरण को प्राथमिकता दी गई और कर ढाँचे में आवश्यक परिवर्तन करके प्रणागी कर पद्धति को अपनाया गया तो उसका उत्पादन पर स्वयंसेवक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय आय की मात्रा घट जाएगी और प्रत्येक व्यक्ति की आय भी उतनी कम हो जाएगी। इसलिए

अर्थशास्त्री यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उत्पादन पक्ष को अनुकूलता के लिए विद्यमान सबंधी विचार को ब्रूट समर्थ के लिए म्यगित कर देना चाहिए। यद्यपि इस तर्क में काफी बजत है फिर भी यह सिद्ध करना कठिन नहीं है कि अल्पविकसित देशों में उत्पादन सबंधी तथा वितरण सबंधी दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सकता है।

हम यह जानते हैं कि साथ करन तथा बचत करने की उम्मीद पर सभी करों का एक-सा प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ का प्रतिकूल तथा कुछ का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष कर, मुद्रास्वप म आय कर तथा उत्तराधिकारी कर जैसे करन तथा बचत करने की इच्छा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं जबकि परोक्ष कर ऐसा प्रभाव नहीं डालते। फिर प्रत्यक्ष करों का बुरा प्रभाव उन्नी समय तक पड़ता है जब लोगों की आय सबंधी मांग लाचपूण होती है। जब आय सबंधी मांग बेरोजदार होती है तब कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा निरन्तारहित नहीं होती। जैसा कि पीगू न स्पष्ट किया है कि सचय करने की प्रेरणाएँ इतनी अधिक होती हैं कि मृत्यु कर अपना पूजा कर उन्हें कम नहीं कर सकते। ब्रूट समाज में अधिकतर व्यक्तियों को आय की मांग बलोचदार होती है अतः कराधान से उनके कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में नए उद्यमों के आरंभ करने तथा पुरानों के विस्तार करने तथा आवासनिष्ठ प्रमुख की समावनाएँ इतनी बलवती होती हैं कि आय कर तथा संपत्ति कर का भार विनियोग तथा पूजा निर्माण पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता।

एक अल्पविकसित देश में विकास का कार्य योजनाबद्ध होता है, विनियोग की दर निरन्तर बढ़ती रहती है और मार्गजनित आय में वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि दम्तुओं और सेवाओं की मांग को बढ़ाती है जिससे लाभ की समावनाएँ बढ़ती जाती हैं और वे कर देने से मयनील नहीं होते। अतः उगते विनियोग करने की प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

हमें यह याद रखना चाहिए कि विकास के योजनाबद्ध कार्यक्रम में उपभोग को सीमित तथा बचतों और विनियोग की दरों की आवश्यकता होती है। राज-कोषीय अतिवाधि इन बचतों को गतिष्क करने उम्मीद उपभोग देश की उत्पादन शक्तता को बढ़ाने में करते हैं। इस सभी समर्थों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बचत-व्ययोंप का उपयोग किया जाए जिससे कि जनता के उपभोग की कम किया जा सके तथा उच्च आय वाले वर्गों के अनावश्यक उपभोग में बढ़ती की जा सके। राज्य के निजी कोष को उत्पादक विनियोगों में लगाने के लिए राजकीय छेद का भी विस्तार करना होगा। यह नव लक्ष्य कराधान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं।

प्रधान यह देना जाता है कि अल्पविकसित देशों में इन कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित हो जाता है, इसलिए अल्पविकसित देशों को यह लक्ष्य भी दृष्टिगत रखना चाहिए कि वे प्रगामी कर प्रणाली का उपयोग करते कुछ छोटे-से लोगों में

धन को एकत्र होने से रोकेँ। यह इसलिए भी आवश्यक है कि निम्न आय वाले वर्गों के मन म कही यह शर्त उत्पन्न न हो कि धनी वर्गों को कर भाग सहन ही नहीं करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी ध्यान रखना होगा कि कर भार के वितरण को समुचित बनाने की दृष्टि में कर व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उच्च आय वाले वर्गों पर कर का भाग उतना ही पड़े जितना कि प्रत्यक्ष करों की मर्यादा में वृद्धि होने से निम्न वर्गों पर पड़ रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो असमानताएँ बढ़ेंगी और विभिन्न आय वाले वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाएगी तथा राजनैतिक एवं सामाजिक समुदाय अस्त-व्यस्त हो जाएगा।

यहाँ दो कठिनाइयाँ सामने आती हैं। प्रथम यह कि और धन की असमानताओं से वचतों को प्रोत्साहन मिलता है। करारोपण इन लोगों की वचता को हतोत्साहित करता है। द्वितीय यह कहा जाता है कि पुनर्वितरण करने वाले करारोपण में निम्न व्यक्तियों की वार्षिक आय बढ़ जाती है तथा उपभोग में वृद्धि होती है, परन्तु वचत तथा विनियोग कम हो जाते हैं। यद्यपि प्रथम धारणा सत्य है परन्तु वह ऊँची आय वाले वर्गों के व्यय के उपभोग में उपेक्षा करती है। इससे अतिरिक्त हम यह भी नहीं भूलना चाहिए कि केवल धनी वर्गों की वचत ही एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को निम्नता के विपरीत चक्र में बाहर नहीं निकाल सकती। यदि उनकी वचतें ऐसा कर सकती होनी तो यह राय बहुत पहले ही सपन्न हो गया होता। और फिर अल्पविकसित देशों के पिछड़े जन की यह समस्या उत्पन्न ही नहीं हुई होती। हमारी धारणा को स्वीकार करने वाले यह भूल गए हैं कि विकास सबधी व्यय में निम्न वर्गों का भी यथेष्ट योगदान होता है क्योंकि उन्हें भी अप्रत्यक्ष करों का एक बड़ा भाग सहन करना पड़ता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उपभोग का स्तर नीचा होने पर निम्न वर्गों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना अत्यावश्यक है। हम निम्न आय वाले वर्गों की आय में वृद्धि करके संपूर्ण राष्ट्र की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

इस प्रकार एक अल्पविकसित देश के आर्थिक विकास के सदर्भ में, करारोपण के द्वारा उत्पादन वृद्धि तथा आय के पुनर्वितरण, दोनों लक्ष्यों को साथ-साथ प्राप्त किया जा सकता है और इनसे मेल खाता हुआ एक उपयुक्त कर-ढाँचे का निर्माण किया जा सकता है। पुनर्वितरण सबधी करारोपण की मामान्य योजना को शिथिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुस्थिति तो यह है कि ऐसी योजना की और भी अधिक आवश्यकता है।

# 13

## आय कर

भारत में आय कर का वर्तमान रूप पिछले सौ वर्षों के क्रमिक विकास का परिणाम रहा है। इसका प्रारंभ 1830 ई० में वित्त सदस्य जेम्स विलसन द्वारा हुआ था। परन्तु 1883 तक इसका उमबद्ध रूप प्रस्तुत नहीं हुआ था। 1886 का आय कर अधिनियम इसका सबसे पहला सुसंगठित रूप था। प्रारंभ में यह केंद्र सरकार की आय के मद के रूप में रहा किंतु बाद में केंद्र एवं राज्य-सरकारों के मध्य विभाजित मद रहा। 1918 में आय कर का नया अधिनियम बनाया गया जिसमें 1886 के अधिनियम के प्रावधानों को मूलतः बदल दिया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वर्षों की आय पर उसी वर्ष कर लगाने की व्यवस्था थी। इसमें कराधान का उमब वर्षों के अंत तक पूर्ण नहीं पाता था। इस दोष के तथा अन्य सीमाओं के कारण आय कर विधान में पुनः परिवर्तन की आवश्यकता समझी गई। फलतः 1922 में फिर नया कर अधिनियम बनाया गया जो अब तक चल रहा है।

1922 में लेकर अब तक अधिनियम में अनेक संशोधन हुए जिसमें उमब सामयिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके।<sup>1</sup> ऐसे संशोधनों की संख्या 50 में भी अधिक है। इसमें अतिरिक्त कराधान जब आयों 1924-25, आय कर समिति 1935-36, आय कर अनुसंधान आयोग 1947, तथा कराधान जब आयों 1953-54 के आवेदनों ने कराधान के ढांचे पर विशेष प्रभाव डाला है। इनका उद्देश्य आय कर द्वारा अधिकाधिक आय प्राप्त करना, आय कर प्रशासन सुवर्धी अगुविद्याओं को दूर करना, अदानती निर्णयों को आय कर विधान में सम्मिलित करना तथा अधिक में अधिक आय का संग्रहण की लक्ष्य में जाना है।

नमय-नमय पर निर्धारित एक निश्चित आय सीमा की छूट के उपरांत किसी भी व्यक्ति, नस्था एवं अधिभाजित मयुक्त हिंदू परिवार की आय पर, जो भारत में रहने वाले नागरिकों द्वारा देश या विदेश में उपाजित की हो, करासेपण की व्यवस्था आय कर के अंतगत है। पिछले वर्षों की आय के आधार पर चारु वर्षों में, साधारण स्वीकृत व्यय काट कर करदगता की कर चुकाना पडता है। गृहकारी समितियों की आय, मार्बजगिन एवं धार्मिक न्यसों की आय, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की आय, भूतपूर्व राजाओं को प्राप्त प्रिन्सीपल, विदेशी दूतावास के बर्मा-चारिया की आय आदि पर आभर की छूट प्रदान की गई है।

## आय की परिभाषा

विरस्तृत रूप में आय का अर्थ उस आर्थिक लाभ में होता है जो एक व्यक्ति किसी नियत अवधि के अंतर्गत प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत उम व्यक्ति के एक निश्चिन् अवधि का उपभोग तथा उसी अवधि में उसके वैयक्तिक धन में होने वाली विगुद्ध वृद्धि सम्मिलित की जाती है। डा० बी०आर० मिश्र ने आय की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'किसी निश्चित च्रोत से नियत अवधि पर मुद्रा में अथवा मुद्रा द्वारा आने जा सजने वाले अन्य किसी रूप में जो प्राप्ता होती है वही मामान्यत आय मानी जाती है। इसमें पूजा सवधी प्राप्तिया नही आती और न देन ही आती है।'<sup>1</sup>

आय का अनुमान लगाते समय निम्न तीन बातों को दृष्टि में रखा जाता है।

(क) अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कुल आय में उन घर्चों को निकाल कर, जो उस आय को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में किए गए हों, शेष आय। किंतु इन घर्चों में रहन-गहन के घर्च सम्मिलित नहीं हो सकते।

(ख) व्यक्ति द्वारा उपभोग की जान वाली वस्तुओं का मूल्य, जिसका वह स्वयं मालिक है (उदाहरण के लिए उसने मरान उपयोग-मूल्य तथा स्वयं उत्पन्न की गई फल और सविजया)।

(ग) व्यक्ति के उन परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि, जोकि उम विगिष्ट अवधि में उसने स्वामित्व में रही हो।

आयकर गणना की सुविधा की दृष्टि से कुल आय को स्रोत के अनुसार 6 गूडा में विभाजित किया जाता है (1) वेतन (2) प्रतिभूनिया पर व्याज (3) गृह संपत्ति में आय (4) व्यवसाय, पेशा अथवा उद्यम से प्राप्त लाभ (5) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय।

आयकर व्यक्ति की विगुद्ध आय पर लगाया जाता है। किसी भी व्यक्ति की विगुद्ध आय से तात्पर्य उस आय से है जिसमें से व्यावसायिक घर्च, मूल्य ह्रास तथा हानिया आदि घटाने के बाद उसको वास्तव में प्राप्त होती है। कुल आय की अपेक्षा विगुद्ध आय किसी व्यक्ति की कर अदा करने की योग्यता का एक अधिक अरुष्टा प्रतिनिधित्व करती है।

### सुविजया

विगुद्ध आय को जान करने से पूर्व कुछ सुविजया तथा कटौतिया की जाती हैं। ये कटौतिया कभी-कभी प्रशाननिक दृष्टि में भी आवश्यक समझी जाती हैं या

1 डा वाभूराम मिश्र 'भारतीय कर व्यवस्था' (1962), हिंदी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, पृ 76 एवं 77.

कर बढ़ा करने की योग्यता की दृष्टि में रख कर की जाती है। उदाहरणार्थ, एक न्यूनतम स्तर की आय को प्रायः करारोपण से मुक्त रखा जाता है। ऐसा करने के दो मुख्य कारण होते हैं। प्रथम, उक्त स्तर से नीचे की आय का निर्धारण तथा उसका करारोपण प्रशासनिक दृष्टि से अमुविघाजनक होता है तथा महंगा भी पड़ता है। द्वितीय, उक्त स्तर से नीचे आय वाले व्यक्तियों पर करों के भार डालने का कोई औचित्य नहीं समझा जाता। इनके अनिश्चित अर्जन आय में से कुछ अन्य कटौतियाँ भी की जा सकती हैं जैसे कि करदाता पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की लग्न तथा शिक्षा व चिकित्सा आदि पर दिया गया व्यय। माधारणतः इस बात का निश्चय कर दिया जाता है कि कर योग्य आय में से कौन-कौन सी प्राप्ति या सम्पत्ति की जाएगी और कौन-कौन-सी विनिष्ट कटौतियाँ की जाएगी।

### आय कर तथा कर देय क्षमता

अन्य करों की तुलना में आय कर को कर देय क्षमता के अधिक अनुरूप बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए कई प्रकार की विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। ये विधियाँ करों के आरोहण अथवा क्रमवर्धन अति कर (Super tax), मुक्तियों, छूटों तथा भत्तों का रूप लेती हैं।

प्रायः एक निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे की आय, आय कर के भुगतान से मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार समाज के निम्न आय वर्गों को कर के भार से मुक्त कर दिया जाता है। आय कर को कर देय क्षमता के अनुरूप बनाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है—करों का आरोहण अथवा क्रमवर्धन अर्थात् ऊँची आय वर्गों पर ऊँची दरों से करारोपण। अधिकांश देशों में क्रमवर्धन के सिद्धान्त को अपनाया जाता है यद्यपि उस क्रमवर्धन की तीव्रता भिन्न-भिन्न देशों में तथा भिन्न-भिन्न समय पर अलग-अलग पाई जाती है।

### प्रत्यक्ष कर जांच समिति

भारत सरकार ने न्यायाधीश श्री के० एन० वान्चू की अध्यक्षता में मार्च 1970 में प्रत्यक्ष कर जांच समिति नियुक्त की। समिति से यह अनुरोध किया गया कि वह (1) काले धन को बाहर निकालने और कर वचन तथा फाल्गुनी उपायों द्वारा कर से छुटकारा पाने के बटते हुए तरीकों को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी सिफारिशें करे, (2) कर-विधान द्वारा दी गई विभिन्न कर छूटों का निरीक्षण करे ताकि इनका या तो मशोघन किया जाए, या इन्हें घटाया जाए और (3) कर-निर्धारण और प्रशासन को उन्नत करने के बारे में भी सुझाव दे।

कर वचन और काले धन की प्राप्ति

वान्चू समिति ने अनुमान लगाया है कि वह जाय जित पर कर नहीं दिया गया 1961-62 में 700 करोड़ रुपये थी परन्तु 1965-66 और 1968-69 में यह बढ़



कर क्रमशः 1000 करोड़ रुपये और 1400 करोड़ रुपये और हो गईं। अतः 1968-69 के दौरान काले धन से संबंधित मौद्रिक मौदा का मूल्य 7000 करोड़ रुपये से कम नहीं था। इन प्रकार मिति का अनुमान है कि 1968-69 के दौरान कर-वचन की राशि 470 करोड़ रुपये थी अर्थात् पुनः कर से बचाई गई, 1400 करोड़ रुपये की आय का एक तिहाई।

शब्द 'काले धन या छिपे धन का प्रयोग लेखारहित मुद्रा या छिपी आय या अव्यक्त धन के रूप में किया जाता है। कर-वचन और काले धन में बड़ा धनिक और गहरा संबंध है जबकि कर वचन से काले धन की उत्पत्ति होती है, वहाँ काले धन को छिपे रूप में व्यापार में लगान में अधिक आय प्राप्त की जाती है जिससे और अधिक कर-वचन होता है। काला धन देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का कैंसर है जिसे समय पर बंदने से न रोका गया तो यह अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण बन सकता है। कर-वचन और काले धन की उत्पत्ति के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं

(1) प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अधीन कराधान की ऊँची दरें।

(2) अभाव की अर्थव्यवस्था के विद्यमान होने के फलस्वरूप वायम की गई नियंत्रण एवं लाइसेंस प्रणाली।

(3) राजनैतिक दलों को दिए जाने वाले दान।

(4) घट्ट व्यापार-व्यवहार।

(5) व्यापारिक खर्चों पर लगाई गई अधिकतम सीमा और इन खर्चों की आय कर से छूट न देना।

(6) विपरीत कर एवं अन्य शुल्कों की ऊँची दरें।

(7) कर-अधिनियमों की पालना में बहुत अधिक ढील।

(8) नैतिक स्तर का पतन।

समिति की मुख्य सिफारिशें

कर-वचन के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए वाचू समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं

(1) चूंकि ऊँची दरों का विद्यमान होना कर-वचन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए वाचू समिति ने यह सिफारिश की है कि आयकर की अधिकतम सीमा दर (जिसमें अधिकतर भी शामिल हो) 97.5 प्रतिशत व वर्तमान स्तर से कम करके 75 प्रतिशत तक खानी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश की है कि मध्यम और निम्न स्तरों पर भी कर की दरों को कम किया जाए।

(2) कृषि-आय, जो अभी केंद्र सरकार के कर जाल के बाहर है, के कारण छिपे धन पर परदा डालने की पर्याप्त संभावना रहती है। अतः यह आवश्यक है कि कृषि-आय पर अन्य प्रकार की आय की भांति एक समान कर लगाया जाए ताकि सघीय सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष करों में कर वचन को समाप्त किया जा सके।

(3) वर्तमान विनी कर का जहा तक सम्भव हो, उत्पादन जुलु द्वारा प्रतिन्यापन कर देना चाहिए। चूंकि फिर भी विनी कर कुछ इन्सुओं पर बना रहेगा, इसलिए आय कर प्राधिकारियों और विनी कर प्राधिकारियों में अधिक तालमेल होना चाहिए ताकि वे कर-वचन सबधी आयूचना एक-दूसरे से प्राप्त कर सकें।

(4) विभिन्न पेशों में काम करने वाले व्यक्तियों को अपने लेखे तैयार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करना चाहिए। इसी प्रकार ऐसे व्यापारियों को जिनकी आय 25000 रुपये से अधिक हो या जिनकी कुल विनी 2.5 लाख रुपये से अधिक हो, पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष के लेखा को तैयार करने का आदेश देना चाहिए।

(5) देश में सभी करदाताओं के सूचीकरण की समान पद्धति आरम्भ करनी चाहिए। इससे करदाता सबधी सूचना को सबद्ध करने में आसानी होगी और परिणामतः कर-विभाग को कर-वचन की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी।

(6) आयकर अधिकारी को करदाता के निवास स्थान पर जाकर नकदी गिनने, स्टाम्प चेश करने या किसी ऐसे खाते या प्रलेख के निरीक्षण को अनुमति होनी चाहिए जिन पर अधिकारी आवश्यक समझता हो। उसे अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने या किसी ऐसे व्यक्ति का वयान लेने की भी अनुमति होनी चाहिए जो निवास स्थान पर उपलब्ध हो।

(7) यदि स्टाम्प अधिनियम के अधीन आयदाद के मूल्यांकन के लिए उचित मनीमरी की व्यवस्था की जाए, तो जचन संपत्ति, जो हस्तांतरण का विषय है, में वाले धन के विनियोग को हतोन्माहित करने में सहायता मिल सकती है।

बाचू समिति द्वारा की गई सिफारिशों में कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें सरकार स्वीकार करना नहीं चाहती जैसे वैयक्तिक आयकर की सीमात दरों में कमी।

(8) बाचू समिति का मत है कि वैयक्तिक कराधान की दरें ही कर-वचन के लिए अधिकतर जिम्मेदार हैं। इनके कारण यदि करदाता कर की जगह न करे, तो उसकी वचन करने की समता बहुत ही कम हो जाती है। इसी कारण समिति ने आयकर की अधिकतम सीमात दर को 97.5 प्रतिशत में कम कर के 75 प्रतिशत करने की सिफारिश की है और अपने उद्देश्य को पूरे करने पर भी कर-दरों को कम करने का सुझाव दिया है। केंद्र सरकार का यह मत है कि ऊंची सीमात दरों को कम करने से सम्भवतः कर-वचन और काले धन को कम नहीं किया जा सकता। 50,000 रुपये से अधिक आय वाले लगभग 40,000 करदाता हैं और समिति की सिफारिश से केवल इनको लाभ होगा। इसके विरुद्ध 20 लाख करदाता ऐसे हैं जिनके सबध में कर की दरों को संपत्तिहरीणीय नहीं समझा जा सकता। यदि समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाए, तो इसके सरकार को लगभग 45 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी और उदनु-रूप काम चालू होगा। परंतु समिति का दृढ़ विश्वास है कि कर दरों को कम

करने से कर-अधिनियमों का अधिक पालन होगा और इसमें वचत और विनियोग में वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था को जो प्रोत्साहन मिलेगा वह दीर्घकाल में राजस्व में होनेवाली तत्काल कमी की दीर्घकाल में बड़ी अधिक पूति कर देगा।'

(9) परतु समिति ने करदाताओं के हाथ में कर-कटौतियों के पश्चात् बाकी रह जाने वाली निर्वर्त्य आय के अनिश्चित भाग को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय विकास कोष की स्थापना का मुझाव दिया है। कपतियों को छोड़ सभी करदाता इस कोष में स्वच्छिन्न योगदान के रूप में अपनी कुल आय के 10 प्रतिशत की सीमा तक या 20,000 रुपये जो भी कम हो, योगदान दें। यह योगदान भी कुल आय में से भविष्य निर्धन या वीमा विस्त को भाति वसूल किया जायेगा। सरकार इस कोष का प्रयोग विकास परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने के लिए करेगी। राष्ट्रीय विकास कोष के योगदान पर धन कर नहीं लगेगा, केवल 4.5 प्रतिशत व्याज पर कर लगाया जाएगा।

(10) वाचू समिति ने निगम क्षेत्र के कर ढांचे में संशोधन करने के उद्देश्य में बहुत-सी महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं। इनमें विभिन्न कपनियों पर लगाई गई विभिन्न कर दरों की अपेक्षा सभी कपनियों पर कर की एक-सी दर (अर्थात् 55 प्रतिशत) लगाने की सिफारिश की है। समिति ने कपनियों को अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कर देय राशि पर 5 से 10 प्रतिशत की कर छूट देने का मुझाव दिया है। यह कर छूट उत्पादन में प्रत्येक 10 प्रतिशत वृद्धि पर दी जाएगी।

समिति द्वारा अपने स्वामित्वाधीन या उधार पर ली गई पूंजी पर 1 प्रतिशत अनावर्ती पूंजी-कर लगाने का प्रस्ताव विवादास्पद बन सकता है। अनावर्ती पूंजी कर का उद्देश्य कपनियों द्वारा अनि पूंजीकरण प्रवृत्ति को रोकना है। इससे यह भी आशा की जा सकती है कि स्वामित्व की दृष्टि में निकट रूप से संबधित कपनियों द्वारा धन कर की चोरी को रोक जा सकता है।

संभवत पूंजीकर के तीक्ष्ण को कम करने के लिए वाचू समिति ने कपनियों पर अधिकतर सम्पत्त करन की सिफारिश की है। परतु यह लाभ केवल उन कपनियों को प्राप्त होगा जो दंडित दर अदा करती हैं। छोटी कपनियों के लिए जिनका लाभ 50,000 में कम है, समिति ने प्रस्तावित पूंजीकर में छूट की सिफारिश की है और विनश्चित लाभ के संबध में उदारता दिखाने पर बल दिया है।

(11) वाचू समिति ने नगर क्षेत्र के लिए पुनर्निर्माण एवं स्थाईकरण रक्षित कोष की स्थापना का मुझाव दिया है। सभी कपनिया इस कोष में अपनी कुल आय का 10 प्रतिशत तक योगदान कर सकती हैं और इस राशि पर पूंजी कर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि इस पर 6 प्रतिशत व्याज मिलेगा। कपनियों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी जमा का 50 प्रतिशत इमारतों, प्लांट और मशीनरी की मरम्मत और अनुसंधान पर व्यय के लिए वापस ले लें। केंद्र सरकार की अनुमति से शेष

जमा भी पाच वर्षों के पश्चात् विन्सार एवं विग्राम प्रोग्राम के लिए वापिस ली जा सकती है। जिस वर्ष में गांधि वापिस ली जाए, वह उस वर्ष की आय नहीं जाएगी और इस पर कर लगेगा। इस यात्रा के लागू करने में 33 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी परन्तु समिति का अनुमान है कि जब इस कोष में राशिवा वापिस ली जाएगी, तो कर से प्राप्त के वापिस राजस्व की हानि की पूर्ति हो सकेगी।

राष्ट्रीय विकास कोष और पुनर्निर्माण एवं स्थायीकरण स्थित कोष क्षेत्र में प्रत्यक्ष कर प्रणाली को नया रूप देने और बचतों को अधिकतम करने की दृष्टि से लाभदायक उपाय है परन्तु इस सबंध में स्थायीकरण का प्रश्न उठाए जाते हैं

(क) क्या भारत सरकार इन प्रस्तावों को अपनी रूप में स्वीकार करेगी, तथा

(ख) क्या भारत सरकार इन योजनाओं को कर प्रस्तावों में सम्मिलित किए बिना लागू करेगी।

वाच समिति ने हमारे समस्त प्रत्यक्ष कर टाचे और कर प्रयास, इसकी सखी और कर-बचन सबंधी इसकी दुर्बलताओं की छानबीन की है। बरखाता यह बाधा करते हैं कि समिति एक साधारण कर टाचे का निर्माण करेगी जिते बर-दाता आनाली ने समझ नहीं। परन्तु वाच समिति की रिपोर्ट का पुनरावलोकन करने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि नया टाचा भी वर्तमान टाचे में कम जटिल नहीं होगा।

वाच समिति की कुछ सिफारिशें इतनी दुनियादी हैं कि केंद्र सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। पहले ही केंद्रीय वित्त नहीं ने वाच समिति की मूला के विमोचन की सिफारिश को नामजूर कर दिया है। अतः यह जान पड़ता है कि केंद्र सरकार समिति की कानिषन, कर-बचन और बचाया कर राशियों के बारे में सिफारिशों को स्वीकार न करे।

परन्तु भय तो यह है कि सरकार वाच समिति की वेदत उन सिफारिशों को स्वीकार करेगी जो बिना कर मरघी राहत, गियागत और छूट दिए बिना प्रतिक राजस्व उपलब्ध करा नहीं। किन्तु अन्तिम बात तो यह है कि सरकार समिति का संयोजित एवं निगम असाधान सबंधी सिफारिशों को कार्य रूप देकर एक ऐसी अच्छी कर नीति का निर्माण करे जिससे वर्षव्यवस्था के विकास के लिए बचत और विनियोग को प्रोत्साहन मिले।

**अतिरिक्त तथा अधिपर**

इन करों द्वारा ऊंची आय वालों पर अधिक भार डालने का प्रयास किया जाता है। अतिरिक्त एवं निम्नतर स्तर में ऊंची आय वालों पर सामान्य भार कर के अतिरिक्त लगाया जाता है। आय कर की तरह अतिरिक्त में भी समबर्धन का

मिद्धात अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 20,000 रु० से अधिक आय पर अतिकर लगाया जाता है।

अधिकर भी इसी प्रकार का एक ऐसा कर है जोकि सामान्य आय-कर के अतिरिक्त लगाया जाता है। इसका निर्धारण या तो व्यक्ति की आय के आधार पर या फिर उस धन राशि के आधार पर किया जाता है जोकि वह साधारण कर के रूप में भुगतान करता है। अधिकर का उद्देश्य साधारणतः सरकारी आय में वृद्धि करना होता है। इसका यह भी उद्देश्य हो सकता कि इस कर से प्राप्त राशि को किसी विशिष्ट कार्य के लिए सुरक्षित रख दिया जाए। अधिकर के नियन्त्रण के करारोपण की प्रणाली को अधिक आरोही बनाया जा सकता है। अतिरिक्त लाभ कर भी इसी प्रकृति का होता है अतिरिक्त लाभ कर एक ऐसा विशेष कर है जो असाधारण रूप में ऊँची आमदनियों पर लगाया जाता है। प्रायः ऐसा कर उन असाधारण लाभों पर लगाया जाता है जो व्यवसायी वर्ग युद्ध काल में कमाते हैं।

आय कर को एक दूसरी रीति से भी कर अदा करने की योग्यता के मिद्धात के अनुरूप बनाया जा सकता है। यह रीति कुछ कटौतियाँ तथा छूट दानर व्यवहार में लाई जाती है। उदाहरणार्थ अर्जित आय अर्थात् कार्य करने से प्राप्त आय पर अनर्जित आय अर्थात् संपत्ति से प्राप्त आय की अपेक्षा नीची दरों से कर लगाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि दूसरे की तुलना में पहले की 'कर' अदा करने की क्षमता कम होती है। पहले व्यक्ति को आय अर्जित करने के लिए कार्य करना पड़ता है यदि बीमारी या दुर्घटना के कारण उसके काम में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसकी आय भी घट जाती है किन्तु दूसरे व्यक्ति को आय निरंतर प्राप्त होती है। संपत्ति के स्वामी की मृत्यु होने पर भी उसकी आय उसके आश्रितों को प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम व्यक्ति को भविष्य के लिए वित्तीय प्रबन्ध की अधिक आवश्यकता होती है जबकि दूसरे व्यक्ति को इतनी चिंता नहीं रहती।

करदाता की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ भी उसके कर अदा करने की योग्यता को प्रभावित करती हैं। जिस व्यक्ति को अधिक आश्रिता का पालन-पोषण करना पड़ता है उसकी कर अदा करने की क्षमता कम होती है। इसके लिए कुछ देशों में तो पारिवारिक भत्ते भी दिए जाते हैं, अर्थात् कर निर्धारण से पूर्व व्यक्ति की आय में, उसके आश्रितों की संख्या के आधार पर कटौतियाँ कर दी जाती हैं। व्यक्तिगत परिस्थितियाँ अन्य रूप से करदेय-क्षमता को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जिस कुटुंब में करदाता को अपने बीमार आश्रितों पर बार-बार धन व्यय करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति की कर अदा करने की क्षमता उस व्यक्ति की तुलना में कम होती है जिसने समान आकार के परिवार में सभी व्यक्ति स्वस्थ होते हैं। यद्यपि ऐसी परिस्थितियों को विचारार्थ नैना बंठिन होता है। मनुक्त राज्य अमेरिका में इस दिशा में प्रथम प्रयास हुआ है। वहाँ कर निर्धारण में पूर्व, व्यक्ति

की विगुह आय के 5 प्रतिशत में अधिक मात्रा में होने वाला चिक्किस्सा व्यय उमकी आय में घटा दिया जाता है ।

## आय कर के गुण

आय कर के जिन विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की गई है उनमें इस कर के विभिन्न गुण प्रकट होते हैं

(1) करदान क्षमता के अनुरूप होना यह कर उमवर्धन मुक्तियों तथा अधिकारों आदि के द्वारा करदान क्षमता के सिद्धांत के अधिक अनुरूप बनाया जा सकता है जबकि अन्य करों में ऐसा करना संभव नहीं होता ।

(2) असमानता को दूर करना यह कर आय की एक निश्चिन्त सीमा के ऊपर, प्रगतिशील आधार पर लगाया जाता है । इस कारण धन के वितरण की असमानताएँ इसके द्वारा दूर की जा सकती हैं ।

(3) कराघात का विवर्तन असंभव जो व्यक्ति इस कर की अद्ययगी करता है वह ही उसको सहन करता है इसलिए इसका कराघात किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित किया जा सकता है । इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या वर्ग पर पड़ने वाले करों के भार का ठीक-ठीक मूल्यांकन किया जा सकता है जो एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली के निर्माण में सहायक होता है ।

(4) सीमांत व्यय में कटौती को प्रेरित करता है : अन्य करों के समान यह करदानों को इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि वह किसी विशेष दिशा में किए जाने वाले व्यय में कटौती करें । चीनी पर लगाए जाने वाले कर से चीनी का उपभोग कम करने की प्रेरणा तो मिल सकती है, परन्तु आय कर चूकि आय के किसी विशेष उपभोग पर नहीं लगाया जाता इसलिए यह करदाता को इस योग्य बना देता है कि वह अपने व्यय की मबने कम उपयोगी मद में कटौती कर सके ।

(5) उत्पादक तथा सोचदार : यह कर इस दृष्टि में उत्पादक कहा जाता है क्योंकि इसके जुटाने में अधिक प्रगामतिक व्यय नहीं करने पड़त । यह करदानों के हाथ में निवल कर सीधा बोपागार में जमा होता है । यह कर सोचपूर्ण इसलिए है कि दर में थोड़ी-थी वृद्धि करने पर ही आय की मात्रा में वृद्धि हो जाती है ।

(6) आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक : आय कर की दरों का तेजीवान में बढ़ाकर तथा मदीवाल में घटाकर, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग हो सकता है ।

(7) जागरूकता उत्पन्न करना : जब करदाता सरकार को कर अदा करता है तो वह इस बात के प्रति जागरूक रहता है कि उसके द्वारा किए गए त्याग को सरकार उचित ढंग से सामाजिक कल्याण की वृद्धि पर व्यय कर रही है या नहीं।

### आय कर के दोष

भारतीय आय कर न प्रमुख दोष निम्न हैं

(1) बचन तथा विनियोग पर प्रतिकूल प्रभाव : इस कर का सबसे बड़ा दोष यह है कि बचत तथा विनियोग करने की प्रेरणा पर अन्य करों की तुलना में अधिक प्रेरणाकारी प्रभाव डालता है। पी. व्. मलानुसार, 'आय कर बचता कोस माप्त कर देता है तथा पूंजी निर्माण में बाधक है जिमका देश के भावी विश्राम पर बुरा प्रभाव पड़ता है' इसलिए प्रो० वाल्डोर ने व्यय कर का मुद्दा दिया है क्योंकि बचत तथा विनियोग पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(2) दोहरे कर की संभावना आय कर के अंतर्गत एक ही आय के दो बार करारोपित होने की संभावना अधिक रहती है। उदाहरण के लिए एक अभिनेत्री की आय उस समय करारोपित हानी है जब वह उमें अर्जित करती है, तथा उगी आय का एक भाग जब उगके निजी सचिव को दिया जाता है तो उग पर पुन कर लगता है यदि वह करारोपण की परिधि में आती हो।

(3) न्यायसंगत नहीं : आय कर लोग की आय को करदेय क्षमता का आधार मानता है जबकि करदेय क्षमता आय के अतिरिक्त अन्य कई बातों पर भी निर्भर करती है।

(4) कर को चोरी : आय कर में बचने में लोग सफल हो जाते हैं जिसमें प्रति वर्ष भारी हानि उठानी पड़ती है जो अनुमानत 500 करोड़ ₹० प्रति वर्ष है। कर बचन की समस्या

आय कर की मज्मे बड़ी समस्या कर-बचन अथवा कर चोरी तथा कर बचाने की है। कर-बचन तथा कर बचाव शब्दावली बची-बची है। इन्होंने कर बचन को अवैधानिक कर अथवा चरमा कहकर परिभाषित किया है। उदाहरणार्थ, जब करदाता अपने कर-प्रतिबन्धन पत्र में अपनी संपूर्ण कर योग्य आय का एक भाग को घोषणा करने से बचा नेता है। 'कर बचाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस वैधानिक व्यवस्था से है जिससे फलस्वरूप उसका कर दायित्व कम हो जाता है।'<sup>1</sup>

यह सर्वविदित है कि आय की परिभाषा, करदेय आय की गणना, विभिन्न प्रकार की छूटें, अर्जित तथा अनर्जित आय में अंतर, प्रशासनिक व्यवस्था व कर

1 C. T. Sandford. 'Economics of Public Finance' (1969), Pergamon Press, Oxford p. 87

## कृषि आय कर

सन 1860 में जब सर्वप्रथम आय कर को व्यवहार में लाया गया था तो उस समय उसकी परिधि में कृषि तथा गैर-कृषि दोनों प्रकार की आमदनियों को सम्मिलित किया गया था। परंतु कुछ समय पश्चात् कृषि आय को आय कर के जिक्र से मुक्त कर दिया गया। कराधान जांच समिति (1925) ने एक स्थान पर उल्लेख किया था कि कृषि में होने वाली आय को आय कर से निरंतर मुक्त करत चले जाने में कोई ऐतिहासिक तथा सैद्धांतिक औचित्य नहीं दिखाई पड़ता है। साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि 'व्यक्ति की अन्य आय पर लगने वाले कर की दर का निर्धारण करने के लिए उसकी कृषि आय को भी विचारार्थ लेना चाहिए, बशर्ते कि ऐसा करना प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक और व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त हो।'<sup>1</sup>

सन 1935 में सर्व प्रथम बिहार ने इस कर को लागू किया। इस समय जिन राज्यों में कृषि आय कर वसूल किया जाता है वे हैं असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, मैसूर, मद्रास और केरल। इस कृषि आय कर\*

वर्ष	धनराशि	राज्यों के राजस्व में प्रतिशत
1951-52	4 3	1 1
1960-61	9 5	1 0
1966-67	11 0	0 5
1967-68	10 6	0 4
1970-71	10 50	×
1971-72	11 80	×
1972-73	13 40	×

1. Report of the Taxation Enquiry Committee (1929), p. 432.

\* Source - Reserve Bank of India Buletins



कर की दरें सामान्य रूप में उन दरों से नीची रखी हैं जो कि शहरी आय पर लागू होनी हैं। भारत में इस कर द्वारा मरदान ही बहुत कम आय प्राप्त हुई है जैसा कि पीछे दो गई तालिका द्वारा स्पष्ट होता है।

काफी समय से यह भाग की जा रही है कि विकास योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था के लिए आसीन क्षेत्रों को आयकर के भिन्न-भिन्न में लाया जाए। वनपूर्वक शब्दों में यह दलील दी जा रही है कि बड़े-बड़े व्यापारिक मस्यान कृषि में अपना कालाघन लगाकर उन्हें श्वेत बना रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। द्रिग्न क्रांति की सफलता से कृषि आय पर कर लगाने का मार्ग का और भी आगे बढ़ाया है। 1973-74 के बजट में प्रथम बार भारत के वित्त मंत्री ने कृषि आय को भी किसी अलग कर आय कर की तपेट में ले लिया है। इसमें पहले कृषि संपत्ति और आय पर निर्धारण के लिए नियुक्त राज समिति ने सिफारिश की थी कि 5000 रुपये या इससे ऊपर कर योग्य मूल्य को उस मस्यन भूमि पर, जिसमें खेती हो रही हो, भूराजस्व के स्थान पर कृषि जोत कर लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार का विचार प्रत्यक्ष कर जाच समिति (बाबू समिति) ने भी प्रकट किया था कि वाले धन की वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि आय का कर मुक्त होना है।

दूसरी ओर यह तर्क दिया जा रहा है कि कृषि आय को कर के जिनके में लाना ग्राम्य जीवन में असंतोष उत्पन्न करना होगा, इससे उत्पादन में हानि होगा। भारत सरकार ने अभी तक राज समिति व बाबू समिति की सिफारिशों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया है। इस सन्दर्भ में यह एक विचारणीय प्रश्न है कि भारत जैसे कृषि प्रधान विकासशील देश में कृषि आय पर किसी अलग कर लगाना क्या तक औचित्यपूर्ण एवं न्यायमगत है।

इस मस्यया से संबंधित कुछ प्रासंगिक प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। कृषि आय कर लगाए बिना सरकार देश के विकास के लिए अतिरिक्त भाधन जुटाने में मस्यय है बशवा नहीं तथा इस कर का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही इस बात पर भी मतन दिया जाना चाहिए कि वर्तमान कर प्रणाली क्या तक न्यायोचित है तथा कृषि आय और गैर कृषि आय का जाजिक एकीकरण करना क्या तक न्यायमगत है। कृषि आय पर कर लगाने का मार्ग में आने वाले सभाजित बटिनाइयों का क्या ह्य हो सकता है, उन सभी बातों की दृष्टि में रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि आय कर का औचित्य निर्धारित किया जा सकता है।

**कृषि आयकर के पक्ष के तर्क**

(1) समानता का व्यवहार : कर सर्वव्यापी होने चाहिए जिन्हें समान स्तर के नागरिकों पर बिना भेद-भाव के लगाया चाहिए। इस सिद्धांत के आगम पर कृषि आय को आय कर में मुक्त रखना न्यायपूर्ण न होकर अनियमित, अविश्व-

पूर्ण एवं पश्चात्पूर्ण होगा। हाथ में ही यांगू समिति की रिपोर्ट में कृषि पर आयकर लगाने की जोरदार सिफारिश की गई है। यह देखा गया है कि लोग आयकर से बचने के लिए अग्रे ही आय को कृषि-जन्य आय बताते हैं और आय कर से बच जाते हैं। बांध धन का सर्वाधिक उपयोग यदि किसी में होता है तो यह है भूमि खरीदने में। जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं है वे भी कृषि पर आयकर की छूट के कारण गांधी के पार्स के पार्स खरीदने लगे हैं जिससे बांधा धन संपन्न बन गये। अतः कृषि पर आयकर लगाना आवश्यक है। यह ही सचता है कि सभी किसान कृषि आयकर देने की स्थिति में न हों परन्तु जिसकी आय इसकी अधिका है कि वे कर दे सकते हैं तो फिर उन्हें कर में बचने छूट दी जाए? ध्यान का लक्ष्य है कि आय वाले किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हो, उस पर ही समान रूप से भार पड़ना चाहिए। अतः सविधान की धारा 269 में सशोधन आवश्यक है जिससे कृषि क्षेत्र में उत्पन्न आर्थिक विषमता दूर हो सके और अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

(2) राजस्व के वृद्धि : हमारे विवेचनों का अनुमान है कि 65 प्रतिशत भूमि पर बड़े किसानों का अधिदार है तथा उनकी आयदानी 6 हजार करोड़ रु० की है। यदि इस आय पर 5 प्रतिशत की दर से भी कर लगाया जाए तो सरकार को ही 300 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

कृषि आयगाय एक ही कृषि व्यवसाय एक दूसरे के पूरक हैं, जैसी स्थिति में कर नीति के सीतेसे व्यवहार के दोषों में भीषण की घाई मढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र की आय राष्ट्रीय आय का 60 प्रतिशत है। जो 40 प्रतिशत राष्ट्रीय आय गणरी से उपार्जित होती है। ग्रामीण आय पर कर की दर 3 प्रतिशत है जबकि गणरी में अर्जित आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है। गणरी की आय का लगभग 90 प्रतिशत उसीमें एक व्यापार से अर्जित किया जाता है जिस पर कर की दर अत्यधिक उंची है। कृषि क्षेत्र में लगाने ही राजस्व का एकमात्र साधन है जो अग्रे ही समस्त उपयोक्तृताओं को लो लुका है। अतः ऐसे करों की व्यवस्था करना आवश्यक है जो व्यावसायिक भी हों और पर्याप्त आय भी प्रदान कर सके। इससे आय कर की जो बोझ होती है वह भी कम हो जाएगी।

(3) राज्यों के केंद्र पर आर्थिक निर्भरता में बचती - केंद्र और राज्यों का बजटों में अध्ययन एवं विश्लेषण से प्रकट होता है कि प्रत्येक बजट में नियमित रूप से पाटा प्रदर्शित किया जाता है तथा गाँवों की विश्व व्यवस्था का महारा लिया जाता है। इस प्रकार राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। इससे अतिरिक्त राज्यों के ही योजना अन्य एक प्रशासकीय व्यय प्रविषयों बढ़त जा रहे हैं। बजटों हुए एक आर्थिक मोड को उठाते के लिए कृषि-आयकर लगाना आवश्यक है तथा जैसे कि राज समिति का सुझाव है कि कृषि आय पर, कृषि और हीर कृषि आय को अर्जित रूप में लिया कर 'कर' लगाया जाए। इस प्रकार अतिरिक्त कर लगाने से जो अतिरिक्त आय प्राप्त हो, वह उन्हीं राज्यों को मिलनी चाहिए।

जिनकी कृषि से आय बढ़ी है। इन प्रकार राज्यों की केंद्र पर आधिक्य निर्भरता में कमी होगी और देश के आधिक्य विवाम के लिए अनिश्चित राजस्व भी प्राप्त हो जाएगा।

(4) कर-वचन पर रोक : वानू नमिति के अनुसार भारत में काले धन की वृद्धि का प्रमुख कारण कृषि आय का कर मुक्त होना है। कृषि आय को कर योग्य घोषित करने पर एक बार लोगों की कर-वचन की प्रवृत्ति खगी, दूसरी ओर घनाइया का काला धन प्रकाश में आ सकता है। अब काले धन व करों की चोरी रोकने के लिए यह निम्न आवश्यक है कि आय कर की उच्चतम दर में 20 प्रतिशत की कमी कर दी जाए और और और कृषि आय का पूणत कर योग्य घोषित कर दिया जाए।

(5) कराधान के ढांचे को करदेय क्षमता के अनुरूप बनाना करारोपण का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि कराधान करदान की करदेय क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। कृषकों की करदेय क्षमता मुख्यतया दो बातों पर निर्भर करती है। प्रथम कृषि की उत्पादकता तथा द्वितीय, कृषि आय का न्यायोचित वितरण। जहाँ तक कृषि भूमि की उत्पादकता का प्रश्न है, इसमें सभी महत्त्व है कि योजना काल में इसमें निश्चित रूप में वृद्धि हुई है। योजना काल में कृषि क्षेत्र में भारी विनियोजन किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना तक यह विनियोजन 3,815 करोड़ रुपये तक पहुँच गया था, परन्तु 1950-51 में खाद्यान्नों का उत्पादन जो केवल 5.56 करोड़ टन था 1971-72 में 11 करोड़ टन के लगभग पहुँच चुका है। यह सब व्यापक हरित क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। परन्तु हरित क्रांति का लाभ केवल 10 प्रतिशत बड़े किसानों को ही मिला है अब कृषि आय पर आयकर उन करदाताओं से वसूल करना न्यायोचित ही है जिनकी गैर कृषि आय न्यूनतम कर योग्य आय में अधिक है।

विभी वगैरे विशेष की कर देय क्षमता केवल उसकी आय की मात्रा पर निर्भर नहीं करती अपितु आय के वितरण के स्वरूप पर भी आश्रित होती है। भारत की 25 प्रतिशत कृषि भूमि 75 प्रतिशत किसानों के पास है और 75 प्रतिशत भूमि केवल 25 प्रतिशत किसानों में वितरित है। इनमें से 15 प्रतिशत किसानों के पास 5 से 10 एकड़ भूमि है और शेष 10 प्रतिशत किसानों के पास 1 से 5 एकड़ भूमि है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि भूमि के वितरण में अत्यधिक विषमता है, परन्तु भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होने के बाद बड़े-बड़े भूस्वामी समाप्त हो जाएंगे। अब हम नए परिवेश में कृषि आय और गैर कृषि आय का आश्रित एकीकरण करना ही सामान्य किसानों के हित में होगा। कृषि आय पर कर उन्हीं किसानों को देना होगा जिनकी गैर कृषि आय न्यूनतम कर-योग्य आय सीमा में अधिक है। कृषि आयकर के विपक्ष में तर्क

निःसंदेह आश्रित दृष्टि से कृषि आय पर कर लगाना उचित तथा न्यायमय

प्रतीत होता है परन्तु यह एक नाजुक मामला है। इसमें बहुत भोच-समझ कर पूरी सतर्कता के साथ ही हाथ डालना होगा अन्यथा हरित क्रांति मृग मरीचिका में बदल सकती है। साथ ही खेती के विकास में जो अनुकूल वातावरण बन रहा है वह कृषि आयकर द्वारा नष्ट हो सकता है। इस विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए अनेक विद्वानों ने निम्न आधारों पर कृषि आय कर को उचित नहीं ठहराया है

(1) कृषि व्यवसाय नहीं इन लोगों का यह तर्क है कि भारत में कृषि इसी लिए नहीं की जाती कि इसमें कोई विशेष लाभ है बरन इसलिए की जाती है कि कृषको के पास अन्य धंधों का अभाव है। किसान अधिकांशतः अपने ही उपभोग के लिए उत्पादन करता है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि की दशा भारत में बहुत गिरी हुई है। भारत में जहाँ कुछ पिछड़ी जातियाँ हैं, वहाँ पिछड़े हुए व्यवसाय भी हैं, जिनमें से दुर्भाग्यवश कृषि भी एक है, इसलिए कृषि आय का करारोपण अविवेकपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण होगा।

(2) खेती का व्यवसाय अधिक जोखिमपूर्ण कुछ लोगों को भ्रम है कि किसान को खेती से पर्याप्त आमदनी होती है। परन्तु खेती का व्यवसाय अन्य व्यवसायों की अपेक्षा अधिक जोखिम से भरा है और धर्म भी अधिक माँगता है। जहाँ बारखाने में मजदूर को 7-8 घंटे ही काय करना पड़ता है वहाँ कृषक को गर्मी-मर्दी की परवाह किए बिना दिन-रात परिश्रम करना पड़ता है। लगान, मान गुजारी भुगतान करने के अनिश्चय यदि वह पानी भी देता है तो उसके लिए भी जब कर अदा करता है। खाद, बीज और यंत्रों के मूल्य निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी यह कहना कि किसान की दशा पहले से सुधरी है, सही नहीं है। आज भी 82 प्रतिशत ग्रामीणों की आय इतनी कम है कि वे एक रुपये प्रति दिन भी खर्च करने में असमर्थ हैं। यह सभी को ज्ञान दे कि रुपये का मूल्य पिछले 25 वर्षों में 27 प्रतिशत गिर गया है।

(3) हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ ही बड़े किसानों को : विरोधी वर्ग का यह कहना है कि हरित क्रांति का लाभ केवल 10 प्रतिशत कृषकों को ही मिला है। आधुनिक तकनीकी ज्ञान, साधनों और बैकिंग सुविधाओं का लाभ बस्तो तथा नगरों में रहने वाले बड़े किसानों ने उठाया है, जिनका भूमि से कोई विशेष संबंध नहीं है। भूमि सुधार का लाभ भी इन्हीं लोगों ने उठाया है। काला धन भी सफेद इन्हीं का हुआ है। अतः सरकार इस धन को निकालने की ओट में कृषि आय पर कर न लगाए। यदि ऐसा हुआ तो तम्बूरी और ममाज विरोधी तत्वों के बढ़ जाने की संभावनाएँ पैदा हो जाएगी।

(4) कृषि कर न लगाकर बकाया करों को वसूल किया जाय : कृषि आय पर कर लगाकर कुछ वित्तीय सहयोग देश के विकास हेतु अवश्य प्राप्त हो सकता है परन्तु केन्द्र सरकार अपने 9 अरब 40 करोड़ रुपये एवं राज्य सरकारें 3 अरब 80 करोड़ रुपये ने बकाया करों को वसूल कर विकास योजनाओं के लिए धन

चुटा सकती है, तब हृषि आप के करारोपण का प्रस्ताव उचित नहीं दखना जा सकता। और फिर सरकार देश के अमीरों के पास पचा 40 अरब रुपये का काना धन विमुद्रोत्पन्न की विधि में निकलदाकर अपनी सोचनाएं बचा सकती है।

(5) हृषि पर कर निर्धारण कठिन : हृषि आप का निर्धारण बड़ा कठिन एवं जटिल है। हृषि उत्पादन एवं उनके मूल्य में भारी उतार-चढ़ाव आने के कारण आप का घटना-बटना स्वाभाविक है। इसलिए विमानों की वार्षिक आयदानी की जात करना एक कठिन कार्य होगा। जब सरकार छोटे-से क्षेत्रों में स्थापित उद्योग घरों की वार्षिक स्थिति का पता लगाने में असफल रहती है तो फिर मांग देश में पैसे हुए धर्मों के एक-एक विमान की वार्षिक स्थिति का पता कैसे लगा सकती है।

(6) हृषि आप कर की बमूनी में कठिनाई : यदि किसी प्रकार में हृषि आप का मही अनुमान लगा भी लिया जाए तो फिर उस पर लगाए गए कर की बमूनी अव्यक्त कठिन कार्य है। मुद्रो धर धर्मो विमानों में हृषि आपकर की बमूनी करने के लिए आपका विभाग का विचार करना होगा जिसे बमूनी का खर्चा बहुत अधिक बट जाएगा। गरीब विमान की हल जोतने के साथ ही साथ हिमाव-किताब के बन्ने रहने होंगे। जो विमान अपने रूप का ही मही हिमाव नहीं रख पाता वह अत्यन्त के लिए रहा तब हिमाव-किताब रख सकेगा और फिर भारतीय आपकर प्रणाली इतनी जटिल है कि उसे समझने में अव्यक्त कठिनाई का सामना करना होगा।

### निष्कर्ष

हृषि व्यवसाय तथा गैर हृषि व्यवसाय वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए दोनों के साथ समान व्यवहार उपयुक्त ही होगा। साथ ही साथ हृषि क्षेत्र में वाले धन के प्रवेश की रोकने के लिए हृषि पर अत्यन्त सख्त तथा तर्कसंगत कर लगा जा सकता है। हृषि-क्षेत्र के आलोचकों की ये आलोचनाएं कि हृषि कर में विमानों की परेशानियां और बर्बादों और कर की बमूनी में प्रणालिक कठिनाइयां आंशो स्वरुत: घराबारी हो जाती हैं। कर पद्धति की अधिक नमतापूर्ण एवं प्रगतिशील बनाने की दिशा में सरकार को यह यत्न उठाना चाहिए। अपने अतिरिक्त हृषि क्षेत्र में कर लगाने में समझदारों, निवारणकार, जो एक व्यावहारिक रूप तथा बल मिलेगा, पावनी योजना के लिए फर्माए राजस्व प्राप्त हो सकेगा, जाड़े धन पर बहुत लगेगा व करारोपण की असमानता दूर होगी।

अब यह निश्चय कर लिया गया है कि दिन करदाताओं की गैरहृषि आय न्यूनतम कर योग्य आय सीमा में अतिक्रम है, उन्हें 1973-74 कर निर्धारण वर्ष में हृषि-आय और गैर हृषि आय के योग पर आप कर देना होगा। ऐसा करते समय 5000 रु० की छूट हृषि आय पर नहीं दी जाएगी। हृषि आय और हृषि आय का वार्षिक एकीकरण व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों, अपकीर्ण पत्नी आदि पर लागू होगा।

## राज समिति प्रतिवेदन

केंद्रीय सरकार ने कृषि के करारोपण की जांच करने के लिए डा. के. एन. राज की अध्यक्षता में 'कृषि सपत्ति तथा आय समिति', की नियुक्ति की थी। समिति की जो कार्य सौंपे गए उनमें से कृषि सपत्ति, आय तथा पूंजी अर्जन पर वर्तमान पद्धति की जांच कर के आर्थिक विकास के लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाने के उद्देश्य से प्रभावशाली रीतियाँ का मुझाव देना था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन अक्टूबर 1972 में भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें तथा निष्कर्ष इस प्रकार हैं

समिति का विश्वास है कि कृषि के प्रत्यक्ष करारोपण का मुख्य रूप भू-राजस्व की आरोही नहीं बना सकता। पहले कभी भू-राजस्व को आरोही बनाने के लिए अधि-भार का प्रयोग किया गया था परन्तु कोई सफलता नहीं मिली। उसका यह परिणाम हुआ कि कृषि मनुदाय के ऊँची आय अर्जित करने वालों को गैर-कृषि आय प्राप्त करने वाली की तुलना में कर की अदायगी कम करनी पड़ी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए समिति ने कृषि के प्रत्यक्ष करारोपण का विकल्प ढूँढा है।

राज समिति का विचार है कि कृषि क्षेत्र अभी करारोपण से अछूता है। इस समिति को उस सर्वैधानिक तथा प्रशासनिक कठिनाइयों का हल ढूँढने के लिए नियुक्त किया गया जो कृषि सपत्ति तथा अन्य के करारोपण के संघर्ष में उत्पन्न होती है। हमारे विधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि कृषि आय का करारोपण राज्य सरकार ही कर सकती है। परन्तु राजनैतिक तथा अन्य कारणों से राज्य इस खेत का पूर्ण दोहन नहीं कर पाए। इस समिति ने इस सर्वैधानिक कठिनाई को कृषि जोतकर के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। वर्तमान विधान के अनुसार केन्द्र सरकार कृषि सपत्ति पर करारोपण लागू कर सकती है। इस समिति के द्वारा मुझाए गए भूमि का शुल्काई मूल्य का रूप आय के समान न रह कर सपत्ति के समान है। इसलिए इस समिति की प्रस्तावित योजना का सर्वैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती।

समिति ने कृषि आय की अपेक्षा कृषि जोत के ऊपर कर लगाने की सिफारिश की है। कृषि जोत का करारोपण उनका आधार तथा उत्पादकता को दृष्टि में रखकर लगाया जाए। समिति का अनुमान है कि करारोपण से प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये की आय जुटाई जा सकती। समिति ने यह स्वीकार किया है कि यद्यपि कृषि करारोपण का सर्वैधानिक अधिभार राज्यों को प्राप्त है, किन्तु यदि केन्द्र भी कृषि का करारोपण करता है तो भी प्राप्त आय राज्यों को स्वयंभूतरीत कर देनी चाहिए।

कृषि जोतकर को निर्धारित करने के लिए समिति ने इन बातों को दृष्टि में रखने का मुझाव दिया

- 1- भूमि की उत्पादनता तथा जन-पूर्ति की दशाएं ।
- 2- भूमि की जलवायु ।
- 3- बोई गई फसल की किस्म तथा प्रकृति ।
- 4- किसान व्यय के संदर्भ में किसान छूट जो भूमि के गुल्बार्ड मूल्य का 20 प्रतिशत हो परंतु 1 हजार रुपये में अधिक न हो, दी जानी चाहिए ।
- 5- कृषि जोत कर, परिचायन-जोतों पर परिवार के आधार पर लगाया जाए ।
- 6- कृषि जोत कर, दो दशांशों में लगाया जाए । प्रथम, उन समस्त पश्चिमायन-जोतों पर जिनका गुल्बार्ड मूल्य 5000 रुपये या उससे अधिक है भू-राजस्व-समाप्त करके कृषि-जोत कर को लगाया जाए । द्वितीय राज्य सरकारें अपनी सुविधानुसार उक्त कर को 5000 रुपये से कम के गुल्बार्ड मूल्य वाली भूमि पर भी लागू कर सकती हैं ।

देश को मिट्टी तथा जलवायु की एकता के आधार पर बड़े-बड़े क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाएगा । एक बार ऐसा नक्शा तैयार हो जाने पर प्रत्येक हेक्टर भूमि से प्रत्येक वर्ष विभिन्न फसलों की सामान्य उत्पात्ति पिछले दस वर्षों की उपज पर आधारित करके ज्ञात की जा सकती है, पिछले तीन वर्षों के उपज के औसत मूल्य के आधार पर इन उपज को मूल्य में परिणत किया जा सकता है, इसी आधार पर प्रत्येक हेक्टर भूमि का गुल्बार्ड मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।

समिति ने कृषि तथा गैर कृषि आय के करारोपण की एक समन्वित योजना प्रस्तुत की । ऐसा करते में गैर कृषि आय को कृषि आय दिखाने की प्रवृत्ति पर रोका जा सकेगी, गैर कृषि आय पर करारोपण की दर का आकलन करते समय उक्त दोनों प्रकार की आयों का समन्वय इस प्रकार किए जाने की निष्पत्ति की : (1) गैर कृषि आय पर वर्तमान 5000 रु० की प्रारंभिक छूट दी जाए, (2) कृषि आय तथा (3) गैर कृषि आय ।

कृषि आय कर के संदर्भ में परिवार को एक इकाई माना जाए और आय कर तथा घन कर के संदर्भ में भी परिवार की इसी धारणा को प्रयुक्त किया जाए । उच्च योजना, पशु प्रजनन तथा सुर्गीपालन से प्राप्त आय जो अब तक कर में मुक्त है आय कर के शिक्के में सम्मिलित कर लेनी चाहिए ।

### मूल्यांकन

राज समिति ने सुनाव देते समय संबंधित बट्टियां-धर्मों को दूर करते हुए कृषि आय को कर के चयन में लाने की एक सुंदर युक्ति प्रस्तुत की है । परंतु कृषि जोतों से प्राप्त आय का अनुमान लगाने समय को छूटें दी जाएंगी वे इन प्रस्तावित कर की योजना को जटिल बना देंगी ।

समिति ने कृषि संपत्ति पर धन कर तथा पूंजी लाभ कर के माध्यम से समन्वित करारोपण की सिफारिश करते हुए आधार छूट को 15 लाख रु० तक बढ़ाने की सिफारिश की है। और जहां तक संभव हो धन कर के अंतर्गत दी जाने वाली समस्त छूटा को समाप्त कर देने के लिए जो छूटें धन कर के अंतर्गत दी जाती रही हैं उनके एकदम समाप्त कर देने से लोगो के ऊपर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। अतः समिति ने परिवार की एक इकाई की विचारधारा को केवल कृषि जोत-कर के सदर्भ में ही लागू करने के लिए सुझाव नहीं दिया अपितु उसमें आय कर और धन कर के संबंध में भी लागू करने की सिफारिश की जो वास्तव में उसकी जाच की परिधि के बाहर की बात है।



# 15

## पूँजी कर

पूँजी अथवा संपत्ति के करारोपण का अर्थ ऐंम कर से है जो संपत्ति के पूँजीगत मूल्य या उसकी वृद्धि पर आका जाता है। परंतु यह आवश्यक नहीं कि उसका भुगतान पूँजी अथवा संपत्ति में ही हो।

पूँजी के कराधान के संबंध में काफी भ्रम तथा अनिश्चितता पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों ने पूँजी कर की अदायगी के आधान पर पूँजी के कराधान को दो भागों में विभक्त किया है

(1) ऐसे कर जो पूँजी पर लगाए गए हैं परंतु जिनका भुगतान आय में न किया जाता है।

(2) वे कर जो पूँजी पर लगाए गए हैं और पूँजी में से ही अदा होने हैं। ऐसे कर भी दो प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, अनावर्ती पूँजी कर, जो संपूर्ण पूँजी पर केवल एक बार अथवा किसी विशेष अवसर पर लगाया जाता है। मुद्रा अथवा किसी आर्थिक संकट के उपरान्त भारी ऋण-शोधन के लिए जो कर एक बार लगाए जाते हैं वे अनावर्ती पूँजी कर ही होते हैं। द्वितीय, ऐसे पूँजी कर हैं जो प्रत्येक बार उस समय लगाए जाते हैं जब एक व्यक्ति उत्तराधिकारी के रूप में दूसरे में संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसे कर को मृत्यु कर के नाम से संबोधित किया जाता है।

पूँजी कर से हमारा अभिप्राय ऐसे कर से नहीं है जो पूँजी के वापिक मूल्य पर लगाया जाता है। जो कर पूँजी के मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं लगाए जाते जिनसे पूँजी के प्रयोग पर या स्थानीय कर के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे मोटर गाड़ी का लाइसेंस शुल्क, पूँजी कर की परिधि में सम्मिलित नहीं किए जाए।

श्रीमती उमुर्ला ट्रिक्स के विचारानुसार पूँजी कर को दो अर्थों पूरी करना चाहिए। प्रथम, कर की धन राशि दूसरी बड़ी हो कि उसका भुगतान आय में से सम्भव न हो। द्वितीय, यह कर आकस्मिक हो। श्रीमती ट्रिक्स ने पूँजी कर ऐसे कर को माना है जिसका भुगतान पूँजी में ही किया जाता है। हमारे लिए यह जानना निरर्थक है कि इस कर का भुगतान कहाँ से हो सकता है। यह हो सकता है कि एक

कर आय पर लगाया जाए और उमकी भुगतान पूजी में से हो या एक कर पूजी पर लगाया जाए और उमकी अदायगी चालू आय में से हो। वस्तुतः जो कर पूजी पर लगाया गया है वही पूजी कर है। इन सदस्यों में आइ०एम० गुनाटी का यह कथन बड़ा मार्थन है, "जिन प्रकार मदिरा कर मदिरा पर लगाए जाने वाला कर है, छोटा कर छोटा पर निर्धारित किया जाता है और आय-कर आय पर लगाया जाने वाला कर है, उसी प्रकार पूजी कर पूजी पर लगाया जाता है।" यहाँ हम वान पर बल दिया गया कि कर का आधार क्या है। सच भी यही है कि कर निर्धारण में कर का आधार मन्व्यपूर्ण होता है, उमकी अदायगी का स्रोत नहीं। पीपू ने उमी धारणा का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कोई नहीं कह सकता कि मदिरा पर लगाया गया कर अनिवायंत मदिरा से ही भुगतान किया जाए या ऐंसे माधनों से अदा किया जाय जो मुद्रा को मदिरा में ही परिणत किए जा सकें। जिन प्रकार आय कर का भुगतान किसी भी स्रोत में किया जा सकता है, उमी प्रकार पूजी पर निर्धारित किया जाने वाला कर भी किसी भी स्रोत में अदा किया जा सकता है।

### पूजी कर का औचित्य

अन्य करों की तुलना में पूजी कर के अनेक मंडानिक लाभों की चर्चा की जाती है। १० आर० प्रेस्ट के मतानुसार, "जोषिमपूर्ण कार्यों के लिए ये कर आय कर की तुलना में कम प्रेरणाहारी होते हैं, न्यायशीलता के आधार पर इसके पक्ष में हट तर्क दिए जा सकते हैं और यह तो निश्चिन्त रूप में कहा ही जा सकता है कि पूजी मूल्य की वृद्धि पर कर, चाहे भूमि पर हो अथवा सम्पत्ति पर, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों की अंशदा कार्य तथा बचन करने के लिए कम प्रेरणाहारी प्रभाव डालते हैं।"<sup>2</sup>

मुख्य रूप से पूजी कर की साधनता के पक्ष में निम्न आधार प्रस्तुत किए जाते हैं

(1) न्यायशीलता : पूजी कर के लगाने में न्यायशीलता के तर्क को हमनिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि आय किसी भी व्यक्ति की करदान क्षमता का पर्याप्त सूचक नहीं हो सकती। बड़े व्यक्ति आय के अनिश्चित पूजी में भी लाभ उठा सकते हैं। पूजी उमने स्वामी को सुरक्षा तथा व्यवसाय की स्थापना, विशेष रूप से सम्पत्ति तथा मूल्यवान शिक्षा, उचित कार्य न मिलने पर बेरोजगारी से बचाव इत्यादि के अतिरिक्त अवसर प्रदान करती है। एक विभेदान्तर कर प्रणाली भी इन तत्वों को दृष्टि में नहीं रख सकती। आय कर के आधारों में आमूल्य, मूल्यवान चिन्तों तथा मरद-निधि जैसे पूजी के विभिन्न रूपों को, जो यद्यपि आय अर्जित नहीं कराते परन्तु सुरक्षा तथा अनेक लाभप्रद अवसरों को अवश्य प्रदान कराते हैं,

1 I S Gulati, 'Capital Taxation in a Developing Economy', p 10

2 A R. Prest : 'Public Finance in under developed Countries', Allied Publisher Pvt Ltd.

सम्मिलित नहीं किया जाता। आपका लगाते समय इन आग्रहों को स्वीकार न करने से आप कर का भार अनिष्टित रूप की अपेक्षा अधिक भार पर अधिक पड़ता है जो उचित नहीं कहा जा सकता। पूँजी कर की अनुसन्धित में आप कर अनुसन्धित भार पूँजी से सम्बन्धित लघु भार पर ही पड़ता है परन्तु पूँजी उस भार से मुक्त रहती है, साथ ही पूँजीगत लाभों से सम्बन्धित व्यय क्षमता का भार कर से मुक्त ही जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि लोग अपनी कर योग्य आय को पूँजीगत लाभों में परिणत करके आय के करयोग्य से भी छुटकारा पा लेते हैं। यह सम्भव हो सकता है कि करदाता ऐसे ही मिलने की आय को समान था परन्तु उनकी विगुण सर्वातियों में अन्तर हो। क्या ऐसी दशा में शोको से समान आय कर का प्राप्ति न्यायहीन नहीं होगी? जबकि अधिक संपत्ति धारक की करदान क्षमता दूसरों की अपेक्षा अधिक है। इसलिए न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूँजी कर को आय कर के अनुसूचक के रूप लगाया जाए।

(2) समानता : समानता केवल आय के विद्यमान नहीं रहते परन्तु वित्त के वितरण में लाया आवश्यक है। आय कर केवल आय के वितरण में ही समानता ला सकता है। यदि पूँजी कर नहीं लगाया गया तो समानता में अन्तर के वितरण में असमानता बढ़ जाती है जो सामाजिक न्याय की दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती। इसलिए अन्तर के वितरण को समान करने के लिए पूँजी कर का उपयोग आवश्यक समझा जाता है।

(3) कुशलता : पूँजी करदान के पक्ष में तीव्रता कुछ कृपणता पर आधारित है। आय कर की तुलना में पूँजी कर का विद्वत प्रभाव कम हो सकता है। इनका कारण यह है कि पूँजी कर का प्रभाव वर्तमान प्रयोजनों की अपेक्षा भूतकालीन प्रयोजनों पर पड़ता है, इसलिए यह लोगों के प्रयोजनों तथा माहलों को उत्तम निरस्तग्राहित नहीं कहेगा किन्तु कि आय कर। यद्यपि पूँजी कर के कुछ कर गले हो सकते हैं जो बचतों के बढ़ाने की प्रेरणा को कम कर सकते हैं परन्तु फिर भी कुशलता की दृष्टि से इनका महत्त्व कम नहीं हो पाता।

न्यायगौरवता, समानता तथा कुशलता की दृष्टि से पूँजी कर उपयुक्त माना जाता है परन्तु प्रशंसनीय सिद्धांत के कारण इसकी व्यावहारिक रूप देना सरल प्रयोग नहीं होता।

### पूँजी कर के रूप

पूँजी कर के तीन मुख्य रूप होते हैं (1) अन्तर्गत पूँजी कर (2) मृत्यु कर तथा (3) वार्षिक पूँजी कर अथवा निगुण संपत्ति पर वार्षिक कर। अन्तर्गत पूँजी कर का निर्धारण करदाता की पूँजी या उसके अन्तर्गत अन्तर्गत पर किया जाता है, परन्तु यह कर केवल एक बार ही लगाया जाता है। वार्षिक पूँजी कर नियमित रूप से लिया जाने वाला वार्षिक कर है। मृत्यु कर एक आदर्श कर है जो करदाता की संपत्ति पर लगाया जाता है। यह आदर्श इस अर्थ में है कि संपत्ति का अन्तर्गत बार

भी उत्तराधिकांशिता में अन्नकरण होता है उम पर उतनी ही बार कर अदा करना पड़ता है। साथ ही यह कर अनावर्ती भी है क्योंकि यह जीवन काल में केवल एक बार उम समय अदा किया जाता है जब मपति उत्तराधिकारी को प्राप्त होती है। इन तीनों प्रकार के करों में कुछ समय लक्षण दिखाई देने हैं। प्रथम, यह कर पूजा पर ही लगाए जाते हैं। द्वितीय, इनका निर्धारण करदाता के पूजा मूल्य के आधार पर किया जाता है, करदाता की कुल पूजा की किसी विनिष्ट मद के आधार पर नहीं।

उपहार कर तथा विनियोग करों की समाविष्टी भी पूजा कर के अंतर्गत की जा सकती है। ये भी पूजा अथवा संपत्ति के करारोपण हैं और आवर्ती कर के स्वभाव के हैं।

### अनावर्ती पूजा कर

अनावर्ती पूजा कर तथा विंशत्य ऋण निर्मोचन कर मपति या एकत्र धन पर लगाया गया विशेष कर होता है। प्रथम महायुद्ध काल में ऋणों के भार को कम करने के लिए इस कर का प्रयोग किया गया था। लोगों को अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य में और अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्तियों के हाथों में अनुचित लाभों के मन्त्र को रोकने के उद्देश्य में युद्ध की समाप्ति पर शीघ्र ही युद्धजन्य पूजा पर पूजा कर लगाने का भी मूलायन दिया जाता है। अनावर्ती पूजा कर के माध्यम में मार्गजितिक ऋणों के भुगतान के समय में इस शताब्दी के तीसरे दशक में काफी विवाद रहा है। इस विषय पर म्योग्स अर्थशास्त्री दो दलों में बंट गए हैं। जिन्होंने इस कर का समर्थन किया वे रिवाइटों के पक्ष चिन्हों पर चयन वाले थे। रिवाइटों ने नेपोलियन युद्ध के उपरान्त अनावर्ती पूजा कर के लगाने का समर्थन करते हुए कहा था कि 'भारी ऋण का बोझ जमा करने वाला देश बड़ी विषम स्थिति में पड़ जाता है.....जिस देश ने अपने आपको इस कृत्रिम प्रणाली में उत्पन्न कठिनाइयों में फसा लिया हो, उसके लिए बुद्धिमानी का काम यही होगा कि ऋणों को चुकाने के लिए अपनी मपति के जिस अंश के त्याग की आवश्यकता हो, उसे चुका कर बचन मुक्त हो जाए।'

अनावर्ती पूजा कर के पक्ष में तर्क

जिन व्ययप्राप्तियों ने अनावर्ती पूजा कर का समर्थन किया है उन्होंने इस समय में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं

(1) ऋण भार से शीघ्र मुक्ति पूजा कर के समय में सबसे बड़ा तर्क यह है कि इसमें आय प्राप्त करके मार्गजितिक ऋणों के भार से शीघ्र मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस मद्दर्भ में यह कहा जाता है कि निरंतर पीड़ा सहने की अपेक्षा एक बार भारोपण करके कर रोग दूर कराना बहुत अच्छा है। डाल्टन के अनुसार करदाता के लिए ऐसी सुखता उम समय उत्पन्न होती है जब उसके सामने चुनाव का यह

प्रश्न उठता है कि उभे दर्द में पीड़ित शक्तों को उन्नाव निश्चय देना चाहिए या उन दर्द से निरंतर पीड़ित बना रहना चाहिए ।<sup>1</sup>

(2) धनी एवं निर्धन में त्याग की समानता युद्ध काल में निर्धन तथा मध्यम श्रेणी के वर्गों का अधिक त्याग होता है । वे ही व्यक्ति युद्धकाल में अपनी जान की बाजी लगाते हैं और उनके मूल्यों का हिकार होते हैं । इनके विपरीत ऐसे समय में पूजीपति अधिक लाभ कमाने हैं । इसलिए यह अनुचित होगा कि जो लोग युद्ध में नहीं उन पर ही युद्ध ऋण का भार लाया जाए । इन सबके मध्य कहा जाता है कि 'यदि यह नहीं था कि नवयुवकों को अपने जीवन का अधिकार बनना चाहिए तो यह भी नहीं था कि धनी व्यक्ति अपने धन की लाभपूर्वक विनियोगों में विनियोजित करने के बजाय कर के रूप में दे दें ।' इसलिए जिन लोगों ने युद्धकाल में खूब लाभ कमाया है उन पर पूजी कर लगाकर ऋण की वापसी करनी चाहिए ।

(3) निजी संपत्ति की विपत्तियों को कम करना आज भारी पूजी कर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि उनसे निजी संपत्ति की और कर पूर्व आयों की विपत्तियों कम होती हैं । आवश्यकता होने पर इनका प्रयोग उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दों में उत्पन्न ऋणों को आणिक या पूर्ण रूप में चुकाने के लिए भी किया जा सकता है ।

(4) प्रेरणाहारी आशंका की घटना : पूजी कर वास्तव में तेज गति में ऋण शोधन का एक रूप है । विभिन्न ऋण निर्माण कर किसी भारी कराधान का आधान नहीं अपितु उनके जागी रहने की आशंका ही अक्सर प्रेरणाहारी होती है । जब भारी कराधान की अवधि पूराकर के रूप में संचुचित कर दी जाती है तो मूल्य वह अल्पकाल में भारी हो जाते परन्तु बाद में लोप राहत अनुभव करते हैं । इनसे प्रेरणाहारी आशंका घट जाती है तथा उद्योगों की विकास तथा उन्नति करने के लिए संचुचित अवसर मिल जाते हैं ।

(5) वास्तविक ऋण के भार में कमी : युद्ध समाप्ति के कुछ समय पश्चात् मूल्यों में कमी आने की आशंका बनी रहती है । यदि ऐसा होता है तो सार्वजनिक ऋण का वास्तविक भार बढ़ जाता है, इसलिए पूजी कर द्वारा ऐसे ऋणों का निर्माण तुरन्त करना ही लाभकारी सिद्ध होगा ।

**अनावर्ती पूजी कर के विपक्ष में तर्क**

विपक्ष में निम्नलिखित तर्कों ने मित्रकर अनावर्ती पूजी कर के समर्थकों के विरुद्ध बहुमत उत्पन्न कर दिया -

(1) शायंशील पूजी में कमी : चूंकि पूजी कर की मात्रा अधिक होती है इसलिए अनेक व्यक्तियों द्वारा उनका भुगतान पूजी में से किया जाता है । ऐसा

कर देश की कार्यशील पूजी को घटाना है तथा व्यापार, उद्योग व रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

(2) उत्पादन का निरस्तमाहित होना : इस कर की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह कार्य करने तथा बचन करने को निरस्तमाहित करता है, जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन कम हो जाता है।

(3) सम्पत्ति धारकों के लिए कठिनाई पूजीकर उन सम्पत्तियों के स्वामिदा के लिए विशेष कठिनाई उत्पन्न करता है जिनके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकद राशि नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति का कुछ न कुछ भाग बेचने को विवश होना पड़ता है। यह कर अपने उद्देश्य में उसी समय सफल होता है जब इसे तुरत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् लगा दिया जाता है, क्योंकि उस समय लोगों में युद्ध से उत्पन्न मनोवैज्ञानिक स्थिति बनी रहती है।

(4) पूंजी व साख पर प्रतिकूल प्रभाव मार्क्सवादी ऋण लेते समय सरकार युद्ध पत्रा का प्रयोग करती है। प्रो० शिराज का विचार है कि व्यापारी इन युद्ध पत्रों का प्रयोग अपने व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वरन् इन युद्ध पत्रों की आड़ में भी व्यापारियों को साख प्रदान करते हैं। परन्तु जब यह युद्ध पत्र वापिस कर दिए जाएंगे तो वे इनके उपभोग में बचिन हो जाएंगे, फलतः साख का बहुत बड़ा भाग सकुचित हो जाता है। इसमें मजदूरी तथा मूल्य भी गिर जाते हैं।

(5) प्रशासनिक दृष्टि से अध्यावहारिक कुछ लोगों का यह विश्वास है कि अनावर्ती पूजीकर प्रशासकीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों और ब्याम अशदाताओं का पर्याप्त सहयोग उपलब्ध हो जो दुर्भाग्यवश कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता।

### निष्कर्ष

अनावर्ती पूजी कर के पक्ष तथा विपक्ष में दिए गए तर्कों का अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋण निर्माचन के लिए कोई ऐसी आर्थिक नीति नहीं अपनानी चाहिए जो बचन तथा विनियोग पर बुरा प्रभाव डाले। यदि पूजीकर से पूजी निर्माण में अवरोध उत्पन्न होता है, उत्पादन निरस्तमाहित होता है तथा उद्योग और व्यापार के विकास में बाधाएँ उत्पन्न हानी हैं तो इसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। मनमुशिना शुनारो न जहा है कि 'मक्षेप म छन्न, अममानताए, व्यापारिक उपद्रव बृहत् पूजीकर के आवश्यक परिणाम हैं ..... पूजीकर का प्रयोग उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक वह अति आवश्यक न हो।' ऐसी ही विचार श्रीमती हिक्स ने इस प्रकार व्यक्त किया है, 'एक अनावर्ती कर अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बड़े शल्य चिकित्सक के समान होता है यह उसे या तो ठीक ही कर देता है या समाप्त कर देता है, और सामान्य कर मरचना

के द्वारा दी गई नियमित खुराक एवं नौ गंठे मानिस के प्रभावों से विरक्त भिन्न होता है।'

मृत्यु कर

आजकल लगभग सभी प्रजातन्त्र देशों में मृतक से उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होने वाली संपदाओं पर लगाया जाने वाला कर संपूर्ण कर व्यवस्था का एक अंग बन गया है। यह बात सच है कि जिन प्रकार सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा का भार उसी मृत्यु के बाद उठानी है उसी प्रकार उत्तराधिकारियों को उनसे हस्तान्तरित होते समय उनका कुछ भाग लेना भी उसने लिए वाञ्छनीय है। उत्तराधिकार के सबंध में ग्रेडम्योन द्वारा प्रकट किया गया यह विचार बहुत उपयुक्त है कि सरकार के लिए नागरिकों की संपत्तियों को पूर्ण सुरक्षा के साथ उस बड़ी बाधा के, जिसे मृत्यु एवं मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच खड़ा कर देती है, पार ले जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा करते समय यदि सरकार मृत्यु के उपरांत मृतक की संपत्ति के कुछ अंश को जनहित के लिए उत्तराधिकारियों से ले लेती है, तो इसे तनिक भी अनुचित नहीं माना जा सकता है।

मृत्यु-कर के प्रकार

(1) मृतक संपदा कर इस प्रकार का कर हस्तांतरित होने वाली संपत्ति के कुल मूल्य के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। इसमें विभिन्न उत्तराधिकारियों की कितनी संपदा भिन्नती है, इस पर कोई विचार नहीं किया जाता। मृतक संपदा कर में प्राप्त एक-सभी ही समान छूट की व्यवस्था की जाती है। यह ही सक्ता है कि इसके अंतर्गत आश्रितों की सख्या के अनुसार और आश्रितों एवं मृत व्यक्ति के पारम्परिक संबंधों के अनुसार विशेष छूटें भी प्रदान की जाए।

(2) उत्तराधिकार कर उत्तराधिकार कर की द्रों, मृतक से उत्तराधिकारी का क्या संबंध है, इसी पर आधारित की जाती है। मृतक की कुल संपत्ति की दृष्टि में उत्तराधिकार कर नहीं लगता, अपितु उत्तराधिकारी को उस संपत्ति से प्राप्त होने वाले अंश पर ही उत्तराधिकार कर लगता है। मृतक और उत्तराधिकारी के संबंध की घनिष्ठता अधिक होने पर उत्तराधिकार कर की दर कम और घनिष्ठता कम होने पर अथवा संबंध दूर का होने पर कर की दर अधिक हो जाती है।

मृत्यु-कर के इन दोनों रूपों में प्रशानतिक मुविधा तथा परिष्कार की निश्चितता रहती है। मृतक संपदा कर अधिक सरल तथा स्याद्ध होता है। इसका कारण यह है कि इसके अंतर्गत विभिन्न उत्तराधिकारियों को मिलने वाले अंश के मूल्य के निर्धारण जैसे अत्यधिक जटिल कार्य को दृष्टि में नहीं रखा जाता है। यह कर उत्तराधिकारी की कर भदा करने की योग्यता पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इसके विपरीत उत्तराधिकार कर के अंतर्गत इस बात का निरंतर ध्यान रखा जाता है कि मृतक तथा उत्तराधिकारियों के बीच क्या संबंध है और प्रत्येक

उत्तराधिकारी का कितना भाग है। इस प्रकार उत्तराधिकार कर उत्तराधिकारी के मृतक से सबंध को विशेष महत्व प्रदान करता है। इसका परिणाम यह होता है कि दूर के सबंधियों की तुलना में विधवा एवं पुत्रों जैसे निकट के उत्तराधिकारियों पर कर का अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है। इसलिए उत्तराधिकार कर को मृत सपदा कर का ही एक सुधरा हुआ रूप माना जाता है।

मृत्यु कर के पक्ष में तर्क

यद्यपि मृत्यु कर के लागू करन में विवाद बहुत कुछ समाप्त हो चुका है, परन्तु अल्प-विकसित देशों के सर्वांग में यह विषय अब भी विवादग्रस्त बना हुआ है। मृत्यु करों के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले मुख्य तर्क इस प्रकार हैं

(1) मृत्यु कर का भार धनिक वर्ग पर मृत्यु करों का भार संपत्ति के उत्तराधिकारियों पर ही पड़ता है और यदि वह मृत व्यक्तियों पर भी पड़े (अर्थात् उन व्यक्तियों पर जो अपने पीछे संपत्ति छोड़ जाते हैं) तब भी स्पष्ट रूप से इन करों का भार एक विशेष वर्ग अर्थात् धनिक वर्ग पर ही पड़ता है। यदि सरकार इस विशेष वर्ग पर कर लगाना चाहे तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मृत्यु कर बड़े उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। इनमें इस बात का कोई डर नहीं रहता कि वही इन करों का अन्य वर्गों पर विवर्तन न हो जाए।

(2) समता एवं न्याय के सिद्धांत पर आधारित : संपत्ति को कराधान का एक उपयुक्त साधन माना जाता है। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत उसके धन के हस्तांतरण का समय ही राज्य के लिए कर लगाए जाने का उपयुक्त अवसर होता है। इस कर के विरोध में यह सरलता से कहा जा सकता है कि यहाँ कर अदा करने की योग्यता का विचार स्पष्ट नहीं है क्योंकि सिद्धांत का लक्ष्य मृतक भी हो सकता है और उसके उत्तराधिकारी भी। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु कर लगाने का समय उत्तराधिकारी के लिए उपयुक्त न हो और विशेष रूप से जबकि उत्तराधिकारी विधवा हो। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि उत्तराधिकारियों का सबंध मृतक से कितना दूर होता जाता है, कर लगाने में न्यायशीलता उतनी ही अधिक होनी जाती है क्योंकि उसे वह धन प्राप्त होता है जिसकी सभ्यता उसे आशा नहीं थी। इसलिए सरकार के लिए मृत्यु कर की वसूली का वही समय उचित होगा जब उत्तराधिकारी को संपत्ति का हस्तांतरण हो।

(3) वितरण की असमानता को दूर करने में सहायक : मृत्यु कर से आय की असमानता को कम करने में सहायता मिलती है। आय की असमानता का सबसे महत्वपूर्ण कारण संपत्ति वितरण की असमानता है। संपत्ति वितरण की असमानता लाने में उत्तराधिकारिता से प्राप्त होने वाली संपत्तियों का विशेष हाथ होता है। एक संपन्न मृतक के उत्तराधिकारियों को अन्य उत्तराधिकारियों की तुलना में



आय अर्जित करने की क्षमता और क्षेत्र बढ़ाने के अश्विक अवसर मिलते हैं। इसके परिणामस्वरूप आय की असमानता पीटी दर पीटी बनी रहती है। इन त्रय को समाप्त करके नयी पीटी को आय बनाने का समान अवसर सुवर्ण करने के लिए उत्तराधिकारिता में प्राप्त संपत्तियों पर कर लगाना पूर्णतया न्यायोचित है।

(4) अनर्जित आय की समाप्ति में सहायक : मृत्यु कर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि उत्तराधिकारी एसी आय प्राप्त करते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के परिश्रम और त्याग का फल होता है इसलिए वह अनर्जित आय है। यह ठीक है कि उत्तराधिकारी इस बात का अधिकारी हैं कि बचक होने तक उसे पर्याप्त शिक्षा तथा सहायता मिले। परन्तु इनमें अधिक वह जो कुछ प्राप्त करता है उसे विशेषाधिकार ही कहा जाएगा। इसलिए न्याय व आधार पर यह कहा जा सकता है कि अनर्जित आय अर्जित आय की तुलना में अधिक भार महन कर सकती है।

(5) अवसर की समानता : मृत्यु कर के पक्ष में एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि आय की असमानता की वर्तमान पद्धति असमान अवसरों को जन्म देती है जिसमें आय बनाने की क्षमता की असमानता भी बढ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्यु कर लागू करने में सभी प्रकार की असमानताएँ दूर होंगी और सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे।

(6) मृत्यु कर आय कर का पूरक : मृत्यु कर के पक्ष में एक अन्य तर्क यह दिया जाता है कि यह आय कर के पूरक के रूप में उपयोगी सिद्ध होता है। आय कर या अन्य अल्पप्रतिशत करों के अतिरिक्त व्यक्तिगत संपत्तियाँ जैसे प्रतिभूतियाँ जवाहरात, बहुमूल्य चित्र और इस प्रकार की आय व उपाजित करने वाली संपत्तियाँ करारोपित नहीं होतीं। लेकिन मृत्यु कर के अधीन मृतक से उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होने वाली सभी संपत्तियों पर प्रायः कर लगाया जाता है।

(7) मृत्यु कर में निश्चितता और सुविधा का गुण : मृत्यु कर में एहन समय के कर संबंधी निश्चितता और सुविधा के निश्चयों की भी पूर्ण प्रति होती है। किसी व्यक्ति से इस कर के रूप में प्राप्त होने वाली राशि संख्या निश्चित होती है। भुगतान का समय, टय और राशि भी मृतक, करदाता तथा अन्य किसी भी व्यक्ति की दृष्टि में सरल और स्पष्ट होती है। अतः में यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु कर का भुगतान संपत्ति के स्वामी अथवा उनके उत्तराधिकारी की दृष्टि में बहुत सुविधापूर्ण होता है। इसे बिनाबिन आय कर कहा जा सकता है, क्योंकि इसका भुगतान उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि मृतक से उत्तराधिकारी को संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो जाता।

मृत्यु कर के विपक्ष में तर्क

मृत्यु कर के प्रयोग के संबंध में कुछ आपत्तियाँ प्रायः उदाई जाती हैं।

डाक्टर बेनहम ने मृत्यु कर की व्याख्या करते हुए प्रथम दो आपत्तियों को प्रमुखता दी है

(1) मृत्युकर द्वारा प्राप्त राशि निश्चित नहीं : इस कर से कितनी राशि प्राप्त हो सकेगी इसका निश्चित रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वप क प्रारंभ में यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि किम वग के कितने व्यक्ति वप भर में मरेगे जिससे उनकी संपत्ति का हस्तांतरण उनके उत्तराधिकारियों को होते समय यह कर लग सके। पिछले अनुभव केवल अनुमान मात्र का आधार ही प्रस्तुत कर सकते हैं।

(2) मृत्यु कर, कर भार में असमानता उत्पन्न करते हैं : मृत्यु कर के विषय में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि इससे संपदाओं पर पड़ने वाले कर भार में असमानता उत्पन्न होती है। यह आवश्यक नहीं है कि एक ही मृत्यु वाली संपदाएँ विभिन्न नागरिकों पर समान कर भार डालें क्योंकि दीर्घवालीन अवधि में जिस संपदा का मृत्यु के कारण हस्तांतरण कितनी अधिक बार होगा उस पर मृत्यु कर का भार भी उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत, जिस संपदा का हस्तांतरण उस अवधि में कम बार अथवा एक ही बार होगा उस पर मृत्यु कर का भार भी कम होगा। परंतु इस दोष को दूर करने का उपाय यह है कि एक निश्चित न्यूनतम अवधि के अंतर्गत यदि किसी परिवार में पुनः मृत्यु हो जाए और संपदा का पुनः हस्तांतरण हो जाए तो उस दशा में कुछ छूट दे दी जाए या उस संपदा पर नीची दर में कर लगाया जाए।

(3) संपत्ति के मूल्य में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते हैं : मृत्यु कर को इसलिए अनुपयुक्त ठहराया गया है क्योंकि संपत्ति के मूल्य में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। अतः किसी उत्तराधिकारी पर मृत्यु कर का कितना भार पड़ेगा, यह इन बातों पर निर्भर होगा कि संपत्ति के स्वामी की मृत्यु तेजीकाल में हुई है या मदीकाल में। मदीकाल में संपत्ति के मूल्य गिर जाने से मृत्यु कर का भार हल्का और तेजीकाल में अधिक होगा। जैसा कि प्रो. जे० वे० मेहता न लिखा है, हर उत्तराधिकारी इस कर का भार कम से कम सहन करने के लिए यही अभियान्चना करेगा कि पिताजी आप जब स्वर्ग सिधारेँ कृपया मदीकाल में ही सिधारेँ।

(4) संपत्ति की प्राप्ति उत्तराधिकारी के आर्थिक बल्याण में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं करती : मृत्यु कर के विरुद्ध यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि वसीयत के रूप में जो संपदा छोड़ी जाती है वह अधिकतर मृतक से उसकी विधवा पत्नी तथा नावाधिम वस्त्रों को ही हस्तांतरित होती है। केवल संपत्ति पर अधिकार पा जाने में उनके आर्थिक बल्याण में कोई वास्तविक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि संपत्ति के हस्तांतरण से पूर्व भी तो वे उसका प्रयोग करते थे। वास्तविकता तो यह है कि व्यक्ति की मृत्यु में परिवार की आय का मुख्य स्रोत ही छिन जाता है। यह तर्क वास्तव में मृत्यु कर के विरोध में उनका नहीं जितना कि वसीयत के पक्ष में है। कुछ भी हो, वसीयत द्वारा प्राप्त संपदा एक आकस्मिक लाभ की प्रकृति का है। इसलिए इसे

साधारण आय की तुलना में अधिक करदेय क्षमता का सूचक मन्ना जा सकता है। उनके अतिरिक्त मृदा व्यय के निवृत्त के आधितो पर अपक्षायित नीची दर से कर लगाकर भी इन करों की कटौती को कम किया जा सकता है।

(5) पूँजी के संचय को निरस्तार्हित करते हैं मृत्यु कर व विरुद्ध सब न बड़ा आरोप है कि इसके द्वारा पूँजी का संचय निरस्तार्हित हो जाता है। मृत्यु कर पूँजी के संचय को दो प्रकार न रोकते हैं प्रथम, काफी बड़ी मात्रा में बचत संग्रहण को मृत्यु कर के रूप में हस्तान्तरित हो जाती है और द्वितीय, यह कर बचतों को निरस्तार्हित करता है।

मृत्यु कर संचय करने वाले व्यक्ति के लिए पर लटकी हुई तत्वार व समान है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि उसके संचित धन का एक भाग जो काफी बनी मात्रा में भी हो सकता है, सरकार द्वारा कर के रूप में से लिया जाएगा, तो धन के संचय में उसकी रुचि अल्प ही समाप्त हो जाएगी। मृत्यु कर पिछली बचतों में कटौती करता है, अल्पसा के बचतें उन्नाधिकारियों को प्राप्त होतीं और उनमें न भिन्न न अब उनकी भविष्य में बचत करन की क्षमता कम हो जाएगी।

(6) उत्पादन इकाइयों पर प्रतिफल प्रभाव यदि व्यवसाय किसी एक उद्यमकर्ता द्वारा चलाया जा रहा है तो उसकी मृत्यु होने पर मृत्यु कर लगने से उद्यम भंग होने की संभावना हो जाती है। मृत्यु कर लगने के कारण छोटे-छोटे व्यवसाय इस बात के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वे स्वयं को बड़ी-बड़ी मण्डलिकारी संस्थाओं को बेच दें। यही नहीं, मृत्यु कर भुगतान करने की संयोगों में संपत्ति को तरल रूप में रखने का परिणाम यह हो सकता है कि उनका उपयोग उत्पादन कार्य में न हो सके। परंतु इस तरह की दान्तविक्रमता इसलिए कम हो जाती है कि आदनाधिकारों के पास मृत्यु कर में निवृत्त के लिए दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जैसे, बीमा आदि।

(7) मृत्युकर मितव्ययता, परिश्रम और बुद्धिमत्ता को दंडित करता है: मृत्युकर के विपक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि यह मितव्ययता, परिश्रम और बुद्धिमत्ता को दंडित करता है। परंतु ऐसा तर्क तो प्रायः प्रत्येक कर के विरुद्ध दिया जाता है। स्मरण रहे कि संपत्ति के निर्माण के लिए बेचन मितव्ययता, बुद्धिमत्ता तथा परिश्रम ही आवश्यक नहीं होते, संचय करने के लिए तो अन्य व्यक्तियों के सहयोग तथा देश में प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा वैधानिक शक्ति का भी भारी योगदान रहता है। इस संबंध में प्रो. डी.एच.० वोन ने लिखा है कि, 'बनीरत प्राप्त करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकार में जो कुछ पाता है वह दान्तव्य में प्रत्येक मात्र ही नहीं होता अपितु समाज की उत्पादन क्षमता पर एक अधिकार होता है। यह उत्पादन क्षमता चूंकि उत्तराधिकारियों के विचार का परिणाम होती है इसलिए दान्तविक्रम रूप में तो यह एक सामाजिक उत्पत्ति तथा सामूहिक रूप में सभी की संपत्ति होती है और उनमें सभी को हिस्सा पाने का अधिकार होता है।'।

## निष्कर्ष

मृत्यु कर के विपक्ष में दिये गए तर्कों के बावजूद भी अधिकांश देशों की कर व्यवस्था में इसका प्रयोग किसी न किसी नाम के अंतर्गत होता है। इस प्रयोग का सबसे बड़ा कारण वे गुण ही हैं जिनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। प्रजातन्त्रात्मक पद्धतियों में समाजवादी समाज की रचना का प्रयास जिन देशों में हो रहा है वहाँ इस कर का प्रयोग अपरिहार्य बन चुका है।

### रिगनानो की योजना

इटली के अर्थशास्त्री प्रो रिगनानो ने मृत्यु कर का अध्ययन दो दृष्टिकोणों से किया है

(1) व्यक्ति की वचन करने की इच्छा पर मृत्यु कर का क्या प्रभाव पड़ता है ?

(2) मृत्यु कर धन के वितरण की विषमता को कहा तक दूर करता है ?

रिगनानो ने मृत्यु कर के संबंध में एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसके द्वारा तीन पीढ़ियों में करदाता की संपूर्ण संपत्ति सरकार के स्वामित्व में आ सकती है। उनका यह विचार है कि जब मृतक की संपत्ति का हस्तांतरण हो तो प्रथम उत्तराधिकारी पर करारोपण की दर नीची होनी चाहिए और उसके पश्चात् जैसे ही वही संपत्ति दूसरे और तीसरे उत्तराधिकारी को अंतरित होती है, वैसे ही करारोपण की दर बढ़ती जानी चाहिए। इसे हम एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। 'अ' एक व्यक्ति है तथा 'ब' एक व्यक्ति है तथा 'ब' उसका उत्तराधिकारी है। 'अ' की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति 'ब' को हस्तांतरित होती है। 'ब' को उत्तराधिकार में मिलने वाली संपत्ति पर मृत्यु कर कुल संपत्ति का एक तिहाई होना चाहिए। अब 'ब' भी अपने जीवन काल में कुछ और संपत्ति अर्जित करता है तथा उसकी मृत्यु पर उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी 'स' को अंतरित हो जाती है। 'स' को मिलने वाली संपत्ति दो प्रकार की होगी। प्रथम वह संपत्ति जो 'अ' से 'ब' को मिली थी और अब वह 'स' को मिलेगी तथा दूसरी वह संपत्ति जो 'ब' ने अर्जित की। प्रो रिगनानो का यह तर्क है कि क्योंकि 'अ' का 'स' से दूर का संबंध है इसलिए 'अ' की जो संपत्ति 'स' को अंतरित हो रही है उस पर करारोपण की दर ऊंची होनी चाहिए। 'ब' और 'स' का संबंध निकट का है इसलिए 'ब' से 'स' को मिलने वाली संपत्ति पर करारोपण की दर नीची होनी चाहिए। इस प्रकार 'अ' की जो संपत्ति 'स' को हस्तांतरित होती है उसका दो तिहाई भाग सरकार को कर के रूप में वसूल करना चाहिए तथा शेष एक तिहाई भाग 'स' के पास छोड़ देना चाहिए। 'ब' की जो संपत्ति 'स' को हस्तांतरित होती है सरकार को उसका केवल एक तिहाई भाग ही कर स्वरूप लेकर शेष दो तिहाई भाग 'स' के स्वामित्व में छोड़ देना चाहिए। 'स' की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति 'द' को हस्तांतरित होती है। अब चूंकि 'अ' की संपत्ति की तीन पीढ़ियाँ पूर्ण हो चुकी हैं

इसलिए सरकार को 'अ' की शेष संपत्ति को 'द' के पास नहीं जाने देना चाहिए, अर्थात् कर के रूप में वसूल कर लेना चाहिए। चूंकि 'ब' की दूसरी पीढ़ी आ चुकी है इसलिए इनकी संपत्ति का 2/3 कर के रूप में और 'स' की पहली पीढ़ी है इसलिए उसकी संपत्ति का केवल एक तिहाई भाग ही कर के रूप में वसूल करना चाहिए। इस प्रकार रिगनानो की योजना के अनुसार एक व्यक्ति की पूर्ण संपत्ति तीसरे उत्तराधिकारी तक पहुंचते-पहुंचते करारोपित कर ली जाती है।

**योजना के गुण** रिगनानो की योजना में निम्न गुण दृष्टिगोचर होते हैं

(1) इस योजना के अंतर्गत संपत्ति का अत धीर-धीर किया जाता है। इसलिए अधिक भार का अनुभव नहीं होता है।

(2) इसमें आरोही करारोपण को अपनाया गया है जिसमें नावैजनिक आय तथा धन के वितरण में समानता मरलता में लाई जा सकती है।

(3) इस योजना में उत्तराधिकारी के मृतक में मवध के आधार पर ही कर की दर निर्धारित की गई है।

(4) यह योजना उत्तराधिकारी की मनोबैज्ञानिक दशा पर आधारित है। प्रायः मनुष्य की यह मनोवृत्ति होती है कि वह हमरे से प्राप्त की गई वस्तु को अधिक महत्व प्रदान नहीं करना इसलिए उसे उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति का बड़ा भाग मृत्यु कर के रूप में देने में कोई आपत्ति नहीं होती।

(5) इस योजना में संपत्ति को उत्पन्न करने तथा एकत्रित करने की क्रिया को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि प्रथम उत्तराधिकारी को प्राप्त हुई संपत्ति का अधिक भाग करारोपण के रूप में अदा नहीं करना पड़ता। इसलिए हर व्यक्ति का यही प्रयास होगा कि वह अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति जुटा ले जिसमें कि उसके उत्तराधिकारी का जीवन स्तर ठीक बना रहे।

**योजना के दोष** इस योजना में जो मुख्य अक्षयगुण हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है -

(1) यह योजना अव्यवहारिक है। इसके अंतर्गत संपत्ति के अनेक खंड बना कर विभिन्न दरों की जो व्यवस्था की गई है वह बहुत अधिक जटिल है।

(2) यह योजना पूँजी के संचय को निर्माहित करती है। यदि इस योजना को कार्यान्वित किया जाए तो व्यक्ति का यह विश्वास, कि दो पीढ़ियों के उपरांत अपनी संपूर्ण संपत्ति सरकार के स्वामित्व में चली जाएगी, नविष्य में संपत्ति का एक पूँजी के निर्माण को हतोत्साहित कर देगी। यदि कोई व्यक्ति धन का संचय करेगा भी तो वह उसे अपने जीवन काल में ही खर्च करने का प्रयास करेगा।

(3) कुछ लेखकों ने इस योजना को अनैतिकता पर आधारित ठहराया है। एक व्यक्ति संपत्ति का संचय इस उद्देश्य में करता है कि उसके मृत्यु के उपरांत उसके उत्तराधिकारी लाभान्वित होंगे। यदि सरकार मृत्यु करारोपण के द्वारा

उसकी संपत्ति छीन लेती है तो यह मूलक तथा उससे उत्तराधिरारियों की भावनाओं के प्रति कुठाराघात होगा।

प्रो जे०के० मेहता के विचारानुसार रिगनानो की योजना बहुत अधिराज्यवादी है। समाजवादी समाज की व्यवस्था स्थापित करने के लिए यह योजना एक उत्तम माधन के रूप में स्वीकार की जा सकती है। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह बचता को निरुत्साहित करेगी तथा व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसलिए इस योजना को वही भी बर्बाद नही किया गया है।

### उपहार कर

उपहार कर एक ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो व्यक्तियों कर्तव्यों फर्मों तथा व्यक्तिगत संधों द्वारा दिए गए उपहारों पर लगया जाता है। इन कर का उद्देश्य आय प्राप्ति के साथ साथ मृत्यु कर वचना को दूर करना है। यह कर भारत में 1958 में लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त यह कर संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रांडा आस्ट्रेलिया स्वीडन नीदरलैंड जापान तथा इंग्लैंड में काफी समय पहले से लागू है।

#### उपहार के प्रकार

व्यक्ति के जीवन काल में संपत्ति के हस्तांतरण को उपहार कहा जाता है। मृत्यु के समय संपत्ति के हस्तांतरण को वसीयत या उत्तरादान की शक्ति दी जाती है। हमें यह नहीं भ्रूना चाहिए कि उपहार तथा वसीयतों के रूप में छोड़ी गई संपत्तियाँ एक ही प्रवृत्ति की होती हैं इसलिए एक के कराधान का प्रभाव दूसरे के हस्तांतरण को अवश्य प्रभावित करता है। इन उपहारों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है

(क) मृत्यु शया के उपहार मृत्यु शया के उपहार की सहा उन उपहारों को दी जाती है जो मरते समय व्यक्ति प्रदान करता है। इन प्रकार के उपहार उस समय त्रियाशील नहीं होते जब दान देने वाला अपनी मृत्यु से पहले ही उठे रह कर देता है या वह अपनी बीमारी से ठीक हो जाता है या फिर प्राणवर्त्ता की मृत्यु दान देने वाले अथवा दानार से पहले ही हो जाती है। वरन्ध में यह शकत उपहार होने हैं और दानार की मृत्यु होने पर ही त्रियाशील होने हैं।

(ख) जीवित दान में दिए गए उपहार ये वे उपहार हैं जो एक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल के किसी भी समय प्रदान किए जाते हैं। जीवित दान में दिए जाने वाले उपहारों के सम्बन्ध में यह कानूनी व्यवस्था होती है कि ये मृत्यु होने से तत्पने दिन पूर्व दिए जाने चाहिए। इस अवधि का निर्धारण एक निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। प्रायः यह देया गया है कि मृत्यु कर में बचने के लिए व्यक्ति अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उपहार देने की क्रिया प्रारम्भ कर देता है।

उपहार कर के पक्ष में तर्क

उपहार कर के लगाने की पुष्टि करारोपण के कुछ मुख्य सिद्धांतों जमे—

कर बचन की रोक-थाम, नमस्त्व, प्रयासनिष्ठ सुगन्ध तथा सनता एव न्याय के आधारे पर की जाती है। उपहार कर के पक्ष में सुन्दर तिल्ल उर्बं दिए जाते हैं।

(1) संपत्ति शुल्क के छिपावों की मनाशि उपहार कर के पक्ष में यह विचार प्रकट किया जाता है कि संपत्ति शुल्क में बचने के लिए लोग अपनी मृत्यु की संभावना के बहाने पहले ही अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों को अर्पित कर देते हैं। सभी विधेय नवनों पर लोग अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग अपने पुतों, प्रपुत्रों को उपहार के रूप में दे देते हैं। विवाह, दम्पनता-प्राप्ति अपना पृथक् व्यवसाय की स्थापना आदि ऐसे अवसर हैं जब परिवार के मुख्य वर्ग अपने उत्तराधिकारियों को पर्याप्त संपत्ति हस्तांतरित कर देते हैं। संपत्तियों का यह हस्तांतरण वसीयतनामों के तन्म में होने वाले हस्तांतरण में भिन्न नहीं समझा जा सकता।

(2) सनत्व की दृष्टि से आबरवक : अनेक देशों के मृत्यु कर विधानों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मृत्यु के पूर्व कुछ निश्चित अवधि के पहले लिए गए संपत्ति सवधी हस्तांतरणों पर कर की छूट मिलती है। कर छूट की अवधि को अधिक सीमित बनाने का प्रयास प्रायः इस तथ्य को दृष्टिगत रख कर किया जाता है कि मृत्यु के पूर्व वाली अवधि में जितने भी धन अर्पण किए जाते हैं वे सभी कर में बचने के लिए होते हैं। इन तथ्यों को यदि सनत्व के सिद्धांत में देखा जाय तो स्पष्ट होगा कि मृत्यु से कुछ समय पूर्व हस्तांतरण की गई संपत्ति को कर मुक्त रखना तथा मरने के पश्चात् अपना उसके कुछ ही समय पूर्व हस्तांतरित हुई संपत्ति पर कर लगाना उचित नहीं समझा जा सकता। जब संपत्ति शुल्क में वृद्धि अवधि होती है तो बरदाश्त यह प्रयास करते हैं कि उनके मरणापरांत कम से कम संपत्ति बचे ताकि संपत्ति शुल्क नीची दर में अदा करना पड़े और कुछ संपत्ति शुल्क की राशि कम की जा सके। इन दोषों को दूर करने के लिए तथा संपत्ति सवधी कर दायित्व में सनत्व के लिए संपत्ति शुल्क के माप उपहार कर लगाना आवश्यक है। अवधि सवधी सीमा के प्रावधान के कारण मरने के बाद लगने वाले संपत्ति-शुल्क की अनिश्चितता की ओर जो वेन्टार का भी संकेत रहा है। उनके अनुसार यदि मरवार मृत्यु के पूर्व हस्तांतरित होने वाली संपत्ति पर कर भार हल्का करने का प्रयास करती है तो मृत्यु के बाद कर दायित्व की मात्रा उतनी ही अनिश्चित हो जाती है।

(3) आर्थिक औचित्य : अनेक सनत्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु आर्थिक औचित्य की दृष्टि में भी उपहार कर का लगाना आवश्यक समझा गया है। इतिहास हमारे यहाँ पर व्यवस्था को सर्वोत्तम बनाने के लिए प्रयत्न करने के अंतर्गत जान कर, संपत्ति शुल्क और धन कर के माप उपहार कर लगाने की व्यवस्था भी की गई है।

(4) समता एवं न्याय का दृष्टिकोण : सनता एवं न्याय की दृष्टि से ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि वसीयत अवस्था उपहार द्वारा संपत्ति हस्तांतरित

किए जाने में व्यक्ति के अधिकार के मध्य भेद किया जाए। यदि बर्मीयता पर कर लगाया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि अन्य हस्तांतरण पर कर न लगाया जाए। यदि मृत्यु कर को न्यायोचित कहा जा सकता है तो जीवन दशा में दिए जाने वाले उपहारों पर लगाए गए करों को भी न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इसलिए न्याय तथा समता की दृष्टि से यह उचित ही होगा कि संपत्ति के सभी निशुल्क एवं ऐच्छिक हस्तांतरणों पर कर लगाया जाए— भले ही हस्तांतरण का ढंग या रूप कुछ भी क्या न हो।

प्रो० बोल्डार ने सभी प्रकारों के उपहारों पर केवल एक ही एकीकृत कर लगाने की सिफारिश की थी। इनके मुद्दाव के अनुसार एक सामान्य उपहार कर के अंतर्गत बर्मीयता एवं उत्तराधिकारों की संपत्ति पर लगने वाले वर्तमान कर भी सम्मिलित होंगे। यह कर संपत्ति तथा उपहारों के सभी निशुल्क तथा ऐच्छिक हस्तांतरणों पर भी लगाया जाएगा जो उक्त समय उपहार कर में मुक्त होंगे। बोल्डार द्वारा एकीकृत कर का मुद्दाव समता एवं न्याय उपयुक्तता तथा प्रशासनिक कुशलता के आधार पर दिया गया था जिनका विस्तृत वर्णन पहले किया जा चुका है।

प्रो० बोल्डार ने इस तथ्य पर अधिभार दे दिया कि उपहार कर पूर्णतः जाय-दाद पर नहीं पड़ना चाहिए अपितु लाभ प्राप्तवर्तियों पर पड़ना चाहिए। समता एवं न्याय के आधार पर आरोहण की दर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कुल धनराशि के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए। किसी व्यक्ति द्वारा छोटी गई कुल संपत्ति को उपहार कर का आधार नहीं मानना चाहिए क्योंकि उपहार कर मृत्यु कर से कर वचना को दूर करने में सहायक होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर उपहार कर का भार हल्का रखना चाहिए जो अपनी संपूर्ण जायदाद निम्न एक व्यक्ति के लिए नहीं बरन अनेक व्यक्तियों लिए छोड़ रहा है। ऐसा व्यक्ति धन के विकेंद्रीकरण में स्वयं सहायक सिद्ध होता है। यदि मृत्यु कर अधिभार कर दिया गया तो धनी व्यक्तियों को यह प्रलोभन मिलेगा कि वे अपनी संपत्ति को अपने जीवनकाल में ही व्यय कर देय करों की एकीकृत व्यवस्था द्वारा इस प्रेरणा को निरस्तार्हित किया जा सकता है क्योंकि वर्तमान प्रणाली में जीवित दशा में दिए जाने वाले उपहारों को कर से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रलोभन को रोका जा सकता है यदि धनी व्यक्ति को इस बात की अनुमति दे दी जाए कि वह अपनी संपत्ति को लाभ प्राप्तवर्तियों की एक बड़ी संख्या में फँसा सके।

### भारतीय उपहार कर की मुख्य विशेषताएँ

भारतीय उपहार कर सन् 1958 में बनाए गए। तत्समवधी अधिनियम के अनुसार इसे 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष में दिए गए उपहारों पर कर लगाया जाता है। यह कर ऐसे अपंगों पर लगाया जाता है जहाँ व्यक्तियों, हिंदु-अभिभक्त परिवारों,



वपनियों फर्मों और ब्यक्तिवो के अन्य नघो द्वारा दिए गए हो। उपहार कर अधि-  
नियम के अंतर्गत निम्नांकित उपहार कर से मुक्त किए गए हैं

(1) यदि उपहार किसी ऐसी अचल संपत्ति का हुआ हो जो भारतीय सीमा  
के बाहर हो :

(2) यदि भारत के बाहर स्थित चन संपत्ति का अर्पण किसी ऐसे व्यक्ति  
द्वारा दिया गया हो जो न तो भारत का नागरिक हो और न पिछले वर्ष में भारत  
का निवासी हो ।

(3) यदि उपहार सरकार या किसी स्थानीय अधिकारी को दिया गया हो ।

(4) यदि उपहार किसी ऐसे आश्रित को उसके विवाह के अवसर पर दिया  
गया हो जो पूर्णतः अपने जीवन विवाह के लिए करदाता पर निर्भर हो। तब यह  
छूट अधिक से अधिक दस हजार रुपये के मूल्य की संपत्ति तक हो सकती है।

(5) यदि उपहार पति द्वारा पत्नी को या पत्नी द्वारा पति को पिछले  
वर्ष या वर्षों में दिया गया हो परन्तु जिसका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न हो।

(6) पत्नी के अनिरिक्त अन्य किसी पूर्णतः आश्रित को जीवन बीमा पत्र  
अथवा वापिकी पत्र अर्पित किया गया परन्तु उसका मूल्य दस हजार रुपये से अधिक  
न हो।

(7) किसी बसीयतनामे में अर्पित की गई संपत्ति।

(8) उस सीमा तक अपने बच्चों के शिक्षा हेतु अर्पित संपत्ति जिससे कर-  
अधिकारी उचित समझता हो।

(9) किसी उद्योग, पेशे या व्यवसाय संचालन के हेतु दिए गए सभी उपहार  
जिन्हें कर-अधिकारी उनके संचालन के लिए उचित समझता हो।

उपहार कर की बमूली प्रायः अर्पणकर्ता से की जाती है। परन्तु जहाँ कर-  
अधिकारी अर्पणकर्ता से कर उपाने में कठिनाई अनुभव करता है तो यह कर संपत्ति  
के प्राप्तकर्ता से भी बमूल किया जा सकता है। किन्तु संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति  
में कर की वही राशि बमूल की जा सकती है जो उपहार में प्राप्त संपत्ति से मुद्रम  
हो।

एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

प्रो० कोटडार ने भारत में उपहार कर को लागू करने की जो अपेक्षा  
प्रस्तुत की थी, भारत सरकार ने उसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। प्रो० कोटडार  
उपहार पाने वाले व्यक्ति पर कर लगाना चाहते थे, साथ ही उनका यह भी मुताब था  
कि यह कर उपहार के मूल्य पर नहीं अपितु उपहार के मूल्य में उपहार पाने वाले  
की संपत्ति में सम्मिलित करके, उसकी विगुण संपत्ति पर लगाया जाए। परन्तु हमारे  
यहाँ यह कर उपहार देने वाले पर और उपहार के मूल्य पर, लगाया जाता है।

इसने अतिरिक्त प्रो० कोल्डार इमको मृत्यु कर के स्थान पर लगाना चाहते थे जबकि इस मृत्यु कर के साथ लगाया गया है।

दूसरे, भारत में इस कर की उपपुञ्जता तथा सफलता के सबंध में अनेक व्यक्तियाँ न सदेह प्रकट किया है। इनके व्यक्तियों द्वारा विरोध निम्नांकित आधारों पर किया गया है

(1) हमारे देश में इस कर के विरोध का कारण मूलतः मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यहाँ धर्म के नाम पर दान देना प्रशसनीय माना जाता है। इस तर्क में कोई मत्पत्रा नहीं है क्योंकि धार्मिक तथा कुछ विशेष दानों को कर से मुक्त कर दिया गया है।

(2) भारत में सरकार की ओर से एक विस्तृत सामाजिक बीमों की योजना नहीं है। इस अभाव की पूर्ति उपहार द्वारा की जाती है।

(3) इस कर के लागू करने में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि उपहार कब और किस रूप में प्रदान किया गया।

(4) उपहार के मूल्यांकन में भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं।

### धन कर

भारत में समाजवादी ढाँचे को लाने तथा आय वितरण को समान बनाने के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही प्रयास प्रारंभ किए गए थे। प्रथम, उत्तराधिकार मृत्यु कर को प्रयोग में लाया गया जिसके कारण प्राप्त होने वाली संपत्तियों और उनसे, मुलभ अवसरो की समानता को धीरे-धीरे कम किया जा सके परंतु मृत्यु कर का प्रभाव लंबी अवधि के बाद प्रकट होता है। यही कारण है कि मृत्यु कर के लागू करने में कुछ वर्षों पश्चात् ही धन पर वार्षिक कर अपनाया जाना था, प्रो० कोल्डार ने इस कर का समर्थन समानता, आर्थिक प्रभाव एवं प्रशासनिक कुशलता के आधार पर किया है। समानता का आधार

समानता को अपनाते हुए प्रो० कोल्डार ने कहा है कि जब तक व्यक्ति की संपत्ति को भी विचारार्थ नहीं लिया जाना, तब तक अनेकी आय ही, कर अदायगी का पूर्ण निर्देशन नहीं कर सकती। इसलिए धन कर, कर पद्धति को कर अदायगी की योग्यता में समानता लाने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है।

समानता के आधार पर धन कर की मुख्य अलोक्यता इस आधार पर की जाती है कि धन कर उन लोगों पर भार डालता है जिनके पास संपत्ति तो है किंतु उससे आय प्राप्त नहीं होती। इसी दशा में उन्हें कर अदा करने के लिए संपत्ति को बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। परंतु इस कठिनाई को छूट की सीमा आदि के द्वारा दूर किया जा सकता है।

## आर्थिक प्रभाव

आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से धन कर के पत्र में यह तर्क दिया जाता है कि यह आयकर के समान संपत्ति के जोखिम वाले व्यवसायों में उगाह की प्रेरणा पर कुछ प्रभाव नहीं डालता। डॉ० गुनाटी ने यह निष्कर्ष दिया है कि आय की ऊँची सीमा पर आयकर की बहुत लचीली सीमांत दर उद्यम पर प्रेरणाकारी प्रभाव डालती है, इसलिए आयकर की दर को घटा कर धन कर को लागू किया जा सकता है।

## प्रणामनिक दृष्टिकोण

प्रणामनिक दृष्टिकोण से यह स्मरण रखना होगा कि संपत्ति का मूल्य वाणिज्य लाभ या आय में कुछ भिन्न होता है, किन्तु इन दोनों का इस अर्थ में निकट का संबंध होता है कि लाभ या मूल्य प्रकार की संपत्ति की आय (परोक्ष एवं व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित लाभों के अतिरिक्त) के पीछे सदैव कुछ स्थूल परिमपति पाई जाती है और इस प्रकार से संपत्ति के अधिकांश रूप किसी न किसी प्रकार की मौद्रिक आय या लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए यदि एक ही अधिगारी के द्वारा आय और संपत्ति दोनों पर कर निर्धारित किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यवस्था की प्रणामनिक कुशलता अवश्य सुधरती है। इसका कारण यह है कि जब हम इन बातों की जाच-पछताल करते हैं कि एक व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति है तो उसकी छिपाई हुई आय का अवश्य पता चल जाता है। इसी प्रकार से किसी की आय की जाच में उसके द्वारा छिपाई गई संपत्ति को जांच किया जा सकता है। अतः इनमें से किसी एक पर कर लगाने की अपेक्षा दोनों को कर के जगुल में लाना चाहिए ताकि कर को छिपाने पर अधिगारिण अव्यक्त लगाना जा सकता है।

## आलोचनाएं

अनेक विद्वानों ने कोल्डर द्वारा सुनाए गए धन कर की आलोचना निम्न आधारों पर की है :

- (1) यह आय उत्पन्न न करने वाली सभी संपत्तियों पर अनावश्यक भार डालते हैं।
- (2) धन कर के भार को भी संपत्ति बेचकर हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (3) संपत्ति-मूल्य के निर्धारण में गॉटार्ड उपस्थित होती है। यदि संपत्ति का बाजार-मूल्य लिया जाता है तो वह भी समय-समय पर बदलता रहता है। यदि उसे प्रारंभिक मूल्य के आधार पर लिया जाए तो ह्रास की अवहेलना होगी है। संपत्ति का मूल्य चाहे जिस विधि के द्वारा भी मापलूना किया जाए उसमें अनिश्चितता अवश्य रहती है।
- (4) एक अन्य समस्या अर्द्ध संपत्ति की सूचना प्राप्त करने में होती है।

जैसे घरेलू वस्तुएँ, कूपन बाट, गवद जमा, जवाहरात तथा सोने-चादी के रूप में रखी हुई संपत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करना बठिन हो जाता है।

(5) संपत्ति की वृद्धि के साथ-साथ इन कर की वृद्धि होती है। जिसके फल-स्वरूप वचत में बाधा पड़ सकती है।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि धन कर, कर पद्धती का एक उपयोगी अंग बन सकता है। आयकर की दर को कम करके उसके स्थान पर कुछ छूट की सीमा के साथ धन कर को लगाया जा सकता है। इसके प्रभाव होने प्रेरणाकारी नहीं होते जितने कि आयकर के होते हैं।

### विनियोग कर

अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने के लिए विनियोगों पर एक विशिष्ट कर लगाने का गुणाव दिया जाता है जिसे विनियोग कर कहते हैं। इन कर को व्यवहार में लाने के दो आधार होते हैं

- (1) सकल विनियोग पर कर, तथा
- (2) विशुद्ध विनियोग पर कर।

प्रथम प्रकार का कर निरादेह प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिक सरल होता है। वास्तविक विनियोगों की अपेक्षा सकल विनियोग किसी भी देश की विनियोग गति-विधियों का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था सकल विनियोगों के द्वारा अधिक प्रभावित होती है। इसलिए यह कर यदि सरल विनियोग पर लगाया जाए तो स्थायित्व भी प्राप्त हो सकता है। सकल विनियोग पर लगाए गए कर के विरुद्ध केवल एक ही तर्क प्रस्तुत किया जा सकता है, कि वह उन उत्पादन क्षेत्रों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा जो अल्प आयु पूँजी यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे उत्पादन क्षेत्रों में विशुद्ध विनियोगों की तुलना में सकल विनियोगों का अर्थ अधिक होता है क्योंकि अल्प आयु पूँजी यंत्रों को भी अधिक बदलना पड़ता है। इसलिए यदि इस प्रकार का कर लगाया जाएगा तब अल्प आयु पूँजी के उपयोग करने वाले उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इन करों की व्यवस्था दो रूपों में हो सकती है। प्रथम, यह विनियोग की वस्तुओं को त्रय करते समय उत्पादन मूल्य के रूप में लगा दिया जाए। यदि कर इस रीति से लगाया जाता है तब वह बहुत कुछ विशेष उत्पादन करों के समान होता है। दूसरे रूप में, यह कर विनियोगी वर्ग के पूँजीगत परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि पर लगाया जाता है। करारोपण की इन दोनों रीतियों में प्रथम रीति सरल है क्योंकि इस रीति के अनुसार विनियोगों के अनुमान लगाने में अधिक समस्याएँ उत्पन्न नहीं होती। इसलिए ऐसे कर प्रायः सकल विनियोग पर लगाए जाते हैं। इस प्रकार का कर स्वीडन में अनेक वर्षों तक व्यवहार में लाया गया।

हम विनियोग कर द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं वह सामान्य विक्री कर के बाध्यता में परिवर्तन करने भी प्राप्त किया जा सकता है। सामान्य विक्री कर से तात्पर्य ऐसे कर से है जो नगरीय प्रभार की वस्तुओं और सेवाओं की विक्री पर समान दर से लगाया जाता है। जब विनियोगों को प्रोत्साहित करना होता है तब वस्तुओं की सामान्य विक्री कर में छूट कर दिया जाता है। यदि विनियोगों को नियंत्रित करना हो तब वस्तुओं की सामान्य विक्री कर की नफ़ट में ले दिया जाता है। ऐसे कर की व्यवस्था नाबों में व्यवहार में लाई जा चुकी है।

## परिव्यय कर

परिव्यय कर वह कर है जो किसी वस्तु अथवा सेवा के क्रय अथवा उभरे प्रयोग पर लगाया जाता है,<sup>1</sup> यह कर वस्तु के पूंजीगत मूल्य अथवा वार्षिक मपत्ति के वार्षिक मूल्य पर आया जाता है। यह पूंजीगत मूल्य पर आधारित क्रय कर तथा वार्षिक मपत्ति के वार्षिक मूल्य पर आधारित स्थानीय दर के रूप में भी हो सकता है। परिव्यय कर मूल्यानुसार भी हो सकता है या किसी वस्तु की मात्रा या भार के अनुसार भी निश्चित किया जा सकता है। निजी वस्तु पर साइमेंस गुल्म पेट्रोल पर कर अधिभारत ऐसी वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जिनका प्रयोग स्वतः एक बार ही होता है। सरकारों की आय का अधिकांश भाग इस प्रकार के कर से बमूल होता है। उदाहरण के लिए तंबाकू तथा मदिरा पर कर। परिव्यय कर ऐसी वस्तुओं पर भी लगाए जाते हैं जो टिनाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उपयोग कई वर्षों तक चलता रहता है। कारा, रेफ्रीजरटो तथा बमरा पर लगाए गए क्रय कर परिव्यय कर के ही रूप हैं।

अध्ययन की दृष्टि से, परिव्यय कर का दो आधारों पर वर्गीकरण हो सकता है

(1) उपभोग वस्तुओं पर परिव्यय कर, तथा

(2) उत्पादक वस्तुओं पर परिव्यय कर (यहाँ उत्पादक वस्तुओं का अर्थ साधनों से है, जिसमें वह धन भी सम्मिलित है जो उपभोग-वस्तुओं के निर्माण में अपनी सहायता प्रदान करता है)।

### उपभोग की वस्तुओं पर परिव्यय कर

निजी भी वस्तु अथवा निजी पर कर लगाने का प्रभाव सामान्य मूल्य स्तर, उपभोग तथा वचता पर पड़ता है। परंतु करारोपण का सबसे अधिक प्रभाव वस्तु तथा उसके संबंधित वस्तु के उपभोग तथा उत्पादन पर पड़ता है। इस प्रभाव को हम परिव्यय के कारापात के अध्ययन के द्वारा जान कर सकते हैं।

<sup>1</sup> C T Sandford 'Economics of Public Finance', (1969), Pergamon Press, p 117

परिव्यय का करापात करारोपित वस्तु के उपभोक्ता को ही महन करना होता है। इस करापात का अनुमान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया बाजार-मूल्य तथा साधन लागत के अंतर के द्वारा ज्ञात हो सकता है। साधन लागत वह भुगतान है जो उत्पत्ति के साधनों को मजदूरी, वेतन, व्याज, लगन तथा लाभ के रूप में दिया जाता है। किसी भी वस्तु का करारोपण सामान्यतः बाजार-मूल्य तथा साधन लागत दोनों को परिवर्तित कर देता है। उपभोक्ता वर्ग किसी अन्य वस्तु से करारोपित वस्तु का प्रतिस्थापन करने की चेष्टा करते हैं और साधना को किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन में स्थानांतरित कर देते हैं। समायोजन की सीमा वस्तुओं की माग तथा पूर्ति के लोच पर निर्भर करती है। माग की लोच स्थापनापन्न वस्तुओं की उपलब्ध पर और पूर्ति की लोच साधना के स्थानांतरण की सरलता पर निर्भर करती है। विभिन्न लोचपूर्ण माग तथा पूर्ति वाली वस्तुओं पर करारोपण के प्रभाव की चित्त द्वारा 'कर भार का सिद्धान्त' अध्याय में दर्शाया गया है।

केवल पूर्णतया बेलोचदार माग वाली वस्तुओं को छोड़कर परिव्यय कर उपभोक्ता के चुनाव को विह्वल कर उसकी मनुष्यिकी को घटा देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार को आय द्वारा प्राप्त लाभ की तुलना में उससे उपभोक्ता की तुष्टि की हानि अधिक होती है। हा, यदि परिव्यय कर ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी माग पूर्णतया लोचदार हो तब उपभोक्ता की तुष्टि में अधिक हानि की सम्भावनाएँ नहीं होती। इस विचार को इस प्रकार समझाया जा सकता है, मान लीजिए कि प्रथम स्थिति में पूर्णतया बेलोचदार माग वाली वस्तु A पर परिव्यय कर लगाया जाता है। द्वितीय स्थिति में सरकार द्वारा उतनी ही आय प्रदान करते हुए यही कर लोचपूर्ण माग वाली B वस्तु पर लगाया जाता है। द्वितीय परिस्थिति में परिणाम यह होगा कि A वस्तु का क्रय तो अपरिवर्तित रहेगा परन्तु B वस्तु का क्रय कम हो जाएगा। उपभोक्ता B वस्तु के बदले अन्य X, Y या Z वस्तुओं का क्रय करने लगेंगे। यद्यपि प्रथम स्थिति में भी उपभोक्ताओं को पूर्ण स्वतन्त्रता थी कि वे B वस्तुओं का क्रय घटाकर X, Y, और Z वस्तुओं का क्रय कर सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसमें हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वर्ग प्रथम स्थिति की तुलना में दूसरी स्थिति को अच्छा नहीं समझते।

इसी प्रकार उत्पादन की ओर, यदि माग पूर्णतया बेलोचदार है तब उस उद्योग से साधनों के निष्कासित होने की सम्भावनाएँ नहीं होती। साधारणतया करारोपण का यह उद्देश्य होता है कि वह साधनों को निजी उपयोग उद्योग से मार्बेजनिक् उपयोग में लाए। यदि कोई भी अतिरिक्त कर किसी एक वस्तु पर लगाया जाए जिसकी माग लोचदार हो तब साधनों का अनुपात से अधिक निष्कासन केवल एक ही उद्योग में होता है। इस रीति में साधनों का स्थानांतरण किसी एक उद्योग को बिना प्रभावित किए सीमांत परिवर्तनों द्वारा नहीं होता। जहाँ परिव्यय कर एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जिसकी पूर्ति पूर्णतया लोचदार होती है

यहाँ उद्योग से साधना का स्थानांतरण उत्पादन को हाथ पट्टाए बिना सरसता से हो जाता है।

सदोपरोक्त, हमारे मकसद ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ कर को एक ही वस्तु अथवा एक ही समूह से संबंधित वस्तुओं पर केंद्रित करने की अधिष्ठा इच्छा होती है। ऐसी परिस्थितियाँ तीन रूप में आ सकती हैं।

(1) अधिक सामाजिक लागत का होना जहाँ किसी मातृ का उत्पादन निजी लागत की अपेक्षा सामाजिक लागत में वृद्धि कर दे और सरकार के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति में उत्पादन को लाभ के न्यायोचित स्तर से अधिक बढ़ा दे तो ऐसी स्थिति में परिष्कृत कर निजी लागत को सामाजिक लागत के समीप लाकर उत्पादन को उचित स्तर तक घटा सकता है।

(2) आर्थिक नियमन . जब कुछ विशेष साधनों को किसी अन्य दिशा में स्थानांतरित करने का विचार हो तो परिष्कृत कर आर्थिक नियमन का एक उपयोगी यंत्र सिद्ध हो सकता है। यदि कभी राष्ट्रीय सुरक्षा को वास्तु आश्रयण का भय हो तो राष्ट्र को पुनः संशय करने के हेतु उपभोग की टिकाऊ वस्तुओं पर परिष्कृत कर उभय प्रयुक्त होने वाले स्रोतों को मुक्त कर सकता है। सामान्य रूप से स्वदेशी बाजार में भी उन वस्तुओं पर परिष्कृत कर लगाया जा सकता है जिनकी विदेशों की निर्यात की संभावनाएँ हो सकती हैं।

(3) किसी विशेष उद्योग में मूल्य तथा उत्पादन में वृद्धि : हम यह नहीं भ्रूणा चाहिए कि हमारा परिष्कृत कर के करापात का विशेषण पूर्णगर्दी की जवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जिन बाजारों की स्थिति में कुवल अक्ष का अंतर है या जहाँ उत्पादन उस मूल्य स्तर तथा उत्पाद स्तर पर उत्पादन कर रहे होते हैं जहाँ लाभ अधिकतम नहीं होता वहाँ किसी विशेष उद्योग में परिष्कृत कर मूल्य तथा उत्पाद के स्तर को बढ़ा सकते हैं जो इससे पूर्व अनुकूलतम स्थिति के समीप थे। परंतु इस संबंध में यह बाधा उपस्थित होती है कि ऐसे उद्योगों को पहचानना सरल नहीं होता।

### उत्पत्ति के साधनों पर परिष्कृत कर

अधिकांशतः परिष्कृत कर उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता है परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब यह कर उत्पादन वस्तुओं पर भी लगाना पड़ जाता है। ऐसी उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन में मिलते हैं जहाँ परिष्कृत कर उत्पादन वस्तुओं, जैसे हाइड्रोकार्बन तेल जिसको विभिन्न रीतियों से उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, पर लगाया गया है। कार्यालय के फर्निचर पर नया कर, होटलों के लिए नया की गई अनेक वस्तुओं पर नया कर आदि ग्रेट ब्रिटेन में परिष्कृत कर के अनेक उदाहरण हैं। परंतु पूर्णतया उत्पादन मातृ (वस्तुओं) उदाहरणार्थ, घत, कच्चा मांस, अंडे निमित्त मांसों को परिष्कृत कर से मुक्त रखा गया है।



आर्थिक दृष्टि में उत्पात्ति के माधनों पर लगाए गए करों का समायन नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे करों के औपचारिक तथा वास्तविक करारपान को ज्ञात करना कठिन हो जाता है। जहाँ ऐसे कर लगाए जाते हैं वह अन्य करों के आय के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों को भी नहीं जान सकते। इसलिए जहाँ उत्पात्ति के माधनों को करारोपित कर दिया जाता है वहाँ आय के वितरण के सबंध में कोई समान नीति नहीं अपनाई जा सकती।

धर्म के करारोपण के सबंध में परिव्यय कर का विरोध अब नहीं किया जाता। प्रत्येक धार्मिक अथवा स्वयं सेवक द्वारा राष्ट्रीय स्वाम्य या राष्ट्रीय सेम का अनुदान आयकर का रूप है, मालिकों द्वारा अनुदान उत्पात्ति के माधनों पर थोपा गया परिव्यय कर है। ग्रेट ब्रिटन में चयनात्मक रोजगार कर धर्म के उपयोग पर परिव्यय कर ही है।

उत्पादक वस्तु का करारोपण उत्पादन में मितव्ययता को प्रोत्साहित करता है, परिणामस्वरूप उत्पात्ति के माधन उम उद्योग विशेष में निष्पासित हो सकते हैं परंतु किन्हीं विशेष माधन के प्रयोग में मितव्ययता को प्रोत्साहित नहीं करते। उत्पात्ति के माधन पर कर लगने से करारोपित माधन का किन्हीं अन्य माधन से प्रतिस्थापना की समावनाएँ बढ़ जाती हैं।

### आयकर तथा परिव्यय कर की तुलना

परिव्यय कर समानता के सिद्धांत का अवलोकन नहीं करते। यद्यपि परिव्यय कर की संचरना इस प्रकार की जा सकती है जिससे निर्धनों की तुलना में धनी वर्ग के त्रय को अनुपात से अधिक करारोपित किया जा सकता है। फिर भी परिव्यय कर को पूर्णतया भुगतान क्षमता के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। इसका भार उपभोक्ता के आनंद की प्रकृति तथा उनके व्यय की संरचना के अनुसार सदैव असमान रहता है। पूर्णतया बेलोवशर मांग वाली वस्तुओं को छोड़कर यदि परिव्यय कर लगाया जाता है तो वह उपभोक्ता की प्राथमिकता को विकृत कर कार्यक्षमता के सिद्धांत को भंग कर देता है। ऐसे कर से राजकोपीय आय में वृद्धि के लाभ की तुलना में करदाना को हानि अधिक होती है। ऐसा होते हुए भी परिव्यय कर क्यों लगाए जाते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

इस प्रश्न के अनेक उत्तर दिए जा सकते हैं। आयकर की तुलना में परिव्यय कर को अधिक मान्यता प्राप्त होने का प्रथम कारण यह है कि यह करदाना को विकल्प की मुविधा प्रदान करता है। करदाना कर थोपा गया आयकर अनिवार्य रूप में उसे अदा करना होगा परंतु परिव्यय कर के बचाव का नरत तरीका उस वस्तु के उपयोग के त्याग में निहित है। व्यक्तिगत आधार पर परिव्यय कर में बचाव हो सकता है परंतु संपूर्ण समाज को परिव्यय कर में मुक्ति मिलना कठिन

होता है क्योंकि वित्त मंत्रालय को परिव्यय कर से एक निश्चित मात्रा में धन राशि प्राप्त करनी होती है इसलिए यदि कुछ व्यक्ति वस्तु के उपभोग को बढ़ाकर इस कर से बचाव करते हैं तब सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए या तो परिव्यय कर की सीमा को विस्तृत कर देती है और अथवा उसके भार में वृद्धि कर देती है।

परिव्यय कर के औचित्य के सदर्भ में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि करदाता इनकी अदायगी के भार को बहुत अधिक महसूस नहीं करता। आयकर की अदायगी में करदाता अधिक वितित रहता है इसलिए परिव्यय कर की तुलना में वह उसके भार को अधिक महसूस करता है। इस कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करदाता परिव्यय कर का आयकर की तुलना में कम विरोध करता है। परंतु प्रजातंत्र का यह एक ठोस सिद्धांत है कि करदाता को उस राशि की जानकारी हो जो वह कर के रूप में भुगतान करता है तथा वह यह ज्ञात कर सकता है कि राजकीय व्यय युक्तिपूर्वक बिना गया है कि नहीं।

किसी भी वस्तु पर परिव्यय कर लगाने का यह तर्क अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन और सामाजिक लागत की समस्या उत्पन्न करना है। इसलिए सामाजिक लागत की क्षतिपूर्ति परिव्यय कर द्वारा उचित समझी जाती है।

परिव्यय कर आयकर की तुलना में इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें कर बचाव तथा कर बचन इतना सरल नहीं होता जितना कि आयकर में संभव होता है। इसलिए आयकर तथा पूंजी कर की तुलना में परिव्यय कर का प्रशासन सरल होता है।

परिव्यय कर आयकर की तुलना में इसलिए अधिक उपयोगी समझा जाता है क्योंकि यह पूंजी में से लिए गए धन की पण्ड शोध करता है। आयकर इस दृष्टि से अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता है यद्यपि संपत्ति कर इस दोष में सुधार ले आता है।

परिव्यय कर की अनुकूलता इसलिए भी स्वीकार की जाती है कि इसमें क्रियात्मक गति तीव्र रहती है। अर्थव्यवस्था का नियमन आयकर की तुलना में परिव्यय कर द्वारा शोध हो जाता है। परिव्यय कर में वृद्धि राजकोष की आय को बहुत शोधता से बढ़ाती है तथा परिव्यय कर में कमी मांग की वृद्धि के लिए उपभोक्तियों के हित में पर्याप्त धन शोधता से छोड़ती है।

प्रायः सभी लोग इसे स्वतः सिद्ध मानते हैं कि परिव्यय कर आयकर की तुलना में व्यक्तिगत प्रेरणा को कम नष्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में परिव्यय कर करदाता के

कार्य तथा अवकाश के मध्य चुनाव के विकल्प को अधिक विकृत नहीं करते। इस विचारधारा ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

हम अध्ययन कर चुके हैं कि आयकर के दो प्रभाव हो सकते हैं आय प्रभाव तथा स्थानापन्न प्रभाव। मॅडफोर्ड के विचारानुसार 'दुन कर' की तुलना में कर की सीमात दर जितनी अधिक होगी उतना ही आय प्रभाव की तुलना में स्थानापन्न प्रभाव अधिक होगा। इसलिए कर जितना प्रगतिशील होगा अप्रेरणादायक प्रभाव उतना ही अधिक होगा। व्यवहार में परिच्यय कर प्रतिगामी हुआ करते हैं, यही कारण है कि आय कर की अपेक्षा परिच्यय कर उत्पत्ति के माध्याम की पूर्ति पर विरोधी प्रभाव कम डालते हैं।<sup>1</sup>

यह आवश्यक नहीं है कि परिच्यय कर प्रतिगामी और आयकर प्रगतिशील हो। यदि हम इन प्रकार की तुलना करना चाहते हैं तो यह तुलना प्रगतिशीलता के समान अक्ष पर आधारित होनी चाहिए। कुछ समय के लिए यदि बचत के प्रश्न को छोड़ दिया जाए और व्यक्ति पूर्णतया विचारयुक्त हो तथा उन्हें सरकार को समान आय आयकर अथवा परिच्यय कर द्वारा अदा करने का विकल्प दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि परिच्यय कर का कम अप्रेरणादायक (या अधिक प्रेरणादायक) प्रभाव होगा। लोग मुद्रा की माग इसलिए ही करने हैं कि वे उममें वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकें। जैसे आयकर के अंतर्गत 'आय प्रभाव' तथा स्थानापन्न प्रभाव होते हैं वैसे ही परिच्यय कर के अंतर्गत होता है। यदि उम वस्तु पर कर लगता है जिसे हम क्रय करना चाहते हैं, तब हम उम क्रय करने के लिए अधिक थम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और कर की परवाह नहीं करते हैं। या हम यह सोचते हैं कि अधिक प्रयास लाभदायक नहीं है इसलिए कम कार्य करते हैं और अवकाश अधिक ग्रहण करते हैं। परंतु व्यक्ति सदैव विचारयुक्त नहीं होते। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि करदाता आयकर के प्रहार को परिच्यय कर की अपेक्षा अधिक महसूस करती है। ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव बड़ा अधिक होता है जहां आय प्राप्त करती तथा व्यय करता पृथक-पृथक होते हैं। एक व्यक्ति की उपाजित आय पर जब कर लगता है तो वह निरोहमाहित होने के कारण अधिक परिथम नहीं करना चाहता, परंतु जब पत्नी उसकी आय को खर्च करती है तब वह परिच्यय कर की कठोरता का अनुभव ही नहीं कर पाता।

परिच्यय कर बचतों को किम प्रकार प्रभावित करते हैं यह एक जटिल प्रश्न है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि परिच्यय कर बचतों को कम निरोहमाहित करते हैं परंतु पूर्णरूपेण यह नहीं कहा जा सकता कि आयकर की तुलना में परिच्यय

1. C. T Sandford 'Economics of Public Finance', (1969), Pergamon Press, Oxford, p 137.

कर बचतो पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, प्रगतिशीलता की दर यदि समान हो तो मनोवैज्ञानिक कारणों से आयकर की तुलना में परिव्यय कर कार्य करने की प्रेरणा को कम घटाते हैं या यों कहिए कि परिव्यय कर आयकर की तुलना में कार्य करने की प्रेरणा को अधिक बढ़ाते हैं। कार्य करने की प्रेरणा कम न हो इसके लिए परिव्यय कर का उपयोग बहुधा राजनैतिक कारणों से होता है। राजनैतिक दृष्टि से आयकर की प्रगतिशीलता की अनेका परिव्यय कर की प्रगतिशीलता को घटाना मरन होता है। यही कारण है कि लोकवित्त में परिव्यय कर का महत्त्व बराबर बना हुआ है।

## व्यय कर

बहुत समय से विगो भी व्यक्ति के अधिक नत्प्राण का माप उनकी जाय से लिया जाता रहा है। इसलिए आय को ही उनकी करदान क्षमता का अन्धार माना गया है। परन्तु अताब्दियों पूर्व से ही इनके विरोध में अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं। कराधान की दृष्टि से व्यक्ति की आय की अपेक्षा उनका व्यय श्रेष्ठ आन्धार है। 17वीं अताब्दी में श्री ह्यूज ने इन सबध में लिखा है, 'कर लगाने में समता और न्याय में आनय समान उपभोग करने वाले व्यक्तियों के धन की नमानना से उतना नहीं है जितना कि धन के उस भाग को समानता से है जिसका कि वे उपभोग करते हैं।' यह कानून-का कारण है जिसकी वजह से उस व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाए जो अधिक परिश्रम करता है और अपने परिश्रम के फल को अपने पास बचाकर उस व्यक्ति की तुलना में थोड़ा उपभोग करता है जो चाहिल होने के नाते कम नमानता है, और मारा का मारा इतना व्यय कर देता है, क्योंकि वह समथता है कि उसे अन्य व्यक्तियों की तुलना में नमान के धन से और अधिक मरधण प्राप्त नहीं हो सकेगा। परन्तु जब कर ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनका सभी लोग उपभोग करते हैं तब उन स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के उस भाग पर समान रूप में कर बढ़ा करता है जिसका कि वह उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों के विनामतपूर्ण खर्चों द्वारा समाज के धन का अल्पभोग भी नहीं होता। श्री ह्यूज ने इन प्रकार समानता एवं न्याय के आन्धार पर व्यय के अनुसार करारोपण का समर्थन किया है।

19वीं अताब्दी में ही जान स्टुवर्ट मिन ने भी व्यय कर के पक्ष में तर्क दिए थे और उन्होंने 'आय तथा संपत्ति कर पर नियुक्त (सन 1831 की) चुगाव समिति के समक्ष व्यय कर का समर्थन किया था। इसके पश्चात्, इंग्लैंड में मार्शल, पीगू तथा वील्डार ने, संयुक्त राज्य अमरीका में इरविंग पिन्डर ने, इटली में इनौटी ने प्रत्यक्ष कर के रूप में व्यय कर का समर्थन किया। संवैधानिक दृष्टि से व्यय कर के रूप में करारोपण तो उचित ठहराया गया परन्तु प्रगासनिक दृष्टि में उन क्रियावित करने में अनेक कठिनाइयों के उपस्थित होने के कारण उसे छोड़ दिया गया।

## प्रो० कोल्डार का विचार

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रो० कोल्डार ने आयकर में विभिन्न कमियों को वताते हुए व्यय कर को एक आदर्श आधार बतलाया।

प्रो० कोल्डार ने इस तर्क को चुनौती दी है कि आयकर करदाता की कर देय क्षमता का सही मानदण्ड है। उन्होंने बतलाया कि समान आय होने पर भी दो व्यक्तियों की पारिवारिक मदद सज्जा, संपत्ति तथा आय की नियमितता आदि में अंतर होने के कारण करदेय क्षमता पृथक्-पृथक् हो सकती है। साधारणतया आय प्रवाह के रूप में होती है अर्थात् अमुक राशि प्रति वर्ष के अनुसार प्राप्त होती है। परंतु मनुष्य की व्यय शक्ति केवल वार्षिक आय की प्राप्ति पर ही निर्भर नहीं करती अपितु उसके स्तान, संपत्ति आदि के रूप में धन, मजदूरी तथा आकस्मिक प्राप्ति के योग पर निर्भर करती है। इसलिए इन तीनों के योग से निर्मित व्यय राशि को केवल आय के आधार पर मापना सर्वथा असंगत होगा। इसके अनिश्चित प्रगतिशील आयकर के अतर्गत अस्थायी या परिवर्तनशील आय वाले व्यक्ति पर उतनी ही स्थायी आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक भार पड़ता है। आयकर के द्वारा पूंजीगत लाभ पर भी ठीक प्रकार से कर नहीं लगाया जा सकता। वास्तव में कर का आधार वसूल की गई आय न होकर उपाजित आय ही होनी चाहिए। परंतु दूसरे कठिनाई यह है कि उपाजित आय का सही अनुमान लगाना एक कठिन कार्य होता है।

उपरोक्त कारणों में प्रो० कोल्डार ने करारोपण के आय आधार में कमियां बताने हुए उमरा प्रतिस्थापन व्यय-आधार से करन का समर्थन किया है।

व्यय कर के पक्ष में तर्क

(1) व्यय करदेय क्षमता का श्रेष्ठ आधार है। किसी भी मनुष्य की आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। सभी स्रोतों में प्राप्त आय को एक सामान्य इकाई में परिवर्तित नहीं किया जा सकता किंतु यदि हम वास्तविक व्यय को कर-आधार स्वीकार कर लें तो विभिन्न स्रोतों में प्राप्त आय स्वयं ही प्राप्तिकर्ता द्वारा अपने व्यय के द्वारा प्रयुक्त कर दी जाती है। प्रो० कोल्डार का मतव्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति व विभिन्न प्रकार की आय आदि को दृष्टि में रखकर ही व्यय करता है। अतः ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कुल व्यय उसकी कर देय क्षमता का आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

(2) न्याय एक समता का आधार न्याय एक समता के दृष्टिकोण में व्यय कर के औचित्य का समर्थन किया जाता है। प्रो० कोल्डार का यह मत है, 'व्यय कर द्वारा लोगों पर इन आधार पर कर नहीं लगाया जाता कि वे सामूहिक बोध में अपना कितना अशुभदान देते हैं अपितु कर इस आधार पर लगाया जाता है कि वे उस बोध से कितना धन बाहर निकालते हैं।' कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों की

पूति के लिए शेष ममात्र पर केवल धन द्वारा ही खोज डालना है अपनी कमाई अथवा बचत द्वारा नहीं। इसलिए व्यय कर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि व्यक्ति पर कर लगने का आधार सामूहिक कोष में उसका योगदान न होकर उनम से प्राप्त मात्रा ही होनी चाहिए। इस प्रकार का व्यय व्यक्तियों द्वारा विनाशित। एवं जारामदेय वस्तुओं पर किया जाने वाला अपन्यय ही है जिसका द्वारा मनाज को टगा जाता है। कार्य करने वाले, बचत करने वाले या आविष्कृत उद्योग वाले व्यक्तियों की प्राग्मतीय क्रियाओं के ऊपर इस तरह का बोध कदापि नहीं घोषा जा सकता। इसलिए व्यय कर जो अपव्ययपूर्ण उपयोग का काम करने का प्रयास करता है, सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक न्यायोचित समझा जाता है।

(3) बचत तथा पूँजी निर्माण में सहायक है : व्यय कर के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तर्क यह दिया जाता है कि यह कर केवल उपयोग पर ही पड़ता है बचत पर नहीं। इसलिए यह कर बचतों तथा पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहित करता है। इनके विपरीत आयकर बचत पर बोझ डाल होता है। परन्तु व्यय कर के अंतर्गत आय के उम भाग को, जो कि बचत के रूप में रख लिया गया है, इस कर से मुक्त कर दिया जाता है। इसमें उन योगों के स्वामित्व में आय की वृद्धि हो जाती है जो बचत करते हैं, माय ही उन्हें बचत करने की प्रेरणा भी मिलती है। अतः आर्थिक विज्ञान के लिए जहाँ बचत की वृद्धि आवश्यक है वहाँ व्यय कर उपयोगी सिद्ध हो सकता है। प्रो० कोट्टार ने इसीलिए इसे भाग्य के लिए बहुत उपयोगी बताया है।

(4) मुद्रास्फीति को रोकने में सहायक : व्यय के कराधान के पक्ष में यह भी तर्क दिया जाता है कि यह कर मुद्रास्फीति को रोकने में आवकर की अपेक्षा अधिक प्रभावपूर्ण होता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग को कम तथा बचत को बढ़ाने की आवश्यकता होती है और हम यह भली-भांति जानते हैं कि यह कर लोगों के खर्चों में कटौती करता है और बचतों को प्रोत्साहित करता है जबकि आवकर उपयोग व बचत दोनों पर लगाना जाता है। फिर भी हम तर्क का महत्त्व केवल स्फीति बाल में ही होता है।

(5) व्यय कर की पधार्थ परिभाषा देना समभव : व्यय कर का समर्थन इस आधार पर भी किया जाता है कि यह आवकर की तुलना में दो कारणों से अधिक श्रेष्ठ है। प्रथम, इसलिए कि कराधान के आधार के रूप में आय की तुलना में व्यय की परिभाषा अधिक निश्चित रूप में दी जा सकती है। द्वितीय इसलिए कि आय की अपेक्षा व्यय करदेय क्षमता का अधिक अच्छा सूचक है। विभिन्न स्रोतों में प्राप्त होने वाली आमदनियों की जहाँ सही तुलना नहीं की जा सकती; वहाँ सभी व्ययों में एवं ऐसे मापदण्ड के रूप में समता स्थापित की जाती है जिसके अंतर्गत वे सभी व्यय रहते-रहते के साम्प्रतिक स्तरों का प्रतिनिधित्व करने हैं।

व्यय कर के अतर्गत यह ज्ञात करना भी आवश्यक नहीं है कि आय का कितना भाग अर्जित तथा अनर्जित, स्थाई अथवा अस्थायी है।

(6) उपभोग की असमानता को कम करने में प्रभावशाली : व्यय कर के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि यह आयकर की तुलना में उपभोग सबधी असमानता को कम करने का एक अधिक महत्त्वपूर्ण साधन है। पूजीगत लाभ तथा अनियमित स्रोतों से प्राप्त आय एक बार आयकरों से बच सकती है परंतु व्यय कर के अतर्गत उस सीमा तक पकड़ में आ जाते हैं जहां तक वे व्यय करते हैं। यदि किसी समय संचित पूजी मूल्य अधिक व्यय किया जाए तो वह भी व्यय कर की चपेट में आने के कारण व्यय कर से मुक्त नहीं हो सकता किंतु आयकर से मुक्त हो सकता है। प्रो० ए० आर० प्रेस्ट का विचार है, 'यदि हम दोनों ही करों (आयकर तथा व्यय कर) को उपभोग सबधी समानता लाने वाले एक उपाय के रूप में तो लें तो हम यह पाएंगे कि व्यय कर में, चाहे हम उसे पसंद करते हों या नहीं, ऐसी ही सम्भावनाएँ विद्यमान हैं जो एक ही समय में व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों के मध्य और माय ही विभिन्न समयों में भी, उपभोग सबधी समानताएँ अधिक मात्रा में उत्पन्न करते हैं।'<sup>1</sup>

(7) विनियोग तथा कार्यों की प्रेरणा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता : व्यय कर को विनियोग तथा कार्यों की प्रेरणा की दृष्टि में भी आयकर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आयकर विनियोगों तथा प्रेरणाओं पर दो रूपों में प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रथम, यह विनियोग कार्यों के लिए उपलब्ध होने वाली धनराशियों का एक बड़ा भाग छीन लेता है। द्वितीय, यह विनियोगों से होने वाली विशुद्ध आय को कम कर देता है और इस प्रकार लोगों में विनियोग करने की प्रेरणा को निर्बल कर देता है।

व्यय कर के अतर्गत बचतों पर कोई कर नहीं लगाया जाता इसलिए उद्यमी विनियोग के लिए बड़ी मात्रा में धनराशियाँ एकत्रित करने में समर्थ हो जाते हैं और विनियोग करने के लिए भी अधिक उत्सुक रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि विनियोग से उत्पन्न आय को भी यदि उपभोग करने से बचा लिया जाए तो वह भी कर से मुक्त रहेगी। जहां आयकर कार्यों की प्रेरणाओं को कम करते हैं वहां आयकर का व्यय कर से प्रतिस्थापन द्वारा बचत को कर से मुक्त कर के प्रतिकूल प्रेरणादायक प्रभावों से बचाया जा सकता है।

व्यय कर को विपक्ष में तर्क

अनेक अर्थशास्त्रियों ने व्यय कर को कराधान के आधार के रूप में प्रयुक्त करने के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए।



(1) व्यय ही केवल आर्थिक समानता अथवा असमानता के नापने का एकमात्र बसोटी नहीं : जालोचनों का मत है कि व्यक्तियों के बीच आर्थिक विषमता को नापने का एकमात्र आधार व्यय ही नहीं है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य आधार हो सकते हैं, जैसे आय, उपभोग, संपत्ति तथा आय के परिवर्तन की दर। इसलिए आर्थिक समानता अथवा असमानता को नापने के लिए उपभोग अथवा धन-शक्ति एकमात्र बसोटी नहीं है। इनके अनुसार व्यक्तिगत उपभोग एक ऐसी विचारधारा है जिसका स्पष्टिकरण सरलता से नहीं किया जा सकता। इसका प्रथम कारण यह है कि व्यक्तिगत उपभोग के सचों और उत्पादन सर्वज्ञ सचों के मध्य कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रथम प्रकार के व्ययों को गणना बहुत ही सरलता से दूसरे प्रकार के व्ययों में भी जा सकती है। उदाहरण के लिए कौड़े भी मनोरंजन के लिए भी गई मात्रा व्यावसायिक मात्रा के रूप में दिखाई जा सकती है। द्वितीय, उपभोग तथा बचत के बीच भी कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। एक मजान अथवा वार की खरीदारी उपभोग की जिंदा के रूप में दिखाई जा सकती है तथा बचत के रूप में भी इसलिए कोई कारण नहीं कि व्यय-आधार को आय-आधार की तुलना में श्रेष्ठ माना जाएगा। इतना ही लोग अब्बन मानते हैं कि सैद्धांतिक दृष्टि से व्यय कर एक अधिक प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

(2) व्यय कर निर्धनों पर अधिक भार डालना है : व्यय कर के विपक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि व्यय कर का भार धनियों की अनेका निर्धनों पर अधिक पड़ेगा क्योंकि व्यक्तियों की आय ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है उपभोग पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। परंतु यह दोष उठाना नहीं जितना कि ऊपरी रूप में दिखाई देता है। प्रो० बील्डर का विचार है कि इस दोष को प्रयत्न-कर समाप्त कर दिया जा सकता है।

(3) व्यय कर लोगों की स्वभाव संबंधी विचित्रताओं को दृष्टि में नहीं रखना : व्यय कर के विपक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि यह व्यक्तियों को रचियों तथा उनके स्वभावों को दृष्टि में रखे बिना प्रत्येक के साथ समान व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए दो ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी आय तथा आर्थिक परिस्थितिया समान हों। इनमें से वह व्यक्ति जो कम खर्चता है व्यय कर का हलका भार तथा अधिक व्यय करने वाला व्यय कर का अधिक भार सहन करेगा किन्तु आपकर के अंतर्गत इन दोनों से समान व्यवहार होगा। यह कर कमजोर व्यक्ति के पक्ष में होता है। बान्द्रव में किसी भी कर पद्धति में व्यक्तिगत रचियों एवं विचित्रताओं को दृष्टिगत रखना एक बर्तन काम है। मत्र तो यह है कि अधिकतर व्यक्तियों के व्यय करने की रीति तथा समान आकार एवं जंभा ही होता है तथा जिनका निर्धारण उनकी सामाजिक एवं अन्य परिस्थितियों द्वारा होता है।

(4) व्यय कर करदाताओं के मध्य इनकी आवश्यकताओं की विभिन्नता के अनुसार अंतर नहीं करता व्यय कर को कराधान के आधार के रूप में अस्वीकार करते हुए विपक्षी वर्ग का यह तर्क है कि आयकर में ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत परिवारों की आय के अनुसार छूटें प्रदान की जाती हैं। कुछ देशों में तो शिक्षा तथा चिकित्सा संबंधी व्ययों को कर से मुक्त करने की उचित व्यवस्था है। इन आलोचकों का विचार है कि यदि कर लगाने का आधार आय से बढ़ता कर व्यय स्वीकार कर लिया जाए तो स्थिति बिगड़ जाएगी। बड़े परिवार वाले व्यक्ति को अधिा दर देना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को दो प्रकार से हानि उठानी होगी। पहले प्रत्यक्ष रूप में जब यह परिवार के अंतर बढ़ा होने के कारण अतिरिक्त व्यय करेगा दूसरे परोक्ष रूप में जब उसके अतिरिक्त व्ययों पर व्यय कर लगाया जाएगा इसलिए आय-आधार की तुलना में व्यय-आधार में परिवारों की आवश्यकता नुसार छूट देने की और भी अधिा आवश्यकता है।

प्रो० कौल्डर ने इस तर्क का उत्तर देते हुए कहा है कि किसी अयोग्या अपया दुपटना आदि के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार छूट की व्यवस्था तथा परिवार के आकारानुसार व्यय कर में विशेष व्यवस्था की सुविधा प्रदान करना सैद्धांतिक रूप से असंभव नहीं है।

(5) व्यय में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की समस्या को व्यय कर हल करने में असमर्थ व्यय कर की एक अन्य आलोचना इसलिए भी की जाती है कि यह व्ययों के उतार चढ़ावों के साथ जो विशेष रूप से बार-बार अथवा फीचर इत्यादि टिकाऊ वस्तुओं की सामयिक खरीदारी में करने पड़ते हैं व्यापकित व्यय हार नहीं करता। यदि व्यय कर की आरोही दरें विभिन्न व्ययों के लिए समान रूप से लागू की गईं तो करदाता को उस व्यय व्यय कर का अधिा भार सहन करना पड़ेगा जिस व्यय उसने टिकाऊ वस्तुएं खरीदी हैं जबकि वह उनके लाभ अनेकभावी व्ययों तक प्राप्त करता रहेगा। परंतु इस कठिनाई का हल असंभव नहीं है। प्रयास करने पर एक ऐसी औसत गिनती की पद्धति खोजी जा सकती है जिसके द्वारा कर भार को उन व्ययों में फैलाया जा सकता है जिनमें व्यय की गई वस्तुओं के लाभ प्राप्त होने की आशा है वस्तुतः समय समय पर आय में होने वाले परिवर्तनों की समस्या को आयकर के अंतर्गत हल करना कठिन है परंतु व्यय कर में अंतर्गत इनसे आसानी से निपटा जा सकता है।

(6) व्यय कर की प्रशासनिक कठिनाइयाँ व्यय कर प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक एवं सहाय्य नहीं है। आयकर की अपेक्षा व्यय कर अधिा जटिल है। विपक्षी वर्ग का यह विचार है कि करदाता को अपने व्यय का विवरण पत्र तैयार करने में ओष कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा साथ ही सरकार को भी उसकी जांच पड़ताल करने में यही कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा। परंतु यह

समस्या ऐसी नहीं है जिसको हल न किया जा सके। इस सदर्भ में एक राजकीय विरोधक वेनेथ ई० पुल ने लिखा है, 'प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह निष्कर्ष नहीं प्रतीत होता है कि व्यय कर ऐसी कठिनाइया उत्पन्न नहीं करता जिनको दूर न किया जा सके। यदि कोई सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है तो वह यह है कि व्यय के विवरण पत्रों की पर्याप्त एवं पूर्ण जाच कंसे की जाए, क्योंकि एक ओर जहा करदाताओं की संख्या अधिक है वहा जाच अधिकारियों व कर्मचारियों की भारी कमी है। अतः म यह भी कहा जा सकता है कि प्रशासन संबंधी अधिकार वाले तथा कठिनाइया, जिनके कारण व्यय कर व्यावहारिक एवं दृष्टदायक प्रतीत होता है, आगकर म भी वैसे ही परेशानिया उत्पन्न करता है।'<sup>1</sup>

(7) व्यय कर अवसाद काल में हानिकारक सिद्ध होता है: अवसाद काल में व्यय कर अवसाद की क्रिया को और भी बढ़ाता है अतः इस दृष्टि से व्यय कर भार बंसे तो उन व्यक्तियों पर अधिक पड़ना है जो अपनी आय के बड़े-बड़े भाग खर्च करते हैं परंतु यह भी दृष्टिपूर्ण नहीं कि यह कर निश्चित रूप में लोगों के उपभोग को घटाने के लिए प्रेरित करता है। उपभोग की कमी के कारण विनियोग के अवसर भी घटने लगते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों के विचारानुसार व्यय कर के विपक्ष में यह सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क है।

निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि न्याय, प्रेरणा तथा कुशलता की दृष्टि से आयकर की अपेक्षा व्यय कर उत्तम है। परंतु हमें यह स्मरण करना चाहिए कि विभिन्न देशों की आयकर को कराधान के रूप में प्रयुक्त करने में एक लक्ष्य अरसे का अनुभव प्राप्त है जबकि व्यय कर के प्रशासन का ऐसा कोई अनुभव प्राप्त नहीं है। अतः उचित यही होगा कि व्यय कर को आयकर के अनुपूर्वक के रूप में पूर्ण सावधानी से लगाया जाए जिससे ऊंचे कोष्ठों व केवल थोड़े से करदाता ही प्रभावित हों तदोपरान्त जैसे-जैसे अनुभव प्राप्त होता जाए आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन करके परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया जाए।

### व्यय कर का अल्प विकसित देशों में महत्त्व

अल्प विकसित देशों में मुख्य समस्या आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने की होती है। आर्थिक विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में वचत तथा विनियोग को दर को बढ़ाना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से व्यय कर अल्प विकसित देशों के लिए अधिक महत्त्व रखता है।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए कुल व्यय में विनियोग व्यय का अनुपात अपेक्षाकृत ऊंचा हो (केवल राशि ही ऊंची न हो) अर्थात् राष्ट्रीय आय में वचत का अनुपात अपेक्षाकृत ऊंचा हो। ऐसी अति-

रिक्त बचत के लिए साधन चालू आय के सदभं में उपभोग को कम करके ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अल्प विकसित देशों में विशाल जन समुदाय का उपभोग स्तर न्यूनतम स्तर के इतने समीप रहता है कि आर्थिक विकास की अपेक्षाकृत ऊँची दर को बनाए रखने के लिए धनिक वर्ग के उपभोग की प्रवृत्ति में कमी लाना आवश्यक हो जाता है। सच पूछा जाए तो विलासिताओं का उपभोग ही राष्ट्रीय व्यय का वह भाग है जिसमें पूँजी संचय की अपेक्षाकृत ऊँची दर के लिए साधन जुटाने हेतु कमी की जा सकती है। व्यक्तिगत धर्चों पर लगाया जाने वाला नमिक् आरोही व्यय कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निसदेह एक आदर्श साधन सिद्ध हो सकता है।

अन्य विकसित देशों में साधनों को जुटाने के लिए यदि आयकर की सहायता ली जाती है तो वह विनियोग करने की प्रेरणाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसा व्यय कर के अंतर्गत नहीं होता। जंसा कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि आयकर विनियोग कायों के लिए उपलब्ध होने वाली राशि को खींच लेता है तथा विनियोगों से प्राप्त होने वाले विशुद्ध प्रतिफलों को कम कर देता है। इस प्रकार आयकर विनियोग की प्रेरणा को निर्बल कर देता है। परंतु व्यय कर को कराधान के आधार के रूप में प्रयुक्त करने से वचर्तें करारोपित नहीं होतीं। अतः उद्यमियों में वचत तथा विनियोग करने की प्रेरणा अधिक बढ जाती है। ऐसे देशों में विकास हेतु पर्याप्त धनराशि आयकर द्वारा इसलिए भी एकत्र नहीं की जा सकती क्योंकि इस कराधानमें कर वचन की संभावनाएँ अधिक रहती हैं। आयकर को जितना आरोही बनाया जाता है करों से वचने का क्षेत्र उतना ही व्यापक हो जाता है क्योंकि ध्यक्ति आय का सही विवरण प्रस्तुत नहीं करते। व्यय कर इन कमियों को दूर करने में अपना योगदान दे सकता है। आरोही कराधान को यदि प्रभावशाली तथा निष्पक्ष बनाना है तो आय-आधार के द्वारा उसे एक सीमा के उपरांत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता किंतु व्यय-आधार में ऐसी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती।

एक अर्धविकसित अर्धव्यवस्था में सरकारी व्यय के बढ जाने के कारण भयकर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य ऊँचे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यय कर की सहायता से उपभोग में कटौती कराई जा सकती है। ऐसा करने से विनियोग पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वित्तीय साधनों को एकत्र करने में यदि संपत्ति कर का सहयोग लिया जाए तो वह वचत कम करता है परंतु व्यय को प्रोत्साहित करता है। दूसरी ओर भारी संपत्ति कर सचित किए गए धन को भी धर्च करने की प्रेरणा को बढ़ाता है। यदि इन धर्चों को सीमित नहीं किया गया तो वित्तीय साधनों को जुटाने का उद्देश्य

प्रभावहीन हो जाएगा। व्यय कर ही एकमात्र ऐसा साधन है जो इन धर्मों को निमित्त कर सकता है। इसलिए अर्धविक्रमित देशों में व्यय कर लागू करने का जोरदार समर्थन किया जाता है।

**अल्प विकसित देशों में व्यय कर की सीमित उपयुक्तता**

अल्प विकसित देशों के सदस्यों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यय कर की उपयुक्तता की सीमा का वर्णन करते कुछ तर्क दिए हैं। वे तर्क यद्यपि भारत के सदस्यों में प्रस्तुत किए गए हैं परंतु अर्धविक्रमित देशों में भी लागू होने हैं।

(1) आय के वर्तमान स्तरों के हांते हुए भी व्यय कर लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा क्योंकि यह कराधान को बहुत बंधोर बना देता है।

(2) आय पर कराधान के बढ़ने में व्यय पर कराधान लागू करने का आशय यह होगा कि बचतों को कर से छूट मिल जाएगी। फलतः धनिकों को संचय करने की काफी प्रेरणा मिलेगी और संपत्ति का केंद्रीयकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में आ जाएगा। यदि संपत्ति के ऐसे केंद्रीयकरण को रोकने के लिए संपत्ति कर का सहारा लिया जाता है तो, बदले में, बचत को प्रोत्साहित करने के सबंध में व्यय कर के लाभ समाप्त हो जाएंगे।

(3) आयकर की तुलना में व्यय कर प्रगतिशील दृष्टि से अधिक जटिल होता है।

(4) अर्धविक्रमित देशों में कृषि की प्रधानता होने के कारण तथा दूसरों की कम आय होने के कारण कृषिगत आय में से किया गया व्यय, व्यय कर से मुक्त रखा जाएगा। इसलिए लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वे अपनी आय का अधिकतम भाग अपनी कृषिगत आय में से किया हुआ दर्शाए।

**निष्कर्ष :**

अल्प विकसित देशों के लिए व्यय कर की व्यवहारिकता अथवा अव्यवहारिकता के सबंध में जो भी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं यदि उन सबको कुछ समय के ध्यान-मुक्त कर दिया जाए तब भी एक ऐसी बात और है जो व्यय कर के लागू करने का दृढ़ता से समर्थन करती है। वह यह है कि आरोग्य व्यक्तिगत व्यय कर धनिकों के व्यक्तिगत व्यय में मितव्ययता उत्पन्न करने वाला एक शक्तिशाली अस्त्र है। चूंकि पूँजी वृद्धि का कार्य उस निर्धन वर्ग के ऊपर नहीं मीसा जा सकता जो पहले से ही न्यूनतम स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर रहा है अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए धनी लोगों के उपभोग में कटौती कराई जाए। कोल्डार के शब्दों में, 'दिलासितापूर्ण उपभोग ही वास्तव में राष्ट्रीय आय का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूँजी-संचय की दर को बढ़ाने वाले साधनों की प्राप्ति के लिए निचोड़ा जा सकता है और व्यक्तिगत उपभोग पर प्रभावर्धी आरोग्य कर ही एक ऐसा साधन मात्र है जिससे इस नश्य को

प्रति की जा सकती है।<sup>1</sup> यदि व्यक्तिगत व्यय कर तथा संपत्ति कर को साथ-साथ लागू किया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि वे एक-दूसरे के विरोधी दिशा में कार्य करेंगे। ऐसी भी संभावना कम होगी कि एक कर का थोड़ा प्रभाव दूसरे के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। व्यय कर के समर्थक कोल्डार ने अल्प विकसित देशों के सदस्यों में कहा, 'इन दोनों करों के मिश्रण से बचाएँ इसके कि ये दोनों एक-दूसरे के अच्छे प्रभावों को नष्ट करें, संभावना इस बात की है कि ये संपत्ति के अधिक नगण्य वितरण के दीर्घकालीन लक्ष्य का बलिदान किए बिना ही घनाड़्यों के जीवन स्तरों को कारगर ढंग से सीमित करेंगे।'<sup>2</sup>

### भारत के सदस्यों में व्यय कर का अध्ययन

व्यय कर के इस अध्ययन का उद्देश्य उन प्रस्तावों को समझना है और साथ ही कुछ ऐसी आपत्तियों पर विचार करना है जो भारत में वैयक्तिक व्यय कर के लागू करने के विषय में उठाई गई हैं। हमने व्यक्तिगत व्यय कर के पक्ष में न्याय और आर्थिक आवश्यकता के आधार पर प्रो० कोल्डार के द्वारा दिए गए तर्कों की विस्तार से चर्चा की है। अब उनका यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं है।

हम भारत में बचत को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के कोल्डार के तर्कों से सहमत हैं, किंतु, इस बात को स्वीकार नहीं करते कि भारत की परिस्थितियों में व्यय कर बचत को प्रोत्साहित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस संबंध में डॉ० राजा जे० चेल्लैया ने कहा है कि प्रशासनिक जटिलता इस कर के लागू करने के मार्ग में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इसके अतिरिक्त व्यय कर सब प्रकार की बचतों का पक्ष लेता है किंतु भारत जैसे अर्धविकसित देशों में केवल बचत प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु इस बचत को उत्पादक विनियोगों में लगाना अधिक महत्त्वपूर्ण है और व्यय कर यह कार्य नहीं करता।

डॉ० चेल्लैया का सबसे महत्त्वपूर्ण तर्क यह है कि कोल्डार का आयकर को व्यय शक्ति का सही मापक न बताने का तर्क कोल्डार द्वारा प्रतिपादित व्यय कर पर भी लागू होता है। क्योंकि व्यय कर प्राप्त व्यय शक्ति पर आधारित न होकर प्रयुक्त व्यय शक्ति पर निर्भर होता है। इन कारणों से हम व्यय कर को ही करघान के आधार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। वास्तव में प्रो० कोल्डार ने भी भारत के लिए व्यय कर का ही सुझाव न देकर आयकर के आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में कुछ छूट की सीमा व आरोही दर के साथ इसके उपयोग पर बल दिया था।

भारत में व्यय कर लागू करने का प्रस्ताव प्रो० कोल्डार ने 1956 में प्रस्तुत किया। फलतः श्री कृष्णमाचारी ने 1957 के बजट में इसे ल - ०२ दिया था।

1. N Kaldor 'Indian Tax Reform', p 42

2. N Kaldor Ibid p 40

परन्तु 6 वर्ष बाद श्री मोरारजी देसाई ने इसे समाप्त कर दिया। व्यय कर को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, '1957 में जब इसे जारी किया गया था, तो इस बात को समझ लिया गया था कि इसे ऐतिहासिक अनुभव का समर्थन प्राप्त नहीं है। फिर भी यह आशा की गई थी कि आडंबरपूर्ण व्यय को नियंत्रित करने और बचत को प्रोत्साहन देने में यह कर गतिशाली माधन का काम देगा। मर्षि यह सब उद्देश्य अच्छे हैं किन्तु अनुभव से पता चला है कि व्यय कर में इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इस स्रोत में बहुत ही कम आय प्राप्त हुई है। इस कर के आधारभूत उद्देश्यों को किन्नी और प्रकार से प्राप्त किया जाना चाहिए।'

परन्तु सन् 1964 में श्री कृष्णमाचारी ने इस कर को पुनः लागू कर दिया। इस संवत्स में उन्होंने तर्क देते हुए कहा है, 'मृत संपत्ति शुल्क और उपहार कर की दरें बढ़ाने से जो परिस्थितियाँ पैदा हो रहीं हैं उनमें धीरे धीरे लोगों को निरन्माहित करने के उद्देश्य से, मेरे विचार से व्यय कर को फिर से जारी करना आवश्यक है। मैंने उन परिस्थितियों और कठिनाइयों के संबंध में अच्छी तरह से विचार किया है जिनके कारण मेरे पूर्ववर्ती को इस कर की उगाही स्थगित करनी पड़ी। मुझे लगता है कि यह कठिनाइयाँ बहुत ही छूटों और कर की लचीली दर के कारण पैदा हुई थीं। इसके अतिरिक्त अधिनियम की आदेशात्मक धारा की शब्दावली बहुत ही अस्पष्ट थी जिन्में कर की कार्यवाही का क्षेत्र सीमित हो गया था। इस खर्च का प्राप्ति अब नये सिरे से तैयार किया गया है ताकि यह कर, इस बात की परवाह किए बिना कि व्यय के लिए रखा कहा से आया, 36000 रुपये से अधिन के सभी आयिक व्ययों पर लागू किया जा सके।' वित्तमंत्री ने यह आवश्यक समझा कि आयकर की दरों को गिराकर व्यय कर की दरों में परिवर्तन करके दोनों में सगति उत्पन्न की जाए। अब उन्होंने छूटों और अपवादों को कम करके 12000 रुपये के त्रिमिन्न खर्चों के लिए दरों को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया। परन्तु इस कर से बहुत कम आय प्राप्त होने के कारण तथा करदाताओं को अधिक कठिनाइयों के अनुभव होने के कारण श्री चौधरी ने अपने इस कर को फिर समाप्त कर दिया।

## भारत में कराधान का ढांचा

जब कर-नीति का मुख्य उद्देश्य निजी और सार्वजनिक विनियोग को प्रोत्साहन देना होता है तो कर के ढांचे के पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकसित किए गए परंपरागत नियम अविश्वसनीय देशों में पूर्णतया लागू नहीं हो सकते। थोमसी हिक्स ने इस अवधि में कहा है, 'यह तो स्वाभाविक है कि विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कर के ढांचे की रूपरेखा एक परंपरागत अल्प विकसित देश में हमारे जैसी काफी आधुनिक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा बहुत भिन्न होगी।'<sup>1</sup> भारतीय कर जांच आयोग ने उन उद्देश्यों का उल्लेख किया है जिन पर भारत जैसे देश के लिए कर ढांचे को आधारित करना चाहिए। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं (अ) वितरण में सुधार, (आ) सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा, (इ) निजी क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि, और (ई) अर्थव्यवस्था में स्थिरता का बढावा। ये उद्देश्य अपने आप में न केवल अपवाद रहित हैं अपितु ये नई प्रकार से क्रमबद्ध आर्थिक विकास व प्रगति की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं।

परंतु हमारे दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कराधान का सर्वोत्तम ढांचा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक सिद्ध हो सकता है। कुछ उद्देश्य पारस्परिक विरोधी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ओर अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक समानता की ओर बढ़ने और दूसरी तरफ उद्यम को दी जाने वाली प्रेरणाओं को बनाए रखने एवं उनके विकास के बीच अंतर्विरोध हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि कराधान की संरचना में विभिन्न उद्देश्यों का सापेक्ष महत्व क्या हो? उत्तर में यही कहा जा सकता है कि विभिन्न उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताओं के निर्धारण में अर्थव्यवस्था की मूलभूत आवश्यकताएँ, उसके विकास की अवस्था और कुछ सीमा तक प्रचलित आर्थिक स्थिति सभी तत्त्व प्रविष्ट होते हैं।

### अप्रत्यक्ष करों पर आर्थिक निर्भरता

हमारी अर्थव्यवस्था की कुछ विचित्रताओं के कारण बचतों को प्रोत्साहित

1 Ursula K Hicks 'Direct Taxation and Economic Growth', Oxford Economic Papers, Vol VIII, No 3, October 1956, p 303



करने के लिए अप्रत्यक्ष कर की सहायता सी जाती है क्योंकि योजनाओं को कार्यान्वित करने के कारण ग्राह्यरूप व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष करोंसे उप इन लोगों की बचतों को बचाने में सहायक होता है। इन्हीं बचतों का उपयोग आगामी विकास में होता है। यह ही नहीं, निम्न दर्जे पर सांस्कृतिक व्यय भी पहले की अपेक्षा अधिक होता है जो उनकी जायिष्ठ स्थिति में सुधार लाता है। इसलिए आय तथा व्यय को दृष्टि में रखते हुए न्याय को व्यवहार में लाने का प्रयत्न किया गया है।

### समाजवादी सिद्धांत पर आधारित कराधान

यह सब है कि आय व धन की असमानताएँ अन्य विकसित अर्थव्यवस्था की उल्लेखनीय विशेषताएँ मानी जाती हैं। असमानता के कुछ मूलभूत स्रोतों को एक निश्चित उद्देश्य से धीरे-धीरे मिलाकर ही समानता की ओर चला जाता है। हर प्रणाली इस तथ्य को स्वीकार करके इस प्रक्रिया में निश्चित रूप से सहमता दे सकती है। भारत में समाजवादी समाज की स्थापना, धन और आय के वितरण की असमानता को दूर करने पर बल देती है। भारतीय सरकार प्रारम्भ से ही कराधान के रुचि को इस रूप में टाँसती रही है कि वह समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बने। 1971-72 के बजट में जो कर प्रस्ताव दोग किए गए हैं वे उन लोगों को उपयुक्त प्रेरित नहीं हो सकते हैं जो ग्राह्यरूप लोगों की गुणता में विलसिता का जीवन व्यतीत करते आए हैं तथा जिनकी आम औसत व्यक्ति की संस्था बहुत अधिक है। 1956 के नये कर प्रस्तावों के द्वारा भी इस बात का प्रयत्न किया गया है कि धन का केंद्रीकरण कम हो और लोगों के मध्य वितरण जायिष्ठ विषमता घटे। ऊंचे कराधान से ऊंची आय वालों को दान करने को इच्छा पर जो प्रेरणा के प्रतिबल प्रभाव पड़ता है उसको प्रायः बचा-बचा कर बहा जाता है। कर देय सामर्थ्य के अनुसार कराधान का सिद्धांत

अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त होने वाली धारणाएँ कभी-कभी जलन विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर भी लागू कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक धारणा कर देय सामर्थ्य के अनुसार कर लगाने की है। प्रो० आर० एन० फाउंड के विचारों के रूप में कहा है, 'हर एक मूलतः कर देय सामर्थ्य सिद्धांत पर आधारित होता चाहिए।'<sup>1</sup> 'आय और धन पर काफी आगेही कराधान के किसी भी प्रस्ताव के समर्थन में भी इस धारणा का सुगमतापूर्वक प्रयोग किया गया है।'<sup>2</sup> उदाहरण के लिए, मई 1959 में लागू के

1 P. N. Bhargava 'Indian Public Finance', (1970), Orient Longman's Ltd. p. 49

2 नवनीलारायण नायडु का (अनुवादक और संप्रेषणकर्ता) कराधान : एक नैदानिक विवेचन, (1966)-मानाजिक विज्ञान हिंदी रचना केंद्र, रायच्यार विश्वविद्यालय, रायपुर, पृ० 147

वित्तमन्त्री ने अपने बजट भाषण में धन पर लगाए जाने वाले नये कर को कर देय सामर्थ्य से आधार पर न्यायोचित ठहराया। उन्होंने कहा था, 'यह स्वीकार किया जाता है कि प्रचलित आयकर कानून और व्यवहार के अनुसार आय की जो परिभाषा दी गई है वह कर देय सामर्थ्य का पर्याप्त माप नहीं है और आय पर कर लगाने की प्रणाली के साथ-साथ धन पर आधारित कराधान भी होना चाहिए।'<sup>1</sup>

इस संदर्भ में एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्या भारत में कर का ढांचा लोगों की आय और धन के द्वारा मापी जा सकने वाली 'कर देय सामर्थ्य' पर आधारित है। परंपरागत रूप में अर्थशास्त्री आय को कर देय सामर्थ्य का आधार मानते आए हैं क्योंकि आय ही किसी व्यक्ति को व्यय शक्ति प्रदान करती है। 'एक व्यक्ति जो स्वयं तथा अपने कुटुंब के नाम हेतु व्यय शक्ति रखता है उसका एक भाग उस समुदाय को अथवा एक बड़े कुटुंब की, जिसका कि वह स्वयं भी एक सदस्य है, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देना चाहिए।'<sup>2</sup> इस दृष्टि में पूँजी में भी व्यय शक्ति निहित होती है। आय एक प्रवाह है तथा पूँजी एक ऐसी निधि है जो आय के प्रवाह का स्रोत बनती है। आय प्रवाह की तुलना में ऐसी विशेष निधि का स्वामित्व उसके अधिकारी को यह विशेष लाभ प्रदान करता है कि सक्टावलीन समय में आय की समाप्ति पर वह इसको व्यय के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। इस प्रकार पूँजी एक स्थाई निधि है जबकि पूँजी से प्राप्त आय अस्थायी आय है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति जितनी व्यय शक्ति का प्रयोग करता है, वह व्यय शक्ति उसकी कर देय सामर्थ्य का उपयुक्त सकेत होता है। जो व्यक्ति व्यय शक्ति का अधिक प्रयोग करता है उसे अधिक कर भी अदा करना चाहिए। यदि वह व्यय शक्ति को स्थायित्व करता है, अर्थात् बचत करता है तब उस पर पड़ने वाले कराधान को भी स्थायित्व कर देना चाहिए। जब इस स्थायित्व व्यय शक्ति अर्थात् बचतों को व्यय में प्रयुक्त किया जाए तभी उसका कराधान होना चाहिए। जब उसका स्वामी व्यय शक्ति का उपयोग नहीं करता तब वह उसका केवल एक प्रतिहारो है, उसकी बचतें समुदाय के उत्पादक स्रोतों में वृद्धि करते हैं। 'यदि व्यय शक्ति के स्वामित्व की प्राप्ति उसके झूठे अभिमान की पुष्टि करती है तो उसको उसी प्राप्ति में ही जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।'<sup>3</sup>

ऐसा प्रोत्साहन उस पर कर न लगाकर ही दिया जा सकता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति व्यय शक्ति का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे अवश्य करा-रोपित किया जाए। आय तथा पूँजी के कराधान के महायक के रूप में व्यय कर का

1 Government of India, Ministry of Finance Finance Minister's Speech, May 15, 1957, pp 11 and 12.

2. R. N. Bhargava op. cit., p 50

3 R. N. Bhargava op. cit., p 53

नहीं औचित्य है जिसे भारत ने अपनाया था परन्तु प्रयासनिष्ठ कठिनाइयों के कारण उसको छोड़ना पड़ा।

**विकास कार्यक्रम के अनुकूल कर प्रणाली**

देश के विकास कार्यक्रम के लिए निम्न प्रकार की कर प्रणाली उपयुक्त होगी, इस विषय पर भी विचार करना आवश्यक है। 1950-51 में भारत की राष्ट्रीय आय का 66 प्रतिशत भाग कर के रूप में वसूल किया गया था। 1965-66 में यह प्रतिशत बढ़कर 14 तक पहुँच गया है। यह प्रतिशत कुछ अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। उदाहरणार्थ 1954-55 में जर्मनी में कर-वसूली राष्ट्रीय आय का 15 प्रतिशत तथा श्रीलंका में 177 प्रतिशत रही है। यदि हम अपनी विकास योजनाओं के लिए जमेसित मात्रा में वित्त प्रबन्ध करना चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय आधारीत पर कर अनुपात को बढ़ाना होगा। यह कर प्रणाली जो कुल मिलाकर विनियोग और बचत की दृष्टि में पूँजी-संचयन को बढ़ावा देती है, एक आवश्यक तत्व की पूर्ति करती है।

हमारी सामाजिक नीति के उद्देशानुसार अतिरिक्त आय साधारण व्यक्तियों तक पहुँचनी चाहिए। यह वे व्यक्ति हैं जो संचय करने के आदी नहीं हैं। जन-स्वरूप जो अतिरिक्त आय इन्हें प्राप्त होगी वह आगिक रूप में 'प्रदर्शन प्रभाव' के द्वारा व्यय कर दी जाएगी तथा आगिक रूप में इसलिए भी, क्योंकि उनका रहन-सहन का स्तर पहले से ही बहुत नीचा है। यह हम भली-भाँति जानते हैं कि उपभोग की प्रवृत्ति निर्धन वर्ग में तीव्र होती है और परिणामस्वरूप विनियोग कम होता है। इसलिए कर प्रणाली का सामान्य उद्देश्य उपभोग को नियंत्रित करके बचत व विनियोग को प्रोत्साहित करना है। इस सदर्भ में अग्रयज्ञ करों का महत्त्व प्रबल होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा आयतों तथा निर्यातों पर करारोपण, व्यापार-नियंत्रण तथा विदेशी विनिमय की रक्षा का प्रभावशाली यंत्र है। अवमूल्यन की घटना तथा कोरिया-मुद्र के उपरांत मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। अतिरिक्त मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न परीक्षण करों की सहमता ली गई। अतिरिक्त निर्यात करों द्वारा सरकार ने बहुत ही योग्यतापूर्ण अतिरिक्त मूल्यों की बाह्य मूल्यों से पृथक् रखा है। स्वतंत्रता के पश्चात् उपभोग को सीमित करने के लिए उत्पादन शुल्क में भी आयातीत वृद्धि हुई है। योजनाकाल में बन्धुओं तथा सेवाओं पर लगाए गए अग्रयज्ञ करों में 451 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ कर-संशोधन में अग्रयज्ञ कर का अनुपात 1950-51 में 70 प्रतिशत से बढ़कर सन् 1965-66 में 77 प्रतिशत हो गया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि साधारणतः अग्रयज्ञ करों का महत्त्व संपत्ति एवं आय के असमान वितरण को दूर करने में होता है, वहीं विकास के प्रारम्भिक चरण में अग्रयज्ञ करों का महत्त्व उपभोग की प्रवृत्ति पर आवश्यक अंकुश लगाना होता है।

### प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर

कर प्रणाली के ढांचे पर विचार करते समय प्रायः एक प्रश्न यह उठाया जाता है कि कर प्रणाली में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का सापेक्षिक स्थान क्या हो। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि समग्र रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के किसी विशेष अनुपात का कोई विशेष महत्त्व नहीं होता। यदि हमें कर प्रणाली से अधिक आय प्राप्त करनी है तो स्पष्ट है कि कर की ऊँची दरें और करों का अधिक विस्तृत क्षेत्र दोनों समान रूप से आवश्यक हैं और आय की वृद्धि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों पर फैली हुई होनी चाहिए।

प्रथम तीन योजना काल में आयकर, व्यय कर, संपत्ति कर एवं पूँजीगत लेन-देन पर कर आदि प्रत्यक्ष करों में 265 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई किंतु कुल कर-राजस्व में उनका अनुपात 30 प्रतिशत से घट कर 23 प्रतिशत रह गया। हमारे शब्दों में कुल राजस्व का प्रत्यक्ष करों द्वारा प्रदत्त राजस्व कम हो गया।

एक अनुमान के अनुसार भारत में 450 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति पर ही आयकर लगाया जाता है।<sup>1</sup> इसलिए यह स्वाभाविक है कि राजस्व की प्राप्ति का बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष करों का सहारा लिया जाए। यह ही नहीं आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों की सबसे अधिक जटिल समस्या कर वचन की है। कर वचन की वर्तमान राशि का अनुमान लगाते हुए वाचू आयोग ने स्पष्ट किया कि लगभग 1400 करोड़ रुपये की आय पर लोग कर नहीं देते हैं। इसलिए आयकर का अतर्गत प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि करने के उपरांत भी परोक्ष कराधान पर निर्भर रहना पड़ा है तथा उत्पादन शुल्कों व राजकीय विक्री करों में विस्तार किया गया है।

अब तो नवीन बहुमुखी कर-ढांचे की रचना द्वारा करदाता सभी दिशाओं से घिर जाता है। यदि वह आय अर्जित करता है तो उसे आयकर अदा करना पड़ता है। यदि वह व्यय करता है तो वह व्यय कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों के चंगुल में आ जाता है। यदि वह सचय करता है तो घन के वार्षिक कर का शिकार होता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तब उसकी जामदाद संपत्ति कर के अधीन करारोपित हो जाती है। इस प्रकार कर निर्धारिणी अपनी आय तथा पूँजी को किसी प्रकार भी व्यवहार में लाए वह कर के चंगुल से नहीं बच सकता। ऊपरी रूप से कराधान की ऐसी प्रणाली प्रतिहिंसकतम अपहरण रखती हुई प्रतीत होती है परंतु वास्तव में ऐसी बहु कर प्रणाली न्याय की दृष्टि से आवश्यक है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की ही भिन्न करारोपण हैं। आयकर, व्ययशक्ति के उपार्जन पर कर है। व्यय कर, व्ययशक्ति के व्यवहार पर कर है। संपत्ति कर, व्ययशक्ति के सचय पर कर है। उपहार कर तथा मृत्यु कर, व्यय-शक्ति के हस्तांतरण को करा-

रोपित करते हैं। ऐसी कर योजना, कार्य, माहस तथा बकत करे बिना हमारे पहुँचाए समान राजस्व जुटा सकती है और साथ ही प्रेरणादायक भी सिद्ध होती है।

### भारतीय कर-ढाँचे में दोष

कराधान के ढाँचे के सबंध में कोई स्थाई विचार प्रकट नहीं किया जा सकता। संप्रत्य तथा स्थिति को देखते हुए इसमें आवश्यक परिवर्तन होने चाहिए। यही कारण है किसी देश की भी कर प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं बही जा सकती। भारत की कर प्रणाली में भी कुछ दोष हैं। मुख्य दोषों का वर्णन नीचे किया गया है।

(1) कराधान का अर्थशास्त्रिक ढाँचा भारतीय कराधान का ढाँचा किसी वैज्ञानिक आधार पर स्थित नहीं है। वर्तमान कर प्रणाली का जन्म तथा विस्तार केवल समय-समय पर उत्पन्न होने वाले आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। बजट में अनुमान ही एकात्मक विचारणीय विषय रहा है। उत्पादन पर करों का क्या प्रभाव पड़ता है, इनका करापात कौन सहन करता है, इन तन्त्रों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया गया। यही कारण है कि विभिन्न करों में न ही समन्वय है और न ही वे एक-दूसरे के पूरक हैं।

(2) सोच का अभाव : भारतीय कराधान की संरचना में मात्र भी अनुचित सोच का अभाव है। देश की कर व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों से इस प्रकार संबंधित होनी चाहिए कि आर्थिक विस्तारों में तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि हो। इस दृष्टिकोण से हमारी कर प्रणाली असोषजनक नहीं कहनी जा सकती। पर्याप्त सोच के अभाव के कारण सामाजिक सेवाओं और विकास कार्यों पर बढ़ते हुए व्यय के अनुरूप सरकार अपनी आय को बढ़ाने में असमर्थ रही है। अब देश स्वयं स्फूर्ति-विकास के सक्षम की ओर रन्तु है और जहाँ प्रगतिशील कर प्रणाली को स्वीकार किया गया है, वहाँ कर की सोच इन्हीं से अधिक होनी चाहिए, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है।

(3) प्रतिगामी कर प्रणाली : हमारे कराधान के ढाँचे में एक अन्य दोष यह है कि धनिकों पर कर का भार कम तथा निर्धनों पर अधिक है। कुछ प्रत्यक्ष करों को छोड़कर अधिकांश कर प्रतिगामी हैं। सरकार प्रत्यक्ष करों की तुलना में चम्पु करों अथवा अप्रत्यक्ष करों पर अधिक निर्भर रहती है। कर आब आयोग के अनुसार 1953-54 में कुल आय का 24 प्रतिशत प्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। परिणामस्वरूप देश में निर्धनों तथा मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों पर कर का भार अधिक बढ़ा है। प्रो० के० टी० शाह के शब्दों में, 'धनिक वर्ग अपेक्षाकृत होने भार के साथ बच जाते हैं यद्यपि इस भार को सहन करने की उनकी क्षमता अपेक्षाकृत

अधिक है, जबकि निर्धन वर्ग जो इस भार से बच नहीं सकते उनकी स्थिति एक मैमने जैसी है।'

(4) राष्ट्रीय आय में कर-राजस्व का न्यून भाग : भारत में राष्ट्रीय आय में कुल कर-राजस्व का अनुपात लगभग 12 प्रतिशत है। यह अनुपात अन्य देशों की तुलना में, जिनमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के देश भी सम्मिलित हैं, बहुत कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन कृषि क्षेत्रों से राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है उसका बहुत कम भाग करारोपित होता है। दूसरा मूल कारण यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग मुद्राविहीन है जिससे यह भाग करारोपण के प्रभाव से बच जाता है।

(5) कराधान के ढांचे में बारंबार परिवर्तन : भारतीय कराधान के ढांचे की एक निर्वर्लता यह भी है कि इसमें बार-बार परिवर्तन किए जाते रहे हैं। ये परिवर्तन इतने अधिक होते हैं कि लोग यह समझने लगे हैं कि कर अधिनियम को पूर्णतया परिवर्तित करने के लिए ही वित्त अधिनियम का प्रयोग किया जाता है। ये परिवर्तन केवल दूर तक ही सीमित नहीं रहते अपितु कर योजना को भी अपनी लपेट में ले लेते हैं। कुछ उदाहरणों द्वारा इस बचन की पुष्टि की जा सकती है। 1964-65 के वर्ष में अधिक लाभ-कर लगाया गया था परंतु अगले वर्ष ही उसका प्रतिस्थापन कंपनी कर से कर दिया गया। 1963 में अनिवार्य बचत योजना का जारी करना भी जट्टाबाजी का परिणाम था क्योंकि विधानमंडल को मौलिक योजना में अनेक परिवर्तन लाने पड़े थे। प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण इस योजना को पुनः परिवर्तित करके केवल आय करदाताओं तक सीमित कर दिया गया और अंत में एक वर्ष के पश्चात् समाप्त ही कर दिया गया। 1964 में फिर इस योजना को नये सिरे से बाणिजी बचत योजना का रूप दिया गया। फिर 1966 में यह योजना 15000-25000 रु० की आय-सीमा के कर-निर्धारितों के लिए ऐच्छिक कर दी गई और 14 सितम्बर 1967 की विज्ञप्ति के अनुसार इस वर्ष के लिए पुनः अनिवार्य कर दी गई। ऐसे बारंबार परिवर्तन साहसी एवं विनियोग वर्ग में मनोवैज्ञानिक विघ्न उत्पन्न करते हैं तथा साथ ही पूंजी बाजार को घबका पहुँचाते हैं।

### सुझाव

यद्यपि भारतीय कराधान के ढांचे में न्यूनधिक रूप में उपरोक्त दोष पाए जाते हैं, तथापि देश जिस सङ्कमण काल से गुजर रहा है तथा जिन कठिनाइयों के बावजूद आर्थिक विकास की ओर उन्मुख है, उसे दृष्टि में रखते हुए कर ढांचे में तुरन्त हेर-फेर करने की आवश्यकता है। बरों की दूरों तथा योजनाओं के बारंबार परिवर्तन ने करारोपण के ढांचे को हास्यप्रद बना दिया है। यह आवश्यक हो गया है किसी भी कर-योजना को व्यवहार में लाने से पूर्व उसके प्रभावों एवं जटिलताओं

का विमलेषण सोच-समझकर किया जाए। यह उचित ही होगा कि आय के करारोपण की दरें आयकर अधिनियम में ही सम्मिलित की जाए और आपत्तिकाल को छोड़कर पाच मान में पूर्व इनमें परिवर्तन लाने की चेष्टा न की जाए और जहां तक सम्भव हो ये परिवर्तन योजनाकाल से मेल खाते हुए हों। स्थाई कर की दरें विनियोग की योजनाओं तथा माहमी वर्ग में विरवाम उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, विशेष रूप से ऐसी प्रयोजनाओं के वित्तीय मामलों में जिनको सर्भा-चधि लबी होती है।

हम मली-भाति जानते हैं कि प्रत्यक्ष करों में प्राप्त आय की लोच बहुत कम होती है। हमारे शब्दों में, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर, प्रत्यक्ष करों की प्राप्तियों में आनुपातिक वृद्धि नहीं होती। जो० एस० महोता की गणना के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष करों की लोच केवल 0.674 है। इसलिए विकास के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अप्रत्यक्ष करों द्वारा अधिक धन जुटाने पर बल देने की आवश्यकता है। हम यह जानते हैं कि अप्रत्यक्ष कराधान कर ढांचे को अमान्य-पूर्ण बनाया है और आर्थिक विकास का भार जनसाधारण को सहन करना पड़ना है, परंतु इससे कोई बचाव सम्भव नहीं है।

बोल्डर हैनर ने इस मदमें में कहा है, "....आर्थिक विकास के लिए पूंजी-निर्माण के साधन के रूप में अपना कार्य करने में कर-नीति आधारभूत दुविधा में उलझी है। एक ओर कराधान के ऊंचे स्तर आवश्यक हैं ताकि विकास के उभरते भाग का वित्त प्रवर्धक हो सके जो सरकार के क्षेत्र में है और उन विनियोजन के साधनों को जुटाए जो अन्यथा छिन्न-भिन्न हो सकते हैं। दूसरी ओर कर जितने नीचे होंगे, निजी विनियोजनों को इस बात का उत्तरा ही अधिक प्रोत्साहन मिलेगा कि वे कृषि तथा औद्योगिक विरवाम में विनियोजन से सबद्ध आय के प्रति जोखिम उठाए। इस तथ्य से दुविधा और बढ़ जाती है कि वे कर जो अधिक पूंजी-निर्माण के लिए आर्थिक विकास में होने वाले लाभों के बड़े भाग को प्राप्त करने में सफल रहते हैं, वे वही हैं जो निजी विनियोजन के प्रतिफलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि ये कर आय के परिमाण के साथ-साथ सीधे परिवर्तित होते हैं और प्रगामी रूप से बढ़ते हैं जो विकास के लाभों को खपा देने में अधिक प्रभावशाली हैं। (और सामान्य रूप से न्याय-मान्य के आधार पर प्राथमिकता देने योग्य हैं) फिर भी ये वे कर हैं जो सीमांत प्रयत्न तथा जोखिम लेने की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।"<sup>1</sup>

कराधान के ढांचे में ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है जो अतिरिक्त जुटाए और साथ ही उसका परिमाण बढ़ाए। प्रो० चेतलैया का मत है कि अल्प विकसित देशों में, राष्ट्रीय प्रदा के आधे से अधिक का योगदान कृषि प्रदान करती है, और

1. 'U. N. Taxation and Fiscal Policy, in Under-developed Countries', p. 10

उसका अधिकांश भाग भूस्वामियों, व्यापारियों तथा मध्यस्थों को प्राप्त होता है। यही आर्थिक अतिरेक है जो कि वास्तविक चालू प्रदा तथा वास्तविक चालू उपभोग का अंतर है। यह आवश्यक है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में अतिरेक का बड़ा भाग उत्पादक क्रियाओं में लगाया जाए। भारत में भूस्वामियों, व्यापारियों और मध्यस्थों की आदत इस अतिरेक को अनुत्पादक दशाओं जैसे स्वर्ण, भू-संपदा, सट्टे की क्रियाओं और विविष्ट उपभोग में लगाने की होती है, इसलिए सरकार को चाहिए कि मिर्चाई निर्माण कार्य, बाढ़-नियंत्रण व्यवस्था इत्यादि जैसी विकास परियोजनाओं के वित्त प्रवर्धन के लिए सबधित भूमि कर, कृषि आयकर तथा विविष्ट कर निर्धारण तथा सुधार कर (betterment levy) के माध्यम से इस अतिरेक को जुटाए। प्रो० कोल्डार ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है, 'किसी न किसी रूप में कृषि पर कराधान आर्थिक विकास के त्वरण में विशिष्ट कार्य करता है।' भारत सरकार ने 1973-74 के बजट में पहली बार इस तथ्य को स्वीकार किया है तथा कृषि आय को किसी अंश तक जायकर के सपेट में ले लिया है।

सच पूछा जाए तो कराधान, हमारे जैसी अर्थव्यवस्था में जहां उपभोग की प्रवृत्ति सामान्यता ऊंची है वृद्धत व विनियोग की कुल मात्रा में वृद्धि करने का एक प्रभावपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय में वृद्धि करने का संभवतया एकमात्र प्रभावशाली उपाय यह हो सकता है कि राज्य निजी उपभोग में सार्वजनिक विनियोग में साधनों के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कराधान का जो ढांचा इस उद्देश्य के लिए सबसे अधिक न्याय संगत और उपयोगी होगा वो प्रत्यक्ष व परोक्ष कराधान का एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें उचित विविधता पाई जाएगी और जो उपभोग में सार्वजनिक विनियोग की ओर वित्तीय साधनों का हस्तांतरण ऐसे ढंग से करने का प्रयत्न करेगा जो विकास कार्यक्रम के अनुकूल हो। अतः कराधान के ढांचे में गहनता व व्यापकता दोनों पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। विलासिता अथवा अर्थ विलासिता की वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाने के साथ-साथ अपेक्षाकृत नीची दरों पर जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं पर व्यापक ढंग से कर लगाने की भी आवश्यकता है। प्रत्यक्ष कराधान के क्षेत्र में वैयक्तिक आयकर की ऊंची दरों के साथ उस आय पर भी छूट देनी चाहिए जो वचाई अथवा विनियोजित की जाती है। अतः में यह कहा जा सकता है कि वह कर प्रणाली जो भारतीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो और जिसमें विकास कार्यक्रम के लिए आवश्यक साधनों का ध्यान रखा जाए, उसे निजी क्षेत्र में होने वाले विनियोग में यथासंभव अधिकतम कमी करने सार्वजनिक क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले विनियोग के साधनों में वृद्धि करने में समर्थ होना चाहिए।



मुक्त सरकारी तथा गैर सरकारी उधार म धन का एक उपयोग से दूसरे उपयोग की ओर स्थानांतरण होता है।

फिर एक निजी उधार लेने वाला ऋण की अदायगी उस समय तक नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने उधार की धनराशि का लाभपद रीति से उपयोग न कर ले। इसी प्रकार सरकार भी अपने उधार को ऐसे कार्यों में प्रयुक्त करती है जिससे सरकारी ऋण की वापसी का प्रबंध हो सके।

जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो वह स्वयं को अपने लिए ही खर्च करता है किन्तु जब सरकार उधार लेती है तो वह धन संपूर्ण समाज के लिए खर्च करती है। फिर जब कोई व्यक्ति अपना ऋण वापिस करता है तो उसकी वापसी का भार वह स्वयं ही उठाता है किन्तु जब सरकार अपने ऋण की अदायगी करती है तो वह कराधान के द्वारा करती है अर्थात् उक्त भार संपूर्ण समाज अथवा राष्ट्र द्वारा वहन किया जाता है परंतु यहाँ रुचिकर बात यह है कि उधार लेने वाला जो कि सरकार से ऋण की अदायगी प्राप्त करता है उस अदायगी के लिए करा के रूप में स्वयं अर्शदान भी देता है।

गैर सरकारी ऋण में उधार देने वाला देते समय धन का त्याग करता है और उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा खर्च किए गए धन से उसे कोई लाभ नहीं पहुँचता। दूसरी ओर सरकारी ऋण में चूँकि सरकार द्वारा लिया उधार धन संपूर्ण रूप में समाज के लिए खर्च किया जाता है अतः उधार देने वाले को भी लाभ पहुँचता है इसलिए यह कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सरकार को उधार देता है तो वह स्वयं को ही उधार देता है।

इसी प्रकार यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि जो व्यक्ति सरकार को उधार देता है वह अच्छी स्थिति में भी रहता है और साध-ही साध बुरी स्थिति में भी। अच्छी स्थिति में इसलिए रहता है क्योंकि उसे मूलधन की वापसी तथा व्याज की अदायगी में स्वयं भी हिस्सा देना पड़ता है। ऐसी विशेषता निजी ऋण में उत्पन्न नहीं होती है।

सरकार समस्त विश्व में वही से भी उधार ले सकती है जबकि एक निजी व्यक्ति अथवा निगम केवल देश के अंदर से ही उधार ले सकता है। निजी व्यक्ति उपयोग कार्यों के लिए भी ऋण ले सकता है किन्तु इससे विपरीत सरकार सामान्यतः केवल उत्पादनीय कार्यक्रमों की वित्तीय व्यवस्था के लिए ही उधार लेती है। इसके अतिरिक्त सरकारी ऋण की तुलना में गैर सरकारी ऋण के व्याज की दर साधारणतया ऊँची होती है क्योंकि व्यक्तियों की अपेक्षा सरकार की साध तथा ऋण वापसी की क्षमता अधिक मानी जाती है।

### सांख्यिक ऋण का वर्गीकरण

एक सामान्य तथा प्रचलित वर्गीकरण के अनुसार सांख्यिक ऋण को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है

### (1) आंतरिक एवं बाह्य ऋण

आंतरिक ऋण उस सरकारो ऋण को कहते हैं जो देण के बदल में ही लिया जाता है जबकि बाह्य ऋण विदेशी सरकारो, विदेशी व्यक्तियो अथवा अंतर्राष्ट्रीय तथाओ में लिया जाता है। यद्यपि आजकल बाह्य ऋण बहुत प्रचलित होता आ रहा है, किंतु फिर भी इसके विरुद्ध ममान्य पूर्वाग्रह पाया जाता है जो कि अज्ञानता एवं दोषपूर्ण आर्थिक विचारो पर आधारित है।

### (2) कोपित एवं अकोपित ऋण

ऋण जब एक निश्चित समय के लिए होते हैं तो उनको पूर्ण देण अवधि होती है, अन्यथा नहीं। जिन ऋणों के मूलदान करने की निधि नहीं होती, उन्हें कोपित ऋण कहते हैं। इनका मूलदान वापिस करने का कोई वायदा नहीं होता। केवल व्याज का नियमित (प्रायः छमाई) भुगतान करने का दायित्व रहता है। जो ऋण अत्यंत दीर्घकालीन होते हैं उन्हें भी कोपित ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। इनको और अकोपित अथवा चालू ऋण के होते हैं जिनका न केवल व्याज बरन मूलदान भी निश्चित अवधि के बाद वापिस किया जाता है। फिर भी, यह वर्गीकरण एकदम मुनिश्चित नहीं माना जाता है। डाल्टन के अनुसार कोपित और अकोपित ऋणो का वर्गीकरण बहुधा भ्रामक होता है।

### (3) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण

ऋणो को उनके वापस किए जाने के समय की अवधि के आधार पर अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों में बाटा जा सकता है परंतु दोनों ऋणों के मध्य कोई निश्चित विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। फिर भी दीर्घकालीन ऋण वे होते हैं जिनकी मोधन तिथि प्रायः 10 या इससे अधिक वर्षों के बाद आती है और अल्पकालीन ऋण वे होते हैं जिनकी मोधन तिथि प्रायः 10 वर्ष से कम होती है। भारत में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कोषागार विपन्न जिनकी अवधि 3 या 6 माह की होती है, अल्पकालीन ऋणों के उदाहरण हैं।

### (4) शोध्य एवं अशोध्य ऋण

शोध्य ऋण वे होते हैं जो भविष्य में एक निश्चित अवधि के उपरांत देण होते हैं। इस प्रकार के ऋण समय के आधार पर दीर्घकालीन, मध्यकालीन तथा अल्पकालीन भी हो सकते हैं। कर का भार इन ऋणों में बट जाता है क्योंकि व्याज और मूलदान दोनों ही सौटाने होते हैं।

अशोध्य ऋण वे ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के लिए वचन नहीं दिया जाता है परंतु जिन पर एक निश्चित दर में सरकार द्वारा व्याज दिया जाता है।

अशोध्य ऋण का भार भावी पीढ़ियों पर पड़ता है और शोध्य ऋणों का वर्तमान पर। अशोध्य ऋणों को उन वर्षों के लिए लेना चाहिए जिनके निरंतर

आय प्राप्ती होती है ताकि उसके व्याज का शोधन सुविधापूर्वक किया जा सके। शोध्य ऋण को स्थाई या अस्थायी तथा अल्पकालीन ऋण भी कहा जाता है। वास्तव में शोध्य व अशोध्य ऋण मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं—स्थायी तथा अस्थायी। इन ऋणों के अपने-अपने गुण-दोष होते हैं। जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

**स्थायी ऋणों के गुण :** (अ) स्थायी ऋणों का तत्काल भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस कारण विनियोग के लिए वे ऋण उचित होते हैं। चूंकि इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है इसलिए नागरिकों पर इनका तत्काल भार नहीं पड़ता है।

(ब) ये न्याय सगत होते हैं क्योंकि इनका भार भावो पीड़ी पर भी डाला जा सकता है।

(स) ऐसे ऋणों को लेने से सरकार को बार-बार ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

(द) स्थायी ऋण बैंकों, त्रिनियोग संस्थाओं तथा धीमा निगमों आदि को विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(य) व्याज दर नीची होने पर ऐसे ऋण उचित होते हैं।

(र) दीर्घकालीन चलने वाली आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होते हैं।

(ल) अर्द्धविनियमित राष्ट्रों के विकास के लिए ये ऋण अधिन उपयुक्त समझे जाते हैं।

**दोष** (1) जब सरकार अस्थायी ऋणों को लेने को नियमित व्यवहार बना लेती है तब इनका अस्थायी रूप बदल जाता है और सरकार के ऋण कभी भी समाप्त नहीं होते।

(2) ये ऋण सरकार की मात्र पर प्रतिबल प्रभाव डालते हैं इसलिए भविष्य में ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

(3) ये ऋण उद्योग घटो तथा उपयत्ना के लिए विनियोग को प्रोत्साहित नहीं करते।

(4) अस्थायी ऋणों पर प्रायः वानूनी प्रतिबंध न होने से उनके भुगतान के लिए अधिन नोट निर्गमित किए जाते हैं जिससे देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति या जान से जनता को ऐसे ऋणों का अप्रत्यक्ष वास्तविक भार वहन करना पड़ता है।

(5) उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण

सरकारी ऋण को उत्पादक तब कहा जा सकता है जबकि उस ऋण के विनियोग से इतनी आय हो जाती है जिससे कि ऋण के बँवल वापिक व्याज को ही नहीं चुकाया जाता अपितु दीर्घकाल में मूलधन की वापसी में भी सहायता

मिनती है। सरकारी ऋण एक दूसरे अर्थ में भी उत्पादक कहे जा सकते हैं, सरकार ऋण लेकर कुछ ऐसी प्रयोजनाओं को चालू कर सकती है जो उपर्युक्त अर्थ में उत्पादक न हो परन्तु वे राष्ट्र के लिए बान्धव में बड़ी उपयोगी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पिछले क्षेत्र को जोड़ने वाला रेलमार्ग, किसी क्षेत्र में अज्ञान की स्थिति को खोलने के लिए सिखाई योजना आदि। इस अर्थ में अशुभवाग सरकारी ऋण उत्पादक होते हैं।

सार्वजनिक ऋण युद्ध की वित्तीय व्यवस्था के लिए भी लिए जाते हैं। ऐसे ऋण अनुपादक होते हैं क्योंकि इसमें किसी पश्चिमपति का निर्माण नहीं होता। ये ऋण पलाहीन ऋण होते हैं तथा समाज पर इनका जवानापक भार होता है।

### (6) अनिद्वार्य एवं ऐच्छिक ऋण

अनिद्वार्य ऋण वे ऋण होते हैं जो सरकार अपनी राजनैतिक सत्ता के प्रयोग के द्वारा नागरिकों में बलपूर्वक वसूल करती है और जिनका देना अनिद्वार्य होता है। इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम व फ्रांस में नेजरीन के राज्य ने अनिद्वार्य ऋण के उदाहरण मिनते हैं।

ऐच्छिक ऋण वे होते हैं जिन्हें नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से देने हैं। सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के ऋण आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के हो सकते हैं।

### (7) क्रय योग्य और अक्रय योग्य ऋण

क्रय योग्य ऋण सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में होते हैं जिनको स्वतन्त्रतापूर्वक खरीदा व बेचा जा सकता है। आजकल अशुभवाग ऋण इसी प्रकार के होते हैं। इनके विपरीत अक्रय योग्य ऋण में वे प्रतिभूतियाँ होती हैं जिनको बाजार में नहीं बेचा जा सकता, जैसे टाकसाने के बचत ऋण पत्र।

### (8) व्याज सहित व व्याज रहित ऋण

पहली प्रकार में वे ऋण सम्मिलित हैं जिन पर सरकार ऋणदाताओं की निश्चित व्याज की दर पर एक निश्चित अवधि के बाद भौताती है और दूसरी प्रकार के ऋण वे हैं जिन पर सरकार किसी प्रकार का व्याज देने का बचन नहीं देती है।

### (9) बून ऋण व शुद्ध ऋण

किसी भी मनवावधि विशेष में सरकार के जितने भी ऋण होते हैं उन सबके जोड़ को बून ऋण कहते हैं। बून ऋण में से यदि उन राशि को घटा दिया जाए जिनके शोधन के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, तो जो शेष बचेगा वह शुद्ध ऋण कहलाएगा।

## सरकार द्वारा ऋण लेने के कारण

आधुनिक समय में ऋण इसलिए लिए जाते हैं जिससे कि कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया जा सके।

### (1) बजट घाटों को पूरा करने के लिए

आधुनिक सरकार के पास ऐसा कोई संचित धन अथवा खजाना नहीं होता जिसमें कि वह बजट संबंधी घाटों को पूरित कर सके। सरकार को वार्षिक खर्च तो सामान्य वार्षिक आय से ही पूरा कर लेना चाहिए। परंतु अनेक परिस्थितियों के कारण यह संभव हो सकता है कि बराधान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय वास्तविक व्यय के बराबर न हो। इसी प्रकार कुछ ऐसी अनियोजित सत्रकालीन स्थितियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि युद्ध का छिड़ जाना या अकाल पड़ जाना, जिसमें सरकार को ऋण लेना पड़े।

### (2) मदीवाल को दूर करने के लिए

सार्वजनिक ऋण के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि यह मदीवा एर समाधान प्रस्तुत करता है। मदीवा की अवधि में आर्थिक क्रियाओं का स्तर नीचा हो जाता है जिससे उत्पादन तथा रोजगार की मात्रा भी घट जाती है। मदीवा तथा बेरोजगारी सामान्यतः वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में कमी के कारण उत्पन्न होती है। वीस जैसे अनेक अर्थशास्त्रियों ने ऐसे अधिकाधिक सरकारी व्यय को बरालत की है जिनकी वित्तीय व्यवस्था ऋण के द्वारा की गई हो, बराधान के द्वारा नहीं। क्योंकि बराधान तो लोगों की आय और वस्तुओं के प्रति उनकी मांग को और कम कर देता है किंतु ऋण की क्रिया कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालती। इससे अतिरिक्त ऋण सरकार को इस योग्य बनाता है कि वह जनता के पास पड़े अप्रयुक्त धन का उपयोग कर सके। इस प्रकार बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकारी उधार के पक्ष में काफी औचित्य विद्यमान है।

### (3) युद्ध की वित्त व्यवस्था के लिए

तीसरा तर्क जो सरकारी ऋण को आवश्यक बना देता है, युद्ध है। आधुनिक युद्ध इनने महंगे हो गए हैं कि बराधान के द्वारा प्राप्त की गई सामान्य आय युद्ध के वास्तविक व्यय से कम पड़ जाती है। किंतु बराधान के संबंध में यह भय रहता है कि यदि वह अपनी सीमाओं से ऊपर निकल जाए तो उत्पादन पर बड़े हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं और इस प्रकार युद्ध काल के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य युद्ध को जीतने में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त बराधान की तुलना में लोक ऋण राजस्व प्राप्ति के लिए एक सरल रीति है।

### (4) आर्थिक विकास के लिए

विकास कार्यक्रमों के लिए भी सार्वजनिक ऋणों की सहायता ली जाती है।

यह तब कि उन्नत देश भी अपनी आर्थिक समृद्धि को बचाने के लिए तथा सांस्कृतिक निर्माण के अनेक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक ऋण का उपयोग करते हैं। अन्य विभिन्न देश, जो अपने प्राकृतिक साधनों को अनुकूलतम उपयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, विज्ञान कार्यक्रमों की विनीत व्यवस्था के लिए सरकारी उधार को ही एक बड़ा उपयोगी साधन मानते हैं।

## ऋण बनाम कर

यह एक विवादग्रस्त विषय रहा है कि कर या ऋण में से क्या प्राप्त करने का बौद्धिक साधन श्रेष्ठ है? कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि ऋण की संरचना कर अच्छे होते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि ऋण और कर एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर पूरक होते हैं। इन मन्तव्यों में हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनमें ऋण के द्वारा आय प्राप्त करना या करारोपण द्वारा आय प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होगा है।

### (1) आवर्तक व अनावर्तक व्यय

सरकार को अपने आवर्तक व्यय की पूर्ति करारोपण से उत्पन्न होने वाली आय के द्वारा करना चाहिए तथा इनके विपरीत अनावर्तक व्यय के लिए सरकार को जनता से ऋण लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक 'टेनेन्टिफ फार्मोसिग आफ इकोनोमिक डेवलपमेंट' में लिखा है 'जब से कम सामान्य सरकारी सेवाओं पर खालू व्यय को करारोपण द्वारा पूरा करना चाहिए। ऐसे सरकारी व्यय जिनके द्वारा पूर्ण पावनाय निर्मित होती है अथवा जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक होते हैं। इनके लिए ऋण निषेधित, उपयुक्त होगा है। ऐसा करने के कई कारण हैं (क) यदि खालू व्यय अथवा अनावर्तक व्यय की पूर्ति करारोपण से प्राप्त आय द्वारा की जाती है तो यह व्यय के उपयोग और उपव्यय को रोकते है। (ख) करारोपण से भावी पीढ़ी पर ब्याज का भार नहीं पड़ता परन्तु ऋण द्वारा भावी पीढ़ी प्रभावित होती है। (ग) यदि आवर्तक व्ययों के लिए ऋण प्राप्त किए जाते हैं तो ऐसे ऋणों का बार-बार लेना अनुनिश्चयक होगा अतएव सरकार को आवर्तक व्ययों को पूरा करने के लिए कर का ही उपयोग करना चाहिए।

### (2) मन्दकालीन स्थिति

मन्दकालीन स्थिति में जैसे दुर्भिक्ष, बाढ़, महामारी आदि के समय देश की अर्थव्यवस्था प्रायः अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसी दशा में यदि बड़े ऋण खर्चों को अतिरिक्त कर लगा कर पूरा किया जाएगा तो आर्थिक विदेशी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी मन्दकालीन स्थितियों में सरकार को अपने वित्तीय घाटे की पूर्ति को ऋणों द्वारा पूरा करना अधिक उचित होगा।

### (3) आर्थिक विकास तथा उत्पादक उद्योग

आर्थिक विकास तथा उत्पादक उद्योगों की स्थापना के लिए योजनाबद्ध होकर वाय करने की आवश्यकता होती है ऐसे कार्यों के लिए सरकार को भारी व्यय करने पड़ने हैं। इनकी पूर्ति करो द्वारा नहीं की जा सकती। ऐसे ही एक अल्प विकसित देश में सरकार को अनेकों लोकोपयोगी सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती हैं। जैसे रेल व सड़क यातायात, संचार वाहन के साधन तथा जल उपयोगी सेवाएँ इत्यादि। इन उद्योगों की स्थापना पर सरकार को इतना भारी व्यय करना पड़ता है जो अकेले कर द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे उद्योगों की पूर्ति के लिए करारोपण की नीति निम्न कारणों से उचित नहीं ठहराई जा सकती (क) जनता पर करो का भार अधिक बढ़ जाएगा। (ख) अत्यधिक करारोपण जनता की कार्य करने व बचत करने की शक्ति व इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। (ग) करदाताओं के रहन-सहन के स्तर की कर की अदायगी से गिर जाने की सम्भावना अधिक रहेगी।

ऐसी स्थिति में ऋण नीति अपेक्षाकृत अधिक लागूदायक होगी क्योंकि (क) ऋण प्रदान करने से ऋणदाताओं को कोई विशेष कष्ट या त्याग सहन नहीं करना पड़ता। (ख) सूक्ति विकासशील योजनाओं में वर्तमान तथा भावी दोनों ही पीढ़ियाँ लाभान्वित होती हैं इसलिए ऋणों द्वारा इनका भार भावी पीढ़ियों पर विभाजित किया जा सकता है। (ग) ऋणों के द्वारा विकासशील योजनाओं को प्रियान्वित करने में व्यक्तियों की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर की अपेक्षा ऋण लेना अधिक उचित माना जाता है।

### (4) युद्ध काल की वित्त व्यवस्था

आधुनिक काल में युद्ध पर व्यय निरंतर बढ़ने पर है। प्रथम महायुद्ध में युद्ध पर राष्ट्रीय आय का 50 प्रतिशत व्यय हुआ। द्वितीय महायुद्ध का संचालन व्यय 60 से 70 प्रतिशत तक रहा। यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि युद्ध संचालन व्यय को पूरा करने के लिए करारोपण की नीति उपयुक्त रहेगी या ऋण नीति। क्योंकि युद्ध के लिए सरकार को बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है इसलिए करारोपण द्वारा तथा ऋण लेकर, दोनों ही प्रकार से इस व्यय को पूरा किया जाना चाहिए। जैसा कि सैलिगमैन ने कहा है 'यदि देश की समस्त बड़ी-बड़ी आम-दैनियों तथा लाभों को सरकार जब्त कर ले, तब भी आधुनिक युद्ध का आधा खर्च भी पूरा नहीं हो सकता है।' कर लगाने की भी एक सीमा होती है जो करदेय क्षमता से निर्धारित होती है। यदि करदाता को करदेय क्षमता से अधिक कर देने के लिए विवश किया जाएगा तो उसकी कार्यशुश्रूषण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि सरकार को युद्धजनित व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सहायता भी लेनी चाहिए। इससे सरकार को आय का एक

दूमरा साधन उपलब्ध हो जाता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि युद्ध-जनित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करारोपण तथा ऋण की नीति दोनों ही उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

## उधार के स्रोत

प्रत्येक सरकार को उधार के दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध होते हैं—आंतरिक और बाह्य। आंतरिक रूप में सरकार व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्य बैंकों तथा केंद्रीय बैंक से उधार ले सकती है। बाह्य रूप में सरकार व्यक्तियों तथा बैंकों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से तथा विदेशी सरकारों से उधार लेती है।

### (1) व्यक्तियों से उधार

जब व्यक्ति सरकारी बांड खरीदते हैं तो ऐसा करने के धन को गैर सरकारी उपयोग में सरकारी उपयोग की ओर स्थानांतरित करते हैं। व्यक्ति सरकारी बांडों में अपना धन लगाने में या तो चालू उपभोग को कम करने समर्थ होते हैं (ऐसा बहुत कम स्थितियों में होता है।) अथवा वे अपने निजी व्यवसाय के लिए रखे गए धन को या ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों में लगे धन को वहा से हटाकर सरकारी बांड खरीदते हैं। प्रायः व्यक्तियों को जब सरकारी बांड बेचे जाते हैं तो उसे अनेक उपभोग या व्ययसाय के विस्तार में कोई कटौती नहीं होती। बड़ी मात्रा में बांड उन धन से खरीदे जाते हैं जो निष्क्रिय पड़ा रहता है।

### (2) गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से उधार

सरकारी बांडों में धन विनियोग करने वालों में ऐसी वित्तीय संस्थाएँ अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे बीमा कंपनीयाँ, विनियोग प्रत्यास, परस्पर बचत बैंक, आदि। ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ सरकारी बांडों की ओर अधिक सुरक्षित होने के कारण प्राथमिकता देती हैं। दूमरे, ये सरलता से बेचे जा सकते हैं तथा उनको चाहे जब तरल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन पर व्याज की दर नीची होती है। अतः यह हो सकता है कि वित्तीय संस्थाएँ जोखिम वाले एवं उच्च प्रतिफल देने वाले ऋणपत्रों में विनियोग करना पसंद करें। बैंकिंग कार्य करने वालों वित्तीय संस्थाएँ जब सरकारी बांड खरीदती हैं तो वे अपनी संचयी को कम करने के इरादे में खरीदती हैं।

### (3) व्यापारिक बैंकों से उधार

वित्तीय तथा गैरवित्तीय संस्थाएँ जहाँ सरकारी बांडों को अपने निजी धन से खरीदती हैं, वहाँ बैंक अनिश्चित अथवा शक्ति का निर्माण करके (मास्य का निर्माण करके) ऐसा करती हैं। बैंक उतना ही ऋण दे सकेगा जितना कि उनकी अतिरिक्त नकद अर्थात् निधि होगी। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि बैंक जो ऋण



देते हैं वे नकद नहीं दिए जाते बल्कि उधार लेने वालों के नाम से खातों में उल्लेखित कर दिए जाते हैं। ये उधार लेने वाले व्यक्तियों को बैंक के द्वारा भुगतान करते हैं और भुगतान पाने वाले व्यक्ति भी बैंक को बैंक में भेज देते हैं क्योंकि उनके भी खाते बैंक में खुले होते हैं। परिणाम यह होता है कि जब तक बैंको से नकदी निकाली जाती है तब तक इस नकदी का उपयोग ऋणों के विस्तार से रूप में किया जाता है।

वाणिज्य बैंक भी साख का निर्माण करके सरकार को ऋण दे सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें अपने अन्य ऋण में तथा अशिशुओं को कम करने की आवश्यकता नहीं होती। बैंक के पास अब भी अतिरिक्त नकद आरक्षित निधि होती है तभी वह उस निधि से सरकारी वस्तु खरीद सकता है।

#### (4) केंद्रीय बैंक से उधार

देश का केंद्रीय बैंक भी सरकार को ऋण देता है। यह भी इस कार्य के लिए ठीक बंसी ही कार्यवाही करता है जैसी कि वाणिज्य बैंको द्वारा अतिरिक्त शक्ति का निर्माण करके की जा सकती है। सरकारी बांडों को खरीदकर केंद्रीय बैंक अपने यहाँ के खातों में उल्लेखित कर देते हैं। सरकार अपने लेनदारों का भुगतान केंद्रीय बैंक के बैंकों द्वारा करती है। लेनदार भी अपनी धनराशियों को अपने बैंक में जमा करते हैं। इस प्रकार, इन बैंकों के पास बड़ी मात्रा में नकद आरक्षित निधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जो कर्ज तथा उधार का आधार बनती हैं। केंद्रीय बैंक में लिया गया उधार अन्य सभी स्रोतों की तुलना में अधिक विस्तारवादी होता है क्योंकि इसके द्वारा न केवल सरकार को ही अपने खर्चों के लिए धन प्राप्त होता है वरन् वाणिज्य बैंकों को भी अतिरिक्त नकदी मिल जाती है। इस नकदी का उपयोग साख के विस्तार के लिए किया जाता है।

व्यक्तियों और वित्तीय संस्थाओं के द्वारा लिए जाने वाले उधार जहाँ केवल गैर सरकारी उपयोग से सरकारी उपयोग की ओर स्थानांतरण मात्र होते हैं वहाँ उनका अर्थव्यवस्था पर कोई विचारवादी प्रभाव नहीं पड़ता जबकि वाणिज्य बैंकों तथा केंद्रीय बैंक में लिए जाने वाले उधार विस्तारवादी प्रभाव डालते हैं।

उपरोक्त आंतरिक ऋण साधना के अतिरिक्त सरकार देश के बाहर से भी ऋण प्राप्त करती है। इन उधारों का उपयोग मुद्रा व्यय की वित्तीय व्यवस्था के लिए किया जाना है अथवा विकास परियोजनाओं के खर्चों के लिए या प्रतिकूल भुगतान शेष के भुगतान के लिए। पहले तो रेलों के निर्माण जैसी किसी विशिष्ट विकास परियोजना के लिए ऋण व्यक्तियों तथा बैंकिंग व अन्य वित्तीय संस्थाओं में लिए जाते थे। परन्तु आजकल इन माध्यमों के अतिरिक्त कूट और भी माध्यम हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्भार व विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास

जब सार्वजनिक ऋण का उपयोग भविष्य की उत्पादन योजनाओं व कार्यक्रमों पर किया जाता है तो इसका व्यक्ति की कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की क्षमता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है परन्तु इन ऋणों के भुगतान करने के लिए जो कर लगाए जाते हैं वे व्यक्ति की कार्य करने, बचत करने व विनियोग करने की योग्यता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।

(घ) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव : सरकार व्यक्तियों को प्रतिभूतियों का विश्रय करके विनियोग करने का सुरक्षित अवसर देती है जिससे बचतों को प्रोत्साहन मिलता है परन्तु सामान्यतः यह माना जाता है कि सार्वजनिक ऋण कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा को कम कर देते हैं, क्योंकि मूलधन व व्याज को चुकाने के लिए जो कर लगाए जाते हैं वे बचतों को कम कर देते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के धारकों को निरंतर व्याज की प्राप्ति उनकी कार्य करने व बचत करने की इच्छा को कम कर देती है।

(स) साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव : जब सार्वजनिक ऋण का उपयोग ऐसे व्यक्तियों में किया जाता है जो कि आवश्यक व उपयोगी होते हैं तथा जिनमें व्यक्तियों द्वारा धन नहीं लगाया जाता तो इस प्रकार धन का अंतरण उपयोगी होता है। जैसे सड़क, रेल, बिजली तथा मिर्चाई आदि प्रयोजनाओं पर किया गया व्यय उपयोगी होता है। परन्तु जब सार्वजनिक ऋण द्वारा प्राप्त धन का उपयोग मुद्रा आदि के लिए किया जाता है तो इस प्रकार के अंतरण से उत्पादन हतोत्साहित होता है।

अतः स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण द्वारा भविष्य में उत्पादन प्रोत्साहित व वर्तमान में निम्नसाहित होता है।

### (3) सार्वजनिक ऋण और वितरण

सार्वजनिक ऋण का धन के वितरण पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धनी वर्ग की बचतें अधिक होने के कारण ऋण अधिकतर इसी वर्ग में प्राप्त होता है। दूसरी ओर निर्धन वर्ग सरकार को ऋण देने में असमर्थ होता है। जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण लेती है तो इससे केवल धनी वर्ग ही त्रय कर पाता है। परन्तु जब इनके व्याज व मूलधन के भुगतान के लिए कर लगाया जाता है तो इसका भार मूलतः निर्धन वर्ग पर ही पड़ता है अर्थात् 'निर्धन वर्ग अपनी आय में से कुछ त्याग करता है जो व्याज व मूलधन के रूप में धनी वर्ग के पास चला जाता है। इस प्रकार धन निर्धन से धनी की ओर जाने लगता है। निर्धन की आय कम हो जाती है और धनी की आय बढ़ जाती है, इस प्रकार धन की असमानता और अधिक बढ़ जाती है।'<sup>1</sup>

अतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋण व्याज लेने वाले और

व्याज देने वाले वर्गों के बीच के अंतर को अधिक स्थाई बनाते हैं और इस सबब में उन्हें सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता ।<sup>1</sup>

जब सरकार इस ऋण का उपयोग सार्वजनिक निर्माण के कार्यों में देण की उन्नति के लिए करती है तो इतने नये-नये कारखानों की स्थापना होती है और निर्धन वर्ग को रोजगार मिलता है । इसी प्रकार शिक्षा पर अधिक व्यय करके सरकार निर्धन व्यक्तियों को अधिक धन कमान योग्य बनाती है । उनकी आय अधिक बढ़ जाने के कारण रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाता है जो उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है और वे और अधिक कमान योग्य हो जाते हैं । इस प्रकार निर्धन तथा धनी वर्ग के बीच की खाई कम हो जाती है ।

#### (4) सार्वजनिक ऋण और रोजगार

रोजगार उत्पादन पर निर्भर करता है । देण में रोजगार अधिक होने पर रोजगार भी अधिक होता है और उत्पादन कम होने पर रोजगार भी कम होता है । प्रो० लनर का मत है कि सार्वजनिक ऋण के सबब में प्रिन्सिपल वित्त का सिद्धांत लागू होना चाहिए अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर वि.ए. जाने वाले व्यय में संतुलन होना चाहिए । यदि व्यय अधिक किया जाता है तो बेरोजगारी भी बढ़ावा मिलता है किंतु जब व्यय उत्पादन बानों में किया जाता है तो रोजगार में वृद्धि होती है । अतः यह कहा जा सकता है कि ऋण देण में उत्पादन-रोजगार को बढ़ावा देते हैं ।

#### (5) सार्वजनिक ऋण और विनियोग

विनियोग पर सार्वजनिक ऋणों के प्रभाव की विवेचना दो रूपों में की जा सकती है (अ) जब सार्वजनिक ऋण अधिक मात्रा में ले लिए जाते हैं तो उनके भुगतान के लिए सरकार बड़ी मात्रा में कर लगाती है जिससे विनियोगकर्ताओं के मन में बड़ी अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बड़े ऋणों के भुगतान के लिए सरकार पूँजी कर या ऋण-नकार जैसी विधियों को अपना सकती है और इनसे दीर्घ-कालीन विनियोग हतोत्साहित होते हैं ।

(ब) दूसरे, जब बड़ी मात्रा में ऋण लिए जाते हैं तो सरकार अपने व्याज के दायित्वों को न्यूनतम रखने के लिए बाध्य हो जाती है । जिससे विनियोग प्रोत्साहित होते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि सार्वजनिक ऋणों में विनियोग प्रोत्साहित होते हैं अथवा हतोत्साहित ।

#### (6) सार्वजनिक ऋण और आंतरिक व बाह्य ऋण

सार्वजनिक ऋण सरकार आंतरिक व बाह्य दोनों ही रूपों में ले सकती है । आंतरिक ऋणों का कोई बुरा प्रभाव नहीं होता क्योंकि इन्हें केवल धन का

<sup>1</sup> Prof Findlay Shiras, 'The Science of Public Finance', p 472.

हस्तांतरण देश में ही होता है जबकि बाह्य ऋणों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यद्यपि बाह्य ऋण लेने से देश में विदेशी तकनीक व सेवाओं का आगमन होता है जिससे राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है परंतु इन ऋण का भुगतान सोना, बहुमूल्य वस्तुओं व सेवाओं आदि के रूप में करना होता है। पत्रस्वरूप ये वस्तुएं देश से बाहर चली जाती हैं और इनके अभाव में देशवासियों का जीवन शीघ्र ही ऊंचा नहीं हो जाता। दूसरी ओर आंतरिक ऋणों में इस प्रकार का कोई अभाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें व्याज व मूलधन के भुगतान में द्रव्य का हस्तांतरण देश के अंदर ही होता है। इस प्रकार जो भी उत्पादन होता है उसका उपभोग देशवासी ही करते हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश की सरकार को बाह्य ऋणों की अपेक्षा आंतरिक ऋणों को प्रमुच्यता देनी चाहिए क्योंकि आंतरिक ऋणों के प्रभाव बाह्य ऋणों की तुलना में अच्छे होते हैं।

### ऋण शोधन की विधिया

आधुनिक सरकारें अपनी ऋण शोधन क्रिया को एक सम्मानपूर्ण कार्य समझती हैं। ऋण का भुगतान उनकी साध और शक्ति को बनाए रखता है। राष्ट्र का यह उत्तरदायित्व है कि साठगान में यह, शीघ्रता से ऋण जुटाने में समर्थ हो तथा लिए हुए ऋण वापिस करे ताकि ऋणों के चुनता करने से व्यापार और उद्योग के लिए धन उपलब्ध हो सके। ऋण चुवाने के निम्नांकित उपाय हो सकते हैं

#### (1) आधिव्यय राजस्व का उपयोग

जब किसी ऋण की परिपक्व तिथि आती है तो सरकार को उस ऋण की वापसी के लिए धन जुटाने की आवश्यकता होती है। ऐसा सरकार राजस्व की आय से पूरा कर सकती है या नये उधार लेकर या फिर चांटे की वित्त व्यवस्था को अपना कर। सामान्य रूप से ऋण का भुगतान सरकारी राजस्व में से कर दिया जाता है। भुगतान के समय बजट में आवश्यक धन की व्यवस्था कर ली जाती है।

#### (2) सरकारी बाडों का प्रय

इस विधि के अनुसार ऋण की परिपक्व स्थिति के पूर्व ही सरकार बाजार में अपने ही बाड अथवा ऋण पत्रों को स्वयं खरीद लेती है और फिर उन्हें रद्द कर देती है। इस विधि में ऋण का थोड़ा-थोड़ा भाग अदा किया जा सकता है और समय-समय पर ऋण का थोड़ा-थोड़ा भाग हल्का किया जा सकता है। ऐसा तभी संभव होता है जब राजस्व का आधिव्यय हो अथवा कम व्याज पर अनुबूल परिस्थितियों में बाड बेचे जा सकते हो।

#### (3) सावधि वापिची

जब यह पूर्ण रूप से निश्चित कर लिया जाता है कि सरकार को अपने स्पर्द

ऋण को चुकाना है तब वह प्रतिवर्ष कुछ निश्चित धन बाणिजी के रूप में ऋण-दाताओं के उधार चुकाने के लिए बांध देती है। इसी भुगतान को बाणिजी कहते हैं। भुगतान की राशि में मूलधन और व्याज दोनों सम्मिलित होते हैं। स्पष्ट है कि जिस वान में यह बाणिजी दी जा रही होगी, उसमें व्याज के भुगतान के वान की अपेक्षा राजकीय वित्त पर कहीं अधिक दबाव पड़ता है।

#### (4) ऋण स्पातरण

चूल्नर ने ऋण स्पातरण की परिभाषा इस प्रकार दी है 'साधारण मूद की दरी में आई हुई कमी में लाभ उठाकर, अपने व्याज के भार को कम करने के उद्देश्य में वर्तमान ऋणों को नये ऋणों में बदलने की क्रिया को ही ऋण स्पातरण कहते हैं। ऋण का भार घटाने का यह एक अच्छा उपाय है। यह रीति प्रायः उस समय अपनाई जाती है, जब ऋण शोधन की विधि समीप आ जाती है और सरकार उनका भुगतान नहीं कर पाती।'

इस विधि के द्वारा ऋण का भार समाप्त नहीं होता अपितु भविष्य में ऋण भार अधिक हो जाता है क्योंकि बाजार में इन प्रतिभूतियों का मूल्य बढ जाता है। डाल्टन के अनुसार, 'इस प्रकार के ऋण व्याज की दर को श्रुतिगत रखते हुए विनियोगी वर्ग को अधिक पसंद होते हैं क्योंकि उनमें पूँजी का मूल्य बढने का व्यावहारिक विश्वास होता है...केवल इस कारण में सरकारों का अंतिम ऋण भार बढ जाया करता है।' इसीलिए अत्रिभाग व्यक्तियों ने इसे अनुचित अर्थव्यवस्था कहकर इसकी बालोचना की है।

#### (5) नमानुसार भुगतान

इस उपाय के अनुसार ऋण का भुगतान नमानुसार किया जाता है। इस प्रकार की विधि में प्रत्येक ऋण का कुछ भाग प्रत्येक वर्ष परिपक्व हो जाता है। परिपक्व होने वाले ऋण पत्रों का क्रम सरकार पढ़ने में ही निर्धारित कर देती है। इस रीति का प्रयोग अमरीका में स्थानीय सरकारों द्वारा बहुत अधिक किया गया है।

#### (6) साटरी द्वारा भुगतान

यह उपरोक्त विधि का ही एक संबोधित रूप है। इस विधि के अनुसार जिन ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है उसकी तन सख्या आरंभ में ही निश्चित न करने, साटरी के अनुसार तय की जाती है। इस विधि में सबसे बड़ी कमी यह है कि ऋणदाताओं को निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं हो पाता कि उन्हें ऋण की रकम कब बापिस होगी। इसलिए वे इस रकम के उपयोग करने की कोई उचित योजना नहीं बना पाते।

#### (7) शोधन विधि

इस उपाय के अंतर्गत ऋण को चुकाने के लिए एक विशेष कोष का निर्माण

रिया जाता है। ऐसे कोष दो प्रकार में निर्मित किए जाते हैं। प्रथम वार्षिकी आय द्वारा तथा द्वितीय नये ऋणों द्वारा। प्रथम रीति के अनुसार राजस्व में से एक निश्चित राशि ऋण चुकाने के लिए निराल ली जाती है। यह इस हिमाय में निवाला जाता है कि एक निश्चित समय के अंदर ऋण को ब्याज सहित चुकाने में सरलता हो। द्वितीय विधि के अनुसार नये ऋण लेकर शोधन निधि की स्थापना करना एक प्रकार में ऋण रूपांतरण ही है क्योंकि यहाँ पर पुराने ऋण का प्रतिस्थापन नये ऋण द्वारा ही हो जाता है।

डाल्टन ने शोधन विधि को दो भागों में विभाजित किया है

निश्चित निश्चित ऋण शोधन निधि में प्रतिवर्ष एक निश्चित धन राशि अनिवार्य रूप में जमा कर दी जाती है। इस कोष की स्थापना में तीन मुख्य तत्त्व होने हैं (अ) ऋण शोधन की अवधि निश्चित करना, (ब) भुगतान कोषों को इस अवधि में किस प्रकार से फैलाया जाए, तथा (स) शोधन निधि का बटवारा विभिन्न प्रकार के ऋणों में किस प्रकार किया जाए।

अनिश्चित ऋण शोधन निधि के लिए कोष में धन उमी समय जमा किया जाता है जबकि सरकार को अपने बजट में कुछ अतिरिक्त प्राप्त होता है।

ऋणों का भुगतान करने की अवधि जितनी कम होती है, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर उसका भार भी उतना ही अल्पकालिक होता है। कुछ व्यक्तियों का तो यहाँ तक कहना है कि ऋण का भुगतान एक विशेष कर लगाकर करना चाहिए, परन्तु इतने अल्पकाल की बात करना व्यावहारिक नजर नहीं आती। ऋण शोधन की अवधि निर्धारित कर लेने के बाद यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि भुगतान कोषों को इस अवधि पर किस प्रकार फैलाया जाए। इसके लिए निम्न विधियाँ हैं

(1) प्रथम विधि के अनुसार एक मर्यादी ऋण शोधन निधि की स्थापना की जाती है। जिसमें ब्याज चक्रवृद्धि की दर से बढ़ना है। प्रत्येक वर्ष इस निधि में एक निश्चित राशि जमा की जाती है, जिस पर उपार्जित ब्याज भी प्रति वर्ष हमी में जमा किया जाता है।

दूसरी विधि के अनुसार, प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाली ब्याज की संपूर्ण राशि निधि में जमा नहीं की जाती। उसका केवल एक भाग ही जमा किया जाता है और शेष भाग को ऋणदाताओं में वितरित कर दिया जाता है, जिससे ऋण का भार प्रत्येक वर्ष समान बना रहता है।

तृतीय विधि के अनुसार वार्षिक ब्याज की राशि से अधिक धन ऋणदाताओं में वितरित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप ऋण भार प्रतिवर्ष हल्का होता जाता है।

इन दोनों सनत्पाओं के हल करने के उपरांत हीमरी समस्या यह रह जाती है कि इन भुगतानों का बटवारा विभिन्न प्रकार के ऋणों में किस प्रकार किया जाए। हम यह जानते हैं कि सार्वजनिक ऋणों में एकदमता नहीं होती। उनकी व्याज की दर, भुगतान की विधि और समय आदि में भिन्नताएँ होती हैं, इसलिए ऋण प्रोघन निधि का बटवारा करना एक कठिन काम होता है। व्यावहारिक दृष्टि से उत्तम मार्ग यह समझा जाता है कि कुछ भागों को विशेष ऋणों के भुगतान के लिए निश्चित कर देना चाहिए और शेष भाग को प्रयोग में लाने के लिए सरकार को पुनः स्वतंत्रता होनी चाहिए।

### (8) अनावर्ति पूजा कर

अनावर्ति पूजा कर के समर्थकों का कथन है कि ऋणों को चुकाने के लिए पूजा पर एक प्रकार का कर लगाना चाहिए जिसे अनावर्ति पूजा कर कहते हैं। यह एक विशिष्ट कर होता है जो केवल एक बार ही लगाया जाता है। इस विधि के अनुसार ऋण की पूरी अथवा आंशिक अदायगी की जा सकती है। इसके अंतर्गत एक ऐसा कानून बनाया जाता है जिसके अनुसार व्यक्ति की कुल पूजा का एक निश्चित प्रतिशत कर के साथ में बनूल किया जाता है। अनावर्ति पूजा कर को भी आरोही दर पर लगाया जाता है। यह स्मरण रहे कि यह कर केवल एक बार ही लगाया जाता है, आय और धन करों की तरह प्रत्येक वर्ष बनूल नहीं किया जाता। इस कर का समर्थन प्रायः युद्ध के लिए किए गए सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने के लिए किया गया था। परंतु अब इसका उपयोग आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने में भी किया जाता है।

### भारत में सार्वजनिक ऋण की स्थिति

#### निर्भोजन काल के पूर्व की स्थिति

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में सार्वजनिक ऋणों का प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभ काल से होता है। कंपनी को अपने प्रतियोगी देशी राजाओं, प्रांतीय तथा डच कंपनियों से मुद्ध करने के लिए ऋण लेने पड़े थे। सन् 1860 तक जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल समाप्त हुआ तब भारत सरकार पर ऋण 10 करोड़ पाँड था। सन् 1860 के बाद ब्रिटिश भारत सरकार ने ऋण प्राप्त करने की अपनी नीति को परिवर्तित किया और सरकार ने निर्माण कार्यों, जैसे रेल निर्माण, नहर व महत्व निर्माण हेतु ऋण लेना प्रारंभ किया। 1914 तक ऋण की मात्रा बढ़कर 510 करोड़ रुपये हो गई। इसमें से 405 करोड़ रुपये उत्पादक व 105 करोड़ रुपये अनुत्पादक ऋण था। 1929-32 की महामंदी के समय बजट के घाटों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक ऋण लेने पड़े। 1939 में सार्वजनिक ऋण की मात्रा 1205 करोड़ रुपये तथा द्वितीय महायुद्ध के अंत में 1860 करोड़ रुपये थी। दूसरे महायुद्ध में सरकार काफी सस्ती दर पर ऋण प्राप्त करने में सफल हुई।

15 अगस्त 1947 को यह ऋण भारतीय सभ तथा पाकिस्तान में विभाजित हो गया। कुल ऋण में से 300 करोड़ रुपये के ऋण पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनका उसने भारतीय सरकार को 3 प्रतिशत ब्याज की दर से 50 किशतों में भुगतान करने का वचन दिया था किंतु आज तक पाकिस्तान ने एक भी किशत का भुगतान नहीं किया है।

### नियोजन काल में स्थिति

भारतीय ऋणों को दो भागों में विभाजित किया गया है—आंतरिक ऋण व बाह्य ऋण। नियोजन अवधि कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सरकार को अधि-वाधिव मात्रा में आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के ऋणों का सहारा लेना पड़ा है। आंतरिक ऋण बाजार तथा अल्प वचतों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। बाजार ऋण व्यक्तियों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हुए हैं तथा अल्प वचतें मुख्य तथा डाकघर वचन, बैंक जमा, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमाण-पत्र तथा सावधि सचयी जमा से प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार विदेशी ऋणों में सबसे महत्वपूर्ण भाग डालर ऋणों का रहा है।

### योजनाकाल में ऋणों की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

योजनाकाल	बाह्य ऋण	आंतरिक ऋण
प्रथम पंचवर्षीय योजना	100	390
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	700	930
तृतीय पंचवर्षीय योजना	2170	1420
तीन वार्षिक योजनाएँ	2520	1145

स्पष्ट है कि योजनाकाल में भारत सरकार का ऋण काफी तीव्र गति से बढ़ा है। सन् 1950 से 1970-71 की अवधि में केंद्रीय सरकार का कुल ऋण सात गुने से अधिक हो गया। इसी अवधि में आंतरिक ऋण की अपेक्षा विदेशी कर्ज अधिक तेजी से बढ़ा है। विदेशी कर्जों में वृद्धि का प्रमुख कारण आर्थिक विकास है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट है

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आंतरिक ऋण +	बाह्य ऋण	=	कुल ऋण
(31 मार्च को)				
1950-51	2022	32 (1)		2054
1955-56	2330	114		2444
1960-61	3978	761 (16)		4739
1965-66	5415	2591		8006
1970-71	7763	6650 (46)		14423



स्पष्ट है कि पिछले 20 वर्षों में मार्केजनिक् ऋण सात गुना बढ़ गया है, किंतु विदेशी ऋजं जो 1950-51 में कुल ऋण का 1 प्रतिशत से कुछ अधिक था, वह 1960-61 में 16 प्रतिशत व अत्र बढ़कर 46 प्रतिशत में अधिक हो गया है। विदेशी ऋजों में सबसे महत्वपूर्ण भाग डालर ऋजों का है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण सम्मिलित है। विदेशी ऋजों के अन्य मुख्य स्रोत इंग्लैंड, प० जर्मनी, नोर्वियत स्म व जापान हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार यह जून 1971 में 7810 करोड़ रुपये हो गया है। किंतु 12 जुलाई 1971 के वस्तुव्य के अनुसार अप्रैल 1971 के अंत में हम पर कुल विदेशी ऋण 9902 करोड़ रुपये हो गया है अर्थात् आज प्रत्येक भारतीयों 180 रुपये के विदेशी ऋण के भार में दबा हुआ है। विदेशी ऋण की देशवार स्थिति इस प्रकार है

1 संयुक्त राज्य अमेरिका	6784 करोड़ रुपये
2 विश्व बैंक	1478 " "
3 प० जर्मनी	905 " "
4. इंग्लैंड	715 " "
5 नोर्वियत स्म	670 " "
6 कनाडा	530 " "
7. जापान	328 " "
8 अन्य देश	619 " "

इस प्रकार अकेले अमेरिका से हमें कुल विदेशी ऋण का 53 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।

राज्य सरकारों की ऋण स्थिति : योजनाकाल में राज्य सरकारों का ऋण भी बना है। राज्यों के कुल ऋण में आधे से अधिक केंद्रीय सरकार में प्राप्त किया गया ऋण है। पहली पंचवर्षीय योजना में केंद्र से प्राप्त ऋण राज्यों के पूंजीगत व्यय का 77 प्रतिशत था जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 89 प्रतिशत तक बढ़ गया। नीचे राज्यों के कुल ऋण व उगम केंद्रीय सरकार में लिए गए ऋण का प्रतिशत दिखाया गया है

(करोड़ रुपये में)

वर्ष के अंत में ऋण (1)	कुल ऋण (2)	इसमें केंद्र से प्राप्त ऋण (3)	3 वा 2 पर प्रतिशत (4)
1951-52	445	238	53
1960-61	2727	2016	73
1969-70	7648	5807	77

स्पष्ट है कि राज्य सरकारों के ऋणों में 17 गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है जो बहुत अधिक है।

## ऋणों की समस्याएँ

भारत में सार्वजनिक ऋण अधिनतर उत्पादक कार्यों या आर्थिक संरचना अर्थात् सड़कें, सिंचाई, जल विद्युत, लौह-इस्पात प्रोजेक्ट, रेलें तथा संचारवाहन आदि को मुद्रा व विकसित बनाने हेतु लिए गए हैं। निसंदेह सार्वजनिक ऋणों से हमें आर्थिक विकास में बहुत सहायता मिली है। यह भी ठीक है कि आंतरिक ऋणों से कोई देश दिवालिया नहीं हो सकता किंतु बिना का विषय ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता है। हमारी आर्थिक विकास की योजनाओं ने अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। उदाहरणार्थ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने में देरी इसलिए हुई, क्योंकि विदेशी ऋण मिलने के सवध में काफी अनिश्चितता रही है। तीसरी योजना की असफलता के कारणों में एक कारण वांछित मात्रा में विदेशी सहायता का अभाव भी था। संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में आकर ही जून 1966 को हम अपने रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा जिससे कि एक ही रात में हमारे विदेशी ऋण का मूल्य 3700 करोड़ रुपये से बढ़कर 5700 करोड़ रुपये हो गया था।

हमें अपने निर्यात में प्राप्त कुल विदेशी विनिमय का 25 से 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष बाह्य दायित्व देने में ही समाप्त करना पड़ रहा है, जबकि दूसरे विकासशील देशों का यह प्रतिशत 10 के लगभग है।

### सुझाव

(1) निर्यात को बढ़ाने, आयात वस्तुओं के स्थान पर देश में ही वस्तुएं तैयार करने और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की दिशा में शीघ्र प्रत्यक्षशीघ्र तथा प्रभावशाली राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए।

(2) विदेशी ऋणों पर ब्याज की दरें जो अभी 7 प्रतिशत तक हैं, कम होनी चाहिए।

(3) विदेशी सहायता के उपयोग की गति तीव्रतर होनी चाहिए और इसका उपयोग ऐसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिनमें उत्पादन सबसे अधिक हो।

(4) विदेशी सहायता प्रयोजना विशेष के आधार पर नहीं, बल्कि कार्यक्रमों के आधार पर प्राप्त की जानी चाहिए, जिससे सहायता का एक बार कार्यक्रम निर्धारित हो जाने के बाद अलग-अलग प्रयोजनाओं की व्याख्या और इसके लिए अलग-अलग समझौते की आवश्यकता न हो।

(5) सहायता की मात्रा बढ़नी चाहिए क्योंकि आगामी वर्षों में भारत को ऋणों की वापसी करनी होगी। इतनी ही नहीं, हमें अपने निर्यात में प्राप्त कुल विदेशी विनिमय का 25 से 30 प्रतिशत बाह्य दायित्व देने में ही समाप्त करना पड़ रहा है, जबकि अन्य विकासशील देशों में यह प्रतिशत 10 के लगभग ही है।

उन्मुक्त सहायता प्राप्त करने, ब्याज दर कम होने, उपयोग में तीव्रता करने, निश्चित कार्यक्रम होने पर ही सहायता प्राप्त करने से विदेशी सहायता का उचित उपयोग हो सकता है।

## विकास वित्त

जलब विकसित देशों में विकास के लिए जिन का प्रयत्न अनगिह्या है। विकास की गति पूँजी निर्माण की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि पूँजी की मात्रा घटती नहीं है और उनकी कुल मात्रा में निरन्तर वृद्धि नहीं हो रही है तो विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। प्रो० नासनन ब्रुग्नेट्स ने लिखा है - 'पूँजी निर्माण आर्थिक उत्पादनता और विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त है।' आज के युग में निम्नोक्त आर्थिक विकास का एक अकादम और सर्वसम्बन्धित धर्म बन गया है और इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विकास संबंधी समस्याओं को एक योजना बनाई जाए।

प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय सभी साधनों का निर्मोचित शोषण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है किन्तु पूँजी अथवा वित्त का अभाव इन दिशा में बाधा उत्पन्न करता है। परिवहन साधनों के विकास के लिए योजनाओं और उपकरणों के लिए, सिंचाई एवं शक्ति के लिए ही नहीं अपितु सामुदायिक विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है जो सिद्धे रूप में देशों के पास नहीं होता। अविश्वसित देशों की जनता अधिकांश गरीब होती है जिनमें बहुत कम होती है। अल्पव्यय पूँजी निर्माण की गति धीमी रहती है और जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति में होती है, इसके समस्या और भी जटिल हो जाती है। सीमित साधन के कारण इन देशों को बाह्य ऋण की अधिक मात्रा में सहाय्य नहीं हो पाता। अविश्वसित देशों में यत्र उद्योग भी पिछड़ी हुई होती है जिनसे साधनों का अतिवहन उपयोग नहीं हो पाता। अविश्वसित देशों में विदेशी और स्थानीय समस्याओं का समाधान निजी साहसी अवैला नहीं कर पाता, क्योंकि राज्य का प्रत्यक्ष कार्यभार अवैश्वसित होता है।

### आर्थिक विकास के लिए वित्त

आर्थिक विकास के लिए पूँजी अथवा वित्तीय साधनों की प्राप्ति दो ओरों में हो सकती है :

## (क) आंतरिक ससाधन

विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था के आंतरिक ससाधनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं

(1) अनुत्पादक ससाधनों का स्थानांतरण : अधिकांशतः कम विकसित देशों में साधनों का एक बहुत बड़ा भाग या तो बेकार पड़ा रहता है अथवा उसे अनुत्पादक कार्यों के उपयोग में लाया जाता है। विभिन्न ससाधन जिनमें प्राकृतिक उपहार तथा मानवीय शक्ति भी सम्मिलित हैं व्यर्थ पड़े रहते हैं। पानी, खनिज पदार्थ व अन्य उपयोगी वस्तुएं भू-गर्भ में दबी पड़ी रहती हैं। विकासशील आर्थिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यर्थ पड़े साधनों को उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त किया जाए।

(2) वर्तमान आय का उपभोग से पूँजी निर्माण में स्थानांतरण : इस प्रक्रिया को बचत अथवा पूँजी निर्माण भी कहते हैं। यदि किसी देश में वर्तमान आय को उपभोग और तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय न किया जाए अपितु इसके एक भाग को यत्र, मशीन तथा परिवहन आदि के निर्माण में लगा दिया जाए तो वह आय जो इन उत्पादक उपयोगों में प्रयुक्त होगी वह बचत कहलाएगी। प्रायः अल्प विकसित देशों में निर्धनता के कारण व्यक्तियों को बहुत कम आय होती है फलस्वरूप उनकी बचत करने की क्षमता भी कम होती है जिससे पूँजी निर्माण कम हो पाता है।

स्पष्ट है कि अविकसित देश में पूँजी की पूर्ति और पूँजी की मांग दोनों कम होने से पूँजी का निर्माण कम होता है। फिर भी यदि सरकार उचित कदम उठाए तो आर्थिक विकास के लिए कुछ अंश तक वित्तीय ससाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार बचत करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए तो वे सब मिलाकर पर्याप्त धन एकत्रित कर सकते हैं। व्यक्तियों को ऐच्छिक बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं

(1) यथासंभव अधिक से अधिक लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(2) देश में ऐसी उपयोगी संस्थाओं का होना भी अत्यंत आवश्यक है जिनके द्वारा बड़ी मात्रा में भी विनियोग किया जा सके।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों की बचत का उपयोग अधिकांशतः उन्हीं क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहाँ से वे एकत्र की गई हैं ताकि जनता पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़े।

(4) जनता में त्याग, सादगी और देग भक्ति की भावना का संचार सिद्धा जाता चाहिए।

(5) सरकारी कर्मचारी कुमुद और ईमानदार होना चाहिए और उन्हें इन प्रकार के कार्य करना चाहिए ताकि जनता का विश्वास सरकार में बना रहे। यदि ऐसा विश्वास होगा तो व्यक्ति अबसर ही बचत और विनियोग करेंगे। प्रो० आर्थर सेविम ने टोक निम्ना है 'कोई भी राष्ट्र इतना निर्धन नहीं होता कि चाहने पर भी वह अपनी राष्ट्रीय आय का 12 प्रतिशत नहीं बचा सके। निर्धनता ने आज तक किसी देग को मृदु छेदने, या अपत धन को अन्य रीतियों में बरबाद करने से नहीं रोका है।'

(6) बचत करने की प्रेरणा को दो प्रकार से और भी प्रभावकारी बनाया जा सकता है (अ) व्यक्तियों को निम्नी उद्योगों में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा प्रोत्साहन सभी निम्नता है जबकि निम्नी उद्यम सुरक्षित तथा लाभकारी हो और देग में विनियोग के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। निम्नी उद्योगों में सामोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए सरकार उन्हें उपाय कर सकती है, जैसे उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना, तकनीकी तथा वाणिज्यिक सूचनाएं आदि देना। (ब) व्यक्तियों में सरकार की रचना उधार देने की प्रेरणा उत्पन्न की जाए। यह कार्य देग में बचत बैंक या ऐसा ही किसी अन्य मस्था द्वारा उपलब्ध किया जा सकता है। अल्पबचत योजनाएं इस उद्देश्य की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। छोटी-छोटी बचतों से प्राप्त राशियां जवत एक बहुत बड़ी रकम के रूप में परिणत हो जाती हैं जिसका प्रयोग उत्पादक योजनाओं की पूंजी में किया जा सकता है।

(3) अनिवार्य बचत : समझ है कि सरकार द्वारा मरमण प्रदान करने पर भी देग में ऐच्छिक बचतें पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सके। यह भी समझ है कि व्यक्ति अपनी बचत को नकदी के रूप में या भूमि व स्वर्ण को खरीद कर रखे। अतः ऐसी स्थिति में सरकार निम्न साधनों द्वारा व्यक्तियों को बचत करने के लिए बाध्य कर सकती है :

(क) करारोपण . सरकार जनता पर कर लगाकर उनकी अतिरिक्त आय शक्ति को अपने पास हस्तांतरित कर लेती है जिसका प्रयोग वह उत्पादक विनियोगों में करती है या निम्नी व्यक्तियों को विनियोग के लिए उधार देती है। इन प्रकार विनियोग के लिए करों से प्राप्त आय एक प्रकार से अनिवार्य बचत होती है। प्रो० नरसिं ने इन्हें सामूहिक मितव्ययता नाम से संबोधित किया है। कुछ लोग करों के रूप में अनिवार्य बचतों को ऐच्छिक बचतों की अपेक्षा अल्प मानते हैं। जैसा कि पाण एल्बर्ट ने लिखा है . 'हर न केवल व्यक्तियों को निर्धन बनाते हैं बरिन्तु निर्धन अनुभव भी कराते हैं जबकि बचतें व्यक्तियों को धनी अनुभव कराकर उनकी

उपभोग की प्रवृत्ति को भी बढ़ानी है।' किंतु कर पूजी निर्माण में तभी वृद्धि करते हैं जबकि वे उस आय में से प्राप्त किए गए हों जिम्का कर की अनुपस्थिति में व्यय कर दिया जाता हो। अनिवाय वचन की वृद्धि के लिए सरकार नये कर लगानी है और पुराने करों में वृद्धि करती है। सरकार प्रत्यक्ष व परोक्ष कर की सहायता लेती है। प्रत्यक्ष करों में आयकर, संपत्ति कर, संपदा कर, उपहार कर, पूजी लाभ कर आदि में वृद्धि की जाती है। परोक्ष कर अनेक वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग पर लगाए जाते हैं। इन करों के द्वारा उन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है और उनका उपभोग कम हो जाता है। इस प्रकार जो कुछ अतिरिक्त घट रहा है उसे सरकार विक्रम के कार्यों में प्रयोग करती है। करारोपण द्वारा एकत्र की गई राशि को पूजोगत वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त किया जा सकता है।

करारोपण द्वारा विकास वित्त का प्रवृद्ध अनेक रूपों में लाभप्रद होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है इसलिए यह उचित है कि आर्थिक विकास के प्रयत्नों से लोगों की आय में जो वृद्धि हुई है उसे करारोपण द्वारा पुनः वापिस ले लिया जाए ताकि योजना के आगामी कार्यक्रमों को पूरा किया जा सके। दूसरे आर्थिक विकास स्फूर्तिकारक दबाव उत्पन्न कर सकता है इसलिए व्यक्तियों के हाथ में त्रय शक्ति की मात्रा को कम करने के लिए करारोपण का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। विकास वित्त की व्यवस्था में करारोपण द्वारा धन एकत्र करने की क्षमता का प्रयोग कुछ सीमाओं के अंतर्गत ही हो सकता है क्योंकि :

(1) अर्ध विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, और धन का वितरण असमान होता है, इसलिए व्यक्तियों पर अधिक कर लगाने अधिक मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी कर चाहे वह कितना ही प्रगति-शील क्यों न हो, उसका कुछ न कुछ भार अवश्य पड़ता है। इसलिए करारोपण की नीति एक सीमित मात्रा में ही अपनाई जा सकती है।

(2) करारोपण का वचन करने की इच्छा व शक्ति पर भी प्रेरणाकारी प्रभाव पड़ता है। अधिक करारोपण से उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डलता है।

(3) करों की एक सीमा है, करदान क्षमता, जिससे अधिक कर नहीं लगाया जा सकता। यदि करदेय क्षमता से अधिक कर लगाया जाता है तो देश की आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है।

अतः करारोपण की नीति को निर्धारित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है

(अ) कर पद्धति ऐसी हो जो सरकार को अधिक से अधिक धन एकत्र करने में सहायता कर सके, वचन और विनियोग पर बुरा प्रभाव न डाले। साथ ही उत्पादन को प्रोत्साहित करे और आर्थिक विषमता को कम करे।

(ब) करारोपण की नीति की रचना इस प्रकार से की जाए जिसे वह मुद्रास्फीति रोकने में सफल हो सके। कर की प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए और विशेष प्रकार के मुद्रा प्रसार विरोधी कर लागू किए जाने चाहिए, जैसे अधिनाम कर, व्यय वस्तु कर आदि।

नक्षेप में नये करों को लागू करने और पुराने करों में वृद्धि करने में विवेक में काम लेना चाहिए। इस प्रसंग में प्रो० मेजर तथा प्रो० बल्डवीन न लिखा है कि एक ऐसी कर व्यवस्था के प्रतिपादन की आवश्यकता है जो निम्नलिखित देशों की प्रगतिशील क्षमता की सीमा में हो तथा साथ ही प्रेरणा एवं स्वायत्तीयता को विचांगघात को बिना नष्ट किए विकास-व्यय के स्फीति प्रभावों को समाप्त कर सके।

(ख) अनिवार्य बचत निक्षेप : अनिवार्य बचत को बढ़ाने का एक दूसरा उपाय 'अनिवार्य बचत निक्षेप योजना कार्यान्वित करना है' क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नमी प्रयत्नों व बादजुद ऐच्छित बचत के रूप में अधिक मात्रा में धन न जुट पाए। आर्थिक विकास बढ़ती कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार लोगों को बचत करने के लिए बाध्य करे और अनिवार्य बचत योजना चालू करे। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने 1963-64 के बजट में एक अनिवार्य बचत योजना लागू की थी परन्तु जिसे अक्टूबर 1963 में आंगिक रूप से वापिस ले लिया गया।

(ग) घाटे की वित्त व्यवस्था : घाटे की वित्त व्यवस्था की शब्दावली बजटों के घाटे द्वारा कुल राष्ट्रीय खर्च में वृद्धि करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये घाटे चाहे आय खाते से संबंधित हों अथवा पूंजी खाते से। अतः ऐसी नीति अपनाने का सार यही होता है कि सरकार अपनी आय से अधिक मात्रा में व्यय करती है। सरकार बजट के घाटों की पूर्ति अपने संचित कोषों की प्रयोग करके करती है अथवा बैंकों से उधार लेकर ब्रह्म का निर्माण किया करती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था की स्थिति अभी पैदा होती है जब सरकार को करों, ऋणों व अन्य साधनों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक व्यय करना पड़ता है। सरकार ऋण-पत्र जारी करके इन्हें वैश्वीय बैंक को देती है। इस अनिश्चित मुद्रा के द्वारा सरकार विभिन्न साधनों का खर्च करती है ताकि पूंजीगत मामलों में वृद्धि हो सके।

सामान्य घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव स्फीतिकारक होता है। यदि सरकार अतिरिक्त मुद्रा को उत्पादन शक्तों में विनियोजित करती है तो यह प्रभाव स्पष्ट नहीं होता। डॉ० बी० के० वार० बी० राब का कहना है : 'यह घाट की वित्त व्यवस्था नहीं है जो भ्रूतवाण की भाँति मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी रहा है, अपितु यह तो अनुत्पादक प्रवृत्ति का व्यय तथा बढ़ते हुए व्यय के माप-माप काम व बचत के रूप में समुदाय का अनतोषजनक दायित्व है जो मुद्रा प्रसार के लिए

उत्तरदायी है।' इस प्रकार अ विकसित देश के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था उचित हो सकती है यदि सरकार इसको नियंत्रित रखे।

(4) सार्वजनिक ऋण . विकासशील अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण साधन लोक ऋण है। करारोपण के अंतर्गत वैधानिक दबाव में जनता से त्याग करवाया जाता है, लेकिन लोक ऋण एक ऐसा साधन है जो जनता की निजी बचतों को स्वेच्छा से प्रभावित करता है। लोक ऋण के विषय में हम अध्याय (23) में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग बड़ी मात्रा में ऋण देना है लेकिन मध्यम व निम्न श्रेणी के व्यक्ति भी अल्पवचत योजनाओं द्वारा सरकार को ऋण देते हैं। इसके दो मुख्य लाभ होने हैं एक तो सरकार को धन मिलता है दूसरे जनता का वर्तमान उपभोग कम हो जाता है जो कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था का एक सुधारात्मक तत्व है।

(5) सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय . विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए यही आवश्यक नहीं है कि सरकार उद्योग व्यापार के विकास का उचित वातावरण बना दे और निजी क्षेत्र में पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करे वरन् यह भी आवश्यक है कि वह सार्वजनिक व्यापारिक कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करे।

नियोजित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उपक्रम यदि कुशलतापूर्वक चलाए जाए तो लाभ के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इन लाभों को देश के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है। पश्चिम के औद्योगिक देशों में सरकार द्वारा चलाई गई व्यापारिक संस्थाओं से सरकार की कुल आय का लगभग तिहाई भाग प्राप्त हो जाता है। विकासशील देशों में भी ज्यों-ज्यों सरकारी उद्योग बढ़ाए जाएंगे त्यों-त्यों उनसे योजनाओं के लिए वित्त का प्रबंध किया जा सकेगा। इस संबंध में यह भी आवश्यक है कि सरकार के अधीन उद्योगों में मिलने वाले लाभ को उन्हीं उद्योगों में विकास के लिए पुनर्विनियोजित अथवा नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

### (ख) बाह्य ससाधन

किसी भी देश की सरकार प्रायः दो कारणों से बाह्य वित्त का उपयोग करती है

(1) कभी-कभी देश के विकास कार्यों के लिए आंतरिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अल्प विकसित देशों में ऐच्छिक वचत अधिक नहीं हो पाती, करारोपण एक सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा मुद्रा स्फीति दशाओं के उत्पन्न होने का भय रहता है।

(2) अल्प विकसित देशों को अपनी विकास योजनाओं के लिए तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक जानकारी, मशीनों तथा अन्य पूंजी यंत्रों की आवश्यकता रहती है। प्रायः



ऐसे देशों के पास विदेशी विनिमय का भी अभाव हुआ करता है। ऐसी स्थिति में यह देश विदेशी पूजागत माल तभी खरीद सकते हैं जब उन्हें विदेशों से ऋण या सहायता के रूप में विदेशी पूजा प्राप्त हो। बाह्य ऋण से यह लाभ है कि उनके साथ विदेशी मुद्रा, तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक उद्यम आदि सभी चीजें आती हैं जिनको ऋण लेने वाले देश को अधिक आवश्यकता होती है। किसी भी सरकार द्वारा विदेशी वित्त निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है

(1) विदेशी नागरिकों से ऋण : कई अविकसित देशों में इस प्रकार के ऋणों ने बड़ा योगदान दिया है। भारत के रेलों व सिंचाई योजनाओं पर निर्माण मुख्यतः इसी प्रकार की पूजा द्वारा हुआ है। फिर भी वर्तमान काल में बाह्य सहायता के इस साधन का महत्त्व कम होता जा रहा है क्योंकि—(1) विदेशी व्यक्ति अविकसित देशों की राजनीति और आर्थिक दशाओं की अनिश्चितता व जोखिम के कारण पूजा विनियोग करने में हिचकिचाते हैं। (2) इस पूजा को उन्नत देशों में विनियोग करने के अधिक आकर्षक अवसर प्राप्त हो जाते हैं। (3) कुछ अल्प विकसित देश व्यक्तिगत बाह्य पूजा के प्रति विरोध प्रदर्शन करते हैं।

(2) विदेशी सरकारों से ऋण : द्वितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्गत के बड़े-बड़े राष्ट्र कम उन्नत देशों को आर्थिक विकास के लिए अनेक प्रकार से ऋण देते रहे। उदाहरणार्थ अमेरिका। एक मोन्ट्रियन सघ तकनीकी सहयोग तथा अन्य कार्यक्रमों की पूर्ति में महत्त्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं परन्तु इनमें एक बड़ा भय यह बना रहता है कि वहाँ ये देश गुटबंदी द्वारा ऋणग्रस्त देशों से कुछ राजनीति लाभ प्राप्त न कर लें। इसलिए ये देश अपने अस्तित्व को घटते में आने पर विदेशी सरकारों से ऋण लेने में हिचकिचाते हैं।

(3) अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण : विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, मधुक्त राष्ट्र आर्थिक विकासार्थ विशेष कोष आदि में भी अल्प विकसित देशों को अपने आर्थिक विकास कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक ने कई देशों को सिंचाई, रेलों, विजली आदि योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं। इन संस्थाओं से केवल मुद्रा के रूप में ही सहायता नहीं मिली है बरन् डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, मलाह्वारों, मशीनों, कच्ची सामग्री आदि के रूप में भी सहायता प्राप्त हुई है। इन प्रमग में डा० वी० के० मदान का मत है : 'अंतर्राष्ट्रीय बैंक अन्त एव बैंक है जिसकी स्थापना उत्पादक कार्यों और लाभदायक परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था करने की एक एजेंसी के रूप में आ गई है। शिक्षा, विज्ञान, जन स्वास्थ्य एवं व्यक्तियों का तकनीकी प्रशिक्षण आदि विकास के मौलिक विस्तृत खंड हैं जिनमें विनियोग की आवश्यकता है और जो केवल दीर्घकाल में प्रत्यक्ष रूप से ही उत्पादकीय हैं लेकिन जो अर्द्ध-विकसित देशों को क्षमता और आर्थिक विकास की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है।'

इस प्रकार विदेशी ऋण और विदेशी आर्थिक सहायता आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसके द्वारा कम उन्नत देशों को धन, विदेशी विनियम-पूजीगत माल और तकनीकी सहायता प्राप्त हो जाती है। आज ससार में जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई भाग ऐसे क्षेत्रों में रहता है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास का महत्त्व ससार में शांति बनाए रखने की दृष्टि से अनुपेक्षणीय है। यदि इनका समुचित आर्थिक विकास न किया गया तो ये क्षेत्र ज्वालामुखी बनकर मारे ससार की शांति को कभी भी अग्नि की आहुति बना सकते हैं। अतः विकसित देशों का स्वयं का हित भी इसी बात में है कि वे ससार के पिछड़े क्षेत्रों को ऊँचा उठाने में पूरा सहयोग दें।

अतः यह नहीं भूलना चाहिए 'आर्थिक विकास के क्षेत्र में विदेशी वित्त को केवल गौण स्थान ही प्राप्त रहता है।' अर्द्धविकसित देशों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों की विनीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य ऋणों पर तभी तर्क निर्भर रहना चाहिए जब तक कि वे अपने आंतरिक संसाधनों की गतिमान करने में असमर्थ रहते हैं। प्रो० बुचनन एव रेलिम के इस निष्कर्ष से हम सहमत हैं, देशी तथा विदेशी वित्त एक-दूसरे के पूरक हैं, परंतु जब तक उपभोग और बचत करने की क्रियाओं को धन संग्रह करने वाली संस्थाओं का वानुनी संरचनाओं से तथा ऋण देने और विनियोग करने की क्रियाओं का पूजा निर्माण के अनुरूप नहीं बनाया जाता तब तक विदेशी सहायता का केवल क्षणिक लाभ ही प्राप्त हो सकता है। उच्च जीवन स्तर के लिए एक स्थाई आधार का निर्माण तो देश के आंतरिक प्रयत्नों से ही किया जा सकता है।<sup>1</sup> विदेशी ऋण अथवा विदेशी सहायता पर इसलिए भी पूर्णतः निर्भर रहना उचित नहीं है कि उचित समय पर इनकी प्राप्ति और मात्रा में संवध में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही ऐसी सहायता में राजनीतिक स्वार्थों के होने का भय सदैव विद्यमान रहता है। अतः विदेशी सहायता पर आर्थिक विकास की निर्भरता के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए

(1) ऋणों का प्रयोग देनदार देश के निर्यात को बढ़ाने या आयात को घटाने के लिए किया जाना चाहिए।

(2) निर्यातों की वृद्धि और आयातों की कमी का समय इस तरह ध्येयस्थित करना चाहिए कि भूतल और व्याज का निर्धारित समय पर शोधन हो जाए।

(3) ऋण की अदायगी के समय में देनदार देशों को अधिक माल लेने के लिए राजी किया जाना चाहिए।

(4) ऋण संबंधी व्यय अधिक नहीं होने चाहिए बल्कि उनके मोघन में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का एक बहुत बड़ा भाग देश से बाहर चला जाएगा ।

(5) ऋण उत्पादक कार्यों में ही प्रयुक्त किए जाने चाहिए और इस संबंध में प्रशासनिक कुशलता व मितव्ययिता पर पूरा बल दिया जाना चाहिए ।

# 21

## युद्ध वित्त

आधुनिक युद्ध प्राचीन काल के युद्धों से भिन्न होते हैं। आज के युद्ध ऐसे नहीं हैं जो केवल मात्र रण भूमि में लड़े जाते हों वरन् अर्थव्यवस्था के उन सभी मोर्चों पर लड़े जाते हैं जो उत्पादन में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। फ्राउडर के शब्दों में 'वर्तमान युद्ध लड़ाई के मैदानों में नहीं वरन् हजारों घघों, औद्योगिक शहरों, खानों तथा कारखानों में जीता जाता है।' के०ई० बोल्डिंग ने एक अन्य स्थान पर कहा है, 'युद्ध का अर्थशास्त्र केवल मात्र एक उद्योग का विकास है—सशस्त्र सेना का जो अनेक चीजों की लागत पर प्राप्त होता है।'

आधुनिक युद्ध के लिए विशाल साधनों की आवश्यकता है। डैनियल डिफो का कथन है 'वर्तमान समय में युद्ध की जीत लंबे कोप से प्राप्त की जाती है, क्योंकि युद्ध संचालन में द्रव्य की शक्ति ही अधिक महत्त्वपूर्ण होती है।' इसी सबब में सर जान साइमन ने कहा है, 'जैसा कि कुछ समय से कहा गया है कि वित्त प्रतिरक्षा का चतुर्थ अस्त्र है तथा इसका महत्त्व अन्य अस्त्रों से कम नहीं है, क्योंकि यदि वित्त असफल हो जाता है तो समस्त युद्ध प्रयास ही असफल माने जाते हैं।'

### वास्तविक साधन

युद्धकाल में युद्धप्रस्त देशों में समस्त वास्तविक तथा वित्तीय साधनों को युद्ध के लिए स्थानांतरित करना होता है। युद्ध के वास्तविक साधन निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए जा सकते हैं

#### (1) उत्पादन में वृद्धि

युद्ध प्रारंभ होने के समय उत्पादन में वृद्धि होना किसी देश के विभिन्न आर्थिक साधनों के पूर्ण रोजगार अथवा आशिक रोजगार की सीमा पर निर्भर करता है। उत्तम प्रशिक्षण, अभिनवीकरण, आविष्कार आदि के द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि करके किमी सीमा तक उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए माधारणतः ये विधियाँ अपनाई जा सकती हैं (क) बेकार साधनों

की कार्यों में लगाना। (ख) काम के घटों में वृद्धि करना, और एक से अधिक पारिया चलाना। (ग) स्त्रियों, नवयुवकों तथा अवकाश प्राप्त व्यक्तियों को काम में लगाना। (घ) तकनीक प्रशिक्षण व अन्य विधियों द्वारा श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना। (ङ) अमिनवीकरण द्वारा उत्पादक क्रियाओं की क्षमता में वृद्धि करना। तथा (च) विविध थम अप्रिनियमों द्वारा औद्योगिक मंत्रहो को कम करना या समाप्त करना आदि।

## (2) उपभोग में कमी

युद्धकाल में उपभोग में कमी करके साधन को चालू उपभोग में हटाकर युद्ध कार्यों की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। उपभोग में यह कमी या तो ऐच्छिक रूप में की जा सकती है या अनिवार्य रूप में अथवा मिश्रित तरीके से की जा सकती है। उपभोग में ऐच्छिक कमी की प्रेरणा तो लोगों के साधारणतः आत्म मयम के आंदोलनों द्वारा की जा सकती है। युद्ध के लिए उपहार एवं युद्ध-निधि (War Funds) को एकत्र किया जा सकता है तथा प्रतिरक्षा ऋणों को एकत्र किया जा सकता है। उपभोग में अनिवार्य रूप से कमी कई तरीकों से की जा सकती है—जैसे अतिरिक्त करारोपण, अनिवार्य बचत योजना, आयातों को कम करके, राशनिय व्यवस्था लागू करके आदि। जितनी अधिक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय होगी तथा जितना अधिक अनावश्यक व्यय होगा उतनी ही अधिक मात्रा में सरकार नागरिक उपभोग को कम करके युद्ध प्रयत्नों की ओर अग्रसर हो सकेगी।

## (3) पूँजी निर्माण में कमी व चालू पूँजी का रिकनीकरण करके

युद्धकाल में साधन उन धन राशि में भी प्राप्त किए जाते हैं जो पूँजीगत माज-मामान की वृद्धि और यंत्रों की मरम्मत आदि के लिए रखी जाती है। नानान्य मरम्मत और पुनर्स्थापित कार्यों को तथा रेल मार्गों की मरम्मत का काम स्थगित करके पुरानी और घिसी हुई मशीनों को चालू रख कर, भूमि का शोषण करके उसने निरंतर नई उपज लेकर, उनमें खाद न देकर उन साधनों से जो साधारणतः इनके उत्पादन में लगाए जा सकते हैं, अतिरिक्त साधन प्राप्त किए जा सकते हैं और इस प्रकार युद्ध का सामना करने के लिए तत्कालीन आर्थिक शक्ति में वृद्धि की जा सकती है।

## (4) वर्तमान पूँजी का अधिक उपयोग

युद्ध के लिए साधन वर्तमान पूँजी का दोहन करके भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ खानों में अधिक खनिज निदाना या नवना है तथा स्वर्ण, जवाहरात व बनावक वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। चालू आय में से प्राप्त

होने वाली धनराशि को पूजीगत परिसंपत्तियों में विनियोजित न करके भी युद्ध कार्यों के लिए साधन उपलब्ध किए जा सकते हैं।

### (5) बाह्य ऋण

युद्धग्रस्त देश विदेशों से ऋण लेकर भी युद्ध का संचालन कर सकता है। सामान्यतः ऋण युद्ध सामग्री खरीदने के लिए तटस्थ राष्ट्रों से लिए जाते हैं। मित्र देश उपहार के रूप में ऐसी सहायता प्रदान कर सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध काल में ग्रेट ब्रिटेन ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भारी मात्रा में ऋण लिए थे।

### (6) विदेशों में लगी हुई पूँजी की बिक्री

युद्ध के लिए आवश्यक धन एकत्रित करने की दृष्टि से कोई भी देश युद्धकाल में विदेशों में लगी पूँजी को निकाल या बेच सकता है। उदाहरण के लिए द्वितीय महायुद्ध काल में अमेरिका में लगी हुई ब्रिटिश पूँजी बेच दी गई और इससे प्राप्त धन का उपयोग उसी देश की आवश्यक युद्ध सामग्री खरीदने में किया गया।

## वित्तीय साधन

युद्ध के लिए वित्तीय व्यवस्था करने का आशय पर्याप्त धन एकत्र करना है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के साधन, कच्चा माल, खाद्य सामग्री, पूजीगत सामान, कर्मचारियों की सेवाएँ तथा युद्ध के अस्त्र शस्त्र आदि खरीदे जा सकें और सैनिकों के वेतन आदि का भुगतान किया जा सके। यह धन निम्न रीतियों द्वारा जुटाया जा सकता है

### (अ) करारोपण द्वारा

युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में करारोपण की समस्या शांतकालीन अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भिन्न होती है। युद्धकाल में करारोपण की समस्या गुणात्मक न होकर परिणात्मक होती है। सरकार केवल इसी ओर ध्यान देती है कि वह करारोपण द्वारा अधिकाधिक धन कैसे प्राप्त करे और इसी विचार से नए-नए कर लगाती जाती है और पुराने करों की दरों को बढ़ाती जाती है। सरकार करों की प्रकृति की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस अवधि में सरकार का मुख्य ध्येय केवल धन जुटाना होता है। शांतकालीन समय में करारोपण का एक सिद्धांत यह है कि आवश्यक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। किंतु युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं के उपभोग पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी प्रकार युद्धकाल में कर की दरों को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है तथा इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता कि करारोपण से व्यक्तियों की वचत व विनियोग करने की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि युद्धकाल वास्तव में मुद्रास्फीति का काल होता है, इसलिए करारोपण का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही नहीं बरन स्फीति विरोधी क्रियाओं को नियंत्रित करना भी होता है।

युद्ध व्यय का करों द्वारा पूरा करने के पक्ष में तर्क

युद्धकाल में वयारोपण द्वारा वितनी मात्रा में धनराशि प्राप्त की जा सकती है, यह निम्न बातों पर निर्भर करती है (1) वयारोपण की वर्तमान दर, (2) लगाए गए करों की प्रवृत्ति, (3) जनता की वार्षिक स्थिति, (4) नागरिकों की वर भुगतान की समता, और (5) समाज के विभिन्न वर्गों में धन का वितरण।

यदि युद्धकाल के पूर्व ही वयारोपण की दर काफी उंची है, या करदान क्षमता की अंतिम सीमा का उल्लंघन हो चुका है, या देश निर्धन है या समाज में धन का वितरण असमान है, या यदि व्यक्ति पर भार सहन करना नहीं चाहते तो अतिरिक्त वयारोपण द्वारा धन प्राप्त करने की सम्भावना बहुत कम रहेगी। कुछ व्यंशस्तियों का मत है कि केवल करों द्वारा आय प्राप्त करने ही युद्ध का व्यय पूरा करना चाहिए। इन सबमें निम्न तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं :

(1) मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता : वयारोपण द्वारा युद्ध व्यय की पूर्ति करने पर मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों से मुक्त रहा जा सकता है। यदि करों और ऋणों से सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होगा तो उसे युद्ध संचालन के लिए मुद्रा प्रसार की नीति अपनाती पड़ेगी जिससे समाज पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ेंगे। युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए मुद्रा प्रसार करने से बन्तुओं और सेवानों के मूल्यों में आश्चर्यचकित वृद्धि हो जाएगी, निर्धन वर्गों पर अत्यधिक बोझ या पड़ेगा और अधिकतम सामाजिक कल्याण की सम्भावनाओं पर पानी फिर जाएगा। अब समाज के हित में यही है कि सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति भारी वयारोपण द्वारा ही कर ले। जब उचित स्थिति उत्पन्न होने का भय नहीं रहेगा।

(2) धनियों की अपव्ययिता रहेगी : युद्धकाल में धनियों की आय में विधेयों की अपेक्षा बहुत वृद्धि हो जाती है। जब व्यक्ति के पास आवश्यकताओं के अधिक धन होता है तो स्वभावतः वह प्रायः अपव्ययी हो जाता है। अब युद्धकाल में सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए नागरिकों पर भारी वयारोपण करेगी तो इनके धनियों की अपव्ययिता पर रोक लगेगी। वृद्धि निर्धन वर्गों की आय तो पहले से ही कम होती है अब युद्धकाल में उनकी आय में कुछ वृद्धि हो भी गई तो इनके वह केवल अपने जीवन स्तर को ही सुधार सकेगा, उसके द्वारा अपव्ययिता का प्रत्यक्ष नहीं उठता। वयारोपण से अपव्ययिता ही हनी-साहित्य होती है अब क्यों द्वारा युद्धों का संचालन सम्भवित होगा। सरकार अतिरिक्त व्यय को खर्चने के लिए जो कर लगाएगी वह धनी पर ही होगी। इन वर्गों पर कर लगाकर उनके अतिरिक्त धन को सरकारी कोष में खर्च किया जाएगा।

(3) युद्ध के बाद सरकार पर ऋणों के भुगतान का बोझ नहीं रहेगा : यदि युद्ध व्यय की पूर्ति वयारोपण से की जाएगी तो युद्ध के बाद सरकार पर ऋणों के भुगतान का बोझ नहीं रहेगा। अपने विपरीत यदि युद्ध ऋण लेकर लड़ा जाएगा

तो युद्धोत्तर अवस्था में सरकार पर ऋणों के भुगतान का बोझ इतना अधिक रहेगा कि उसकी आय का अधिकांश भाग तो केवल ऋणों और ब्याज के भुगतान में ही व्यय हो जाएगा और वह देश के विकास तथा पुनरुत्थान पर अधिक व्यय नहीं कर सकेगी।

(4) भावी सतति पर युद्ध व्यय का बोझ नहीं पड़ेगा युद्ध व्यय की पूर्ति करारोपण से प्राप्त आय से की जाने पर भावी सतति युद्ध व्यय के बोझ से मुक्त रह सकेगी। इसके विपरीत यदि ऋणों के बल पर युद्ध लड़ा गया तो इन ऋणों का भार निश्चित रूप से भावी सततानों पर बहुत अधिक पड़ेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि युद्धकाल में तो ऋण ऊँची ब्याज की दर पर लिए जाते हैं जबकि युद्ध समाप्ति के बाद ब्याज की दर नीची हो जाती है और मूल्य स्तर गिर जाते हैं। इस स्थिति में उक्त ब्याज के भुगतान का भार बड़ जाता है क्योंकि ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार को पहले की अपेक्षा अधिक कर लगाने पड़ते हैं। अतः यह बाछनीय है कि भावी व्यक्तियों को युद्ध व्यय के भार से बचाने के लिए सरकार ऋण लेकर नहीं अपितु कर लेकर युद्ध लड़े।

(5) त्याग की समानता . करारोपण द्वारा प्राप्त आय से युद्ध लड़ने में निर्धनों और धनियों के त्याग में समानता आ जाती है क्योंकि जहाँ निर्धन व्यक्ति अपनी जान खतरे में डालकर युद्ध लड़ते हैं वहाँ धनी व्यक्ति करो का भार सहन करते हैं। युद्धकाल में धनिकों की आर्थिक सेवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन पर अधिकधिक करारोपण किया जाना चाहिए।

### युद्ध व्यय का करो द्वारा पूरा करने के विपक्ष में तर्क

जहाँ उपर्युक्त तर्कों के आधारों पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने युद्ध व्यय की पूर्ति अधिकांशत करारोपण द्वारा करना उचित ठहराया है वहाँ दूसरी ओर एक ऐसे वर्ग भी हैं जिसने निम्न आधारों पर उसका विरोध किया है

(1) अपर्याप्तता : आधुनिक युद्ध बहुत महंगे और खर्चीले होते हैं। इनमें करोड़ों रुपये प्रतिदिन व्यय हो जाता है। स्पष्ट है कि इतनी विशाल राशि की पूर्ति करो द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रो० सैलिंगमैन ने स्पष्ट कहा है 'यदि सरकार समस्त बड़ी-बड़ी आयों के लाभों को जब्त करलें तो भी आधुनिक युद्ध का आधा व्यय भी पूरा नहीं हो सकेगा।' इसके अतिरिक्त करदाताओं की दरदेय क्षमता की भी एक सीमा होती है। उस सीमा में अधिक कर प्राप्त नहीं लिए जा सकते, अन्यथा देश में आन्तरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था बरनी होगी, जिसने सरकार पर व्यय भार और भी अधिक बड़ जाएगा। जन वाछनीय यही है कि सरकार करारोपण द्वारा नहीं वरन ऋणों की सहायता से युद्ध लड़े अर्थात् युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए अन्य साधनों पर भी निर्भर रहे।



(2) उत्पादन और वचत पर बुरा प्रभाव : आधुनिक युद्धों की अपार व्यय राशि की पूर्ति यदि करारोपण द्वारा की जाएगी तो इतनी अधिक मात्रा में करारोपण देश सहन नहीं कर सकेगा। अत्यधिक करों के कारण देश की अर्थव्यवस्था के अस्त-व्यस्त हो जाने का भय रहेगा। चूँकि वर भार अधिकांशतः धनी वर्ग पर पड़ेगा अतः यह वर्ग उत्पादन कार्यों में रुचि खो बैठेगा जिससे उत्पादन कम हो जाएगा और परिणामतः उमकी वचत भी भविष्य में कम होगी। इस प्रकार अत-तो गत्वा देश की संपूर्ण आर्थिक दशा ही छिन्न-भिन्न हो जाएगी। इसलिए यह उचित है कि युद्ध-व्यय को पूरा करने के लिए सरकार केवल करों पर ही निर्भर न रहे वरन अन्य साधनों का अधिकाधिक आश्रय ले।

(3) वर आय के अनुमान सर्वथा सत्य नहीं होते : यह आवश्यक नहीं है कि सरकार करारोपण में जितनी आय प्राप्त होने का अनुमान लगाए वह ठीक ही हो। एक तो वर व्यवस्था को युद्धकालीन द्रव्य की आवश्यकता अनुकूल बनाने में कुछ समय लगता है और दूसरे करारोपण से आय प्राप्ति का अनुमान भी गलत हो सकता है। अडम स्मिथ ने ठीक ही कहा है 'करों के संवध में सदा दो और दो मिलाकर चार नहीं होते, वरन ये तीन भी हो सकते हैं और पाच भी। सरकार को किसी वर से जितनी आय प्राप्ति होने की आशा होती है, वास्तव में प्रायः उतनी आय प्राप्त हो नहीं पाती। यदि युद्धकाल में सरकार की आय अनुमान गलत रह जाए और आमदनी आवश्यकता से कम हो या ठीक-ठीक समय पर प्राप्त नहीं हो पाए तो स्पष्ट है कि उसे विपन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि उस राष्ट्र के हार जाने तक का खतरा पैदा हो जाता है। अतः इन कठिनाइयों को ध्यान में रखत हुए उपर्युक्त है कि सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए केवल करों पर निर्भर न रहे, वरन अधिकांशतः ऋणा से व्यय की पूर्ति करे।

(ब) ऋणों द्वारा युद्ध व्यय की पूर्ति

चूँकि करारोपण में इतनी आय प्राप्त नहीं हो पाती है कि युद्ध के वित्त की पूर्ण रूप में व्यवस्था की जा सके, इसलिए सरकार को ऋण आश्रय लेना पड़ता है। ये ऋण आंतरिक या बाह्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सरकार कई प्रकार में ऋण प्राप्त कर सकती है, जैसे (1) देश में विभिन्न प्रकार के ऋण पत्र व बांड चालू करके, (2) बैंकों को अधिक मात्रा मूजत करने के लिए बाध्य करके, (3) बैंकों से प्रत्यक्ष रूप में ऋण प्राप्त करके, तथा (4) अनिवार्य वचत योजनाओं को लागू करके (भारत में सन् 1966 में अनिवार्य जमा की एक योजना की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि चीनी हमले के आपत्तिजनक स्थिति के निवारणार्थ आवश्यक साधन प्राप्त किए जा सकें) आदि। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि केवल करारोपण ही आधुनिक युद्ध वित्त व्यवस्था का एकमात्र स्रोत नहीं हो सकता।

अतः मार्बंजनिक ऋणों का युद्ध वित्त के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं।

युद्ध ऋण के पक्ष में तर्क

युद्ध व्यय की ऋणों द्वारा पूर्ति के पक्ष में दिए गए तर्क इस प्रकार हैं :

(1) वर्तमान आय स्रोतों का अधिकतम उपयोग : वर सदैव निश्चित दरी पर लगाए जाते हैं अतः वरदाताओं द्वारा सरकार को जो कुछ भी धन दिया जाता है वह नागरिकों की अपनी योग्यता के अनुसार नहीं होता। इसके विपरीत ऋण-दाता सरकार को धन देते हैं। दूसरे शब्दों में लोगों के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है उसे या उसके किसी भाग को वे सरकार को व्याज के लालच में ऋण दे देते हैं। शून्य सरकार को वरों की तुलना में प्रायः ऋणों से बहुत अधिक धन प्राप्त होता है अतः वरों की तुलना में ऋणों से सरकार वर्तमान आय स्रोतों का अधिक उपयोग कर लेती है।

(2) ऋण देने में ऋणदाताओं को त्याग नहीं करना पड़ता : ऋण देने में ऋणदाताओं को कोई त्याग नहीं करना पड़ता। वे तो एक प्रकार से सत्तोप प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्हें व्याज के रूप में कुछ न कुछ आय प्राप्त होती है। अतः युद्ध वित्त की व्यवस्था करने के लिए ऋण वारारोपण की नीति ही उचित नहीं है वरन वरों के साथ ऋण की नीति भी अपनाई जानी चाहिए।

(3) तात्कालीन दुष्परिणाम नहीं, सार्वजनिक ऋणों का युद्ध वित्त के लिए विशेष महत्त्व इसलिए भी है कि अर्थव्यवस्था पर इनका तात्कालीन दुष्परिणाम नहीं पड़ता। कोई अतिरिक्त भार न पड़ने के कारण सार्वजनिक ऋण राकट बाल में सहायक सिद्ध होने हैं। अतः यह उचित है कि युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए सार्वजनिक ऋणों का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाए।

(4) उत्पादन एवं उपभोग पर प्रभाव नहीं पड़ता, सार्वजनिक ऋणों द्वारा युद्ध व्यय की पूर्ति करने पर देश के उत्पादन और उपभोग पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ऋण यदि अनिवाय प्रकृति के नहीं हैं तो प्रायः बचतों में से दिए जाते हैं, अतः उपभोग और उत्पादन पर प्रतिबल प्रभाव नहीं डालते।

(5) अर्थव्यवस्था में प्रगति : लोक ऋणों से युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के अतर्गत उद्योगों का विवास होने और उत्पादनता में वृद्धि होने से देश की अर्थव्यवस्था उन्नत होती है। लोगों को रोजगार मिलने और व्यापारिक प्रक्रियाओं में तीव्रता व गतिशीलता आने से आर्थिक विवास में सहयोग मिलता है। इस प्रकार युद्धकाल में लोक ऋणों का सेना देश की अर्थव्यवस्था पर प्रायः अनुकूल प्रभाव डालता है।

(6) मुद्रा प्रसार का विशेष फल नहीं : वरों की भांति ऋणों से भी मुद्रा प्रसार का फल नहीं रहता। वे तो कुछ गीमा तक मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों को कम ही करते हैं। वारारोपण से बाँधित धनराशि न मिलने पर, ऋण देने के स्थान पर यदि

सरकार मुद्रा प्रसार करती है तो उसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। मुद्रा प्रसार के दुष्परिणामों से मुक्ति पाने के लिए यह उचित है कि सरकार ऋणों द्वारा मुद्रा सवधी आवश्यकताओं की पूर्ति करे।

(7) ऋण भार भावी पीढ़ी पर: यदि मुद्रा छेदल करो के आधार पर लड़े जाते हैं तो कर भार मूलतः वर्तमान व्यक्तियों पर पड़ता है और इस प्रकार मुद्रा भार उन्हें सहन करना होता है जबकि मुद्रा वर्तमान और भावी दोनों ही मतानों के लिए लड़े जाते हैं। चूंकि ऋण पत्र प्रायः वर्तमान बचतों में गड़गड़े जाते हैं, इसलिए मौखिक ऋणों का तात्कालिक भार कुछ नहीं पड़ता। इस भार को भविष्य के लिए ऋण शोधन के रूप में भावी पीढ़ी पर डाल दिया जाता है। इस प्रकार मुद्रा के नकट वात को पार करके भागीभा पीढ़ी अपभ्रांतिन गरुता में उगका शोधन कर सकती है। यदि ऋण वर्तमान उपभोग का बम बरक दिए जाते हैं तो ऐन ऋणों का भार वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है। अतः मुद्रा के भार का वितरण में समानता देने के लिए यह उचित है कि मुद्रा का प्रधानतः ऋणों द्वारा ही लड़ा जाए ताकि मुद्रा का भार वर्तमान और भावी दोनों पीढ़ियों पर डाला जा सके।

(8) जनता का विश्वास बना रहना है: सामान्यतः मनुष्य करो में पूजा करता है क्योंकि वह उसकी सामाजिक आय कम कर देते हैं। सरकार यदि कर देय क्षमता में पर करारोपण करती है तो जनता में विश्वास समाप्त हो जाता है और देश में आंतरिक उपद्रव की आपत्ति बनती रहती है। यदि मुद्रा व्यय ऋण द्वारा पूरा किया जाए तो जनता को मूलधन का व्याज मिलाने की आशा रहती है और सरकार में जनता विश्वास बना रहता है।

ऋणों द्वारा मुद्रा ऋण के विपक्ष में तर्क

कुछ विद्वानों का विचार है कि ऋणों से मुद्रा की विल व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। अपने मत के समर्थन में ये विद्वान प्रायः निम्न तर्क प्रस्तुत करते हैं

(1) मुद्रा ऋण राष्ट्र पर मूल-भार के समान होते हैं: मुद्रांतरण वात में ऋणों के व्याज और मूलधन के भुगतान के लिए भारी करारोपण करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप राजकीय वित्त व्यवस्था लचक ममय के लिए टिन्न-मिन्न हो जाती है। भारी करारोपण से एक ओर तो उद्योगों का विकास प्रतिकूल रूप में प्रभावित होता है और दूसरी ओर समाज में आर्थिक विपन्नता में भी वृद्धि होती है। सरकार द्वारा निर्गमित ऋण तथा ऋण पत्र सामान्यतः धनी वर्ग द्वारा ही खरीदे जाते हैं जिन पर उन्हें व्याज मिलना रहता है। इसके फलस्वरूप धनी और अधिक धनवान होकर जाता है और आर्थिक विपन्नता बढ़ती जाती है। चूंकि मुद्रा ऋण अनुत्पादक होते हैं और मुद्रांतरण वात में इनका प्रभाव देश की अर्थ व्यवस्था पर अच्छा नहीं पड़ता, अतः ये ऋण राष्ट्र पर एक मूल भार के समान होते हैं।

(2) सरकार इच्छानुसार ऋण वसूल नहीं कर पाती ऋणों द्वारा युद्ध वित्त के प्रवर्ध के विरुद्ध एक तर्क यह भी है कि सरकार युद्ध व्यय को पूरा करने के लिए वांछित और असीमित मात्रा में ऋण प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि ऋण प्राप्त करने की भी एक सीमा होती है। ऋण बचत में से दिए जाते हैं और इस कारण अधिक ऋण लेने पर देश की अर्थ व्यवस्था पर घुरा प्रभाव पड़ता है।

(3) मुद्रा प्रसार का भय : यदि ऋणदाता सरकार को ऋण अपनी बचतों में से न देकर बैंकों से उधार लेकर देते हैं तो इस प्रकार के ऋणों से देश में मुद्रा प्रसार का भय रहता है। इसके विपरीत करारोपण में मुद्रा प्रसार का भय नहीं होता।

(4) अतिरिक्त व्यय और युद्ध को प्रोत्साहन . रिवाइज्ड एडम स्मिथ आदि परंपरागत अर्थशास्त्रियों के अनुसार युद्ध वित्त की पूर्ति सार्वजनिक ऋण से इम्प्लाने नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनमें अतिरिक्त व्यय और युद्ध को प्रोत्साहन मिलता है। वह राष्ट्र, जो ऋणों की सेवाएँ लेता है अपन लिए हानिकारक परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि युद्धमालीन वित्त के लिए न तो खरेदा करारोपण ही वांछनीय है और न केवल ऋण ही वरन युद्ध के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने हेतु धोना ही रीतियाँ को साथ-साथ अपनाया चाहिए क्योंकि दोनों रीतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। मिलनी धन राजि करारोपण से प्राप्त की जाएँ और वित्तनी ऋण से, यह कई बातों पर निर्भर करता है जैसे- (अ) देश में करारोपण का चालू स्तर, (ब) ऋण लेने की क्षमता तथा (स) लोगों में उपभोग कम करने और बचत करने की इच्छा। टेलर ने इस संबंध में लिखा है इन दोनों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए कि व्यक्ति और फर्मों में युद्ध समाप्त होने पर आपस में वही संबंध बना रहे जो युद्ध प्रारंभ होने पर था।

### (स) मुद्रा प्रसार

कभी कभी सरकार युद्ध व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने हेतु मुद्रा स्फीति का आश्रय लेती है। इस नीति के अंतर्गत सरकार अतिरिक्त मुद्रा छाप लेती है और इसके द्वारा जनता से आवश्यक खाद्य सामग्री खरीद लेती है तथा खेतन में मजदूरी आदि का भुगतान कर देती है। इस नीति का दूसरा रूप यह है कि सरकार केंद्रीय बैंक से या देश की अन्य बैंकिंग संस्थाओं से उधार लेती है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है जिससे बैंकों की साप में वृद्धि हो और वे सरकार को अधिक ऋण देने में समर्थ हो सकें।

द्वितीय महायुद्ध काल में लगभग सभी महत्त्वपूर्ण देशों में युद्ध संचालन-व्यय की पूर्ति वृद्ध अथवा तक वागजी नोट छापकर की थी। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी व जापान में जुलाई 1939 की तुलना में दिसंबर 1944 में कुल प्रचलित

मस्येव ने इस सदर्थ में कहा है 'युद्धकालीन आहरण नीची आय वर्ग से प्रत्यर्पण करो (refundable taxes) तथा ऐसे बलात् ऋणों का रूप ले सकते हैं जिनकी वापसी ऊंची आय वर्ग के द्वारा होती है।'<sup>1</sup>

जो ममाज में असतोप उत्पन्न कर देता है। लोगों के योगदान केवल नाम-मात्र को ही ऐच्छित होते हैं, वास्तव में ये राजकीय सत्ता के प्रभुत्व में अनिवार्य रूप से वसूल किए जाते हैं।

इस संपूर्ण वितरण के निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि युद्ध की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए सरकार उन सब साधनों को अपनाया करती है, जिन्हें वह सम्भवतः अपना सकती है। युद्धकाल में वीत-भी रीति अपनायी जाए, यह बहुत कुछ युद्ध की प्रगति और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में ऋणों और करों से धन जुटाया जाता है। अल्पकालीन छोटे युद्ध व्ययों की पूर्ति करारोपण द्वारा ही कर ली जाती है। परन्तु युद्ध की प्रगति के साथ साथ करारोपण अधिकाधिक भारी होता जाता है। दीर्घकालीन युद्ध वित्त की पूर्ति के लिए लोक ऋणों का आश्रय लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों और राजनिगम से बचतों को प्रोत्साहित व उपभोग को हतोत्साहित किया जाता है ताकि युद्ध के लिए अधिकाधिक साधन उपलब्ध हो सकें। यदि इन साधनों से पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता तो सरकार सस्ती मुद्रा नीति अपनाती है जिससे देश में स्फीति की दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। स्पष्ट है कि वास्तव में युद्ध कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था करना कोई सरल कार्य नहीं है। युद्ध वित्त की समस्या केवल युद्ध का जीतना ही नहीं होना बरन उसमें यह भी देखना होता है कि लोगों की सुरक्षा को कम से कम हानि पहुंचाई जाए सामाजिक ढांचा कम से कम अस्त-व्यस्त हो और युद्ध भी जीत लिया जाए। यदि युद्ध के लिए वित्त का प्रबंध एक योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तो पर्याप्त सीमा तक युद्ध और वित्तीय व्यवस्था के बुरे प्रभावों से जनता को बचाया जा सकता है।

### युद्ध वित्त व्यवस्था के प्रभाव

युद्ध तथा उनकी वित्त व्यवस्था के लिए अपनाए जाने वाले साधन अपने पीछे भीषण आर्थिक प्रभाव छोड़ जाते हैं। युद्ध वित्त का प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्रा प्रसार है। युद्धोपरांत काफी लंबे समय तक मूल्य स्तर में वृद्धि होती रहती है। एम० ई० राबिन्सन के शब्दों में, 'मूल्य वृद्धि का अर्थ यह है कि किसी अन्य छरीददार के समान सरकार वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को बढ़ता हुआ पती है और उसके बर्तव्यों की लागत भी वैसे ही बढ़ती है जैसे कि मूल्य बढ़ते हैं।'<sup>2</sup>

1 Richard A. Musgrave 'The Theory of Public Finance', (1959) Mc Graw Hill Book Company Inc, New York p 567.

2 M E. Robinson 'Public Finance', (1922), Nisbet & Co Ltd, Cambridge, p 119

युद्धकाल में मूल्य वृद्धि अपने साथ वृद्ध-सी घुस्राया लेकर जाती है। ऐसे समय में किसी मूल्य में ती वृद्धि हो जाती है परन्तु व्यय बढ़ते हुए मूल्य के साथ तुरत समन्वित नहीं हो पाते। इसलिए नाम अनुदून रूप में प्रभावित होते हैं जिसमें सरकार भी सम्भावित होती है। वस्तु हुए लाभों से सरकार की आय भी बढ़ती है। ऐसे साम व्यापारिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने हैं और रूप योग नपत्ति का बढाने हैं। स्मरणीय है कि लाभ की वृद्धि का मूल कारण यह होता है कि मजदूरी स्वयं मूल्य परिवर्तन के साथ समायोजित नहीं हो पाती। जैसा कि एम० ई० राविन्सन का मतव्य है युद्ध काल म मजदूरी मूल्यों व पीछे रह जाती है तथा मजदूरी बढान की माग एक मत्तु सामाजिक गुणधर्म को उत्पन्न करती है।<sup>1</sup>

जिन्ही भी देश के मूल्य स्तर में घोर परिवर्तन एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य को भी परिवर्तित कर देता है। प्रथम युद्ध के बाद मुख्य मात्र प्रदानकर्ता अमरीका के उत्तर म तथा दुर्गैड के पीछे के मूल्य में वृद्ध अद्विध हाम देखा गया। यूरोप क अन्य देशों की देगा तो और भी दयनीय थी। यदि किसी देश को ऐसे भूतान करना है जिनका मूल्य स्वयं तथा स्वदेशी मुद्रा में निश्चित किया गया हो तब सुगमता करते समय उसे अद्विध भार नहन करना पडता है।

युद्ध के कारण सरकार पर बड़ी मात्रा में ऋण का भार एकत्रित हो जाता है जिनका बास्तविक एवं मौद्रिक भार जनता को अद्विध नहन करना पडता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि युद्ध मजदूरी व्यय को पूरा करने के लिए सरकार सभी समाप्तगामी कार्यों को भूत जाती है जैसा कि अमरीका में राष्ट्रपति हार्डिन-हावर ने मनाचार पत्रों के निर्देशों के मन्त्र एक बार कहा था कि 'प्रदेक बढ़क जो बनाई जाती है, हर युद्धपीत जो पानी में छिमकाया जाता है, प्रत्येक राकेट जो छोडा जाता है। अन्तिम अर्थ में उन चोरी की और मपेत करता है जो भूतों के यहा की जाती है जिनको धाना नहीं मिलता, जिनको ठड मगती है और पहनन को वस्त्र नहीं मिलते।

हम इस बात का पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि युद्ध रूपों का भार भादी पीठी पर पडता है जबकि कर्णों द्वारा युद्ध की वित्त व्यवस्था से भार, वर्तमान पीठी पर पडता है। जब युद्ध की वित्त व्यवस्था उत्साधान द्वारा की जाती है तो उनका भार उन लोगों पर पडता है जो कर अदा करते हैं, किन्तु जब वित्त प्राप्ति का मुख्य स्रोत सरकारी उधार होता है तो उसका वित्तीय भार उन लोगों पर पडता है जिन्हें व्याज की अदायगी और शोधन-निधि के निर्माण के लिए मदियम में सरकार को कर अदा करने पडते हैं। युद्ध का श्राविक-भार तो विभिन्न प्रकार की

वित्तीय पद्धतियों के अतगत विभिन्न समयों में तथा लोगों के विभिन्न वर्गों पर पड़ सकता है किंतु उपभोग तथा विनियोग की कमी के रूप में जो वास्तविक भार होता है वह उस समय लोगों पर पड़ता है जबकि आर्थिक साधन वास्तव में युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते हैं।

विदेशों से ऋण लेने का एक प्रभाव यह होता है कि राष्ट्र उस समय उन ऋण की सीमा तक युद्ध की लागत के भार बहन करने में बच जाता है जो उस युद्ध लागत का वास्तविक त्याग उस समय अनुभव करता है जब ऋण अदा किए जाते हैं।

यह व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है कि लोग करो की अदायगी अपनी चानू आय में से करते हैं तथा ऋण का भुगतान बचता से किया जाता है। फलतः करो का मपूर्ण आर्थिक प्रभाव लोग पर उमी समय पड़ जाते हैं जबकि ऋण का भार उस समय आय के लिए फव दिया जाता है।

युद्धनाश में लोग में जो देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है उसका कारण लोग भारी करो का बोझ भी स्वेच्छा से सहन कर लेते हैं। परंतु आज्ञा के युद्ध वर्षों तक चिंचित है। अतः लोग कराधान के निरंतर वृत्त हुए भार को उतने ही उत्साह से सहन नहीं कर सकते। करो की वृत्ती नष्ट राशि का नागरिकों के साथ करने बचत तथा विनियोग करने की इच्छा एवं क्षमता पर गभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त वितरण पर जो प्रभाव पड़ते हैं वे भी निश्चयपूर्ण हैं। प्रायः ऋण युद्धनाश में ऐसे लोग से लिए जाते हैं जो धनी होते हैं। अतः धन के वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। युद्ध के बाद जब इन ऋणों की अदायगी के लिए कर लगाए जाते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि उन वर्गों का भार भी विभिन्न वर्गों पर उमी अनुपात में पड़ेगा जिस अनुपात में उन्होंने ऋण में अपना अक्षदान दिया था। व्यापक संभावना इस बात की है कि नये करों का भार का एक बड़ा अनुपात निर्धन वर्गों को ही सहन करना पड़ेगा। इससे वितरण प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगा। जहां तक करो द्वारा युद्ध की वित्त व्यवस्था का संबंध है हम सामान्य रूप से यह कह सकते हैं कि उनका भार धनी वर्ग पर ही पड़ेगा अतः वितरण पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

यदि कोई देश नागरिकों की सुरक्षा के खतरे को उपेक्षा करते हुए युद्ध में झिझकी होता चाहता है तो वह अपने उद्देश्य में सफल भवने ही को जाए किंतु बाद में उसे भीषण कष्टों को सहना पड़ेगा। इस सदम में प्रो० पीगू के शब्द उत्तमनीय हैं युद्ध के परिणाम और भी कटु प्रतीत होंगे यदि हम मूल्यों के नष्ट होने की ओर ध्यान दें जो कि आर्थिक क्षमता से बिल्कुल ही परे होती हैं। मनुष्यों को अपने बचन का पालन करना युद्ध में भाग लेने वालों के जर्मों तथा धीमारियों से उत्पन्न होने

वाले कष्ट, युद्ध में भाग लेने वालों पर होने वाले अत्याचारों और विचारों का भिन्न होना, युद्ध के अनिवार्य परिणाम होते हैं।<sup>1</sup>

### भारत में प्रतिरक्षा व्यय

सरकार यह भरसक प्रयत्न करती है कि बजट संतुलित रहे तथा आय की सीमा में ही व्यय का कुशल बटवारा हो। परन्तु युद्धकाल में इस प्रकार की सख्त धारणाओं को छोड़ देना पड़ता है। स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए वह प्रतिरक्षा पर किसी भी सीमा तक व्यय कर सकती है। ऐसी समय में 'भुरक्षा बजट पिता पर आश्रित कालज के छात्र व बजट की भाती होता है न कि परिवार के बजट की भाति जो निश्चित आय की सीमा में व्यय का कुशल बटवारा करने का प्रयत्न करता है।'

सन् 1861 में प्रतिरक्षा पर 16.47 करोड़ रुपये व्यय किया गया था जो सन् 1920 में बढ़कर 87.38 करोड़ रुपये हो गया। सन् 1936 में यह 49.5 करोड़ रुपये था जो कुल सरकारी व्यय का 54.9 प्रतिशत था। द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में यह व्यय निरन्तर बढ़ता गया। सन् 1944-45 के वर्ष में यह व्यय 258.32 करोड़ रुपये था।

स्वतंत्रता के पश्चात् यह व्यय काफी घट गया। 1950-51 में सुरक्षा पर पर केवल 164.13 करोड़ रुपये व्यय किया गया, उसके पश्चात् वह निरन्तर बढ़ता गया। 1950-51 से वर्तमान समय तक के प्रतिरक्षा व्यय को निम्न प्रकार में प्रस्तुत किया जा सकता है

#### आयगत रक्षा व्यय (करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	रक्षा व्यय	प्रतिशत व्यय
1950-51	346.64	164.13	47.3
1961-62	1,069.11	301.93	28.0
1963-64	1,664.94	392.55	30.3
1969-70	2,902.39	986.00	33.3
1970-71	3,142.20	1,051.50	30.0
1971-72	4,107.00	1,248.4	34.0
1972-73	4,591.00	1,404.0	34.0
1973-74	4,954.75	1,551.13	30.0
1974-75	5,407.88	1,679.73	31.0
1975-76	6,411.00	2,036.00	31.3

(बजट अनुमान)



## पूजीगत रक्षा व्यय (करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल व्यय	पूजीगत रक्षा व्यय	प्रतिशत व्यय
1950-51	182 59	4 19	2 29
1961-62	1,171 61	22 95	1 95
1963-64	1,825 89	115 63	6 33
1969-70	1,540 00	170 00	11 00
1970-71	3,142 20	417 80	4 00
1971-72	1,411 00	162 6	12 00
1972-73	3,239 00	196 00	14 00
1973-74	3,484 29	202 00	7 00
1974-75	3,457 04	235 27	6 79
1975-76	4,277 00	238 00	5 58

(वजट अनुमान)

स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर आक्रमण करने उसके एक भाग पर कब्जा कर लिया। उसने पश्चात वह भारत पर निरंतर छुट-पुट हमले करता रहा है। फलतः भारत को प्रतिरक्षा पर निरंतर अपना व्यय बढ़ाना पड़ा है। 1961-62 में यह व्यय 301.93 करोड़ रुपये हो गया था।

सन् 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत को सुरक्षा व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। स्थल सेना में वृद्धि की गई तथा आधुनिक शस्त्रों का निर्माण करना पड़ा। इसी कारण सरकार का पूजीगत रक्षा व्यय 1963-64 में बढ़कर 115.63 करोड़ रुपये हो गया जबकि इससे पिछले वर्ष यह 22.95 करोड़ रुपये था। पाकिस्तान ने छुट-पुट आक्रमण करने के पश्चात सन् 1964 में पुनः शेष कश्मीर पर कब्जा करने का पडयत्न रचा। उसने हजारों घुसपैठियों को छिपे रूप से कश्मीर में भेज कर तोड़-फोड़ की क्रियाएँ प्रारम्भ कर दीं। इसका मुह-तोड़ जवाब देने के लिए भारत को प्रतिरक्षा पर अपना व्यय बढ़ाना पड़ा सन् 1963-64 में 692.55 करोड़ रुपये व्यय किया गया जो कुल व्यय का 303 प्रतिशत था। 1966-67 में रक्षा व्यय 1961-62 की तुलना में तीन गुना बढ़ गया। इस वृद्धि का प्रमुख कारण 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का होना है। सन् 1971 में पाकिस्तान के साथ पुनः युद्ध छिड़ जाने के कारण सरकार को रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी। भारत को चीन व पाकिस्तान के विरोधी गठबंधन का भय आज भी बना हुआ है।

ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा व अखंडता के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा व्यय बढ़ा है। 1975-76 में 2,036 00 करोड़ रुपये प्रतिरक्षा के रूप में व्यय करने का अनुमान है।

स्वतंत्रता के उपरांत जिन कारणों के द्वारा प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि हुई उन्हें निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(1) औजारों का आधुनिकरण : प्रतिरक्षा सेवाओं को पूर्णरूप से आधुनिक शक्तों से सुसज्जित करने, विशेषकर युद्ध पोत खरीदने पर अधिक व्यय किया गया।

(2) पूंजी परिव्यय में वृद्धि : सरकार को युद्ध का सामान निर्माण करने के लिए नये कारखानों की स्थापना करनी पड़ी जिससे विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े।

(3) सेना में वृद्धि : विभाजन के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना का विकास करना पड़ा।

(4) हथियारों की खोज : सेनाओं के लिए नए हथियारों की खोज के लिए बड़ी रकम खर्च की गई।

(5) युद्ध-कौशल तथा प्रशिक्षण में परिवर्तन : देश में उच्च सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए अनेक केंद्र खोले गए। तथा युद्ध-कौशल और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किए गए।

(6) कश्मीर पर आक्रमण : पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के एक भाग पर कब्जा तथा उनसे छुट-मुट आक्रमणों ने भारत सरकार को प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करने के लिए प्रेरित किया।

(7) चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण : 1962 में चीन से तथा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होने के कारण इस मद पर अधिक व्यय करना पड़ा। इसके पश्चात सन् 1971 में पाकिस्तान के साथ पुनः युद्ध होने के कारण रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई।

(8) बढ़ा हुआ वेतन तथा भत्ता : 1973 में रक्षा सेनाओं के अधिकारियों और सैनिकों के वेतन और भत्तों में वृद्धि के कारण भी प्रतिरक्षा व्यय भी बढ़ा है।

भविष्य में सुरक्षा व्यय में घटने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि भारत को पाकिस्तान तथा चीन में आक्रमण का मय अब भी बना हुआ है। इसलिए देश की सुरक्षा के लिए इस मद पर व्यय घटने की कोई संभावना नहीं है।

# 22

## संघीय वित्त

संघीय सरकार के कार्यों का बटवारा अनेक बातों पर निर्भर करता है। कुछ सघो में अत्यधिक केंद्रीयकरण और कुछ में अत्यधिक विकेंद्रीयकरण देखा जाता है। किंतु जब समवर्ती विषयो में प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है तब प्रशासनिक सुविधाएँ और कार्य-कुशलता के सामान्य सिद्धांत हमारा मार्ग-दर्शन करते हैं।

प्रायः एकाकी तथा संघीय प्रकार की शासन प्रणाली विश्व के देशों में देखने को मिलती है। एकाकी शासन प्रणाली में देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था एक सरकार के आधीन होती है और ऐसी सरकार केंद्रीय सरकार होती है। इसके विपरीत संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त भिन्न भिन्न प्रांतों में प्रांतीय सरकारें होती हैं। प्रांतीय सरकारें अपनी-अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों के लिए स्वतंत्र होती हैं और केंद्रीय सरकार प्रायः उनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती।

### वित्त व्यवस्था का विभाजन

प्रशासनिक व्यवस्था के एकात्मक एवं सघातमक विभाजन के आधार पर वित्त व्यवस्था को भी निम्नलिखित दो भागों में बाटा जाता है

(1) एकात्मक वित्त व्यवस्था एकात्मक वित्त व्यवस्था में देश की संपूर्ण मदों पर केंद्रीय सरकार व्यय करती है और समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय भी केंद्रीय सरकार के कोष में जमा होती है।

(2) संघीय वित्त व्यवस्था संघीय वित्त व्यवस्था में आय के समस्त स्रोतों तथा व्यय की मदों को केंद्रीय प्रांतीय तथा स्थानीय रूप से विभाजित कर दिया जाता है। तीनों ही सरकारें अपनी-अपनी सीमा में आय को निर्धारित स्रोतों से प्राप्त करने और व्यय की मदों में व्यय करने में स्वतंत्र होती हैं। किंतु उनमें सन्तुलन की दृष्टि से वित्तीय मद्बध होना है।

## संघीय कार्य क्षेत्र

केंद्र, प्राय एव स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों में प्रतिद्विष्टता की भावना को समाप्त करने के लिए संघीय शासन प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों को पूर्णतः केंद्र के अधीन छोड़ दिया जाता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से सुरक्षा, विदेशी संबंध, राष्ट्रीय नदरों, मुद्रा, नौद्विष्ट, निर्यात, वैज्ञानिक, दीना, रचना, संदेश वाहन साधन विदेशी विनिमय व व्यापार एव राष्ट्रीय नियोजन आदि को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से सच के अधीन रखा जाता है।

## प्रातीय तथा स्थानीय इकाइयों का कार्य क्षेत्र

स्थानीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मसलें जाने वाले विषय प्रातीय तथा स्थानीय इकाइयों को दिए जाते हैं। कृषि, नावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस आदि की स्थानीय मसलों में गणना की जाती है। कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनके लिए सच तथा प्रातीय सरकारों का समुक्त प्रशासन आवश्यक हो जाता है। श्रम अधिनियम, नृत्त नियंत्रण, भोज्य पदार्थों में मिलावट रोकने के विरुद्ध अधिनियम आदि की गणना इन श्रेणियों में की जा सकती है।

## संघीय वित्त के सिद्धांत

डा० भार्गव के अनुसार संघीय वित्त व्यवस्था का तात्पर्य सच तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध से है। सच एव राज्यों के बीच कार्यों तथा सेवाओं का विभाजन ही जाने के बाद उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन आवश्यक हैं ताकि कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। इस संबंध में दो समस्याएं उत्पन्न होती हैं :

(1) विभिन्न सरकारों में आय स्रोतों का विभाजन किस आधार पर किया जाए ? तथा

(2) सरकारों की आय और आवश्यकताओं के मध्य मतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए ?

इन दोनों समस्याओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए संघीय वित्त व्यवस्था के सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक है। संघीय शासन प्रणाली में सच तथा राज्यों के वित्तीय संबंधों को सुलभ बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है : (1) स्वतंत्रता सिद्धांत, (2) एकस्यता सिद्धांत, (3) समेष्टता सिद्धांत, (4) लोच सिद्धांत, (5) कार्य-कुशलता सिद्धांत, तथा (6) हस्तांतरण सिद्धांत ।

### (1) स्वतंत्रता सिद्धांत

संघीय वित्त व्यवस्था में सच की प्रत्येक इकाई आंतरिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के निजी आय के स्रोत तथा व्यय के क्षेत्र होने

चाहिए। सघ की प्रत्येक इकाई इच्छानुसार एव आवश्यकतानुसार कर लगाने, ऋण एवत्र करने और आय को व्यय करने में पूर्णतः स्वतंत्र हो। यद्यपि व्यवहार में महत्वपूर्ण एव लोचपूर्ण आय स्रोत केंद्रीय सरकार के अधिकार में होता और प्रांतीय सरकारों का आर्थिक अनुदान के लिए परमुखापेक्षी स्वभाव उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर पाता तथापि आय स्रोतों का विभाजन एक सीमा स्वतंत्रता अवश्य प्रदान करता है।

## (2) एकरूपता सिद्धांत

सघीय वित्त व्यवस्था में सरकार को वित्तीय नीतियों का संचालन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदस्य राज्यों के प्रति उसके व्यवहार में एकरूपता दिखाई दे। सघ सरकार द्वारा लगाए गए करों का भुगतान करते समय किसी राज्य के निवासियों को अन्य राज्य के निवासियों की तुलना में कोई विशेष सुविधा न दी जाए और सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाए।

यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से एकरूपता सिद्धांत सरल एव उपयोगी प्रतीत होता है किंतु व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित नहीं है कि सघीय प्रणाली में देश के दो असमान आर्थिक स्थिति वाले राज्य केंद्र को समान अंशदान प्रदान करें। उदाहरण के लिए भारत में आसाम से यह आशा करना अनुचित एव अव्यावहारिक होगा कि वह महाराष्ट्र या उत्तरप्रदेश राज्य के समान अंशदान केंद्रीय सरकार को दे। क्योंकि आसाम की वित्तीय स्थिति बर्दई की अपेक्षा दुर्बल है और उसे आर्थिक विकास के अधिक साधनों की आवश्यकता है।

## (3) यथेष्टता सिद्धांत

यथेष्टता सिद्धांत का यह अभिप्राय है कि सघ की प्रत्येक इकाई को सीपे गए साधन उन कार्यों के लिए पर्याप्त हो जिन्हें इन इकाइयों को पूरा करना है। साधनों की पर्याप्तता के अभाव में सघ इकाइयों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में कठिनाई हो सकती है।

## (4) तोच सिद्धांत

सघ इकाइयों के लिए साधनों की पर्याप्तता ही पूर्ण नहीं है। प्राप्त साधनों का लोचपूर्ण होना भी आवश्यक है। सघ इकाइयों के पास इस प्रकार के साधन आवश्यक हैं जिनसे वे भविष्य में बढ़ते हुए प्रशासनिक व्ययों, सवटकालीन व्यय भारों और भावी आर्थिक नियोजनों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त कर सके। डा० आर० एन० भार्गव के अनुसार आर्थिक साधनों का विभाजन लोचपूर्ण व्यवस्था के रूप में किया जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना कितनी ही अच्छी क्यों न हो आने वाले प्रत्येक समय के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। परिवर्तनशील दशाओं में कोई भी योजना समयावधि में अप्रचलित हो सकती है।

अतः विभाजन के लिए प्रत्येक प्रबंध में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए जो देश की प्रत्येक प्रशासनिक इकाई के साथ-साथ देश के लिए भी हितकर हो।

लोक का सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से असंगत प्रतीत होता है। व्यवहार में यही देखा जाता है कि केंद्रीय सरकार बलोच्चपूर्ण स्रोतों को स्वयं अपने पास रख लेती है और राज्यों को केवल ऐसे स्रोत दिए जाते हैं जिनसे बढ़ने हुए व्यय भारों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आय प्राप्त नहीं की जा सकती। परिणामस्वरूप राज्य सरकार की अनेक योजनाएँ केंद्र पर अवशित रहती हैं। अतः आय माधन का समग्र-समय पर पुनर्विभाजन होना चाहिए ताकि केंद्र तथा प्रांत दोनों ही आवश्यकतानुसार लोकपूर्ण साधन प्राप्त हो सकें।

### (5) कार्यकुशलता सिद्धांत

सघीय वित्त व्यवस्था में यह आवश्यक है कि करदानार्थों के हित सुरक्षित रहें और कर की चोरी की सम्भावना भी न्यूनतम हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर संग्रह में प्रशासनिक क्षमता का ध्यान रखा जाए और व्यय मितव्ययितापूर्ण हो। करों की अन्तर-राज्य प्रवृत्ति मितव्ययिता की दिशा में सहायक हो सकती है। यदि आगन्तुक, सीमाकर तथा उत्पादन कर को मध्य के जघीन और मालगुजारी, सिंचाई आदि को स्थानीय महत्त्व की दृष्टि से प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारों को सौंपा जाए तो संग्रह में कुशलता एवं मितव्ययिता का पालन किया जा सकता है। कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार का कर, प्रशासन की जिस इकाई द्वारा संग्रहा जाय तथा वसूल किया जाए उसी इकाई द्वारा उस राशि की व्यय भी किया जाना चाहिए। दूसरी इकाइयों द्वारा कर की राशि व्यय किए जाने पर उसके दुरुपयोग होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रो० सैलिगमैन के अनुसार 'कोई योजना कितनी ही ठीक क्यों न हो या न्याय के मूर्त सिद्धांतों के अनुसार कितनी ही उचित क्यों न हो, यदि उसका प्रशासन ठीक प्रकार का नहीं है तो वह अवश्य अक्षय्य होगी।'<sup>1</sup>

### (6) हस्तांतरण का सिद्धांत

सघीय राजत्व के सिद्धांतों की व्याख्या करने वाले अर्थशास्त्रियों ने एक महत्त्वपूर्ण अर्थशास्त्री डा० बी० आर० मिथ के अनुसार देश में प्रत्येक नागरिक का एक न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि संपन्न राज्यों से एकत्रित किया हुआ धन असंपन्न राज्यों में न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने के लिए वितरित किया जाए। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए निष्ठा है 'सघ और राज्यों में नाधनों का आदर्श विभाजन विभिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों

के लिए 'राष्ट्रीय न्यूनतम' के सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिए। सघीय राज्या म धनी क्षेत्रों से निर्धन क्षेत्रों को धन का हस्तांतरण करके ऐसा किया जा सकता है। इन हस्तांतरणों का आधारभूत कारण अंतरराष्ट्रीय असमानताओं को दूर करना है। यह बात याद रखने योग्य है कि विभिन्न राज्यों के बीच आय की गभीर असमानता का होना राष्ट्रीय समृद्धि के हित में नहीं है। डा० मिथ ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए बताया है कि हस्तांतरण के सिद्धान्त का पालन करने की दिशा में राज्यों को सकीर्ण भावना नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि प्रायों की सीमाएँ पूर्णतः कृत्रिम होती हैं। प्रत्येक राज्य के निवासी को समस्त देश को सर्वोपरि महत्त्व देना चाहिए। सघीय राजस्व की उपयुक्त नीति में 'राष्ट्रीय न्यूनतम' उद्देश्य को सर्वोपरि महत्त्व दिया जाना चाहिए तभी समाज कल्याण भावना की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने भारत में हस्तांतरण सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया है— राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य में प्राप्त प्राकृतिक साधन जलवायु विकास, जनसंख्या, तथा राज्य के आर्थिक विकास की अवस्था।

### वित्तीय स्रोतों का विभाजन

यद्यपि वित्तीय स्रोतों के विभाजन का अधिनार आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए किंतु आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की जटिलता के कारण एक ओर ऐसे करों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है जिन्हें केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही कुशलतापूर्वक लगाया जा सकता है और दूसरी ओर राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है जिसके लिए उन्हें अधिकाधिक साधनों की आवश्यकता बढ़ रही है। ऐसी मद्दों पर सघ सरकार द्वारा कर लगाया जाना चाहिए, जिनके संचालन में राष्ट्रीय स्तर की कुशलता की आवश्यकता हो तथा प्रांतीय या स्थानीय स्तर की कुशलता की आवश्यकता वाले मद्दों पर प्रांतीय तथा स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाए जाने चाहिए।

### वित्तीय समायोजन

सघीय शासन प्रणाली में यह आवश्यक है कि सघ तथा सघीय इकाइयों में प्रत्येक इकाई कार्य तथा साधन विभाजन की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। किंतु व्यवहार में सघीय इकाइयों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय समान नहीं होती। प्रायः कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से पुष्ट होते हैं और कुछ अन्य राज्य कमजोर। प्रायः यह देखा जाता है कि आय के एक ही स्रोत से विभिन्न राज्यों में आर्थिक-सामाजिक या अन्य परिस्थितियों के कारण असमान आय प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप सघ तथा सघीय इकाइयों के बीच समुचित वित्तीय समायोजन आवश्यक हो जाता है। इसके अभाव में देश का सतुलित विकास नहीं हो पाता। सघ तथा सघीय इकाइयों के बीच वित्तीय समायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

### कर आय का वितरण

यह विधि ममर्षण विधि कहलाती है। इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार कर लगाती है और एकत्रित करती है तथा प्राप्त आय को सघीय इकाइयों में विभाजित कर देती है। इस कार्य के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाए जा सकते हैं :

(अ) सघीय सरकार कर आय का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रख ले और शेष राशि आनुपातिक रूप में सघीय इकाइयों के बीच बांट दें।

(आ) सघीय सरकार कर आय की संपूर्ण राशि एक निश्चित अनुपात में सघीय इकाइयों में बांट दे।

(इ) सघीय सरकार के लिए एक निश्चित राशि बचा ली जाए और शेष राशि अन्य सरकारों को बांट दी जाए।

(ई) सघीय सरकार केवल करो को आरोपित और एकत्रित करे और प्राप्त राशि राज्य सरकारों को बाँट दे।

सघीय इकाइयों के बीच कर आय वितरण के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं : राज्य की जनसंख्या, राज्य में एकत्रित राशि, राज्य की करदान क्षमता, राज्य की औद्योगिक प्रगति तथा राज्य का क्षेत्रफल। इनमें से एक या एक से अधिक आधारों पर भी कर आय का वितरण किया जा सकता है।

सैद्धांतिक दृष्टि से अभिहस्तांतरण का सिद्धांत बड़ा सरल और न्यायमगत प्रतीत होता है। किंतु इसकी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। उदाहरण के लिए (1) यदि सग्रह करने वाली इकाई को उसके उपयोग का अधिनार न हो तो वह इकाई एकत्र करने में रुचि नहीं लेती। (2) यदि सग्रह करने वाली इकाई का अग्र पूर्व ही निश्चित कर दिया जाए तो उस दशा में भी कर एकत्र करने में उसे रुचि नहीं होगी। (3) सघीय इकाइयाँ दुर्बल इकाइयों का ध्यान न रख कर स्वयं अधिकाधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न करे तो भी स्थिति असंतोषजनक बनी रहेगी। (4) कुछ इकाइयाँ जनसंख्या की अधिकता के कारण अधिक अग्र माग करे और कुछ अन्य बाधित विभाजित के लिए तो भी असमन्वय हो सकता है। वस्तुतः अभिहस्तांतरण की कोई भी विधि क्यों न अपनाई जाए। प्रत्येक में कुछ व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः सघीय इकाइयों को निराशा एवं उपेक्षा से बचाने के लिए समय-समय पर विभिन्न इकाइयों की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का आधार भी सर्वदा एक ही नहीं होना चाहिए।

अतिरिक्त कर : संघ या राज्य सरकारों की आय पर्याप्त न होने की दशा में केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा आरोपित करों के अतिरिक्त केंद्र द्वारा आरोपित करों के ऊपर केंद्रों द्वारा कुछ अतिरिक्त कर लगाए जाते हैं। इस प्रकार के कर अतिरिक्त कर कहलाते हैं।



अतिरिक्त कर की प्रथम प्रणाली, जिसमें सघ द्वारा आरोपित करों के ऊपर राज्य सरकारों द्वारा कर लगाने की परिपाटी है अधिक सरल तथा न्यायसंगत है किन्तु राज्यों द्वारा आरोपित करों के ऊपर केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले करों में एकरूपता नहीं रह पाती और न ही इसे न्यायसंगत समझा जा सकता है।

वित्तीय समायोजना की इस प्रणाली की भी [विद्वानों ने आलोचना की है क्योंकि उनके विचार में अतिरिक्त कर प्रणाली से कर भार अत्यधिक हो जाता है। इससे देश के उत्पादन, वितरण और बचत पर कुप्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रतिद्वन्द्विता आरंभ हो जाती है।

सघीय आर्थिक सहायता वित्तीय समुलन स्थापित करने की अनेक विधियों में यह विधि विशेष महत्त्व रखती है। इस विधि के अनुसार सघ सरकार राज्य सरकारों की विशिष्ट स्थितियों का अध्ययन करने के उपरांत उन्हें आर्थिक अनुदान प्रदान करती है। इस विधि में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है

(1) आर्थिक अनुदानों की मात्रा सविधान में निश्चित कर देनी चाहिए।

(2) अविश्वसित राज्यों को विश्वसित राज्यों की अपेक्षा अधिक राशि दी जानी चाहिए। सघ द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता शर्त सहित या शर्त रहित अनुदान के रूप में दो प्रकार की हो सकती है। शर्त रहित अनुदान प्रत्येक वर्ष दी जाती है और शर्त सहित अनुदान विभिन्न समयों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए दी जाती है। केंद्र शर्त अनुदान की दशा में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण या योजना का पुनर्निरीक्षण करता रहता है।

इस प्रकार के अनुदान निराविधि तथा सवधि रूप से दो प्रकार के होते हैं। निराविधि अनुदान तब तक मिलते रहते हैं जब तक राज्य में किसी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सवधि अनुदान एक निश्चित समय के बाद समाप्त कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के अनुदान पिछड़े प्रदेशों के आर्थिक पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी दिए जाते हैं। सघीय सरकार को अनुदान के सबंध में एक व्यावहारिक सिद्धांत की स्थापना करनी चाहिए ताकि केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक सबंध में किसी प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण को सृष्टि न हो सके।

केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के सबंध में यह सुझाव दिया गया था कि अनुदानों के विभाजन में समस्त उपयुक्त घटनाओं पर विचार करना चाहिए जिसमें जनसंख्या, प्राकृतिक साधन, पिछड़ापन, जनसंख्या का क्षेत्रीय घनत्व, प्रति व्यक्ति आय, प्रात के निवासियों की आधारभूत आवश्यकताएं एवं समस्याएं आदि सम्मिलित हों।

## राज्य सरकारों द्वारा संघ सरकार को आर्थिक सहायता

अनुदान की यह एक प्रतिकूल विधि है। इसके अलग-अलग राज्य सरकारों अपने आय का एक निश्चित प्रतिशत अनुदान के रूप में केंद्र सरकार को देती हैं। वर्तमान में यह विधि उचित नहीं समझी जाती क्योंकि केंद्र की राज्यों पर निर्भरता, राज्यों की अपनी असमर्थता आदि अनेक दोष हैं। हम अब तक के अपने अध्ययन में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सघात्मक वित्त व्यवस्था में सघ और राज्यों में वित्तीय सतुलन के लिए अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु सघ तथा सघीय इकाइयों के पारस्परिक सहयोग से इन कठिनाइयों पर पर्याप्त सीमा तक विजय प्राप्त की जा सकती है।

## केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध

भारत में लोकवित्त का सघीय स्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। यद्यपि उम्र समय देश में एकात्मक सरकार थी तथापि यह अनुभव किया गया कि केंद्र तथा प्रांतों के बीच कायों एवं वित्तीय शक्तियों का एक निश्चित सीमा तक विभाजन उचित एवं वाञ्छनीय है। तभी से इस दिशा में समय-समय पर अनेक सशोधन एवं सुधार हुए। वर्तमान समय में केंद्र तथा प्रांतों के मध्य व्यय की मदों तथा आय के स्रोतों का जो वितरण किया गया है वह इस दिशा में दीर्घकालिक क्रमिक विकास की चरम सीमा है।

### सघीय वित्त का क्रमिक विकास

भारत में प्रारम्भ के केंद्रीयकरण से लेकर वर्तमान समय के सघीय प्रणाली तक वित्तीय व्यवस्था को अनेक चरणों से गुजरना पड़ा है। अध्ययन की सुविधा के लिए वित्तीय सघीयों के क्रमिक विकास को चार भागों में बाटा जा सकता है -

**प्रथम काल :** 1919 के भारत सरकार अधिनियम से पूर्व का काल

सन् 1871 से पूर्व देश के संपूर्ण राजस्व तथा व्यय पर केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। प्रांतों की व्ययों की पूर्ति के लिए निश्चित अनुदान दिए जाते थे, परिणामस्वरूप एक ओर केंद्र की वित्तीय अवस्था अनिश्चित रहती थी और दूसरी ओर प्रांतों में राजस्व का अपव्यय होना था। भारत की गरीबी तथा इस प्रणाली की भारत में अनुपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए सन् 1871 में वित्तीय गता का कुछ विकेंद्रीकरण कर दिया गया।

विकेंद्रीकरण का आरम्भ 'प्रांतीय बंदोबस्त' के रूप में किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार पुलिस, जेन, शिक्षा, चिकित्सा, पंजीकरण, सड़क तथा असैनिक निर्माण जैसे स्थानीय प्रकृति के कार्य प्रांतों को सौंप दिए गए। इन विभागों के प्रवर्ध के लिए प्रांतों को प्रतिवर्ष एक मुश्त धनराशि अनुदान के रूप में दी जाने लगी। इसने अतिरिक्त प्रांतों को करारोपण की भी सीमित शक्ति प्रदान की गई।

सन् 1877 में प्रांतों के कार्यों में वृद्धि कर दी गई और आय की कुछ मरदें विशेषकर मालगुजारी, उत्पादन शुल्क, स्टाप, सामान्य प्रशासन, कानून एवं न्याय प्रांतीय विषय बना दिए गए। प्रांतों के वित्तीय माधनों में वृद्धि करने के लिए पूर्ण निर्धारित अनुदानों के अतिरिक्त कुछ नये कर भी प्रदान किए गए। किन्तु बेंद्र की एक मुख्य अनुदान देने की व्यवस्था अमतीपजनक थी।

सन् 1882 के बाद निश्चित अनुदान देने की प्रथा समाप्त कर दी गई और आय के बटवारे के लिए समय-समय पर अनेक मसौदाएँ किए गए। परिणामस्वरूप आय के स्रोतों को लिम्नलिखित नीचे श्रेणियाँ में विभक्त किया गया

(क) सामान्य प्रघटा केंद्रीय मरदें : इनमें वाणिज्य विभागों में प्राप्त होने वाले नामों के अतिरिक्त अफीम, नमक तथा मीना शुल्कों में होने वाली आय सम्मिलित की गई थी।

(ख) प्रांतीय मरदें : इनमें अनैतिक विभागों तथा प्रांतीय निर्माण कार्यों में होने वाली प्राप्तियाँ सम्मिलित की गई थीं।

(ग) विभाजित मरदें : इनमें उत्पादन शुल्क, निर्धारित कर, स्टाप, वन तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क सम्मिलित किए गए थे।

सन् 1882 के बाद प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् न्यति की पुन मनीजा करने की व्यवस्था करदी गई। इनके अतिरिक्त सन् 1887, 1892 तथा 1897 में नये बदोवस्त किए गए। किन्तु इन बदोवस्त प्रणाली में कृषि आय में अनिश्चितता आ गई। परिणामस्वरूप 1904 में बदोवस्त को तदर्थ स्याई और सन् 1912 में न्याई कर दिया गया।

**द्वितीय काल 1919 से 1937 का काल**

सन् 1919 के अधिनियम के बाद वित्तीय प्रघट के विकास में विघेप परिवर्तन हुए। प्रथम विश्वयुद्ध के समय देश की आर्थिक स्थिति पर पडने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अनुभव किया कि प्रशानतिक दृष्टि से देश को कुछ स्वायत्तता प्रदान करना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन् 1917 में माटेसू विज्ञप्ति में कहा गया था : 'सरकार की यह नीति है कि प्रशानन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का अधिकतम सहयोग प्राप्त किया जाए; तथा स्व-प्रामन सम्थाओं का प्रमश विकास किया जाए। इसका उद्देश्य भारत में अधिक उत्तरदायी शासन स्थापित करते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का आवश्यक अंग बनाना है।'

माटेसू विज्ञप्ति को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए तत्कालीन भारत मंत्री माटेसू तथा वायनराय साईं चेम्स फोर्ड ने सन् 1917 के शीतकाल में देश का प्रमश किया और प्रमपकालीन अनुभव के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह

रिपोर्ट माटेग्यू चेम्स फोर्ड संयुक्त रिपोर्ट अथवा भारत में संबैधानिक मुझावा पर रिपोर्ट के नाम में प्रसिद्ध है। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद भारत में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ हो गई और प्रांतों तथा केंद्र के आर्थिक संबंध में आमूल परिवर्तन हो गया। इस अधिनियम के अनुसार आय व्यय का वटवारा निम्न रूप से किया गया (क) केंद्रीय आय के साधन : अफीम, नमक, आयकर, रेल, डाक और तार सेवा से प्राप्त आय, तथा (ख) प्रांतीय आय के साधन : मालगुजारी, स्टाप, रजिस्ट्रेशन, उत्पादन कर और वनों से प्राप्त आय।

केंद्र तथा प्रांतों में आय साधनों के वितरण के बाद भारत सरकार को 13 63 करोड़ रुपये वार्षिक का घाटा होने का अनुमान लगाया गया। इसलिए इस घाटे को कम करने के लिए अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय सरकारों अपनी बचतों में से केंद्र को सहयोग प्रदान करेंगी। अधिनियम में प्रांतीय सरकारों के इस योगदान को 'प्रांतीय अशदान', की संज्ञा दी गई है।

अधिनियम के अनुसार प्रांतीय अशदानों की मात्रा प्रांतीय अतिरेकों के 87 प्रतिशत के बराबर की राशि निश्चित की गई और और अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि अनिश्चित 13 प्रतिशत का अतिरेक प्रांतों के विनाश कार्यों में व्यय किया जाएगा।

### मैस्टन परिनिर्णय

सन् 1919 के अधिनियम में वर्णित प्रांतीय अशदानों की पद्धति व्यावहारिक दृष्टि से दोषपूर्ण थी इसलिए इस पर पुनर्विचार करने के लिए 1902 में लाई मैस्टन की अध्यक्षता में एन.समिति का गठन किया गया। इस समिति को मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए

- (अ) 1921-22 के आर्थिक वर्ष में केंद्र द्वारा प्रांतों को दिए जाने वाले अशदानों की मात्रा और अशदानों का आधार।
- (आ) केंद्रीय घाटे की पूर्ति के लिए आगामी वर्ष में प्रांतों के अशदानों की मात्रा।
- (इ) बचई प्राप्त से प्राप्त आयकर की राशि में से उम प्रांत को दिए जाने वाली अशदान का औचित्य तथा मात्रा।
- (ई) आगामी वर्षों में प्रांतीय ऋणों की व्यवस्था।

लाई मैस्टन ने मार्च 1920 में भारत सरकार को अपने मुताब दिए। इन्हीं मुझावों के आधार पर भारत में सन् 1921 से 1935 के केंद्र तथा प्रांतों के मध्य वित्तीय व्यवस्था रही। मैस्टन परिनिर्णय की मुख्य बातें अग्रलिखित हैं।

(ब) प्रांतों का यह तर्क स्थाई रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि विभिन्न प्रांतों में रहने वाले उद्यमियों, उद्योगपतियों, व्यावसायियों तथा वाणिज्यिक इकाइयों की बागों पर जो प्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं उनका कुछ भाग उन प्रांतों को भी मिले, किंतु तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयकर के विभाजन की स्थाई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। मंत्रालय समिति ने 1921-22 के आर्थिक वर्ष में 963 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि को पूरा करने के लिए यह मुझाव दिया कि प्रांतों की आर्थिक स्थिति तथा बढ़ते हुए व्यय भारों को ध्यान में रखते हुए मद्रास को 384 लाख, बंबई को 56 लाख, बंगाल को 63 लाख, उत्तरप्रदेश को 240 लाख, दमो को 64 लाख, मध्यप्रांत को 24 लाख, पंजाब को 175 लाख और अजमेर को 15 लाख रुपये प्रारम्भिक अनुदान के रूप में दिए जाए।

(बा) आगामी वर्षों में केंद्रीय घाटे की पूर्ति के लिए प्रांतीय अगदानों की मात्रा के बारे में मंत्रालय समिति ने मुझाव दिया कि इन अगदानों का निर्धारण प्रांतों की करदान क्षमता, निवासियों की आय और प्रांतों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। मंत्रालय समिति ने अपने मुझाव में यह स्पष्ट किया था कि प्रांतों द्वारा दिए गए इस प्रकार के अगदान का प्रतिशत प्रांतों की व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार छाई प्रतिशत से 19 प्रतिशत तक होना चाहिए। यह व्ययम्हा आगामी मात वर्ष के लिए की जानी चाहिए और उसके बाद मन्मद-मन्मद पर प्रांतों की आर्थिक स्थिति का पुनर्मुल्यांकन किया जाना चाहिए और अगदानों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

(इ) मंत्रालय समिति ने बंबई प्रांत से प्राप्त आयकर की राशि में से उन प्रांत को दिए जाने वाले अगदान के औचित्य एवं मात्रा के विषय में अपना कोई मुझाव नहीं दिया। समिति ने अपने मुझाव में केवल सामूहिक रूप से यह बताया कि प्रांतों को इस प्रकार का अगदान मिलना चाहिए। समिति ने बंबई के विशेष अगदान की धारणा को स्वीकार नहीं किया।

(ई) मंत्रालय समिति ने मुझाव दिया कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्रांतों को दिए जाने वाले ऋणों को आगामी 12 वर्षों में समाप्त कर दिया जाए।

मंत्रालय परिनिर्णय की बंबई तथा बंगाल जैसे सुपन्न प्रांतों ने तीव्र आलोचना की। बंबई का विचार था कि यह आयकर के रूप में केंद्रीय राजस्व की पर्याप्त राशि दे रहा है। बंगाल का विचार था कि वह जूट उत्पादन से जूट निर्यात कर के रूप में केंद्रीय राजस्व को पर्याप्त राशि दे रहा है और नू-राजस्व के रूप में प्राप्त राशि नोबहीन होने के कारण अतिरिक्त अगदान के रूप में केंद्र को कुछ अधिक राशि देना उसके लिए कठिन है और बढ़ते हुए प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए उसे केंद्रीय अनुदान मिलना चाहिए।

मैस्टन समिति के सुझावों को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया और उन्हें 1919 के भारत सरकार अधिनियम में सम्मिलित कर लिया गया। अधिनियम की धारा 14 तथा 15 के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आयकर की प्राप्तियों का एक भाग प्रांतों को मिले और किसी वर्ष की आय 1920-21 के आर्थिक वर्ष की आय से अधिक हो तो बड़ी हुई आय का 3 प्रतिशत प्रांतों को दिया जाए।

अशदानों को सम्पत्ति मैस्टन समिति के सुझावों को स्वीकार करने तथा उन्हें भारत सरकार के 1919 के अधिनियम में सम्मिलित कर लेने पर भी केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच आर्थिक सहयोग की भावना पूर्ण नहीं हो सकती। न्योकि केंद्र तथा प्रांतों के बीच आय की मदों का विभाजन असंतोषजनक था। केंद्र की आय के लोचदार साधन प्राप्त थे और प्रांतों की आय के साधन पूर्णतः बेलोचदार थे।

मैस्टन समिति के सुझावों के आधार पर केंद्रीय सरकार के घाटे की पूर्ति प्रांतीय अनुदानों से पूरी की जानी थी। इस अधिनियम से पारस्परिक आर्थिक सहयोग की भावना को ठेस लगी।

मैस्टन समिति के सुझावों का एक बड़ा दोष यह था कि विभिन्न प्रांतों में राजस्व के स्रोतों की भिन्नता के परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों पर करों का असमान भार पड़ा। प्रांतों के असंतोष तथा आलोचना-प्रत्यालोचनाओं के कारण 1929 में प्रांतीय अशदानों को सम्पत्ति कर दिया गया। किंतु 1919 में बनाया गया वित्तीय ढांचा 1930 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने तक अस्तित्व में बना रहा।

तृतीय काल 1937 से 1950 का काल

सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत में सघीय पद्धति की व्यवस्था की गई और प्रांतों को कुछ स्वायत्तता प्रदान की गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार केंद्रीय तथा प्रांतीय साधनों को पूर्णतः विभाजित कर दिया गया। 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय संबंधों के साथ-साथ भारतीय देशी रियासतों को भी सतुलित तथा सुदृढ़ किया जाए किंतु अधिनियम में प्रस्तावित सघ वभी अस्तित्व में नहीं आया और देशी रियासतों भारत की सघीय वित्त व्यवस्था से पूर्णतः बाहर रही। इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय संबंधों में पूर्णतः सघीयता के लक्षण आ गए।

अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों के आय के स्रोतों में भू-राजस्व, सिंचाई प्रसार, मद्य उत्पादन शुल्क, अफीम तथा नशीली औषधियां, कृषि आयकर, स्टाप तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना की गई थी। केंद्र के सौंपे गए साधनों में निगम कर, सीमा-

मुन्, रेन, टाग, टेमोमोन तथा प्रमाण सेवा, मुद्रा तथा सिकका इमाई तथा मंनि-  
 प्राप्ति को सम्मिलित किया गया है। अधिनियम में कुछ ऐसे कर्तों की भी  
 व्यवस्था की गई थी जिन्हें लगाने तथा वसूल करने का काम केंद्रीय सरकार को सौंपा  
 गया था किंतु प्राप्ति को केंद्र तथा प्रांतों के मध्य बांटा जाना था। इस प्रकार के  
 कर्तों में कृषि भूमि के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार की मयत्ति पर उनराधिकार कर, पत्तों,  
 प्रपत्तों, चैकों आदि पर स्थाप शुल्क, रेन तथा वायु मार्ग स जाने-जाने वाले यात्रियों  
 व माध पर चुकी तथा रेन स्थलों पर कर, कृषि जग को छोड़कर अन्य  
 जानदतियों पर कर, वस्तुओं पर कर, जूट पर निर्गत कर आदि की गणना भी गई  
 थी।

इस अधिनियम में केंद्र को कर लगाने के व्यापक अधिकार मिल गए। अधि-  
 नियम में यह व्यवस्था भी की गई थी कि केंद्र प्रांतों द्वारा लगाए जाने वाले कर्तों में  
 अविभार बना सकता है। इस अधिनियम में प्रांतों को आवश्यकतानुसार अनुदान  
 दिए जाने की व्यवस्था भी गई।

### आटो निमेयर निर्णय

सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम में यह आवश्यक बनया गया था  
 कि सरकार आयकर, जूट निर्गत कर तथा उत्पादन कर को प्रांतों तथा केंद्र के  
 मध्य विभाजन संबंधी मुद्दों के लिए एक समिति का गठन करे। भारत मंत्री ने  
 इस कार्य के लिए मर आटो निमेयर की नियुक्त किया। आटो निमेयर ने अपने सर्व-  
 क्षण एष मुद्दों में इस बात का ध्यान रखा कि प्रांतों तथा केंद्र के वित्तीय संबंधों  
 में ऐसा कोई तत्त्व उपस्थित हो सके जिसने अधिक स्थिति तथा माध को हानि  
 पहुंचे। साथ ही सबल होने के लिए प्रांतों को आर्थिक सहायता भी निरती रहे।  
 आटो निमेयर के मुख्य मुद्दाव निम्न विहित हैं

(1) **भूत की समाप्ति** : आटो निमेयर ने मुद्दाव दिया कि आमान, बंगाल,  
 बिहार, उड़ीसा और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रांत का अप्रैल 1936 से पहले का समस्त  
 जग यमान कर दिया जाए। और मध्य प्रांत का 1921 के बाद तथा 1936 से  
 पहले का ऋण भी समाप्त कर दिया जाए।

(2) **आयकर का विवरण** : आटो निमेयर ने मुद्दाव दिया कि आयकर की  
 साम्यिक आद का 50 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार अपने पास रहे और मेष  
 50 प्रतिशत प्रांतों को बांट दिया जाए। उसका यह भी मुद्दाव दिया था कि आय-  
 कर की राशि को विवरित करत समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि  
 प्रांत-विशेष में आयकर के रूप में कितनी राशि एकदित की गई है और प्रांत विशेष  
 की जनसंख्या क्या है ?



(3) जूट निर्यात कर का वितरण : आटो निमेयर ने सुझाव दिया कि जूट निर्यात करने वाले प्रांतों को जूट निर्यात कर के 62½ प्रतिशत राशि दी जाए। इस सबध में यह स्पष्ट किया गया था कि जूट निर्यातक प्रांतों को यह राशि केवल उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है।

सर् आटो निमेयर के सुझावों को सक्षित सशोधन के साथ सन् 1936 में स्वीकार कर लिया गया किंतु उनके सुझावों से किसी प्रांत को भी प्रसन्नता नहीं हुई। क्योंकि वबई जैसे संपन्न प्रांत आयकर एकत्र करने के अनुपात में आयकर का अशदान चाहते थे जबकि मद्रास, बिहार जैसे असंपन्न राज्य जनसंख्या के अनुपात में अशदान चाहते थे। आटो निमेयर के सुझावों पर केंद्र के प्रति पक्षपात का आरोप भी लगाया गया। उनके सुझावों में एक महत्वपूर्ण त्रुटि सामान्य बजट को रेलवे बजट के साथ मिला देना, समझी जाती है।

देश विभाजन के पश्चात् किए गए परिवर्तन : देश विभाजन के बाद वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक हो गया। आयकर की प्राप्तियों में पंजाब तथा बंगाल को मिलने वाले भागों को जनसंख्या के अनुपात में कम कर दिया गया। देश विभाजन के कारण कुछ प्रांतों की बची हुई राशि भारतीय सघ राज्यों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए पुन वितरित कर दी गई। पुनर्वितरण से आराम तथा पश्चिमी बंगाल को विशेष लाभ हुआ। जूट उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण जूट उत्पादन कर की प्रांतों को दी जाने वाली 62½ प्रतिशत राशि को घटा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया।

चौथा काल भारतीय सविधान के उपरांत

भारतीय सविधान में केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय सबधों को सतुलित बनाए रखने के लिए प्रत्येक पांच वर्षों के पश्चात् एक वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। सविधान में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता-नुसार इस प्रकार के वित्त आयोग को पांच वर्षों से पूर्व भी नियुक्त कर सकता है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है और विचार के बाद उस पर केंद्र सरकार निर्णय लेती है। स्वतंत्रता के शीघ्र बाद सरकार वित्त आयोग की स्थापना नहीं कर सकी। इसलिए सर्वप्रथम 1950 में सी० डी० देशमुख को केंद्र तथा प्रांतों के मध्य आयकर विभाजन का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया। सी० डी० देशमुख ने आटो निमेयर द्वारा प्रस्तावित बंटवारे के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल कुछ साधारण परिवर्तन किए जो कि देश विभाजन के कारण आवश्यक हो गए थे। पंजाब व बंगाल के कुछ भागों के पाकिस्तान में चले जाने के कारण आयकर के प्रांतीय भाग का 14.5 प्रतिशत अन्य प्रांतों में जनसंख्या के आधार पर पुनर्वितरित कर दिया गया। सी० डी० देशमुख ने सुझाव दिया कि जूट उत्पादक प्रांतों को जूट निर्यात कर की राशि में से दिया जाने वाला अशदान

मनाजब कर दिया जाए और उनके बदले ऐसे प्रातों को कुछ राशि अनुदान के रूप में दी जाए। देगमुक्त के नृचावों को सरकार ने स्वीकार कर दिया किनु यह एक अतिरिक्त व्यवस्था थी।

**सूतपूर्व भारतीय रियासतों का वित्तीय एकीकरण :** स्वतंत्रता प्राप्ति के दो वर्षों के अंदर ही ममस्त भारतीय देगी रियासतों का तो पणौनी प्रातों में मिला दी गई या कुछ छोटी-छोटी रियासतों को मिला कर उनगी बड़ी इकाई बना दी गई या उन्हें केंद्र प्रशासित रात्यों में मिला दिया गया। इन राजनैतिक एकीकरण के बाद वित्तीय एकीकरण भी आवश्यक हो गया। परिणामस्वरूप अक्टूबर 1948 में टी० टी० कृपामाचारी की अध्यक्षता में भारतीय रातय वित्त समिति का गठन किया गया। समिति की सिफारिशों को साधारण समोधन के सामे स्वीकार कर लिया गया।

एकीकरण के परिणामस्वरूप केंद्र ने देगी रियासतों की परिमपनियों तथा क्षेत्रताओं सहित सविधान के सध सूची में जाने वाले सभी विषय तथा सेवाए में ली। यह स्वीकार कर लिया गया कि केंद्र रात्यों को 'राजस्व पूरक अनुदान' देगा। यह स्पष्ट किया गया कि केंद्र द्वारा रात्यों की दी जाने वाली अनुदान राशि उस धन राशि के बराबर होनी चाहिए जो वित्तीय एकीकरण के उपरांत सध सूची के विषयों को रात्यों में ले लेने के कारण रात्यों को राजस्व में हानि हुई हो। यह भी स्पष्ट किया गया कि एकीकरण के परिणामस्वरूप रात्यों को राजस्व के रूप में वित्तनी धन राशि की हानि होगी, प्रथम पाच वर्ष तक केंद्र उस हानि को पूरा करेगा। पाच वर्षों के बाद भी केंद्र प्रातों को राजस्व हानि को पूरा करने के लिए अनुदान देगा किनु इस प्रकार के अनुदान अगले दस वर्षों के बाद नहीं दिए जाएंगे और पाच वर्षों के बाद अनुदान राशि उत्तरोत्तर कम कर दी जाएगी। सविधान में यह भी स्पष्ट किया गया कि 'ब' वर्ग के रात्यों को 'अ' वर्ग के रात्यों के समान ही आय-कर जैसे केंद्रीय राजस्व के विभागीय स्रोतों में अयदान प्राप्त होगा। 'ब' वर्ग के रात्यों को केंद्रीय राजस्व में उनके भाग अथवा राजस्व पूरक अनुदान की राशि में, जो भी अधिक होगा, दिया जाएगा। रात्यों की परिवर्तित अनुदान राशि को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकरण से पूर्व जिन रात्यों को अंतरांगीय मातापत्र मुक्त शराब की अनुमति थी। इन्हें यह सुविधा आगामी कुछ वर्षों के लिए दे दी गई। केंद्रीय अनुदान की दृष्टि से 'अ' तथा 'ब' वर्ग के रात्यों में कोई भेद नहीं रखा गया।

### सविधान में वित्तीय सुधार

भारतीय सविधान में भारत को एक सपूर्ण प्रमुख सफल सोडवहात्मक गणराज्य घोषित किया गया है और सविधान में मौलिक अधिकारों, राज्य के

नीतिनिर्देशक सिद्धांतों, और सघीय व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय सबधों को स्पष्ट किया गया है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अतः सामान्य वित्तीय ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया किंतु इनका होने हुए भी भारतीय संविधान में केंद्र तथा प्रांतों के वित्तीय सबधों का समान विस्तृत विवरण किसी सघात्मक संविधान में नहीं मिलता। केंद्र तथा प्रांत के वित्तीय सबधों के सदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण बात संविधान द्वारा वित्त आयोग की व्यवस्था किया जाना है। इस व्यवस्था द्वारा सघ एव राज्यों के मध्य वित्तीय वितरण एवं वित्तीय समायोजन की समस्त समस्याएँ सरलतापूर्वक हल की जा सकती हैं।

सघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत कार्यक्षमता पर्याप्तता और उपयुक्तता हैं। इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना कठिन होने के कारण संविधान में समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाई गई है इसके अनुसार राजस्व विषय को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में सघ और राज्यों के मध्य राजस्व का विभाजन रखा गया है और दूसरे भाग में सहायक अनुदानों का वितरण।

संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के आय के साधन स्पष्ट किए गए हैं। सूची एक में सघ सरकार तथा सूची दो में राज्य सरकारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

सघीय राजस्व के स्रोत - सूची एक के अनुसार सघीय सरकार को निम्न-लिखित आय के स्रोत प्राप्त हैं - कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर, मीमांशुक (निर्वाण शुल्क सहित), मुद्रा, मुद्रा टर्कग, विधि ग्राह्य तथा विदेशी विनियम निगमन्तर, तबाकू तथा तमाकू से निर्मित वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, कृषि योग्य भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपत्ति कर कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर उत्तराधिकार कर, रेल, समुद्र या वायु मार्ग से ले जाने वाली वस्तुओं तथा यात्रियों पर कर, समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय कर तथा विज्ञापन कर, व्यक्तियों तथा मस्थाओं की कृषि भिन्न संपदा कर, हुड्डी, बैंक प्रोमिजरी नोट पर मुद्राक शुल्क, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के मोर्दों पर मुद्राक क सौदों पर मुद्राक शुल्क, सघ सरकार की संपत्ति, विदेशी ऋण, भारत सरकार या राज्यों द्वारा संचालित लाटरिया, डाक घर बचत बैंक, डाक तार, टेलीफोन, वेतार, प्रमरण, एवं संचार साधन सघीय लोक ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक, न्यायालय में लिए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सघ सूची में वर्णित अन्य विषयों में कर।

प्रांतीय राजस्व के स्रोत : भू-राजस्व, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि उत्तराधिकार कर, कृषि संपदा कर, भूमि तथा भवन कर, समदीय विधि द्वारा खनिज विहान के सबध में वर्णित परिमीमाओं के अन्तर्गत खनिज कर, प्रतिव्यक्ति कर,

राज्य सीमा में उत्पादित शराब, अफीम आदि मादक पदार्थों पर उत्पादन कर, मद्य सूची में वर्णित लेखों को छोड़कर अन्य लेखों पर मुद्राक शुल्क म्यानीन क्षेत्रों में उपभोक्ता तथा विक्रेत वस्तुओं पर प्रवेश कर, विद्युत उत्पादन तथा उपभोग कर, मसाधार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापित कर, मूटकों एवं अंतर्राज्यीय जल मार्गों पर मान तथा यात्रियों पर कर, बाहन कर, पशु कर, सेवाओं तथा आजीविका साधनों पर कर, विकास कर, मनोरंजन कर, चुगी कर, पथकर ।

सघ द्वारा लगाए तथा संप्रहीत किए जाने वाले हिन्दु राज्यों को नीचे दिए जाने वाले कर : भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित कर भार केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित एवं संप्रहीत किए जाएंगे किन्तु खंड (2) में वर्णित सीध में राज्यों को बांट दिए जाएंगे । ये कर भार हैं : कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों पर उत्तराधिकार कर, कृषि संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपत्तियों पर मरदा कर, रेल, समुद्र तथा वायु मार्ग से ले जाए जाने वाले यात्री तथा मान पर सीमा कर, रेल-भाड़ा तथा माल-भाड़े पर कर, जेवर तथा मट्टा बजार के सौदों पर मुद्राक शुल्क के अतिरिक्त कर, मसाधार पत्रों के अन्त-विक्रय तथा विज्ञापन पर कर, मसाधार पत्रों के अतिरिक्त अंतर्राज्यीय वाणिज्य या अन्त-विक्रय कर ।

जिन करों की गणना राज्य सूची अथवा मन्वर्तों सूची में नहीं की गई है उन करों के लगाने का एकमात्र अधिकार केंद्र को है । मद्य तथा राज्य सरकारों की पारम्परिक मदमादना की दृष्टि से एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक दूसरे को समस्त संपत्ति पर मुक्त ममली जाती है । किन्तु सघ को यह अधिकार दिया गया है कि वह वैधानिक दृष्टि में मद्य सरकार को राज्य सरकारों को परिधि में कर लगाने का अधिकार प्रदान कर सकती है ।

केंद्रीय राजस्व का वटवारा तथा आवंटन

भारतीय संविधान के अनुसार करों को राज्य सूची तथा मद्य सूची पूर्णतः विभाजित कर दी गई है । राज्य सूची तथा मद्य सूची में वर्णित करों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है

- (1) वे कर जिन्हें राज्य सरकारें लगाती हैं और बनूल करती हैं ।
- (2) वे कर जिन्हें सघ सरकार लगाती है किन्तु राज्य सरकारें एकत्र करती हैं और स्वयं रख लेती हैं ।
- (3) वे कर जिन्हें सघ सरकारें लगाती हैं, एनत्र करती हैं किन्तु उनकी प्राप्ति या सघ द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों को नीचे दी जाती है ।

सहायक अनुदान

संविधान द्वारा महत्वपूर्ण वस्तुआपकारी कार्य राज्यों को सौंपे गए हैं । राज्यों के वस्तुआपकारी कार्य व्यय साध्य हैं । राज्यों की आय तथा व्यय के मध्य की छद्द

को न्यूनतम करने के लिए मध्य सरकार द्वारा विनिष्ट तथा सामान्य बायों के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को सहायक अनुदान दिए जाते रहे हैं। इन अनुदानों के परिणामस्वरूप राज्यों के वित्तीय माघनों की विपमता की न्यूनतम करन में पर्याप्त सहायता मिलती है।

### ऋण

जहाँ एक ओर राज्य सरकारें अपनी भौगोलिक सीमा के अतर्गत लोक ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं वहाँ दूसरी ओर उन्ह समय-समय पर केंद्रीय सरकार में भी ऋण लेना पड़ता है। केंद्रीय सरकार अन्य बायों के साथ-साथ सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, कृषि विकास कार्य-क्रमा तथा पुनर्वास, सामुदायिक विकास, औद्योगिक आवाम प्रवध आदि के लिए गत अनेक वर्षों से राज्य सरकारों को ऋण प्रदान कर रही है।

# 24

## वित्त आयोग

साधनों के विभाजन एवं ग्रहणता अनुदान की व्यवस्था में वित्त आयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। वित्त आयोग की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कम से कम प्रत्येक पाच वर्ष अथवा उपर्युक्त अवधि में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के कार्य-क्षेत्र एवं सिफारिशों में निम्नांकित बातें उल्लेखनीय हैं :

(1) संविधान के अध्याय 1, भाग 12 में निहित करों से प्राप्त राशि का केंद्र व राज्यों के मध्य विभाजन एवं राज्यों के बीच इस राशि के वितरण का आधार व मापदंड निश्चित करना।

(2) केंद्र सरकार के बजट से राज्यों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रहणता अनुदान वितरित करने का सिद्धांत व राशि निश्चित करना। तथा

(3) ऐसे मामलों पर विचार करना जो स्वस्थ तथा उच्च वित्त प्रणाली को निर्मित करने के प्रयत्न में उपयोगी हों तथा जो राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को सौंपे जाए।

जहां तक विभाजित करों का प्रश्न है उनमें केवल आयकर ही एकमात्र कर है जो वितरित किया जाता है, किंतु उत्पादन शुल्क भी वितरित किया जा सकता है। आयकर का भाग राष्ट्रपति के आदेशानुसार निश्चित होता है और यह राशि सीधे राज्यों के बजट में सम्मिलित हो जाती है। इस सदर्भ में सरकार को वित्त आयोग की सिफारिशें मानना अनिवार्य है। इसके विपरीत उत्पादन शुल्क के वितरण व वितरण में वित्त आयोग की सिफारिशों में परिवर्तन का अधिकार केंद्रीय सरकार को होता है। सामान्यतः वित्त आयोग की सिफारिशें इस क्षेत्र में बंधन्यक होने के बावजूद भी केंद्र सरकार उसे मान्य करती है और तदनुसार व्यवस्था करती है।

उसी प्रकार ग्रहणता अनुदान के क्षेत्र में वित्त आयोग के कार्य सिद्धांत निश्चित करने तक सीमित रहते हैं और इन राशि का निर्धारण केंद्र सरकार के

अधीन होता है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वित्त आयोग सिद्धांत निश्चित करने के साथ-साथ राशि की मात्रा भी निश्चित करता है और माघारणत वह केंद्र सरकार द्वारा मान्य होती है। इसी प्रकार कुछ विशिष्ट कार्यों अथवा सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के संबंध में वित्त आयोग अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। वित्तीय संबंधी मामलों में एन स्वतंत्र आयोग की स्थापना के कारण राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही विशिष्ट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही उन पर विचार कर स्वस्थ परंपरा स्थापित की जाती है।

### प्रथम वित्त आयोग

भारतीय संविधान की धारा 280 (1) के अंतर्गत 22 नवम्बर सन् 1951 को राष्ट्रपति ने श्री के० सी० नियोगी की अध्यक्षता में सबसे पहला वित्त आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने 31 दिसंबर सन् 1952 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के समुख प्रस्तुत की।

आयोग ने अपनी सिफारिशों मुख्यतः तीन सिद्धांतों पर आधारित की

(1) केंद्र एवं राज्यों के मध्य साधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि केंद्रीय सरकार अपनी रक्षा, आर्थिक उन्नति और अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक चला सके।

(2) साधनों के वितरण तथा अनुदानों के निर्धारण में सभी राज्यों के बारे में समान सिद्धांतों को अपनाया जाए।

(3) वितरण की योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच वर्तमान असमानताएं दूर हों।

#### आयकर की प्राप्तियों का विभाजन

देशमुख-निर्णय के अनुसार आयकर की निम्न प्राप्तियों का 50 प्रतिशत भाग प्रांतों को मिलता था। आयोग ने इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने की सिफारिश की। आयोग ने इस वृद्धि के दो कारण बताए एक तो यह कि राज्यों की आवश्यकताएं अब पहले की तुलना में बढ़ गई हैं तथा द्वितीय, आयकर की प्राप्ति अब भाग 'ब' के राज्यों को भी बाटी जानी थी। इस संबंध में आयकर के वितरण का निर्धारण करने में दो मुख्य बातें विचारणीय हैं

(अ) इन प्राप्तियों के 80 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों की जनसंख्या के आधार पर करना चाहिए। तथा

(ब) प्राप्तियों के 20 प्रतिशत भाग का वितरण राज्यों द्वारा किए जाने वाले कर संग्रह के आधार पर किया जाना चाहिए।

आयोग ने सिफारिश की कि उपरोक्त मिट्टियों के आधार पर बाबर में राज्यों का हिस्सा निम्न तालिका के अनुसार होना चाहिए।

राज्य	बाबर में राज्यों के भाग का प्रतिशत	राज्य	बाबर में राज्यों के भाग का प्रतिशत
बंबई	17.50	राजस्थान	3.50
उत्तर प्रदेश	15.75	पंजाब	3.25
मद्रास	15.25	ट्रावकोर-कोचीन	2.50
पश्चिमी बंगाल	11.25	असम	2.25
बिहार	9.75	मैसूर	2.25
मध्य प्रदेश	5.25	मध्य भारत	1.70
हैदराबाद	4.25	गोराष्ट्र	1.00
उड़ीसा	3.50	पंजु	0.75

#### राज्य उत्पादन शुल्कों का वितरण

राज्यों को अधिक धन प्रदान करने के लिए, आयोग ने विभाजन के लिए तीन उत्पादन शुल्कों, जो तंबाकू, दियाराबाद तथा वनस्पति तैयों पर लगाए जाते थे, चुना। सामान्य उपभोग की वस्तुओं के होने के कारण इनसे काफी टोड एवं स्थिर धन प्राप्त होता है। आयोग ने सिफारिश की कि इन शुल्कों की निम्न प्राप्ति का 40 प्रतिशत भाग राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के भाग के निर्धारण के संबंध में जनसंख्या के आधार को स्वीकार किया जाए। इन करों के संबंध में राज्यों के हिस्से निम्न प्रकार निर्धारित किए गए

राज्य	उत्पादन शुल्कों में राज्यों के भाग का प्रतिशत	राज्य	उत्पादन शुल्कों में राज्यों के भाग का प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	18.23	उड़ीसा	4.22
मद्रास	16.44	पंजाब	2.66
बिहार	11.60	ट्रावकोर-कोचीन	2.68
बंबई	10.37	मैसूर	2.62
पश्चिमी बंगाल	7.16	असम	2.61
मध्य प्रदेश	6.13	मध्य भारत	2.29
हैदराबाद	5.29	गोराष्ट्र	1.19
राजस्थान	4.41	पंजु	1.00



### जूट निर्यात कर के बदले में अनुदान

सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम में जूट उत्पादन करने वाले राज्यों का जूट निर्यात कर के बदले की व्यवस्था की परन्तु भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए आयोग ने अन्तिम काल के लिए निम्न चार राज्यों को जूट निर्यात कर के बदले में वार्षिक सहायक अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की जिनकी मात्राएँ इस प्रकार हैं

राज्य	कुल रकम (लाख ६० में)	राज्य	कुल रकम (लाख ६० में)
पश्चिमी बंगाल	150	बिहार	75
असम	75	उड़ीसा	15

### सहायक अनुदान

आयोग ने राज्यों के लिए सामान्य सहायक अनुदानों की सिफारिश की। आयोग ने उन सिद्धांतों के सबंध में भी अपना मुझाब रखा जिनके आधार पर केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान देने चाहिए। इन में मुख्य निम्न बातें हैं— राज्यों की बजट सबंधी आवश्यकताएँ सामाजिक सेवाओं का स्तर, विसी राष्ट्र, सस्था अथवा असाधारण प्रवृत्ति के कार्य के सबंध में राज्यों पर डाला गया विशेष दायित्व और राष्ट्रीय महत्व के कुछ मुख्य कार्य। आयोग ने सहायक अनुदान देने के लिए अनेक कारणों की भी चर्चा की, जैसे कि राज्यों में साधनों की कमी, बढ़ती हुई बर्त्याण सेवाएँ, विश्वास योजनाएँ तथा कुछ ऐसे कार्यक्रमों का संचालन व विकास जैसे बेरोजगारी, बीमा व सामाजिक सुरक्षा।

### रिपोर्ट का मूल्यांकन

भारत सरकार द्वारा आयोग की सभी सिफारिशों स्वीकार करली गई। आयोग ने राज्यों के साधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता को ऐसे समय में स्वीकार किया जबकि बदलती हुई आर्थिक स्थिति के कारण नवीन सरकारी सेवाओं की माँगें उत्पन्न हो गई थी। आयोग ने कुछ उत्पादन शुल्कों को विभाज्य साधनों में सम्मिलित करके, आयकर की प्राप्तियों में राज्यों का अंश बढ़ाकर तथा सहायक अनुदान की व्यवस्था करके राज्यों की उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया। आयोग के जिन उत्पादन करों को चुना, वे बहुत ही उपयुक्त थे क्योंकि ये सरकारी आय की प्राप्तियों की सबसे अधिक लोचदार हैं। आयकर में राज्यों के हिस्से को जनसंख्या के आधार पर जो निर्धारित किया गया वह अधिक सरल तथा न्यायोचित था।

आयोग ने यद्यपि प्रत्येक राज्य को ठोस वित्तीय प्रवृद्ध तथा स्वावलम्बन पर बल दिया किंतु फिर भी एक भय यह था कि राज्यों को अधिकाधिक सहायता दिए जाने के कारण उनके अंदर अपने खर्चों में मितव्ययता लाने की भावना नहीं बरूनी हो जाए। वास्तविकता भी यही थी कि अनेक राज्य बजाए इसके कि वे अपने निजी साधनों में ही कृषायत्न करने का प्रयत्न करते केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर रहने लगे। ऐसी संभावना राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को विनों भी योजना में उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि राज्य सरकार की कार्य-वाहियों में केंद्रीय सरकार को प्रभावपूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

## द्वितीय वित्त आयोग

प्रथम आयोग के 5 वर्ष बाद सन् 1956 में श्री के० सयानम की अध्यक्षता में द्वितीय वित्त आयोग भी स्थापना की गई। इसका क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक था। इसे मुख्यतः विभाग्य करों का सघ तथा राज्यों के बीच वितरण, राज्यों को दिए जाने वाले सहायक अनुदानों का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिशें करने के अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी सिफारिशें प्रस्तुत करनी थीं—जूट तथा जूट पदार्थों पर लगने वाले निर्यात कर का बटवारा, आस्ति-कर की विशुद्ध प्राप्तियों की राज्यों के मध्य वितरित करने के सिद्धांत, मिलों में बने कपड़े, चीनी तथा तंबाकू पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विन्नी करों के स्थान पर लगए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन मुल्क की प्रतियों को राज्य के बीच किस प्रकार बांटा जाए तथा रेलगाड़ों पर लगाए जाने वाले करों की निवल प्राप्तियों के वितरण को निर्धारित करने वाले सिद्धांत।

आयोग ने नवंबर 1956 में एक अंतरिम रिपोर्ट पेश की और तदुपरान सितंबर 1975 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :

### आयकर का वितरण

आयोग ने सिफारिश की कि आय कर की निवल प्राप्तियों के दो राज्यों को मिलने वाला भाग 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। राज्यों के मध्य वितरित की जाने वाली निवल प्राप्तियों का 10 प्रतिशत भाग कर सघ के आधार पर और 60 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर बांटने का प्रस्ताव किया गया। इस संबंध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित भाग आगे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8 12	मैसूर	5 14
असम	2 44	उड़ीसा	3 73
बिहार	9 94	पंजाब	4 24
बंबई	15 97	राजस्थान	4 09
केरल	3 64	उत्तर प्रदेश	16 36
मध्य प्रदेश	6 72	पश्चिमी बंगाल	10 08
मद्रास	8 40	जम्मू व कश्मीर	1 13

### सघीय उत्पादन शुल्को का बटवारा

सघीय उत्पादन शुल्को के सबध मे आयोग ने सघ तथा राज्यों के बीच बांटे जाने वाले उत्पादन शुल्को की सूची मे कुछ वस्तुएँ और जोड़ दी। जोड़ी जाने वाली नई वस्तुएँ थी चीनी, चाय, काफी, कागज तथा वनस्पति के अनावश्यक तेल। ये दियासलाई, तंबाकू व वनस्पति तेल के अतिरिक्त थी। उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों से राज्यों के भाग को घटाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। आयोग ने कहा कि राज्यों के भाग का प्रतिशत घटाने से जो क्षति हुई है वह विभाज्य उत्पादन शुल्कों की सख्या में वृद्धि होने से पूरी हो जाएगी। आयोग ने प्रस्ताव रखा कि इन शुल्को से राज्यों के हिस्से का 90 प्रतिशत भाग जनसख्या के आधार पर बांटा जाना चाहिए और शेष का उपयोग सभायोजन अथवा कमी-वैशी को ठीक करने के लिए करना चाहिए। जनसख्या के आधार पर राज्यों के बीच उनके भाग का बितरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	9 38	मैसूर	6 52
असम	3 46	उड़ीसा	4 46
बिहार	10 57	पंजाब	4 49
बंबई	12 17	राजस्थान	3 71
केरल	3 84	उत्तर प्रदेश	15 94
मध्यप्रदेश	7 46	पश्चिमी बंगाल	7 59
मद्रास	7 56	जम्मू व कश्मीर	1 75

## जूट निर्यात कर के बदले में सहायक अनुदान

आयोग ने जूट निर्यात कर के सबंध में स्पष्ट किया कि प्रथम वित्त आयोग ने जो धन राशियां निर्धारित कर दी थी, सन् 1959-60 तक यह धन राशियां दो आनी चाहिए। परन्तु राज्यों के पुनर्गठन के कारण बिहार से बंगाल में कुछ क्षेत्रों का स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप बाद में इन धन राशियों में हेर-फेर करना पड़ा। इस सबंध में प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित धन राशियां निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित की गई हैं :

राज्य	मास रुपये में
असम	75 00
बिहार	71.31
उड़ीसा	15 00
पश्चिमी बंगाल	152 69

## अस्ति कर का वितरण

भारत में अस्ति कर सन् 1953 में लगाया गया था। संविधान के उपबंध के अनुसार यह कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाना था और उसी के द्वारा प्राप्त किया जाना था, किन्तु उसकी प्राप्ति राज्यों के बीच उसी अनुपात में बाटी जाती थी जिसे अनुपात में आयकर का विभाजन होता था। आयोग ने इसके वितरण पर विचार किया और निष्कर्ष की कि इस कर की निम्न प्राप्ति का एक प्रतिशत भाग तो सब शासित क्षेत्रों को सौंप दिया जाना चाहिए। शेष प्राप्ति के वितरण के सबंध में आयोग ने कहा कि यह कर अचल तथा चल दोनों ही प्रकार की संपत्ति पर लगाया जाता है। अचल संपत्ति से होने वाली प्राप्ति का कुछ भाग राज्यों में स्थिति के आधार पर बाट देना चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य में स्थित संपत्ति के मूल्य के अनुपात में और शेष भाग को राज्यों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर वितरित कर देना चाहिए। इन आधारों पर प्रत्येक राज्य का प्रतिशत भाग निम्न रूप में तय किया गया

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8 76	मैसूर	5 43
असम	2 53	उड़ीसा	4 10
बिहार	10 86	पंजाब	4 52
बर्मा	13 52	राजस्थान	4 47
केरल	3 79	उत्तर प्रदेश	17 71
मध्य प्रदेश	7 30	पश्चिमी बंगाल	7 37
मद्रास	8 40	जम्मू व कश्मीर	1 24

## अतिरिक्त उत्पादन शुल्को का वितरण

राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार न यह तय किया कि मिलों से बने कपडे, चीनी तथा तबाकू पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले बित्री करो के स्थान पर एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया जाए और उसकी निवल प्राप्तियों को राज्यों में बाटा जाए। साथ ही इस बात का आश्वासन दिया जाए कि इस नई व्यवस्था से प्रत्येक राज्य को उतनी आय अवश्य प्राप्त ही सकेगी जितनी कि उन्हें इन वस्तुओं के बित्री करो से होती थी। वित्त आयोग को यह कार्य सौपा गया कि वह इस सबध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे कि इस उत्पादन शुल्क की निवल प्राप्तियों को राज्यों में किन सिद्धांतों पर बाटा जाए।

आयोग ने एक सिफारिश यह की कि उत्पादन शुल्को में से जम्मू व कश्मीर राज्य को भी एक हिस्सा मिलना चाहिए। इस राज्य का हिस्सा 1 25 प्रतिशत तय किया। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गई कि उत्पादन शुल्क की निवल प्राप्तियों का एक प्रतिशत भाग केंद्रशासित प्रदेशों के हिस्से के रूप में केंद्रीय सरकार को रख लेना चाहिए। वितरण की योजना में क्योंकि प्रत्येक राज्य को उतनी धन राशि का आश्वासन दिया गया था जितना कि वे इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बित्री करो से प्राप्त करते हैं। अब इस विचारधारा को दृष्टि में रखते हुए आयोग में इन वस्तुओं पर लगाए जाने वाले बित्री करो से सन् 1956-57 में होने वाली आय को 'वर्तमान आय' के रूप में माना। उत्पादन करों की निवल प्राप्तियों का कुछ भाग यदि शेष रहे, तो उसको निम्न तालिका में दिए हुए प्रतिशतों के अनुसार बाटने की व्यवस्था की गई। तालिका में दोनों ही स्थितियों से संबंधित प्रतिशतों का उल्लेख है अर्थात् (I) सभी वस्तुओं पर सम्मिलित रूप से तथा (II) तीनों वस्तुओं पर प्रथक-प्रथक रूप से

(प्रतिशत)

राज्य	यदि सभी वस्तुओं पर सम्मिलित रूप से विचार किया जाए	यदि प्रत्येक वस्तु पर प्रथक-प्रथक विचार किया जाए		
		मिला का वना कपडा	चीनी	तबाकू
आंध्र प्रदेश	7 81	7 38	6 65	10 47
असम	2 73	2 72	2 55	2 98
बिहार	10 04	11 19	8 20	8 90
बम्बई	17 52	16 46	20 17	17 41

शमश.

केरल	3 15	3 10	3 03	3 43
मध्य प्रदेश	6 16	6 97	7 67	7 10
मद्रास	7 74	7 26	7 43	9 53
मैसूर	5 13	4 98	5 13	9 58
उड़ीसा	3 20	3 32	2 87	3 21
पंजाब	5 71	5 56	7.21	4 36
राजस्थान	4 32	4 36	4 81	3 59
उत्तर प्रदेश	17 18	18 19	15 63	16 13
पश्चिमी बंगाल	8 31	8 51	8 65	7 31

### सहायक अनुदान

आयोग ने पहले की तुलना में अधिक सहायक अनुदान देन की सिफारिश की। आयोग ने इस वृद्धि का कारण यह बताया कि पहले जब अनुदानों की मात्रा का निर्धारण किया गया था तब राज्यों की विकास आवश्यकताओं को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया। प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने निम्नलिखित सहायक अनुदानों की सिफारिश सहायक अनुदानों की सिफारिश की

राज्य	करोड़ रुपये में सहायक अनुदान
आन्ध्र प्रदेश	20 00
असम	20 25
बिहार	19 00
केरल	8 75
मध्य प्रदेश	15 00
मैसूर	30 00
उड़ीसा	16 75
पंजाब	11 25
राजस्थान	12 50
पश्चिमी बंगाल	19 25
जम्मू व काश्मीर	115 00
योग	187 75

वर्द्ध, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के लिए सहायक अनुदानों की सिफारिश नहीं की गई क्योंकि यह समझा गया कि प्रस्तावित हस्तांतरण की योजना के अंतर्गत इन राज्यों को कर आय का जो भाग दिया जा रहा है वह उनके धानू तथा योजना-

व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। असम, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के अनुदानों में तीन वर्षों पश्चात् वृद्धि करने की भी व्यवस्था कर दी गई क्योंकि जूट निर्यात कर के बदलने में इनकी मिलने वाले सहायक अनुदान इस अवधि के बाद समाप्त हो जाने थे।

राज्यों को दिए जाने वाले सघीय बज्रों

स्वतंत्रता के बाद में सघीय बज्रों उल्लेखनीय रूप से बढ़े हैं। ऐसे बज्रों की की मात्रा 15 अगस्त 1947 को 44 करोड़ रुपये की जो बढ़कर 31 मार्च 1951 को 195 करोड़ रुपये और 31 मार्च 1955 को लगभग 900 करोड़ रुपये हो गई। ब्याज की दरें 1 से लेकर 5 प्रतिशत तक थीं। कुछ बज्रों ब्याज मुक्त भी थे। विस्थापितों को उनके पुनर्वास के लिए जो बज्रों दिए गए थे, उनके सबध में आयोग ने सिफारिश की थी कि 1 अप्रैल, 1957 से राज्य केंद्र को केवल वही धन राशियां वापिस करें जो कि वे विस्थापित व्यक्तियों से मूलधन तथा ब्याज के रूप में वसूल करें। आयोग ने बज्रों के पुनर्गठन एवं युक्तिकरण की भी सिफारिश की जिसके परिणाम-स्वरूप समुक्त रूप में सभी राज्यों के ब्याज खर्च में 5 करोड़ रुपये की वापिस कमी हो गई। आयोग ने यह भी सुझाव रखा कि भविष्य में किसी भी राज्य को दिए जाने वाले सभी उधार प्रत्येक वर्ष के अंत में दो बज्रों के रूप में परिवर्तित कर दिए जाने चाहिए—मध्यकालीन बज्रों तथा दीर्घकालीन बज्रों।

रिपोर्ट का मूल्यांकन

अधिकारों राज्यों ने आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया। बर्मा और पश्चिमी बंगाल राज्यों में आयोग की सिफारिशों का समर्थन नहीं किया। इन राज्यों का यह कहना था कि औद्योगिक राज्य होने के कारण कर तथा उत्पादन शुल्कों आदि की प्राप्ति में वे अधिक भाग प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उनका यह तर्क था कि वितरण के आधार के रूप में करो के स्रोत को ही स्वीकार करना चाहिए। बर्मा राज्य ने पृथक से यह आरोप लगाया कि उसे अपनी ठोस वित्तीय व्यवस्था के लिए दंडित किया गया है। एकीकरण की समस्याओं के कारण उस पर अतिरिक्त वित्त भार पड़ा है जिसकी ओर आयोग ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है।

बज्रों के एकीकरण से सरलता उत्पन्न हुई और यह आशा की गई कि इससे राज्यों को लगभग 5 करोड़ रुपये की वापिस बचत होगी परंतु इस आधार पर इसकी कटु आलोचना की गई कि पृथक-पृथक बज्रों के भिन्न-भिन्न उद्देश्यों तथा परिस्थितियों की दृष्टि से ब्याज की भिन्न-भिन्न दरों, अवधियों तथा वापसियों की भिन्न-भिन्न शर्तों का होना आवश्यक है।

सबसे बड़ी समस्या तो योजना आयोग के सबध में हुई। राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता के प्रश्न पर योजना आयोग तथा सघ व राज्य सरकारों

द्वारा विचार होना था। राज्यों को योजना में संबंधित कार्य-क्रमों की स्वीकृति दिए जाने के फलस्वरूप उनको योजना के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उसका निश्चित स्वयं योजना आयोग द्वारा ही किया जा सकता था। इसलिए वित्त आयोग के विवरण का कार्य तो केवल यही था कि वह योजना आयोग के निर्णयों पर ही अपनी स्वीकृति की मोहर लगाए। दूसरी कठिनाई यह उत्पन्न हुई कि राज्यों को दिए जाने वाले जो राजस्व अनुदान वित्त आयोग की परिधि में आते हैं वे उन वृत्त अनुदानों की तुलना में बहुत कम होते हैं जो कि सध द्वारा राज्यों को प्रदान किए जाते हैं। अतः वित्त आयोग द्वारा विवरण का गहन स्वयं ही कम हो जाता है।

वित्त आयोग ने इन सब कठिनाइयों को स्वीकार किया। 'जहाँ दो आयोगों, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के कार्य परस्पर टकराते हों वहाँ कुछ दिक्कतों का होना अनिवार्य है। वित्त आयोग एक बंधनित संस्था है और उसके कार्य भी सीमित हैं, जबकि योजना आयोग को मध्य तथा राज्यों की वित्तीय स्थितियों के मध्य में बिन्दुत्व रूप में विचार करना होता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि जब तक ये दोनों आयोग कार्य करें, इनके कार्यों में अत्यंत प्रभावपूर्ण रीति में समन्वय स्थापित किया जाए।'<sup>1</sup>

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

आयोग के सुझावों के अनुसार राज्यों को प्रतिवर्ष 140 करोड़ रुपये के स्थानान्तर की व्यवस्था की गई जिनमें 100 करोड़ रुपये वरों के भाग के रूप में और 40 करोड़ रुपये अनुदानों के रूप में थे। वरों के हस्तांतरण तथा सहानु अनुदानों के संबंध में आयोग की सभी सिफारिशों सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई। राज्यों को दिए जाने वाले मधीय वृत्तों के संबंध में दो गई सिफारिशों को धुंधल दिया गया। वरों की अदायगी स्थगित करने से संबंधित ऋणों व एकीकरण की योजना को इस आधार पर अस्वीकृत किया कि इससे सरकार के पास उपलब्ध माध्यमों की कमी हो जाएगी और भविष्य में वह राज्यों को पर्याप्त मात्रा में सहायता न दे सकेगी। सरकार ने यह सुझाव भी स्वीकार नहीं किया कि सभी प्रकार के ऋणों पर एक समान व्याज की दर लागू की जाए।

### तृतीय वित्त आयोग

तृतीय वित्त आयोग श्री ए० व० चंदा की अध्यक्षता में दिसंबर 1960 से नियुक्त किया गया तथा इसने अपना प्रतिवेदन 14 दिसंबर 1961 को सरकार के समुच्च प्रस्तुत किया। आयोग से जिन विषयों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने की वृत्त का था वे इस प्रकार थे वरों से प्राप्त निवल लाभ का नैट्रीय एव राज्यों के बीच वितरण, मधीय उत्पादन शुक्तों का विभाजन, राज्यों के बीच आम्नि कर के वितरण के सिद्धांतों में

1 Report of the Finance Commission, 1957, p. 13.



किए जाने वाले परिवर्तन, (यदि आवश्यक ममत्ता जाए तो) कुछ वस्तुओं पर लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन शुल्को के वितरण में परिवर्तन, (यदि कोई हो तो) रेल-यात्री भाड़े पर लगने वाले कर की समाप्ति से राज्यों को होने वाली हानि के बदले में उनको दिए जाने वाले 125 करोड़ रुपये के तदर्थ अनुदान का वितरण तथा महायक अनुदानों का निर्धारण ।

आय कर की प्राप्तियों का विभाजन

आयोग ने 1 अप्रैल 1962 से चार वर्षों की अवधि के लिए निम्न मुझाव प्रस्तुत किए

(1) वृद्धि आय को छोड़कर अन्य आय पर कर से प्राप्त होने वाली आय में से 66.66 प्रतिशत भाग राज्यों में वितरित किया जाए और 25 प्रतिशत केंद्र शासित राज्यों में बाटा जाए ।

(2) वास्तविक एकत्रित आय का 80 प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत राज्य विशेष से एकत्रित किए गए आयकर से प्राप्त आय के आधार पर विभाजित किया जाए । इस नवीन सूत्र के अनुसार विभाज्य आयकर की राशि में से विभिन्न राज्यों का प्रतिशत इस प्रकार निश्चित किया गया

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.71	महाराष्ट्र	13.41
असम	2.44	मंसूर	5.13
बिहार	9.33	उड़ीसा	3.44
गुजरात	4.78	पूर्वी पंजाब	4.49
जम्मू व काश्मीर	0.70	राजस्थान	3.97
केरल	3.55	उत्तर प्रदेश	14.42
मध्य प्रदेश	6.41	पश्चिमी बंगाल	12.09
तमिलनाडू	8.13		

संघीय उत्पादन शुल्क

वित्त आयोग ने संघीय उत्पादन शुल्को की प्राप्तियों के राज्यों का भाग 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने की सिफारिश की । आयोग ने दियासलाई, तंबाकू, वनस्पति तेल, चीनी, काफी, बागज तथा वनस्पति के अनावश्यक तेलों के संघीय उत्पादन शुल्को के अतिरिक्त 27 अन्य वस्तुओं के संघीय उत्पादन शुल्को की प्राप्तियों को भी राज्यों में बाटने की सिफारिश की । संघीय उत्पादन शुल्को में विभिन्न राज्यों के हिस्सों के निर्धारण के संबंध में वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जनसंख्या, राज्यों की आर्थिक स्थिति, विकास स्तर, अनुसूचित जाति

की प्रधानता और अविकसित बगों के अनुपात आदि को महत्त्व देने का मुयाव दिया। सभीय उत्पादन शुल्कों का विभाज्य राशि में विभिन्न देशों का भाग निम्ना-विन तामिका में दर्शाया गया है

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
ब्याघ्र प्रदेश	8.23	महाराष्ट्र	5.63
बन्तम	4.76	मैसूर	5.82
बिहार	11.56	उड़ीसा	7.07
गुजरात	6.45	पूर्वी पंजाब	6.71
जम्मू व काश्मीर	2.02	राजस्थान	5.93
केरल	5.46	उत्तर प्रदेश	10.68
मध्य प्रदेश	8.48	पश्चिमी बंगाल	5.07
तमिलनाडू	6.08		

### अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की आय का वितरण

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क जिन वस्तुओं पर पहले से ही लगा था रहा था, उनके अतिरिक्त सन् 1961-62 में देशी वस्तुओं पर भी एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाया गया था। आयोग ने निम्न प्राप्तिओं का एक प्रतिशत भाग केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सों के रूप में निश्चित किया तथा जम्मू व काश्मीर के हिस्से को 1.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.50 प्रतिशत कर दिया। अन्य राज्यों के संबंध में आयोग ने वार्षिक धनराशि 32.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 32.54 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा, जिसका हिस्सा देशी वस्तुओं से होने वाली आय में से लिया जाता था। गारंटी की गई धन राशि की पूर्ति करने के पश्चात् शेष धन को राज्य के मध्यम बाटा जाता था और यह वितरण अद्यत. तो सन् 1957-58 से (बहु विधि जब से यह कर सबसे पहले लगाए गए थे) प्रत्येक राज्य में विन्नी कर के समूह में होने वाली प्रतिशत वृद्धि के आधार पर और अद्यत. जनसंख्या के आधार पर किया जाता था।

### आन्ति कर की आय का वितरण

आन्ति कर की आय के विभाजन के संबंध में आयोग ने कोई नवीन सिफारिश नहीं की। इस संबंध में द्वितीय आयोग की मान्यताओं को ही कार्यशील रखा गया। परन्तु सन् 1961 की जागपना की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को मिलने वाले अंश के प्रतिशत में संशोधन कर दिया गया।

### सहायक अनुदान

तृतीय आयोग ने महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को सहायक अनु-

दान के रूप में 11025 करोड़ रुपये वापिस देने की सिफारिश की। आयोग ने अनुभव किया कि इन अनुदानों के द्वारा राज्य अपनी-अपनी योजनाओं के राजस्व भाग के एक अंश की पूर्ति के लिए आवश्यक धन के विषय में आश्वस्त हो जाएंगे और उनको अपने प्रशासन में स्वायत्ता तथा लोच अधिक मात्रा में प्राप्त हो सकेगी। आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा कि 1962 से 1966 तक के चार वर्ष की अवधि में संचार साधनों के विकास के लिए विशिष्ट उद्देश्य अनुदान के रूप में, दस राज्यों के मध्य प्रतिवर्ष 9 करोड़ रुपये बांटे जाएं। यह राशि मोटर स्पिंट पर लगाए गए करोड़ों प्राप्तिपत्रों की लगभग 20 प्रतिशत थी।

बजट सबंधी घाटे की पूर्ति के लिए तथा योजना के 75 प्रतिशत राजस्व भाग की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता निम्न सारणी में प्रदर्शित की गई है

(रुपये लाखों में)

राज्य	सहायक अनुदान	योजना से संबंधित सहायता
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1200	50
असम	900	245
उत्तर प्रदेश	200	530
उड़ीसा	1600	820
केरल	850	357
गुजरात	950	307
जम्मू व काश्मीर	325	500
पंजाब	275	751
पश्चिमी बंगाल	850	850
बिहार	800	800
मध्य प्रदेश	625	500
मद्रास	800	500
महाराष्ट्र	—	675
मैसूर	775	160
राजस्थान	875	425

#### प्रतिवेदन का मूल्यांकन

तृतीय वित्त आयोग का प्रतिवेदन का मूल्यांकन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि आयोग ने राज्य सरकारों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं

को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया। साथ ही आयोग ने यह भी ध्यान रखा कि केंद्रीय सरकार की आय कम न हो पाए। वितरण के आधार के मद्दे में आयोग ने सारेन्द्रित सत्रहा को पहले को अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इसके फलस्वरूप महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल जैसे औद्योगिक राज्यों की आय कर म ने पहले की अपेक्षा अधिक हिस्सा उपलब्ध होने लगा। यद्यपि आयोग ने केंद्रीय उत्पादन शुल्क की 25 प्रतिशत के स्थान पर केवल 20 प्रतिशत भाग ही राज्यों में वितरित करने की सिफारिश की परन्तु दूसरी ओर आयोग ने आठ वस्तुओं के स्थान पर 35 वस्तुओं के केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की आय को राज्यों में वितरित करने का मुझाव दिया इस प्रकार राज्य सरकारों के वित्तीय साधनों में पर्याप्त वृद्धि हुई।

वित्त आयोग की सिफारिशों ने कुछ राज्य असंतुष्ट रहे। इनमें महायक अनुदानों और आतायात के साधनों की उन्नति के लिए विशेष अनुदानों में मरधिन सिफारिशों आलोचना का अधिक शिकार बनी। इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि आयोग ने किस आधार पर बिहार और उत्तर प्रदेश को, जो अपेक्षाकृत अधिक धनी और औद्योगिक राज्य नहीं हैं, महायक अनुदान देने का मुझाव दिया। इसी प्रकार आयोग ने इस बात के लिए भी कोई प्रभावपूर्ण तर्क नहीं दिया कि राज्य की योजनाओं में 75 प्रतिशत राजस्व भाग की पूर्ति के लिए मध सरकार के अनुदान क्यों दिए जाए।

भारत सरकार ने आयोग की सभी सर्वमम्मत सिफारिशों मान ली है।

### चतुर्थ वित्त आयोग

मई 1964 में केंद्रीय सरकार ने डा० पी० वी० राजमन्जार की अध्यक्षता में चौथे वित्त आयोग की स्थापना की। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1965 में प्रस्तुत किया। आयोग ने निम्नलिखित विषयों पर सिफारिश देने के लिए कहा गया :

(1) आयकर तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की निबल प्राप्तियों का मध तथा राज्य के बीच वितरण तथा राज्यों के हिस्सों का निर्धारण।

(2) राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय महायक अनुदानों<sup>1</sup> के निर्धारक सिद्धांत।

(3) भारतीय सविद्यान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत जिन राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाते हैं उनका भुगतान निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए वित्त प्रकार किया जाए (क) सन् 1965-66 से कर स्तरों के आधार पर उन राज्यों के सन् 1970-71 तक के 5 वर्षों के वित्तीय साधन, (ख) तीसरी योजनावधि में पूरे किए गए स्थापित्व सबधी व्यय के लिए राज्यों की आवश्यकता, (ग) ऋण सबधी

सेवाओं को पूरा करने के लिए अन्य व्यय, (घ) सघीय सरकार का राज्य सरकारों पर जो ऋण है उसकी अदायगी के लिए कृषि से मिलने वाली आय छोड़कर आस्ति कर का जो भाग राज्य के पास अधिक बच जाए उसका कर का एक कोष बनाना, तथा (ङ) राज्यों द्वारा अपने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की इतनी गुंजाइश जिसका कार्य कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव न हो।

(4) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर आस्ति कर का निबल उगाही का राज्यों के मध्य वितरण करने के सिद्धांतों में किए जाने वाले परिवर्तन (यदि आवश्यक हो)।

(5) रेल किराये पर कर के बदले में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को उनके बीच वितरण करने के सिद्धांतों में किए जाने वाले हेर-फेर, (यदि आवश्यक हो तो)।

(6) राज्य सरकारों द्वारा पहले वसूल किए जाने वाले बिक्री कर के बदले में मूती, रेशमी, रेयन अथवा कृत्रिम रेशमी तथा ऊनी कपड़ों, चीनी तथा तबाकू पर (जिसमें कि निर्मित तबाकू भी सम्मिलित है) अतिरिक्त उत्पादन शुल्कों की निबल वसूली के वितरण के सिद्धांतों में किए जाने वाले परिवर्तन (यदि कोई आवश्यक हो तो)। किंतु प्रत्येक राज्य को प्राप्त होने वाला हिस्सा उस राज्य में सन् 1956-57 के वित्त वर्ष में बिक्री कर की वसूली से प्राप्त वाली आय से कम न हो।

आयोग ने उपरोक्त विषयों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न सिफारिशों प्रस्तुत की

### आयकर की प्राप्तियों का विभाजन

राज्यों ने आयोग के समुख यह माग रची कि आय की प्राप्तियों में उनको अधिक हिस्सा मिलना चाहिए तथा आयकरों की प्राप्तियों में उनका भाग 66.66 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से अधिक होना चाहिए। राज्यों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सन् 1958 के आयकर अधिनियम से कर्पणियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर में जो पुन बर्गीकरण किया गया उसका विभाज्य कोष की वृद्धि की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पिछले 12 वर्षों में निगम कर के सप्रहो में जहां 6 गुनी वृद्धि हुई है वहां विभाज्य कोष में केवल 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयोग इन विचारों से सहमत हुआ और उसने सिफारिश की कि विभाज्य कोष में से राज्यों को दिया जाने वाला आयकर का भाग बड़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया जाए। आयोग ने यह भी निश्चय किया कि राज्यों के बीच वितरण का सिद्धांत वही होना चाहिए जो कि प्रथम तथा तृतीय वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया था अर्थात् 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत सप्रह के आधार पर। सन्

1961-62 में 1963-64 तक के तीन वर्षों तक तरह का तथा 1961 की जन-गणना के अनुसार जनसंख्या के आकड़े के लिए विभाज्य क्षेत्र राजि में प्रत्येक राज्य का हिस्सा निम्न प्रकार रहा

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.37	महाराष्ट्र	14.28
असम	2.44	मैसूर	5.14
बिहार	9.04	नागालैंड	0.07
गुजरात	5.29	उड़ीसा	3.40
जम्मू व काश्मीर	0.73	पंजाब	4.36
केरल	3.59	राजस्थान	3.97
मध्य प्रदेश	6.47	उत्तर प्रदेश	14.60
मद्रास	8.34	पश्चिमी बंगाल	10.91

### सर्घीय उत्पादन शुल्क

तृतीय आयोग ने उत्पादन शुल्क लगाने योग्य ऐसे पदार्थों की संख्या 45 कर दी थी जिनकी प्राप्तिवा केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच बांटी जानी थी। चतुर्थ आयोग ने इस संख्या में और वृद्धि करदी और प्रस्ताव रखा कि वे सभी सर्घीय उत्पादन शुल्क जो वर्तमान में वसूल किए जा रहे हैं तथा वे भी जिनकी अगले पांच वर्षों में वसूली की जाने की संभावना है, केंद्र तथा राज्यों के बीच बांटी जाने चाहिए। आयोग ने सर्घीय उत्पादन शुल्कों की प्राप्तिवा में राज्यों का भाग 20 प्रतिशत ही रखने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राज्यों के भाग का वितरण 80 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत आयिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर किया जाना चाहिए। सामाजिक पिछड़ेपन का सूचक रूपि उत्पादन का प्रति व्यक्ति मूल्य, कुल जनसंख्या में कम-वारियों एवं मजदूरों का प्रतिशत, निर्माण के प्रति व्यक्ति मूल्य में होने वाली वृद्धि मान गए। सर्घीय उत्पादन शुल्कों की विभाज्य राजि में विभिन्न राज्यों का अंश निम्न सारणी में प्रस्तुत किया गया है

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.77	महाराष्ट्र	8.23
असम	3.32	मैसूर	5.41
बिहार	10.03	नागालैंड	2.21
गुजरात	4.80	उड़ीसा	4.82
जम्मू व काश्मीर	2.26	पंजाब	4.86
केरल	4.16	राजस्थान	5.06
मध्य प्रदेश	7.40	उत्तर प्रदेश	14.98
सामिन्ताडू	7.18	पश्चिमी बंगाल	7.51

## अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

इस आयोग ने तृतीय आयोग की भांति निम्न उगाही का 1 प्रतिशत भाग केंद्र प्रशासित प्रदेशों के लिए और 1.50 प्रतिशत भाग जम्मू व काश्मीर के लिए निश्चित किया। इसने विभिन्न राज्यों के लिए गारटीहुत घन राशिया भी पूर्ववत् रखी। गारटीहुत घन राशिया के पश्चात् बचे हुए शेष घन के बवध में आयोग ने मुझाव दिया कि सभी राज्यों में सन् 1961-62 से 1963-64 तक एकत्रित किए गए कुल विक्री कर पर प्रत्येक राज्य में बसूत की गई विक्री कर की आय के अनुपात के आधार पर इसका बटवारा होना चाहिए।

## आस्ति कर

आयोग ने सिफारिश की कि आस्ति कर के वितरण के उसी सिद्धांत को जारी रखा जाए जो कि पहले आयोगों द्वारा निर्धारित किया गया था। तथापि आयोग ने प्रस्ताव रखा कि केंद्र प्रशासित प्रदेशों का हिस्सा, जो कि निम्न प्राप्त का 1 प्रतिशत है, बढ़ाकर दो प्रतिशत कर दिया जाए। जहाँ तक एक कोष की स्थापना का प्रश्न था, आयोग ने यह मत प्रकट किया कि चूँकि अस्ति कर में से केवल 7 करोड़ रुपये ही राज्यों में बाटा जाना था, अतः ऐसे कोष की स्थापना का कोई व्यावहारिक महत्त्व नहीं होगा।

आयोग ने 1961 की जनगणना के आधार पर आस्ति कर में राज्यों का प्रतिशत भाग इस प्रकार निर्धारित किया

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8.34	महाराष्ट्र	9.16
असम	2.75	मैसूर	5.46
बिहार	10.76	नागालैंड	0.09
गुजरात	4.78	उड़ीसा	4.07
जम्मू व काश्मीर	0.83	पंजाब	4.70
केरल	3.92	राजस्थान	4.67
मध्य प्रदेश	7.50	उत्तर प्रदेश	17.08
मद्रास	6.80	पश्चिमी बंगाल	8.09

## रेल यात्री बिराए पर कर के बदले में अनुदान

आयोग ने मत प्रकट किया कि 12.50 करोड़ रुपये के प्रति वर्ष मिलने वाले तदर्थ अनुदान का राज्यों के मध्य वितरण प्रत्येक राज्य में रेल पथ की लंबाई के आकड़ों के आधार पर तथा सन् 1964 में समाप्त होने वाले 3 वर्ष के यात्री याता-यात से होने वाली वार्षिक औसत आय के आधार पर किया जाना चाहिए।

निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य को मिलने वाले भाग का प्रतिगत दर्शाया गया है -

राज्य	प्रतिगत	राज्य	प्रतिगत
आंध्र प्रदेश	9.05	पश्चिमी बंगाल	6.40
अनम	2.79	बिहार	9.86
उत्तर प्रदेश	18.23	मध्य भारत	5.81
उड़ीसा	2.12	मद्रास	8.98
केरल	1.85	महाराष्ट्र	3.98
गुजरात	7.11	मैसूर	0.01
जम्मू व काश्मीर	—	नागालैंड	9.98
पंजाब	7.43	राजस्थान	6.50

### सहायक अनुदान

सन् 1966-67 से 1970-71 तक के लिए विभिन्न राज्यों की राजस्व प्राप्तिओं तथा गैर योजना व्यय का निर्धारण करने के उपरांत और विभिन्न करों तथा शुल्कों में से मिलने वाले उनके भागों की धनराशिओं का हिसाब लगाने के पश्चात् आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि इस अवधि में इन राज्यों को कुल 610 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। अतः आयोग ने, सविधान की धारा 275 के अधीन, घाटे के 1/5 भाग के बराबर अर्थात् 122 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुदानों की सिफारिशें निम्न प्रकार कीं

राज्य	करोड़ ₹०	राज्य	करोड़ ₹०
आंध्र प्रदेश	7.22	तामिलनाडु	6.84
अनम	16.52	मैसूर	18.24
जम्मू व काश्मीर	6.57	नागालैंड	7.07
केरल	20.82	उड़ीसा	29.18
मध्य प्रदेश	2.70	राजस्थान	6.73

### आयोग की रिपोर्ट का मूल्यांकन

भारत सरकार ने बृहत् परिवर्तनों सहित आयोग की समस्त सिफारिशों को स्वीकार किया। आयोग ने राज्य सरकारों को एक ओर महापत्र अनुदानों के रूप में तथा दूसरी ओर बटते हुए सघीय करों की लाय में से वित्त के बड़े स्रोत प्रदान किए। आयोग ने राज्यों के मध्य विविध करों के वितरण के संबंध में निश्चितता के महत्वपूर्ण तत्व पर बल डाला तथा उनके वितरण से संबंधित विवादों में आयोगक



परिवर्तन किया तथा करो की विभाज्य राशि के वितरण सबधी सिद्धान्त के निरूपण में राज्यों को सार्वभौमिक आर्थिक दशा की हीनता को अधिक महत्त्व दिया। चौथे वित्त आयोग ने पहले की आयोगों की तुलना में राज्यों के लिए सहायक अनुदानों के बढ़ाने की सिफारिश की क्योंकि उत्पादन शुल्कों की राशि में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करते समय उनकी सार्वभौमिक वित्तीय निर्वलता को दृष्टिगत नहीं रखा गया था।

यह स्मरण रहे कि आयोग को जो प्रश्न सौंपे गए थे उनमें से दो के विषय में आयोग ने कोई मत प्रकट नहीं किया। इसने सघीय उत्पादन शुल्कों तथा राज्य बिजली करो के मध्य समन्वय की कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। दूसरे इसने आस्ति कर की रकम में से एक निधि के निर्माण के सबध में भी कोई सिफारिश नहीं की।

इस आयोग ने राज्य सरकारों का आय कर और उत्पादन शुल्कों की प्राप्तियों में हिस्सा बढ़ाकर तथा उनके लिए ज्यादा मात्रा में सहायक अनुदानों की सिफारिश करके सराहनीय कार्य किया फिर भी इससे कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गईं। प्रथम, सघीय करो के भाग के वितरण में विभिन्न राज्यों के मध्य आधार की समस्या उत्पन्न कर दी। प्रत्येक राज्य वह आधार प्रस्तुत करने लगा जो कि उसके सर्वाधिक अनुकूल है। द्वितीय, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों की आवश्यकताओं के फलस्वरूप उन्हें सघीय सहायता प्रदान की जाती है जो कि वित्त आयोग की सिफारिशों में निहित सहायता के अतिरिक्त है और जिसकी सिफारिश नियोजन आयोग द्वारा की जाती है। इस प्रकार वित्त आयोग तथा नियोजन आयोग ने कार्य एक दूसरे को ढक लेते हैं। वित्तीय सविधान के अंतर्गत राज्यों को अपनी वित्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए सघ सरकार की वित्तीय सहायता पर आधिकाधिक निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रवृत्ति ने राज्यों के वित्तीय साधनों के विकसित होने की भावना को कुठित कर दिया है।

### पाचवा वित्त आयोग

यद्यपि चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों 1970-71 के वित्तीय वर्ष तक के लिए लागू की गई थी और 1 अप्रैल, 1971 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में आगामी 5 वर्षों के लिए पाचवें वित्त आयोग की सिफारिशों लागू होनी थीं किंतु राष्ट्रपति ने चौथे वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही पाचवें वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी। इस आयोग का गठन श्री महावीर प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। इसने अक्टूबर 1968 में अपनी अंतिम रिपोर्ट और जुलाई 1969 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के विचारार्थ विषय वैसे ही थे जैसे कि इसमें पूर्व के आयोगों के लिए निर्धारित किए गए थे, अर्थात् केंद्र तथा राज्यों के मध्य आय कर तथा उत्पादन शुल्कों की निर्वल प्राप्तियों का बटवारा और प्रत्येक राज्य को मिलने वाले भाग के अनुपात

का निर्धारण, सन् 1957 में लागू गए अनिश्चित उत्पादन शुल्कों की निम्न प्राप्तियों का राज्यों के बीच वितरण, रेल यात्री विराण पर निरस्त कर (Repealed tax) के बदले में दिए जाने वाले सहायक अनुदानों को राज्यों के मध्य वितरित किए जाने के सबंध में कोई प्रस्तावित परिवर्तन, यदि आवश्यक हों तो, आम्नि कर की निम्न प्राप्तियों के वितरण के सबंध में कोई परिवर्तन, यदि आवश्यक हों तो, और इन निम्नानुगतों का निर्धारण जिनके अनुसार राज्यों को सहायक अनुदान दिए जा सकें। वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशें इस प्रकार हैं।

### आय कर का विभाजन

चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार आय कर की निम्न आय में से 2.5 प्रतिशत केंद्र प्रशासित राज्यों का अथवा निवाणकर क्षेत्र का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों में विभाजित किया जात था। विभाज्य राशि में प्रत्येक राज्य को अपना हिस्सा 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत वनूनी के आधार पर दिया जाता था। पाचवें वित्त आयोग ने केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का अंश बढ़ाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया। ग्रुप राशि में से राज्यों को पहले की भांति 75 प्रतिशत अंश ही प्राप्त होगा। आयोग ने राज्यों का हिस्सा 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और 10 प्रतिशत कर-निर्धारण संबंधी बातों के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की।

आयोग ने यह भी सिफारिश की, कि आय कर की अग्रिम वनूनी की रकम को भी विभाज्य कोष में सम्मिलित करके कुल धनराशि का विभाजन किया जाए। अग्रिम आय कर के रूप में 1966-67 तक राज्यों के हिस्से की संयोज्य 270 करोड़ रुपये की राशि जमा हो चुकी थी, जिसका विभाजन नहीं हुआ था। अब यह रकम 1970-71 तक तीन समान किस्तों में भुगतान की जाएगी।

### उत्पादन शुल्क का विभाजन

पाचवें वित्त आयोग ने मामूली संशोधन के साथ वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने की सिफारिश की। केंद्रन एक मात्र संशोधन यह किया गया कि 1972-73 तथा 1973-74 के दो वर्षों के लिए निम्नलिखित उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय को भी विभाज्य राशि में सम्मिलित कर दिया गया।

राज्यों के हिस्से के 80 प्रतिशत भाग का वितरण जनसंख्या के आधार पर और 20 प्रतिशत भाग का वितरण मापदंडिक नामांकित और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर करने का वर्तमान सिद्धांत बनाए रखा गया। परंतु पिछड़ेपन के आधार पर निर्धारित की जाने वाली 20 प्रतिशत रकम का दो तिहाई भाग, उन राज्यों में वितरित हुआ जिनकी प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों की औसत आय से कम थी और शेष एक तिहाई भाग सभी राज्यों में पिछड़ेपन के एक एकीकृत माप के अनुसार बांटना है। एकीकृत माप के निर्धारण हेतु इन बातों को ध्यान में रखना है।

अनुसूचित जाति की आवादी, प्रति एक लाख की जनसंख्या पर चारघानो के मजदूरो की संख्या, प्रति किसान सिंचित क्षेत्र की मात्रा, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में रेलो व सड़को की लंबाई, स्कूल जाने योग्य आयु वाले बच्चो की तुलना में स्कूल जाने वाले बच्चो की संख्या और प्रति हजार की जनसंख्या पर अस्पतालो में बिस्तरो की संख्या ।

### अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

वित्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के संवध में पाषर्वे वित्त आयोग ने मत प्रकट किया कि राज्य सरकारो के साथ विचार-विमर्श करके वर्तमान व्यवस्था में उचित संशोधन किया जाना चाहिए । जब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहे, शुल्को की दरें यथा संभव मूल्यानुसार रखी जाए और समय समय पर उनमें संशोधन किया जाए ताकि प्रचलित मूल्यो और उसी प्रकार की वस्तुओ पर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले वित्री कर के सामान्य स्तर का ध्यान रखते हुए उचित कर भार घनाए रखा जा सके ।

अंतिम निर्णय होने तक आयोग ने यह सिफारिश की, कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्को की प्राप्तिओ के वर्तमान सिद्धांतो में परिवर्तन किया जाए । आयोग ने सिफारिश की गारटीशुदा धनराशिया को चुकता करने के बाद शेष भाग में से 50 प्रतिशत तो जनसंख्या के आधार पर और 50 प्रतिशत वित्री कर के संप्रहो के आधार पर (केंद्रीय वित्री कर को छोड़ कर) वितरित किया जाए, किंतु जम्मू व कश्मीर तथा नागालैंड और संघीय क्षेत्रो पर 50 प्रतिशत का नियम लागू न हो क्योंकि इन राज्या का भाग जनसंख्या के आधार पर क्रमश 0.83 प्रतिशत, 0.09 प्रतिशत तथा 2.05 प्रतिशत पहले ही निर्धारित किया जा चुका है ।

### आस्ति कर

आयोग ने यह मत प्रकट किया कि आस्ति कर के वितरण संवधी सिद्धांतो में परिवर्तन की कोई मांग नहीं की गई है । इसलिए उक्त विषय पर कोई विशेष सिफारिश आयोग न नहीं की । केवल एक मुद्दा अवश्य रखा कि संघीय शासित क्षेत्रों का भाग दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया जाए क्योंकि पंजाब के पुनर्गठन के कारण संघीय शासित क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई है ।

### रेल यात्री भाडे पर कर के बदले अनुदान

आयोग ने विचार प्रकट किया कि अनुदान के वितरण को निर्देशित करने का सिद्धांतो में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । इस लिए उमने मुझाव दिया कि अनुदान के वितरण की उम प्रचलित योजना को ही जारी रखा जाए जिसरी कि द्वितीय वित्त आयोग ने सिफारिश तथा तृतीय एवं चतुर्थ वित्त आयोग ने पुष्टि की थी ।

### सहायक अनुदान

आयोग ने 5 वर्षों के लिए केवल 10 राज्यों को कुल मिलाकर 637 85 करोड़ रुपये सहायकार्य अनुदान देने की सिफारिश की जो राशि 1969-70 के लिए निश्चित की गई थी वह 152.73 करोड़ रुपये ही होगी और निरन्तर घटती जाएगी। अंतिम वर्ष में यह केवल 102 41 करोड़ रुपये रह जाएगी। महायुक्त अनुदानों का वितरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है।

( करोड़ रुपये )

राज्य का नाम	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	योग
उड़ीसा	24.51	22.72	20.94	19.14	17.36	104.67
असम	20.80	20.60	20.39	20.19	19.99	101.97
नागालैंड	17.40	16.49	15.59	14.69	13.78	77.95
जम्मू काश्मीर	16.81	15.77	14.74	13.70	12.66	73.68
पश्चिमी बंगाल	22.49	18.41	14.32	10.64	6.76	72.62
आंध्र प्रदेश	15.54	14.27	13.00	11.73	10.47	65.01
केरल	9.93	9.93	9.93	9.93	9.93	49.65
राजस्थान	12.36	11.33	10.30	9.27	8.13	51.49
तामिलनाडु	6.61	5.59	4.56	3.54	2.52	22.82
मैसूर	6.48	5.04	3.60	2.16	0.71	17.99
योग =	152.73	140.15	127.57	114.99	102.41	637.85

### रिपोर्ट का मूल्यांकन

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पाचवें वित्त आयोग ने अपने कार्य की रचना संभव तदनुसार बनाने का प्रयास किया फिर भी अनेक राज्यों ने आयोग की सिफारिशों पर अक्षुण्ण व्यक्त की। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री आयोग की समीक्षा करते हुए कहा, 'राजस्व घाटे वाले राज्यों को अनुदान देने का सिद्धांत परोक्ष रूप से ऐसे राज्यों को इस बात का ही प्रोत्साहन देगा कि वे अपने वित्तीय मामलों की कुव्यवस्था को आगे भी जारी रखें।' उसी प्रकार पंजाब के वित्त मंत्री ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि पंजाब को इस बात पर पुरस्कार नहीं किया गया कि उसने एक 'अच्छे बालक' के रूप में आचरण किया है। इतना ही वह भारत का अन्न भंडार है तथा उसकी 'युद्ध सबधी भुजा' भी। उन्होंने आगे कहा कि, 'हमारे अच्छे कार्य का यही पुरस्कार है कि 637 करोड़ रुपये में से हमें एक पैसे भी नहीं दिया गया है' दूसरी ओर उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने कहा कि इन सिफारिशों से क्षेत्रीय असमान-

ताओ की वृद्धि की ओर अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। उसी मुर में मंसूर के वित्त मंत्री ने भी इस बात पर दुख प्रकट किया कि आयोग के निर्णय का परिणाम यह होगा कि सुविकसित तथा अपेक्षाकृत कम विमसित राज्या के मध्य विपमता की खाई और चौड़ी होगी। केवल उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान ही ऐसे प्रदेश हैं। जिन्होंने रिपोर्ट के प्रति अपना सतोप प्रकट किया।

वास्तविकता यह है कि आयोग जैसी सस्था सभी को समान रूप से सतुष्ट नहीं कर सकती इससे पूर्व के आयोगों के सबध में भी ऐसी ही मिली जुली प्रति-न्रियाए व्यक्त की गई थीं। किंतु यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि आयोग न केंद्र की स्थिति को दुर्बल किए बिना राज्यों के पक्ष में स्रोतों के हस्तांतरण करन की चेष्टा की है जिससे सध तथा राज्यों के वर्तमान वित्तीय सबध में सुधार आने की आशा की जा सकती है।

### छठा वित्त आयोग

28 जून 1972 को श्री ब्रह्मानंद रेड्डी भूतपूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग की नियुक्त की गई। इस आयोग की नियुक्ति अपने निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व इसलिए की गई जिससे पाचवी योजना में इसकी सिफारिशों की दृष्टिगत रखा जा सके। इस आयोग के सुभाव सन् 1974-75 से सन् 1978-79 तक की अवधि के लिए होंगे।

इस आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए

(1) मधीय वित्त के प्रमुख सिद्धांतों के अतर्गत इस आयोग को प्रमुख रूप से केंद्र द्वारा राज्यों को बांटे जाने वाले वित्तीय साधनों का निर्धारण करना था। साथ ही योजना को पूरा करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान की विद्यमान योजना पर विचार करके, आवश्यक परिवर्तनों के लिए सुभाव देना था जो कि विकास परियोजना को तीव्रता से पूरा करन में सहायक हो।

(2) यह आयोग प्रथम बार आगामी पाच वर्षों के लिए राज्यों के गैर योजनागत पूंजीगत अंतरालों की सामान्य एवं तुलनात्मक आधार पर 1978-79 तक समाप्त होने वाले पाच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित करेगा।

(3) आयोग प्रथम बार प्राकृतिव विपदाओं प्रभावित से होने वाले राज्यों की सहायता-व्यय के लिए वित्त के सबध में व्यवस्था एवं नीति का अध्यय करेगा।

(4) आयोग राज्यों की ऋण स्थिति को ध्यान में रख कर उनके भुगतान की रीतिया घतसाएगा।

(5) यह आयोग केंद्र के साधना एवं नागरिक प्रशासन, सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, ऋण सेवाओं एवं अन्य व्ययों व दायित्वों के कारण होने वाले खर्चों की भाग पर भी विचार करेगा।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1973 में प्रस्तुत की। इसमें कर्ष, शुल्कों तथा अनुदानों के बटवारे में बढ़ाए गए निम्न गिफारतों पेग हैं।

### (1) आयकर की प्राप्ति का विभाजन

1974-75 में 1978-79 तक के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय कर में प्राप्त विमुक्त आय का बटवारा निम्न प्रकार से किया जाएगा।

(क) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कर्षों में प्राप्त विमुक्त आय का 1/79 प्रतिशत केंद्र-प्रणामित प्रदेशों को दिया जाएगा।

(ख) केंद्र-प्रणामित प्रदेशों को मिलने वाली राशि को छोड़ कर कर्षों में प्राप्त विमुक्त आय का 80 प्रतिशत राज्यों में वितरित किया जाएगा। इससे पूर्व यह 75 प्रतिशत था। आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों के लिए निर्धारित भाग में से 90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत विभिन्न राज्यों में किए जाने वाले आयकर के तुलनात्मक सशर्त के आधार पर दिया जाना चाहिए। विभिन्न राज्यों की राशि प्रतिशत आधार पर निम्न तालिका में दर्शाई गई है।

### राज्यों की आयकर का प्रतिशत भाग

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	7.76	12. मणीपुर	0.18
असम	2.54	13. मेघालय	0.18
बिहार	9.61	14. नागालैंड	0.09
गुजरात	5.55	15. उड़ीसा	3.73
हरियाणा	1.77	16. पंजाब	2.75
हिमाचल प्रदेश	0.60	17. राजस्थान	4.50
जम्मू व कश्मीर	0.81	18. तामिलनाडु	7.94
कर्नाटक	5.33	19. त्रिपुरा	0.27
केरल	3.92	20. उत्तर प्रदेश	15.23
मध्य प्रदेश	7.30	21. पश्चिमी बंगाल	8.89
महाराष्ट्र	11.05		

### (2) केंद्रीय उत्पादन शुल्क

(क) 1974-75 तथा 1975-76 के प्रत्येक वर्ष में, समस्त वस्तुओं पर लगाए गए तथा सशर्त रूप से केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की विमुक्त प्राप्ति के 20 प्रतिशत भाग, जिसमें महाराष्ट्र शुल्क तथा विशेष अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए तथा

विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए अधिकर सम्मिलित नहीं हैं, को भारतीय सचिव निधि में से राज्यों को दिया जाना चाहिए।

(ख) 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के वर्षों में, संबंधित वर्ष में ममस्त वस्तुओं पर लगाए गए तथा सपहित किए गए केंद्रीय उत्पादन शुल्कों की त्रिगुण्य प्राप्ति के 20 प्रतिशत भाग (जिसमें सहायक शुल्क सम्मिलित है किंतु विशेष अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए तथा विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित किए गए अधिकर सम्मिलित नहीं हैं) को भारतीय सचिव निधि में से राज्यों को अंतरित किया जाना चाहिए।

(ग) केंद्रीय उत्पादन शुल्क की विभाज्य धन राशि में वित्त-आयोग ने राज्यों का भाग निम्नानुसार निर्धारित किया।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8.16	मणीपुर	0.21
असम	2.71	मेघालय	0.19
बिहार	11.47	नागालैंड	0.11
गुजरात	4.57	उड़ीसा	4.06
हरियाणा	1.53	पंजाब	1.87
हिमाचल प्रदेश	0.63	राजस्थान	5.00
जम्मू व काश्मीर	0.90	तामिलनाडु	7.43
कर्नाटक	5.54	त्रिपुरा	00.30
केरल, मध्य प्रदेश	3.86	उत्तर प्रदेश	17.03
मध्य प्रदेश	8.15	पश्चिमी बंगाल	7.79
महाराष्ट्र	8.58		

### (3) अतिरिक्त उत्पादन शुल्क

आयोग ने मुझाव दिया कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में से राज्यों के लिए निम्नी गारंटीशुदा धनराशि के निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त संपूर्ण त्रिगुण्य प्राप्ति के केवल उम भाग को छोड़ कर जो केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित है, राज्यों को दे देनी चाहिए। अभी तक राज्यों के बीच इस आय का वितरण इस प्रकार होता रहा है कि प्रत्येक राज्य को एक निश्चित धनराशि प्राप्त होने की गारंटी केंद्र की ओर से दी जाती थी और जो धनराशि इसके उपरान्त बच रहती थी वह भी राज्यों में जनसहया तथा वित्तीय-कर के आधार पर वितरित की जाती रही है। छोटे वित्त आयोग ने यह उचित

पाया कि इस मद से प्राप्त विशुद्ध आय में से केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाले भाग को घटाकर गैर राज्यों में जनशुल्क, राज्य सौ शरीरितक उत्पत्ति तथा ऐसी वस्तुओं की उत्पत्ति के आधार पर वितरित कर दिया जाए किन पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगता है। इन आधारों पर यह वितरण 60 रुपये, 22 रुपये तथा 10 रुपये के अनुपात में होगा।

केंद्र शासित प्रदेशों को मिलने वाला भाग कुल विशुद्ध आय का 1.41 प्रतिशत होगा। गैर 98.59 प्रतिशत भाग राज्यों में निम्न प्रतिशत के आधार पर वितरित किया जाएगा।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	8.39	केरल	3.58
असम	2.47	मध्य प्रदेश	6.98
बिहार	9.36	महाराष्ट्र	11.65
गुजरात	5.91	झारखण्ड	0.17
हरियाणा	2.95	मेघालय	0.17
हिमाचल प्रदेश	0.59	नागालैंड	0.08
जम्मू व काश्मीर	0.73	उड़ीसा	3.59
कर्नाटक	5.62	राजस्थान	4.17
पंजाब	2.68	त्रिपुरा	0.25
तामिलनाडु	6.26	पश्चिमी बंगाल	8.30
उत्तर प्रदेश	17.10		

### संपदा शुल्क

प्रत्येक वित्तीय वर्ष की संपदा-शुल्क से प्राप्त विशुद्ध आय का 2.5 प्रतिशत केंद्र शासित राज्यों को दिया जाएगा और गैर भाग राज्यों में निम्न आधार पर वितरित किया जाएगा।

(क) यह गैर राजी सर्वप्रथम अचल संपत्ति तथा अन्य संपत्ति के अंतर्गत इन संपत्तियों के सकल-मूल्य के अनुपात में विभक्त की जाएगी जो सकल-मूल्य निर्धारित वर्ष में लिए गए हैं।

(ख) जो आय अचल संपत्ति के द्वारा हुई है वह राज्यों में सकल मूल्य के अनुपात में वितरित की जाएगी। यह संपत्ति का वह सकल मूल्य होगा जो निर्धारित वर्ष में लिया गया है।



(ग) जो आय अन्य संपत्तियों से प्राप्त होगी वह जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में निम्नानुसार वितरित की जाएगी।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8 04	मणीपुर	0 20
असम	2 70	मेघालय	0 19
बिहार	10 41	नागालैंड	0 10
गुजरात	4 93	उड़ीसा	4 05
हरियाणा	1 86	पंजाब	2 50
हिमाचल प्रदेश	0 64	राजस्थान	4 76
जम्मू व काश्मीर	0 85	तामिलनाडु	7 61
कर्नाटक	5 41	त्रिपुरा	0 29
केरल	3 94	उत्तर प्रदेश	16 32
मध्य प्रदेश	7 70	पश्चिम बंगाल	8 19
महाराष्ट्र	9 31		—

#### (5) रेल यात्रियों के किराए पर लगे कर के बदले में अनुदान

रेल यात्रियों के किराए पर लगे कर के वितरण के सिद्धांत में आयोग ने किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया। आयोग ने यह निश्चय किया कि 1 अप्रैल 1974 से पांच वर्षों की अवधि के लिए इन कर से प्राप्त आय को प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य में निम्न अनुपातों में वितरित किया जाए।

राज्य	प्रतिशत	राज्य	प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	8 01	मणीपुर	—
असम	2 70	मेघालय	—
बिहार	10 58	नागालैंड	0 01
गुजरात	7 47	उड़ीसा	2 24
हरियाणा	2 57	पंजाब	5 06
हिमाचल प्रदेश	0 17	राजस्थान	6 59
जम्मू व काश्मीर	0 02	तामिलनाडु	5 14
कर्नाटक	3 47	त्रिपुरा	0 02
केरल	1 61	उत्तर प्रदेश	19 85
मध्य प्रदेश	9 89	पश्चिमी बंगाल	5 73
महाराष्ट्र	8 87		

## (6) सहायक अनुदान

भारतीय सचिवालय के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को सहायक अनुदान देते समय आयोग को दो बातें ध्यान रखने को कहा गया (I) उन राज्यों की आवश्यकताएँ जो सामान्य प्रशासन में पिछड़े हुए हैं, तथा (II) प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों की आवश्यकता।

उहाँ तक दूसरी बात का प्रश्न है, आयोग ने सहायक अनुदान निर्धारित करते समय, सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारियों तथा अध्यापकों आदि के 1 मई 1973 तक की वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा है। आयोग ने पहली विचार-धारा भी ध्यान में रखी है। पिछड़े हुए राज्यों को अपने प्रशासन के स्तर में उन्नति करने के लिए आयोग ने सहायक अनुदान तय करते समय प्रत्येक व्यक्ति पर व्यय होने वाले प्रशासनिक तथा सामाजिक व्यय को आधार स्वीकार किया है। आयोग ने कुल मिलाकर लगभग 2,510 करोड़ रुपये की राशि 14 राज्यों को सहायक अनुदान के रूप में देने का सुझाव दिया है। निम्न तालिका राज्यों को प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान की दर्शाती है।

राज्य	करोड़ रुपये में
आंध्र प्रदेश	205 93
असम	254 53
बिहार	106 28
हिमाचल प्रदेश	160 96
जम्मू व काश्मीर	173 49
केरल	208 93
मणिपुर	114 53
मेघालय	74 67
नागालैंड	128 84
उड़ीसा	304 73
राजस्थान	230 53
त्रिपुरा	112 50
उत्तर प्रदेश	198 83
पश्चिमी बंगाल	234 86

वित्त आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि बाढ़ और सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दी जाने वाली राशि को ऋण रूप में देने की अपेक्षा सहायता राशि के रूप में श्रेष्ठ सुझाव है।

आयोग ने यह विचार भी प्रस्तुत किया कि राज्यों की आवश्यकता के समय धन की महायता देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मिलकर किसी राष्ट्रीय कोष का निर्माण न तो उचित ही है और न आवश्यक ही। वर्तमान व्यवस्था, जिसके अनुसार राज्यों को धनराशि दी जाती है, उसे पूरी तरह से परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सूखा तथा बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्रों का उचित प्रकार से वितरण किया जा सके। आयोग ने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रति वर्ष इस प्रकार की योजनाओं पर बल देने की इसलिए व्यवस्था की है। राजस्थान ऐसे राज्यों की सूची में मध्यम ऊपर है। इसके लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र और आंध्र में प्रत्येक के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था है।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि केंद्र पर राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों के कारण भार बढ़ा हुआ है, इससे लिए आयोग ने सिफारिश की है कि उनके भुगतान की शीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार 1970 करोड़ रुपये की छूट केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाएगी। महाराष्ट्र 60 करोड़, उत्तर प्रदेश 150 करोड़, आंध्र प्रदेश 191 करोड़ तथा राजस्थान 258 करोड़ की छूट प्राप्त करेंगे।

### भूतयाचन

वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि बाढ़ और सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दी जाने वाली राशि की अवेशा ऋणरूप में देने से कहीं अच्छा है कि सहायता राशि के रूप में दी जाए। यदि यह राशि ऋण के रूप में दी जाती तो संभव था कि राज्य उनका न्यूनतम उपयोग करते, क्योंकि वह जानते थे, यह राशि उन्हें कभी भविष्य में लौटानी होगी तथा उस पर व्याज भी देना होगा। इसलिए ये राज्य सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए उतनी ही राशि ऋण के रूप में मांग करते जो अनिवार्य थी। हम यह भलीभांति जानते हैं कि राज्य अपने अधिविचरण की सीमाएं पार कर चुके हैं। इसलिए वे स्वयं केंद्र सरकार से सहायता राशि के रूप में अधिभूत अधिकांश मांग करेंगे।

आयोग का यह विचार है कि पांचवी योजना-काल में राज्यों को मिलने वाली राशि 4,000 करोड़ रुपये में लेकर 4,500 करोड़ रुपये होगी। किंतु मुद्रा-स्फीति की दशाओं के उत्पन्न होने में राज्यों को मिलने वाली इस राशि का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो जाएगा। अब उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।

## वित्तीय प्रशासन

वित्तीय प्रशासन लोकवित्त का एक मौलिक अंग है। यह विज्ञान भी है तथा कला भी। विज्ञान की दृष्टि में यह लोकवित्त की वह शाखा है जो सार्वजनिक वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करने तथा उसकी संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए निश्चित नियमों एवं मित्यातों का निर्माण करती है। कस्ता के रूप में, वित्तीय प्रशासन वेस्टन गेज के शब्दों में, 'राजकीय संगठन का वह भाग है जो सार्वजनिक कोषों के एकत्रीकरण, संरक्षण एवं वितरण का, राजकीय आय तथा व्यय के समायोजन का, राज्य की ओर से किए जाने वाले साख के मानान्य नियंत्रण का अध्ययन करता है।'

### वित्तीय प्रशासन के सिद्धांत

वित्तीय प्रशासन के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन नीचे किया गया है।

(1) संगठन की एकता : इस सिद्धांत के द्वारा दृष्ट बात पर बल दिया गया है कि वित्तीय प्रशासन की प्रत्येक अवस्था में अर्थात् नियंत्रण तथा उत्तर दायित्व में एकरूपता होना आवश्यक है। संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था पर एक ही सन्ध्या का नियंत्रण होना चाहिए तथा उसका दायित्व निश्चित कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वित्तीय प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, विभिन्न अधिकारियों के मध्य समन्वय होना चाहिए तथा छोटे अधिकारियों पर बड़े अधिकारियों का नियंत्रण होना चाहिए।

(2) ससद की इच्छानुसार कार्य की संपन्नता : राजकीय कोष नागरिकों का सामूहिक कोष होता है इसलिए उसका प्रबंध तथा निर्णय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। इसलिए वित्तीय मामलों में ससद की इच्छानुसार और ससद के आदेशानुसार ही आय को जुटाया जाय तथा खर्च किया जाए।

(3) सरलता तथा नियमितता के गुण : वित्तीय प्रशासन पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसे नियंत्रित करने में सरलता, भौद्यता तथा नियमितता के गुण पाए

जाए। वित्तीय प्रशासन की प्रणाली जटिलताओं से मुक्त होनी चाहिए तभी उसे एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है। वित्तीय प्रशासन को कुशल तथा मितव्ययी बनाने के लिए नियमितता तथा शीघ्रता का गुण होना आवश्यक है।

(4) प्रभावयुक्त नियंत्रण : एक कुशल वित्तीय प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक पग पर कठोर नियंत्रण हो ऐसे नियंत्रण अनुमानों की वृद्धियों को न्यूनतम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह नियंत्रण ससद तथा कार्य-कारिणी सभा दोनों के द्वारा हो सकता है। यह स्मरण रहे कि नियंत्रण की क्रिया बहुत अधिक जटिल न हो। अधिक जटिलता प्रशासन की कुशलता में बाधा डाल सकती है।

### संघ में वित्तीय प्रशासन

अधिकांश संघीय संविधानों में वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत तीन मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता है। प्रथम, कोई भी कर जनता के प्रतिनिधियों के बिना अनुमोदन के न तो लगाया जा सकता है और न ही वसूल किया जा सकता है। द्वितीय, ससद को बिना स्वीकृति के कोई भी सार्वजनिक व्यय नहीं किया जा सकता। तृतीय कोई भी व्यय सीमा से अधिक तो नहीं किया गया, इस पर विचार करने के लिए महालेखा परिक्षण नियुक्त रहता है जो अपने कर्मचारियों की सहायता से कार्यकारिणी द्वारा किए गए व्ययों की जांच करता है और ससद के समुच्च अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।

हमारे संविधान में उपरोक्त तीनों सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार विधायकों द्वारा पारित विधियों के प्राधिकार के अतिरिक्त कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न एकत्र ही हो सकता है। अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की सचिव निधि में से कोई धनराशि विधायकों द्वारा पारित विधि के अनुसार निश्चित प्रयोजनों के लिए रीतियों से ही व्यय की जा सकती है। ऐसे ही अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता कोष निधि स्थापित किया गया है जिसमें ससद द्वारा पारित विधियों के अनुसार निर्धारित राशियाँ समय-समय पर जमा की जाती हैं। इस निधि से आकस्मिक व्ययों की पूर्ति के लिए अग्रिम राशि देने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रण महालेखा-परिक्षण नियुक्ति की जाती है जिसे भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्ययों की जांच का अधिकार प्राप्त है। महालेखा परिक्षण जांच संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित करता है और राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को सदन के समुच्च रखवाते हैं।

## बजट की तैयारी

बजट कार्यकारिणी सभा द्वारा तैयार किया जाता है। इन को प्राप्त करने का तथा व्यय को मपन्न करने का अधिकार भी इसी सभा को प्राप्त है, बजट की तैयारी का कार्य हमारे देश में निरंतर से प्रारंभ हो आया है। सर्वप्रथम म्यानीय अधिकारी अपने विभाग के अनुमान तैयार कर अपने उच्च कार्यालय को भेजते हैं। ये अनुमान दो भागों में विभक्त होते हैं। प्रथम भाग में, माघनों से प्राप्त आय की मदों पर प्रस्तावित व्ययों को दिखाया जाता है। दूसरे भाग में, नवीन योजनाओं पर होने वाले व्यय दिखाए जाते हैं। यदि किसी वर्तमान स्रोत से प्राप्त होने वाली आय को छोड़ दिया गया हो तो उल्लेख भी किया जाता है।

आय व्यय को छोड़ा निम्न पांच शीर्षकों के अंतर्गत दिखाया जाता है :

- (1) विगत वर्ष के आय-व्यय
- (2) चालू वर्ष में स्वीकृत आय-व्यय के अनुमान
- (3) चालू वर्ष में आय-व्यय के संशोधित अनुमान
- (4) आगामी वर्ष के बजट-अनुमान
- (5) चालू तथा विगत वर्ष की वार्षिक आय-व्यय, जो बजट के तहत एक साथ हो जाती है।

इनके अतिरिक्त नई योजनाओं पर खर्च होने वाली राशि का अनुमान भी लगाया जाता है। प्रधान कार्यालय में इन अनुमानों के पट्टे के पश्चात् यह कार्यालय इन अनुमानों को छोड़कर तथा उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर के इन अनुमानों को वित्त-विभाग में तबकर के माह तक भेज देता है। इन अनुमानों को प्राप्ति के उपरान्त वित्त विभाग बजट तैयार करता है। यह तैयार किया गया बजट लोक सभा या संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जा या मार्च के अंत में प्रस्तुत किया जाता है।

## भारत में वित्तीय प्रक्रिया

वित्तीय विषयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में विभक्त की गई है।

(1) वार्षिक वित्तीय विवरण : संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रथम वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमार्गित प्राप्ति और व्ययों का विवरण राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। इस वित्तीय विवरण में व्ययों को कई वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहले वर्ग में वे व्यय दिखाए जाते हैं जिनकी पूर्ण सन्धिदान के अनुपात भारत की सन्धि निधि में से की जाती है और इन पर व्ययव्ययिका सभा के सदस्यों को अपना मत प्रकट करने का अधिकार नहीं होता।

भारत की सचि त निधि पर भारित ध्यय : भारत सरकार द्वारा विभिन्न करो तथा शुल्को से प्राप्त प्राप्तियो, राजकोपीय पत्रो तथा ऋणपत्रो से प्राप्त धनराशि तथा साधन सबधी जो भी धनराशि रिजर्व बैंक से प्राप्त हो, समस्त राशिया भारत की सचि त निधि मे जमा की जाती हैं। इस सचि त निधि मे से निम्न व्ययों को उत्पन्न करने की व्यवस्था की जाती है।

(1) राष्ट्रपति को दिए जाने वाले भरो तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय

(2) राज्य सभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भरो,

(3) ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ऐसे ऋणभारो के अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि-भार, मोचन भार तथा उधार लेने, ऋण-सेवा तथा ऋण मोचन सबधी अन्य व्यय

(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशो को दिए जाने वाले वेतन, भरो और पेंशन

(5) सघीय न्यायालय के न्यायाधीशो को दी जाने वाली पेंशन

(6) भारत के नियतव महालेखा परीक्षक को दिए जाने वाले वेतन, भरो और पेंशन

(7) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णय के भुगतान के लिए राशिया, तथा

(8) संविधान द्वारा अथवा ससद से पारित किसी विधि द्वारा इस निधि से चुकाने के लिए निश्चित किया हुआ कोई अन्य व्यय।

दूसरे वर्ग मे भारत की सचि त निधि से पूर्ति के लिए प्रस्तावित व्यय दिखाए जाते हैं। उन अनुमानित व्ययो को लोक सभा के समक्ष अनुदानों की माग के रूप मे रखा जाता है। किसी माग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार लोक सभा को होता है। किसी भी अनुदान की माग को लोक सभा के सामने रखने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है।

नियोजक विधेयक

उस विधेयक का मूल उद्देश्य स्वीकृत की हुई भागो को कानूनी रूप देना तथा सचि त निधि म से धन निरालने का अधिकार देना है। भारत के सचि त कोष म से निम्नलिखित व्ययो के निमित्त आवश्यक राशिया की व्यवस्था के लिए नियोजन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

(1) वे व्यय जिनके लिए लोक सभा ने अनुदान स्वीकार किया है।

(2) वे व्यय जो भारत की सचि त निधि पर भारित हैं तथा जिनकी राशि ससद के समक्ष इनके पहले रखे गए विवरण म दी हुई राशि से अधिक नहीं है।

नियोजन विधेयक में समद के किसी भी सदस्य द्वारा समोधन का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिनमें अनुदान की राशि परिवर्तित हो जाए अथवा अनुदान का लक्ष्य बदल जाए या जिसमें भारत की सचिव निधि पर भारित व्यय की मात्रा परिवर्तित हो जाए। सचिव बोर्ड में उस समय तक कोई राशि नहीं निकाली जा सकती जब तक कि नियोजन-विधेयक के द्वारा उसके निकालने की व्यवस्था न कर दी जाए।

### पूरक, अतिरिक्त और असामान्य मागों की व्यवस्था

यदि किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली राशि अपर्याप्त हो जाती है तो उसके लिए सरकार सदनों से पूरक मागें प्रस्तुत कर सकती है। पूरक मागों का अनुमान बजट के समान ही लगाया जाता है और इन्हें भी बजट की तरह ही पारित करना होता है। यदि सरकार किसी ऐसे मद पर व्यय करना चाहती है जिसे किसी माग में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, परंतु व्यय की मद इतनी आवश्यक है कि सरकार समद की बिना स्वीकृति के उस पर व्यय करना चाहती है तो ऐसी स्थिति में सरकार एक रुपये की एक सांकेतिक माग प्रस्तुत करती है। जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा पर अनुदान की गई राशि से अधिक धन व्यय हो जाता है तो ऐसे विशेष व्ययों के लिए एक दूसरा विवरण समद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति अपनी विचारियों के साथ रखवाते हैं। इन विवरण के आधार पर लोक सभा पूरक, अतिरिक्त और अनुमानित मात्रा से अधिक व्ययों के लिए अनुदान करती है।

### धन विधेयक

जब किसी भी विधेयक या निम्न विषयों में से सभी ने अथवा किसी एक से संवोध हो तो उसे धन विधेयक समझा जाता है।

- (1) किसी कर का आरोपण, उन्मूलन, छूट या परिवर्तन
- (2) भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने अथवा कोई प्रत्याभूति देन का विनिमय
- (3) भारत की सचिव निधि अथवा आन्तरिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन टाकना अथवा उसमें से निकालना
- (4) भारत की सचिव निधि में से धन का नियोजन
- (5) किसी व्यय को भारत की सचिव निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि बटाना, तथा
- (6) भारत की सचिव निधि के या भारत के लोक सेवे के मध्य धन प्राप्त करना अथवा केंद्रीय या राज्य के लेखाओं का लेखा परिक्षण।



यदि किसी भी विधेयक के संबंध में धन विधेयक होने का विवाद उत्पन्न हुआ जाए तो उस संबंध में लोक सभा के अध्यक्ष का निर्णय मान्य होता है।

### वित्त विधेयक

धन विधेयक के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में यदि कोई समोच्च संबंधी अथवा अन्य विधेयक विधेयक लोक सभा में समुच्च रखा जाता है तो उस विधेयक को वित्त विधेयक कहते हैं। दृष्ट संवत् पहले लोक सभा में समक्ष राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ रखा जाता है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में भी निम्न आर विषय गया है। वित्त विधेयक में कर और व्यय के अतिरिक्त अन्य विषय भी सम्मिलित होने हैं तथा धन विधेयक में केवल कर और व्यय संबंधी प्रस्ताव ही सम्मिलित होने हैं। धन विधेयक को देश परदे के लिए राष्ट्रपति की सिफारिशों आवश्यक होती है।

### धन विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया

धन विधेयक को सर्वप्रथम लोक सभा में समक्ष रखा जाता है। लोक सभा से पारित होने के पश्चात् उन्हें राज्य सभा के समुच्च उसकी सिफारिशों के लिए रखा जाता है। राज्य सभा विधेयक की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित लोक सभा को लौटा देती है। लोक सभा को यह अधिकार होता है कि यह राज्य सभा की सभी सिफारिशों को या उनमें से किसी को भी स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशों में से कि तीनों स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक उन सिफारिशों के अनुरूप उचित समोच्चों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा राज्य सभा की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो विधेयक को बिना समोच्चों के पारित समझा जाता है। यदि लोक सभा से पारित धन विधेयक राज्य सभा की सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और यह समय के भीतर नहीं लौटाया जाता तो उस अवधि के समाप्त होने पर लोक सभा द्वारा पारित रूप को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। दोनों सदनों से पारित होने पर धन विधेयक को राष्ट्रपति लोक सभा के समक्ष रखवाता है इसलिए लोक सभा से पारित होने के पश्चात् उम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करना स्वाभाविक है। धन विधेयकों को राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ लोक सभा के समक्ष रखने के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यह नियम यद्यपि अधिकांश धन विधेयकों पर लागू होता है परंतु किसी कर को हटाने या बढ़ाने के प्रस्ताव को लोक सभा के समुच्च होने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं होती।

## बजट तथा वजट नीति का योगदान

बजट शास्त्र में सरकार की वृहत वित्तीय योजना होती है इसमें बजट-आल के समाविष्ट आय तथा प्रस्तावित व्ययों के अनुमान का विवरण होता है संगठित क्रियाओं के स्वरूप का व्यापक निरोक्षण बजट में ही किया जा सकता है और यह पता लगाया जा सकता है कि सरकार किस प्रकार की वित्तीय नीति अपनाना चाहती है। आदर्श रूप में बजट ऐसा दस्तावेज है जिससे सामान्य नागरिक राज-कीर्षीय नीति के पूर्ण स्वरूप को जान सकता है। इस प्रकार राजकीर्षीय नीति का केंद्र-बिंदु बजट ही होता है। बजट पिछले वर्ष की वित्तीय नीति के परिणामस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, के समाविष्ट परिणाम तथा आगामी वित्तीय वर्ष की आमदनी और व्यय मदधी अनुमान संगणनर बजट पद्धति में स्पष्ट-दित्व स्थापित करने का उद्देश्य रखती है तथा यह भी उद्देश्य होता है कि आय और व्यय पर अधिकाधिक सुविचारपूर्ण नियंत्रण रहे सके।

### संतुलित बजट

बजट को संतुलित करने के विषय में काफी वाद-विवाद रहा है। 'बजट संतुलन' सेवा-विधि की एक महत्त्वता मान है। इसके लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी विशेषताओं को समझने की आवश्यकता है। जब किसी उद्योग में विशेष शुद्ध आय शुद्ध व्यय में बढ जाती है तो राजस्व की स्थिति मुट्ट हो जाती है। आय तथा व्यय की परिमाणाएँ निम्न रूप से दी जा सकती हैं।

(1) 'राजस्व प्राप्ति'या वे प्राप्ति हैं जो राजस्व की प्रयोग विधि को तो बताती हैं लेकिन उन पर ऋण दायित्वों के बोध में वृद्धि नहीं करतीं, अथवा राजस्व प्राप्ति में हमें वे सब प्राप्ति सम्मिलित नहीं करनी चाहिए जो सार्व-जनिक पूँजी के प्रकार की हैं। उदहारणार्थ सार्वजनिक संपत्ति के बेचने से मिली राशि। ऐसी राशि फनहान सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के समान होती है।

(2) 'लागत भुगतान वे भुगतान है जो राजकोष की प्रयोग निधि को घटाते है लेकिन उसके ऋण दायित्वो को कम नहीं करत । इससे राजकोष की निवल स्थिति बिगडती है ।'

(3) 'राजस्व-इतर प्राप्तिया वे प्राप्तिया हैं जिनसे राजकोष की प्रयोग निधि मे वृद्धि होती है परतु साथ ही साथ उसी हिसाब से उसके ऋण दायित्व भी बढ जाते हैं । इस प्रकार ये वे प्राप्तिया हैं जिनसे राजकोष की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडता ।'

(4) 'लागत-इतर भुगतान वे भुगतान हैं जिनसे राजकोष की प्रयोग निधि का ह्रास होता है परतु साथ ही साथ उसी अनुपात से ऋण दायित्व भी घट जाते हैं, इस प्रकार ये ऐसे भुगतान हैं जिनसे राजकोष की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पडता ।'

लागत भुगतान मे प्राय सभी भुगतान आ जाते हैं । इसमे केवल वे भुगतान सम्मिलित नहीं होते जो ऋण की वापसी के लिए किए जाते हैं । इसी प्रकार उत्पादनशील कार्यों के लिए लिया गया समस्त ऋण, जैसे लोक निर्माण के लिए उधार लेकर किया गया व्यय, भी सम्मिलित नहीं होता । सार्वजनिक ऋण की मूल राशि का भुगतान लागत-इतर भुगतान है । जिन प्राप्तियो से राजकोष के धन दायित्वो मे वृद्धि के बिना बढता है, वे राजस्व प्राप्तिया हैं और अन्य प्राप्तिया राजस्व इतर प्राप्तिता है ।

उक्त उल्लेखित संकल्पनाओ की अच्छी तरह समझ लिया जाए तो 'बजट कब सतुलित होता है ।' इस प्रश्न का सही उत्तर निम्नलिखित बातो के आधार पर दिया जा सकता है .

(1) यदि बजट की अवधि मे राजस्व प्राप्तियां लागत भुगतान के बराबर हैं, तो बजट सतुलित कहा जाता है ।

(2) यदि बजट की अवधि मे राजस्व प्राप्तिया लागत भुगतान से अधिक हैं तो बचत वा बजट कहा जाता है ।

(3) यदि बजट अवधि मे राजस्व प्राप्तिया लागत भुगतान से कम है तो घाटे वा बजट कहा जाता है ।

इस प्रकार हम बजट को उसी समय सतुलित मान सकते हैं जब लेखा अवधि मे निवल फलहीन सार्वजनिक ऋण मे वृद्धि नहीं होनी । लेखा अवधि चितनी सही होनी चाहिए, इसमे भी विवाद है । भाषारणिया यह अवधि एक वर्ष की मानी जाती है । प्रो० जेवोब वाइनर का विचार है कि, 'यह निहायत सडियल ध्रानि है कि परिस्थितियो का विचार किए बिना सरकार को प्रतिवर्ष अपना बजट सतुलित करना ही चाहिए । प्रत्येक माह, सप्ताह या घंटे मे क्यों नहीं ? कीम्स ने 1933

में ग्रेट ब्रिटेन के सदस्य में यह तर्क दिया कि 'हमारी वर्तमान बजट पद्धति का यह गंभीर दोष है कि बजट को समुचित करने के लिए उठाए गए पग बगाने वर्ष के बजट को अनसुचित कर देते हैं।

इनके विपरीत कुछ जनरोकी अर्थ-शास्त्रियों ने यह मुझाया कि लेखा अवधि व्यापार-वर्ष से मेल खाने चाहिए जिससे कि लेखा के वर्षों में अतिरिक्तों का उपयोग ऋणों के शोधन के लिए किया जा सके और मशी के वर्षों में घाटों की पूर्ति ऋण लेकर की जा सके। परंतु यहां यह बतलाना है कि व्यापार-वर्ष की अवधि सभी स्थानों पर एक समान नहीं होती। अधिकांश व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि अल्प-काल (जो एक या दो वर्षों का हो सकता है) में बजट का समुचित किया जाना आवश्यक नहीं होगा यह विचार दो बातों पर आधारित है। पहला, एक या दो वार्षिक घाटों में स्वयं में कोई बड़ी हानि नहीं हो सकती। दूसरा, अधिक विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष द्वारा उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से लोक नीति सभी सभी बातें बूझकर और औचित्य के साथ अम्पाई रूप से बजट में घाटा उत्पन्न कर सकती है। किंतु अल्पकाल में भी बजट के घाटों को बहुत अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए।

### बजट नीति के उद्देश्य

बजट नीति से हमारा तात्पर्य सरकारी आय तथा व्यय के परिवर्तन द्वारा व पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में गति दिशियों के स्तर को प्रभावित करना होता है।<sup>1</sup> बजट की नवीन नीति केवल बजट को समुचित करने के दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलती अपितु संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था को समुचित करने के उद्देश्य को लेकर चलती है। आधुनिक काल में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बजट को एक शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। ये उद्देश्य निम्न हो सकते हैं पूर्ण रोजगार, ऊंचे स्तर का विनियोग, अ-स्थिरता अर्थान् स्फीति तथा अपस्थिति से बचाव, तथा उत्तम वितरण।

### बजट नीति की व्यावहारिकता

इन सभी उद्देश्यों को एक साथ व्यवहार में लाना बल्लि है। यदि हम पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना चाहें तो स्फीति में बचाव बल्लि हो जाता है। प्रास के 1945-52 में अपना रोजगार को लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया परंतु जीवन यापन व्यय की लागत दुगुनी हो गई। सघर्ष की स्थिति में जिस लक्ष्य की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाए वह एक विवादास्पद विषय है। कुछ व्यक्ति मुद्रा स्फीति के भय से आतंकित होकर इससे बचने के लिए रोजगार और ऊंचे उत्पादन के लक्ष्यों का बलिदान कर देंगे। दूसरे लोग पूर्ण रोजगार और ऊंचे उत्पादन के लिए थोड़ी बहुत मुद्रा स्फीति सहन करना पसंद करेंगे भले ही उससे कुछ अनाधिक अन्याय पैदा हो। इन दोनों

<sup>1</sup> C. T. Sandford • Economics of Public Finance, Pergamon Press, Oxford (1969) P. 203

प्रकार के व्यक्तियों में से किसका विचार सही है यह उस समय तथा स्थान की विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

साधारणतया यदि अत्यधिक मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो गई हो तो उसका उपाचर बजट में अतिरेक होगा। यदि मुद्रा सकुचन या अपस्फीति अधिक है तो बजट में घाटा उत्पन्न करके उसे ठीक किया जा सकता है। यदि अस्फीति की स्थिति रखनी है तो सार्वजनिक तथा निजी बचतों का योग सार्वजनिक तथा निजी श्रंत के कुल विनियोग के बराबर होना चाहिए। यदि बचतें विनियोग से कम होंगी तो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होगी और मूल्य बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति में उपभोग तथा विनियोग का योग अधिक हो जाएगा। इसलिए हम बचतों को बढ़ाना तथा उपभोग और विनियोग को घटाना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि बचतें विनियोग से अधिक होंगी तो अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न होगी, मूल्य गिरेंगे तथा बेरोजगारी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें बचतें घटानी पड़ेगी तथा उपभोग या विनियोग या दोनों को बढ़ाना पड़ेगा।

यदि हम बचत और विनियोग को समान कर दें तो अतिम वस्तुओं अर्थात् उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं की मांग और पूर्ति में मतुलन स्थापित हो जाएगा और स्फीति मूलक (अथवा अपस्फीति मूलक) की स्थिति भी समाप्त हो जाएगी। इस अंतर को पाटने में बजट का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है।

यदि बजट का प्रयोग आर्थिक स्थायित्व लाने में करना है तो बजट को काफी बड़ा होना चाहिए। आधुनिक युग में बजटों के आकार में वृद्धि इस ओर संकेत करती है कि बजट के दोनों ओर के कुछ मदों का स्थिर होना ही स्थायित्व लाता है। बजट के कुछ मद परिवर्तनशील हो सकते हैं। अस्थायित्व मूलक तत्वों का प्रति-गार करने के लिए इन मदों को किसी भी दिशा में घटाया बढ़ाया जा सकता है।

बजटों में निरंतर घाटे की स्थिति तो असंभव सी प्रतीत होती है। अधिकांश संभावित स्थिति तो वह है जहां दीर्घकालीन समय में बजटों में अतिरेक और घाटे दोनों होंगे। किंतु उस समय स्थिति चिंताजनक हो जाती है जब दीर्घकाल में घाटों का जोड़ा अतिरेक से अधिक हो जाती है। ऐसा उस समय ही होता है जब बेरोजगारी और मुद्रा सकुचन को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में तो र ऋण बढ़ जाते हैं। लोक ऋण उत्पादन को निरुत्साहित करते हैं और वितरण को बिगाड़ते हैं। प्रश्न उठता है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यह स्थिति पूंजीगत करो तथा सस्ती मुद्रा द्वारा दूर की जा सकती है। पूंजीगत कर आय और धन के विषम वितरण को सुधारने में भी सहायक सिद्ध होगा। पूंजीगत करों से प्राप्त होने वाली आय को ऋणों के शोधन में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। पूंजीगत कर, मृत्यु कर, पूंजी कर तथा पूंजीगत सभा पर कर के रूप में हो सकते हैं। सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत नीची व्याज की, विनियोग और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने में सहायक होती है।

## वज्र नीति की सीमाएँ

अब में यह प्रश्न उठता है कि आज की परिस्थितियों में कोई भी देश मजदूर रोजगार और अन्य लक्ष्यों को वज्र नीति द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं हो सकता। वज्र नीति कोई सरल तकनीक नहीं है क्योंकि यह अनिश्चित अनुमानों तथा अस्थिर परिस्थितियों पर निर्भर करती है। वज्र नीति को कुछ सीमाओं या बर्णन नीचे किया गया है।

(1) लागत स्फीति में अनपेक्षित : यदि स्फीति मांग की वृद्धि के कारण है तब वज्र नीति द्वारा इसका उपचार उपयुक्त है क्योंकि इस नीति के द्वारा प्रभाव पूर्ण मांग को कम किया जा सकता है। यदि स्फीति लागत-वृद्धि के कारण है तब वज्र नीति द्वारा मांग को घटाना उचित नहीं होगा। लागत में अतिक्रम मांग मजदूरी का होता है। यद्यपि वस्तुओं तथा सेवाओं, मांग तथा थम की मांग कम करके मजदूरी घटाई जा सकती है परन्तु इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने से बेरोजगारी, औद्योगिक अशान्ति तथा मानवीय पीडा बढ़ेंगी और उत्पादन कम होगा। जहाँ थम सब मजबूत होने हैं वहाँ ऐसी नीति का विरोध और भी दृढ़ हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों ग्रेट ब्रिटेन में मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे सब वज्र नीति के बाहर रहे हैं। वहाँ थम मुर्खों की स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर मूल्यों की वृद्धि को रोका गया है।

(2) क्षेत्रीय आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए अपर्याप्त : वज्र नीति का उपयोग उम समय ही उचित माना जा सकता है जब बेरोजगारी संपूर्ण देश में हो। परन्तु विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी से अलग वज्र नीति की उपयुक्तता के लिए प्रश्न बन जाता है, परन्तु उदाहरणस्वरूप भारत उत्तर प्रदेश में तो मांग को प्रतिबन्धित करने का प्रश्न उठता है, परन्तु तामिलनाडु में मांग की वृद्धि का प्रश्न उठता है। तामिलनाडु में मांग को नियन्त्रित के परिणामस्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार सामान्य प्रयासों के द्वारा निश्चित क्षेत्रों में लागू करने को अपर्याप्त के कारण वज्र नीति के उपयोग को सीमित करता है।

(3) वार्षिक सर्वेक्षण अपर्याप्त : वार्षिक सर्वेक्षण को विचारशील रखने हुए वज्र नीति की उपयुक्तता के विरुद्ध दो तर्क दिए जाते रहे हैं। प्रथम तर्क यह दिया जाता है कि वज्र निर्माण के पूर्व लोगों का उपयोग करने के लिए जो वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है वह अतिरिक्त अपर्याप्त होता है। यदि कोई रोग निदान उपस्थित होता है तो उसे तुरंत ठीक करने की अपेक्षा अगले वर्ष के वज्र के लिए म्यागित कर दिया जाता है। अपर्याप्त सर्वेक्षण का ही वह परिमाण है कि कभी-कभी वाय तथा ध्वज में समायोग करने के लिए 'नष्ट वज्र' की सहायता लेनी होती है ऐसे ही अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब वज्र काल में व्याज-नीति, (को वज्र नीति का अंग नहीं होती) की सहायता से आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि वार्षिक बजट सर्वेक्षण की एक वर्ष की अवधि बहुत छोटी होती है इतनी छोटी अवधि में संपूर्ण देश का सर्वेक्षण एक बठिन कार्य है।

इन सीमाओं से बजट नीति की उपयुक्तता एकदम समाप्त नहीं हो जाती। सी० टी० स्टेनफोर्ड के मतानुसार 'इन मसलों पर तो वाद-विवाद जारी रहेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, बजट नीति, राज्य प्रवर्धित अर्थव्यवस्था का एक आवश्यक अंग बनी रहेगी।'

अनेक साधनों के बावजूद हम कह सकते हैं कि सभ्यत समुक्त राज्य अमेरिका बजट नीति के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके बाहरी व्यापार का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। अपनी आर्थिक जीवन प्रणाली के अनुसार सोवियत संघ सभ्यत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि वहाँ आर्थिक कल्याण और राजनीतिक स्वतंत्रता का स्तर अब भी नीचा है। समुक्त राज्य अमेरिका की भाँति उसके बाहरी व्यापार का आकार भी छोटा है। परंतु ऐसी व्यवस्था में बजट सबधी नीति वहाँ के आर्थिक नियोजन में मिली रहती है। जहाँ तक अन्य देशों का संबंध है, जो बाहरी व्यापार पर अधिक निर्भर करते हैं, और विशेषकर जो डालर क्षेत्र में हैं, उनकी बजट नीति अधिक से अधिक आंशिक रूप में ही इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है।

भारत में द्वितीय महायुद्ध पूर्व के वर्षों में राजकीय नीति बजट ने वार्षिक सतुल्यता की पिस्सी-पिटी धारणा को व्यवहार में लाती रही है। सार्वजनिक ऋण के फलहीन भाग को न्यूनतम रखने की चेष्टा की गई है। भारतीय सरकार के व्यय के नमूने भी इस ओर संकेत करते हैं कि सरकार ने सामाजिक आदर्शों को प्राप्त करने में ढील दिखलाई है। द्वितीय महायुद्ध के बजटों से भी यह बात स्पष्ट होती है कि हमारी सरकार ने राजकीय नीति के आधुनिक सिद्धांतों को प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप देने में शिथिलता दिखलाई है।

## केंद्रीय सरकार के बजट का विश्लेषण

भारत में प्रतिवर्ष परिवर्तों के अंत में आगामी वित्तीय वर्षों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रस्तावित आय तथा व्यय का विवरण सचद में प्रस्तुत किया जाता है। यही वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट होता है। आय और व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त इन विवरण में पिछले वर्षों की वित्तीय स्थिति की मनीषा तथा पूर्वोक्त व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी होते हैं। इन बजटों के विश्लेषण की महत्ता में हम देश की वित्तीय स्थिति का सही ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं, केंद्र सरकार के आय प्राप्त करने की विधि, व्यय की दिशा एवं कुल घाटे या आधिक्य की स्थिति देश की अर्थव्यवस्था की किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका अध्ययन आगामी पृष्ठों में किया गया है।

### 1973-74 का बजट

वित्त मंत्री श्री राजवन्तराव पटेल ने लोकसभा में 1973-74 का जो बजट प्रस्तुत किया उसे बलाघवाती राज के विधान का बजट कहा जा सकता था। यह वर्ष चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था। चूंकि बजट में पाचवीं योजना की स्मृति का प्राण देने की व्यवस्था आवश्यक समझी गई थी इस लिए बजट में ऋणदान का समूचित ध्यान इसी उद्देश्य पर केंद्रित था।

वित्त मंत्री ने आगामी वर्षों के बजट में जो नए बर प्रस्ताव रखे, उनमें केंद्रीय राजस्व को 250 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप 1973-74 का बजट में दर की दरों के अनुसार 335 करोड़ रुपये का घाटा कम होकर 85 करोड़ रुपये रह गया। दर प्रस्तावों के परस्पर होने वाली कुल प्राप्ति 292.6 करोड़ रुपये थी जिसमें से 250 करोड़ रुपये केंद्र का अर्थ और शेष राज्यों का अर्थ था। प्रत्यक्ष करों से 186 करोड़ रुपये, उत्पादन शुल्क से 118 रुपये और सीमा शुल्कों से 156 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई।



### कर प्रस्तावों का उद्देश्य

(1) वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों को रखते समय इस बात का ध्यान रखा कि जनमाधारण पर इनका भार न पड़े और सामान्य व्यक्ति के दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएँ महंगी न हों।

(2) कर प्रस्तावों का दूसरा उद्देश्य रोजगार के कार्य-क्रमों के लिए अधिक राशि की व्यवस्था करना।

(3) समाज कल्याण की योजनाओं पर अधिक ध्यान देना।

(4) आय और उपभोग संबंधी असमानताओं को दूर करना तथा

(5) कृषि आय और गैर कृषि आय के आंशिक एकीकरण और अविभक्त हिंदू परिवारों पर आयकर पर अपेक्षाकृत ऊँची दरें लागू करके कर प्रणाली को अधिक समतापूर्ण तथा प्रगतिशील बनाना।

### बजट एक संक्षिप्त विवरण (करोड़ रुपये में)

	1972-73	1972-73	1973 74
राजस्व प्राप्ति	बजट 4,467	सशोधित 4 628	बजट 4,831
			+ 250
व्यय	4,124	4,591	4,752
	(+) 244	(+) 37	(+) 79
			(+) 250
	पूँजी		
प्राप्ति	2,095	2,652	2,460
व्यय	2,689	3,239	2,874
	(-) 594	(-) 587	(-) 414
कुल घाटा	(-) 251	(-) 550	(-) 335
			(+) 250
			85

### प्रत्यक्ष कर

#### कृषि आय पर कर

जिन मामलों में करदाता की आमदनी छूट की सीमा से अधिक हो, उसमें आय के कृषि-भिन्न भाग और खेती से होने वाली आय को जोड़ा जाना था। ऐसा करते समय 5000 रुपये की छूट कृषि आय पर नहीं दी गई कृषि आय और गैर

वृद्धि आय का यह अधिक एकीकरण अबिमक्त हिंदू परिवार पर लागू होगा।

अबिमक्त हिंदू परिवारों को जो लाभ उच्च समय तक मिल रहे थे उन में कर बंधना को प्रोत्साहन मिलता था इसलिए इन परिवारों पर आय कर और मर्पति कर अपेक्षाकृत ऊंची दरों वाली अनुसूचियों के अनुसार लगाने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया गया।

बजट में 31 मार्च, 1974 के बाद लगाई गई मशीनों और उपकरणों की लागत पर 20 प्रतिशत प्रारंभिक मूल्य-हानि सबंधी छूट देने का प्रस्ताव भी किया गया पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए 31 मार्च, 1973 के बाद स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को कर के मामले में रियायत दिए जाने का प्रावधान था। यह रियायत दम बर्षों तक मिलती रहेगी।

### उत्पादन शुल्क

सिगरेटों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, इसके अनुसार जो सिगरेट जितनी अच्छी होगी उस पर उतना ही अधिक शुल्क वसूल किया जाएगा। यह शुल्क 10 रुपये प्रति हजार के मूल्य पर 100 प्रतिशत से प्रारंभ होगा और इनमें मूल्य के प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उसके किसी भाग पर 5 प्रतिशत की दर से लगातार वृद्धि होती रहेगी। यह वृद्धि 300 प्रतिशत तक होगी।

वित्त मंत्री ने मोटर स्प्रिट पर लगाने वाले शुल्क में 80 रुपये प्रति किलो लीटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया। जिनमें 19-20 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। साथ ही अधिक सपन्न लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बन्दुओं पर उत्पादन शुल्क की दरें बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके अनुसार रेफ्रिजरेटों और एयरकंडीशनों पर 60 प्रतिशत और इनके पुर्जों पर 75 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा किन्तु प्रभावित वृद्धि 165 लीटर तक की क्षमता के रेफ्रिजरेटों पर लागू नहीं होगी क्योंकि इन्हें मध्यम वर्ग के लोग प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार उत्पादन शुल्कों से 118 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। आयात शुल्क

वित्त मंत्री ने आयात शुल्कों की चर्चा करते हुए सहायक शुल्क बसूत करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार जिन बन्दुओं पर मूल्यानुसार 100 प्रतिशत या इससे अधिक दर से सीमा-शुल्क लग रहा था उन पर 20 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगा। जिन पर 60 प्रतिशत या उससे अधिक सीमा शुल्क लग रहा था उन पर 10 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगा। और गैर बन्दुओं पर 5 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगा। इस उपाय से 36-50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की आशा थी।

तटकर और व्यापार सबधी साधारण समझौते के अंतर्गत आयात शुल्को की दरों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इनमें लकड़ी की लुगदी, चर्बी और प्लास्टिक का कुछ सामान सम्मिलित था। इन दरों के परिवर्तन से 18-70 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिलने की आशा थी।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों का प्रभाव जिन वस्तुओं पर पडा वे प्रायः गरीब जन-साधारण के उपयोग की नहीं हैं। जिन वस्तुओं पर करारोपण के भार में वृद्धि की गई है वे प्रायः जन सामान्य के दैनिक जीवन की परिधि में नहीं आती थीं। जहाँ तक औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र का प्रश्न था, इस बजट का प्रभाव अच्छा ही पडने की बात कही गई। बजट में पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर करों में रियायत, वंशानिव अनुमदान और विकास को प्रोत्साहन देने में राहत, बैंकों में सस्ती ब्याज दर पर ऋण की योजना के विस्तार एवं उमकी शर्तों में उदारता इत्यादि ऐसी विशेषताएँ हैं जो अवश्य ही विनियोग को प्रोत्साहन देंगी और मध्य वर्ग के उद्यमियों को जाने बढ़ाने में उत्साह मिलेगा।

## व्यय पक्ष

### प्रतिरक्षा व्यय

इस वर्ष के बजट में प्रतिरक्षा व्यय में कई वर्षों के बाद नाममात्र को बमी दिखाई गई। 1972-73 में प्रतिरक्षा पर कुल व्यय 1732 01 करोड़ रुपये हुआ था, जो बजट में प्रावधान में 192 करोड़ रुपये अधिक था। 1973-74 के बजट में प्रतिरक्षा पर 1729 61 करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया। प्रतिरक्षा पर कुल बजट का लगभग एक चौथाई भाग व्यय करने का दूरदर्शन कारण यह भी था कि 1968-74 के लिए जो प्रतिरक्षा योजना चल रही थी उसमें लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इतना व्यय करना अनिवार्य था।

### रोजगार की व्यवस्था

बजट में नए अवसर रोजगार के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिसका उद्देश्य क्षेत्रों में पाच लाख अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देना था।

पाचवी योजना के लिए अग्रिम कार्यवाही करने के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई जिससे पाचवी योजना के लाभ उस योजना-काल के भीतर ही उपलब्ध हो सकें।

इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, गंदी वस्तुओं के सुधार, ग्रामों में आवास स्थानों और पीने के पानी की व्यवस्था आदि के लिए 125 करोड़ रुपये की अलग से व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त बिजली की योजना पर व्यय करने के लिए 115 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया गया।

इसके साथ ही राज्यों को 119 करोड़ रुपये विशेष सहायता के रूप में, 79 करोड़ रुपये राजकीय योजनाओं से बाहर की परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में

तथा 100 करोड़ रुपये प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई।

बजट में पूर्व वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया उसमें ऐसी आशा व्यक्त की गई थी कि बजट में निर्वात को प्रोत्साहन के लिए सरकार बहुत कुछ करेगी परंतु बजट प्रस्तावों को देखकर यह आशा समाप्त हो गई। पिछले कुछ वर्षों में इजीनियरिंग तथा दूसरे गैर-परंपरागत वस्तुओं का निर्वात भी बहुत बढ़ा है। दूसरी ओर विकसित देशों में विकासशील तथा अर्धविकसित देशों में होने वाले आयातों को कम करने का निश्चय किया है। ऐसी दशा में लौहे एवं इस्पात पर 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क का इजीनियरिंग वस्तुओं के निर्वात पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है।

वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियाविन करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन का प्रबंध नहीं किया। इनके फलस्वरूप बजट का घाटा 85 करोड़ रुपये में बढ़ कर 200 करोड़ रुपये में भी ऊपर होने की सम्भावना तत्काल व्यक्त की गई थी। यह सम्भव धनराशि उत्पादन या विकास के कार्यक्रमों में खर्च नहीं होनी थी अतः इसमें महंगाई और बढ़ती जिनका भार आम जनता पर अधिक पड़ा।

वित्त ने चालू बजट के प्रस्तावों में यह दावा किया कि दिखावटी ऐम्बरग्रहण करनेवालों पर कर लगाया जा रहा है। परन्तु वहाँ ऐसी बनेक वस्तुएँ उनके जान से छूट गईं जो किसी भी रूप में सामान्य जन की वस्तुएँ नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए इस बजट में मदिरा पर कोई नया कर नहीं लगाया गया। कुछ राजनैतिक प्रेषक यह मानने लगे हैं कि मदिरा राजनैतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है और मदिरा उत्पादक कुछ वर्षों से राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगे हैं।

प्रस्तावित बजट में मशीनों पर आयात कर बढ़ा दिया गया है। इन मशीनों में मुख्यतः निर्यात की वस्तु बनती हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि आयातित वस्त्रों पर रियायती दर समाप्त कर 40 प्रतिशत की दर में आयात कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। इसमें 'रेडीमेड' वस्त्रों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

वित्त मंत्री ने बजट के अनुमान प्रस्तुत करने समय वित्त आयोग की शीघ्र जाने वाली रिपोर्ट के फलस्वरूप सम्भावित आर्थिक भार को दृष्टि में नहीं रखा। यह सम्भव है कि सरकार पर इसके फलस्वरूप काफी भार बढ़ गया। आज हमारा प्रशासनिक व्यय इतना अधिक हो गया है कि सरकार जनता के समुच्च मितव्ययिता का आदर्श उपस्थित करने की स्थिति में नहीं है। अतएव सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय को यथा सम्भव कम करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार बजट को त्वरित सामाजिक परिवर्तन के प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रयोग कर सकती है जो इस बजट की सफलता की कसौटी कही जा सकती है।

### 1974-75 का बजट

वित्तमंत्री ने केंद्रीय सरकार का 1974-75 का बजट प्रस्तुत करने हुए चेतावनी दी कि आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बजट का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि स्वीकार किया गया। आर्थिक वृद्धि कृषि और उद्योग, दोनों में होनी थी।

#### प्रस्तावित कर

1973-74 के मशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष पूर्वानुमान से कहीं अधिक 650 करोड़ रुपये का घाटा रहा है और करों की वर्तमान दरों के अनुसार 1974-75 में 311 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। इसलिए 186 करोड़ रुपये के नये कर लगाए गए हैं जिनमें घाटा 125 करोड़ रुपये का ही रह गया है। बजट का नीचे दिया गया विवरण इस तथ्य की पुष्टि करता है

(करोड़ रुपये में)

	1973-74	1973-74	1974-75
	बजट	मशोधित	बजट
राजस्व प्राप्ति	5079	5102	5455
			+186
व्यय	4778	4954	5404
	+301	+148	(+ )47
			(+ )186
पूजी प्राप्ति	2460	2686	3099
व्यय	2848	3484	3457
	(—)388	(—)798	(—)358
कुल घाटा	(—) 87	(—)650	(—)311
			+186
			शेष घाटा 125

कर प्रस्ताव जैसा कि प्रायः देखा गया है, बटु और मधुर दोनों प्रकार के होने हैं। इस बजट में व्यक्तिगत आयकर के लिए कुछ विशेष राहत दी गई। वित्त-मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये

कर दी। सभी स्तरों पर कर की दरों में राहत दी जिससे सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। सरकार ने प्रत्यक्ष कर जांच समिति की सिफारिशों इन मसूदों में स्वीकार की हैं परंतु मसूदों के साथ जांच समिति ने सिफारिश की थी कि कर छूट की सीमा 7,500 रुपये की जाए और इसमें पहले श्री दूरालिगम ने तो 12,000 रुपये की छूट देने का मुझाव दिया था। ऐसी अवस्था में सरकार द्वारा 6,000 रुपये से अधिक की छूट देने का प्रस्ताव लोगों में बचत करने तथा उच्च उत्पादन प्रयोजनों के लिए निवेश करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करेगा। प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन के कारण सरकार को 1975-76 में अतिरिक्त 14.4 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना थी।

जो प्रत्यक्ष कर लगाए गए हैं उनसे यह सकेत मिलता है कि उनका कोई सीधा प्रभाव साधारण व्यक्तियों के जीवन पर नहीं पड़ेगा। पांच लाख से ऊपर की संपत्ति और फिज, टेलीविजन सेट, बटिया बपडे, घराब, मोटर आदि पर करों में वृद्धि द्वारा यह दिखलाने का प्रयास किया है कि करों की बटासरी मुख्यतः विलास की सामग्री और धनी लोगों पर की गई है। जनसाधारण के प्रति वित्तमंत्री दयालु हैं यह दिखलाने के लिए उन्होंने ट्रेडरों, रेडियो सेटों पर कर नहीं बढ़ाए और सार्वजनिक अस्पतालों में लगने वाले फिजो पर उत्पादन शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की।

कार्यालयों में काम आने वाली मशीनों, शुष्क बैटरी सेलो, ढाक के सामान तथा चीनी मिट्टी के सामानों पर मूलानुसार उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि से सरकार को 2,027 करोड़ रुपये की आय होने की आशा थी। लोहे व इस्पात के उत्पादनों पर 7.1 करोड़ रुपये के नए कर लगेंगे। टेलीविजन सेटों के करों में मूलानुसार 10 से 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई। बजट में पहली बार टूथपेस्टों तथा डेंटल क्रीमों पर कर लगाए गए जिनसे कुल आय 8.20 करोड़ रुपये होगी थी।

सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क से केंद्र को 186.10 करोड़ रुपये प्राप्त होने थे। इसमें राज्यों को मिलने वाला भाग भी सम्मिलित है। अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से 1974-75 में 191 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा थी।

बजट में ढाक दरों में भी वृद्धि की गई। पोस्टकार्ड का मूल्य 10 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे, अतदेशीय पत्रों का मूल्य 15 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे तथा निफाफों का मूल्य 20 पैसे से बढ़ाकर 25 पैसे कर दिया गया।

छादी प्रामोद्योग को बढ़ावा देने वाले सम्मानों को आय कर से छूट दे दी गई।

### व्यय प्रस्ताव

कृषि और उद्योगों में वृद्धि हेतु कुछ आधारभूत वस्तुओं के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है, बजट में राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में 8,865

करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया। सबसे अधिक व्यय प्रतिरक्षा सवाओ पर किया गया जो 1680 करोड़ रुपये है। कृषि पर 222 करोड़ रुपये व्यय करने का निश्चय किया गया है। कृषि और उद्योगों में वृद्धि हेतु कुछ बुनियादी वस्तुओं के लिए बजट में समुचित व्यवस्थाएँ की गईं इसलिए ऊर्जा के साधनों, कोयला और बिजली में उत्पादन के लिए बजट में पहले की अपेक्षा अधिक धन की व्यवस्था की गई, इसीलिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः इसीलिए उत्पादन को बढ़ाने के लिए उद्योगों के आंतरिक साधनों के अलावा भी बजट में अतिरिक्त राशि का प्राविधान किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के निमित्त उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की गई है।

### मूल्यांकन

भारत जैसे निर्धन देश में किसी बजट के अच्छा होने की कसौटी यह है कि वह सामान्य जनता को कितनी राहत देता है और आर्थिक कठिनाइयों पर विजय पाने तथा देश को विकसित एवं आत्मनिर्भर बनाने में उमरा क्या योगदान है। इस कसौटी पर यदि नज़र जाए तो श्री चट्टाण का 1974-75 का बजट समीचीन ही प्रतीत होता है। कोयला तथा खाद-उत्पादन की मदों पर जिस धनराशि में वृद्धि की गई है उसे तेल सप्लाय एवं ऊर्जा अभाव के समय में उचित कहा जा सकता है। विकास छूट को एक वर्ष के लिए और बढ़ा देने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। उन उद्योगों को बहुत सुविधा मिली जिन्होंने मशीनों तथा प्लांटों के सौदे कर लिए थे और जो तेल के स्थान पर कोयले का प्रयोग करने की सोच रहे थे।

बजट में इस बात को ध्यान में रखा गया कि खादी और ग्रामोद्योग की उन्नति हो, इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष कर से मुक्त रखा गया। रक्षा व्यय के मद में पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग तीन अरब रुपये की वृद्धि कर देश को अधिक सुरक्षित बनाने की चेष्टा की गई। इन सब के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि बजट देश के सामने खड़ी चुनौती का सामना कर सकेगा।

प्रत्यक्ष कर में छूट का मुख्य लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी आय बहुत अधिक है। जहाँ पहले इन आयों पर कर की अधिकतम दर 97 प्रतिशत थी वहाँ उसे घटाकर 70 प्रतिशत कर दी गई। इससे करवचना में कमी की आशा की जा सकती है। परंतु इससे सामान्य व्यक्ति को राहत नहीं मिली। इन व्यक्तियों को राहत तब मिलती जब उन वस्तुओं के करों पर छूट दी जाती जो उनके दैनिक जीवन में काम आती हैं। ऐसा इस बजट में दिखाई नहीं देता। बजट प्रस्तावों में केवल इतना ही किया गया है कि उन पर करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

साबुन और टूयपेस्ट जैसे वस्तुएँ भी इन वार कर वृद्धि की चपेट में आ गई हैं ये वस्तुएँ प्रायः सभी वर्गों के लोगों द्वारा काम में लाई जाती हैं। इसलिए इनका महंगा हो जाना आम लोगों के बजट को अवश्य प्रभावित करेगा।

आयुक्त की बात है कि वित्तमन्त्री ने अपने बजट भाषण में विमुद्रीकरण का कोई उल्लेख नहीं किया जिससे बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए जाने वाले धन को नमान्य कर बाधिका कठिनाइयों पर विजय पाई जा सके और देश को नमान्यवाद की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

### पूरक बजट, जुलाई 1974

1974-75 के वार्षिक बजट का उद्देश्य धन के अभाव को रोकना पराम्य मात्रा में अतिरिक्त पूंजी उत्पादन और घाट की अर्थव्यवस्था पर निर्भरता को कम करना था। यह मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अपनाई गई मरूची उद्योगिता का एक भाग था। यदि 1974 के वर्ष के पिछले चार महीनों के नूत्यों के रूप को देखा जाए तो ज्ञात होगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा गंभीर बनी रही। जनवरी से मार्च के तीन महीनों में मूल्य औसत रूप में प्रति महीने 2.6 प्रतिशत बढ़े। इसकी तुलना में अगस्त से जून 1974 के तीन महीनों में नूत्यों में औसत प्रति माह 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे योजना और गैर योजना अर्थ में हुई वृद्धि के कारण मूल बजट का घाटा काफी अधिक हो जाने के खतरों का सामना करने के लिए वित्तमन्त्री ने 31 जुलाई 1974 को लोकसभा में 232 करोड़ रुपये का एक पूरक बजट प्रस्तुत किया।

पाच ही महीनों में दोबारा प्रस्तुत किए गए कर प्रस्तावों में से 1974-75 में केंद्र को 123 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों को लगभग 13 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। वित्तमन्त्री द्वारा लगाए गए प्रस्तावित करों का व्योम इस प्रकार है:

#### प्रत्यक्ष कर

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा भारत में दिए जाने वाले ऋणों में उनकी व्याज की जो सबल रकम मिलती है, उस पर 7 प्रतिशत का कर लगाया जाए।

स्फीतिकारी स्थिति के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में होने वाली अनाजित आय की ध्यान में रखते हुए पूंजीगत लाभ करों में वृद्धि की जाए। गैर निर्यात कर-दाताओं के पूंजीगत लाभ से कटौती की रकम को, जहां इस लाभ का सदस्य भूमि व मकानों से हो, 35 प्रतिशत में घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए, अन्य परिणामों के हस्तांतरण के कारण होने वाले लाभ के मामलों में यह कटौती घटाकर 50 प्रतिशत में 40 प्रतिशत की जाए।

दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ पर करणियों के मामले में कर की मात्रा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। यह वृद्धि भूमि तथा मकानों से मिलने वाले लाभ पर 45 प्रतिशत से बढ़ा कर 55 प्रतिशत की गई। दूसरे प्रकार की परिणामों के



हस्तान्तरण के कारण होने वाले लाभ पर लगाए जाने वाले कर की दर को 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 45 प्रतिशत की गई। इन परिवर्तनों से पूरे वर्ष में लगभग 5 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की आशा थी।

अप्रत्यक्ष कर

वित्तमंत्री ने बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं पर नए कर नहीं लगाए। बजट में यह प्रयास किया गया कि जनता के अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग पर कम से कम प्रभाव पड़े।

बजट में पहली बार के प्रोलेक्ट्स पर 50 प्रतिशत की दर से मूल्यानुसार शुल्क घोषित किया गया। कापियो, पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए काम में आने वाले कागज को सहायक शुल्क से छूट दी गई है।

मिगरेट पर बुनियादी शुल्क की दर 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 85 प्रतिशत कर दी गई। पहली बार सूटिंग, गैवरडीन, हाथ के काम किए इंप्रिंटेड अथवा कोटेड कपड़ों पर बुनियादी शुल्क के 33 33 प्रतिशत की दर से प्रभावी सहायक शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया गया। कागज और गत्ते की विभिन्न प्रकारों पर इस वर्ष दूसरी बार शुल्क बढ़ा। बुनियादी शुल्क 33 33 प्रतिशत की दर से सहायक शुल्क लगाया जाएगा। प्लास्टिक की देशी तथा विदेशी वस्तुओं के मूल्य के अंतर को कम करने के लिए सहायक शुल्क की दर को प्रभावी बुनियादी शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया। टायरों के मूल्यानुसार शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बिजली से चलने वाले बरधों द्वारा सुपर फाइन व मध्यम प्रकार के कपड़े तैयार करने के काम आने वाले सूती धागों पर मूल्यानुसार शुल्क की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया।

सोमेट पर अधिक आय होने के कारण बुनियादी शुल्क को 25 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत किया गया। तांबे, सरियो, छटो आदि पर 4000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से बुनियादी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा गया। स्टीन इ गोट और लोहे या इस्पात से बनी चीजों पर सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क के 75 प्रतिशत में बढ़ाकर 100 प्रतिशत और टिन प्लेटों और टिन की चादरों के सहायक शुल्क की दरों को प्रभावी बुनियादी शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया।

मूल्यावन

इस बजट में वित्तमंत्री ने धन एकत्र करने का एक अच्छा प्रयास किया है जिसमें सामान्य उपभोग की वस्तुएं अतिरिक्त बरों के जाल से बाहर रखी गईं। परंतु प्रो० २२५२२५ ०० ₹ टायणी बड़ी तीखी रही। उन्होंने कहा, 'यह बजट एक शिवागिया सरकार की मरणासन्न स्थिति में चौखने के समान है,

अतिरिक्त करो में से 84 प्रतिशत अग्रत्यक्ष हैं जिन्हें उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य और बढ़ जाएगा, यह बजट बना घन और बढ़ाएगा।' वाणिज्य उद्योग महासंघ के अध्यक्ष श्री वृष्णकुमार विहना ने ऋण पर व्याज की दर एक प्रतिशत बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए इसे मूल्य वृद्धिवाक्य बताया है। वास्तव में उत्पादन बढ़ाने के ठोस कदमों का कोई संकेत इस बजट में नहीं किया गया, न ही अनावश्यक व्यय कम करने का प्रयास किया गया।

वास्तविकता यह है कि नामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को नये कर की परिधि में न लाने का स्वागत मदन किया। आम धारणा यह है कि वित्तमंत्री ने अमीरों पर कर लगाया है। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं व उत्पादकों तथा व्यापारियों द्वारा कहाए जा रहे व्यापक मुनाफों को, जो प्रायः जाने घन के रूप में बचते हैं, वित्तमंत्री ने बढ़ोरने का प्रयास किया।

### 1975-76 का बजट

1975-76 के वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए पूंजी लगाने की दर में वृद्धि लाकर उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए गए। घाटे को कम करने तथा विकास के लिए साधन उपलब्ध बनने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने नए वित्तीय वर्ष में 288 करोड़ रुपये के दर प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इससे बजट का 464 करोड़ रुपये का घाटा 225 करोड़ रुपये रह जाएगा।

#### वार प्रस्ताव

वित्तमंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने 1975-76 के बजट में जो दर लगाए उनमें में कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं चीनी पर उत्पादन शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 37.5 प्रतिशत कर दिया गया। यह खूले बाजार में विक्रिते वाली चीनी पर लागू होगा। इससे 30 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। सभी खेडसारी इनादों पर अब सामान्य रूप से 17.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगेगा। इससे 19 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। खुली चाय पर शुल्क 10 से बढ़ाकर 15 पैसे कर दिया गया। निर्यात की जाने वाली चाय पर कुछ रिवाजत भी हो गई है। बुन निलाकर इससे 3 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

सोनेट पर बुनियादी शुल्क 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया। इससे 15.95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

मोटर स्पिंट पर शुल्क में 10 पैसे प्रति लिटर की वृद्धि की गई। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क वृद्धि से 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अनिमित्त तबाकू पर 3 रुपये प्रति किलो उत्पादन शुल्क लगाया गया। मशीनों से बनी बीही पर उत्पादन शुल्क 3 60 रुपये से बढ़कर 4 60 रुपये प्रति टन कर दिया गया। सिगरेट पर उत्पादन शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

तवाकू तथा तवाकू उत्पादों पर शुल्क वृद्धि तथा युक्तिकरण के परिणामस्वरूप 2688 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

यद्यपि एयरकंडीशनरो पर पहले ही 75 प्रतिशत का मूल्यानुसार शुल्क लगता है फिर भी इसरो बढ़ाकर 100 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटिंग और एयरकंडीशनिंग मशीनों और मशीनों के हिस्सों पर लगने वाले मूल्यानुसार शुल्क की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि शूगार और प्रमाधन सामग्री के बुनियाद शुल्क की 30 प्रतिशत की मूल्यानुसार मोजूदा दर को बढ़ाकर 40 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए।

बजट एक संक्षिप्त विवरण

		(करोड़ रुपये में)			
		अशोधित	बजट	अशोधित	बजट
		अनुमान	अनुमान	अनुमान	अनुमान
		1974-75	1975-76	1974-75	1975-76
राजस्व प्राप्ति		राजस्व खाने के भुगतान			
कर प्राप्ति	6128	6552	यामान्य सेवाएँ	1538	1789
		+ 288	* रक्षा सेवाएँ	1952	2036
घटाएँ			सामाजिक और		
कर-राजस्व में			सामुदायिक		
राज्यों का हिस्सा	1224	1333	सेवाएँ	426	482
		+ 49	* आर्थिक सेवाएँ	802	956
केंद्र का निवल	—	—	राज्यों आदि को		
			सहायक अनुदान	1142	1228
कर राजस्व	4904	5219		—	—
		+ 239*	जोड़ राजस्व खाने		
			के भुगतान	5800	6491
कर	—	—		—	—
राजस्व	1581	1656	राजस्व अधिशेष	625	384
					+ 239
जोड़ें केंद्र का	—	—		—	—
राजस्व	6485	6875*			
		+ 249			
	—	—			

पूँजी प्राप्तिया		पूँजी भुगतान			
रूप प्रदानगी	1230	1395	मानान्य सेवाएँ	18	21
बाजार रूप (निवल)	495	325	रक्षा सेवाएँ	205	238
विदेशी रूप (निवल)	595	613	मानाजित बीर		
अन्य प्राप्तिया	677	1096	सानुदायित		
—	—	—	सेवाएँ	51	61
जोड़ पूँजी प्राप्तिया	2997	3422	आशित सेवाएँ	1281	1213
—	—	—	रूप बीर		
कुल प्राप्तिया	9482	10304	अग्रिम	2692	2744
—	—	—	जोड़ पूँजी	—	—
कुल घाट	625	464	भुगतान	4247	4277
—	—	—	कुल भुगतान	10107	10768
—	—	-239*	—	—	—
—	—	=	कुल भुगतान	10107	10768
—	—	464	—	—	—
—	—	-239*	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	225	—	—	—

### \* बजट प्रस्तावों का प्रभाव

#### व्यय पक्ष

बजट में सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि और विजली को दी गई। कृषि तो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है ही, साथ ही विजली भी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है इसलिए वित्तमन्त्री ने 1975-76 के लिए कृषि संबंधी कार्यों के लिए 270 करोड़ रुपये की राशि रखी, जबकि चारू वर्ष में मसौदा अनुमान के अनुसार इसके लिए 193 करोड़ रुपये व्यय किए गए। विजली के उत्पादन के लिए 140 करोड़ रुपये अंतरक उत्पादन के लिए 192 करोड़ रुपये, कोयले के उत्पादन बढ़ाने के लिए 229 करोड़, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन के लिए 170 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये सभी राशियां गत वर्ष से अधिक हैं। इसके अनिश्चित इन्धन, सीमेंट, परिवहन और संचार व्यय तथा शिक्षा, समाज कल्याण आदि विषयक कार्यक्रमों के लिए भी समुचित राशियां रखी हैं।

आगामी साल के बजट में रक्षा सवाओं के लिए चालू साल की तुलना में 1 अरब 17 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। चालू साल में रक्षाव्यय 21 अरब 57 करोड़ रहा जबकि आगामी वर्ष के लिए 22 अरब 74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आगामी तालिका के अनुसार इसमें पूंजीगत व्यय भी शामिल है।

आगामी साल के बजट के अनुसार भारत रक्षा पर अपनी कुल आय का केवल 21 प्रतिशत व्यय करेगा जबकि पाकिस्तान अपनी आय का 60 प्रतिशत में अधिक मेनाओं पर खर्च करता है। अगले वर्ष स्थल सेना के लिए 15 अरब रुपये, नौसेना के लिए 1 अरब 34 करोड़ रुपये तथा वायु सेना के लिए 4 अरब 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

### मूल्यांकन

वर्तमान कराधान व्यवस्था के अनुसार सरकार को 464 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है। अनेक कर प्रस्तावों में घाटा 239 करोड़ रुपये कम हो जाएगा और वर्ष के अंत में अनुमानित घाटा 225 करोड़ रहे जाएगा। गत वर्ष सरकार ने बजट के 126 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान किया था परंतु वर्ष के अंत में मशोर्धन अनुमान के अनुसार घाटा 625 का होने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि घाटे में यह वृद्धि कमचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता देने रक्षा बजट बढ़ जाने आयातित तेल की कीमतें बढ़ने, अन्न का आयात करने, सूखे के कारण राज्यों को अधिक सहायता दिए जाने, सरकारी क्षेत्र के उद्योगों, उर्वरक आयात एवं केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर अधिक व्यय होने से अनिवार्य हो गई है।

किंतु यह बात विचारणीय है कि वित्तमंत्री ने जिन वस्तुओं को सम्भव विनाशिता की वस्तुओं की कोटि में रखकर शुल्क बढ़ाए हैं वे मध्यवर्ती और अल्प-वित्त लोगों के भी प्रयोग में आती हैं और विलासिता की वस्तुएं प्रायः औद्योगिक विकास का आधार होती हैं। जब तक ये वस्तुएं उत्पादित नहीं की जायेंगी, बिकेंगी नहीं तब तक औद्योगिकीकरण आगे नहीं बढ़ सकता और लोगों के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा नहीं हो सकता। फिर इन उद्योगों में सार्वजनिक लोगों का रोजगार देने की क्षमता भी है। अतः व्यापक दृष्टि में भी इनकी उन्नति के अनुकूल परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए।

## घाटे की वित्त व्यवस्था

घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रवधन निजी भी देश के वित्तीय माधनो में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। घाटे की वित्त व्यवस्था का मरन और मक्षेप में अर्थ यह है कि जब देश की सरकार का खर्च आय में अधिक बढ़ जाता है और उन खर्च हुए खर्च को अन्य वित्तीय माधनो द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता तब सरकार उसे नए नोट छाप कर पूरा करती है। हीनार्थ प्रवधन के अतर्गत अर्थ व्यवस्था में सरकार द्वारा नए नोट छापकर प्रभारित किए जाते हैं। अमरीका में तो सरकार द्वारा जनता से ऋण प्राप्ति को हीनार्थ प्रवधन माना जाता है।

### पाश्चात्य देशों की धारणा

पाश्चात्य देशों में हीनार्थ प्रवधन का प्रयोग इस रूप में किया गया है, 'हीनार्थ प्रवधन अर्थात् राजस्व प्राप्तियों की तुलना में सरकार द्वारा व्यय की अधि-कता, जिसमें कि पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित है। चाहे इस व्यय की पूर्ति बजट द्वारा उपलब्ध प्राप्तियों से ही क्यों न हो।' इन देशों में यदि बजट के घाटे की पूर्ति ऋणों द्वारा की जाती है तो भी उसे हीनार्थ प्रवधन माना जाता है। जैसाकि हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं, अमरीका में हीनार्थ प्रवधन का अर्थ सार्वजनिक ऋण से लिया जाता है। जब भी सरकार के खर्च आय से अधिक हो जाए और जिनकी पूर्ति के लिए सरकार बैंको या जनता से ऋण ले, घाटे की वित्त व्यवस्था मानी जाती है। डा० वी० के० आर० वी० राव ने इस विचार का विश्लेषण करते हुए कहा है, 'पाश्चात्य देशों में हीनार्थ प्रवधन का प्रयोग उन वित्तीय प्रवधन के लिए किया जाता है जिसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के मध्य जानबूझकर रखे गए अंतर अथवा बजट-घाटे को पूरा किया जाता है। इसलिए वित्त व्यवस्था के लिए ऋण की ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय के स्रोतों अथवा व्ययों में वृद्धि होती है। इसका यह अर्थ हुआ कि ऋण के फलस्वरूप बैंको अथवा निजी व्यक्तियों के अतिरिक्त धन का उपभोग होने लगता है या

वैको के पास नवीन जमा के निर्माण का प्रयोग सरकारी प्रतिभूतियों के खरोदने में होना है।' इस धारण के अनुसार हीनार्थ प्रबंधन सार्वजनिक ऋण द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था करना है जिसका परिणाम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है। यह वृद्धि चाहे निष्क्रिय पड़े धन को उपयोग में लाने में हो या बैंक द्वारा साख निर्माण करने से हो।

किंतु भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग कुछ भिन्न अर्थ में लिया गया है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से अभिप्राय उस व्यवस्था में है जिसका द्वारा सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नोट निर्गमन करती है या केंद्रीय बैंक से ऋण की सहायता लेनी है। भारतीय योजना आयोग ने घाटे की वित्त व्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी है 'बजट घाट की वित्त व्यवस्था का प्रयोग बजट के घाटे द्वारा कुल राष्ट्रीय व्यय में प्रत्यक्ष वृद्धि का प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये घाटे चाहे राजस्व खाते से संबंधित हों या पूंजी खाते से। ऐसी नीति अपनाने का सार यही होता है कि सरकार अपनी उस आय से अधिक मात्रा में व्यय करती है, जो उसे करारोपण, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय, जनना से प्राप्त ऋण विशेष एवं निधि तथा अन्य सहायता में उपलब्ध होती है। सरकार इस घाटे की पूर्ति या तो अपने संचित कोषों को काम में लाने करती है या बैंकिंग व्यवस्था ( मुख्यतः देश के केंद्रीय बैंक से और इस प्रकार साख का निर्माण करके ) से उधार लेकर'।<sup>1</sup>

जब भारत सरकार को बजट का घाटा पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उपलब्ध नहीं हो पाती तो वह अपनी प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक को हस्तांतरित कर देती है। रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों के बदले में नोट छाप कर सरकार को देता है। इस प्रकार नई मुद्रा का निर्माण होता है। जब सरकार ऐसी नवीन पत्र मुद्रा से बजट के घाटे को पूरा कर अपने कार्यक्रमों को वित्तान्वित करती है तो यही व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। इस सदर्भ में डा० राव न उल्लेख किया है, 'जब सरकार जान बूझकर किसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आय से अधिक व्यय करे और अपने घाटे की पूर्ति किसी भी ऐसी रीति से करे जिससे देश में मुद्रा की मात्रा बढ़े तो उसे हीनार्थ प्रबंधन कहना चाहिए।'।

उपरोक्त विवरण में स्पष्ट है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का आशय चाहें जो भी लिया गया हो उसमें निम्न दो बातों का सक्त अवश्य मिलता है

(1) सरकार जानबूझकर बजट में घाटा उत्पन्न करती है, तथा

(2), देश, मं, मयु. की पूर्ति में वृद्धि होती है।

घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्य

घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो सकता है।

(1) मंदी काल को दूर करने के लिए : मंदी काल में मुद्रा का अभाव उभरा है। मंदी काल को दूर करने के लिए हीनार्थ प्रवर्धन को अपनाया जा सकता है। जनरीका में मंदी के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का वाश्रय लिया गया है।

(2) निजी विनियोग के अभाव को दूर करना . जब देश में निजी विनियोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होत तो उत्पादन की प्रिया मद पड़ जाती है। इन स्थितियों को दूर करने के लिए सरकार नोटों का निर्गमन करके या ऋण लेकर नामान्य आय से अधिक व्यय करती है।

(3) युद्धकालीन व्यय को पूर्ण के लिए . युद्ध काल में बढ़े हुए व्यय को पूरा करने के लिए घाटे की अव्यवस्था का प्रयोग किया जाता है।

(4) आर्थिक विकास हेतु . चूंकि जल्प विस्तृत एवं पिछड़े देशों में पूँजी की आवश्यकता होती है, अतः विकास के लिए बड़ा पर्याप्त मात्रा में पूँजी उपलब्ध नहीं हो पाती। विकास करने के लिए भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इन विकास योजनाओं का अर्थ प्रवर्धन करने के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है।

### घाटे को वित्त व्यवस्था का उपयोग

घाटे की वित्त व्यवस्था का परिणाम मुद्रास्फीति व बढ़ती हुई महंगाई के रूप में सामने आता है। वैसे तो मूल्य वृद्धि के अनेक कारण होते हैं किन्तु घाटे की व्यवस्था इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नोट छाप कर अथवा सावजनिक ऋण लेकर व्यय करने का मार्ग अपनाती है। परन्तु सर्वत्र ऐसा ही हो यह आवश्यक नहीं है। यह बात मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग वित्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है।

### मंदी काल में घाटे की वित्त व्यवस्था

मंदी काल में घाटे की वित्त व्यवस्था अधिक उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हीनार्थ प्रवर्धन से देश की अर्थ व्यवस्था में अनुसूत परिणाम निकलते हैं। मंदी काल में सामान्यतः माग कम हो जाती है और लोगों की अर्थशक्ति घट जाती है, उत्पादन और रोजगार उत्तरोत्तर कम होता चला जाता है। कीम्व का यह मत सर्वथा उपयुक्त है कि अवसाद काल में प्रभावपूर्ण माग कम हो जाने से रोजगार भी कम हो जाता है। माग कम हो जाने के कारण उत्पादन पहले से भी कम हो जाता है और रोजगार पर और भी अतिक्रम बुरा प्रभाव पड़ता है। देश प्रभावपूर्ण माग और रोजगार के निरंतर गिरने के विपरीत ऋण में पस जाता है।



इस स्थिति को सुधारने का बबल एवं उपाय यही है कि लोक व्यय द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक निर्माणकार्य के रूप में सरकारी व्यय रोजगार तथा उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा लोगों में त्रय शक्ति बनाने में सहायक हो सकता है, इन प्रकार लोक व्यय के द्वारा तथा कृषि कुचक को तोड़ा जा सकता है तथा मांग और रोजगार में वृद्धि की एक क्रमिक गृह्यता को प्रारंभ किया जा सकता है। त्रय शक्ति की वृद्धि समाज की मांग को बढाने में समर्थ होती है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है तथा नैजी उद्यम भी उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप रोजगार में वृद्धि होनी है जो मांग को बढाने में सहायक होता है। मांग की इस वृद्धि से उत्पादन तथा रोजगार को पुन बढ़ावा मिलता है और देश मदी काल के कुचक से मुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक व्यय ही एक मनुजन कारक के रूप में कार्य करता है। परन्तु सरकारी व्यय की वृद्धि के लिए साधारण स्रोतों में आय पर्याप्त नहीं होती। फलतः घाटे की वित्त व्यवस्था को ही अपनाया पडता है।

पाश्चान्त्य देश जो आज औद्योगिक अवस्था के शिखर पर पहुँचे हुए हैं उन्हां भी मदी काल के दुष्परिणामों से मुक्ति पाने के लिए हीनार्थ प्रवर्धन का ही सहारा लिया है। मयुक्त राज्य अमरीका ने मदी काल के दोषों से बचने के लिए हीनार्थ प्रवर्धन का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। मदी काल में हीनार्थ प्रवर्धन के प्रयोग की यह विशेषता है कि इसका मुद्रा स्फीतिजनक प्रभाव नहीं पडता। घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में जो स्फीति उत्पन्न होनी है देश के कुल उत्पादन को बढ़ा देती है जिसके और स्फीतिजनक प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होते।

**युद्धकाल में घाटे की वित्त व्यवस्था**

युद्धकाल में घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेने से मुद्रा स्फीतिजनक परिणाम सामने आते हैं क्योंकि कुल क्रय शक्ति ( अर्थात् मुद्रा की मात्रा ) तथा वस्तुओं की मांग में तो वृद्धि हो जाती है, परन्तु वस्तुओं की प्राप्ति में कमी हो जाती है। उत्पादन इसलिए घटता है क्योंकि उत्पात्ति के साधन अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढाने के लिए गतिशील किए जाते हैं।

**आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था**

वर्तमान समय में आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग बहुत बड गया है। यद्यपि प्राचीन अर्थशास्त्री घाटे की वित्त व्यवस्था को हानिकारक समझते थे, परन्तु आजकल इसे न केवल अपनाया ही जाता है बरन इसे आर्थिक विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अल्पविक्रमिण अर्थव्यवस्थाओं में देश के मुफ्त और अविदसिन साधनों का विदोहन करके देश का आर्थिक विकास करने के लिए अप्रतिष्ठ पूजी की आवश्यकता पडती है। ऐसी स्थिति में

सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेती है और नोट छापकर विवादास्पद योजनाओं पर व्यय करती है। सरकार नई मुद्रा का जो मूजन करती है उससे समाज में ऋण शक्ति का प्रसार होता है। निर्मित मुद्रा के द्वारा जो नई मांग पैदा होती है, यदि वह वस्तुओं की पूर्ति के बराबर ही है तब स्फीति का कोई डर नहीं रहता। किंतु वास्तव में यह होता है कि वस्तु की पूर्ति मांग की अपेक्षा अक्षर बन रहती है। अतः घाटे के वित्त प्रवर्धन का तात्कालिक प्रभाव यह होता है कि बोनस बंट जाती है, अर्थात् मुद्रा स्फीतिजनक परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति को निम्न रूप में और भी बताना है

(1) चूंकि अल्प विकसित देशों में व्यक्तियों का रहन-सहन का स्तर नीचा रहता है इसलिए अर्थव्यवस्था में प्रविष्ट ऋण-शक्ति बचाने के ध्यान पर व्यय कर दी जाती है और इनमें अर्थव्यवस्था के अतर्गत कुल जन-शक्ति में और भी वृद्धि हो जाती है।

(2) अल्प विकसित देशों में चूंकि तकनीकी उपकरण सभी उत्पादन युक्ति-घाटों का पहने में ही पूर्णतया उपयोग किया जा चुका होता है इसलिए घाटे की वित्त व्यवस्था उत्पादन को नहीं बढ़ा पाती।

(3) अल्प विकसित देशों में सामान्यतः मृशित मुद्रा का अधिव्यापन मांग ऐसी दीर्घकालीन प्रयोजनाओं पर लगाया जाता है जिनसे एक लंबी अवधि के पश्चात् प्रतिफल प्राप्त होते हैं। परिणामतः सरकार के व्यय में वृद्धि (अर्थात् समाज में ऋण शक्ति का प्रसार) तो वर्तमान समय में होती है, लेकिन उस व्यय के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि काफी समय के पश्चात् होती है।

(4) चूंकि अल्प विकसित देशों में विदेशी विनिमय की भी कमी रहती है इसलिए विदेशों में उपनोद्योग की वस्तुओं का आयात भी अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त घटकों के परिणामस्वरूप एक ओर अर्थव्यवस्था में ऋण शक्ति का प्रसार होता है तो दूसरी ओर उत्पादन अथवा आयात में उतनी ही मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती। परिणामतः मुद्रा स्फीतिजनक दबाव बढ़ जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि (क) विनियोगों और उनके प्रतिफल के बीच समय का अंतर जितना अधिक होगा स्फीति की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी तथा (ख) वस्तुओं की मांग और पूर्ति में जितना अधिक असंतुलन होगा उतनी ही अधिक कीमतों में वृद्धि होगी।

एक अल्प विकसित देश में मुद्रा स्फीति के बड़े विनाशकारी परिणाम सामने आते हैं। आंतरिक क्षेत्र में मरुति का वितरण अधिक गिराने से जाता है। लोगों में मर्दों की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ती हैं, बचत कम हो जाती है, विदेशी मुद्रा कोप में कमी होती है और साथ ही साथ विदेशी बाजारों में देश की साख गिर जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। यह अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देती है और आर्थिक विकास

के लिए किए गए प्रयत्नों को व्यर्थ बना देती है। घाटे का वित्त प्रवर्धन यदि मुद्रा स्फीतिजनक स्थितियाँ उत्पन्न करता है तो निश्चय ही यह खतरे की घटी है। घाटे की वित्त व्यवस्था के मुद्रा स्फीतिक प्रभाव को सरकार निम्न उपायों के द्वारा निष्पन्न या कम कर सकती है

(1) ऐसे उत्पत्ति कार्यों पर व्यय किया जा सकता है जिनसे उत्पादन शीघ्र हो बढ़े।

(2) उपभोग की आवश्यक वस्तुओं, जैसे खाद्यान्न तथा कपड़ा आदि की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है जिससे उनके मूल्य में वृद्धि न होने पाए।

(3) वस्तु के वितरण व मात्तायत पर नियंत्रण और राशनिंग का उपयोग किया जा सकता है ताकि मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सके और अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग को कम किया जा सके।

(4) साख्य विस्तार पर सीद्दिन नियंत्रण लगाया जा सकता है। पूजिगत वस्तुएँ (मणोनरी इत्यादि) तथा उपभोग वस्तुओं की मात्रा में विदेशी महापता से वृद्धि की जा सकती है।

(5) देश के लोगों की अधिक श्रम-शक्ति को कर अनिवार्य बचत, साव-जनिक ऋण आदि रीतियों के द्वारा कम किया जा सकता है।

(6) लोगों से इस प्रकार की अपीन की जा सकती है कि वह नित्य प्रति के व्यय को कम करे और अपनी बचत बढ़ाए।

उपरोक्त साधनों का प्रभाव यह पड़ेगा कि (1) समाज के पास जो अनि-रिक्त श्रम-शक्ति है वह सरकार के पास आ जाएगी जिससे मुद्रा स्फीति कम हो जाएगी, तथा (ii) वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा जिससे उनका मूल्य नहीं बढ़ पाएगा।

अतः घाटे की वित्त व्यवस्था मुद्रा स्फीतिजनक शक्तियों को उत्पन्न करेगी या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर होगा

(1) के उद्देश्य, जिनके लिए घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाई गई है।

(2) घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा व सीमा।

(3) मुद्रास्फीति के प्रभाव को रोकने या निष्पन्न बनाने के लिए अपनाए गए उपाय।

डा० राव के शब्दों में 'घाटे का अर्थ प्रवर्धन अपने में न अच्छा है और न पुष्ट और न ही घाटे के अर्थ प्रवर्धन में मुद्रास्फीति स्वभावतः निहित है।'

मूल्य स्तर और घाटे की वित्त व्यवस्था

घाटे की वित्त व्यवस्था में समाज के कुल व्यय में वृद्धि हो जाती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण में अनुसार यह वृद्धि तब होती है जब सरकार घाटे को पूरा

करने के लिए केंद्रीय बैंक या बैंको न उधार लेनी है या मरचारी प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य प्रत्यक्ष रूप न बैंको द्वारा किए जाने से जमाओ की उत्पत्ति हो जाती है अथवा कभी-कभी जनता स्वयं प्रतिभूतियों को त्रय करने के लिए अपनी नकद धनराशियों का उपयोग करती है और इस प्रकार जनता द्वारा संचित एवं निष्क्रिय पडी हुई नकद पूंजी सक्रिय हो जाती है। इन दोनों प्रवृत्तियां का यह परिणाम होता है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय वृद्धि के कारण मूल्य स्तर ऊंचा होने लगता है। इस प्रकार, घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा उत्पन्न गटे मुद्रा को जब सरकार व्यय करती है तो लोगों को अतिरिक्त क्रय-शक्ति प्राप्त हो जाती है और परिणामस्वरूप मूल्य ऊपर चढ़ने लगते हैं। यहा यह ध्यान देना योग्य बात है कि मुद्रा की पूर्ति केवल उतनी ही मात्रा में नहीं करनी जितनी कि सरकार द्वारा घाटे की वित्त व्यवस्था की जाती है बरन यह मुद्रा बैंको द्वारा माख-उत्पत्ति का आग्रार बन जाती है। इस प्रकार व्यवहार न घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा की अपेक्षा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न की गई अतिरिक्त क्रय-शक्ति में अधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप, मूल्य-स्तर अधिक ऊंचा उठ जाता है। इस प्रकार घाटे की वित्त व्यवस्था के दोनों ही दृष्टिकोणों ने बढ़ते हुए व्यय में मूल्य स्तर बढ़ने लगता है। मदीकाल में मूल्य-स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में घाटे की वित्त व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है। परंतु जब शुल्क मंचालन अथवा आर्थिक विकास के व्यय की पूर्ति के लिए इसका सहारा लिया जाता है तो इसमें मुद्रा-प्रसार के अनरनाक दोष दृष्टिकोचर होने लगते हैं।

डा० राब ने लिखा है कि 'घाटे की वित्त व्यवस्था में मूल्यों में थोड़ी सी वृद्धि अवश्य होती है, परंतु इससे घाटे की वित्त व्यवस्था को मुद्रा-प्रसार का कारण नहीं मान लेना चाहिए। मूल्यों में होने वाली वृद्धि मुद्रा-प्रसार का रूप उन समय लेती है जबकि मूल्य वृद्धि का दूषित रूप आरंभ होता है, अर्थात् एक बार मूल्यों में वृद्धि होने के बाद मूल्यों में पुनः वृद्धि होती है और यह क्रम निरंतर आगे चलता रहता है।

### घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमाएं

प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा क्या हो सकती है। इस संबंध में कोई निश्चित राशि का उल्लेख करना कठिन है। हीनार्थ प्रबंधन की सुरक्षित सीमा क्या होगी यह कई बातों पर निर्भर करती है।

(1) स्फीति सम्भावनाएँ : घाटे की वित्त व्यवस्था की सुरक्षित सीमा का अनुमान उसके द्वारा उत्पन्न की गई मुद्रा मशीनिक परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। यह जाशिस रूप में इन बात पर निर्भर करता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था किस मात्रा में की गई है। यदि घाटे की व्यवस्था जन मात्रा में की जाती

है और मूल्यों की वृद्धि पर बड़ा नियंत्रण रखा जाता है, जिमसे स्फीतिजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न न हों तो घाटे की वित्त व्यवस्था सुरक्षित ममज्ञी जाती है।

(2) धन्य की प्रकृति, अनुत्पादक कार्यों की अपेक्षा उत्पादक कार्यों के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा सकता है, क्योंकि वस्तुओं की मांग की वृद्धि के साथ-साथ देश में उत्पादन भी बढ़ जाता है। फलतः वस्तुओं का मूल्य अधिक नहीं बढ़ पाते।

(3) अतिरिक्त फ्रय शक्ति को बटोरना - घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव और उसकी सीमा सरकार द्वारा अतिरिक्त फ्रय शक्ति बटोरने की क्षमता पर निर्भर करती है। यदि सरकार नव निर्मित मुद्रा को बरारोपण द्वारा तथा अनिवार्य बचत की सहायता स शीघ्रता से पुन एवन्न कर सकती है तो वह बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपना सकती है।

(4) अतिरिक्त फ्रय शक्ति को निष्क्रिय करना - घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि अतिरिक्त फ्रय-शक्ति को निष्क्रिय बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं? इस संबंध में एक विधि भौतिक नियंत्रण अर्थात् मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की है। यदि सरकार मूल्य नियंत्रण और राशनिंग की नीति अपनाती है तो ऐसी स्थिति में जनता एक निश्चित मूल्य पर वस्तु की एक निश्चित मात्रा खरीद सकेगी और समाज के पाम जो अतिरिक्त मुद्रा रहती है वह बिना खर्च किए बेकार पड़ी रहती है। बैंकों के पास रहने वाले नवद कोष की मात्रा बढ़ाकर भी कुछ मुद्रा की मात्रा को निष्क्रिय किया जा सकता है।

(5) मुद्राविहीन अर्थव्यवस्था : यदि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग मुद्रा विहीन है तो घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग अधिक मात्रा में किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, भौतिक शक्ति बढ़ेगी और मुद्रा की मांग बढ़ेगी। इस प्रकार मुद्रा बिना स्फीतिकारक प्रभाव उत्पन्न किए ही अर्थव्यवस्था में छप जाएगी।

(6) जनता की मनोवृत्ति अंतिम घटक जो घाटे की वित्त व्यवस्था की सीमा का निर्धारण करती है वह जनता की मनोवृत्ति है अर्थात् जनता क्या तक त्याग करने को तैयार है? यदि आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण उपस्थित किया गया है और जनता के प्रारंभिक कष्टों को सहन करने के लिए तैयार किया गया है तो घाटे की वित्त व्यवस्था अधिक मात्रा में की जा सकती है।

संक्षेप में वित्त व्यवस्था की सीमा विकास की आवश्यकता और उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की समता पर निर्भर करता है। हा, यह ध्यान रखना चाहिए कि घाटे की वित्त व्यवस्था का उपयोग अर्थव्यवस्था में नियमित भोजन के तौर पर नहीं, बरन केवल एक दवाई के तौर पर करना चाहिए।

## योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में घाटे की वित्त व्यवस्था का महिष्ठ विवरण निम्न तालिका से प्रदर्शित होता है

योजना काल में घाटे की वित्त व्यवस्था  
(करोड़ रुपयों में)

• योजना	अनुमानित राशि	कुल वित्तीय साधनों का प्रतिशत	बाल्बन्धक राशि	कुल वित्तीय साधनों का प्रतिशत
प्रथम योजना	290	14 प्रतिशत	420	21 प्रतिशत
द्वितीय योजना	1200	25 "	954	20.4 "
तृतीय योजना	550	7 "	113.3	13 "
1966-67 में				
1968-69 तक की तीन बर्षीय योजनाएँ	335	7.1 "	682	10.1 "
चतुर्थ योजना	850	5.3 "	2060	12.7 "
पञ्चम योजना	2200	5.0 "	—	—

उपरोक्त स रिणी का अध्ययन करने में यह स्पष्ट होता है कि हीनार्थ प्रबध देश के विकास की योजनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हीनार्थ प्रबध की मात्रा में प्रत्येक योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है तथा अनुमानित और बाल्बन्धक राशि में भी काफी अन्तर रहा है। प्रस्तावित अनुमान की तुलना में बाल्बन्धक हीनार्थ प्रबध अधिक मात्रा में हुआ है।

प्रथम योजना काल : प्रथम योजना काल में प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 290 करोड़ रुपयों का हीनार्थ प्रबध करने की व्यवस्था थी जो कि कुल वित्तीय साधनों का 14 प्रतिशत था। परन्तु प्रथम योजना काल में बाल्बन्धक हीनार्थ प्रबध 420 करोड़ रुपयों का हुआ जो कि कुल वित्तीय साधनों का 21 प्रतिशत था। अन्य साधनों से पर्याप्त मात्रा में वित्त प्राप्त नहीं हो सका। देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए 11 मूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया। अठ योजना के कुल खर्च में वृद्धि हुई थी जिससे हीनार्थ प्रबध की मात्रा बढ़ी। प्रथम योजना एक सफल योजना थी। भारी मात्रा में हीनार्थ प्रबध करने पर भी जर्ब-व्यस्था पर उसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं था। अनुकूल मौसम के कारण विन्धी क्षेत्र

में उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य 15 प्रतिशत में भी अधिक 19 प्रतिशत हुई। परिणामस्वरूप मूल स्तर में 13 प्रतिशत की कमी हुई थी।

**द्वितीय योजना काल** प्रथम योजना की सफलता को देख कर द्वितीय योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी उद्देश्यों वाली बनाई गई थी। द्वितीय योजना में 1200 करोड़ रुपये का अर्थात् कुल वित्तीय साधनों का 25 प्रतिशत हीनार्थ प्रबंध करने की अनुमानित व्यवस्था की गई थी। परंतु योजना के अंत में हीनार्थ की वास्तविक राशि 954 करोड़ रुपये आती गई जो कि कुल वित्तीय साधनों का 20.4 प्रतिशत थी। द्वितीय योजना एक उद्योग प्रधान योजना थी। देश का तीव्र गति से औद्योगिकरण करने के लिए भारी मात्रा में निविद्योग करना था परंतु योजना के मध्यकाल में ही अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो जाने के कारण द्वितीय योजना के निर्धारित उद्देश्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। योजना के उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ा। प्रतिकूल मौसम के कारण खाद्य समस्या मूल्य वृद्धि, चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमणों के कारण सुरक्षा व्यय में वृद्धि भुगतान समुलन की समस्या आदि कारणों से द्वितीय योजना के काल में उसका पुनर्वालीकन करना पड़ा। द्वितीय योजना काल में मूल्य वृद्धि 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक रही। अतः वित्तीय अनुशासन अपनाना आवश्यक हो गया। बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए हीनार्थ प्रबंध को निषिद्ध रखा गया। परिणामस्वरूप योजना के अंत में वास्तविक हीनार्थ प्रबंध की राशि 954 करोड़ रुपये की ही हुई।

**तृतीय योजना काल :** तृतीय योजना में हीनार्थ प्रबंध की अनुमानित राशि 550 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जो कि कुल वित्तीय साधनों का 7 प्रतिशत थी। चूंकि प्रथम एवं द्वितीय योजना में भारी मात्रा में हीनार्थ प्रबंध हो चुका था और देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार के लक्षण उत्पन्न होने लगे थे। मूल्यवृद्धि तेजी से होने लगी थी। प्रथम योजना में जहां 13 प्रतिशत मूल्यों में कमी हुई थी वहां द्वितीय योजना में 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। अतः तीसरी योजना में हीनार्थ प्रबंध को कम महत्त्व दिया गया। परंतु फिर भी तीसरी योजना के अंत में हीनार्थ प्रबंध की वास्तविक राशि 1133 करोड़ रुपये थी जो कि कुल वित्तीय साधनों का 13 प्रतिशत थी। तीसरी योजना में हीनार्थ प्रबंध की मात्रा में इतनी अधिक वृद्धि का कारण विदेशी आक्रमण के कारण सुरक्षा व्यय में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त इस समय यह भी महसूस किया गया है कि भारी मात्रा में हीनार्थ प्रबंध रुपये बिना तेजी से अधिक विकास नहीं किया जा सकता।

तीसरी योजना के पश्चात् 1 अप्रैल 1966 से चौथी पंचवर्षीय योजना को चालू होना था। परंतु अर्थव्यवस्था में उत्पन्न विभिन्न आर्थिक समस्याओं के कारण चतुर्थ योजना का तीन वर्षों के कार्यकाल के स्थान पर वार्षिक योजनाएं चालू की गईं। इन तीनों वार्षिक योजनाओं में कुल वास्तविक हीनार्थ प्रबंध की राशि 682

करोड़ रुपये रही थी जो कि कुल विनीय माधनों का 10% प्रतिशत था। 1966-67 की वार्षिक योजना में 189 करोड़ रुपये, 1967-68 में 224 करोड़ रुपये तथा 1968-69 में 209 करोड़ रुपये का हीनायं प्रवध हुआ था।

**चतुर्थ योजना काल :** चतुर्थ योजना का प्रारम्भ 1 अप्रैल 1969 में हुआ। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य 'स्थिरता के साथ विकास' रखा गया। अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए हीनायं प्रवध की राशि कम में कम रखने का निश्चय लिया गया क्योंकि तीना पंचवर्षीय योजनाओं तथा तीन वार्षिक योजनाओं में भारी मात्रा में हीनायं प्रवध हो चुका था। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के लक्षण के रूप में मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने लगी थी अतः चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों में 806 करोड़ रुपये का हीनायं प्रवध हो चुका था तथा अंतिम दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये प्रति-वर्ष के हिसाब से कुल 400 करोड़ रुपये का हीनायं प्रवध और होगा ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार चतुर्थ योजना काल में भी वार्षिक हीनायं प्रवध की राशि अधिक ही रहेगी।

**पंचम योजना काल :** पंचवी योजना के मन् 1974 से 79 के वर्षों में (मन् 1972-73 के मूल्यों के आधार पर) 53,411 करोड़ रुपये का विनियोजन किया जाएगा। इस में से सार्वजनिक क्षेत्र में 37,250 करोड़ रुपये तथा निजी क्षेत्र में 16,161 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पंचवी योजना में सरकारी क्षेत्र के वित्त प्रवध में घाटे की वित्त व्यवस्था लगभग 2,200 करोड़ रुपये की जाएगी। इस योजना काल में प्रस्तावित रूप में इससे अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था की सम्भावना है क्योंकि पिछले वर्षों में केंद्र सरकार के बजट के घाटों में अनुमान से कई गुना अधिक वृद्धि हुई है।

मन् 1973-74 में सामान्य मूल्यों में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप योजना के लागत व्यय में और अधिक वृद्धि की सम्भावना है। लागत व्यय में यह अप्रत्याशित वृद्धि निश्चित रूप में सरकार को अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए विवश करेगी।

**घाटे की वित्त व्यवस्था का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव**

हीनायं प्रवध एवं दुबारी तरवार के समान हैं। यदि इसका प्रयोग सतत, तथा सम्भावनी से सीमित मात्रा में किया जाए तो बड़े लाभप्रद परिणाम दे सकती है और यदि इसका प्रयोग अनियमित मात्रा में सम्भावनी में किया जाए तो यही देश की अर्थव्यवस्था में भयंकर आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न कर देती हैं। जिनका समाधान करना सरकार, अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारकों के लिए कठिन हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में भारी मात्रा में हीनायं प्रवध करने से देश की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित मुख्य प्रभाव पड़े हैं -



(1) मूल्यो में वृद्धि निरंतर तेजी में हो रही है। चतुर्थ योजना के इन चार वर्षों में ही लगभग 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है। सामान्य जनता को मूल्य वृद्धि के कारण काफी कठिनाइया का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के लिए यह भारी समस्या हो गई है कि बढ़ते हुए मूल्यों को कैसे रोका जाए ?

(2) मूल्य वृद्धि के कारण सरकार के विभिन्न निर्माण तथा विनाम के व्यय में भी काफी वृद्धि हो जाती है। बढ़ते हुए खर्च को पूरा करने के लिए पुनः तदर्थ प्रवृत्त करना जरूरी हो जाता है जिसमें मूल्य वृद्धि को और बढ़ावा मिलता है।

(3) मूल्य वृद्धि के कारण ही सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में समय-समय पर वृद्धि होती रही है क्योंकि जीवन निर्वाह के सूचकांक में एन निश्चित वृद्धि होने के पश्चात् वेतन या महंगाई भत्ता बढ़ाना ही पड़ता है इसमें भी सरकारी खर्च बढ़ता है जिसे पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रवृत्त करना जरूरी हो जाता है। इससे वेतन प्रेरित मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(4) मूल्य वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। भारत में भी उत्पादन लागत बढ़ाने से मूल्य बढ़ें और लागत प्रेरित वृद्धि मुद्रा प्रसार उत्पन्न हुआ है।

(5) रुपये की अर्थ शक्ति में उत्तरोत्तर कमी होने से उसके मूल्य की स्थिरता की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इसी कारण 1966 में रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा था, और अवमूल्यन के पश्चात् विदेशी बाजार में आशातीत वृद्धि नहीं हुई है। पुनः रुपये के मूल्य का पुनर्बिलोकन करने की आवश्यकता हो जाती है।

(6) सुरक्षा पर भारी मात्रा में व्यय चालू रखना अनिवार्य हो गया है क्योंकि विदेशी आक्रमणों का भय दूर नहीं हुआ है।

ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था 'हीनार्थ प्रवृत्त एवं मूल्यवृद्धि' के 'द्रूपित चक्र' में फँस गई है। मूल्यवृद्धि के इस द्रूपित चक्र को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा एक और मूल्य नियंत्रण के विभिन्न प्रभावशाली उपाय काम में लिए जा रहे हैं तो दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि आगे आने वाली विकास की योजनाओं में हीनार्थ को कुछ समय के लिए त्याग दिया जाए या उसकी न्यूनतम राशि रखी जाए एवं उस पर हड़ रखा जाए और उपयोग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

## राजकोषीय नीति तथा आर्थिक गतिविधियां

राजकोषीय नीति का आभाव सरकार के व्यय, करों और ऋण संबंधी विचारों में है। आर्थिक स्थायित्व और पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के ऐसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में यह नीति आधुनिक युग में अधिनाधिक प्रयोग में लाई जान लगी है। इस नीति की लोकप्रियता केवल समाजवादी देशों में ही नहीं अपितु पूंजीवादी देशों में भी अर्धदिव्य है। सुद्धोत्तरकाल में अन्धविक्रम मुद्रा प्रसार ने और शोभा की महान नशी ने इसे बहुत प्रोत्साहन दिया है। वर्तमान युग में सरकारी बजट असंव्यवस्था के मुल अन्व व्यय का एक बड़ा प्रतिफल होता है जब कि अर्थशास्त्री पूर्ण यह वेतन निम्न प्रतिशत मात्रा हुआ करता था। आजकल राजकोषीय नीति पूर्व की अर्थशास्त्री अधिक प्रभावशाली बन गई है।

### राजकोषीय नीति का अर्थ

राजकोषीय नीति का अर्थ सरकारी कर तथा व्यय नीति के निर्धारण में है। आजकल प्रत्येक देश की सरकार की ऋणनीति राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई है। जो देश विकास के लिए उद्यत हैं उन्हें वित्त की पूर्ति इन साधनों से करनी पड़ती है। ऐसे देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने, राष्ट्रीय आय की बनी तथा पूंजीव्यय के अभाव के कारण केवल बचतरोपण द्वारा ही वांछित वित्त की पूर्ति नहीं की जा सकती। फलस्वरूप कर, ऋण तथा घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा वित्त की पूर्ति की जा सकती है।

सरकार समय-समय पर अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती है तथा उसमें प्राप्त धन को अनेक मर्कों पर व्यय करती है। इनमें निजी उद्योगों व नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान भी सम्मिलित होते हैं। सरकार अपनी कर नीति के द्वारा यह निर्धारण करती है कि देश के लोगों से कितनी आय शक्ति प्राप्त की जाए तथा केंसे प्राप्त की जाए? राज्य की व्यय नीति में भी के निर्णय सम्मिलित होते हैं जिनका सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में आय तथा व्यय के प्रवाह

पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋणनीति का संवध भी लोगों के व्याज का भुगतान करने, ऋण चुकाने की अवधि पूरी होने पर उनका भुगतान करने तथा भिन्न ऋणों को वापस लेना मंजूर करने से संबंधित निर्णयों से है। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि राजकोपीय नीति का संवध मौलिक रूप में अर्थव्यवस्था में आय को निजी व्यय तथा बचत के क्षेत्र से हटाकर सरकार की ओर मोड़ना है।

### राजकोपीय नीति के उद्देश्य

प्राचीन समय से ही राजकोपीय नीति में कर का उद्देश्य आय प्राप्त करना तथा व्यय का उद्देश्य देश की सुरक्षा तथा आंतरिक शांति बनाए रखना था। वैसे तो राजकोपीय नीति के उद्देश्य किसी देश की आर्थिक परिस्थितियों के प्रारूप पर निर्भर करते हैं परन्तु आजकल वित्त विज्ञान के अनुसार इनके उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित करना, देश में आर्थिक विकास को संभव बनाना, आय का न्यायोचित वितरण करना आदि हैं। वर्तमान बजट अर्थव्यवस्था में स्थिरता और पूर्ण रोजगार की अवस्था को प्राप्त करने का एक मुख्य मध्य है तथा विश्व के सभी देशों में बजट द्वारा इन अवस्था को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है।

20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सरकारी बजट कुल आय तथा व्यय का एक छोटा भाग हुआ करता था। राजकोपीय नीति का अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करने में कोई विशेष प्रभाव नहीं था। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी बजट का अर्थव्यवस्था में कुल आय तथा रोजगार के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

### राजकोपीय नीति के अंग

राजकोपीय नीति के विभिन्न अंग इस प्रकार हैं

**कर-नीति** - सरकार द्वारा आरोपित करों का समाज के विभिन्न वर्गों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता है। करों की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी से उपभोग, उत्पादन वृद्धि तथा विनियोग में भी कमी अथवा वृद्धि होती रहती है। इसका कारण यह है कि जनता की पहले में अधिक अथवा कम आय सरकार को देनी पड़ती है। इनके परिणामस्वरूप अन्य सभी मदों पर कमी करना आवश्यक होता है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले ऊँचे करा का औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है जिससे रोजगार की मात्रा में भी कमी की संभावना रहती है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से निर्यात पर भी प्रभाव पड़ता है। फलस्वरूप देश की मुद्रा की विनिमय दर गिरने लगती है और आर्थिक विकास के अवरोध होने की स्थिति आ जाती है। इसका कारण यह है कि अधिक आय वाला ही आय का अधिकांश भाग कर के रूप

में चला जाता है और उन्हें पुरानी औद्योगिक इकाइयों के विकास तथा नवीन इकाइयों को स्थापित करने की प्रेरणा नहीं मिलती। बर्गों की मात्रा कम करने में लोगों की प्रयत्नशक्ति में वृद्धि होती है। उद्योगपतियों को उत्पादन बढ़ाने का उत्साह बढ़ता है तथा बचत और विनियोगों का भी प्रोत्साहन मिलता है। अतः एक प्रजातान्त्रिक विकासशील अर्थव्यवस्था में बर्गों को दूर सीमित रखनी चाहिए अन्यथा अर्थव्यवस्था का विकास मनुष्यता तथा भीमिन रूप में होगा। समाजवादी तथा अनियंत्रित अर्थव्यवस्था में जहाँ मान एव पूर्ति का मूल्य निर्धारण में विरोध महत्त्व नहीं होता बरनोति जन कल्याण की दृष्टि से निर्धारित न होकर मुख्यतः शासकदल की भावनाओं को मनुष्य करने के लिए निर्धारित होती है।

विगत वर्षों में बरनीति में अनेक दोष उत्पन्न हो गए हैं। जनस्वरूप बर्गों की समूची कठिन हो गई है और बर व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ा गया है। विश्व के अनेक देशों की बर व्यवस्था इस रोग से पीड़ित है। बर समूची भी अनुमान से कम होने से नए बर नगाना आवश्यक हो जाता है तथा पुगने बर्गों की बर्गों में परिवर्तन करना पड़ता है जिसमें अर्थव्यवस्था के विकास को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। अतः यह देखा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में बर नीति 'एक से छीन कर दूसरे को देने' की होती है किन्तु अक्सर यह देखा गया है कि उद्योगपति मूल्य प्रणाली को इस प्रकार समाधोजित करते हैं कि बर का अधिकांश भार उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इससे निम्न तथा मध्यमवर्गों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है। अतः मनुष्यता आर्थिक विकास के लिए बरनीति लोचदार एवं व्यावहारिक होनी चाहिए तथा उसका सञ्चालन मुख्यतः मूल्य रूप में तथा हस्तापूर्वक किया जाना चाहिए, जिससे कि उद्योगों की पूर्ति की जा सके।

**व्यय नीति :** सरकारी व्यय की नई आय की तुलना में अधिक निश्चित होती है। प्रजातान्त्रिक देशों में सरकार अपनी आय को इस प्रकार व्यय करती है जिसमें लोगों को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो तथा आर्थिक विकास तथा आय के अधिकतम स्रोत निर्मित हो सकें। व्यय करने की व्यवस्था की तरह सरल तथा सुव्यवस्थित बनानी चाहिए। ऐसा नहीं करने से निश्चित राशि न केवल अनुचित क्षेत्रों एवं अवाञ्छित हाथों में चली जाती है बल्कि व्यय का कोई परिणाम भी प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार बरोह रूपे व्यय करने पर भी देश में रोजगार, उत्पादन अथवा मानविय व्यवस्थाओं में कोई सुधार के संकेत नहीं दीखते।

बर्गों-बर्गी सरकारी व्यय आय में अधिक हो जाता है। यह न तो व्यवस्था का बिन्दु होता है और न दोषपूर्ण नीति का चेतन। जो देश विकासशील व्यवस्था में होते हैं उनमें तो घाटे के बजट बनाने की परंपरा पाई जाती है। घाटे की व्यवस्था दो तरह से की जाती है - प्रथम, नोट निर्गमन करने और द्वितीय, ऋण प्राप्त करके। ये दोनों नीतियाँ एक दूसरे की विरोधी हैं तथा उनके परिणाम भी प्रायः विपरीत ही निकलते हैं।

उपरोक्त घाटे को वित्त व्यवस्था को दोनों रीतियों में नोट निर्गमन द्वारा घाटे को पूर्ति करने की रीति प्रायः मुद्रा प्रसार की अवस्था को उत्पन्न करती है क्योंकि सरकार इस घन से सामाजिक कल्याणकारियों (बहुमुखी योजना रेल, मडक, नहरें आदि) को संपादन करती है जिनका प्रतिफल तत्काल नहीं मिलता बल्कि दीर्घकाल में मिलता है। अतः अधिक मुद्रा के चलन के माध्यम-माध्य उत्पादन में तात्कालिक वृद्धि नहीं होती। परन्तु स्वीति की गति धीरे-धीरे बढ़ जाती है। सरकार का व्यय यदि ऐसे उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए हुआ हो जिनमें तन्त्रानुसार मिलने की सम्भावना हो अर्थात् शोध लाभ पट्टाचालने वाले हों तो स्वीति दुरी नहीं होती। इसका कारण यह है कि मुद्रा की वृद्धि की पूर्ति उत्पादन वृद्धि में ही हो जाती है। इन बातों में यह स्पष्ट है कि घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाते समय यदि इस बात का ध्यान में रखा जाए कि उन राशि का विनियोजन केवल दीर्घकालीन लाभ देने वाले क्षेत्रों में ही नहीं हो रहा है तो कीमतों में स्थायित्व बनाए रखा जा सकता है। इन दृष्टि में कुल राशि का दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उद्योगों में समुचित विनियोग करना आवश्यक है।

बजट के घाटे को पूर्ति के लिए ऋण लेने का कदम उठाया जाता है तो इसमें व्यापारिक बैंकों के नियंत्रण कम होने लगते हैं। इसमें उनकी माध्य निर्माण की शक्ति घट जाती है। जब यह क्रिया मौद्रिक अधिकारियों के सहयोग में ही पूर्ण की जानी चाहिए। सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋणों पर प्रायः व्याज दर कुछ अधिक दी जाती है ताकि ऋणों की पूर्ति सरकार से हो सके। सरकारी प्रतिभूतियाँ बहुत तरल संपत्ति नहीं होतीं क्योंकि उनकी कीमतों में उच्चावचन होते ही रहते हैं। अतः बैंकों के लिए आकर्षण की वस्तु नहीं होती है। सरकार को मुद्रा बाजार में धन की स्थिति को देखते हुए ही ऋण लेने चाहिए। सरकार द्वारा लिए गए ऋण मुद्रा तथा साख की स्फीति को कम करने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं इसलिए इनके माध्यम से बढ़ते हुए मूल्यों को रोक जा सकता है।

## राजकोपीय नीति तथा आर्थिक स्थिरता

आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए राजकोपीय नीति का जो स्वरूप अपनाया जाता है उस प्रतिक्रियायुक्त राजकोपीय नीति कहते हैं। राज्य अपनी आय में अधिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में आय, रोजगार तथा आर्थिक क्रियाओं के विस्तार करने में सहायक मिश्रण हो सकता है तथा व्यय में कमी करके तथा करों में वृद्धि करके अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय, तथा आर्थिक क्रियाओं के स्तर में गिरावट कर सकता है। इस प्रकार राज्य अपनी बजट नीति द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण करता है। आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए यदि राजकोपीय नीति को एक मंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है तो राज्य द्वारा अपने बजट के आधार तथा समय का नियंत्रण

करना अनिवार्य है। मजोप में आर्थिक स्थिरता के लिए बजट नीति सभी मजदूरों को मजदूरी है, जब कि राज्य को यह ध्यान रहे कि किस समय अपनी आय की तुलना में अधिक व्यय तथा किस समय अपनी आय की तुलना में कम व्यय करना चाहिए। यदि मुद्रा प्रसार की अवस्था में राज्य घाट के बजट नीति अपनाकर आय की तुलना में अधिक व्यय करने लग जाए तो राजकोषीय नीति आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि मुद्रा प्रसार की दशा में व्यय को बढ़ाने की समस्या नहीं बल्कि अधिक व्यय को कम करने की समस्या होती है। राज्य इस स्थिति का नियमन करेगी कि बजट बनाकर तथा जमा में भारी कमी करने तथा कर में वृद्धि करके अपनी आय को बढ़ाने के। करों की वृद्धि का परिणाम होगा कि लोगों की उपभोग्य आय में कमी होगी, इससे उनकी व्यय करने की शक्ति कम हो जाएगी तथा अर्थव्यवस्था मनुष्यनि स्थिति की ओर अग्रसर होगी। इसके विपरीत मजदूरों में करों के बजट बनाने में अर्थव्यवस्था में मजदूरों का रोग और अधिक बढ़ने लगेगा तथा राजकोषीय नीति आर्थिक स्थिरता को प्राप्त न करके वर्तमान आर्थिक स्थिरता को और अधिक उग्र बना देगी। परन्तु यह नीति मुद्रा प्रसार की अवस्था में उपयुक्त साधन का काम दे सकती है।

सरकार को अपनी वर्तमान बजट संतुलन की नीति के ध्यान पर बजट को व्यापार चक्र की समन्वय अवधि में संतुलित रखने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि आर्थिक स्थिरता को सहज प्राप्त हो सके। इस नीति के अनुसार राज्य को अर्थ-व्यय आर्थिक समृद्धि तथा अति पूर्ण रोजगार की अवधि में बेरोजगार तथा बेरोजगारी और मजदूरों की अवस्था में घाटा बजट प्रस्तुत करने चाहिए जिससे आर्थिक स्थिरता को प्राप्त किया जा सके। इसका तात्पर्य यही है कि व्यापार चक्र की अवधि में अधिकतम समय में असंतुलित बजट रहना चाहिए। पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संतुलित बजट उचित होता है।

## स्फोति विरोधी राजकोषीय नीति

अर्थव्यवस्था में स्थिति की रोकथाम के लिए तथा आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। स्थिति को रोकने के लिए राजकोषीय नीति का निम्नलिखित तीन प्रकार में उपयोग किया जाता है

### (1) सार्वजनिक व्यय

जब वस्तु मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही हो तो मौद्रिक नीति (साख नियंत्रण आदि) के साथ-साथ विद्वान रूप में राजकोषीय नीति का प्रयोग भी किया जाता है। सर्वप्रथम तो सरकार को अपने प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद में यथा-संभव वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहां तक हो सके कम महत्त्व वाली योजनाओं को स्थगित करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नई पूंजी केवल अनिवार्य

होने पर ही समार्द्ध जानी चाहिए। यदि घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाई जा रही हो तो ऐसी स्थिति में उसे बंद कर देना चाहिए। सरकारी व्यय में कमी करने के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि पुराने करो में वृद्धि करने तथा कुछ नए कर लगाकर समाज के लोभ के हाथों से अतिरिक्त प्रयत्न शक्ति को घाँच लिया जाए, इन सब कार्यवाहियों का उद्देश्य सरकारी व्यय में कमी करना है, इनके भविष्य में मुद्रा का चलन कम होकर स्फीति की अवस्था समाप्त हो जाएगी।

परंतु सरकारी व्यय में कमी करने की अपनी निश्चित सीमाएँ होती हैं। सबूट बाल की स्थिति में विशेषकर युद्ध के समय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के कारण यह गंभव नहीं होता कि सरकारी व्यय में कमी की जा सके।

### (2) कर

करो की वृद्धि से स्फीति को रोका जा सकता है। करो की वृद्धि के प्रमुख दो उद्देश्य होना चाहिए—प्रथम, कर इन प्रकार लगाए जाने चाहिए, जिससे अर्थ-व्यवस्था के संपूर्ण उपभोग-व्यय को कम किया जा सके तथा दूसरे, निवेश व्यय में भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में साधना की कमी होती है। साथ ही मौद्रिक निवेश में वृद्धि होने के लिए वास्तविक निवेश में कोई वृद्धि नहीं होगी। स्फीति बाल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हानि के वस्तुओं की पूर्ति में और अधिक वृद्धि करना कठिन हो जाता है तथा मूल्यों को स्थिर रखने का एकमात्र उपाय वस्तुओं, विशेषकर उपभोग वस्तुओं की माँग को सीमित रखना है। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि लोगों की आय इतनी कम हो जाए कि वे कुल उपभोग पर केवल इतना मौद्रिक व्यय करें जितने कुल माँग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाए। आय कर में इन प्रकार वृद्धि की जाए जिससे निम्न तथा मध्यमवर्ग के लोगों पर इतना भार पड़ सके, बिना कर तथा उत्पादन करो में वृद्धि करने समाज के कुल उपभोग की पूर्ति के अनुसार कम किया जा सकता है। अंत में स्फीति के समय राजरोपीय नीति के अनुसार करो की गहराई तथा विस्तार में वृद्धि की जानी चाहिए।

### (3) ऋण

आजकल ऋण को राजरोपीय नीति का एक अंग माना जाने लगा है। स्फीति बाल में लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है। अतः केवल सरकारी व्यय में कमी तथा करो में वृद्धि करने से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। करो में वृद्धि करने से जनता द्वारा विरोध किया जाता है। इस कारण सरकार करो में अधिक वृद्धि नहीं कर सकती है। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की करो की वृद्धि से सरकार जनता का विश्वास खो बैठती है। अतः ऐम देशों में करो की वृद्धि किसी निश्चित सीमा में ही की जानी चाहिए। यदि सामान्य करो में वृद्धि भी की जाती है तो इसके अपवचन की प्रियाएँ बढ़ने लगती हैं।

उपरोक्त बातों की दृष्टिगत रखते हुए सरकार को जनता के पास<sup>में</sup> अनि-रिक्त धनराशि ढींचने के लिए एक व्यवस्थित ऋणयोजना चालू करनी चाहिए। सरकार की यह ऋणयोजना स्थीति निवारक मिद्ध होगी। विभिन्न प्रकार के वचन-पत्र निर्गमित किए जाते हैं जिन पर उचित व्याज के अनि-रिक्त इनाम की व्यवस्था भी की जा सकती है। सामूहिक वचत अभियान चलाए जा सकते हैं जिनमें लोगों को वचन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अनिवार्य वचत योजना को लागू करने भी गंभीर स्फीति की अवस्था पर नियन्त्रण किया जा सकता है। इंग्लैंड भारत तथा विश्व के अन्य देशों में पुरस्कार वचत वाढ योजना स्फीति को रोकने के लिए लागू की गई है। भारत में यह योजना जो 1960 में लागू की गई थी, सफल नहीं हो सकी। केवल इतना ही नहीं, प्रव्याजि पुरस्कार वाढ योजना जो 1960 ई० में लागू की गई थी, पूर्ण सफल नहीं हो सकी।

### मदी काल में राजकोषीय तीति

मदी अथवा अवसाद की स्थिति में देश को सत्रुणं अर्थव्यवस्था की स्थिति अन्यत दमनीय हो जाती है। आर्थिक त्रिप्राए प्राप्त मुप्तावस्था में हो जाती है तथा विनि-योजन की वृत्ति समाप्त हो जाती है। जनता के पास ऋय-शक्ति की अत्यन्त ही कमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार का करो में छूट देने का ऋन जारी हो जाता है तथा अनि-रिक्त मुद्रा निर्गमित करके आय की कमी की पूति की जा सकती है।

मदी का प्रभाव कम करने के लिए सरकार रोजगार के अनेक नवीन स्रोत आरम्भ कर सकती है। उदाहरणार्थ, सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में समस्त माग के स्तर को बढ़ाती है, जिससे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की परिस्थिति में वचत तथा निवेश में सतुलन प्राप्त कर सके। सार्व-जनिक निर्माण कार्यों पर व्यय करने से एक लाभ यह होगा कि अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय में आरम्भ व्यय के गुणगुणा वृद्धि हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था चैतन्य की ओर गतिमान हो जाती है। सरकार निक्षे क्षेत्र में भी निवेश की मात्रा में वृद्धि करके और रोजगार तथा आय में वृद्धि करके उपभोग में भी वृद्धि कर सकती है। इस प्रकार के निवेश वृद्धि प्रभाव सकार्य होंगे तथा अर्थव्यवस्था में मदी का रोग भी आनिशोघ्न दूर हो जाएगा। यह करो में छूट देकर भी किया जा सकता है। निवम कर, परिमपति कर, आय कर, लाभार्ज कर इत्यादि में कमी करके निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को नए उद्योगों का निर्माण तथा पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अनि-रिक्त सरकार द्वारा लिए गए पुराने ऋणों का अवधि से पूर्व भुगतान किया जाना चाहिए। ऐसा करने में लोगों की आय में वृद्धि होगी जिनमें उनके उपभोग व्यय में कुछ वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार में भी वृद्धि हो सकेगी।



## अल्पविकसित देश तथा राजकोपीय नीति

किसी देश में आर्थिक विकास करने के लिए लोगों तथा उनकी सरकारों के पास अनेक उपाय हैं, परंतु उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय सरकार की राजकोपीय नीति है। विकासशील देशों में उनकी पूंजी निर्माण की समस्या का समाधान करने में राज्यवित्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। किसी देश में पूंजी-निर्माण या पूंजी-संचय करने में आजकल सरकार की भी काफी जिम्मेदारी है। यह कार्य लोगों की बचत करने तथा खर्च करने की प्रवृत्तियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें राजकोपीय नीति का मुख्य काम यह है कि वास्तविक आय में जो वृद्धि है उसका अधिक से अधिक भाग बचा लिया जाए और यथासंभव कम से कम भाग तत्कालीन उपयोग बढ़ाने में लगाया जाए। हमारे शब्दों में, इसका अर्थ यह है कि सरकार राजकोपीय नीति द्वारा, अर्थात् कर लगाकर या ऋण लेकर या अपने खर्च को समुचित मात्रा में घटा कर या बढ़ा कर ऐसा करे कि देश में बचत बढ़े और उपभोग पर व्यय कम हो।

संक्षेप में विकासशील देशों में राजकोपीय नीति का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है

- (1) आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विनीय साधन जुटाना
- (2) आंतरिक तथा विदेशी प्रभाव से मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करना,
- (3) उपभोग को नियंत्रित करना, जिससे आर्थिक साधन उपभोग से हटा कर विनियोग में प्रवाहित किए जा सकें,
- (4) बचत तथा विनियोग को बढ़ाने के उपाय करना
- (5) आर्थिक साधनों को जनता से लेकर सरकार को हस्तांतरित करना, जिससे सार्वजनिक विनियोगों को प्रोत्साहन मिले,
- (6) विनियोग के टाचे को समुचित रूप में परिवर्तित करना,
- (7) आर्थिक विपत्ताओं को कम करना।

सोमंत बचत प्रवृत्ति आर्थिक विकास में एक अत्यावश्यक तथा आधारभूत निर्धारित तत्त्व है। परंतु अधिकतर यह देखा गया है कि उन्नत देशों की देखादेखी अल्पविकसित देशों में लोगों की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाती है जिससे उनकी बचत करने की शक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार उनमें रोजगार बढ़ने में यह एक रुकावट बन जाती है। अब राजकोपीय नीति से इस रुकावट को दूर करना है। इसका एक उपाय तो यह है कि कर लगाकर लोगों का उपभोग व्यय कम कर दिया जाए। इस प्रकार मानो उन्हें अनिवार्यतः खर्च कम करना पड़ता और बचत बढ़ जाती। अर्थशास्त्र में आरोपित बचत का प्रयोग इसी अर्थ में होता है।

सरकार कर लगाकर लोगों को बचत करने पर विवश करती है। वरों द्वारा कराई गई मजदूरी बचत स्फीति के वाग्य होन वाली बचत में घेष्ट है, क्योंकि मुद्रास्फीति ही एक नीमा के बाद लोगों पर एक ऐसा प्रभाव डालती है कि बचत करने की शक्ति मात्र समाप्त हो जाती है। लोग अपनी संचित पूंजी का उपभोग करने लग जाते हैं। स्फीति के कारण हुई आरोपित बचत अर्थव्यवस्था के उत्पादन के टांचे को विह्वल या खराब कर देती है। इससे दिनाम पदार्थों के उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि स्फीति जाल में आय गरीबों के हाथ से निकलकर धनवानों के पास चली जाती है। इसलिए ऐसी अवस्था में बचत फिजूल खर्चों का रूप धारण कर लेती है।

वरों द्वारा बचत करने के सबब में यह आपत्ति उठाई जाती है कि सब लोग स्वयं बचत नहीं करेंगे और वारोपण के कारण लोग शायद अपनी बचतें कम कर दें परन्तु इसका कोई भय नहीं होना चाहिए कि सरकार द्वारा की गई अनिर्वास सामूहिक बचत के कारण लोगों द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत स्वेच्छापूर्व बचतें नष्ट हो जाएगी। अक्सर यह देखा गया है कि लोग कर भी देते रहते हैं और बचत भी करते रहते हैं। किन्तु बचत को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि कर आय पर नहीं बल्कि खर्च पर लगाए जान चाहिए। लोगों के खर्च पर उत्पादन कर तथा अन्य परोक्ष कर तो पहले भी लगे होते हैं। अब निजी उपभोग पर एक व्यापक कर लगाया जाए। इस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी आय का जो भाग बचत कर ले, उस पर आय कर में छूट दी जा सकती है, जैसा कि आदर्शन आय पर कर लगाते समय औषधबीमा निष्ठ पर छूट दी जाती है। यदि वरों द्वारा बचत न करनी हो तो उपरोक्त बर्च या आरोपित ऋण भी लिए जा सकते हैं। ये भी अनिर्वास बचत की तरह ही होते हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय उपायों का सक्रिय प्रयोग होना चाहिए। विभागत वित्त के सिद्धांत के अंतर्गत मार्गदर्शित आय और व्यय की नीतियों का स्वरूप विभागत होना चाहिए। लोक व्यय का उद्देश्य केवल प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करना ही न हो बल्कि इसके उत्पादन, आय तथा रोजगार पर पड़ने वाले प्रभावों की भी ध्यान में रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर घाटे के बजट बनाना भी उचित होगा, इसी प्रकार वारोपण का उद्देश्य केवल आय प्राप्त करना ही न हो अपितु प्रभावपूर्ण भाग को नियंत्रित करना भी होना चाहिए।

### राजकोषीय नीति एवं पूर्ण रोजगार

आधुनिक युग में प्रत्येक सरकार की आर्थिक तथा मौद्रिक नीतियों का उद्देश्यपूर्ण रोजगार प्राप्त करना होता है। इन नीतियों के अंतर्गत विभिन्न नीतियों द्वारा पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इन नीतियों की विवेचना पूर्ण

रोजगार एवं राजस्व के प्रतिष्ठित संबंध को स्पष्ट करती है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजकीय नीति पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने में केवल अल्पसंख्यक रूप में कार्य करती है। राजकीय नीति एवं पूर्ण रोजगार को पारस्परिक निर्भरता के संबंध में पहले हम प्राचीन मत का अध्ययन करेंगे।

### श्रमव्यय का प्राचीन मत तथा पूर्ण रोजगार

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत था कि स्वतंत्र प्रजातंत्र में पूर्ण स्वयं भाग उत्पन्न कर लेनी है। जे० बी० से के बाजार सिद्धान्त की मान्यता यह है कि 'पूर्ति' अपने लिए भाग की स्वयं सृष्टि करनी है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि प्रत्येक देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। यदि किसी समय पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती तो यह समझना चाहिए कि उत्पादन व्यवस्था में सरकार का परोक्ष हस्तक्षेप होता है। स्वतंत्र नीति में विश्वास करने वाले इन अर्थशास्त्रियों ने मतानुसार बेरोजगारी स्वयं श्रमिक की अपनी इच्छा में होती है। उन्होंने श्रमिकों को दोषी ठहराने हुए कहा कि बेरोजगारी इसलिए भी होती है कि वे अधिक मजदूरी चाहते हैं। इस प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसका कारण या तो मजदूरी हस्तक्षेप ही सकता है या धर्म सगठन। यदि ऐसा नहीं होता तो पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। इस प्राचीन विचारधारा के अनुसार सरकार के प्रभाव द्वारा निजी भी प्रकार से मजदूरी भाग उत्पन्न नहीं हो सकती और न ही रोजगार बढ़ाया जा सकता है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार राज्य को अपना बजट समुचित रखना चाहिए। इन व्यक्तियों की यह मान्यता है कि समाज में एक व्यक्ति की वृत्त दूसरे व्यक्ति द्वारा विनियोजित कर दी जाती है। निजी विनियोग स्वयं ही पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होते हैं, अतः निजी विनियोग के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रोजगार सिद्धांत अंतर मान्यताओं तथा धार्मिक धारणाओं पर आधारित है। उनकी यह मान्यता कि निजी विनियोग स्वयं पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित करने है तथा राज्य का हस्तक्षेप उसे प्रभाव देना है, अल्पसंख्यक सिद्ध हो चुका है। वर्तमान युग में कोई सिद्धांत स्वतंत्र अर्थतंत्र या पूर्णतया पूँजीवादी अवस्था को आधार मानकर नहीं बनाना चाहिए। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारणों से सभी देशों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है जिसमें स्थिति में विवाद की अपेक्षा सुधार हुआ है। अतः रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत को स्वीकार करना विकास एवं गतिशीलता की अवहेलना करनी होगी। प्राचीन अर्थशास्त्रियों के इस सिद्धांत की रूढ़िवादी सिद्धांत या रूढ़ सिद्धांत कहा जाता है।

### आधुनिक मत

पूर्ण रोजगार का आधुनिक विचार 1930 की विश्वव्यापी मंदी के बाद प्रकाश में आया, कीन्स, जो अब तक प्राचीन विचारधारा का समर्थक था, अब उनकी वही जालोचना करने लगा। सन् 1930 के महामंदी कााल में यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिष्ठित मिडल्टन मौनिक रूप में कितना ही आवश्यक मजदूरी परन्तु व्यावहारिकता की बसोटी पर खरा नहीं उतरता। कीन्स का कहना था कि 'प्रतिष्ठित मिडल्टन का अनुभवों तथा तथ्यों पर प्रयोग करना ध्यान एक अनर्थकारी है। उनका विचार ने आधुनिक समय में यह कहना समझ नहीं कि जो कुछ हम उपभोग नहीं कर पाते उसका उपभोग व्यापारी वर्ग विनियोग के रूप में कर लेता है। सामान्य में समझ भी यह है कि यदि हम उपभोग नहीं करेंगे तो व्यापारी विनियोग के लिए पैसा नहीं होंगे। अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि विनियोग और उपभोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। उपभोग के अभाव में विनियोग नहीं होंगे। दोनों एक साथ घटते या एक साथ बढ़ते हैं। यदि किसी समय सामाजिक व्यय संपूर्ण उत्पादक साधनों को प्रयोग में लाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हम यह स्वीकार करने हैं कि राज्य बाप में जाधिक व्यय करके राष्ट्रीय आय में निश्चित रूप से वृद्धि कर सकता है। यही कारण है कि आज मनुजित दृष्ट के सिद्धांत की मान्यता प्राप्त नहीं है।

कीन्स ने सचेत किया है कि पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए दक्षत में कमी करनी चाहिए तथा सार्वजनिक व्यय के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग को बढाना चाहिए। कीन्स के मतानुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोग की अपेक्षा बचत के बढ़ने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि अतिरिक्त आय के उत्पन्न होने के साथ उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग नहीं बढ़ती, जिनका उत्पादन किया गया है। इसलिए अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कीन्स ने इसी कारण इन बात पर बल दिया कि सार्वजनिक व्यय द्वारा प्रभावपूर्ण मांग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने के लिए यदि घाटे की वित्त व्यवस्था का भी अनुसरण किया जाए तो अनुचित न होगा, क्योंकि इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

कीन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए उपभोग और विनियोग दोनों को बढाना जरूरी है। विनिर्माणों में वृद्धि करने के लिए सार्वजनिक व्यय की वृद्धि एक उपयोगी जन्म है। हेंसन का विन्यास था कि निजी क्षेत्र में विनियोग की वृद्धि न 'समुत्पन्न उत्तेजित' तथा अति अभावपूरक व्यय का उपयोग किया जा सकता है। समुत्पन्न उत्तेजित का उपयोग उक्त समय किया जाएगा जब विगड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार को एक मुक्त धनराशि व्यय करनी होगी। समुत्पन्न उत्तेजित का आधार यह पूर्वकल्पना होती है कि अम्पाई नदीन व्यय में जाधिक किया के स्तर को ऊंचा उठाने को अम्पाई प्रवृत्ति होगी। सति पूरक व्यय का प्रयोग निजी विनियोगों की वमी को पूरा करने के लिए किया

जाएगा। सरकार को उम समय तक ध्यय करते रहना चाहिए जब तक निजी क्षेत्र में विनियोग की कमी पूरी नहीं हो जाती। इस नीति को हसन ने 'विपरीत चक्रीय राजकोषीय नीति' का नाम दिया है। सार्वजनिक व्यय चाहे किसी प्रकार का भी हो, वह गुणक प्रभावों द्वारा प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करता है इसलिए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने में उसका विशेष योगदान होता है।

### सन्तुलित बजट की नीति

यदि हम सन्तुलित बजट की नीति को अपनाते हुए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार को आय का वितरण समान करने के प्रयास करने होंगे। सरकार को ऐसी नीति अपनानी होगी कि व्यक्ति चालू विनियोग की सुविधाओं की तुलना में अधिक बचत करने का प्रयत्न करे। ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए तथा आय के वितरण को समान करने के लिए सरकार को अनेक प्रयास करने पड़ेंगे ताकि अर्थव्यवस्था एक सामान्य स्तर पर बनी रहे। इस सदर्भ में करारोपण का वर्णन अग्रिम पृष्ठों में किया गया है।

**करारोपण का कार्यभार :** करारोपण केवल आय के साधन जुटाने में ही नहीं अपितु आय के पुनर्वितरण में भी सहायक होता है। आर्थिक दृष्टि से बचतों को कम करना पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। परंतु पुनर्वितरण संबंधी करारोपण की नीति बहुत सावधानी से व्यवहार में लानी चाहिए। ताकि आय के पुनर्वितरण के प्रयास विनियोग की क्रियाओं को निरोद्धाहित न करें।

कीन्स का विश्वास था कि प्रभावपूर्ण मांग के कम होने का मूल कारण उपभोग की प्रवृत्ति का कम होना है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। उपभोग की प्रवृत्ति की कमी को पूरा करने के लिए पुनर्वितरणात्मक कर सहायक हो सकता है। धनी लोगों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। इसलिए धनी व्यक्तियों पर कर का भार बढ़ाकर जो आय प्राप्त हो वह निर्धन वर्ग को स्थानांतरित कर देना चाहिए। ऐसा करने से उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तथा प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होकर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। पुरानी निष्क्रिय बचतों पर भी कर लगाया जा सकता है, परंतु शर्त यह है कि ऐसे कर का उपयोग पुनर्वितरण द्वारा मांग में वृद्धि करने के लिए है।

पुनर्वितरणात्मक करों को यदि मावधानीपूर्वक लगाया जाए तो पूँजी का संचय कम होने की अपेक्षा बढ़ सकता है। करारोपण इस प्रकार में किया जाय कि व्यापारियों के विनियोग करने की शक्ति कम न हो। निजी विनियोगों को प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि उन वस्तुओं के उपभोग को बढ़ाया जाए जिनके उत्पादन में हम पूँजी का उपयोग किया जा सके।

## सार्वजनिक व्यय तथा पूर्ण रोजगार

पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने में सार्वजनिक व्यय का बहुत अधिक योगदान माना गया है। उद्देश्य की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय को तीन विभागों में विभाजित किया जा सकता है :

### (1) उपभोग प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने वाला व्यय

उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने की सम्भावना हो जाती है। उपभोग प्रवृत्ति को दो रीतियों से बढ़ाया जा सकता है। प्रथम वर्गों की दर घटाकर तथा द्वितीय क्रम वर्गों को आर्थिक सहायता देकर। वर्गों के घटने से लोगों के पास पट्टल की अपेक्षा अधिक धन बचन लगता है जिसकी उपभोग के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा करने से निजी विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार में वृद्धि होती है।

दूसरी रीति जनता पर कर लगाकर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना है। यहाँ सरकारी व्यय में उतनी ही वृद्धि हो सकती है जितनी करों में। यहाँ बजट तटस्थ रहता है। परन्तु इन पद्धतियों में यह लक्षण है कि सार्वजनिक व्यय को बहुत अधिक बढ़ाना पड़ता है। ऐसा मुद्दकारीन स्थिति में ही हो सकता है। शान्ति-काल में घाटे का बजट अधिक उपयोगी सिद्ध ही सकता है।

### (2) निजी विनियोग को प्रभावित करने वाला व्यय

निजी विनियोगों की वृद्धि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करती है। क्रमबद्ध रोजगार का स्तर ऊँचा होता है। सरकार द्वारा निजी विनियोगों को प्रोत्साहन निम्न रीतियों द्वारा किया जा सकता है :

(1) व्याज की दर को अपेक्षा लाभ की दर में वृद्धि,

(2) विदेशीय ऋण ब्याजोपय नीति द्वारा निजी विनियोगों को बर से मुक्त कर दिया जाए या बर का भार कम कर दिया जाए,

(3) नवीन उत्पादन प्रणाली या नई मशीनों के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए जिससे निजी विनियोगों को प्रोत्साहन मिले और मांग में वृद्धि हो,

(4) नौशाउ उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाए। ऐसी सहायता उद्योग में नंग हुए श्रमिकों के अनुपात में हो, ताकि अधिक श्रमिकों वाले उद्योग को अधिक सहायता मिले और रोजगार में वृद्धि हो।

### सार्वजनिक विनियोग

सार्वजनिक विनियोग द्वारा कुछ विनियोग की मात्रा को बढ़ाना चाहिए जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो और रोजगार स्तर ऊँचा हो। परन्तु इन बात

का ध्यान रखा जाए कि मार्बजनिज विनियोग की वृद्धि में निजी विनियोग में कमी न आए।

### मार्बजनिज ऋण तथा पूर्ण रोजगार

यह कहा गया है कि रोजगार को प्राप्त करने के लिए प्रतिगामी करो की अपेक्षा प्रगतिशील कर अधिक उपयुक्त है और माय ही ममी प्रकार की करो की तुलना में ऋण अधिक उपयोगी सिद्ध होने हैं। रोजगार के स्तर को ऊंचा करने के लिए ऋण लेना भी उचित है परन्तु इसमें गभीर दोष यह है कि ऋण का भार बढ़ जाता है। मार्बजनिज ऋणों का लेना उसी समय लाभदायक होता है जब वे निष्क्रिय कोषों से लिए जाए। यदि वर्तमान उपयोगों में या विनियोगों में कटौती करने मार्बजनिज ऋण एम्ब्र किए जाएंगे तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति सदेहात्मक रहेगी।

सावजनिज भुगतान की वापसी द्वारा भी प्रभाव पूर्ण माग में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि भुगतान की राशि का प्रयोग उपभोग और विनियोग की वृद्धि में किया जाना चाहिए। देश के निर्धन तथा मध्यमवर्ग को ऋणों की वापसी अवश्य करनी चाहिए ताकि उपभोग की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले।

### घाटे की वित्त व्यवस्था तथा पूर्ण रोजगार

सर्नर का विचार है कि पूर्ण रोजगार स्तर को प्राप्त करने के लिए सरकार स्वयं असीमित मात्रा नोट छाप सकती है। कीन्स ने भी इस दृष्टि में घाटे की वित्त व्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया है। परन्तु इस मस्य में शर्त यह है कि जैसे पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त हो जाए तो घाटे की वित्त व्यवस्था को त्याग दिया जाए अन्यथा मुद्रा स्फीति की दशाए उत्पन्न हो जाएगी।

अतः में हम यह सरते हैं कि विभिन्न राजसोपीय यत्नों की महायत्न में हम आर्थिक स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं और पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रोजगार का स्थिति अल्पकाल में प्राप्त नहीं हो सकती। इसको दीर्घकाल में उचित खोखित व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी यह नहीं भ्रूना चाहिए कि राजसोपीय साधनों में से अर्थव्यवस्था में स्थायित्व तथा रोजगार में निश्चित रूप से वृद्धि की जा सकती है। परन्तु साधन की दृष्टि से एक आदर्श स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस सीमा के उपरति भी राजसोपीय नीति एक शक्तिशाली यत्न है। मौद्रिक एक राजसोपीय नीति की सहायता की सहायता से रोजगार के ऊंचे स्तर को प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन विरहित राष्ट्रों में उत्पन्न हुई बेरोजगारी के लिए उपयुक्त हो सकता है। अविभक्त देशों की बेरोजगारी की मात्रा कुछ भिन्न है। अल्पविरमित देश न्यून आय वाले देश हैं। विरमित देशों की बेरोजगारी अपर्याप्त माग का सूचक है जब कि अल्पविरमित देशों की बेरोजगारी अपर्याप्त समाधान का का सूचक है।

पर्याप्त स्रोतों की अनुपस्थिति में अन्व-शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं हो सकता। इन लिए इन देशों में मौद्रिक समस्या अल्प उत्पादनता की होती है न कि बेरोजगारी की। उपचार की दृष्टि से इन देशों में पूँजी निर्माण तथा उत्पादन रोजगार को प्राप्त करने की ओर प्रयत्न करने चाहिए। इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति में कितना अनुदान बजट नीति का हो सकता है उनका मौद्रिक ध्येय की दृष्टि का नहीं हो सकता।

## राजकोषीय नीति की सीमाएँ

आर्थिक विकास तथा स्थिरता की दृष्टि से, तेजी से नदी कात के प्रमानों को कम करने की दृष्टि से बचत तथा बिनियोग को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उदाहरणार्थ नीति का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ उसकी सीमाओं को भी नहीं मूनाया जा सकता।

### (1) अल्पविकसित देशों में सीमित उपयोग

अल्पविकसित देशों में बूँटि बजट राष्ट्रीय आय के छोटे में भाग का ही निर्माण करता है इसलिए वह उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती कितना कि विकसित देश में डाल देती है। अल्पतराज्य को अधिक प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता क्योंकि अल्पविकसित देशों में व्यक्तियों की आय कम होने से वे अल्पतराज्य कर के बगुन में ही नहीं आते। अल्पविकसित देशों में कर से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का बहुत छोटा भाग होती है जबकि विकसित देशों में इसके विपरीत होगा है। उदाहरणार्थ भारत में इनका प्रतिशत 13-14 है, जबकि प्रगतिशील देशों में वह प्रतिशत 25-30 से भी अधिक है।

### (2) विभिन्न क्षेत्रों का पारस्परिक संबंध न होना

यह विशेषता मुख्यतः अल्प विकसित देशों में ही दृष्टगोचर होती है वहाँ कि विभिन्न क्षेत्र आय घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित नहीं होते। फलतः राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसी लिए गए उपाय का प्रभाव समस्त क्षेत्र पर समान नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, देश के किसी एक क्षेत्र में अवसाद की स्थिति हो जबकि दूसरे क्षेत्र में मूल्य वृद्धि का क्रम चल रहा हो। ऐसी स्थिति में घाटे की दित व्यदस्था द्वारा अल्प शक्ति में वृद्धि का लक्ष्य समभवतः नदी में पीछे उद्योगों को पुनर्बोधन प्रदान करने में सफल न होकर सामान्य मूल्य स्तर को ही बढ़ा दे।

### (3) कार्यवाहियों के प्रकार तथा समय पर आश्रित होना

राजकोषीय नीति कितनी प्रभावशाली सिद्ध होगी यह कार्यवाहियों के प्रकार, आकार तथा उनके समय पर निर्भर करता है। राजकोषीय नीति के द्वारा व्यदस्था में कितना परिवर्तन आ सकता है इस बात पर निर्भर करता है कि



अधिकारिया द्वारा मार्बजनिक आय तथा व्यय म नितने परिवर्तन किए गए है तथा वे उपयुक्त समय पर भी किए गए है या नही । यदि कर-आय तथा व्यय मे उचित आकार म परिवर्तन उपयुक्त समय म नही किए गए तो मफनता की मभावनाए कम हो जाती है । वास्तव म इन कार्यवाहिया के लिए कौन सा समय उचित होगा, अधिकारियो क लिए इमका पना लगाना कठिन होता है । इमके अनिरिक्त राजनीतिक कारणा स तथा प्रशासनिक कठिनाइयो स इन कार्यवाहियो के संचालन करने मे विलंब हो जाता है । ऐमा विलंब बहा अधिक् होता है जहा विधानमंडल मे खर्चों तथा करा के लगाने के लिए अनुमति लेनी पडनी है । सार्वजनिक व्यय के गुणक प्रभाव म भी समय लगता है और यह हो सकता है कि उसका वाछिन परिणाम काफी समय के बाद दृष्टिगोचर हो ।

#### (4) करारोपण के लोच का प्रतिवधक प्रभाव

कभी कभी सरकार समाज मे कुल व्यय का विस्तार करने के उद्देश्य से मरकारी व्यय मे वृद्धि करती है ; किन्तु ऐसा हो सकता है कि करारोपण के कारण उम खर्च का एक भाग सरकार के पाम आ जाए । यदि ऐमा हुआ तो मरकारी खर्च का प्रभाव न्यून हो जाएगा और जो स्फीतिजनक प्रभाव हम इम नीति से प्राप्त करना चाहते थे, वह प्रतिवधित हो जाए ।

#### (5) भुगतान सतुलन मे परिवर्तन

कभी कभी भुगतान सतुलन के परिवर्तन भी मरकारी खर्च के उद्देश्यो को प्रभावहीन कर देते हैं । मरकारी व्यय की वृद्धि से निर्यातो के मूल्य मे वृद्धि हो जाती है तथा आयात मरते हो जाते हैं । साधारणत मरकारी व्यय देश की अर्थव्यवस्था म विस्तार लाने के लिए किया जाता है । परंतु आयातो क सस्ता हो जाने के कारण आयातो पर अधिक व्यय होने है और मरकारी व्यय के गुणक प्रभाव कम हो जाते हैं । परिणामत द्रव्य-आय मे जिस वृद्धि की आशा की जाती थी वह आशा से कम हो जाती है ।

#### (6) प्रयासो की पूर्ति पर निर्भरता

राजकोपीय नीति की मफनता मानवीय प्रयासो के अनुकूल दिशा मे परिवर्तन पर निर्भर करते हैं । जब सरकार की करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय की नीति का लोगों के काम की इच्छा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता तब राष्ट्रीय आय मे आशानुमार वृद्धि होती है । साधारणतया ऐमा देखा जाता है कि आय मे वृद्धि होने के कारण लोगो मे प्रयास करने की इच्छा कम हो जाती है । अत राजकोपीय नीति के पूर्व निर्धारित उद्देश्य प्राप्त नही हो पाते ।

## (7) आय के पुनर्वितरण पर निर्भरता

राजकोपीय नीति के अन्तर्गत की गई शिमाओं का प्रभाव उनके परिष्कार-स्वरूप होने वाले आय के पुनः वितरण पर निर्भर करता है। जब आय में होने वाली वृद्धि का एक बड़ा अंश ऐसे लोगों के पास इन्द्रावृत्तित-हो जाता है जिन्हें बचाने की आवश्यकता होती है तो समाज की कुल आय पर आय से कम प्रभाव पड़ता है और राजकोपीय नीति वांछित रूप से निष्फल हो जाती है।

## आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण

आय के वितरण की विचारधारा आर्थिक समस्या का केवल एक भाग है। प्रजातन्त्र समाज में आय के समान वितरण की धारणा इस विश्वास पर आधारित होती है कि असमानता न्यायहीन होती है। इस विश्वास की धारणा ही राजनीतिक नीतियों में ऐसा परिवर्तन लाने की प्रेरणा उत्पन्न करती है जो असमानता घटाने में सहायक होते हैं। आय की असमानता को पूँजीवाद का सबसे बुरा तत्त्व माना जाता है। इसी लिए पूँजीवादी समाज के स्थान पर समाजवादी और साम्यवादी समाज की व्यवस्था लाने पर बल दिया जाता है।

समाज में संपत्ति एवं आय के वितरण का विश्लेषण मुख्यतः दो आधारों पर किया जा सकता है

### (1) व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत

व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत व्यक्तियों के मध्य आय के वितरण का अध्ययन करता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम व्यक्तियों के बीच धन एवं आय के असमान वितरण के कारणों को मालूम करना चाहते हैं। क्या कारण है कि 'अ' की मासिक आय 2000 रुपये है तथा 'ब' की केवल 100 रुपये। समाज में कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों हैं ? यह ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इस सिद्धांत की विषय सामग्री बनता है।

### (2) श्रियात्मक वितरण का सिद्धांत

श्रियात्मक वितरण का सिद्धांत आय के उस वितरण का अध्ययन करता है जो उत्पादित वस्तुओं के स्वामियों में वितरित किया जाता है। श्रियात्मक वितरण, उत्पादित वस्तुओं के स्वामियों को उचित भाग संपन्न सेवाओं के अनुसार कुल उत्पादित आय में भिन्न-भिन्न भाग का अध्ययन करता है। चूंकि भूमि, श्रम पूँजी और संपत्ति के भिन्न-भिन्न आय प्राप्त होती हैं इसलिए इनके स्वामियों की आय भी भिन्न

होती है। इस प्रकार आय का विगतन वितरण धन के वितरण में वैयक्तिक अनमानता उत्पन्न करता है।

### व्यक्तिगत आय के वितरण को निर्धारित करने वाले तत्व

आय वितरण का अध्ययन उन कारणों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण प्रदान करता है जो अनमानता का बटान हैं। वे आध्यात्मिक व्यक्तिगत तथा सामाजिक कारण हैं जो व्यक्तिगत आय में अनमानता उत्पन्न करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में आय के मुख्य स्रोतों उत्पादक साधनों को उनकी उत्पन्न उत्पादों के विपरीत के उपनयन में भिन्न-बिन्न बाधा पुरस्कार होता है बड़ा अनमानता निम्न कारणों में बटती है

(क) व्यक्तियों में वैयक्तिक प्रवीणता के मूल्य में अंतर: चरित्र की एक अभिनती एक खाई खोदने वाले की तुलना में अधिक आय प्राप्त करती है क्योंकि उनके कौशल का मूल्य ऊंचा है। जिन कारणों में उच्च प्रमाणिक और भूमिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जिनमें उत्तरदायित्व अधिक होता है, और जिनके लिए विशिष्ट गुणों एक प्रतिभा की आवश्यकता होती है, उनमें ऊँचे वेतन मिलते हैं। ऐसे पद कुछ ही व्यक्तियों को मिलते हैं। दूसरी ओर अनेक घड़े ऐसे होते हैं जिनको अपनाते के लिए किसी विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे कार्य सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं। इसलिए इनमें वेतन कम मिलता है। व्यक्तिगत वितरण में अनमानता को प्रोत्साहित करने वाले दो तत्व होते हैं वे हैं आनुवंशिकता तथा पर्यावरण। क्योंकि यह सभी मनुष्यों के लिए समान नहीं होते इसलिए यह स्वाभाविक है कि ऐसे अंतर आय की अनमानताओं को उत्पन्न करें।

(ख) व्यक्तियों के स्वामित्व में आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति में अंतर जनेरिका ने टाफ्टर, फोर्ड्स तथा ट्रूपीग्ट्स और भारत में टाटा तथा बिडला इत्यादि के उत्तराधिकारियों की आय इसलिए अधिक है कि उनके पास आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति अधिक है। टाफ्टर ने इस संबंध में लिखा है, 'यह प्रथा उस आय की स्थिरता की व्याख्या करती है जो पूँजी, भूमि तथा सभी प्रकार की आय देने वाली संपत्तियों से प्राप्त होती है और इस प्रकार समृद्ध तथा निर्धन व्यक्तियों के मध्य निरंतर बनी रहने वाली खाई को व्यवस्था करती है'।<sup>1</sup>

उत्तराधिकारी तो केवल इस घटना मात्र से बड़ी संपत्ति के मादिक ही जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक घनी परिवार में जन्म लिया है, यद्यपि उसने उस संपत्ति के जुगने में कोई परिश्रम नहीं किया। इस प्रकार उत्तराधिकार की प्रथा इन अनमानताओं को स्थिर करने तथा बढ़ाने का मुख्य साधन है।

(ग) अवसरो की असमानता - आय तथा धन के वितरण की विषमता को बढ़ाने वाला तीसरा कारण अवसरो की असमानता है। कुछ लोगों को उन परिस्थितियों में जिनमें वे रहते हैं, समान लाभ एवं सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों का जन्म समृद्ध परिवार में होता है उनके जीवन का आरम्भ अच्छी शिक्षा परिक्षण तथा उच्च कोटि के सामाजिक संपर्क में होता है। इसके अतिरिक्त इन युवकों को पैतृक संपत्ति की सुविधा भी प्राप्त होती है जिसमें वे अपने व्यवसाय को प्रारम्भ कर सकते हैं। परन्तु जो व्यक्ति दुर्भाग्यश निर्धन परिवारों में जन्म लेते हैं, उन्हें उचित शिक्षा के अभाव में प्रशामकीय पदों पर पहुँचने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इन लोगों को कोई पैतृक संपत्ति भी प्राप्त नहीं होती जो किसी निजी व्यवसाय के चलाने के लिए पूजा उपलब्ध कर सके। अवसरो की ऐसी असमानताएँ ही आय की भारी असमानताओं को उत्पन्न करती हैं। आर्थिक असमानताएँ अवसरो की असमानताएँ उत्पन्न करती हैं और अवसरो की असमानताएँ पुनः आर्थिक स्तर में असमानताएँ उत्पन्न करती हैं। टोनी ने अपनी पुस्तक में इस कृच्छ्र का इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है। 'वर्तमान समाज में अवसरो एवं कार्यों के अनुपात ही धन का वितरण किया जाता है और अवसर जहाँ अज्ञान मनुष्य के गुणों तथा उनकी शक्ति पर निर्भर है वहाँ उसमें भी अधिक बड़ा जन्मोपगत सामाजिक स्थिति पर प्राप्त शिक्षा व पैतृक धन पर और एक शब्द में कहा जाए तो संपत्ति पर निर्भर होता है' एक निर्धन व्यक्ति का पुत्र तो अपने गुणों तथा बुद्धि में अवसर उत्पन्न करता है जबकि एक अपने धनी व्यक्ति पर वे अवसर थोपे जाते हैं। इस प्रकार अवसरो की असमानता आय और धन के वितरण को विषमता के लिए आशिक रूप से उत्तरदायी है।

### आय की असमानता के परिणाम

आय की असमानता समाज में लोगों के रहन सहन के स्तर में विषमता उत्पन्न कर देती है। कुछ धनी व्यक्ति विनासितापूर्ण जीवन गुजारते हैं तो अधिकांश व्यक्ति निर्धनता की गर्त में अपना जीवन बसर करते हैं। जिन देशों में धन के वितरण में असमानता होती है वहाँ प्रचुरता के बीच भारी निर्धनता रहती है। निर्धनों का असतोष एक दिन भयंकर और हिंसात्मक रूप धारण कर लेता है और क्रान्ति की आग को प्रज्वलित करता है।

इसके अतिरिक्त धनी वर्ग में 'भिन्न रहन की इच्छा' अर्थात्, 'दिखावटी उपभोग' की इच्छा प्रबल होती है जो प्रतियोगी ध्वज का रूप धारण करती है और उपभोग में अपव्यय बड़ा जाता है।

आय की असमानता मध्यम एवं श्रमिक वर्ग में आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न करती है। औद्योगिक मशीन काल में एक मकान व्यापारी अपना कारोबार को अस्थाई रूप से बंद करने के लिए बाध्य हो सकता है परन्तु उसके रहन-सहन के स्तर में

कीर्ति परिवर्तन नहीं आता है लेकिन अबनाद का न में श्रमिक, जिनके रोजगार ही मनाप्त हो जाते हैं, अपने आप को अग्रहाय अबस्था में पात है ।

धन एव आय का असमान वितरण अज्ञान अबमरों में असमानता उत्पन्न करता है जो अतिरिक्त रूप में आर्थिक असमानता को जन्म देता है । इसका एक उल्लेखनीय परिणाम यह होता है कि छोटे स धनी व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक एव राजनैतिक शक्ति केंद्रित हो जाती है जिसके फलस्वरूप स लोग देश पर शासन करत हैं, देश की नीति का निर्देशन करत हैं और अपन स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्धनों का शोषण करते हैं । यही कारण है कि आय की विषमता को पूंजीवाद का अवि-शाप स्वीकार किया गया है, जिन का ता पूर्णतया समाप्त करना होगा या इनमें जहा तक सम्भव हो सनी करनी होगी ।

### आय तथा संपत्ति के वितरण में सुधार के उपाय

हम मसिन्द में उन तत्वों तथा रीतियों की विवेचना कर चुके हैं जो व्यक्तिगत आय को निर्धारित करत हैं । ये ही तत्व और रीतियां आय तथा संपत्ति के पुनर्वितरण के लिए तीन मौलिक यत्र अन्वेषों को मुतावी हैं । इनका वर्णन नीचे किया गया है ।

#### (1) सहायन स्वामित्व के प्रारूप में परिवर्तन

स्रोत स्वामित्व के प्रारूप को हम मुद्रत मृत्यु कर तथा उपहार कर नगा कर बदल सकते हैं । किसी व्यक्ति के पास कितनी आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति है उसको परिमित करके हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं । यह युक्ति साम्यवादी सरकारों के द्वारा अपनाई जाती है । ऐसी सरकारें आय उत्पाजित संपत्ति के स्वामित्व बढ़ाना के साथ नीमित हो नहीं करती अपितु ऐसे स्रोतों को स्वयं अपन स्वामित्व के अधीन लाकर उनसे उत्पन्न आय को सामाजिक लाभार्थ द्वारा वितरित कर देती हैं ।

मृत्युकर द्वारा समानता को प्राप्त करने का उद्देश्य वहा पराजित हो जाता है जहा इस कर से बचन के लिए संपत्ति धारक अपने समाहित उत्तराधिकारियों को मृत्यु की सम्भावना में काफी समय पहले अपनी संपत्ति उपहार के रूप में देते हैं । संपत्तियों का इस प्रकार में हस्तांतरण वनीयननामे के क्रम में होने वाले हस्तांतरण से भिन्न नहीं माना जा सकता । इसलिए मृत्युकर के छिपावों को निष्प्रिय करने के लिए उपहार कर आवश्यक समझा गया है ।

मृत्युकर के विरुद्ध आलोचकों का यह कहना है कि यह कर निजी संपत्ति के प्राकृति अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा व्यक्ति के कार्य करन तथा बचत करन की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । फलस्वरूप पूंजी निर्माण तथा राष्ट्रीय

आय दोनों ही कम हो जाते हैं। परंतु वे आलोचनाएँ ठोस प्रतीत नहीं होती। प्रथम कारण यह है कि निजी संपत्ति के तथ्यांकित 'प्रावृत्तिक' अधिनियम को कल्याणकारी राज्यों में कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाती। द्वितीय संपत्ति को केवल कुछ सीमाओं के भीतर तथा कुछ निश्चित दायित्वों एवं अधिनियमों के माध्यम से स्वीकार किया जाता है।

मृत्युकर तथा उपहार पर जो आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति के सापेक्ष विशाल संप्रदाय को वितरित करने के अभिप्राय से लगाए जाते हैं, मूल्यों को बहुत कम प्रभावित करने हैं। इसलिए श्रीता के आवंटन पर इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही यह कहना कि कोई व्यक्ति परति का संप्रदाय अपने उत्तराधिकारियों के लिए ही करता है, ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति की यह जानकारी कि वंशों द्वारा उसकी संपदा का एक बड़ा अथवा उमके कुटुंब से निकल जाएगा, उत्पत्ति के प्रारूप पर यदि कोई प्रभाव डालेगा भी तो बहुत कम होगा। आधुनिक वित्तशास्त्रियों पूर्व जान स्टुआर्टें मिल जैसे कुछ राजनीतीय विशेषज्ञों ने भी मृत्यु के समय संपत्ति के हस्तांतरण पर बख़ोर कर लगाने का तर्क प्रस्तुत किया था।

आय की सापेक्ष समानता अवसरों की समानता पर भी निर्भर करती है। अवसरों की समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा निजी संपत्ति की विद्यमानता है जो उत्तराधिकार नियम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हो जाती है। जो बालक एक आर्थिक दृष्टि से संपन्न परिवार में जन्म लेता है, उस बालक को तथार्थ रूप में ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं जिनके द्वारा वह अपनी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक गुणों एवं क्षमताओं का विकास कर सकता है।

## (2) ससाधन मूल्यों के प्रारूप में परिवर्तन

स्रोत-मूल्यों के प्रारूप में परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के वितरण को समान बनाने की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो अर्थशास्त्रियों द्वारा कम स्वीकार की जाती है। राजनीतिज्ञों में यह विचारधारा सापेक्ष रूप में अधिक लोकप्रिय है। न्यूनतम मजदूरी विधान, कृषि उत्पादन के लिए समता मूल्य इत्यादि, वास्तव में स्रोतों के मूल्य के परिवर्तन की ही युक्तियाँ हैं जिनके द्वारा वंचित आय के वितरण को परिवर्तित किया जाता है। न्यूनतम वेतन समान बापों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में विभेदात्मक नीति के प्रयोग को न्यूनतम करता है। यदि न्यूनतम वेतन को बहुत ऊँचे स्तर पर निर्धारित कर दिया जाता है तो उससे कम के उस आवंटन के विवृत होने की सम्भावना हो जाती है जो उत्तम उत्पादन प्राप्त्य को बनाए रखने में सहायक होता है। इसी प्रकार कृषि पदाथों के मूल्यों की समता कुछ वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने में प्रोत्साहन दे सकती है तथा कुछ वस्तुओं के उत्पादन को कम कर सकती है क्योंकि समता स्वयं ऐतिहासिक मूल्य संबंधों पर आधारित होती है जो मांग तथा लागत में परिवर्तन होने के कारण बहुत पहले ही अव्यावहारिक मिथ्य हो चुकी है।

सामान्यतः शोध-मूल्यां व परिवर्तन प्रचलित उपभोगा प्रापनिकताओं पर आधारित शोधों के आवंटन में हस्तक्षेप करते हैं। यह रीति विनियम की अधिक समान बनाने के लिए विस्वातनीय नहीं बनी जा सकती। यह व्यक्ति जिसके पास ऐसे शोध अधिक हैं बिनके मूल्य बढ़ा दिए गए हैं उन व्यक्तियों की तुलना में अच्छी स्थिति में आ जाते हैं जिनके पास एक शोध बसत कम हैं। इसमें स्पष्ट ही जाता है कि जब तक ऊँची आय अतिरिक्त करों वान व्यक्तियों व शोधों के उपनयन दिए गए मूल्य नीची आय अतिरिक्त करने वाने व्यक्तियों के वैन ही शोधों के उपनयन में दिए गए मूल्य कम नहीं हाने और आय व वितरण में समानता नहीं आ सकेगी।

### (3) आय के आकार पर प्रत्यक्ष कायदाही

आय तथा संपत्ति के विनियम में समानता लाने वाना यह तीसरा उपाय अतिरिक्त उपयोगी सिद्ध हुआ है क्योंकि इस उद्देश्य की प्राप्ति सामाजिक नीति के अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रतिबन्ध प्रभाव बहुत कम डालती है। ऐसे करों को जो सामाजिक मूल्यां को बिना अधिक परिवर्तित किए आय व वितरण में ऐच्छित समानता लासकते हैं, प्रापनिकता दनी चाहिए। जो असमानताएँ संपत्ति के कारण उत्पन्न होती हैं उन्हें उत्तराधिकार वर द्वारा दूर किया जा सकता है। परन्तु जो असमानताएँ पारिवारिक के अर्थों के कारण उत्पन्न होती हैं वहाँ उत्तराधिकार अतिरिक्त संपत्ति सिद्ध नहीं होता। वहाँ समानता लाने के लिए आयकर व उपयोग किया जाता है। एक अतिरिक्त आरोही आय वर यदि सही रूप में लागू किया जाए तो वह असमानताओं को दूर करने में सौत्र सहायक हो सकता है, आरोही पैरविक आयकर व्यक्तिगत आय के विनियम की असमानता को दो रीतियों में घटाने में सहायक होता है (क) यह वर वानु प्रयोग्य आय की असमानता को घटाता है तथा (ख) यह बहुत माना में धन के केंद्रीकरण की सम्भावनाओं को कम करता है।

आय वर दरों की श्रेणियाँ इस प्रकार से व्यवस्थित होनी चाहिए कि अनाजित आय पर विशेष रूप में भार पड़े। इस वार् में व आय आती है जो संपत्ति के स्वामित्व में प्राप्त होती है। दूसरी ओर ऐसी आय जो परिवार द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे मजदूरी तथा वेतन के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए। सभी देशों में आय वर का अधिकारिक उपयोग केवल इसलिए नहीं किया जाता कि वे सरकार को आय प्राप्त कराने हैं अपितु इसलिए भी किया जाता है कि वे असमानता की समस्या का समाधान भी करते हैं।

व्यक्तिगत आयकर का विरोध मुख्यतः इस आधार पर किया जाता है कि यह कार्य करने तथा बचत करने की योग्यता पर प्रतिबन्ध प्रभाव डालता है और प्रतियोगिता राष्ट्रीय आय के ऊपर भी विरोधी प्रभाव डालता है। वास्तव में पूँजी के निर्माण में देश का प्रवेश नागरिक समान रूप अशदान नहीं देता। पूँजी निर्माण



का काय समाज के चुने हुए धनी व्यक्तियों के द्वारा ही होता है जिनके पाम बचत करने की योग्यता होती है। परंतु विरोधी वय आय के कराधान के केवल एक पक्ष को ही लेकर चलते हैं। व सरकार के व्यय करने की नीति की प्रतिक्रिया को पूरा न भूल जाते हैं। सरकारी व्यय भी आय के वितरण को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है।

निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि आरोही आयकर को आय के पुनर्वितरण के एक पक्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी ओर इस तरह प्राप्त आय को व्यय करने की क्रिया आय के वितरण को प्रभावित करती है। पर्याप्त पोषित आहार स्वास्थ्य आवास इत्यादि पर किए गए व्यय असमानता को कम करने में सहायता देते हैं। अन्य प्रकार के व्यय विशेष रूप से राष्ट्रीय श्रृंखला पर दिए गए व्यय असमानता बढ़ाते हैं। ओ० एच० ब्राउनली के शब्दों में आय के आकार पर प्रत्यक्ष कायवाही का प्रत्यक्ष लाभ यह है कि यह आय प्राप्तकर्ताओं को पुनर्वितरण का कर्तव्य आधार न मानकर आय के आकार को स्वयं बनाने का प्रयत्न करता है।<sup>1</sup>

1 O H Brownlee Economics of Public Finance (1960) The World Press Private Ltd Calcutta p 176

## स्थानीय संस्थाओं की वित्त व्यवस्था

भारतवर्ष में स्थानीय शासन सम्बन्ध जति प्राचीन काल में विद्यमान हैं। बौद्ध जातक कथाओं, शैलित्व के अर्थशास्त्र तथा चीनी यात्रियों ह्वेनसांग एव फाह्यान की यात्रा-कथाओं में इनकी महत्ता का विगद वर्णन मिलता है। दुसरे स्पष्ट होना है कि स्थानीय सम्प्राओं के हल करन में इन विदेशीय व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परन्तु मुस्लिम काल के प्रारम्भ होते ही स्वायत्त शासन सम्प्राओं का महत्व हिंदू काल की अपेक्षा कम हो गया। यह दर्ग अल्पधिक केंद्रित शासनवाही का प्रतीक रहा है। ऐसी स्थिति में स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का महत्त्व निश्चय ही कम हो गया है।

ब्रिटिश काल में ही जिला अधिकारियों की सुरक्षा एव सुविधा हेतु उन संस्थाओं की व्यवस्था करना आवश्यक समझकर स्थानीय वित्त की महत्त्व देने का बात प्रारम्भ हो गई। वास्तव में लार्ड रिपन का सन् 1882 का प्रस्ताव वर्तमान स्थानीय शासन वित्त व्यवस्था की आधारशिला कही जा सकती है। प्रथम बार स्थानीय वित्त व्यवस्था को सन् 1919 के अधिनियम में स्थान मिला और उनमें टोन टैक्स, भूमि कर, भवन कर, पशु कर, चुगी, बांधी कर, वृत्ति कर, निजी बाजार में कर, जल कर, मर्याई कर, प्रकाश कर आदि का प्राविधान किया गया।

सन् 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई और यह आशा की गई कि प्रांतीय सरकारें अपने कर के क्षेत्र में स्थानीय शासन सम्प्राओं को अधिक कर प्रदान करेंगी। परन्तु इस संबंध में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया। ये शासन सम्बन्ध अब भी राजनीतिक प्रभावों से ग्रस्त हैं तथा सरकार का इन पर वर्चस्व अत्यन्त है। इनके क्षेत्र में अतिप्रगति नहीं होगी कि उनकी मौजूदगी बरकरार सिद्ध होने के स्थान पर अनिश्चय सिद्ध हुई है। ये सम्बन्ध स्थानीय समस्याओं को मुनसाले में अन्तर्भूत नहीं हैं और अवाञ्छनीय तत्त्वों के हाथ बिलोना बनती रही हैं।

## स्थानीय सस्याओ के आय के स्रोत

रतवर्ष में स्थानीय सस्याओ के आय प्राप्ति के स्रोतों का दो रूप में अध्ययन या जा सकता है

- (1) कर स्रोत
- (2) गैर कर स्रोत

कर स्रोतों में दो साधन सम्मिलित किए जाते हैं (अ) स्थानीय सस्याओं का लगाए गए कर तथा (ब) राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए तथा एकीकृत किए गए करों में से स्थानीय सस्याओं को प्राप्त होने वाला हिस्सा।

गैर कर स्रोतों में निम्न साधनों को सम्मिलित किया जाता है (अ) व्यापारिक उपक्रमों में आय, (ब) अनुदान तथा (स) ऋण तथा उपदान।

स्थानीय सस्याओं की आय का कर ही प्रमुख स्रोत है। नगरपालिकाएँ अपनी आय का 68 प्रतिशत व बोर्ड 32 प्रतिशत इस मद से प्राप्त करती हैं। स्थानीय सस्याएँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों में आय प्राप्त करती हैं। यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में निम्न करों का समावेश होता है

(1) संपत्ति कर नगरपालिकाएँ अपनी सीमा के भीतर मकानों तथा मकानों के स्वामियों पर संपत्ति कर लगाती हैं, यह कर नगरपालिकाओं की आय का एक स्रोत है। संपत्ति के मकानों पर लगाए जाने वाले करों के भार को मकान स्वामी विवर्तन की क्रिया के द्वारा सिराएदारों से बगून करता है। ये कर संपत्ति भूमि व मकान के वार्षिक मूल्य के आधार पर लगाता जाता है।

इस कर के लगाने से राज्यों को निम्न आय प्रतिशत के रूप में प्राप्त हुई है निम्न तालिका से स्पष्ट है

बंगाल	82 प्रतिशत
असम	78 "
त्रिहार व उड़ीसा	77 "
मद्रास	47 "
बर्मा	46 "

करारोपण काय आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि 1952-53 में 5.23 की आय नगरपालिकाओं को प्राप्त हुई थी। आयोग ने यह भी परामर्श दिया कि जमीन व ट्रस्टी जमीनों को कर मुक्त रखा जाए।

(2) हस्तगत कर : यह कर व्यक्ति के मकान तथा अन्य संपत्ति पर अथवा योग धर्म से होने वाली आय पर लगाया जाता है। इस कर को लगाने में व्यक्ति

की सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ध्यान में रखा जाना है। ईशियत पर कर वास्तव में लोगों के आर्थिक व्यक्तित्व पर कर होना है। यह कर उत्तरप्रदेश, बंगाल, जम्मू, उड़ीसा तथा बिहार की स्थानीय मन्थानों द्वारा बसूत किया जाता है।

(3) मार्ग शुल्क : जिना परिषद नदी के पुन, घाट ताराबों, मडकों आदि पर बहसूत लगाती है। नदी के घाट और पुनो के ठेके देकर यह कर बसूत किया जाता है। जिने की सीमा के भीतर भेने तथा प्रदाजिनी आदि पर भी यह मसूत कर लगाया जाता है। यह कर दो रूपों में विख्यान है यात्री कर, जो कि प्रन्नेक स्थान पर प्रन्नेक यात्री में लिया जा सकता है, तथा तीर्थंकर जो कि तीर्थ स्थानों पर याना करने वालों से बसूत किया जाता है।

इन कर के बारे में करारोपण आज बायोग का कहना है कि यह कर नुरत ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए तथा अगर यह लगाया भी जाना है तो यह 5 लाख की मपत्ति में ऊपर की मपत्ति पर बसूत किया जाना चाहिए।

(4) गाड़ियों पर कर : यह कर नाइसेन की प्रवृत्ति का होता है जो प्रति वर्ष या छ माह में या तीन माह में गाड़िया मोटर गाड़ो, ताना, इक्का, रिक्का नाइसिन, बैनगाडी आदि पर लिया जाता है। करारोपण आज बायोग का उन कर बारे में कहना है कि मोटरकार की आज प्रतिदिन चलने जाने के कारण स्थानीय मन्थानों को मुजाबजे की निश्चित राशि के स्थान पर कर की आय का कुछ अनुपात निभना चाहिए।

(5) व्यावसायिक कर : यह कर एक ही प्रकार का पैसा या व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों से नाइसेन के रूप में बसूत किया जाता है तथा विभिन्न व्यवसायों पर विभिन्न दरों में लगाया जाता है।

(6) संपत्ति के हस्तान्तरण पर कर : यह कर मपत्ति के वापिक मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। इस कर को मद्रान करपोरेशन व कलकत्ता विधान दृष्टि में लागू कर रखा है।

(7) बाजार कर : यह कर विश्वी कर में मिनता-बुलता है। इसको मध्य प्रदेश की स्थानीय मन्थाए लगाती है।

(8) तह बाजारी कर : यह कर जसपाई बाजारों, गहने तथा हाटों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों में लिया जाता है। इसे नगरपाकिता के कर्मचारी हाट में जाकर बसूत करते हैं।

(9) घोडी कर : यह कर बकई राज्य के घोवियों पर लगाया जाता है। इस कर को लगाने के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि घोडी नदियों आदि में अनिरिक्त लाभ प्राप्त करते हैं। नदी को गदा करते हैं। अतः ऐसे स्थानों की मनाई कराने के लिए यह कर लगाना आवश्यक है।

अप्रत्यक्ष कर :

अप्रत्यक्ष करों में भी स्थानीय सस्थाएँ आय प्राप्त करती हैं। कुछ अप्रत्यक्ष कर जो ये संस्थाएँ लगाती हैं, निम्नांकित हैं

**चुगी कर :** यह नगरपालिकाओं की आय का सबसे महत्वपूर्ण मापन है। चुगी नगर पालिका की सीमा के भीतर बाहर से आने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती है। सामान्यतः इस कर का मूल्यांकन मूल्य के अनुसार होता है। सामान्यतः नगरपालिकाओं को सभी प्रकार के करों में प्राप्त होने वाली आय का आधे में अधिकांश भाग इस प्रकार से प्राप्त होता है। इस कर के निम्न गुण हैं

(1) यह कर प्रतिगामी होता है अतएव इसका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है।

(2) यह कर बेरोज होना है, इससे आय वसूली की दर में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ती।

(3) इस कर से प्राप्त होने वाली आय निश्चित नहीं होती है।

(4) यह कर मितव्ययी नहीं होता क्योंकि इसकी वसूली में करदाता की बहुत अमुविद्या होती है क्योंकि प्रायः नगरपालिका की सीमा पर यात्रियों को मान की तलाशी देनी होती है।

करागोपण जाच आयोग ने इस कर के मुद्धार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं

(1) कर वजन के आधार पर लगाना चाहिए, मूल्य के आधार पर नहीं।

(2) प्रत्येक राज्य में ऐसी वस्तुओं की सूची बनानी चाहिए जिन पर यह कर लगाया जाए।

(3) नगरपालिकाओं को कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों पर ममुचित नियंत्रण रखना चाहिए।

**सीमांत कर :** यह कर नगरपालिका की सीमा में रेल द्वारा आने वाले मान पर लगाया जाता है। इस कर को रेल विभाग नगरपालिकाओं के लिए वसूल करता है। यह कर भी चुगी की भाँति परोध कर होता है और इसका भार निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है। इस कर में कुछ गुण हैं : प्रथम, इसमें यात्री मान की तलाशी आदि के झगड़ में बच जाते हैं। द्वितीय, वस्तुओं के मूल्यांकन और कर लौटाने की अमुविद्या नहीं होती। तृतीय, कर का आधार न्यायपूर्ण होता है क्योंकि रेल वस्तुओं के अपने वर्गीकरण के अनुसार ही कर वसूल करती है।

कर इतर आय

(अ) व्यापारिक उपकरणों से आय : स्थानीय सस्थाओं को कर के अतिरिक्त

व्यापारिक उपक्रमों से भी आय प्राप्त होती है। भारत में स्थानीय सम्पदाओं ने इस स्रोत का अधिक महत्व नहीं समझा है और बहुत कम आय इन माध्यम से प्राप्त होती है। इनमें निम्न माध्यम हैं।

(1) पानी व बिजली प्रदान करना : भारत में अधिकांश नगरपालिका पौने वा पानी प्रदान करती हैं तथा मीटर लगाकर उनके अनुसार (अर्थात् उपभोक्ता जिसका पानी का इस्तेमाल करते हैं उसी के अनुसार) बिल देती हैं। नगरपालिकाएँ बिजली राज्य सरकार से लेकर उपभोक्ताओं को मन्वर्ट करती हैं तथा इस पर लाभ प्राप्त करती हैं।

(2) क्लबाई घर : स्थानीय मन्वद्या प्रदेक स्थान पर जानवरों को नहीं मारने देती हैं। वह इनके लिए एक स्थान निम्नित कर देती हैं तथा उन स्थान का प्रयोग करने वाले न किराया प्राप्त किया जाता है।

(3) मातापाल व किराए से प्राप्ति : नगरपालिकाएँ अपनी दुकान, मन्वय तथा बातापाव के माध्यमों द्वारा से किराया वसूल करती हैं।

### गैर कर स्रोत आय अनुदान

स्थानीय सम्पदाओं को राज्य सरकारें अनुदान देती हैं। निम्नो ढँब के अनुसार वार जायारों पर स्थानीय सम्पदाओं के लिए महामुक्त अनुदानों व आनन्दक उद्धारण हैं :

(1) महायुक्त अनुदान विभिन्न स्थानीय सम्पदाओं के वित्तीय भार को कम-नालगाओं की रोमन के लिए आवश्यक है।

(2) राज्य सरकार द्वारा स्थानीय सम्पदाओं के प्रबंध में कुशलता और निम्न-व्ययिता जाने के लिए दिए गये वाले प्रस्ताव की समाह तथा राज्य सरकारों द्वारा इन सम्पदाओं की बालोचना का महायुक्त अनुदान बिल प्रदान करना है।

(3) महायुक्त अनुदानों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि स्थानीय सरकारों को ऐसी व्यावहारिक रीति प्रदान करते हैं जो कि उनमें स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है और जिसके द्वारा वे अपने शानत प्रबंध में विधानमंडल द्वारा निर्धारित आन्वय नीति को निशान्वित करने से अनुभवों बुद्धिमानों और निम्नत दृष्टिकोण से लाभ ले सकती हैं।

(4) अंत में महामुक्त अनुदानों के द्वारा ही स्थानीय देवानों में राष्ट्रीय मूलतम कुशलता उत्पन्न हो सकती है जो कि राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से आवश्यक है।

भारत में यह अनुदान राज्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं तथा दो प्रकार के होते हैं (क) आबतों अनुदान, (ख) अनाबतों अनुदान। इन अनुदानों का अधिक-बाज भाग शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को ही प्राप्त होता है।

### (स) ऋण तथा उपदान

गरीब वस्तुओं की सफाई, जल पूर्ति व नालियों की व्यवस्था आदि कार्यों के लिए नगरपालिकाओं को ऋण व उपदान लेने पड़ते हैं, परंतु इन संस्थाओं की साथ अधिक ऊंची न होसे के कारण इन्हें सरलता से ऋण प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अतः राज्य सरकारों द्वारा इन ऋणों की गारंटी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि ये ऋण इन संस्थाओं के लिए अपर्याप्त हो तो स्वयं उनको रुपया उधार दे तथा उपदान दें।

### स्थानीय संस्थाओं के व्यय

जिन मदों पर स्थानीय संस्थाएं व्यय करती हैं वे निम्न हैं :

(1) प्रशासन और कर वसूली अभियान पर व्यय : नगरपालिकाओं को चुनाव, मीटिंग तथा कार्यालय पत्र भारी व्यय करना होता है। इसके अलावा करों की वसूली करने के लिए प्रशासन को अधिक विस्तार करना पड़ता है तथा उस पर व्यय करना पड़ता है।

(2) शिक्षा : शिक्षा स्थानीय संस्थाओं का व्यय एक प्रमुख भेद है। य संस्थाएं निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल चलाना नगरपालिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इस पर नगरपालिकाएं काफी व्यय करती हैं। कुछ नगरपालिकाएं जूनियर हाई स्कूल तथा इटर काविज भी चलाती हैं।

(3) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा : नगरपालिकाएं व जिला बोर्ड निःशुल्क चिकित्सा के लिए अस्पताल की व्यवस्था करती हैं। सत्रामत्र रोगों जैसे चेचक, हैजा, प्लेग आदि की रोकथाम के लिए टीके लगवाना, मच्छरों और अन्य कीड़े-मकोड़े मारने के लिए डी० डी० टी० छिड़कवाना तथा बाजार में खाने-पीने की बची जाने वाली वस्तुओं की स्वच्छता एवं शुद्धता की देखभाल रखना भी इन संस्थाओं का कार्य है जिस पर व्यय करना इनका फर्ज है।

(4) सफाई : ये संस्थाएं सीमा के भीतर सड़कों तथा नालियों की सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों की भरमसात करवाना आदि मदों पर व्यय करना आवश्यक है तथा जिसको यह संस्थाएं करती हैं।

(5) प्रकाश : सीमा के भीतर यह संस्थाएं रात्रि के समय सड़कों व मोहल्लों में प्रकाश की व्यवस्था करना भी इनका उत्तरदायित्व है।

(6) पीने योग्य जल की व्यवस्था : पीने योग्य जल की व्यवस्था करना इन संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये संस्थाएं कुओं का निर्माण, नगर में स्थान-अधान पर प्याऊ घरों की व्यवस्था, पानी एकत्रित करने वाली टकी का

निर्माण तथा पानी की सप्लाई, वाटर वर्क्स आदि पर व्यय करना भी इन समस्याओं का कार्य है।

(7) सार्वजनिक निर्माण कार्य: नगर की सीमा के बाहर स्कूलें, उद्यान, व्यायामशाला, सड़कों के सहारे पेड़ लगाना आदि का निर्माण भी करवाती है जिन पर इन समस्याओं का अग्रिम व्यय करना पड़ता है।

### स्थानीय समस्याओं की वित्तीय समस्याएँ

भारतीय स्थानीय समस्याओं के कार्यों को संचालित रखते हुए यह कहा जा सकता है कि इनके काम के स्रोत अत्यंत कम हैं। इस सदर्भ में डा० जगन्नाथ का विचार उल्लेखनीय है। इनके अनुसार 'भारत में स्थानीय समस्याओं के साधनों की निर्धनता भली भाँति ज्ञात है और स्थानीय वित्त की समस्या का निबेचन बहुत कम ही इस पर बल देने की भाँति ही कोई आश्वासन देता है।' स्थानीय समस्याओं को अपने कार्यों के सफल करने के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है। राज्य सरकारों ने जो वित्तीय सहायता इन्हें मिलती है वह भी इनके कार्यों को सतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है, परियोजनाबद्ध भारतीय स्थानीय सस्थाएँ जोलिवर दुर्भिक्ष की भाँति अग्रिमवर्षिक वित्तीय भाग के लिए नईब हाथ फँसाए रखती हैं।<sup>1</sup>

स्थानीय समस्याओं की वित्तीय समस्याएँ निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुई हैं :

#### (1) स्थानीय समस्याओं के कार्यों में वृद्धि

भारतीय अधिनियम 1935 के पारित हो जाने के पश्चात् इन समस्याओं के कार्यों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद में इन समस्याओं के कार्यों पर प्रशासनिक भाव बरना चला जा रहा है। पुराने कार्यों में वृद्धि के साथ उन्हें अब कुछ नए कार्य भी करने पड़ते हैं। वे व्यक्ति जो अग्रिम सुचेत हैं वे ही नए नए कार्य नगरपालिकाओं द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं। अब व्यक्ति अपने घरों के सामने के दफ्तों की छटाई, स्थानीय सड़कों में कूड़ा जमाव का काम भी करता है, मनोरंजन के स्थान, मार्गदर्शक बोर्ड, खेल के स्थल, लोक-मूल्य का प्रदर्शन और मंडलों जैसे कार्य जिन्हें वे स्वयं पूरा किया करते थे अब स्थानीय समस्याओं द्वारा पूरा करवाना चाहते हैं।

1 Dr. Gyan Chand - Local Finance in India (1947), Knabenpress, Allahabad, p. 47.

2 Dr. K.S. Sharma - Institutional Structure of Capital Market in India, (1968), Sterling Publishers, N. Delhi, p. 36.



इन बढत हुए कार्यों को पूरा करने के लिए इन मस्याओं के जो शक्ति और अधिकार बढ़ाए गए हैं, वे कबल सैद्धांतिक महत्त्व ही रखते हैं। उनका व्यावहारिक महत्त्व बहुत कम है।

एक अनुमान के अनुसार नगरपालिकाओं की प्रतिव्यक्ति आय 776 रुपये वार्षिक और जिला बोर्डों की 086 रु० वार्षिक है। इनकी कम आय से ये सम्थाए किस प्रकार विभिन्न सुविधाओं को प्रदान कर सकती हैं यह एक आश्चर्यजनक बात है। इसी कारण ये मस्याएँ पर्याप्त कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ हैं। इन मस्याओं को अपनी बड़ी हुई शक्ति और अधिकारों का प्रयोग करने में पूर्व राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होती है।

राज्य सरकारें नगरपालिकाओं के इस रद्दोबदल के आवेदन को मान्यता प्रदान करने में सकोच करती हैं क्योंकि ऐमा करने में इनको सदैव इस बात का भय रहता है कि वही ऐमे रद्दोबदल से उनकी आर्थिक अवस्था न बिगड़ जाए। इसलिये नगरपालिकाएँ अपनी बड़ी हुई शक्तियों के द्वारा भी अपनी वार्षिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। इसी सदर्भ में श्री एन० सी० टडन ने एक म्यान पर कहा था कि स्थानीय मस्याओंको जो अधिकार और शक्तियों बिना पर्याप्त वित्त के प्रदान कर दी गई हैं। उन मस्याओं की तुलना एरु ऐमे व्यक्ति से कर सकते हैं जिसने शरीर की वृद्धि तो निरन्तर हो रही है परन्तु उसके पास शरीर ठबन के लिए कपडे बराबर मिशुडने जा रहे हैं।

## (2) स्थानीय सस्याओं की आय के साधन सेलोच है

राज्य सरकारों ने अपने पास निम्न आय के साधन रसे हैं जो सेलोचदार हैं : भूमि लगान, कृषि आय कर, मोटर गाडियाँ पर कर, मनोरञ्जन पर, गुधार-कर इत्यादि। इसके विपरीत स्थानीय मस्याओं को जो आय के स्रोत दिए गए हैं वे पूर्णतया सेलोचदार हैं। इनका ही नहीं, कुछ ऐमे भी स्रोत हैं जो न्यायपूर्वक स्थानीय मस्याओं को ही मिलने चाहिए थे परन्तु राज्य सरकारों ने उन्हे अपने अधिकार में रखा है, उदाहरणार्थ मनोरञ्जन कर, अचल संपत्ति पर कर, बिभी कर, होटलों और कार्पो हाउसों पर कर। वास्तव में ये साधन स्थानीय मस्याओं को दिए जाने चाहिए। यही कारण है कि जब इन मस्याओं को अधिक आय की आवश्यकता होती है तो इन्हें राज्य सरकारों के अनुदानों पर निर्भर रहना पन्ता है।

## 3) वर्तमान वित्तीय साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं

इन सस्याओं को आय के साधन प्रदान किए गए हैं, उनसे अधिकतम आय प्राप्त करने के प्रयत्न नहीं किए गए हैं। ये मस्याएँ कर निर्धारण करते समय पशपात में काम लेती हैं। जाता को आलोचनाओं से बचने तथा अपने अधिकारियों की जनता में लोकप्रियता बनाए रखने के लिए इन मस्याओं में अपने स्रोतों का पूर्ण

दोहन भी नहीं किया है। इनके अतिरिक्त प्रशासन की अकुशलता, विवेक के अभाव तथा विद्यनय की कमी के कारण करों की वसूली में टीकापन रहता है। 1948 के स्थानीय सरकारों के मंत्रियों के सम्मेलन में उपर्युक्त तथ्यों को निम्न शब्दों में स्वीकार किया गया : 'सम्मेलन इसमें सहमत है कि स्थानीय समस्याओं की आर्थिक खोज अपर्याप्त है। यह सम्मेलन यह स्वीकार करता है कि उपलब्ध स्रोतों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तथा कम मूल्यांकन की वुराई तथा करों को पूर्ण मात्रा में एकत्र करने की विफलता विन्तन रूप में फँसी हुई है।'

#### (4) राजनीतिक कारण

करों के बगूल करने में राजनीतिक दल भी बाधाएँ डालते हैं। ये दल अपने मनीष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरदाताओं के विभाग को विपरीत कर देते हैं। इन संस्थाओं में राजनीतिक दलों के आग्रह पर चुनाव लड़े जाते हैं। 'आज-कल इन समस्याओं के राजनीतिक दल ऐसे वर्तमान विमुख माताओं के समान हैं जो अपने मिश्रुओं के घोषण की अपेक्षा अपने शृंगार में रत रहती हैं।'<sup>1</sup>

#### (5) मूल्यांकन की समस्या

स्थानीय करों की आर्थिक क्षेत्रों की गुणन-विना पर निर्भर नहीं करती अपितु उनके उचित मूल्यांकन पर भी निर्भर करती हैं। स्थानीय संस्थाएँ अपनी निर्णयता के कारण कम मूल्यांकनकर्ताओं की सेवा लेने में असमर्थ रहती हैं। सामान्य में भू संपत्ति का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। बड़े नगरों में यह कार्य असंभव हो जाता है। परिणामस्वरूप एक बार का किया हुआ मूल्यांकन वर्षों तक चलता रहता है। स्वतंत्रता के पश्चात् नगरों में संपत्तियों का मूल्यांकन एक गुणमय विकास हुआ है, साथ ही इन संपत्तियों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। एक उचित अवधि के बाद इन संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन न होने के कारण स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय क्षति सहन करनी पड़ती है।

#### वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपाय

स्थानीय समस्याओं की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि इनकी इस अर्थिक दृष्टिकोण में, केन्द्रियता, जागरूकता, दूर-सम्बन्धों को, पर्याप्त धन, क्षमता, उनके अधिकारों में वृद्धि करना, सरदार बल्लभभाई पटेल के शब्दों में, 'धिसी-नून मंत्री को मजाना है।' इसलिए इनके आर्थिक स्रोतों को लोचदार बनाए जाए जिससे बटते हुए कार्यभार के व्यय को समाला जा सके। इन सबध में वृत्तरोपण जाच आयोग (1953-54) ने सुझाव दिए हैं :

1) राज्य सरकारों को स्थानीय संस्थाओं के कर संग्रह के अधिकार को नहीं छीनना चाहिए।